एम.ए. पूर्वार्द्ध

समाजशास्त्र, चतुर्थ प्रश्नपत्र

वैश्वीकरण एवं समाज

(GLOBALIZATION AND SOCIETY)

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय – भोपाल

MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY - BHOPAL

Reviewer Committee

1. Dr. Shailja Dubey
   Professor
   IEHE College, Bhopal (M.P.)

2. Dr. Deepika Gupta
   Assistant Professor
   IEHE College, Bhopal (M.P.)

3. Dr. Archana Chauhan
   Professor
   Govt. S.N.G. (PG) Autonomous College,
   Bhopal (M.P.)

Advisory Committee

1. Dr. Jayant Sonwalkar
   Hon'ble Vice Chancellor
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal (M.P.)

2. Dr. L.S.Solanki
   Registrar
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal (MP)

3. Dr. Anjali Singh
   Director, Student Support
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal (MP)

4. Dr.Shailja Dubey
   Professor
   IEHE College, Bhopal (M.P.)

5. Dr. Deepika Gupta
   Assistant Professor
   IEHE College, Bhopal (M.P.)

6. Dr. Archana Chauhan
   Professor
   Govt. S.N.G. (PG) Autonomous College,
   Bhopal (M.P.)

COURSE WRITERS

Dr Deepika Bhambani, Former Faculty, Department of Social Sciences, MLB College, Jiwaji University, Gwalior

Units (1.2, 1.2.2, 1.3, 1.4, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.6, 1.5-1.5.2, 2.2-2.2.4, 2.2.7-2.2.8, 2.3, 2.3.2-2.3.4, 3.2, 3.2.2-3.2.4, 3.3, 3.3.2, 3.4, 3.4.2, 3.5-3.5.1, 3.5.2, 3.5.4, 3.5.5, 5.2-5.4)

Dr Vinod Singh Tomar, Academic Director and Associate Professor, Gyanveer Institute of Management and Science, Sagar, M.P.

Units (1.0-1.1, 1.2.1, 1.4.1, 1.4.4, 1.5.3, 1.6-1.10, 2.0-2.1, 2.2.5-2.2.6, 2.3.1, 2.4-2.8, 3.0-3.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.3, 3.6-3.10, 4.0-4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6-4.10, 5.0-5.1, 5.5-5.9)

Copyright © Reserved, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal

All rights reserved. No part of this publication which is material protected by this copyright notice may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form or by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the Registrar, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal, Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Published by Registrar, MP Bhoj (Open) University, Bhopal in 2020

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi 1100 44
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

SYLLABI-BOOK MAPPING TABLE

वैश्वीकरण एवं समाज

Syllabi	Mapping in Book
इकाई–1 वैश्वीकरण की प्रकृति एवं अवधारणा वैश्वीकरण की प्रकृति वैश्वीकरण की अवधारणा वैश्वीकरण का ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ वैश्विक पूंजीवाद, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण की विशेषताएं वैश्विक पूंजीवाद का अर्थ एवं परिभाषा नव उदारवाद और वैश्विक पूंजीवाद आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण आधुनिकीकरण की परिभाषा एवं विशेषताएं आधुनिकीकरण के लक्षण वैश्वीकरण की विशिष्ट विशेषताएं वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी और सूचना की भूमिका वैश्वीकरण के लाभ वैश्वीकरण के प्रभाव वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव	**इकाई 1** : वैश्वीकरण की प्रकृति और गतिशीलता **(पृष्ठ 3–72)**
इकाई–2 वैश्वीकरण की एजेंसियां : वैश्वीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्र राज्य, मीडिया, बाजार एवं गैर सरकारी संगठन वैश्वीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण और राष्ट्र राज्य वैश्वीकरण और मास मीडिया मास मीडिया का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य व विभिन्न सेवाएं बाजार का अर्थ एवं परिभाषाएं बाजारों का वैश्वीकरण गैर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक विश्व व्यापार संगठन	**इकाई 2** : वैश्वीकरण की एजेंसियां **(पृष्ठ 73–140)**
इकाई–3 वैश्वीकरण के लोकाचार (स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद) वैश्वीकरण के लोकाचार की अवधारणा स्वतंत्रता व्यक्तिवाद उपभोक्तावाद अमेरिकी मूल्य प्रणाली का प्रसार और संरक्षण एवं मीडिया अमेरिकी मूल्य प्रणाली का अर्थ व विशेषताएं	**इकाई 3** : वैश्वीकरण और संस्कृति **(पृष्ठ 141–218)**

अमेरिकी मूल्य प्रणाली : प्रसार, संरक्षण व मीडिया
वैश्वीकरण और सांस्कृतिक समरूपता, आधिपत्य और प्रभुत्व
सांस्कृतिक समरूपता की अवधारणा
वैश्वीकरण के प्रभाव
वैश्वीकरण और जातीय चेतना का पुनरुत्थान
वैश्विक पर्यटन
प्रवासी समुदाय
आंदोलन का अर्थ और जातीय एवं धार्मिक आंदोलन
अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन
धार्मिक कट्टरवाद

इकाई–4

देश के भीतर और देशों के बीच असमानताएं
असमानता की परिभाषा एवं लक्षण
असमानता की अवधारणाएं
वैश्वीकरण : राष्ट्र और आबादी के मत–अभिमत
वैश्वीकरण के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव
व्यक्तिगत एवं सामूहिक पहचान पर वैश्वीकरण का प्रभाव

इकाई 4 : वैश्वीकरण के सामाजिक परिणाम **(पृष्ठ 219–254)**

इकाई–5

वैश्वीकरण और सार्वजनिक नीति
वैश्वीकरण पर बहस
वैश्वीकरण का प्रभाव

इकाई 5 : वैश्वीकरण और भारतीय अवलोकन **(पृष्ठ 255–271)**

विषय–सूची

परिचय **1–2**

इकाई 1 वैश्वीकरण की प्रकृति और गतिशीलता **3–72**

1.0 परिचय
1.1 उद्देश्य
1.2 वैश्वीकरण की प्रकृति एवं अवधारणा
  1.2.1 वैश्वीकरण की प्रकृति
  1.2.2 वैश्वीकरण की अवधारणा
1.3 वैश्वीकरण का ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ
1.4 वैश्विक पूंजीवाद, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण की विशेषताएं
  1.4.1 वैश्विक पूंजीवाद का अर्थ एवं परिभाषा
  1.4.2 नव उदारवाद और वैश्विक पूंजीवाद
  1.4.3 आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण
  1.4.4 आधुनिकीकरण की परिभाषा एवं विशेषताएं
  1.4.5 आधुनिकीकरण के लक्षण
  1.4.6 वैश्वीकरण की विशिष्ट विशेषताएं
1.5 वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी और सूचना की भूमिका
  1.5.1 वैश्वीकरण के लाभ
  1.5.2 वैश्वीकरण के प्रभाव
  1.5.3 वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव
1.6 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
1.7 सारांश
1.8 मुख्य शब्दावली
1.9 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
1.10 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 2 वैश्वीकरण की एजेंसियां **73–140**

2.0 परिचय
2.1 उद्देश्य
2.2 वैश्वीकरण की एजेंसियां : वैश्वीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्र राज्य, मीडिया, बाजार एवं गैर सरकारी संगठन
  2.2.1 वैश्वीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था
  2.2.2 बहुराष्ट्रीय कंपनियां
  2.2.3 वैश्वीकरण और राष्ट्र राज्य
  2.2.4 वैश्वीकरण और मास मीडिया
  2.2.5 मास मीडिया का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य व विभिन्न सेवाएं
  2.2.6 बाजार का अर्थ एवं परिभाषाएं
  2.2.7 बाजारों का वैश्वीकरण
  2.2.8 गैर सरकारी संगठन
2.3 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक
  2.3.1 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
  2.3.2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

2.3.3 विश्व बैंक
2.3.4 विश्व व्यापार संगठन
2.4 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
2.5 सारांश
2.6 मुख्य शब्दावली
2.7 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
2.8 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 3 वैश्वीकरण और संस्कृति **141–218**

3.0 परिचय
3.1 उद्देश्य
3.2 वैश्वीकरण के लोकाचार (स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद)
3.2.1 वैश्वीकरण के लोकाचार की अवधारणा
3.2.2 स्वतंत्रता
3.2.3 व्यक्तिवाद
3.2.4 उपभोक्तावाद
3.3 अमेरिकी मूल्य प्रणाली का प्रसार और संरक्षण एवं मीडिया
3.3.1 अमेरिकी मूल्य प्रणाली का अर्थ व विशेषताएं
3.3.2 अमेरिकी मूल्य प्रणाली : प्रसार, संरक्षण व मीडिया
3.4 वैश्वीकरण और सांस्कृतिक समरूपता, आधिपत्य और प्रभुत्व
3.4.1 सांस्कृतिक समरूपता की अवधारणा
3.4.2 वैश्वीकरण के प्रभाव
3.5 वैश्वीकरण और जातीय चेतना का पुनरुत्थान
3.5.1 वैश्विक पर्यटन
3.5.2 प्रवासी समुदाय
3.5.3 आंदोलन का अर्थ और जातीय एवं धार्मिक आंदोलन
3.5.4 अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन
3.5.5 धार्मिक कट्टरवाद
3.6 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
3.7 सारांश
3.8 मुख्य शब्दावली
3.9 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
3.10 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 4 वैश्वीकरण के सामाजिक परिणाम **219–254**

4.0 परिचय
4.1 उद्देश्य
4.2 देश के भीतर और देशों के बीच असमानताएं
4.2.1 असमानता की परिभाषा एवं लक्षण
4.2.2 असमानता की अवधारणाएं
4.3 वैश्वीकरण : राष्ट्र और आबादी के मत–अभिमत
4.4 वैश्वीकरण के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव
4.5 व्यक्तिगत एवं सामूहिक पहचान पर वैश्वीकरण का प्रभाव
4.6 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

4.7 सारांश
4.8 मुख्य शब्दावली
4.9 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
4.10 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 5 वैश्वीकरण और भारतीय अवलोकन **255–271**

5.0 परिचय
5.1 उद्देश्य
5.2 वैश्वीकरण और सार्वजनिक नीति
5.3 वैश्वीकरण पर बहस
5.4 वैश्वीकरण का प्रभाव
5.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
5.6 सारांश
5.7 मुख्य शब्दावली
5.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
5.9 सहायक पाठ्य सामग्री

परिचय

टिप्पणी

प्रस्तुत पुस्तक 'वैश्वीकरण एवं समाज' का लेखन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एम.ए. समाजशास्त्र (पूर्वार्द्ध) के अनुरूप किया गया है।

वैश्वीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विश्व के सभी देश एक–दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा वैश्विक संचार बढ़ता है और विश्व में एकरूपता की प्रवृत्ति विकसित होती है। वैश्वीकरण के द्वारा संपूर्ण विश्व के लोग एक साथ मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं और साथ में मिलकर कार्य करते हैं। वैश्वीकरण पारंपरिक सामाजिक संबंधों को पूर्ण रूप से नई और गतिशील स्थितियों के साथ सामना करने के बाद से सामाजिक भागीदारों के दृष्टिकोण को शक्तिशाली रूप से प्रभावित करता है।

पुस्तक में विषय के विश्लेषण से पूर्व उसके निहित उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया गया है। इकाई के बीच–बीच में 'अपनी प्रगति जांचिए' कॉलम के माध्यम से विद्यार्थियों की योग्यता परखने के लिए वैकल्पिक प्रश्न भी दिए गए हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए संपूर्ण पुस्तक को पांच इकाइयों में समायोजित किया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है–

पहली इकाई वैश्वीकरण की प्रकृति और गतिशीलता पर आधारित है। इसमें वैश्वीकरण की अवधारणा, प्रकृति, वैश्वीकरण का ऐतिहासिक एवं सामाजिक संदर्भ, वैश्विक पूंजीवाद, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण की विशेषताएं, वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी और सूचना की भूमिका आदि तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है।

दूसरी इकाई वैश्वीकरण की एजेंसियों पर आधारित है। इसमें वैश्वीकरण की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की उत्पत्ति, संरचना, कार्य आदि का विवरण दिया गया है, साथ ही वैश्वीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, राष्ट्र राज्य, मीडिया और बाजारों का वैश्वीकरण, गैर सरकारी संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक आदि संस्थाओं का भी उल्लेख किया गया है।

तीसरी इकाई वैश्वीकरण और संस्कृति पर आधारित है। इसमें वैश्वीकरण के लोकाचार, अमेरिकी जीवन–मूल्य प्रणाली का प्रसार, वैश्वीकरण एवं सांस्कृतिक समरूपता एवं जातीय पुनरुत्थान के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया गया है।

चौथी इकाई वैश्वीकरण के सामाजिक परिणामों पर आधारित है। इसमें राष्ट्रों में असमानता, वैश्वीकरण के प्रति राष्ट्रों और इसके नागरिकों के विचार, सामाजिक, आर्थिक प्रभावों तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक पहचान जैसे विषयों का विश्लेषण किया गया है।

पांचवीं इकाई वैश्वीकरण और भारतीय अवलोकन पर आधारित है। इसमें वैश्वीकरण और सार्वजनिक नीति, वैश्वीकरण पर बहस (परिचर्चा) तथा वैश्वीकरण के प्रभावों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है।

टिप्पणी

प्रस्तुत पुस्तक में वैश्वीकरण और समाज से संदर्भित विषयों का सांगोपांग अध्ययन किया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक छात्र–छात्राओं की जिज्ञासा को शांत कर उनका ज्ञानवर्द्धन करने में सफल सिद्ध होगी।

इकाई 1 वैश्वीकरण की प्रकृति और गतिशीलता

टिप्पणी

संरचना

1.0 परिचय
1.1 उद्देश्य
1.2 वैश्वीकरण की प्रकृति एवं अवधारणा
  1.2.1 वैश्वीकरण की प्रकृति
  1.2.2 वैश्वीकरण की अवधारणा
1.3 वैश्वीकरण का ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ
1.4 वैश्विक पूंजीवाद, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण की विशेषताएं
  1.4.1 वैश्विक पूंजीवाद का अर्थ एवं परिभाषा
  1.4.2 नव उदारवाद और वैश्विक पूंजीवाद
  1.4.3 आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण
  1.4.4 आधुनिकीकरण की परिभाषा एवं विशेषताएं
  1.4.5 आधुनिकीकरण के लक्षण
  1.4.6 वैश्वीकरण की विशिष्ट विशेषताएं
1.5 वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी और सूचना की भूमिका
  1.5.1 वैश्वीकरण के लाभ
  1.5.2 वैश्वीकरण के प्रभाव
  1.5.3 वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव
1.6 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
1.7 सारांश
1.8 मुख्य शब्दावली
1.9 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
1.10 सहायक पाठ्य सामग्री

1.0 परिचय

वैश्वीकरण आधुनिक समाज की एक विशिष्ट प्रवृत्ति और विशेषता है। एक शब्द के रूप में इसकी उत्पत्ति 1960 के दशक में फ्रेंच और अमेरिकी लेखन में हुई थी। लेकिन, यह शब्द 1980 के दशक में लोकप्रिय हुआ। तब से यह शिक्षाविदों, नीति नियोजकों और चिकित्सकों के बीच एक परिचर्चा का विषय बन गया है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप सीमाओं के पार लोगों और राष्ट्रों का अधिक परस्पर जुड़ाव और एकीकरण हुआ है। इस प्रक्रिया ने राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यक्तियों, विचारों, ज्ञान, पूंजी और वस्तुओं की अधिक आवाजाही को उभारा है। परंतु इसे एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप सूचना का प्रसार, विचारों का फैलाव, ज्ञान और तकनीकी ज्ञान का प्रसार, संसाधनों का वितरण समाज के परिवर्तन के लिए अग्रणी है। यह विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की एक प्रक्रिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश द्वारा संचालित और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सहायता प्राप्त प्रक्रिया है।

वैश्वीकरण कीमतों, उत्पादों, मजदूरी, ब्याज की दरों और मुनाफे को समरूप बनाने की विश्वव्यापी प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया के लोगों को

टिप्पणी

एक समाज में एकीकृत किया जाता है और यह व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण की ओर जाता है। इस प्रकार, वैश्वीकरण एक एकल शब्द है जो घटनाओं की बहुलता का वर्णन करता है। यह शब्द सर्वव्यापी और बहुआयामी है।

प्रस्तुत इकाई में वैश्वीकरण की अवधारणा, वैश्वीकरण का ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ, वैश्विक पूंजीवाद, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण की विशेषताएं, वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी और सूचना की भूमिका आदि तथ्यों का अध्ययन किया गया है।

1.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- वैश्वीकरण की प्रकृति एवं अवधारणा को समझ पाएंगे;
- वैश्वीकरण के ऐतिहासिक एवं सामाजिक संदर्भ के बारे में जान पाएंगे;
- वैश्विक पूंजीवाद तथा आधुनिकीकरण से अवगत हो पाएंगे;
- वैश्वीकरण की विशेषताओं को समझ पाएंगे;
- वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी एवं सूचना की भूमिका को समझ पाएंगे;
- वैश्वीकरण के लाभ और हानि के बारे में जान पाएंगे।

1.2 वैश्वीकरण की प्रकृति एवं अवधारणा

आज वैश्वीकरण एक सामान्य उपयोग है, लेकिन विवादास्पद व्याख्याओं को आमंत्रित करता है। एक शब्द के रूप में इसे सही तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है। विभिन्न विषयों में शब्द की व्याख्या में कुछ समानताएं हैं। समानताओं में पश्चिम से आने वाले तकनीकी, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक सिंक्रनाइज़ेशन के माध्यम से एकरूपता, मानकीकरण जैसे शब्द शामिल हैं। आज, हर विषय ने वैश्वीकरण को परिभाषित करने का अपना तरीका विकसित किया है। इस प्रकार, अर्थशास्त्री वैश्वीकरण को आर्थिक अंतर्राष्ट्रीयकरण और व्यापार उदारीकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आर्थिक विकास, रोजगार में वृद्धि और आय वितरण के माध्यम से पूंजीवादी बाजार संबंधों के प्रसार के रूप में परिभाषित करते हैं। राजनीतिक वैज्ञानिक वैश्वीकरण को अंतर्राज्यीय संबंधों के बढ़ते घनत्व और वैश्विक राजनीति का निर्धारण करने वाली विश्व शक्ति संस्थानों के विकास के रूप में देखते हैं। समाजशास्त्रियों के लिए वैश्वीकरण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी लाने और एक "विश्व समाज" के उद्भव के लिए अग्रणी समान वैश्विक संस्थानों का विकास है।

वैश्वीकरण को एक प्रक्रिया (या प्रक्रियाओं का एक सेट) के रूप में माना जा सकता है जो सामाजिक संबंधों और लेनदेन के स्थानिक संगठन में परिवर्तन का प्रतीक है, जो अंतरमहाद्वीपीय या अंतरक्षेत्रीय प्रवाह और गतिविधि, बातचीत और शक्ति के नेटवर्क उत्पन्न करता है। यह चार प्रकार के परिवर्तन की विशेषता है– पहला, इसमें राजनीतिक सीमाओं, क्षेत्रों और महाद्वीपों में सामाजिक, राजनीतिक और

टिप्पणी

आर्थिक गतिविधियों का विस्तार शामिल है। दूसरा, यह व्यापार, निवेश, वित्त, प्रवास, संस्कृति, आदि के अंतर्संबंध और प्रवाह की तीव्रता, या बढ़ते परिमाण का सुझाव देता है। तीसरा, वैश्विक अंतर्संबंध की बढ़ती व्यापकता और तीव्रता को वैश्विक अंतःक्रियाओं और प्रक्रियाओं में तेजी लाने से जोड़ा जा सकता है। वैश्वीकरण के कारण, परिवहन और संचार की विश्वव्यापी प्रणालियों का विकास विचारों, वस्तुओं, सूचनाओं, पूंजी और लोगों के प्रसार की गति को तेज करता है। चौथा, वैश्विक अंतःक्रियाओं की बढ़ती तीव्रता और वेग को उनके गहन प्रभाव से जोड़ा जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि दूर की घटनाओं के प्रभाव दूर के स्थानीय समुदाय पर अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं और यहां तक कि अधिकांश स्थानीय विकासों के भी वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। इस अर्थ में, घरेलू मामलों और वैश्विक मामलों के बीच की सीमाएं तेजी से धुंधली हो सकती हैं।

1.2.1 वैश्वीकरण की प्रकृति

अस्सी के दशक के शुरुआती वर्षों तक दुनिया तीन ध्रुवीय थी– पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। पहली दुनिया के अंतर्गत अमेरिकी और पश्चिमी यूरोपीय जनतांत्रिक देश आते थे। दूसरी दूनिया में सोवियत संघ, चीन और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश तथा तीसरी दुनिया के अंतर्गत एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के वे देश आते थे जिनमें से ज्यादातर उपनिवेश रहे थे और जिन्होंने दो वृहद् अर्थव्यवस्थाओं में से किसी एक का चयन किया था। इस तरह से राजनीति और अर्थव्यवस्था की प्रकृति स्पष्ट तौर पर परिभाषित और विभाजित थी। विगत शताब्दी में अस्सी के दशक के बाद के वर्षों में राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक आधारभूत क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसने दो परस्पर विरोधी अर्थव्यवस्थाओं, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच स्पष्ट विभाजन को धुंधला कर दिया। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की सर्वोच्चता ने मजबूत समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में भी घुसपैठ कर ली और धीरे–धीरे उसे विस्थापित कर रही है। आज अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी स्वरूप का वैश्विक स्तर पर प्रभाव और स्वीकार्यता दिखाई पड़ रही है। दो प्रमुख समाजवादी देश– विघटित सोवियत संघ और चीन ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं तथा अपनी आर्थिक नीतियों का उदारीकरण शुरू कर दिया है। भारत ने भी 90 के दशक की शुरुआत से ही पूंजीवादी जगत से प्रभावित होकर अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो निस्संदेह पूंजीवादी है, एक बड़े पैमाने पर आरंभ हुई। राज्यों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण करना शुरू किया। इस आर्थिक प्रक्रिया ने दुनिया के देशों के इन तीन समूहों की आर्थिक प्रणालियों के बीच की दीवार गिराकर एक ध्रुवीय विश्व का मार्ग प्रशस्त किया है। वॉलरस्टीन के अनुसार यह एक आधुनिक पूंजीवादी विश्व व्यवस्था है।

'वैश्वीकरण' अंग्रेजी शब्द ग्लोबलाइजेशन का हिंदी अनुवाद है। यह एक व्यापक अर्थ वाला सम्प्रत्यय नहीं है। इसमें वसुधैवकुटुम्बकम् में निहित प्रेम, सम्मान एवं विश्व कल्याण की भावना नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि में "सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणिपश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भाग भवेत' का भाव नहीं है। इसका सबसे सुखी होने, किसी के दुःखी रहने, सबके समान होने जैसे उच्चतर सोच से कोई संबंध नहीं है। इसका प्रयोग एक आर्थिक प्रक्रिया तक सीमित है। वैश्वीकरण वस्तुतः उत्पादन एवं

टिप्पणी

उपभोग, पूंजी प्रवाह, सेवाओं तथा कानूनों एवं राजनीति के अंतर्राष्ट्रीयकरण की आर्थिक प्रक्रिया है। यह एक ध्रुवीय संसार के अंतर्गत हो रही प्रक्रिया है। इसके सक्रिय होने के परिणामस्वरूप 'राज्य' नामक संस्था विश्वव्यापी रूप से पीछे हटती जा रही है। इसके द्रुत प्रसार का आधार स्तंभ जैव तकनीकी तथा सूचना संप्रेषण तकनीकी में हुई क्रांति है।

वैश्वीकरण में अंतर्राष्ट्रीयता का भाव भी नहीं है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवाद का अतिक्रमण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीयता के भाव में राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय सीमाओं, उनकी आकांक्षाओं की प्राथमिकताओं का सम्मान किया जाता है तथा सभी राष्ट्रीयताओं में समानताओं को ढूंढ़कर सभी राष्ट्रों में एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाता है। इसके ठीक विपरीत यह वैश्वीकरण राष्ट्रीय सीमाओं का अवमूल्यन करता है तथा सार्वभौमिकता को निर्बल करता है।

वस्तुतः विश्व भौतिकता की ओर इतना आगे बढ़ गया है कि अब वापसी बहुत कठिन है। अतः अब इस दिशा में बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। वैश्वीकरण सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सीमाएं सिकुड़ रही हैं। सीमाओं के सिकुड़ने की पृष्ठभूमि है– द्रुत संप्रेषण एवं परिवहन के साधन। वैश्वीकरण आज केवल उस आर्थिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं है जिनमें विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक बाजार की ओर उन्मुख हैं तथा बहुराष्ट्रीय तथा वैश्विक वित्तीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित हैं। अब यह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया का रूप ले रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पश्चिम की भौतिकवादी, पूंजीवादी संस्कृति के जाल में सारे विश्व को आवृत्त कर रही है। इसका आधार है, इसका मनोवैज्ञानिक आयाम, जो कि मनोरंजन, भोजन एवं वेशभूषा एवं भाषा के सतही क्षेत्रों में विश्व के लोगों को इस ओर आकृष्ट कर रहा है। विश्व इस ओर आकृष्ट है किंतु इससे आंतरिक समरूपता नहीं आ रही है। पश्चिम के समूह देशों एवं अविकसित विकासशील देशों का अंतर कायम है। अंदर झांक कर देखें तो यह उस उपनिवेशवाद का एक परिष्कृत रूप है जो प्रथम औद्योगिक क्रांति के बाद आया था। यह वैश्वीकरण दूसरी औद्योगिक क्रांति के साथ मानव समूहों की मानसिकता को बदलकर उन्हें अपने अधीन कर रहा है। विकसित देश 'राइजिंग टेक्नोलॉजी' से विकास कर रहे हैं एवं फ्लेट टेक्नोलॉजी पर आधारित उत्पादन को विकासशील देशों को भिजवा रहे हैं। विकासोन्मुख देश इस फ्लेट टेक्नोलॉजी के उच्च स्तर को अपने पास रखकर निम्नतर अंश को अविकसित देशों को भेज रहे हैं। पारंपरिक ज्ञान पर विकसित उत्पादों के अभिज्ञानित प्राकृतिक संसाधनों के अंशों को शक्तिशाली समृद्ध देश अपने नाम से पेटेंट करा रहे हैं और इस पेटेंट के माध्यम से संपूर्ण आर्थिक लाभ के स्वयं भागीदार बन रहे हैं। यह प्रक्रिया उनके द्वारा अपनाई जा रही शोषण की नीति को उजागर करती है। इस तरह आज वैश्वीकरण कोई सैद्धांतिक प्रत्यय नहीं है अपितु एक चमचमाता हुआ यथार्थ है जो मानव अस्तित्व के हर पक्ष आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय को प्रभावित कर रहा है।

वैश्वीकरण का अर्थ है, राष्ट्रीय, घरेलू अर्थव्यवस्थाओं का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। इस संस्थिति में वस्तुओं, सेवाओं, कच्चा माल, पूंजी, प्रौद्योगिकी, उत्पादन के साधनों आदि का बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से विश्व के देशों में प्रवाह होता

टिप्पणी

है। परिणामतः किसी भी औद्योगिक इकाई के लिए कोई भी संरक्षित घरेलू बाजार नहीं रह पाता बल्कि उसे बाजार के लिए विश्व औद्योगिक इकाइयों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है। ऐसे में वही बाजार में टिक पाएगा, अपने को चला पाएगा, जो तकनीकी संसाधनों आदि की दृष्टि से ज्यादा समृद्ध होगा। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि प्रतियोगिता कुशलता को बढ़ाएगी, प्रतियोगिता का क्षेत्र पूरा विश्व होगा, यह खुला प्रतियोगिता क्षेत्र होगा। कोई भी देश विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगा सकेगा। इसके दो पक्ष हैं, जिनमें प्रथम एवं महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रतियोगिता में अवकसित एवं विकासशील देशों में उद्योंग पिछड़ जाएगा। घरेलू उद्योग–धंधे नष्ट हो जाएंगे, बेकारी बढ़ेगी और ये देश सहज में सस्ती दर पर श्रम शक्ति एवं प्राकृतिक भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने वाले देश हेा जाएंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इनकी तकनीकी विवशता का लाभ उठाकर अपनी शर्तों पर श्रम शक्ति एवं संसाधनों का क्रय करेंगी। इस तरह वैश्वीकरण समकालीन संस्थितियों में अप्रत्यक्ष रूप में पूंजीवाद की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया है। यह वह आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें समृद्ध और अधिक समृद्ध होंगे तथा गरीब और गरीब। विश्व की अमीरी एवं गरीबी की खाई बढ़ेगी। तृतीय विश्व के देश इससे बहुत प्रभावित होंगे और इसमें जी–7 के देश बहुत लाभान्वित होंगे।

वैश्वीकरण को नई शताब्दी की प्रमुख विशेषता के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। आज के विश्व समाज में यह अपरिहार्य वास्तविकता का रूप लेती जा रही है। विश्व समाज का कोई भी अंग इससे बच नहीं पा रहा है। इसके मूल में है, सूचना तकनीकी का धमाके के साथ आगमन तथा जैव तकनीकी का तेजी से प्रसार। इसके आगमन के परिणामस्वरूप भौतिकता की ओर रुझान तेजी से बढ़ा है। ऋण आधारित अर्थव्यवस्था को गति मिली है। क्षमता न होते हुए भी, गरीब देशों में भी सुखोपयोग के साधनों (कार, बंगला, सौंदर्य प्रसाधन) में लिप्त शहरी लोग, देश की गरीबी को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं।

1.2.2 वैश्वीकरण की अवधारणा

"वैश्वीकरण" शब्द की व्युत्पत्ति का पता लगाते हुए, यह बताया जा सकता है कि यह शब्द 1959 की शुरुआत में गढ़ा गया था, हालांकि इसे 1980 के बाद ही गति मिली। 1961 में, वेबस्टर डिक्शनरी ने पहली बार शब्दों की परिभाषा पेश की। जैसा कि वैश्वीकरण के नाम से ही पता चलता है, यह विशेषण "वैश्विक" अर्थ से दुनिया भर में उभरा है। पीटर कूल्स कहते हैं कि विशेषण "वैश्विक" 16 वीं शताब्दी के इंग्लैंड का है और विस्तार की अवधि के दौरान दुनिया के ध्यान में आया। वैश्विक शब्द ने मैक लुहान के लेखन में अधिक ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने 1961 में दुनिया को एक "वैश्विक गांव" के रूप में संदर्भित किया। लुहान के लिए रूपक वैश्विक गांव अधिक एकजुट विश्व समुदाय को संदर्भित करता है।

वैश्वीकरण शब्द की समाजशास्त्रीय व्याख्या

समाजशास्त्र के क्षेत्र में आते हुए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि "वैश्वीकरण" शब्द को कई समाजशास्त्रियों के हाथों में व्यापक उपचार मिला है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि हालांकि मूल रूप से आर्थिक, इस शब्द के व्यापक सामाजिक निहितार्थ

टिप्पणी

हैं। कुछ उदाहरणों का हवाला देते हुए, जॉर्ज रिट्जर के लिए वैश्वीकरण का तात्पर्य तेजी से बढ़ते विश्वव्यापी एकीकरण और समाजों और संस्कृतियों की अन्योन्याश्रयता से है। स्कोल्टे वैश्वीकरण को क्षेत्रीयकरण या लोगों के बीच 'अधिराज्यीय' संबंधों के विकास के रूप में परिभाषित करते हैं। वैश्वीकरण का तात्पर्य "सामाजिक स्थान" की प्रकृति में एक दूरगामी परिवर्तन से है। एल्ब्रो के अनुसार, "वैश्वीकरण में वे सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनके द्वारा दुनिया के लोगों को एक एकल समाज, वैश्विक समाज में शामिल किया जाता है।" रोनाल्ड रॉबर्टसन की परिभाषा में "एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण दुनिया के संपीड़न और समग्र रूप से दुनिया की चेतना की गहनता दोनों को संदर्भित करता है।" एंथनी गिडेंस के अनुसार, "वैश्वीकरण को इस प्रकार विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों की गहनता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दूर के इलाकों को इस तरह से जोड़ें कि स्थानीय घटनाएं कई मील दूर होने वाली घटनाओं से आकार लेती हैं।" कई विद्वान वैश्वीकरण को "एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर भूगोल की बाधाएं दूर हो जाती हैं, जिसमें लोग तेजी से जागरूक हो जाते हैं कि वे घट रहे हैं और जिसमें लोग तदनुसार कार्य करते है।" हेल्ड एट अल वैश्वीकरण को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, "वैश्वीकरण को एक प्रक्रिया (या प्रक्रियाओं का सेट) के बारे में सोचा जा सकता है जो सामाजिक संबंधों और लेनदेन के स्थानिक संगठन में परिवर्तन का प्रतीक है– उनकी व्यापकता, तीव्रता, वेग और प्रभाव के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है– अंतरक्षेत्रीय प्रवाह और गतिविधि के नेटवर्क, अंतःक्रिया, और शक्ति का प्रयोग।" यू. बेक ने 'वैश्विकता' और 'वैश्वीकरण' के बीच के अंतरों को रेखांकित किया है। उनके अनुसार, "'वैश्विकता' इस तथ्य को संदर्भित करती है कि व्यक्ति 'विश्व समाज' में इस अर्थ में तेजी से रह रहे हैं कि 'धारणा' बंद जगहों का भ्रम बन गया है। इस बीच, 'वैश्वीकरण' यह विचार है कि 'विश्व बाजार' अब राजनीतिक कार्रवाई (स्थानीय और राष्ट्रीय) को दबाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है; और 'वैश्वीकरण' 'उन प्रक्रियाओं का वर्णन करने के लिए व्यापक शब्द है जिनके माध्यम से संप्रभु राष्ट्रीय राज्यों को पार किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं और सत्ता, अभिविन्यास, पहचान और नेटवर्क की बदलती संभावनाओं से कम किया जाता है।"

वैश्वीकरण के सिद्धांत

हेल्ड और मैकग्रे के अनुसार, वैश्वीकरण से संबंधित विचार के तीन मुख्य विद्यालय हैं। वैश्वीकरण के बारे में इन तीन स्कूलों के संस्करण वैश्वीकरण पर पूरे प्रवचनों पर हावी हैं। ये तीन स्कूल हैं–

हाइपरग्लोबलाइट्स स्कूल, स्केप्टिक्स स्कूल, ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट स्कूल।

हाइपरग्लोबलाइट्स स्कूल– हाइपरग्लोबलाइट्स आर्थिक वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अर्थव्यवस्थाओं को बदनाम करने का तर्क देते हैं और इस तरह वैश्विक बाजार बनाते हैं जो राज्य के नियंत्रण से आगे निकल जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के लिए स्वायत्तता और संप्रभुता का नुकसान होता है।

स्केप्टिक्स स्कूल– यह विचार का दूसरा स्कूल है। स्केप्टिक्स स्कूल का तर्क है कि वैश्वीकरण एक मिथक है। संशयवादी भी सवाल करते हैं कि वैश्वीकरण के बारे

में वास्तव में वैश्विक क्या है। उनके लिए, यह एक सार्वभौमिक घटना नहीं है। इस आधार पर, अवधारणा ही वैधता खो देती है और विशिष्ट नहीं है।

टिप्पणी

ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट स्कूल– विचार के तीसरे स्कूल यानी ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट स्कूल का तर्क है कि वैश्वीकरण के संरचनात्मक परिणाम हैं और यह समाज में एक प्रेरक शक्ति है जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को प्रभावित करती है। वैश्वीकरण सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। वैश्वीकरण के कारण, समाज में संरचनात्मक परिवर्तन होता है और प्रक्रिया के बाद सत्ता और अधिकार के संबंध में एक वैश्विक बदलाव होता है।

अपनी प्रगति जांचिए

1. 'वैश्वीकरण' शब्द की व्युत्पत्ति कब से मानी गई है?

   (क) 1957 (ख) 1959

   (ग) 1961 (घ) 1963

2. "एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण दुनिया के संपीड़न और समग्र रूप से दुनिया की चेतना की गहनता दोनों को संदर्भित करता है।" यह परिभाषा किसने दी?

   (क) स्काल्टे (ख) एंथनी गिडेंस

   (ग) रोनाल्ड राबट्र्सन (घ) एल्ब्रो

1.3 वैश्वीकरण का ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ

वैश्वीकरण एक क्रांतिकारी परिणाम नहीं है, बल्कि एक विकासवादी विकास है। भले ही, इसे अक्सर एक समकालीन या आधुनिक घटना कहा जाता है, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अध्ययन किया जा सकता है। एक प्रक्रिया के रूप में समाजशास्त्रियों द्वारा इसे कई शताब्दियों या सहस्राब्दियों तक फैले प्राचीन होने का उल्लेख किया गया है। बेल्जियम के विश्व के प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकारों में से एक, हरमन वैन डेर वी ने टिप्पणी की कि वैश्वीकरण सदियों से चली आ रही पुरानी प्रक्रिया के लिए एक नया शब्द है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वैश्वीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। कभी–कभी विद्वानों द्वारा यह पहचाना जाता है कि वैश्वीकरण के बैनर तले आज के वैश्विक अभिसरण के लिए तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये हैं– एक सहस्राब्दी पहले की जड़ वाले एशियाई और हिंद महासागर के जाल का समेकन, यूरोपीय विस्तारवाद के साथ पांच शताब्दी पहले समुद्री मार्गों की खोज और दो शताब्दी पहले यूरोपीय अर्थव्यवस्था को प्रेरित करने वाली औद्योगिक क्रांति। हालांकि, इनमें से अधिकांश प्रयास देश या महाद्वीप विशिष्ट और प्रकृति में दुनिया भर के बजाय कमोबेश क्षेत्रीय थे। हालांकि कुछ विद्वानों ने इन प्रक्रियाओं को "प्रोटो वैश्वीकरण" या "पुरातन वैश्वीकरण" के रूप में नामित करने का प्रयास किया है, लेकिन मुद्राओं ने अधिक बौद्धिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की है।

इस प्रकार वैश्वीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। इसने मानव इतिहास में कई पूर्ववर्ती चरणों को देखा है जिन्हें आज के वैश्वीकरण की प्रस्तावना के रूप में पहचाना

टिप्पणी

जा सकता है। विद्वानों के बीच वैश्वीकरण की प्रक्रिया की दीक्षा अवधि पर कोई सहमति नहीं है। हालांकि, सभी इस बात पर सहमत हैं कि वैश्वीकरण एक सामाजिक वास्तविकता है जिसे दुनिया ने जटिल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक और जैविक कारकों की बातचीत के कारण अनुभव किया है। राजनीतिक व्यवधानों की ओर ले जाने वाले आर्थिक संकटों ने वैश्विक अभिसरण की नींव रखी है। इसके अलावा, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने मानव दृष्टि को बदल दिया है, उन्हें अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है, जिससे आर्थिक विस्तार और परिवर्तन हुए हैं और राजनीतिक सीमाओं को बदल दिया है। महामारी के टूटने जैसे जैविक कारकों ने मानव प्रवास को प्रेरित किया है जिसने सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक परिवर्तन और सीमाओं को पार करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिससे व्यक्तियों के प्रवाह में वृद्धि हुई है, सीमा पार एकीकरण के लिए अग्रणी विचार, वैश्वीकरण की मूल नींव है। इतिहासकार वैश्वीकरण के इतिहास को पश्चिम की औद्योगिक क्रांति से जोड़ते हैं। उनके लिए वैश्विक संपर्क और एकीकरण की शुरुआत के प्रतीक तीन स्थलों में पश्चिम की औद्योगिक क्रांति शामिल है जो 1800 साल पहले हुई थी, समुद्री विस्तार जिसकी उत्पत्ति लगभग 1500 साल पहले हुई थी और एशिया का एकीकरण जो 1000 साल पहले हुआ था। हालांकि, ध्रुवीकृत फ्राइडमैन के विचार हैं जिन्होंने अपने प्रसिद्ध बयान द वर्ल्ड इज फ्लैट में प्रस्तावित किया है कि वैश्वीकरण अवसाद हाल ही में उत्पन्न हुआ है। यद्यपि यह महान और विश्व युद्धों की समाप्ति के बाद 1945 से मूरिंग था, बीसवीं शताब्दी के अंत में इसका तेजी से विकास हुआ था।

1500 ईसापूर्व यह मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया क्योंकि इसने यूरोप के साथ एशिया, उप सहारा अफ्रीका और अमेरिकी महाद्वीप के बीच अंतर्संबंध स्थापित किया। समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से समुद्री क्रांति की शुरुआत हुई और इसके परिणामस्वरूप समुद्री अन्वेषण हुआ। इसने व्यापारिक विस्तार में योगदान दिया। इस क्रांति से, मानवता भौगोलिक बाधाओं और भौगोलिक अलगाव पर विजय प्राप्त कर सकती है जो राष्ट्र अब तक अनुभव कर रहे थे। इससे एक राष्ट्र में नई संस्कृति, ज्ञान, धन का प्रवाह हुआ। इतालवी पुनर्जागरण प्रभाव, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति के आदर्श यूरोपीय सीमाओं में फैले हुए थे और यह वैश्वीकरण का प्रारंभिक बिंदु था। अधिकांश ऐतिहासिक साक्ष्य, 1500 के दशक को वैश्वीकरण की प्रक्रिया के विकास में एक वाटरशेड के रूप में संदर्भित करते हैं।

औद्योगिक क्रांति वैश्विक एकीकरण का त्वरक थी। इसने पश्चिमी देशों में उत्पादन और जीडीपी को बढ़ाकर मानव इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। इससे बाजार के विस्तार की नींव पड़ी जो वैश्वीकरण का अग्रदूत है। इसे अक्सर वैश्वीकरण का दूसरा चरण कहा जाता है। इस चरण के दौरान, उत्पादन तकनीक और उपभोक्ताओं की मांग में व्यापक परिवर्तन हुआ। बड़े पैमाने पर मशीन आधारित उत्पादन ने उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जो विस्तार के लिए मजबूर हुई राष्ट्रीय सीमाओं से परे थी।

एशियाई इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक प्राधिकरण की जेफ्री गन ने वैश्वीकरण के पहले चरण के युग के रूप में 1500 से 1800 तक की अवधि की पहचान की। उनके लिए पूर्व और पश्चिम का पहला संगम इसी काल में हुआ था। वैश्विक पूंजीवाद अपने जागरण में था और पश्चिम का प्रभुत्व था। यह उपनिवेशों में फैल रहा

था और सांस्कृतिक और भौतिक आदान–प्रदान तेजी से गति ले रहा था। हालांकि, बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में विश्व युद्ध होने के कारण वैश्वीकरण रुक गया।

टिप्पणी

1970 के दशक में जब पूर्वी एशिया का चमत्कार हुआ तो वैश्वीकरण का फिर से नेतृत्व किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के नेतृत्व में था। अंत में, इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में, चीन और भारत जैसे सोए हुए दिग्गजों के जागरण के साथ, वैश्वीकरण ने एक नया चेहरा लेना शुरू कर दिया। इस दौरान सभी देश वैश्वीकरण की नाव में सवार होने लगे। इस प्रक्रिया में सभी समान भागीदार बन गए। आय असमानता कम होने लगी। राष्ट्रीय संप्रभुता का क्षरण होने लगा और विश्व संगठन और कॉर्पोरेट दिग्गज राज्य सत्ता को निर्देशित करने लगे।

इस प्रकार, वैश्वीकरण के ऐतिहासिक एवं सामाजिक संदर्भ को पांच अलग–अलग चरणों के तहत संक्षेपित किया जा सकता है जिसे वैश्वीकरण की पांच लहरों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इन लहरों ने अलग–अलग कालों में दुनिया को छुआ है जो इस प्रकार हैं–

- वैश्वीकरण की पहली लहर तीसरी से दसवीं शताब्दी के बीच रही है।
- वैश्वीकरण की दूसरी लहर ग्यारहवीं से चौदहवीं शताब्दी के अंत के बीच रही है।
- वैश्वीकरण की तीसरी लहर पंद्रहवीं से उन्नीसवीं सदी के बीच रही है।
- वैश्वीकरण की चौथी लहर बीसवीं सदी की शुरुआत से बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध के बीच रही है।
- वैश्वीकरण की पांचवीं लहर बीसवीं सदी के पिछले दो दशकों से आज तक जारी है।

वैश्वीकरण की पहली लहर

वैश्वीकरण की पहली लहर तीसरी से दसवीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि को संदर्भित करती है। यह वह अवधि है जो क्रॉस नेशनल कनेक्टिविटी की शुरुआत का प्रतीक है। विकास के निर्भरता सिद्धांत से जुड़े एक अर्थशास्त्री आंद्रे गुंडर फ्रैंक का प्रस्ताव है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सुमेर और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच व्यापार संबंधों के उदय के बाद से वैश्वीकरण के प्रयास अस्तित्व में हैं। इस प्रकार, नदी घाटी सभ्यताओं के उदय और अधिशेष उत्पादन और नेविगेशन सुविधाओं की सुविधा के लिए उनके योगदान ने अब तक असंबंधित स्थान और लोगों के बीच संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हेलेनिस्टिक युग ने वैश्विक एकीकरण में कुछ विकासों को भी नोट किया। हेलेनिस्टिक काल प्राचीन काल का एक हिस्सा है। यह पूर्वी भूमध्यसागरीय और मध्य पूर्व क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु और 30 ईसा पूर्व में रोम द्वारा मिस्र की विजय के बीच की अवधि को कवर करता है। इस अवधि में ग्रीक उपनिवेशवाद और ग्रीक संस्कृति का प्रसार हुआ। सिकंदर की एशिया पर विजय के बाद यह एशिया में फैलना शुरू हो गया। परिणाम में, हेलेनिस्टिक काल आमतौर पर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के साथ शुरू होने के लिए स्वीकार किया जाता है और 31 ईसा पूर्व में रोम द्वारा अंतिम हेलेनिस्टिक साम्राज्य की विजय के साथ समाप्त होता है, मिस्र का लेगिड साम्राज्य एशियाई भाग

टिप्पणी

के लिए, इसे 10 ईसा पूर्व तक बढ़ाया जा सकता है, जब अंतिम इंडो–यूनानी साम्राज्य को इंडो–शक द्वारा जीत लिया गया था। ग्रीक राजनीतिक उपस्थिति के कारण, इस अवधि के दौरान, वाणिज्यिक शहरी केंद्र भारत से स्पेन तक फैल रहे थे। अलेक्जेंड्रिया, एथेंस और अन्तःक्रिया के ग्रीसी शहर इसके केंद्र में बने रहे। इसके अलावा, रोमन साम्राज्य और पार्थियन साम्राज्य के बीच व्यापार संबंध वैश्विक लिंक की स्थापना का प्रतीक थे। इस अवधि के दौरान, रेशम मार्गों की स्थापना की गई, जिसने वैश्विक संपर्क में तेजी लाने की प्रक्रिया को जोड़ा। सिल्क रोड चीन और भूमध्य सागर के बीच एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है। चूंकि चीन के रेशम में इस प्राचीन सड़क के साथ व्यापार का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। 1877 में, इसे एक प्रसिद्ध जर्मन फर्डिनेंड वॉन रिचथोफेन द्वारा 'सिल्क रोड' नाम दिया गया था। सिल्क रोड वाणिज्यिक व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क था, जिसे औपचारिक रूप से चीन के हान राजवंश के दौरान स्थापित किया गया था, जो प्राचीन दुनिया के क्षेत्रों को जोड़ता था। यह ध्यान दिया जाता है कि चीन से रोम तक सिल्क रोड के विकास ने ग्रीको रोमन दुनिया और भारत के बीच एक वर्ष में 300 जहाजों को नौकायन की अनुमति दी। इसने भौगोलिक बाधाओं को पार कर लिया जो वर्षों तक लोगों, धन, माल के प्रवाह को एक साथ रोकते थे। इस्लामी स्वर्ण युग वैश्वीकरण की प्रक्रिया के विकास में एक वाटरशेड था। इस्लामी स्वर्ण युग परंपरागत रूप से 7 वीं शताब्दी के मध्य से 13 वीं शताब्दी के मध्य तक था, जिस पर मुस्लिम शासकों ने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की स्थापना की। इस अवधि के दौरान, इस्लामी दुनिया में कलाकारों, इंजीनियरों, विद्वानों, कवियों, दार्शनिकों, भूगोलवेत्ताओं और व्यापारियों ने कृषि, कला, अर्थशास्त्र, उद्योग, कानून, साहित्य, नेविगेशन, दर्शन, विज्ञान, समाजशास्त्र और प्रौद्योगिकी सभी में योगदान दिया, परंपराओं और अपने स्वयं के आविष्कारों और नवाचारों को जोड़कर। साथ ही उस समय मुस्लिम दुनिया विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा और शिक्षा के लिए एक प्रमुख बौद्धिक केंद्र बन गई। बगदाद में उन्होंने "विजडम हाउस" की स्थापना की, जहां मुस्लिम और गैर–मुस्लिम दोनों विद्वानों ने अनुवाद आंदोलन में दुनिया के ज्ञान को अरबी में इकट्ठा करने और अनुवाद करने की मांग की। इस अवधि के दौरान, यहूदी और मुस्लिम व्यापारियों और खोजकर्ताओं ने पुरानी दुनिया में निरंतर अर्थव्यवस्था की स्थापना की जिसके परिणामस्वरूप चीनी और कपास के व्यापार की स्थापना हुई, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रसार हुआ। चंगेज खान की साम्राज्यवादी भावना के साथ मंगोल साम्राज्य के आगमन ने भी वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। 1227 में उनकी मृत्यु के दौरान मंगोल नेता चंगेज खान ने लगभग 12 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। रास्ते में, उसने एशिया और यूरोप के माध्यम से एक क्रूर रास्ता काट दिया। इस प्रकार उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच संपर्क खोलने में मदद की। वह अपने राष्ट्र के लिए नए हथियारों सहित व्यापार और सामान चाहता था। कई सौ व्यापारियों का एक मंगोल कारवां फारस और मध्य एशिया में हाल ही में गठित ख्वारज़्मियन साम्राज्य के पास पहुंचा। इस प्रकार, सीमा पार अन्वेषण और महान साम्राज्यवादी द्वारा शुरू किया गया प्रवास वैश्वीकरण के लिए एक कदम आगे था। इस प्रकार, वैश्वीकरण के पहले चरण में सभ्यताओं के उदय, समुद्री क्रांति, व्यापार संबंधों की स्थापना, ज्ञान उत्पादन और प्रसार और साम्राज्यवाद जैसे कारकों ने क्रॉस नेशन कनेक्टिविटी की स्थापना और माल, विचारों, ज्ञान और धन के

आदान–प्रदान के लिए योगदान दिया। हालांकि, वैश्वीकरण की यह लहर रोमन साम्राज्य के जर्मनी आक्रमण के साथ समाप्त हो गई।

वैश्वीकरण की दूसरी लहर

टिप्पणी

वैश्वीकरण की दूसरी लहर ग्यारहवीं से चौदहवीं शताब्दी के अंत तक फैली हुई है। यद्यपि इस चरण की अवधि बहुत सीमित और कम है, फिर भी परिणाम की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है। इस चरण के दौरान नतीजे काफी शानदार थे। इस अवधि के दौरान, यूरोप में बड़े संपत्ति मालिकों ने उत्पादन में तकनीकी क्रांति की शुरुआत की जिसके परिणामस्वरूप कृषि का व्यावसायीकरण हुआ। मशीनीकरण की प्रक्रिया के कारण उत्पादकता में तेज वृद्धि हुई और इससे अधिशेष की उत्पत्ति हुई। जब निर्वाह कृषि को अधिशेष उत्पादन से बदल दिया गया, तो अधिशेष को समाप्त करने के लिए बाजार का विस्तार करने की आवश्यकता पैदा हुई और उत्पादन से लाभ कमाना लक्ष्य बन गया। इसने उत्पादकों को बाहरी बाजारों की तलाश करने के लिए मजबूर किया जहां उनके उत्पादों की मांग की जाएगी और उन्होंने अपने देशों के बाहर नियमित व्यापार संबंध स्थापित करके बाजार का विस्तार करना शुरू कर दिया। इस चरण की एक और ऐतिहासिक घटना इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सौ साल का युद्ध था। इस युद्ध ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को काफी बढ़ावा दिया। सौ साल का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच फ्रांसीसी सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर एक लंबा संघर्ष था। यह 1337 से 1453 तक चला जो वास्तव में '116 साल' के लिए एक युद्ध था। ब्रिटेन की ओर से कई आश्चर्यजनक सफलताओं के साथ युद्ध शुरू हुआ, और अंग्रेजी सेना दशकों तक फ्रांस पर हावी रही। इस युद्ध का पूरे यूरोपीय महाद्वीप पर विनाशकारी परिणाम हुआ। इसने आतंक और उथल–पुथल के कारण अस्थायी रूप से व्यापार की गति को रोक दिया। लेकिन इसने लोगों को नई आशंकाएं दीं। इसके डर से त्रस्त युद्ध, बीमारियों और एक स्थायी आजीविका के लिए, लोगों ने इन युद्ध प्रभावित देशों से पलायन करना शुरू कर दिया। यह समूहों में किया गया था। यह सीमा पार प्रवास वैश्वीकरण का एक प्रारंभिक बिंदु बन गया। इतिहास की इस अवधि के दौरान, समुद्री वाणिज्य ने बंदरगाह में प्रमुखता प्राप्त की। यूरोप के शहर विशेष रूप से, इटली में वेनिस और बेल्जियम में ब्रुग्स जैसे बंदरगाह। शहरों ने देशों को जोड़ने और माल और लोगों को बाहर स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ब्रुग्स का उत्तरी हैन्सियाटिक लीग व्यापार और दक्षिणी व्यापार मार्गों के चौराहे पर एक रणनीतिक स्थान था। ब्रुग्स के व्यापारियों ने व्यापारिक पूंजीवाद के नए रूपों को विकसित किया, जिससे कई व्यापारी जोखिम और मुनाफे को साझा करेंगे और अपने ज्ञान को बाजारों में जमा करेंगे। उन्होंने आर्थिक विनिमय के नए रूपों को नियोजित किया, जिसमें विनिमय के बिल (यानी वचन पत्र) और साख पत्र शामिल हैं। शहर ने विदेशी व्यापारियों, विशेष रूप से पुर्तगाली काली मिर्च और मसाला व्यापारियों का उत्सुकता से स्वागत किया। इस बड़े पैमाने पर व्यापार संबंधों ने वैश्वीकरण की नींव रखी। अधिक महत्वपूर्ण वेनिस का बंदरगाह शहर था। वेनिस अपने फलते–फूलते व्यापार केंद्रों और कपड़ा उद्योग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया, जिसने पश्चिमी दुनिया को पूर्व से जोड़ा। उनके स्थान ने उन्हें दुनिया भर के अन्य व्यापारिक बंदरगाहों से जुड़ने के लिए अन्य इतालवी शहरों को एक फायदा दिया। पुनर्जागरण से पहले भी, वेनिस इस्लामी दुनिया के साथ नौवीं शताब्दी की शुरुआत में ही व्यापार कर रहा था, और इसे सोलहवीं शताब्दी तक

टिप्पणी

जारी रखा। 1200 के दशक के दौरान, मिस्र, सीरिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ईरान और चीन के बीच व्यापार मौजूद था, विशेष रूप से उनके मसालों, अनाज, शराब और नमक के व्यापार के साथ। पूर्व के साथ मसाला व्यापार वेनिस के उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र निर्माण के विस्तार का कारण था। उच्च गुणवत्ता वाले ऊनी वस्त्र, उदाहरण के लिए, जो बाजार में रखे जाते थे, पूर्व से मसालों की आपूर्ति के बदले में थे। उत्कृष्ट श्रम, कच्चा माल और पूंजी खोजने की वेनिस की क्षमता ने पूर्वी वस्तुओं के बदले वांछनीय ऊनी वस्त्रों के व्यापार में उनकी सफलता में योगदान दिया। 14वीं शताब्दी के दौरान शहर का "वस्त्र व्यापार इतालवी शहर राज्य अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी"। शहर के इन व्यापारिक लाभों ने वैश्विक संपर्क, विनिमय और एकीकरण में वृद्धि की जिसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मूल सिद्धांतों के रूप में माना जा सकता है। 15वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक अन्वेषण और खोज का युग कहा जाता है। यह एक ऐसा युग था जिसमें यूरोपीय नाविकों और जहाजों ने पुरानी दुनिया के तटीय जल को छोड़ दिया और विशाल "अंधेरे के हरे समुद्र" पर अपने साहसिक कार्य को शुरू किया। पहले, पुर्तगाली जहाज, फिर स्पेनिश और अंत में, 15वीं सदी के अंत और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डच जहाजों ने एक ऐसी दुनिया की खोज की, जिसे वे मूल रूप से दूसरी दुनिया कहते थे, लेकिन अंततः मुंडस नोवस कहा जाता था। नया संसार। यह वैश्विक एकीकरण और कनेक्टिविटी की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। हालांकि, बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण यह चरण समाप्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध, लूट और शोषण हुआ जिसने लोगों को अनंत सीमा तक गरीब बना दिया। बाहरी घुसपैठ के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई थी। निस्संदेह यह चरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण था। इस अवधि के दौरान बाजार विस्तार, जबरन प्रवास, समुद्री वाणिज्य, व्यापार और अशांति ने वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वैश्वीकरण की तीसरी लहर

पंद्रहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी के बीच वैश्वीकरण की तीसरी लहर ने दुनिया को झकझोर दिया। 1453 के बाद, पूर्वी यूरोप और एशिया में युद्ध और कांस्टेंटिनोपल के ओटोमन तुर्कों के पतन ने भूमि व्यापार को मुश्किल बना दिया। इसलिए, यूरोपीय लोगों ने भारत और पूर्वी एशिया के लिए एक समुद्री मार्ग की तलाश शुरू कर दी। इस समय तक, तकनीकी नवाचार थे। नौवहन उपकरण और पाल विकसित हो रहे थे जिसने यूरोपीय लोगों को वैश्विक अन्वेषण करने में सक्षम बनाया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि पुर्तगाली नाविकों ने एशिया के लिए एक नए मार्ग की तलाश में अफ्रीका के अटलांटिक तट के साथ आगे और आगे दक्षिण की ओर कदम बढ़ाया। पुर्तगाली अंततः 1498 में भारत पहुंचे। इसने यूरोपीय उपनिवेशवाद को परेशानी मुक्त बना दिया। इस चरण के दौरान, 1492 में अटलांटिक महासागर के पार कोलंबस की खोजपूर्ण यात्रा ने नई दुनिया के लिए व्यापार मार्गों की खोज की। 1492–1504 के दौरान उन्होंने कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका की चार यात्राएं कीं। इसने यूरोप और नई दुनिया के बीच एक कड़ी स्थापित की। पंद्रहवीं सदी के अंत से सत्रहवीं शताब्दी तक की अवधि के दौरान, स्पेनिश साम्राज्य ने दुनिया भर में अपनी शक्ति, प्रभाव और धन की सीमा का विस्तार किया। विशेष रूप से स्पेनिश मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन के महत्वपूर्ण हिस्सों की खोज, विजय और उपनिवेश बनाने के लिए जिम्मेदार थे।

टिप्पणी

स्पेनिश साम्राज्य ने पड़ोसी पुर्तगाल के साथ मिलकर एज ऑफ डिस्कवरी या द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन की शुरुआत की। पुर्तगाल की तुलना में, स्पेन नई दुनिया में अधिक स्थायी और जटिल बस्तियों को स्थापित करने में सफल रहा, मुख्यतः केंद्रीकृत औपनिवेशिक सरकारों के माध्यम से। डिस्कवरी के युग के दौरान, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे कई अन्य यूरोपीय साम्राज्यों ने स्पेनिश क्राउन की अगुवाई की और नई दुनिया में अपनी शक्ति और प्रभाव को तेजी से बढ़ाया। 1492 में, कैस्टिले की रानी इसाबेला और आरागॉन के राजा फर्डिनेंड ने बड़े पैमाने पर स्पेन के नए एकीकृत राज्य के तहत अन्वेषण का नेतृत्व किया। विदेशी अभियानों और यात्राओं को आम तौर पर राजशाही या कुलीन वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रायोजित किया जाता था। कैथोलिक धर्म का प्रसार और स्वदेशी लोगों को परिवर्तित करना उपनिवेश और स्पेनिश साम्राज्य के विस्तार के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन के रूप में कार्य किया। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के स्वर्ण युग में लाने के लिए जिम्मेदार थे। पूरे अमेरिका में कोलंबस द्वारा स्थापित औपनिवेशिक क्षेत्रों ने स्पेनिश साम्राज्य के लिए भारी संपत्ति अर्जित की और सोलहवीं शताब्दी के अंत तक विदेशों में यूरोपीय वर्चस्व स्थापित किया। कोलंबस की खोजों ने यूरोपीय समाज के लिए अमेरिका या नई दुनिया के अस्तित्व का भी परिचय दिया। दुनिया एकीकृत होने लगी। डिस्कवरी के युग ने वैश्वीकरण में एक व्यापक बदलाव लाया, यह पहली अवधि थी जिसमें यूरेशिया और अफ्रीका नई दुनिया के साथ पर्याप्त सांस्कृतिक, भौतिक और जैविक आदान–प्रदान में लगे थे। 16वीं शताब्दी की शुरुआत से कुछ समय पहले, पुर्तगालियों ने सोने, मसालों और लकड़ी जैसे स्थानीय उत्पाद के व्यापार से निपटने के लिए अफ्रीका से एशिया और ब्राजील तक व्यापारिक पोस्ट (कारखाने) स्थापित करना शुरू कर दिया था। पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के बीच पौधों, जानवरों, खाद्य पदार्थों, मानव आबादी (दासों सहित), संचारी रोगों और संस्कृति के व्यापक आदान–प्रदान की शुरुआत करने वाले अमेरिका के यूरोपीय उपनिवेशीकरण के साथ वैश्विक एकीकरण जारी रहा। अगले चरण को प्रोटो–वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। यह 16 वीं और 17 वीं शताब्दी में, पहले पुर्तगाली और स्पेनिश साम्राज्यों और बाद में डच और ब्रिटिश साम्राज्यों में समुद्री यूरोपीय साम्राज्यों के उदय की विशेषता थी। 17वीं शताब्दी में, वैश्वीकरण भी एक निजी व्यावसायिक घटना बन गया जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (1600 में स्थापित) जैसी चार्टर्ड कंपनियों की स्थापना हुई, जिन्हें अक्सर पहले बहुराष्ट्रीय निगम के रूप में वर्णित किया गया था, साथ ही साथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी (1602 में स्थापित) की स्थापना की गई थी। कीथ ग्रिफिन्स लिखते हैं कि अठारहवीं शताब्दी ने मानव जाति को दो दर्शन दिए। वे हैंः मुक्त बाजारों पर आधारित आर्थिक समृद्धि और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की दृष्टि जो लोकतंत्र के कारण का समर्थन करती है। आधुनिक यूरोपीय इतिहास में एक वाटरशेड घटना, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई और 1790 के दशक के अंत में नेपोलियन बोनापार्ट की चढ़ाई के साथ समाप्त हुई। इस अवधि के दौरान, फ्रांसीसी नागरिकों ने अपने देश के राजनीतिक परिदृश्य को फिर से डिजाइन किया, सदियों पुरानी संस्थाओं जैसे कि पूर्ण राजशाही और सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंका। फ्रांसीसी क्रांति प्रबुद्धता के आदर्शों से प्रभावित थी, विशेष रूप से लोकप्रिय संप्रभुता और अविभाज्य अधिकारों की अवधारणाओं से। इससे तेजी से राजनीतिक परिवर्तन आया। जल्द ही इन विचारों का फ्रांस की सीमाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा और इन विचारों के

टिप्पणी

समरूपीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किया जो वैश्वीकरण का प्रतीक है। दुनिया के कई हिस्सों में लोगों द्वारा प्रोटोटाइप राजनीतिक संस्थानों की मांग की गई थी। आर्थिक समृद्धि का विचार औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न हुआ। औद्योगिक क्रांति 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच हुई। यह एक ऐसा दौर था जिसके दौरान यूरोप और अमेरिका में मुख्य रूप से कृषि प्रधान ग्रामीण समाज औद्योगिक और शहरी बन गए। औद्योगीकरण ने संचालित, मशीनरी, कारखानों और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक बदलाव को चिह्नित किया। लोहे और कपड़ा उद्योगों ने भाप इंजन के विकास के साथ–साथ औद्योगिक क्रांति में केंद्रीय भूमिका निभाई। इसने परिवहन, संचार और बैंकिंग की उन्नत प्रणालियों की शुरुआत की। जबकि औद्योगीकरण ने विनिर्मित वस्तुओं की मात्रा और विविधता में वृद्धि की और कुछ के लिए जीवन स्तर में सुधार किया, इसके परिणामस्वरूप अक्सर गरीब और कामकाजी वर्गों के लिए गंभीर रोजगार और जीवन की स्थिति खराब हो गई। इसलिए औद्योगिक क्रांति के बाद के प्रभाव के रूप में, प्रवासन की प्रक्रिया तेज हो गई। उत्पादन, उत्पाद विविधता और परिवहन क्रांति और नकदी अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि हुई जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार बाजार स्थापित करने और विस्तार करने के लिए उपयुक्त थे। यह वैश्वीकरण के लिए पर्याप्त अंकुरण कारक बन गया। संरक्षणवाद पर जोर देने वाले राष्ट्रवाद के आदर्शों ने माल और लोगों के सीमा पार हस्तांतरण को रोका। इसने एक अवधि के लिए विदेशी संपर्कों को नष्ट कर दिया। 1870–1914 के बीच की अवधि पारंपरिक वैश्वीकरण का चरम था जब व्यापार, पूंजी अपनी चरम गति से आगे बढ़ रहे थे। इस अवधि को आधुनिक वैश्वीकरण की शुरुआत या पहला चरण कहा जाता था।

वैश्वीकरण की चौथी लहर

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक वैश्वीकरण की चौथी लहर ने विश्व को प्रभावित किया। इस चरण के दौरान तेजी से नवाचारों और तकनीकी प्रगति ने स्थानीय से वैश्विक में एक आदर्श बदलाव के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब निर्माता या लोग चीजों को स्थानीय परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते थे, बल्कि वैश्विक संदर्भ में देखते थे। ध्यान अन्योन्याश्रितता पर केंद्रित हो गया; राष्ट्रीय विकास और स्वार्थ के बजाय इंटर कनेक्टिविटी। प्रथम विश्व युद्ध के फैलने तक, यह प्रवृत्ति मौजूद रही। "आधुनिक वैश्वीकरण" का पहला चरण प्रथम विश्व युद्ध के साथ 20वीं शताब्दी की शुरुआत में टूटना शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसमें शामिल देशों की बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। धन के वितरण में वैश्विक असमानताएं बढ़ रही थीं। राजनीतिक अस्थिरताओं ने राष्ट्रों की रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख दिया था। एक उदाहरण का हवाला देते हुए, फ्रांस को खाद्य आपूर्ति के तीव्र संकट का सामना करना पड़ा। यह युद्ध के फैलने के बाद के प्रभाव के रूप में आया था, जिसने फ्रांस को कृषि रूप से समर्थन करने की क्षमता के बिना छोड़ दिया था क्योंकि फ्रांस में 1917 में उर्वरकों और मशीनरी की कमी थी। इस अवधि के दौरान, दो विचारधाराएं सामने आईं, जिन्होंने देशों को आत्मसात करने से रोक दिया।

वैश्विक एकीकरण प्रक्रिया– यह प्रक्रिया दो चरणों में थी– अलगाव और संरक्षणवाद। राष्ट्रवाद की प्रबल भावना ने इन दोनों विचारधाराओं को बढ़ावा दिया। आय और धन वितरण में वैश्विक असमानताओं ने एक नई जागरूकता पैदा की और वैश्विक मंदी और

टिप्पणी

अवसाद को जन्म दिया। संरक्षणवाद और अलगाव के एजेंडे ने अंतर्राष्ट्रीय या क्रॉस–नेशनल व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया और व्यापार बाधाओं को बढ़ा दिया। इनके कारण अगले दो दशकों के लिए वैश्वीकरण में गिरावट आई। 1920 के दशक के अंत में और 1930 के दशक की शुरुआत में महामंदी, 1929 में वॉल स्ट्रीट के दुर्घटनाग्रस्त होने से वैश्वीकरण वक्र में एक गंभीर दरार आ गई। इसने वैश्वीकरण की चौथी लहर के अंत को चिह्नित किया।

वर्साय की संधि 1919 और अनुसूचित जनजाति की जर्मेन संधि 1919, जिन पर विश्व युद्ध के बाद की अवधि के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विपरीत असर पड़ा। वर्साय की संधि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सहायक थी जबकि सेंट जर्मेन की संधि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए निवारक थी। 1918 तक जर्मनी युद्ध के अधिकांश क्षेत्रों में पराजित हो रहा था। जर्मन लोग भूखे थे, युद्ध से थके हुए थे और शांति की मांग करते थे। जर्मन सरकार ने अंततः युद्धविराम के लिए कहा, और 1918 के ग्यारहवें महीने, ग्यारहवें दिन, युद्धविराम शुरू हुआ। शांति की समस्या बनी रही। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि शांति समझौता युद्ध को खुद को दोहराने से रोकेगा। 8 जनवरी, 1918 को अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अमेरिकी कांग्रेस को अपने शांति प्रस्तावों की रूपरेखा दी। इन्हें 'चौदह बिंदु' और 'चार सिद्धांत' के रूप में जाना जाने लगा। 5 नवंबर, 1918 को विल्सन ने जर्मनों को एक नोट भेजा। जर्मन एक युद्धविराम के लिए सहमत हुए और चौदह बिंदुओं पर आधारित शांति समझौते की अपेक्षा की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित चौदह बिंदुओं में से सबसे महत्वपूर्ण थेः समुद्र शांति से मुक्त होना चाहिए और सभी देशों के जहाजों के लिए युद्ध में होना चाहिए (नेविगेशन की स्वतंत्रता)। सीमा शुल्क जैसे देशों के बीच व्यापार की बाधाओं को हटा दिया जाना चाहिए (मुक्त व्यापार) सेंट–जर्मेन की संधि, (1919), एक तरफ ऑस्ट्रियाई और दूसरी ओर मित्र देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी। यह 10 सितंबर, 1919 को पेरिस के पास सेंट–जर्मेन–एन–ले में हस्ताक्षरित किया गया था, और 16 जुलाई, 1920 को लागू हुआ। इसने दो बिंदुओं पर जोर दिया। वे थे– राजनीतिक कोण से देशों का आत्मनिर्णय और आर्थिक कोण से आर्थिक आत्मनिर्भरता। इस प्रकार, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से वैश्वीकरण के लिए बहुत अनुकूल नहीं था। इसने शासन और आर्थिक निर्भरता के संदर्भ में राष्ट्रों की अन्योन्याश्रयता को कम करने का प्रयास किया।

वैश्वीकरण की पांचवीं लहर

वैश्वीकरण की पांचवीं लहर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में स्थापित हुई थी। वैश्वीकरण की यह लहर व्यापार बाधाओं को मिटाने और सीमा पार व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विश्व संगठनों के आने के साथ प्रकट हुई। विशेष रूप से वैश्वीकरण की यह लहर प्रकृति में वैश्वीकरण को टिकाऊ बनाने में सफल रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वैश्वीकरण, आंशिक रूप से राजनेताओं द्वारा उन सीमाओं को तोड़ने की योजना का परिणाम है जो मुक्त व्यापार और बाजार के विस्तार को रोकते हैं। उनके काम से ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया के अग्रणी राजनेताओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और वित्त के लिए रूपरेखा तैयार करने और व्यापार की निगरानी की सुविधा के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को बनाने के लिए एक समझौते

टिप्पणी

पर पहुंचना था। ब्रेटन वुड्स कन्वेंशन जिसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, 44 देशों के प्रतिनिधियों का एक समूह था जो 1 से 22 जुलाई, 1944 तक ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में मिले थे। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के लिए नए नियमों की एक श्रृंखला पर सहमत हुआ। सम्मेलन की दो प्रमुख उपलब्धियां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) का निर्माण थीं। इसने गैट को भी अपनाया। इसने निर्धारित किया कि हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। गैट (GATT) पर सामान्य समझौते के तत्वावधान में, व्यापार पर प्रतिबंध हटाने के लिए कई समझौते किए गए। 1948 में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन को संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। यह विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का अग्रदूत था। गैट ने व्यापार बाधाओं को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापार वार्ता के कई बहुपक्षीय दौर शुरू किए। उनमें से सबसे उल्लेखनीय हैं 1964 में कैनेडी दौर, 1973 में टोक्यो दौर, 1986 में उरुग्वे दौर और 2001 में दोहा दौर। वैश्वीकरण भी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में स्थित बहुराष्ट्रीय निगमों के वैश्विक विस्तार और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उत्पादों में नए विकास के विश्वव्यापी आदान–प्रदान से प्रेरित था, इस समय के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों की उत्पत्ति पश्चिमी दुनिया में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और दूरसंचार के विकास ने आधुनिक वैश्वीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई। 1980 के बाद की अवधि को समकालीन वैश्वीकरण काल के रूप में नामित किया जा सकता है। यह आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण के त्वरण और गहनता की विशेषता है। आर्थिक मोर्चे में, एक प्रमुख विकास 1986 के एकल यूरोपीय अधिनियम का अधिनियमन था जिसने यूरोपीय साझा बाजार का निर्माण किया। व्यापार में वृद्धि, बाजार के विस्तार और विदेशी निवेश ने "कैसीनो पूंजीवाद" की अवधारणा को जन्म दिया, जिसका अर्थ लाभ के लिए गारंटी की कमी है। राजनीतिक क्षेत्र में "अस्थिरीकरण" की एक प्रक्रिया शुरू हुई जिससे राज्यों की संप्रभु शक्ति में गिरावट आई। विश्व संगठनों ने पूर्व में राज्य द्वारा किए गए कुछ कार्यों को अंजाम दिया। सांस्कृतिक क्षेत्र में, वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप एक संज्ञानात्मक समाज का निर्माण हुआ है, जो एक औद्योगिक समाज के बाद की एक प्रमुख विशेषता है जिसे अक्सर "ज्ञान समाज", "सूचना समाज" और "क्रमादेशित समाज" कहा जाता है। शीत युद्ध की समाप्ति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को फलने–फूलने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया है। इसने कई सिद्धांतों को वास्तविकता के रूप में सिद्ध किया है। इस संदर्भ में फ्रांसिस फुकुयामा के इतिहास के अंत के सिद्धांत का संदर्भ लिया जा सकता है। इस सिद्धांत में, सिद्धांतवादी ने भविष्यवाणी की कि उदार लोकतंत्र पूरे विश्व में विजयी होगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण यह सच हो गया है। जबिग्न्यू ब्रजेजिंस्की (Zbigniew Brzezinski) का यथार्थवादी सिद्धांत कल्पना करता है कि सभी राज्य वैश्विक वर्चस्व के लिए संघर्ष के साथ भू–राजनीतिक क्षेत्रों के टूटने के साथ विश्व परिदृश्य में अभिनय करेंगे। यह समकालीन वैश्वीकरण के साथ सच हो गया है। इसके अलावा, हंटिंगटन का सभ्यता सिद्धांत यह घोषणा करता है कि नई विश्व व्यवस्था में राष्ट्रों के बीच अंतर राजनीतिक या आर्थिक प्रकृति का नहीं होगा, बल्कि सांस्कृतिक प्रकृति का होगा जो आधुनिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ एक वास्तविकता बन गया है। इस प्रकार,

टिप्पणी

वैश्वीकरण को समय–समय पर और विभिन्न ऐतिहासिक विकासों के माध्यम से कई सामाजिक कारकों द्वारा आकार दिया गया है। हालांकि, वैश्वीकरण की गति ने कभी तेज गति ली है और कभी–कभी मंद पाया जाता है। पहली तीन तरंगों को पारंपरिक वैश्वीकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इन चरणों के दौरान वैश्वीकरण हालांकि गति पकड़ रहा था, सतह पर दिखाई नहीं दे रहा था। चौथे चरण के दौरान, युद्ध और महामंदी के कारण वैश्वीकरण को झटका लगा। यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया में गिरावट का दौर था और पांचवें चरण के दौरान; वैश्वीकरण ने एक अतिरिक्त गति लेना शुरू कर दिया। वैश्वीकरण का पुनरुत्थान हुआ।

वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम

वैश्वीकरण की अवधारणा से ही, वैश्वीकरण शब्द को अनिवार्य रूप से आर्थिक आयाम माना जाता था। दीपक नैयर के अनुसार, वैश्वीकरण का सबसे उल्लेखनीय और प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव, राष्ट्र राज्यों की सीमाओं के पार आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के माध्यम से देखा जाता है। यह दुनिया के देशों के बीच बढ़ते आर्थिक एकीकरण और बढ़ती आर्थिक अन्योन्याश्रयता के साथ चिह्नित है। माल, प्रौद्योगिकी, लोगों, सूचना आदि की सीमा पार आवाजाही में वृद्धि हुई है। हालांकि आर्थिक गतिविधियों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हाल के मूल का नहीं है। इसकी शुरुआत समुद्री यात्राओं और यूरोपीय समुद्री शक्तियों के उदय के साथ हुई। उन्नीसवीं शताब्दी में औद्योगीकरण के प्रसार से इस प्रक्रिया में और तेजी आई। अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अवधि 1870 और 1914 के बीच हुई जब दुनिया भर में परिवहन और संचार नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ जिसके कारण अमीर और गरीब देशों के बीच अन्योन्याश्रयता के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यूरोप से दुनिया के अन्य हिस्सों में पूंजी का बहुत बड़ा प्रवाह था। विकासशील देशों में अमीर देशों द्वारा किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने न केवल परस्पर जुड़ाव को बढ़ाया, बल्कि गरीब देशों में काफी हद तक विकास लाने की कोशिश की। इससे विकासशील दुनिया के लोगों के संसाधनों, निर्यात, आयात क्षमता, जीवन स्तर में वृद्धि हुई। नई अर्थव्यवस्था वास्तव में वैश्विक है क्योंकि यह गैर–क्षेत्रीय है। निवेशक चुन सकते हैं कि कहां और कब निवेश करना है या दुनिया के किसी भी हिस्से से पूंजी कब निकालनी है। वित्तीय निवेश और व्यापार के मामले में, दुनिया अब एक ही जगह है।

वैश्वीकरण का दूसरा आर्थिक आयाम विश्व आर्थिक संगठनों के विकास से संबंधित है। 1944 में, लगभग 44 देशों ने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए आयोजित किया गया था। 'ब्रेटन वुड्स' न्यू हैम्पशायर का एक छोटा सा शहर है जहां विजेताओं ने 1944 में एक विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था का आधार स्थापित करने के लिए मुलाकात की थी जो महामंदी जैसे विनाशकारी आर्थिक संकटों को रोक सके। विश्व अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए तीन आर्थिक संस्थान बनाए गए। वे थे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD ने बाद में विश्व बैंक का नाम बदल दिया), टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT, 1992 में विश्व व्यापार संगठन का नाम बदल दिया)। लगभग तीस वर्षों तक यह प्रणाली बनी रही और पश्चिमी देशों को आर्थिक स्थिरता और समृद्धि प्रदान की।

टिप्पणी

वैश्वीकरण का तीसरा आर्थिक आयाम नवउदारवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत थी। 1970 के दशक के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका में रीगन प्रशासन और यूनाइटेड किंगडम में थैचर सरकार जैसी रूढ़िवादी सरकारों के दबाव में विश्व अर्थव्यवस्था ने प्रबंधित अर्थव्यवस्था से एक नवउदारवादी अर्थव्यवस्था में एक कठोर मोड़ लिया। इस संबंध में, चीनी आर्थिक सुधार 1980 में शुरू हुए जिसने चीन को वैश्वीकरण के लिए खोल दिया। चीन के अनुभव ने भारत जैसे कई अन्य देशों को 1990 में अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के लिए खोलने के लिए प्रेरित किया जिसे निजीकरण और उदारीकरण के साथ संस्थागत रूप दिया गया था।

वैश्वीकरण ने विकास और धन के सृजन के लिए नई सम्भावनाएं खोलीं। लेकिन वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव पर अलग–अलग विचार हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि वैश्वीकरण के वर्तमान मॉडल ने बेरोजगारी, असमानता और गरीबी की समस्याओं को बढ़ा दिया है, जबकि अन्य का तर्क है कि वैश्वीकरण ने संसाधनों की एकाग्रता को रोककर इन पहलुओं को कम करने में मदद की है।

वैश्वीकरण के कारण बाजारों का विस्तार हुआ है और विविधीकरण हुआ है। प्रतिस्पर्धी भूमिका वाले खिलाड़ी बाजारों में दिखाई दिए हैं। उत्पादों की कीमतें प्रतिस्पर्धी समूहों द्वारा निर्धारित की जाती हैं और वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण एकाधिकार बाजार समाप्त हो रहे हैं। वैश्वीकरण ने व्यावसायीकरण, सहयोग और निगमीकरण को प्रोत्साहित किया है। इसने उपभोक्तावादी संस्कृति का निर्माण किया है। आर्थिक रूप से, वैश्वीकरण ने लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि की है और इस प्रकार राष्ट्रों की समृद्धि सुनिश्चित की है।

एमएनसीएस और टीएनसीएस का उदय वैश्वीकरण के सबसे अधिक दिखाई देने वाले आर्थिक प्रभाव हैं। बहुराष्ट्रीय निगम (एमएनसी) बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) से अलग हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एक निगम है जिसके विभिन्न देशों में आउटलेट हैं। उदाहरण के लिए, मैकडॉनल्ड्स के कई अलग–अलग देशों में आउटलेट हैं। टीएनसी दुनिया को एक ही स्थान के रूप में मानता है और अपने उत्पादन, वितरण और खपत के नेटवर्क को वितरित करता है जहां स्थितियां सबसे अनुकूल होती हैं। उदाहरण के लिए, डिज्नी के पास विभिन्न पश्चिमी देशों में कई मनोरंजन पार्क हैं। ऐसे पार्कों में, आगंतुक बांग्लादेश जैसे देशों में बने माल को खरीदते हैं। नतीजतन, स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक आर्थिक नेटवर्क में एकीकृत हो जाती हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी लगातार वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं के अनुकूल होना पड़ता है।

वैश्वीकरण के सबसे बोधगम्य आर्थिक प्रभावों में से एक उपग्रह क्रांति, मीडिया बूम, ज्ञान अर्थव्यवस्था का आगमन है। इसे दूसरी औद्योगिक क्रांति के रूप में वर्णित किया गया है। आउटसोर्सिंग और सेवाओं की सोर्सिंग ने दुनिया की आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। व्यापार संचालन और वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण का एक गैर–क्षेत्रीयकरण है।

वैश्वीकरण का आर्थिक आयाम तीव्र शहरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रकट होता है। अपनाई गई प्रक्रिया, उत्पाद डिजाइनिंग और उत्पाद वितरण, उत्पादन में लगने वाले समय और बाजार में पैठ के संदर्भ में उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

टिप्पणी

वैश्वीकरण ने जापान, ताइवान और कोरिया जैसी नई आर्थिक शक्तियों का निर्माण किया है। सभी देशों के मानव संसाधन के बीच कौशल, शिक्षा और प्रशिक्षण तेजी से विकसित हो रहे हैं। जापान, ताइवान, कोरिया और चीन में तीव्र औद्योगीकरण और आर्थिक विकास के कारण पूर्वी एशियाई देश आर्थिक चमत्कार है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के आर्थिक परिणामों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों, इक्विटी और अंतर्राष्ट्रीय निवेश के अन्य रूपों की वृद्धि हुई है।

एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में पूंजीवाद सभी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर हावी हो गया है। पूंजीवाद,जिसे मुक्त–उद्यम या मुक्त–बाजार प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, वह आर्थिक संरचना है जो लोगों को सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ अपनी निजी संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति देती है। पूंजीवाद के तहत, लोग अपनी पसंद की नौकरियों पर काम करने, अपने उत्पादों या सेवाओं को अपनी इच्छानुसार किसी भी कीमत पर बेचने और विभिन्न उत्पाद और सेवा–प्रदाताओं में से सर्वोत्तम मूल्य के लिए चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। मैनुएल कास्टेल्स (1996) ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया है कि पिछले बीस वर्षों में या बीसवीं शताब्दी में, दुनिया भर में एक नई अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। वह इसे पूंजीवाद के एक नए ब्रांड के रूप में चित्रित करता है।

हालांकि, वैश्वीकरण के आर्थिक आयामों के पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। इसके नकारात्मक पक्ष पर, आलोचक टिप्पणी करते हैं कि वैश्वीकरण अमीरों के लिए मोक्ष और गरीबों के लिए अभिशाप है। इसने वैश्विक संसाधनों के असमान वितरण को जन्म दिया है। उदारीकृत अर्थव्यवस्थाओं के कारण, संसाधनों को गरीबों से अमीर देशों में ले जाया जाता है जो संसाधनों के लिए भुगतान कर सकते हैं। संसाधनों के इस एकतरफा हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह स्रोत राष्ट्र को कमजोर करता है और गंतव्य राष्ट्र को समृद्ध करता है। इस प्रकार, समृद्ध राष्ट्रों में संसाधनों का संकेंद्रण हो जाता है। यह संसाधनों के वितरण में घोर विसंगति लाता है। वैश्वीकरण देशों के बीच संसाधन असंतुलन लाता है।

वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की दर को बढ़ाता है जिससे गरीब देशों में प्रशिक्षित, कुशल कार्यबल की कमी हो जाती है। श्रम बाजार में श्रम शक्ति का एक वस्तुकरण है जिसे गंदा, खतरनाक और कठिन कहा जाता है। कभी–कभी इसका परिणाम मानव तस्करी होता है और यह दुनिया को बंधुआ मजदूरी का एक नया रूप प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशियाई देशों के श्रम प्रवाह पर टिकी हुई है। कई बार इसका परिणाम गरीब मजदूरों का शोषण होता है।

लेकिन आज वैश्वीकरण ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ा दिया है और समाज के कुछ वर्गों को हाशिए पर डाल दिया है। इस पूरी प्रक्रिया से विकसित देश ही अधिक लाभान्वित हुए हैं। न तो रोजगार सृजन हो रहा है और न ही असमानता में कमी आई है। व्यापार और एफडीआई बढ़ने से बेरोजगारी और असमानता अपने आप पैदा होती है। दूसरी ओर विकासशील देश, पूंजीवाद के पश्चिमी विचार को बुनियादी नींवों पर विचार किए बिना अपनी अर्थव्यवस्था में इंजेक्ट कर रहे हैं और एक गंभीर परिणाम भुगत रहे हैं। दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ आर्थिक लेन–देन और व्यापार की बदली हुई रणनीति धन की एकाग्रता और समाजवादी सिद्धांत के पतन का कारण बनी, जिससे गरीबी का निर्माण हुआ।

टिप्पणी

आर्थिक वैश्वीकरण की पर्यावरणीय लागत दूरगामी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आंख बंद करके केवल लाभ कमाने से संबंधित हैं। कई प्रजातियों के विलुप्त होने के साथ–साथ वैश्विक जलवायु परिवर्तन काफी हद तक वैश्वीकरण का परिणाम है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कार्बन उत्सर्जन और अन्य प्रदूषकों की सीमा तय कर दी है, फिर भी ये विकसित देश हैं जो विकासशील देशों के विकास में बाधा डालते हैं।

इस प्रकार वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत विविध हो सकते हैं जिससे एकाग्रता और हाशिए की घटना को जन्म दिया जा सकता है। चूंकि यह एक कौशल आधारित तकनीकी परिवर्तन है, जिससे पूंजीगत वस्तुओं के बढ़ते आयात से असमानता में वृद्धि होगी। बढ़ा हुआ व्यापार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए था, लेकिन यह एकतरफा लाभांश वितरण अमीर देशों को लाभान्वित कर रहा है और विश्व विभाजन को स्थापित कर रहा है।

इसलिए, आलोचक वैश्वीकरण से उत्पन्न होने वाली नई आर्थिक व्यवस्था को "असंगठित पूंजीवाद", "उन्मत्त पूंजीवाद", "कैसीनो पूंजीवाद" या अति– पूंजीवाद के रूप में वर्णित करते हैं। पूंजीपति, निवेशक और टीएनसी वैश्विक कैसीनो के विजेताओं में से हैं, जबकि श्रमिक और विकासशील देश आमतौर पर हारने वाले पक्ष में हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी विकासशील देश की सरकार कॉर्पोरेट निवेश को आकर्षित करना चाहती है, तो उसे खुद को आकर्षक बनाना होगा, अर्थात श्रम कानूनों, स्वास्थ्य और पर्यावरण नियमों जैसे प्रतिबंधों को हटाना होगा और न्यूनतम कराधान लगाना होगा। ऐसी नीतियां बहुसंख्यक आबादी के रहने की स्थिति को और खराब करती हैं और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने की सरकार की क्षमता को सीमित करती हैं और संभावित रूप से देश को अस्थिर कर सकती हैं।

वैश्वीकरण आर्थिक अलगाव की ओर ले जाता है। वैश्विक गरीबों को स्लिपस्ट्रीम के पीछे छोड़ दिया गया है। औद्योगिक देशों के लिए भारी धन लाभ है, लेकिन उप सहारा देश अत्यधिक गरीबी में रहते हैं।

इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आवक निवेश से प्राप्त धन से स्थानीय समुदाय को लाभ होगा। अक्सर, मुनाफे को उस देश में वापस भेज दिया जाता है जहां टीएनसी आधारित है। बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को कारोबार से बाहर कर सकती हैं। अगर दूसरे देश में काम करना सस्ता हो जाता है, तो टीएनसी कारखाने को बंद कर सकता है और स्थानीय लोगों को बेमानी करने वाला बना सकता है।

वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम

वैश्वीकरण को आज कम से कम आर्थिक असर के रूप में देखा जाता है, लेकिन सामाजिक असर के रूप में अधिक देखा जाता है। इसके सामाजिक प्रभाव चरित्र में दूरगामी हैं। एक प्रक्रिया के रूप में यह समाज के हर हिस्से को छूता है, इस प्रकार व्यक्तियों, संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों, मुद्दों, सामाजिक आंदोलनों की प्रकृति, सामाजिक संगठनों, सामाजिक नीतियों में परिवर्तन लाता है। वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम लोगों, उनके परिवारों और उनके समाजों के जीवन और कार्य पर वैश्वीकरण के प्रभाव से संबंधित हैं। रोजगार, काम करने की स्थिति, आय और सामाजिक सुरक्षा पर

टिप्पणी

वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में अक्सर चिंता व्यक्त की जाती है। काम की दुनिया से परे, सामाजिक आयाम में सुरक्षा, संस्कृति और पहचान, समाज से समावेश या बहिष्कार और परिवारों और समुदायों का सामंजस्य शामिल है। इसके अतिरिक्त, समाज को बनाए रखने वाली वैचारिक धाराओं पर इसके प्रभाव, राजनीति का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

वैश्वीकरण के साथ, दुनिया भर में व्यक्तियों ने अपनी पहचान में बदलाव देखा है। संकीर्ण स्थानीय सामुदायिक पहचानों का स्थान व्यापक वैश्विक पहचान ने ले लिया है। आंदोलनों, सक्रियता, नई चेतना के विकास और नीतियों के माध्यम से समाज में अब तक बहिष्कृत समूहों का समावेश है। वैश्वीकरण के बाद की अवधि में, समाज ने कई प्रगतिशील कानूनों को देखा है जो समलैंगिकों, ट्रांसजेंडर आदि जैसे कलंकित समूहों के मानवाधिकारों को मान्यता देते हैं। 2011 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एलजीबीटी अधिकारों को मान्यता देते हुए अपना पहला प्रस्ताव पारित किया। जुलाई 2015 तक, अठारह देश, जिनमें से अधिकांश अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में स्थित हैं, समलैंगिक विवाह को मान्यता देते हैं और अपने एलजीबीटी नागरिकों को अधिकांश अधिकार प्रदान करते हैं। वही लिंग और जातीयता के संबंध में है। संचार में वृद्धि, मीडिया के प्रतिबिंब, कार्यकर्ताओं के समूहों के बीच नेटवर्किंग ने इस पहचान के मुद्दों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

गिल, मानव जीवन और प्रकृति के अलगाव, शोषण और वस्तुकरण की गहनता के लिए वैश्वीकरण की आलोचना करते हैं, वैश्वीकरण के बाद की अवधि में मानव अस्तित्व के लिए एक बढ़ती हुई असुरक्षा है। वैश्वीकरण ने यात्रा और व्यापार को बढ़ावा दिया है। इसके द्वारा एक समूह के रूप में महिलाएं शोषण, परित्याग और तस्करी की सबसे बुरी शिकार बन जाती हैं। एकल मुखिया परिवार बढ़ रहे हैं। सीमा पार आतंकवाद से लाखों लोगों की सुरक्षा को खतरा है।

वैश्वीकरण ने विश्व–व्यवस्था में वैश्विक वर्ग संबंधों को पुनर्गठित किया है। अब कक्षाएं स्थानीय मूल की नहीं हैं और न ही इलाकों तक ही सीमित हैं। बढ़ते व्यापार और निवेश के माध्यम से आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण की लहरें एक ऐसी प्रक्रिया के साथ आई हैं जिसमें अभिजात वर्ग और जनता दोनों मुख्य रूप से स्थानीय और राष्ट्रीय चेतना और संगठन तेजी से अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान और अंतर्संबंधों की ओर बढ़े हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी वर्ग अब उभरा है जिसका सामाजिक प्रजनन का क्षेत्र स्वयं ग्लोब है, क्योंकि यह आसानी से राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों को दरकिनार कर देता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी वर्ग का मुख्य संस्थागत रूप हैं और वे विश्व अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन पैदा कर रहे हैं, उसका परिमाण है। वास्तव में, दुनिया के एक तिहाई से अधिक औद्योगिक उत्पाद का उत्पादन उनके द्वारा किया जाता है, और इससे भी अधिक प्रतिशत उनके बीच व्यापार होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों, 'स्थानीय पूंजीवादी अभिजात वर्ग' और 'राज्य पूंजीपति वर्ग' के बीच एक 'ट्रिपल गठबंधन' है जिसके कारण नए वर्ग संरचना का उदय हुआ है।

वैश्वीकरण महिलाओं के विभिन्न समूहों को अलग–अलग जगहों पर अलग–अलग तरीकों से प्रभावित करता है। एक ओर, यह महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अग्रणी होने के नए अवसर पैदा कर सकता है। वैश्विक संचार नेटवर्क और

टिप्पणी

क्रॉस–सांस्कृतिक आदान–प्रदान के आगमन के साथ, महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया है। हालांकि, वैश्वीकरण ने वास्तव में महिलाओं के लिए समानता के विचारों और मानदंडों को बढ़ावा दिया है जो जागरूकता लाए हैं और समान अधिकारों और अवसरों के लिए उनके संघर्ष में उत्प्रेरक के रूप में काम किया है। दूसरी ओर, इसने पितृसत्तात्मक समाज में विशेष रूप से विकासशील देशों में लैंगिक असमानता को बढ़ा दिया है। कई मामलों में, इसने श्रम विस्थापन द्वारा अनौपचारिक श्रम क्षेत्र में महिलाओं के हाशिए और दरिद्रता को और बढ़ा दिया है।

महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो दशकों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने उप–सहारा अफ्रीका के कुछ हिस्सों में आर्थिक और सामाजिक पतन के साथ–साथ देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता, यूरोप, पूर्व सोवियत संघ, एशिया और लैटिन अमेरिका में वित्तीय संकट को बढ़ाने में योगदान दिया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया कम से कम जन–केंद्रित और अधिक लाभ–केंद्रित है और महिलाओं के प्रति कम से कम जवाबदेह है। यह समाज में बड़े पैमाने पर लैंगिक असमानता लाती है। दुनिया इसके विपरीत रहती है। यह 'जेंडर रिस्पॉन्सिव नीतियां' बनाती रहती है और वास्तव में यह जेंडर असंवेदनशील प्रथाओं की गवाह है।

समाज के अलग–अलग समूहों में, जिन पर वैश्वीकरण का प्रभाव सबसे अधिक रहा है, महिलाएं स्पष्ट रूप से बाहर हैं। उदार आर्थिक नीतियों को अपनाने वाले राज्यों में महिलाओं ने बड़ी संख्या में कार्यबल में प्रवेश किया है। उदारीकरण के आलोचकों का तर्क है कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन करते हुए राज्यों ने राष्ट्रीय नीतियों में बदलाव लाया है ताकि विदेशी निगमों के मुक्त प्रवेश की अनुमति दी जा सके, छोटे व्यवसायों के बजाय बड़े व्यवसायों को अधिक प्रोत्साहन दिया जा सके और कृषि उत्पादों पर आयात नियंत्रण उठाया जा सके। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण और स्वदेशी महिलाओं को और अधिक हाशिए पर रखा गया है।

वैश्वीकरण ने महिलाओं के अवैतनिक कार्यों में भी वृद्धि की है क्योंकि सामाजिक सेवाओं का निजीकरण किया गया है। उत्पादकों के रूप में भी महिलाओं को कम मजदूरी, खराब कामकाजी माहौल, रोजगार की अस्थिरता और प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित करने के मामले में शोषण का सामना करना पड़ता है। कल्याणकारी गतिविधियों से राज्य की मंदी के परिणामस्वरूप नवउदारवादी विचारधारा महिलाओं के लिए घोर समस्याएं लेकर आई है। इसने शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा जैसे विकास लाभों तक महिलाओं की पहुंच को सीमित कर दिया है।

समाजों के विभिन्न जातीय समूहों पर वैश्वीकरण का प्रभाव भी काफी शानदार है। एलिसन ने वैश्वीकरण के आगमन के साथ देखा, लोगों की स्थानीयकृत जातीय पहचान का टूटना और इसे बड़े समुदायों के प्रति वफादारी से बदल दिया गया है। बाल्कन, रवांडा, बुरुंडी, सूडान, इंडोनेशिया, मध्य पूर्व अफगानिस्तान, उत्तरी आयरलैंड और अनगिनत अन्य स्थानों में जातीय संघर्षों ने दुनिया को लगातार परेशान किया है।

वैश्वीकरण सामाजिक संस्थाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। विवाह, परिवार, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, धर्म जैसी संस्थाएं वैश्वीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित हुई हैं। आज विवाह अब समुदाय, वर्ग और समूहों की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गए हैं। सीमाहीन दुनिया ने लोगों को 'क्रॉस कम्युनिटी', 'क्रॉस कल्चर' और 'क्रॉस

टिप्पणी

बाउंड्री मैरिज' का विकल्प चुनने में सक्षम बनाया है। विवाह की बातचीत में माता–पिता की भूमिका गठबंधन केंद्रों और इंटरनेट जैसी संस्थाओं द्वारा की जाती है। लोगों के पलायन के कारण शादियों की लंबी उम्र भी कम होती जा रही है। लिव इन रिलेशनशिप विवाह की संस्था को प्रतिस्थापित कर रहे हैं जो एक स्थिर और टिकाऊ समाज के लिए न तो स्वस्थ है और न ही वांछनीय है। जहां तक परिवारों का संबंध है, गतिशीलता में अभूतपूर्व वृद्धि ने पारिवारिक बंधनों और संबंधों को कम कर दिया है और पारिवारिक संबंधों को बहुत पतला बना दिया है। एक परिवार के सदस्य व्यापक रूप से बिखरे रहते हैं। युवा और वृद्धों के लिए समाज की प्रमुख देखभाल इकाई के रूप में परिवार की भूमिका कम हो रही है, इसे बोझ समझकर शिशुगृहों और वृद्धाश्रमों के उभरते संस्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। एकल मुखिया परिवार बढ़ रहे हैं।

इसी प्रकार, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन हो रहे हैं। दो मूलभूत परिवर्तनों ने आधुनिक राजनीति के स्वरूप को प्रभावित किया है। इनमें से पहले में क्षेत्रीय रूप से आधारित राजनीतिक समुदायों का विकास शामिल था। दूसरे में उभरते बहुस्तरीय क्षेत्रीय और वैश्विक शासन के युग का नेतृत्व किया है। दूसरा हालांकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। राजनीतिक वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभावों में से एक यह है कि यह राष्ट्र और राज्यों के महत्व को कम करता है। कई राष्ट्रों ने स्वयं को व्यापारिक गुटों में संगठित कर लिया है। यूरोपीय संघ, विश्व व्यापार संगठन, G8, और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आदि जैसे सुपर राष्ट्रीय संस्थानों के उद्‌भव ने अंतर्राष्ट्रीय समझौते को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यों को प्रतिस्थापित या विस्तारित किया। इसने राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता को उनके देश के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कम कर दिया है जहां हम सभी क्षेत्रों में इन संगठनों के बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप देखते हैं। वैश्वीकरण का एक अन्य प्रमुख प्रभाव सार्वजनिक नीति में गैर–सरकारी संगठनों का बढ़ा हुआ प्रभाव है जैसे मानवीय सहायता, विकासात्मक प्रयास आदि।

धार्मिक संस्थाएं वैश्वीकरण के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। वैश्वीकरण के कारण धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया को बल मिला है। वैश्वीकरण के प्रमुख परिणाम पारंपरिक धर्मों और विश्वास प्रणालियों के परिवर्तन, उपभोक्तावादी मूल्यों, साइबर संस्कृति, सामाजिक सनक, और बदलते कार्य नैतिकता और कार्यालय, धार्मिक कट्टरवाद के उदय के कारण धार्मिक मूल्य हैं। दूसरी ओर, लोगों के सीमा पार प्रवास के कारण बहुलवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है।

एक संस्था के रूप में शिक्षा भी वैश्वीकरण से पूरी तरह प्रभावित है। उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण और मानकीकरण हुआ है। शिक्षा का निजीकरण हो रहा है और शिक्षा की विषयवस्तु, शिक्षाशास्त्र और कवरेज में गुणात्मक छलांग लग रही है। प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए व्यावसायिक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा गति ले रही है।

वैश्वीकरण ने नए सामाजिक मुद्दों को प्रस्तुत किया है। अवैध व्यापार, आतंकवाद, पारिस्थितिक क्षरण, गरीबी और बेरोजगारी आज दुनिया को जकड़े हुए हैं। जातीय संघर्ष दुनिया को त्रस्त करता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ देशों के भीतर और देशों के बीच सामाजिक विषमताएं बढ़ी हैं। भौतिक और मानव संसाधन दोनों गरीब से अमीर देशों में जाते हैं। दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है। छोटे आधे हिस्से में आर्थिक

टिप्पणी

रूप से संपन्न राष्ट्र शामिल हैं जबकि बड़े आधे हिस्से में आर्थिक रूप से गरीब राष्ट्र शामिल हैं। दुनिया के कुछ क्षेत्र तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति से दूर हो जाते हैं, जबकि अन्य में आर्थिक प्रगति अनिश्चित रोजगार और सामाजिक संकट के साथ होती है। सीमा–पार आर्थिक लेन–देन ने राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्थाओं और सामाजिक मानदंडों को दबाव में डाल दिया है। वैश्विक श्रम बाजार का उदय प्रतिस्पर्धा को तेज करता है और श्रम का अधिशेष है जो स्थानीय श्रम शक्ति को खतरे में डालता है। इसके अलावा, लाभ को अधिकतम करने के लिए अमीर राष्ट्र अपनी नौकरियों को अन्य देशों में आउटसोर्स करते हैं जहां उन्हें सस्ती श्रम शक्ति मिलती है। यह अमीर देशों में एक उच्च परिमाण की बेरोजगारी लाता है।

वैश्वीकरण ने नए सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया है। दुनिया ने ट्रांसजेंडरों और समलैंगिकों के बीच नए मानवाधिकार आंदोलनों को देखा है। सामाजिक आंदोलन अब स्थानीय नहीं रह गए हैं बल्कि वे भूमंडलीकृत हो गए हैं।

वैश्वीकरण ने वैचारिक परिवर्तनों को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण ने लोकप्रिय भागीदारी, सामाजिक समावेश, मानवतावाद, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, पूंजीवाद, लोकतंत्र की विचारधारा को मजबूत किया है। इन सबके अलावा, इसके परिणामस्वरूप वैश्विकता, पर्यावरणवाद की विचारधारा का विकास होता है। ये सभी वैचारिक धाराएं चेतना की एक नई लहर पैदा कर रही हैं और अब विश्व की आबादी का मार्गदर्शन और शासन कर रही हैं।

वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम

वैश्वीकरण का तकनीकी आयाम मुख्य रूप से आईसीटी की प्रगति को संदर्भित करता है। आईसीटी ने हाल के वर्षों में संचार और सूचना क्रांति को बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण ने उत्पादन प्रौद्योगिकियों में नवाचारों की शुरुआत की है। नई उत्पादन प्रौद्योगिकियों ने उत्पादन में दक्षता पैदा की है और निर्माण के तथाकथित पोस्टफोर्डिस्ट युग का निर्माण किया है। वैश्वीकरण की तकनीकी गतिशीलता में इंटरनेट और मोबाइल फोन से सब कुछ शामिल है, जिसने दुनिया की अंतःसंबद्धता बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, बेहतर रसद प्रणालियों के लिए, जिसने दुनिया भर में उद्योगों को आधुनिक कृषि विज्ञान प्रथाओं के लिए अधिक कुशलतापूर्वक और लाभप्रद रूप से कार्य करने में सक्षम बनाया है, जो बंजर भूमि को बहाल कर रहे हैं और कृषि में नए अवसर खोल रहे हैं।

वैश्वीकरण ने दुनिया में कई नए आविष्कार, नवाचार और हस्तक्षेप प्रस्तुत किए हैं। नए विचारों और ज्ञान का आर्थिक अनुप्रयोग न केवल तकनीकी है, बल्कि यह संगठनात्मक, प्रबंधकीय और संस्थागत भी हो सकता है। नई तकनीकों जैसे कि आईसीटी, जैव प्रौद्योगिकी, नई सामग्री आदि को विज्ञान–प्रौद्योगिकी इंटरफेस को तेज करने के लिए पाया गया है। उन्होंने मिलकर संगठनात्मक, संस्थागत और ढ़ांचागत परिवर्तन की जटिल प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है।

प्रौद्योगिकी ने विभिन्न समाजों की उपजाऊ बैठक के लिए योगदान दिया है। यदि अतीत में प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने और स्थानांतरित करने में लंबा समय लगता है, तो आज यह बहुत अधिक तीव्रता और गति के साथ होता है। वैश्वीकरण को संभव बनाने में नई प्रौद्योगिकियां एक मौलिक भूमिका निभाती हैं। हवाई जहाज,

टिप्पणी

टेलीफोन, उपग्रह, कंप्यूटर और टेलीविजन के बिना सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना संभव नहीं होगा, इस प्रकार यह गति और तीव्रता की अनुमति देता है जो आधुनिक दुनिया की विशेषता है। ये ज्ञान के प्रसार और हस्तांतरण की दर को जन्म देते हैं जो अतीत की तुलना में बहुत बेहतर है। दूसरे शब्दों में, ये नई प्रौद्योगिकियां थीं जिन्होंने वैश्विक गांव के उद्‌भव की अनुमति दी। प्रौद्योगिकी ने समय और दूरी की बाधाओं को तोड़ दिया है।

ज्ञान पर आधारित समाज का आगमन तकनीकी आविष्कारों के प्रसार के साथ–साथ आगे बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश में काफी वृद्धि हुई है, इस प्रकार राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली एक दूसरे के साथ तेजी से एकीकृत हो गई है। वैश्वीकरण की गति और तकनीकी परिवर्तन की गति वास्तव में कड़ाई से परस्पर जुड़ी हुई है और, दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, यह स्थापित करना कम महत्वपूर्ण प्रतीत होता है कि किसको एक दूसरे को ट्रिगर करने के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए, न कि यह स्थापित करने के लिए कि वे परस्पर एक दूसरे को लागू करते हैं। वैश्वीकरण के कारण नवाचारों का सृजन, स्थानांतरण और प्रसार संभव है और बदले में, ये वैश्वीकरण को ग्रह के दुर्गम क्षेत्रों में संभव बनाते हैं।

यहां अनुमान यह है कि कई वर्षों से एक सर्कुलर प्रक्रिया रही है जिसमें नई प्रौद्योगिकियां आर्थिक और सामाजिक वैश्वीकरण के लिए स्नेहक के रूप में कार्य करती हैं। बदले में, वैश्वीकरण, लोगों, वस्तुओं, पूंजी और सबसे बढ़कर, विचारों और ज्ञान के संचलन को सुविधाजनक बनाते हुए, तकनीकी परिवर्तन की ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व दर को बनाए रखने की अनुमति देता है। नवाचार के वैश्वीकरण की अवधारणा इस प्रकार आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की दो मूलभूत घटनाओं के बीच की कड़ी बन जाती है जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण और आर्थिक प्रक्रियाओं में ज्ञान के महत्व को बढ़ाना है।

वैश्वीकरण के पर्यावरणीय आयाम

वैश्वीकरण के पर्यावरणीय आयाम वे हैं जो ग्रह के जीवन समर्थन प्रणाली के भविष्य और मानव समाज पर उनके प्रभावों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

आर्थिक ताकतों और भौतिकवादी उद्देश्यों से प्रेरित वैश्वीकरण की वर्तमान तीव्र दर कई पर्यावरणीय समस्याएं पैदा कर रही है। हमारी विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि, त्वरित खपत और तकनीकी नवाचारों ने मानव प्रभावों के पैमाने को बढ़ा दिया है जिससे वे ग्रह सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, समतापमंडलीय ओजोन रिक्तीकरण, जैव विविधता हानि, ग्रह संबंधी समस्याएं हैं जिनके लिए वैश्विक सहयोग और प्रबंधन की आवश्यकता है।

दुनिया भर में माल की बढ़ती आवाजाही ने आक्रामक प्रजातियों, जहरीले रसायनों और खतरनाक कचरे के प्रसार, और कचरे की बढ़ती मात्रा की समस्याएं पैदा की हैं जो सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए और अधिक महंगे हैं। वैश्विक व्यापार हर जगह प्राकृतिक संसाधनों पर समान दबाव डालता है। एक पेड़ लकड़ी के चिप्स का एक संभावित स्रोत है चाहे वह साइबेरिया, कनाडा या पापुआ न्यू गिनी में बढ़ रहा हो। चूंकि पेड़ों और जंगलों के गैर–बाजार मूल्य, जैसे वाटरशेड प्रबंधन या जैव विविधता संरक्षण, वर्तमान में वैश्विक व्यापार प्रणाली में शामिल नहीं हैं, अनियमित व्यापार कई देशों की प्राकृतिक पूंजी के लिए बहुत हानिकारक रहा है।

टिप्पणी

प्राकृतिक संसाधनों पर राष्ट्रीय संप्रभुता पर व्यापक जोर देने के बावजूद, पूरे ग्रह के लाभ के लिए वैश्विक स्तर पर ऐसे संसाधनों का प्रबंधन करना ही एकमात्र समाधान है। यह निर्णय लेने, विनियमन और सामंजस्य के लिए संस्थानों के साथ वैश्विक पर्यावरण के लिए शासन तंत्र के निरंतर विस्तार की ओर अग्रसर है जो अनिवार्य रूप से वैश्विक स्तर पर संघीय अवधारणा का विस्तार कर रहे हैं। हालांकि, वैश्विक कानून के हमारे वर्तमान तदर्थ तरीके, बातचीत और प्रत्येक पर्यावरणीय समस्या के लिए एक नया सम्मेलन अपनाने के लिए एक वैश्विक कानूनी गतिरोध में लाएंगे। अंततः हमारे लिए सामान्य हित में राज्यों और कंपनियों के व्यवहार को विनियमित और समायोजित करने के लिए एक अधिक सुसंगत तरीका खोजना आवश्यक हो जाएगा।

वैश्वीकरण के पक्ष में तर्कों में शामिल हैं–

- वैश्विक अर्थव्यवस्था से अधिक जुड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं, बंद अर्थव्यवस्थाओं को बनाए रखने वालों की तुलना में– औसतन लगभग 2.5 प्रतिशत लगातार बहुत तेजी से बढ़ी हैं।
- वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप तेज आर्थिक विकास, आमतौर पर लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि की ओर जाता है।
- बेहतर धन से बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ पानी मिलता है, जिससे वैश्वीकरण के तहत लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ती है।
- देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण निवेश बाधाओं में कमी ने भी विकास और प्रगति को बढ़ावा दिया है।
- वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप पर्यावरण जागरूकता में सुधार हुआ है, क्योंकि इंटरनेट ने सूचना तक पहुंच बढ़ा दी है और सुरक्षित पर्यावरण संबंधी ज्ञान के प्रसार में मदद की है।
- व्यापार एकीकरण में वृद्धि से राष्ट्रों के बीच अखंडता, अन्योन्याश्रयता आई है। इसने कथित समृद्ध राष्ट्रों के आधिपत्य को कम किया है और युद्ध के खतरे को कम किया है और शांति को बढ़ावा दिया है।
- बेहतर तकनीक ने लागत कम की है और दुनिया के संचार के तरीके को बदल दिया है। इसने लोगों और ग्रह के कुछ हिस्सों को जोड़ा है।
- विकासशील देशों में वयस्क निरक्षरता दर गिर रही है। लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। आधुनिक संचार और सूचना के वैश्विक प्रसार ने अलोकतांत्रिक शासनों को गिरा दिया है।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कार्यस्थलों और मजदूरी के लिए बेहतर मानकों को अपनाया है– आमतौर पर विकासशील देशों में स्थानीय कंपनियों की तुलना में अधिक भुगतान किया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन ने विविधता की अधिक मान्यता और सांस्कृतिक पहचान के लिए सम्मान को जन्म दिया है, जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों तक पहुंच में सुधार कर रहा है।

वैश्वीकरण के खिलाफ तर्कों में शामिल है–

- वैश्वीकरण की सामाजिक और आर्थिक लागत बहुत अधिक है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

टिप्पणी

- वैश्वीकरण का फायदा नहीं उठा पाने वाले देश और पिछड़ जाते हैं। वैश्विक अमीर गरीब विभाजन बढ़ता है।
- व्यापार और यात्रा बढ़ने से एड्स जैसे मानव, पशु और पौधों की बीमारियों का प्रसार बढ़ा है।
- देशों की बढ़ी हुई अन्योन्याश्रयता आर्थिक समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील है– जैसे हाल की वैश्विक मंदी। यह राष्ट्रों की आत्मनिर्भरता को भी कम करता है।
- वैश्वीकरण की पर्यावरणीय लागत बहुत अधिक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में पर्यावरण कोड को हरा देती हैं। अब तक सुरक्षित ग्रह मानवता के लिए एक असुरक्षित आवास बन गया है।
- प्रमुख आर्थिक शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निकायों को नियंत्रित करती हैं जो विकासशील दुनिया पर आधिपत्य स्थापित कर लेती हैं। इससे आर्थिक उपनिवेशीकरण होता है। वे विकासशील देशों को अपना सहयोगी नहीं, बल्कि परजीवी मानते हैं।
- व्यापार उदारीकरण और तकनीकी सुधार अर्थव्यवस्थाओं को बदलते हैं और बेरोजगारी को जन्म दे सकते हैं।
- आधुनिक संचार ने देशों के बीच मतभेदों और अमीर देशों में प्रवास की बढ़ती मांग के बारे में जागरूकता फैलाई है। अमीर देशों में प्रवास की बाधाओं को बढ़ा दिया गया है जिससे लोगों की तस्करी अधिक हो रही है।
- वैश्वीकरण ने अमीर देशों को तस्करी का कारण बना दिया है जिससे गरीब देशों ने अपनी प्रतिभा को खत्म कर दिया है।
- आधुनिक वैश्वीकृत संस्कृति से स्वदेशी और राष्ट्रीय संस्कृति और भाषाएं नष्ट हो रही हैं।
- वैश्वीकरण ने सीमा पार आतंकवाद, तस्करी को बढ़ा दिया है जो लाखों लोगों के जीवन को संकट में डाल रहा है।

अपनी प्रगति जांचिए

3. वैश्वीकरण की तीसरी लहर का समय कब से कब तक माना गया है?
   (क) तीसरी से दसवीं शताब्दी
   (ख) पंद्रहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी
   (ग) बीसवीं शताब्दी की शुरुआत से सदी के पूर्वार्द्ध तक
   (घ) बीसवीं सदी से अब तक
4. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एलजीबीटी अधिकारों को मान्यता देते हुए अपना पहला प्रस्ताव कब पारित किया?
   (क) 2008 (ख) 2010
   (ग) 2011 (घ) 2012

1.4 वैश्विक पूंजीवाद, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण की विशेषताएं

टिप्पणी

वैश्विक पूंजीवाद ने पिछले कुछ दशकों में वैश्वीकरण के माध्यम से एक गहन पुनर्गठन का अनुभव किया है। पूंजीवाद के मौजूदा रूपों को उसके पहले के अवतारों से मौलिक रूप से अलग बनाने के लिए बदल दिया गया है। वैश्वीकरण विश्व पूंजीवाद के चल रहे और खुले अंत के विकास में गुणात्मक रूप से नए युग का गठन करता है। वैश्विक पूंजीवाद, पूंजीवाद का चौथा और वर्तमान युग है। यह व्यापारिक पूंजीवाद, शास्त्रीय पूंजीवाद और राष्ट्रीय कॉर्पोरेट पूंजीवाद के पहले के युगों से अलग है। ये सभी रूप सिस्टम थे, जिन्हें पहले राष्ट्रों द्वारा और उनके भीतर प्रशासित किया जाता था। लेकिन पूंजीवादी गतिविधियां अब राष्ट्रों से आगे निकल जाती हैं, और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय, या वैश्विक, दायरे में हैं।

1.4.1 वैश्विक पूंजीवाद का अर्थ एवं परिभाषा

परंपरावादी अर्थशास्त्री (Traditional Economists) अथवा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री (Classical Economists) को पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का निर्माता कहा जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ (Adam Smith) से जे.एस. मिल (J.S. Mill) तक सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के विकास में योगदान दिया है।

पूंजीवाद के विषय में विद्वानों में भिन्न–भिन्न मत है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने इसकी विशेषताओं के आधार पर की है।

पूंजीवाद की कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्न हैं–

लॉक्स एवं हूट (Loucks and Hoot) के अनुसार, "पूंजीवाद आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है और मानवकृत एवं प्राकृतिक साधनों को व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है।"

पीगू ने पूंजीवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है– "पूंजीवादी अर्थ प्रणाली वह है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों के अधिकार अथवा उपयोग का अधिकार कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है। और इन साधनों का संचालन इन व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि इनकी सहायता से जो वस्तुएं अथवा सेवाएं उत्पन्न हों उनके द्वारा लाभ कमाया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है, जिसमें उत्पत्ति के साधनों का प्रमुख भाग पूंजीवादी उद्योगों में कार्यरत होता है।"

पीगू की यह परिभाषा पूंजीवाद की निम्नलिखित विशेषताओं पर प्रकाश डालती है–

1. पूंजीवादी प्रणाली में निजी संपत्ति का अधिकार होता है जिसका प्रयोग उन व्यक्तियों के द्वारा स्वयं के लाभ के लिए किया जाता है।
2. उत्पत्ति के साधनों पर जिन व्यक्तियों का अधिकार होता है वे सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होते हैं। दूसरे शब्दों में उनकी उत्पादन क्रियाओं पर सरकार का कोई नियंत्रण एवं हस्तक्षेप नहीं होता।
3. उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। और उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही उत्पादक विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में साधनों का आबंटन करते हैं।

टिप्पणी

बेन्हम (Behnam) के अनुसार, "पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आर्थिक तानाशाही की प्रतिरोधी है। उत्पादन के क्षेत्र में कोई केंद्रीय आयोजन नहीं होता। राज्य के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र होता है।"

प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आर्थिक फैसले और आर्थिक क्रियाएं करता है। क्योंकि वह प्रत्येक उत्पत्ति के साधन का स्वामी है जिनको वह अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रयोग में लगाकर आय अर्जन कर सकता है।

जी.डी.एच. कोल (G.D.H. Cole) के अनुसार, "पूंजीवाद लाभ के लिए उत्पादन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत उत्पादन के उपकरणों तथा सामग्री पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। तथा उत्पादन मुख्य रूप से मजदूरी के श्रमिकों द्वारा किया जाता है। तथा इस उत्पादन पर पूंजीपति स्वामियों का अधिकार होता है।"

सिडनी वैब (Sydney Webb) और बी. वैब (B.Webb) के अनुसार, "पूंजीवाद या पूंजीवादी प्रणाली या पूंजीवादी सभ्यता शब्द का अर्थ उद्योगों तथा कानूनी संस्थाओं के विकास की उस अवस्था से है जिसमें श्रमिकों का एक वर्ग अपने आपको उत्पादन साधनों के स्वामित्व से अलग पाता है और मजदूरी कमाने वाले वर्ग में सम्मिलित हो जाता है।"

इस वर्ग का जीवन–यापन, सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल उन सीमित संख्या वाले पूंजीपतियों की इच्छा पर निर्भर करती है जो भूमि, पूंजी, मशीन और कारखानों आदि पर नियंत्रण रखते हैं और ये सब कार्य उनके स्वयं के व्यक्तिगत एवं निजी लाभ के उद्देश्य से संपन्न किए जाते हैं।"

डॉ. भारतन कुमारप्पा (Dr. Bharatan Kumarappa) ने अपनी पुस्तक 'Capitalsim, Socialism and Villagism' में पूंजीवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि– "यह एक आर्थिक व्यवस्था है। जिसमें वस्तुओं का उत्पादन और वितरण व्यक्तिगत इकाइयों या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। ये व्यक्ति अपने संचित धन का प्रयोग और अधिक धन के संचय के लिए करते हैं।" इस प्रकार पूंजीवाद के लिए दो तत्व महत्वपूर्ण हैं– निजी पूंजी एवं निजी लाभ।

उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पूंजीवाद एक ऐसी प्रणाली को व्यक्त करता है जिसमें अधिकांश श्रमिक उत्पत्ति के साधनों पर अधिकार से वंचित कर दिए जाते हैं और केवल मजदूर की श्रेणी में जीवन यापन करते हैं।

ऐसे श्रमिकों की आजीविका उनकी सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता उन मुट्ठी भर पूंजीपतियों पर निर्भर करती है जिनका उत्पत्ति के समस्त साधनों– भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन आदि पर अधिकार होता है और जो सदैव व्यक्तिगत लाभ की भावना से आर्थिक क्रियाएं करते हैं।

पूंजीवादी प्रणाली के गुण (Merits of Capitalist System)

पूंजीवादी प्रणाली के प्रमुख गुण निम्न हैं–

1. **स्वयं संचालित (Automatic):** पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली स्वयं संचालित होती है और उसमें किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संतुष्टि के अनुसार आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने

टिप्पणी

का पूर्ण अधिकार होता है। व्यक्ति इस प्रणाली में स्वयं हित (Self-Interest) के उद्देश्य से क्रियाशील होता है। उसे अपनी इच्छानुसार अपनी आय और अपने संसाधनों को अपने स्वयं के विवेक से प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होता है। दूसरे शब्दों में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता (Economic Freedom) प्रदान करती है जो किसी अन्य आर्थिक प्रणाली में संभव नहीं।

2. **संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग और उत्पादकता में वृद्धि (Optimum Use of Resources and Increase in Productivity):** पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करने की चेष्टा, आर्थिक स्वतंत्रता एवं स्पर्धा जैसे घटक समाज के संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग संभव बनाते हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण उन्नति के संसाधन कम लाभ वाले उत्पादन क्षेत्र से अधिक लाभ वाले उत्पादन क्षेत्र में स्वयं ही स्थानांतारित होने लगते हैं जिसके कारण संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग संभव हो पाता है।

   संसाधनों के अधिकतम उत्पादकता वाले क्षेत्र में स्थानांतरित होने के कारण उत्पादकता में वृद्धि का दूसरा कारण यह है कि उत्पादकों एवं वितरकों में बाजार पर नियंत्रण के लिए पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होती है, जिसके कारण प्रत्येक उत्पादक अपनी उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि करने के लिए सदैव सचेत रहता है।

3. **उत्पादन में प्रोत्साहन (Incentives in Production):** पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली प्रोत्साहनमूलक है, जिसके अंतर्गत उत्पत्ति के क्रियाशील साधनों को यथेष्ट उत्साह प्रदान किया जाता है। उद्यमी के लिए उत्पादन का लाभ एक महत्वपूर्ण उत्साहमूलक तत्व है। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत लाभ का उद्देश्य, जो पूंजीवाद की आधारभूत विशेषता है, एक सबल प्रोत्साहनमूलक तत्व है।

   व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से व्यक्ति उत्पत्ति के साधनों का अधिकतम क्षमता के साथ प्रयोग करते हुए आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है। इस प्रकार उसका स्वयं हित का उद्देश्य पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन एवं क्षमता वृद्धि के लिए एक सबल प्रोत्साहन (Incentive) बन जाता है।

4. **रहन–सहन के स्तर में सुधार (Rising Standard of Living):** यदि पूंजीवादी प्रणाली पर आधारित अमेरिकी अर्थव्यवस्था के उदाहरण को लिया जाए तो यह स्वतः ही अनुभव किया जा सकता है कि अमेरिका के व्यक्तियों का रहन–सहन का स्तर पूंजीवाद के उद्‌गम के साथ ही विकसित होता रहा है।

   अमेरिका और अन्य पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों की आर्थिक प्रणाली व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य पर आधारित होने के कारण जनसंख्या वृद्धि के होते हुए भी व्यक्तियों के प्रति आय और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि को संभव बनाती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आय की असमानताओं के होते हुए भी समुदाय का प्रत्येक वर्ग देश के विकास एवं बढ़ती हुई आय से लाभान्वित हुआ है।

5. **तकनीकी विकास (Technological Progress):** पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में तकनीकी विकास की संभावनाएं सदैव उपस्थित रहती हैं। इस प्रणाली में उत्पादक अधिकतम लाभ के उद्देश्य से सदैव नई–नई उत्पादन तकनीकों को

विकसित करने के लिए प्रयास करता है और आविष्कार एवं अन्वेषण उसकी आर्थिक क्रियाओं का अभिन्न अंग बन जाते हैं।

प्रत्येक उत्पादक स्वयं को पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए तकनीकी विकास एवं उत्पादन प्रक्रिया में उनके उपयोग का सहारा लेता है ताकि वह अन्य उत्पादों की तुलना में बाजार के बड़े भाग पर अपना अधिकार कर सके।

टिप्पणी

6. **लचीलापन (Flexibility):** पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में लचीलेपन की विशेषता ही संसाधनों का पारस्परिक प्रतिस्थापन करके संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग को संभव बनाती है। इस प्रणाली के लचीलेपन के कारण ही उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता उत्पन्न होती है और साधन कम लाभप्रद क्षेत्रों में स्थानांतरित होकर अधिक लाभप्रद क्षेत्रों में क्रियाशील होते हैं।
7. **पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन (Incentive to Capital Formation):** पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार एवं उत्तराधिकार के नियम के कारण बचत करने की प्रेरणा को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे विनियोग एवं पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है तथा उत्पादन भी प्रोत्साहित होता है।
8. **योग्यतानुसार पुरस्कार (Remuneration is Based on Ability):** पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में योग्यता एवं कार्यकुशलता को समुचित रूप से पुरस्कृत किया जाता है। योग्य श्रमिकों को ऊंचा पारिश्रमिक देकर पुरस्कृत किया जाता है। इस प्रकार पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रेरणा (Incentives) की उपस्थिति श्रमिकों को अपनी दक्षता, योग्यता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
9. **आर्थिक विकास की दर में वृद्धि (Increase in the Rate of Economic Development):** पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में बचत, विनियोग एवं पूंजी निर्माण की दर अधिक होने के कारण विकास की दर तीव्र गति से बढ़ती है। पूंजीपति वर्ग अपने लाभ को अधिक करने की चेष्टा में पूर्ण दक्षता एवं कुशलता में वृद्धि करके उत्पादकता में वृद्धि का प्रयास करते हैं। साथ ही श्रमिक वर्ग भी अधिक मजदूरी के रूप में पुरस्कार प्राप्त करने की प्रेरणा के कारण अपनी कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। तकनीकी सुधार नव–प्रवर्तन (Innovations) एवं श्रम–विभाजन आदि के कारण पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होती रहती है जिससे अर्थव्यवस्था में विकास की दर को प्रोत्साहन मिलता है।
10. **लोकतांत्रिक स्वरूप को दृढ़ आधार (Strong Base for Democratic Character):** पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता के कारण अर्थव्यवस्था में एक लोकतांत्रिक स्वरूप को दृढ़ आधार मिलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवसाी के अंतर्गत उपभोक्ताओं के बहुमत की इच्छा का सम्मान एवं पालन किया जाता है तथा अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाएं बहुमत द्वारा ही नियंत्रित एवं संचालित होती हैं, जिसके फलस्वरूप लोकतांत्रिक शक्तियां मजबूत होती हैं। इसके अतिरिक्त पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा भी अर्थव्यवस्था में लोकतांत्रिक स्वरूप की स्थापना करता है।

टिप्पणी

पूंजीवादी प्रणाली के दोष (Demerits of Capitalism)

पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के दोषों को निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है–

1. **संपत्ति एवं आय की असमानताएं (Inequality of Income and Wealth):** पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में आय और संपत्ति का असमान वितरण होता है जो समाज में सामाजिक एवं राजनीतिक असमानताएं उत्पन्न करता है। आय की असमानताओं के कारण देश की संपत्ति और पूंजी का केंद्रीकरण कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में हो जाता है और समाज में गरीब और अमीर की खाई बढ़ जाती है। आय की यह असमानता समाज में एक असंतुलन उत्पन्न करती है और समाज दो वर्गों में बंट जाता है– संपन्न (Have) एवं विपन्न (Have-not), जिसके फलस्वरूप समाज में वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है।

   आय की असमानताओं के कारण एवं उत्पत्ति के संसाधनों पर कुछ ही व्यक्तियों का अधिकार हो जाने के कारण अमीर और अधिक अमीर तथा गरीब और गरीब होता चला जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि साधन संपन्न और अपेक्षाकृत कम क्षमता वाले लोग उत्पत्ति की क्रियाओं पर आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं और अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन क्षमता वाले श्रमिक साधनों के अभाव में उत्पादन क्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग नहीं ले पाते हैं।

   आय की असमानता पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के निजी संपत्ति के अधिकार के कारण उत्पन्न होती है। उत्तराधिकार का नियम ही समाज को वर्गों में बांटता है। उत्तराधिकार का नियम वंशानुगत संपत्ति के हस्तांतरण को संभव बनाता है।

2. **सामाजिक अशांति एवं वर्ग–संघर्ष (Social Unrest and Class Struggle):** पूंजीवादी आर्थिक आधार पर समाज का दो वर्गों में विभाजन होने के कारण सामाजिक शोषण उत्पन्न होता है, जो वर्ग संघर्ष (Class Struggle) का मार्ग प्रशस्त करता है। पूंजीपतियों की लाभ में वृद्धि करने की लिप्सा उत्पादन प्रक्रिया को पूंजी गहन बना देती है। जिसके कारण श्रमिकों का स्थान पूंजीगत उपकरण ले लेते हैं और व्यक्तियों की बढ़ती बेरोगारी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति और दयनीय हो जाती है। दूसरे शब्दों में, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में श्रमिकों की कोई सुरक्षा नहीं होती और वे सदैव अपने निष्कासन से भयभीत रहते हैं।

   श्रमिकों का शोषण एवं असुरक्षता की भावना श्रमिकों को श्रम संघ के रूप में संगठित करती है, जिससे हड़ताल और तालाबंदी आरंभ होती है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी आती है। और साथ ही साथ सामाजिक अशांति उतपन्न होती है।

3. **एकाधिकारी प्रवृत्ति का उदय (Emergence of Monopoly Tendency):** पूंजीवादी प्रणाली में पूर्ण प्रतियोगिता की उपस्थिति अपरिहार्य होने के कारण एकाधिकारी प्रवृत्तियों का बढ़ना पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था में दृष्टिगोचर होता है।

   एकाधिकारी प्रवृत्तियों का बढ़ना उत्पादकों के मध्य गलाकाट प्रतियोगता (Cut-Throat Competition) का परिणाम है, जिसमें प्रत्येक उत्पादक अपने प्रतिद्वंद्वी

को उत्पादन प्रक्रिया से बाहर निकालने एवं बाजार पर अधिक आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता है।

एकाधिकारी प्रवृत्तियों के बढ़ने से अर्थव्यवस्था में अनेक अवांछनीय परिणाम उपस्थित होते हैं, जिससे उपभोक्ताओं की अधिकतम संतुष्टि पर पहला आघात पहुंचता है। प्रतियोगिता के कारण बाजार में वस्तुओं की कृत्रिम कमी उपस्थित की जाती है ताकि कीमतों में वृद्धि करके एकाधिकारी लाभ को बढ़ाया जा सके।

टिप्पणी

4. **पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में असफल (Failure to Provide Full-Employment):** स्पर्धात्मक आर्थिक प्रणाली में यह मान लिया गया है कि यह स्वयं संचालित होती है और पूर्ण रोजगार के बिंदु को इस प्रणाली में सहज रूप से प्राप्त कर लिया जाता है। किंतु 1930 की महामंदी के बाद प्रो. जे.एम. कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि संतुलन पूर्ण रोजगार के बिंदु पर नहीं मिलता, बल्कि पूर्णरोजगार स्तर से पहले ही अर्थव्यवस्था संतुलन की दशा प्राप्त कर लेती है, जिसे प्रो. कीन्स ने पूर्ण रोजगार की पूर्व दशा (Under Full-Employment) कहा है।

   इस प्रकार पूंजीवादी प्रणाली में पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त न होने के कारण प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का संपूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता जिसके कारण समाज में संसाधनों का अपव्यय होता है।

5. **अनियोजित उत्पादन (Unplanned Production):** केंद्रीकृत नियोजन की अनुपस्थिति के कारण पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादन अनियोजित रहता है। स्पर्धा के कारण प्रत्येक उत्पादक अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयास करता है। जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अति–उत्पादन (Over-Production) की दशा उपस्थित होती है और व्यापार चक्र उपस्थित होते हैं जो अर्थव्यवस्था की असंतुलित दशाओं की सूचना देते हैं।

6. **उत्पत्ति के साधनों का अपव्यय (Wastage of Factors of Production):** पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता के कारण उत्पत्ति के साधनों का एक बड़ा भाग विज्ञापन एवं प्रचार में व्यय कर दिया जाता है। साथ ही प्रतियोगी फर्म प्रतियोगिता के कारण वस्तुओं का अनावश्यक उत्पादन कर लेती है, जिससे कई बार अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उत्पत्ति के साधनों का अनावश्यक अपव्यय होता है।

7. **सामाजिक कल्याण की अनुपास्थिति (Absence of Social Welfare):** पूंजीवाद आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत हित एवं कल्याण की भावना सर्वोपरि है तथा सामाजिक कल्याण की भावना पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहती है। लाभ उद्देश्य पर ही उत्पादक वर्ग कार्य करता है तथा जन कल्याण एवं आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की उपेक्षा करता है। इस अधिकतम व्यक्तिगत लाभ की भावना के कारण समाज में श्रमिक वर्ग का शोषण होता है तथा जन कल्याण का उद्देश्य गौण होकर रह जाता है।

8. **व्यापार चक्रों की उपस्थिति (Presence of Trade Cycle):** पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में मांग एवं पूर्ति बलों के स्वतंत्र कार्य करने के कारण

टिप्पणी

समय–समय पर मांग एवं पूर्ति बलों में असंतुलन उपस्थित होते रहते हैं, जिसके कारण व्यापार चक्र के उच्चावचन, अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता बनाए रखते हैं। व्यापार चक्रों के उच्चावचनों–मंदीकाल (Depression) तथा स्फीति काल (Inflation) दोनों का ही समाज के विभिन्न वर्गों पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

9. **सामाजिक परजीविता (Social Parasitism):** पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्तराधिकार के नियम के कारण अनर्जित आय पीढ़ी–दर–पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है, जिसके कारण समाज में पूंजी एवं धन का केंद्रीकरण होता चला जाता है।

   संपन्न वर्ग का उत्तराधिकारी बिना किसी त्याग, परिश्रम एवं प्रयास के एक बड़ी सम्पत्ति का मालिक बन जाता है, जिससे समाज में आय की असमानताएं तो बढ़ती हैं, साथ ही संपन्न वर्ग परजीवी होता चला जाता है। सामाजिक परजीविता की यह बुराई इस कार्य को आलसी विलासी बना देती है।

10. **बेरोजगारी का भय (Fear of Unemployment):** पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में पूर्ण रोजगार स्तर पर अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक बनाए रखना संभव नहीं। लाभ की इच्छा में जब उद्यमी उतपादन करते चले जाते हैं तब अति उत्पादन (Over-Production) की समस्या उत्पन्न होती है जिसके कारण उद्यमी उत्पादन स्तर का संकुचन करते हैं। परिणामस्वरूप बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्या उत्पन्न होती है।

वैश्विक पूंजीवाद एवं भारत

भारत एक बहुत सफल लोकतंत्र है। यहां राज्य, देश की जनता के हितों की रक्षा करता है तथा वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को रोकता है। लेकिन, अगर कभी राज्य इसमें असफल होता है, तो वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों का प्रतिरोध करने के लिए, लोग पर्याप्त स्वायत्तता और शक्ति का उपयोग करते हैं। यह प्रतिरोध वे लोकतांत्रिक तरीकों, जैसे– प्रदर्शनों, हड़तालों, नुक्कड़ नाटकों तथा अन्य बहुत–सी विधियों जो कभी–कभी हिंसात्मक भी हो जाती हैं, के माध्यम से करते हैं। वैश्वीकरण की त्रुटियों और अनुपयुक्तता से निबटने के लिए, नागरिक समाज शक्ति और आत्म विश्वास अर्जित कर रहा है। आज, सरकार द्वारा किया गया कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता या लेन–देन, देश की जनता की दृष्टि और समीक्षा से गुजरे बगैर नहीं हो सकता। अभी हाल में हुआ परमाणु समझौता, जो न सिर्फ बहस से गुजरा बल्कि सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव तक गया, इसके बाद कहीं जाकर समझौते को देश की सहमति प्राप्त हुई।

हम पहले ही इसकी चर्चा कर चुके हैं कि वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। भारतीय और विदेशी लोगों के मध्य व्यापार संबंध प्राचीन काल से ही मौजूद था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय देशांतर भी होता था। आर्थिक और इसके अनुरूप सांस्कृतिक वैश्वीकरण की, मध्य काल में मौजूदगी पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। इस प्रक्रिया ने ब्रिटिश शासन के दौरान थोड़ी गति पकड़ी। भारत में अंग्रेजों ने आधुनिक उद्योग–धंधे स्थापित किए। अंग्रेजों के यहां रहने के प्रभाव स्वरूप देश में पश्चिमीकरण हुआ। एम.एन. श्रीनिववास लिखते हैं कि पश्चिमीकरण, सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया थी, जो कि भारत में ब्रिटिश लोगों के एक लंबे समय तक रहने के

टिप्पणी

परिणामस्वरूप घटित हुई। आज हम वैश्वीकरण प्रक्रिया को जितना समझ सके हैं, उसके अनुसार, आर्थिक संबंध तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान का सहजीवन, वैश्वीकरण की शुरुआत के पहले से ही मौजूद थे। सिर्फ एक तथ्य जिसने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा है, वह यह कि आज वैश्वीकरण प्रक्रिया का संवेग काफी तीव्र तथा इसका क्षेत्र काफी व्यापक है।

वैश्वीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत, सूचना प्रौद्योगिकी में हुई क्रांतिकारी प्रगति के कारण, आज समय और स्थान सिमट गए हैं। लोगों, विशेषकर युवाओं की जीवन शैली में गंभीर परिवर्तन हुए हैं। लोगों के बीच एक स्वाभाविक भय रहा है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक सजातीयकरण, राज्य विहीनता तथा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय पहचान का संकट पैदा करेगा। लेकिन यह भय जल्दी ही निराधार सिद्ध हो गया क्योंकि जीवनशैली, पहनावा, खान–पान, काम और अवकाश में गंभीर परिवर्तन के बावजूद, स्थानीय पहचान पूरी तरह से विस्मृत नहीं हुई, बल्कि यह कई रूपों में और भी मजबूत हुई है। आज वैश्विक और स्थानीय, दोनों संस्कृतियों के सह–अस्तित्व का तथ्य उभरकर सामने आ रहा है। इस प्रकार विश्वस्थानीकरण की एक नई प्रक्रिया सामने आ रही है। विश्वस्थानीकरण वैश्वीकरण की एक प्रक्रिया है, जो स्थानीय संस्कृति को प्रतिस्थापित करने के बजाय इसके साथ अनुकूलन स्थापित करती है। यह इन्हें एक–दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने के बजाय पारस्परिक सामंजस्य के लिए एक–दूसरे में समाविष्ट करती है। इस प्रकार से विकसित हुई संस्कृति, एक ऐसी संस्कृति है, जिसमें विदेशी और देशी, दोनों ही संस्कृतियों के तत्व शामिल होते हैं। वैश्वीकरण के संदर्भ में विगत शताब्दी में अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध से, विभिन्न देशों के बीच एक क्रांतिकारी आर्थिक संबंध उभरकर सामने आया। यह राष्ट्रों द्वारा बहुत सीमित मात्रा में शासित और नियंत्रित था, बल्कि इसके स्थान पर यह बाजार द्वारा नियंत्रित था। भारतीय बाजार आज घरेलू और विदेश निर्मित वस्तुओं, दोनों से भरा पड़ा है। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश धीरे–धीरे बढ़ रहा है और साथ ही पड़ोसी देशों में भी। आज भारी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, भारतीय कंपनियों से हाथ मिला रही हैं या उनके साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। फिलहाल, भारत में आर्थिक वैश्वीकरण आज भी बहुत अल्प और आंशिक मात्रा में हुआ है। इसका मूल्यांकन एशियाई पड़ोसियों विशेष तौर पर चीन, की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की मात्रा के संदर्भ में किए जाने की जरूरत है। वैश्वीकरण आर्थिक बदलाव की एक प्रक्रिया है। बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद तथा एक गैर–परंपरागत जीवन शैली, इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके अंतर्गत उपभोग प्रतिमान, सांस्कृतिक उत्पादन तथा अन्य स्थानीय सांस्कृतिक कोटियों में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन परंपरागत जीवन प्रतिमान की विपरीत दिशा में होता है। बाजार दुनिया के विभिन्न स्थानों पर निर्मित विविधतापूर्ण वस्तुओं से भरे होते हैं। भारत भी वैश्वीकरण प्रक्रिया में शामिल हुआ है तथा इसने विश्व अर्थव्यवस्था, विशेष तौर पर इसके ज्ञान उद्योग से जुड़े क्षेत्र में अपना व्यापक योगदान देकर, वस्तुतः विश्व अर्थव्यवस्था पर अपनी छाप छोड़ी है। देश को इस बात का गर्व है कि विकास से उपजी नई चुनौतियों से निबटने के लिए विकसित देश, आज भारत की तरफ देखने को बाध्य हैं।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत, पूंजी और वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश को मुक्त प्रवाह होता है। एक देश के व्यापारी दूसरे देश के निर्माण, सेवा, ज्ञान तथा

अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में मुक्त रूप से पूंजी निवेश करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुकुरमुत्तों की तरह उग रही हैं तथा अल्प विकसित देशों के देशी निर्माण क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा रही हैं।

टिप्पणी

सांस्कृतिक वस्तुओं का वैश्वीकरण, आर्थिक अन्योन्याश्रिता और विनिमय संबंधों का एक स्वाभाविक संयोग है। संचार प्रौद्योगिकी की क्षमता तथा इसका परिणामी आर्थिक संयोजन, संबंधित देशों के बीच सांस्कृतिक सह जीवन की मात्रा तथा प्रकृति को निर्धारित करता है। राष्ट्रीय सीमाओं के पार सांस्कृतिक विस्तार, तीव्र आर्थिक वैश्वीकरण का एक स्वाभाविक परिणाम है। दुनिया की संस्कृतियों को किसी भी स्थान के लोगों तक लाने में, जो इससे प्रभावित होने पर इसे अपना लें, जन संचार माध्यमों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है।

सांस्कृतिक वैश्वीकरण दो स्तरों पर घटित होता है, पहला– दुनिया की प्रत्येक संस्कृति, जन संचार माध्यमों द्वारा सभी देशों के लोगों के समक्ष उपलब्ध है, अतः सभी स्थानीय संस्कृतियां एक–दूसरे के साथ अंतर्क्रिया कर रही हैं। सांस्कृतिक सहजीवन की इस प्रक्रिया में सभी संस्कृतियां वैश्विक चरित्र ग्रहण कर रही हैं, परंतु भिन्न–भिन्न मात्रा में। इसकी वजह है कि कुछ संस्कृतियां दूसरों की अपेक्षा अधिक आकर्षित करती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सांस्कृतिक सीमा से बाहर कौन–सी सांस्कृतिक अंतर्वस्तु, किसे–कितना प्रभावित करती है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण को आज पहनावे में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लोग, विशेष तौर पर युवा, नई जीवन शैली को पागलों की तरह अपना रहे हैं। जन संचार माध्यमों ने लोगों को दुनिया की उन संस्कृतियों के निकट ला दिया है, जो सुदूर स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए अनजान थीं। भूगोल, पर्यटन और वन्य जीवों से जुड़े टेलीविजन चैनलों ने दुनिया के लोगों को, उनकी विशिष्टताओं की उपेक्षा करते हुए, सांस्कृतिक रूप से एकीकृत करने में बहुत अधिक योगदान दिया है। प्रो. योगेन्द्र सिंह का कहना है कि वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, भाषाओं के इस्तेमाल तथा स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर संचार माध्यमों को परंपरागत तरीकों को बदला है। इसने नगरीय क्षेत्रों में पूरी तरह से नए तरीके की बहुत सी उप–संस्कृतियों का निर्माण किया है। ग्रामीण और नगरीय, दोनों ही केंद्रों से जुड़ी, लोकप्रिय संस्कृति का उद्‌भव एक नवीन घटना है।

वहीं दूसरे स्तर पर वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाला सांस्कृतिक रूपांतरण, स्थानीय संस्कृति के लिए भौतिक लाभ भी उपलब्ध कराता है। भारत की स्थानीय संस्कृतियां जैसे उड़ीसा का पीपली का काम, राजस्थान के कसीदाकारी वाले वस्त्र, कर्नाटक का हाथी दांत का काम तथा अन्य दूसरी लोक संस्कृतियों जैसे लोक कला, लोक गीत तथा लोक नृत्य, पहले स्थानीय जगहों तक ही सीमित थे। ये स्थानीय कलाकारों द्वारा या तो फुरसत के क्षणों में किए जाने वाले काम थे या फिर स्थानीय कुलीनों के लिए सजावट के सामान या मनोरंजन के साधन थे। वैश्वीकरण के द्वारा आज इनका विस्तार, इनकी परंपरागत सीमाओं से बहुत दूर तक हो गया है। संस्कृति के उत्पाद, पहले बाजार का माल नहीं थे। किसी तरह जीवन निर्वाह करना, इन कलाओं और हस्तशिल्पों से जुड़े कलाकारों की नियति थी। वैश्वीकरण के एक लाभ के रूप में, स्थानीय संस्कृतियों का वस्तुकरण और मौद्रीकरण हो रहा है। ये संस्कृतियां

वैश्विक स्तर पर अपने बाजार मूल्य के अस्तित्व का आनंद ले रही हैं। कारीगर, अपनी कृतियों का अच्छा मूल्य प्राप्त कर अपनी दीन–हीन दशा को सुधार रहे हैं तथा अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा रहे हैं।

टिप्पणी

1.4.2 नव उदारवाद और वैश्विक पूंजीवाद

अक्सर वैश्विक पूंजीवाद और नव उदारवाद परस्पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। थॉर्स्टन का तर्क है कि नव उदारवाद वैश्विक पूंजीवाद का मुख्य चालक है और वैश्विक पूंजीवाद को नव उदारवाद के प्रभाव और आगे बढ़ने इन दोनों के रूप में देखा जा सकता है। नव उदारवाद एक आर्थिक सिद्धांत और एक वैचारिक दृढ़ विश्वास है जो व्यक्तियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को अधिकतम करने का समर्थन करता है और इस प्रकार राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा को न्यूनतम तक कम करता है। इस संबंध में, यह माल, पूंजी और लोगों की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करने की वकालत करता है। ये सभी वैश्विक पूंजीवाद के तेजी से विकास की प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य को अत्यधिक न्यूनतम और विशुद्ध रूप से नियामक रूप धारण करना चाहिए और अधिकांश प्रकार के आर्थिक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। यह बाजार के विस्तार और बाजार की विविधता को बढ़ावा देगा।

नव उदारवादी क्रांति ने 1970 के दशक में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (SOE) के निजीकरण की लहर को जन्म दिया। नव उदारवाद न केवल वैश्विक वित्त और उत्पादन के लिए रास्ते खोलता है, बल्कि श्रम को एक क्रॉस नेशनल स्तर पर संचालित करने की अनुमति देता है जो वैश्विक पूंजीवाद का एक प्रमुख आधार है।

इस प्रकार, वैश्विक पूंजीवाद दोनों का एक उत्पाद है और इसके लिए नव उदारवादी विचारधारा की स्थापना एक उत्तेजक है। दूसरी ओर, नव उदारवाद वैश्विक विकास और स्थापना को बढ़ावा देता है। यह पूंजीवाद और वैश्विक पूंजीवाद द्वारा कायम है। यह ऊपर उल्लिखित देशों के बाजारों और सरकारी प्रथाओं से स्पष्ट है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि नव उदारवादी विचारधारा को वैश्विक पूंजीवाद के उद्‌गम बिंदु के रूप में माना जाता है, यह वैश्विक पूंजीवाद है जो नव उदारवादी विचारधारा को संस्थागत और निरंतर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

अपने वैश्विक रूप में, उत्पादन, संचय, वर्ग संबंधों और शासन सहित प्रणाली के सभी पहलुओं को राष्ट्र से अलग कर दिया गया है और इसमें पुनर्गठन किया गया है। एक विश्व स्तर पर एकीकृत तरीका स्वतंत्रता और लचीलेपन को बढ़ाता है जिसके साथ निगम और वित्तीय संस्थान संचालित होते हैं। दुनिया में अलग–अलग समय में चार तरह के पूंजीवाद हावी रहे हैं। वे हैं: बाजार के नेतृत्व वाले, राज्य के नेतृत्व वाले, कॉर्पोरेट नेतृत्व वाले और सामाजिक लोकतांत्रिक पूंजीवाद। लेकिन वैश्विक पूंजीवाद आज कॉर्पोरेट नेतृत्व वाले पूंजीवाद के साथ–साथ बाजार के नेतृत्व वाला पूंजीवाद है। अपनी पुस्तक 'लैटिन अमेरिका और वैश्विक पूंजीवाद' में, समाजशास्त्री विलियम आई रॉबिन्सन बताते हैं कि आज की वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी बाजार उदारीकरण और प्रत्येक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आंतरिक पुनर्गठन और वैश्विक

टिप्पणी

एकीकरण तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक नए कानूनी और नियामक अधिरचना के निर्माण का परिणाम है। दोनों के संयोजन का उद्देश्य उदार विश्व व्यवस्था एक खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था और एक वैश्विक नीति व्यवस्था बनाना है जो सीमाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के मुक्त आवागमन और सीमाओं के भीतर पूंजी के मुक्त संचालन की अनुमति देने के लिए सभी राष्ट्रीय बाधाओं को तोड़ती है। अतिरिक्त संचित पूंजी के लिए नए उत्पादक आउटलेट की तलाश ,अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की प्रक्रिया बीसवीं सदी के मध्य में शुरू हुई। यह पूंजीवादी व्यवस्था में कई गुणात्मक बदलावों का प्रतीक है। इनकी चर्चा नीचे की गई है।

- माल का उत्पादन प्रकृति में वैश्विक है।
- पूंजी और श्रम के बीच संबंध वैश्विक दायरे में है, अत्यधिक लचीला है, और इस प्रकार पिछले युगों से बहुत अलग है।
- वित्तीय प्रणाली और संचय के सर्किट वैश्विक स्तर पर काम करते हैं।
- अब पूंजीपतियों का एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ग है (उत्पादन के साधनों के मालिक और उच्च स्तरीय फाइनेंसर और निवेशक)।
- वैश्विक उत्पादन, व्यापार और वित्त की नीतियां विभिन्न संस्थानों द्वारा बनाई और प्रशासित की जाती हैं, जो एक साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय राज्य बनाते हैं।

1. माल का उत्पादन प्रकृति में वैश्विक है। यह सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और एक नई वैश्विक उत्पादन और वित्तीय प्रणाली का उदय है। आज सभी राष्ट्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस नई वैश्विक वित्तीय और उत्पादन प्रणाली से एकीकृत हो गए हैं। आज हमारे पास एक वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जिसमें राष्ट्र उत्पादन प्रक्रिया, वित्त और पूंजी संचय के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से एक–दूसरे से अधिक व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए हैं। कोई भी राष्ट्र–राज्य वैश्विक अर्थव्यवस्था से अछूता नहीं रह सकता है या वैश्विक पूंजीवाद के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिरचना के प्रवेश को रोक नहीं सकता है। निगम अब दुनिया भर में उत्पादन प्रक्रिया को फैला सकते हैं, ताकि उत्पादों के घटकों को विभिन्न स्थानों पर उत्पादित किया जा सके, अंतिम असेंबली दूसरे में की जा सके, जिनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें व्यवसाय शामिल है। वास्तव में, उदाहरण के लिए, Apple, Walmart, और Nike जैसे वैश्विक निगम, माल के उत्पादकों के बजाय विश्व स्तर पर बिखरे हुए आपूर्तिकर्ताओं से माल के मेगाबायर्स के रूप में कार्य करते हैं।

2. पूंजी और श्रम के बीच संबंध के सर्किट वैश्विक दायरे में हैं, अत्यधिक लचीले हैं, और इस प्रकार पिछले युगों से बहुत अलग हैं। क्योंकि निगम अब अपने घरेलू देशों में उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, वे अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारों के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को उत्पादन और वितरण के सभी पहलुओं में रोजगार देते हैं। इस संदर्भ में, श्रम लचीला है। इसका तात्पर्य है कि एक निगम दुनिया के किसी भी हिस्से से योग्य श्रमिकों को आकर्षित कर सकता है और उत्पादन को उन क्षेत्रों में स्थानांतरित कर सकता है जहां श्रम सस्ता या अधिक कुशल है।

3. वित्तीय प्रणाली और संचय के सर्किट वैश्विक स्तर पर काम करते हैं। निगमों और व्यक्तियों द्वारा आयोजित और व्यापार किया गया धन दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर बिखरा हुआ है। इससे संपत्ति पर कर लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। दुनिया भर

के व्यक्ति और निगम अब व्यवसायों, वित्तीय साधनों जैसे स्टॉक या गिरवी और अचल संपत्ति में निवेश करते हैं, अन्य चीजों के अलावा, जहां भी वे चाहते हैं, उन्हें दूर–दूर के समुदायों में प्रभाव स्थापित करने का अवसर मिलता है।

टिप्पणी

4. अब पूंजीपतियों का एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ग है (उत्पादन के साधनों के मालिक और उच्च स्तरीय फाइनेंसर और निवेशक)। इन पूंजीपतियों के साझा हित वैश्विक उत्पादन, व्यापार और वित्त की नीतियों और प्रथाओं को आकार देते हैं। शक्ति के संबंध अब वैश्विक दायरे में हैं, और शक्ति के संबंध राष्ट्रों और स्थानीय समुदायों के भीतर सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं।

एक ट्रांसनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास (TCC) का उदय हुआ है, एक ऐसा वर्ग समूह जिसने दुनिया भर के अधिकांश देशों, उत्तर और दक्षिण से टुकड़ियों को शामिल किया है, और खुद को एक वैश्विक शासक वर्ग के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है।

5. वैश्विक उत्पादन, व्यापार और वित्त की नीतियां विभिन्न संस्थानों द्वारा बनाई और प्रशासित की जाती हैं, जो एक साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय राज्य बनाते हैं। ट्रांसनेशनल स्टेट (TNS) एपराट्यूस का उदय हुआ है। वैश्विक पूंजीवाद के युग ने शासन और अधिकार की एक नई वैश्विक प्रणाली की शुरुआत की है जो दुनिया भर के राष्ट्रों और समुदायों के भीतर होने वाली घटनाओं को प्रभावित करती है। TNS का गठन राष्ट्रीय राज्यों के साथ–साथ ट्रांस और सुपरनैशनल संगठनों से बने एक ढीले नेटवर्क के रूप में किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय संचय के लिए शर्तों को व्यवस्थित करने के लिए कार्य करता है।

अंतर्राष्ट्रीय राज्य के मुख्य संस्थान संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, 20 का समूह, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक हैं। ये संगठन मिलकर वैश्विक पूंजीवाद के नियम बनाते और लागू करते हैं। उन्होंने वैश्विक उत्पादन और व्यापार के लिए एक एजेंडा निर्धारित किया।

6. वैश्विक पूंजीवाद ने अंतर्राष्ट्रीय शोषण और असमानताओं की वृद्धि को जन्म दिया है– वैश्विक पूंजीवाद के कारण, वैश्विक स्तर पर असमानता, वर्चस्व और शोषण के उपन्यास संबंध बढ़ रहे हैं। अब वर्गीय शोषण उद्योग विशिष्ट या स्थानीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर नहीं रह गया है। लेकिन, यह इन सभी सीमाओं में कटौती करता है। असमानताएं अब अंतर्राष्ट्रीय हैं। वे उत्तर–दक्षिण असमानताओं से संबंधित हैं।

1.4.3 आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण

आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण ऐसे मुहावरे हैं जो इतिहास के विभिन्न कालों में विकास साहित्य पर हावी रहे हैं। जबकि औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक युग के दौरान आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया के रूप में दुनिया पर हावी था, वैश्वीकरण 1970 के दशक में चर्चा का विषय बन गया। दोनों में विकास, अर्थ और संघ हैं जो समाज के लोगों की संरचना, कार्यों, संस्कृति, मानवीय संबंधों और प्रथाओं में परिवर्तन का उदाहरण देते हैं। एक शब्दावली के रूप में आधुनिकीकरण वैश्वीकरण का अग्रदूत प्रतीत होता है, जो विकास साहित्य में एक प्रारंभिक उपस्थिति बना रहा है। प्रक्रियाओं के रूप में, दोनों सहज हैं और मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हैं। दुनिया को बदलने में दोनों की उत्प्रेरक भूमिका है।

टिप्पणी

निःसंदेह, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण दोनों ही विश्व को परिवर्तन का चेहरा प्रदान करने के साधन हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आधुनिकीकरण एक अवधारणा के रूप में उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें समाज औद्योगीकरण, शहरीकरण और अन्य सामाजिक परिवर्तनों से गुजरता है जो व्यक्तियों के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की ऐतिहासिक रूप से अपरिहार्य प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया के रूप में इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति और फ्रांस में राजनीतिक क्रांति के साथ हुई थी।

आधुनिकीकरण सबसे पहले पश्चिम में व्यावसायीकरण और औद्योगीकरण की दोहरी प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ। दूसरी ओर वैश्वीकरण, बस्तियों, उपनिवेशों और सांस्कृतिक प्रतिकृतियों के माध्यम से पूरे ग्रह में अमेरिकी और यूरोपीय संस्कृति के विस्तार का परिणाम है और इसका राष्ट्रों में पूंजीवादी विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

रॉबर्टसन जैसे समाजशास्त्री टिप्पणी करते हैं कि वैश्वीकरण मानव सभ्यता की शुरुआत से ही रहा है, लेकिन यह आधुनिकीकरण है जिसने इसे त्वरित गति दी है। टर्नर जैसे विचारकों का सुझाव है कि वैश्वीकरण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के वाहक और कुरियर के रूप में कार्य करता है। ये विचार इस थीसिस को मजबूत करते हैं कि वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण एक दूसरे के पूरक हैं।

निम्नलिखित प्रस्ताव ऊपर दिए गए विवरण से विस्तृत परिणाम के रूप में चलते हैं। वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण अलग–अलग नाम हैं जो विकास की एक ही प्रक्रिया का संकेत देते हैं। वे समकालीन हैं। वे एक दूसरे से अविभाज्य हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। दोनों एक दूसरे के कारण और परिणामी हैं। आधुनिकीकरण अपरिहार्य है और पूंजीवाद के बाद वैश्वीकरण मजबूर है। आधुनिकीकरण परंपराओं को तोड़ रहा है और वैश्वीकरण राष्ट्रों में विभाजित हो रहा है।

आधुनिकीकरण का अर्थ

आधुनिकीकरण एक शब्द के रूप में 1950 और 1960 के दशक में प्रचलित हुआ और अमेरिकी विद्वानों द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया। यह शब्द लैटिन मूल मोडो से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है समकालीन, अभी या नवीनतम।

आधुनिकीकरण का अर्थ है पुराने तरीकों और परंपराओं के तरीकों को छोड़ देना। एक विकसित समाज की सामान्य विशेषताओं को एक आदर्श प्रकार के रूप में सारगर्भित किया जाता है और इसलिए समाज को आधुनिक कहा जाता है, जिस हद तक वह आधुनिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रवादी विचारधारा के विकास, लोकतांत्रिक संघों, साक्षरता में वृद्धि, औद्योगीकरण के उच्च स्तर, शहरीकरण और संचार के जन माध्यमों के प्रसार, सामाजिक गतिशीलता जैसे संकेतक आधुनिकीकरण के प्रतीक हैं।

आधुनिकीकरण शब्द को तीन अलग–अलग दृष्टिकोणों से परिभाषित किया गया है। वे हैं: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, प्रकटवादी परिप्रेक्ष्य, एक विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ईसेनस्टेड और मूर द्वारा सब्सक्राइब किया गया है जो समाज के समय के पैमाने पर बदलते आकार की घोषणा करते हैं। प्रकटवादी परिप्रेक्ष्य अभिव्यंजक पहलुओं पर केंद्रित है जो आधुनिकीकरण का प्रतीक है।

पारंपरिक व्यवस्थाओं के साथ सफलता से पता चलता है कि समाज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में है। विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य पर स्मेलसर द्वारा जोर दिया गया है, जो कहते हैं कि आधुनिकीकरण का अनुमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से लगाया जा सकता है, समाज के निर्वाह से अधिशेष अर्थव्यवस्था की ओर, मानव शक्ति की जगह मशीन शक्ति, तेजी से शहरीकरण, प्रतिनिधि सरकार, वयस्क मताधिकार, प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल, राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण साक्षरता का प्रसार, विशेषज्ञता का विकास, धर्मनिरपेक्षता का प्रसार, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है।

1.4.4 आधुनिकीकरण की परिभाषा एवं विशेषताएं

औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप जहां एक ओर यूरोप में सामंतवाद का पतन हुआ, वहीं दूसरी ओर पूंजीवाद का विकास प्रारंभ हुआ। उद्योगों के कारण नगरीकरण ने गति पकड़ी– गांव, कस्बे बनने लगे, कस्बे नगरों में परिवर्तित हुए और धीरे–धीरे महानगर के विशाल स्वरूप में उभरकर सामने आए। यह सब आधुनिकता का प्रभाव था। 20वीं शताब्दी में पहुंचकर आधुनिकता का परिवेश और अधिक व्यापक हो गया।

आधुनिकता का संबंध एक खास तरह के अनुभव, एक विशेष प्रकार की संस्कृति से है। इसमें आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन होता है जो इसे एक अलग पहचान देता है। आधुनिकता में सांस्कृतिक एकाधिकता (Cultural Pluralism) होती है। अनेक जातियां भाषाएं और संस्कृति क्षेत्र होते हैं। आधुनिकता में लचीलापन होता है और यह हमेशा नए आविष्कारों में जुटी रहती है। इस काल का सौंदर्य बोध (Aesthetic) बड़ा परिष्कृत होता है। इसका पॉप कल्चर जादुई होता है– इसे खान–पान, रहन–सहन, सभी में देखा जा सकता है। आधुनिकता एक प्रकार से औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आइना होती है। यही आधुनिकता जब अत्यधिक विकसित हो जाती है, तब इसे उत्तर आधुनिकता कहते हैं। अब तो इसकी व्याख्या फास्ट–फूड, रेस्टोरेंट, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फोन तथा इंटरनेट चेटिंग के संदर्भ में की जाने लगी है।

परिभाषाएं

समाजशास्त्रियों ने आधुनिकता की परिभाषा विभिन्न संदर्भों में की है। कुछ समाजशास्त्री आधुनिकीकरण को उसके संरचनात्मक पक्ष तक सीमित रखते हैं तो कुछ उसके सांस्कृतिक पहलू पर जोर देते हैं। प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं–

रिटजर के अनुसार, "आधुनिकता एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसे किसी भी तरह नियंत्रण में रखना कठिन है यह चाहे तो सरपट दौड़ कर हवा से बातें कर सकता है और चाहे तो किसी अंधेरे कुएं में धकेल सकता है।"

प्रो. एम.एस. मोरे के अनुसार, "आधुनिकता एक जटिल अवधारणा है क्योंकि जिन समाजों को हम आधुनिक कहते हैं उनमें भी पर्याप्त अंदर देखने को मिलता है।"

प्रो. बी. वी. शाह के शब्दों में, "आधुनिकता केवल एक आर्थिक प्रक्रिया मात्र ही नहीं है, अपितु राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है।"

डॉ. श्यामा चरण दुबे के अनुसार, "आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है।"

टिप्पणी

इस प्रकार, आधुनिकता एक बहुपक्षीय एवं जटिल प्रक्रिया है जो कि एक समाज विशेष के संदस्यों के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करती है। आर्थिक क्षेत्र में आधुनिकता का परिणाम औद्योगीकरण होता है जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने में उत्पादन, श्रम, धन तथा सामग्री का बड़े पैमाने में संगठन, मशीनीकरण तथा नगरीकरण संभव होता है। राजनीतिक क्षेत्र में आधुनिकता की अभिव्यक्ति एक धर्म निरपेक्ष, प्रजातंत्रात्मक कल्याण राज्य के रूप में होती है जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, रोजगार आदि के संबंध में अपने विस्तृत उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है और कानून के सामने सबको समान मानते हुए सबके लिए न्याय उपलब्ध करवाता है। सामाजिक क्षेत्र में आधुनिकता प्रदत्त प्रस्थिति (Ascribed status) की तुलना में अर्जित प्रस्थिति (Achieved) पर अधिक बल देती है और सभी के लिए विवाह, पेशा, परिवार तथा धर्म के मामले में समान अवसरों को उपलब्ध करवाती और अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है।

अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण परिचय और उसके प्रयोग के ज्ञान पर आधारित है। कई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां आधुनिकीकरण को संभव बनाने के लिए आवश्यक मानी गई हैं, जैसे– 1. सकूली शिक्षा के स्तर में बढ़ोत्तरी 2. संचार माध्यमों का विकास, 3. संचार तथा यातायात की उपलब्धता, 4. लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाएं, 5. अधिक नगरीय तथा गतिशील जनसंख्या, 6. संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवार, 7. जटिल श्रम विभाजन, 8. धर्म का घटता प्रभाव तथा 9. पदार्थों तथा सेवाओं के विनिमय के लिए पारंपरिक तरीकों के स्थान पर विकसित बाजार।

संसार में कोई एक आधुनिकता हो, ऐसा नहीं है। यहां बहु–आधुनिकता (Multi-modernities) है। कुछ और लोगों का कहना है कि आधुनिकता तो एक ही है, पर इसके पहलू अनेक हैं। यह विवादास्पद है। इसलिए आधुनिकता का कोई भी स्वरूप हम देखें तो इसमें हमें पूंजीवाद, औद्योगीकरण, प्रजातंत्र और विवेक या बुद्धिसंगतता केंद्रीय लक्षणों के रूप में दिखाई देते हैं। डेहरनडोर्फ का तो यहां तक कहना है कि आधुनिकता के ढेरों लक्षणों के होते हुए भी विवेक इसका प्राणवायु है। इसके बिना आधुनिकता खाली–खाली है।

आधुनिकीकरण की विशेषताएं

किसी भी समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील है या नहीं, इसका अनुमान निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर लगाया जा सकता है–

1. **आधुनिकता की व्यापकत (Wideness of Modernity):** आधुनिकता एक प्रक्रिया है और इसलिए इसमें गतिशीलता है। इसका अस्तित्व केवल समाजशास्त्र या राजनीतिशास्त्र में ही हो, ऐसा नहीं है। यह मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती है। वास्तव में, आधुनिकता का प्रभाव सबसे पहले साहित्य और कला में आया। इसी कारण इस प्रक्रिया को व्यापक कहा जाता है। यह व्यापकता इसका बहुत बड़ा लक्षण है।
2. **आधुनिक समाज का उदय (Emergence of Modern Society):** यद्यपि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आधुनिक समाज का उदय कब हुआ। फिर भी, लगभग सभी यह स्वीकार करते हैं कि इस समाज का प्रारंभ 15वीं–16वीं शताब्दी से है। आज जिसे हम आधुनिक समाज कहते हैं, जिस अर्थ

में इसे समझते हैं, वास्तव में इसका उदय ज्ञानोदय (Enlightement) से है। इसके बाद औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति आए। क्रांति के कुछ लक्षण आधुनिक समाज में अंतर्निहित हैं। आधुनिक समाज कई क्रांतियों की उपज है।

टिप्पणी

2. **आधुनिकता उद्‌विकास का परिणाम (Modernity result of Evolution):** क्रांतियों ने आधुनिकता को जन्म दिया और फिर आधुनिकता का उद्‌विकास प्रारंभ हो गया। कुछ ऐसी ऐतिहासिक जटिल प्रक्रियाएं आईं जिन्होंने आधुनिकता के विकास को एक वैश्वीय स्वरूप प्रदान किया। धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State), वैश्वीय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सामाजिक विरचन (Social Formation) तथा वर्ग और विकसित श्रम–विभाजन ऐसी प्रक्रियाएं रही हैं जिन्होंने आधुनिकता के उद्‌विकास को नई धार प्रदान की है।

4. **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के कारण आधुनिकता का विकास (Development of Modernity due to National and International Processes):** पश्चिमी देशों तथा अमेरिका में आधुनिकता का विकास राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रियाओं के कारण हुआ है। इन देशों का दूसरे देशों के साथ आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध हुआ और इस तरह आधुनिक समाज की उपस्थिति सारी दुनिया में हो गई।

5. **आधुनिकता की पहचान– पूंजीवाद, औद्योगीकरण और धर्मनिरपेक्षता (Modernity is characterised by Capitalism, Industrialism and Secularism):** आधुनिकतावादी लेखक एक–दूसरे से असहमति रखते हैं। कोई किसी एक तथ्य पर जोर देता है और दूसरा किसी और पर। उदाहरण के लिए, गिडिन्स पूंजीवाद, उद्योग, प्रशासनिक शक्ति, सैनिक शक्ति आदि पर जोर तो देते हैं, पर वे यह बराबर कहते हैं कि आधुनिकता इन सब प्रक्रियाओं का गठबंधन है। अपने आप में कोई भी एक प्रक्रिया अधूरी है। यह तो इन सब संस्थाओं का पारस्परिक आदान–प्रदान है जो आधुनिकता को साकार करता है। आधुनिकतावादियों की इस पारस्परिक असहमति के होते हुए भी, निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था, पूंजीवाद, औद्योगीकरण और धर्मनिरपेक्षता आधुनिकता के वैश्वीय लक्षण हैं।

6. **आधुनिकता–उपभोक्ता वस्तुओं की प्रचुरता और विभिन्न जीवन शैलियां (Modernity-Prolification of Consumer Goods and a Variety of Life Styles):** आधुनिक समाज में वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। सारी दुनिया ही बाजार है। देखते ही देखते एक भाग की वस्तुएं दूसरे भाग में पहुंच जाती हैं। इन वस्तुओं में जहां समानता है, वहीं विभिन्नता भी। इस भांति जीवनशैली भी व्यापक हो गई है। आदमी बराबर इस कोशिश में रहता है कि उसकी पहचान बनी रहे। अब व्यक्तिगत जीवन पर कम दबाव दिया जाने लगा है तथा निजी और सार्वजनिक जीवन में जो अंतर रहता है, वह कमजोर हो गया है। एक तरफ तो आधुनिक समाज में सांस्कृतिक एकाधिकता है, व्यक्तिवाद है और दूसरी तरफ शिक्षण संस्थाएं तथा सार्वजनिक उपक्रम इस जीवन में समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में, आधुनिक समाज अपनी संरचना में जटिल हो गया है।

टिप्पणी

7. **शक्ति सभी सामाजिक संबंधों और संघर्षों की संघटक (Power Constitutive Dimension of all Social Relations and Struggles):** आधुनिक समाज में राज्य एक ऐसी शक्तिशाली संस्था है जो नागरिक के संपूर्ण जीवन पर अपना नियंत्रण रखती है। राज्य की नीतियां व्यापक हैं, और इसका दखल समाज की गतिविधियों पर होता है। कहना चाहिए कि राज्य शक्ति का साक्षात स्वरूप है। सभी औद्योगिक समाजों यानी आधुनिक समाजों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था एक व्यापक व्यवस्था है। इस व्यवस्था का एक विकल्प समाजवादी सरकार का था। लेकिन सोवियत रूस के पतन के बाद यह विकल्प अभी खो गया है। यदि प्रजातांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था में कोई संघर्ष है तो यह सत्ता का संघर्ष (Power Politics) है। यह सत्ता ही सामाजिक न्याय के नाम पर बाजार और सामाजिक संगठनों पर काबिज है।

8. **वैश्वीकरण, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू आधुनिकता के आयाम (Aspects of Modernity– Globalization, Economic, Political and Cultural):** आधुनिकता का संबंध वैश्वीकरण से है। देखा जाए तो प्रारंभिक अवस्था में वैश्वीकरण ने ही आधुनिकता को पाला–पोसा था। आज वैश्वीकरण का फैलाव और इसका प्रसार बहुत अधिक हो गया है। अब कई नई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का आविर्भाव हुआ है जिसने संपूर्ण समाज को अपने आगोश में ले लिया है। अब इस नए संदर्भ में आधुनिकता बहु आयामी हो गई है। इसने कई तरह के ऐतिहासिक संघर्ष पैदा कर दिए हैं। सबसे बड़ा संघर्ष तो परंपरा और आधुनिकता का है। आज दुनिया के सामने यक्ष प्रश्न है– बढ़ती हुई आधुनिकता के सामने क्या स्थानीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति जीवित रह पाएगी? दुनिया के विभिन्न समाज क्या सजातीय (Homogeneous) हो जाएंगे? कुल मिलाकर हमें आधुनिकता को वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ देखना होगा। यह इसलिए कि आधुनिकता और वैश्वीकरण का चोली–दामन का साथ है। दूसरा, आधुनिकता का बहुत बड़ा लक्षण वैश्वीकरण भी है।

9. **आधुनिकता या तकनीकी तंत्र (Modernity of Technology):** कुछ समाजशास्त्री आधुनिक समाज को तकनीकी तंत्र का समाज कहते हैं। इनके अनुसार आधुनिकता का बहुत बड़ा लक्षण तकनीकी तंत्र है। जेक्यूज ईल्लल ने कुछ समय पहले अपनी पुस्तक 'दि टेक्नोलोजिकल सोसायटी' में तकनीकी तंत्र की व्याख्या की है। वे तो आधुनिक समाज और तकनीकी तंत्र समाज को पर्यायवाची मानते हैं। वास्तव में तकनीकी तंत्र का समाजशास्त्र में बड़ा ढीला–ढाला प्रयोग करते हैं। सामान्यतया इसका मतलब यंत्रीकरण (Mechanisation) और विशेषकर उत्पादन में काम में ली जाने वाली मशीनों से लिया जाता है। वैसे देखा जाए तो यह आधुनिक समाज वस्तुतः पूंजीपतियों और अभिजात वर्ग के हितों की सबसे पहले सुरक्षा करता है। इस तकनीकी तंत्र ने एक नए प्रकार के आंदोलन को भी जन्म दिया है। जहां आधुनिक समाज है, वहीं औद्योगिक और तकनीकी–तंत्र समाज भी है। और वहीं ऐसे आंदोलन भी हैं जो प्रदूषण और पर्यावरण अपकर्ष (Environmental) के आंदोलन भी हैं।

10. **नवीनतम आधुनिकता का नाम (Modernity Latest):** समाजशास्त्रियों का एक समूह आधुनिकता को काल या समय के साथ भी जोड़ता है। इसके

टिप्पणी

अनुसार जिनके पास नीवनतम वस्तुएं हैं, वे आधुनिक हैं और जिनके पास जितनी अधिक नवीनतम वस्तुएं होती हैं, वे उतने ही अधिक नवीनतम होते हैं। मोटरकार तो कई परिवारों में होती है लेकिन जिसके पास नवीनतम मोटरकार होती है, वह उतना ही अधिक आधुनिक होता है। बिल्कुल आज तक की नीवनतम मोटरकार वाला व्यक्ति आधुनिक ही नहीं आधुनिकतम है। मतलब हुआ कि इस विचारधारा के अनुसार समय या काल ही आधुनिकता को मापने वाला फीता या पट्टी है।

11. **आधुनिकता एकाकीपन, प्रतियोगिता और उत्तेजित असंतोष का पर्याय (Modernity is Lonliness, Competition and Secthing Dissatisfaction):** आधुनिकता एक विशेष प्रकार की जीवनशैली है। इसमें संपूर्ण समाज का चरित्र बौखलाया हुआ सा लगता है। हर आदमी दौड़ता दिखाई देता है। भीड़ में भी वह एकदम अकेला महसूस करता है। अकेलापन उसकी नियति हो जाती है। दूसरा, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतियोगिता करता दिखाई देता है। रात और दिन भाग–दौड़ करते हुए भी कहीं उसे संतोष नहीं मिलता। उसका यह असंतोष तो कभी–कभी उत्तेजित हो जाता है। आधुनिकता के ये लक्षण एकाकीपन, प्रतियोगिता और असंतोष–मनुष्य की मनःस्थिति को दर्शाते हैं।

12. **आधुनिकता का वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण से संबंध (Globalization, Liberalization and Privatization are Associates of Modernity):** कुछ समाजशास्त्रियों का विचार है कि आधुनिकता की व्यापकता उसमें निहित वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण में हैं। पहले आधुनिकता में औद्योगीकरण था। पर आज इसमें कई नए मूल्यों का समावेश हो गया है। वैश्वीकरण अपने आप में बहुत बड़ा मूल्य है। यह वैश्वीकरण ही उदारीकरण और निजीकरण को प्रोत्साहित करता है। इसीलिए इन सब मूल्यों को हम आधुनिकता के भाई–बंध कहते हैं।

1.4.5 आधुनिकीकरण के लक्षण

आधुनिक समाज की विशेषता, विभेदीकरण और सामाजिक लामबंदी है। ईसेनस्टेड ने उन्हें आधुनिकीकरण की पूर्व–आवश्यकताएं कहा है। जैसे–जैसे सामाजिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण होता है, सामाजिक संरचनाओं की नई एजेंसियां समाज की उन निष्क्रिय एजेंसियों और संस्थाओं के कार्यों को पूरा करने के लिए उभरती हैं। जब सामाजिक संरचना की विभिन्न एजेंसियां कुछ विशिष्ट कार्यों को करने में माहिर होती हैं, तो इसे विभेदीकरण कहा जाता है। इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए, विभेदीकरण कार्यात्मक रूप से विशिष्ट सामाजिक संरचनाओं के विकास को संदर्भित करता है। स्मेलसर के अनुसार, आधुनिकीकरण में आमतौर पर संरचनात्मक भेदभाव शामिल होता है।

आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से, एक जटिल संरचना जो कई कार्य करती है, कई विशिष्ट संरचनाओं में विभाजित होती है जो प्रत्येक में केवल विशेष कार्य करती है। आइजनस्टाट के लिए सामाजिक लामबंदी का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें पुरानी सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिबद्धताओं के प्रमुख समूह नष्ट हो जाते हैं और टूट जाते हैं और लोगों के लिए समाजीकरण और व्यवहार के नए

स्वरूप उपलब्ध हो जाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुराने सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक तत्व बदल जाते हैं और मानव आचरण के नए सामाजिक मूल्य विकसित होते हैं और समाज में स्वीकार किए जाते हैं।

टिप्पणी

आधुनिकीकरण के विभिन्न घटकों में शामिल हैं– औद्योगीकरण, शहरीकरण, धर्मनिरपेक्षता, मीडिया और संचार क्रांति, साक्षरता में वृद्धि और शिक्षा का प्रसार, सूचना उछाल, तकनीकी उन्नयन और वैज्ञानिक भावना का विकास। इस प्रकार आधुनिक समाज जन संचार के तीव्र विकास, साक्षरता और शिक्षा के प्रसार की विशेषता है। पारंपरिक समाज के विपरीत, आधुनिक समाज भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करता है जिसके परिणामस्वरूप आबादी के बीच लंबी जीवन प्रत्याशा और व्यावसायिक तथा भौगोलिक गतिशीलता की उच्च दर होती है। जिनमें सामाजिक रूप से, परिवार और अन्य प्राथमिक समूहों की विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं।

आधुनिकीकरण तकनीकी उत्तोलन को भड़काता है। उपकरण से मशीन तक, मानव और पशु शक्ति के उपयोग से निर्जीव शक्ति में बदलाव आया है। मशीन आधारित उत्पादन मानव आधारित उत्पादन की जगह लेता है। उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि होती है। धन की वृद्धि, तकनीकी विविधीकरण, विभेदीकरण और विशेषज्ञता के कारण श्रम का एक नया विभाजन, औद्योगीकरण और शहरीकरण हो रहा है। इस प्रकार, आधुनिकीकरण समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और सामाजिक संस्कृति को छूता है।

आर्थिक क्षेत्र में कुछ विद्वानों ने आधुनिकीकरण की विशेषताओं का विश्लेषण किया है। रॉबर्ट वार्ड ने आर्थिक आधुनिकीकरण की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाला। इन विशेषताओं में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के निर्जीव स्रोतों का गहन अनुप्रयोग, श्रम की उच्च विशेषज्ञता और अवैयक्तिक बाजार की अन्योन्याश्रयता, बड़े पैमाने पर वित्तपोषण और आर्थिक निर्णय लेने की एकाग्रता और भौतिक कल्याण के बढ़ते स्तर आदि शामिल हैं। आत्मनिर्भर आर्थिक विकास और योजना के माध्यम से आर्थिक विकास के नियंत्रण को संस्थागत बनाने के प्रयास पर कॉर्नेल द्वारा जोर दिया गया है। मैरियन लेवी जैसे समाजशास्त्री के लिए, एक समाज में कम या ज्यादा आधुनिकीकरण किया जाता है जिससे कि उसके सदस्य शक्ति के निर्जीव स्रोतों का उपयोग करते हैं या अपने प्रयासों के प्रभावों को दुगुना करने के लिए उपकरणों का उपयोग करते हैं।

ईसेनस्टेड आर्थिक आधुनिकीकरण की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। वे हैं– वितरण के आधार के रूप में मानव और पशु शक्ति के लिए उत्पादन, बिजली या परमाणु जैसी निर्जीव शक्ति का प्रतिस्थापन, परिवहन और संचार, पारंपरिक समायोजन (Settings) से आर्थिक गतिविधियों का पृथक्करण, मशीन और प्रौद्योगिकी द्वारा इसके प्रतिस्थापन में वृद्धि, माध्यमिक (औद्योगिक, वाणिज्यिक) क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र (सेवा) व्यवसायों का विकास। आर्थिक भूमिकाओं और आर्थिक–गतिविधियों, उत्पादन की इकाइयों की बढ़ती विशेषज्ञता।

तीव्र और दृश्यमान औद्योगीकरण, आर्थिक–आधुनिकीकरण की पहचान है। राजनीतिक वैज्ञानिक जैसे आर.ई. वार्ड और रुस्तो ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की कुछ विशेषताएं प्रदान करने का प्रयास किया है। उनका तर्क है कि एक आधुनिक राजनीति सरकारी संगठन की अत्यधिक विभेदित और कार्यात्मक रूप से विशिष्ट प्रणाली है। यह सरकारी ढांचे के भीतर उच्च स्तर का एकीकरण है। राजनीतिक निर्णय

तर्कसंगत और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों द्वारा संचालित होते हैं और अत्यधिक कुशल होते हैं। आरोपण के स्थान पर राजनीतिक उपलब्धियां भूमिकाओं के आवंटन का आधार बनती हैं। न्यायिक और नियामक तकनीक मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष और अवैयक्तिक कानून व्यवस्था पर आधारित है।

टिप्पणी

आधुनिक समाज में शिक्षा प्रणाली विभिन्न पेशेवर और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देती है, उन्हें वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करती है। शैक्षिक सेवाओं का आपूर्ति पक्ष भी बहुत विविध और विभेदित हो जाता है। आधुनिकीकरण के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं: एक संस्थागत या संगठनात्मक पहलू और दूसरा सांस्कृतिक पहलू है। जहां दृष्टिकोण का पहला पहलू संगठित करने के तरीकों पर जोर देता है, वहीं दूसरा सोचने और महसूस करने के तरीकों को प्राथमिकता देता है।

मैनिंग नैश आधुनिकीकरण की परिभाषा को निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत करता है: आधुनिकता सामाजिक मनोवैज्ञानिक ढांचा है, जो उत्पादन की प्रक्रिया में विज्ञान के अनुप्रयोग की सुविधा प्रदान करता है और आधुनिकीकरण समाजों, संस्कृतियों और व्यक्तियों को उनके दैनिक जीवन के लिए परीक्षण किए गए ज्ञान के विकास, व्यवसाय में रोजगार के लिए ग्रहणशील बनाने की प्रक्रिया है।

सामाजिक–मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आधुनिकीकरण को मुख्य रूप से समझने, व्यक्त करने और मूल्यांकन करने के तरीकों में परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में मानता है। आधुनिकीकरण के मनोवैज्ञानिक सूत्रीकरण इस प्रक्रिया को व्यक्तियों के प्रेरक गुणों या अभिविन्यास के एक समूह के साथ जोड़ते हैं, जिन्हें प्रकृति में मोबाइल, सक्रिय और नवीन कहा जाता है। डैनियल लर्नर इसे मानसिक गतिशीलता कहते हैं, जो मनुष्य में सहानुभूति, तर्कसंगतता और संकुचित प्रतिभागी शैली की भावना के साथ अपने पर्यावरण का जवाब देने के लिए एक अनुकूली विशेषता है।

आधुनिकीकरण में न केवल संस्थागत स्तर में परिवर्तन शामिल है बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर मौलिक परिवर्तन, सोच के तरीकों में बदलाव और विश्वास भी शामिल हैं। इस प्रकार कई अंतःक्रियात्मक परिवर्तनों के लिए कहा जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को परखना चाहिए, मूल्यों और प्रेरणाओं को बदलना चाहिए और संस्थागत व्यवस्थाओं को फिर से काम करना चाहिए। इन विशेषताओं का एकीकृत संयोजन आधुनिकीकरण की ओर ले जाता है।

परिवर्तन व्यक्तिगत (सूक्ष्म) और सामाजिक व्यवस्था (मैक्रो) दोनों स्तरों पर होते हैं और ये दोनों स्तर परस्पर अनन्य नहीं हैं। समाज के आधुनिकीकरण की दिशा में संरचनात्मक परिवर्तनों के अनुरूप लोगों के दृष्टिकोण, विश्वास और व्यवहार में भी परिवर्तन आते हैं।

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि आधुनिकीकरण में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं जो लोगों के दृष्टिकोण और विश्वास में परिवर्तन लाते हैं। सामान्य सहमति है कि, आधुनिकीकरण एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन है जो अपने प्रभाव में परिवर्तनकारी और इसके प्रभावों में प्रगतिशील दोनों है। इसका दायरा भी व्यापक है। एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में, यह समाज की लगभग हर संस्था को छूता है।

समाजशास्त्री, रोलैंड रॉबर्टसन के अनुसार वैश्वीकरण एक अवधारणा के रूप में दुनिया के संपीड़न और समग्र रूप से दुनिया की चेतना की गहनता दोनों को संदर्भित करता है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा राष्ट्रीय और

टिप्पणी

क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं, समाज और संस्कृतियां, व्यापार, संचार, अप्रवास और परिवहन के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से एकीकृत हो गई हैं। यह विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की एक प्रक्रिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश द्वारा संचालित तथा सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सहायता प्राप्त प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का पर्यावरण पर, संस्कृति पर, राजनीतिक व्यवस्था पर, आर्थिक विकास और समृद्धि पर तथा दुनिया भर के समाजों में मानव भौतिक कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। डब्ल्यूएचओ वैश्वीकरण को वैश्वीकरण, या लोगों और देशों की बढ़ी हुई अंतर्संबद्धता और अन्योन्याश्रयता के रूप में परिभाषित करता है, आमतौर पर दो परस्पर संबंधित तत्वों को शामिल करने के लिए समझा जाता हैः अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार माल सेवाओं, वित्त, लोगों और विचारों के तेजी से प्रवाह के लिए सीमाओं का उद्घाटन; अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत और नीतिगत व्यवस्थाओं में बदलाव जो ऐसे प्रवाह को सुविधाजनक या बढ़ावा देते हैं। यह माना जाता है कि वैश्वीकरण का विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है।

वैश्वीकरण चार प्रकार के परिवर्तन की विशेषता है – पहला, इसमें राजनीतिक सीमाओं, क्षेत्रों और महाद्वीपों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार शामिल है। दूसरा, व्यापार, निवेश, वित्त, प्रवास, संस्कृति, आदि के अंतर्संबंध और प्रवाह की तीव्रता, या बढ़ते परिमाण का सुझाव देता है। तीसरा, वैश्विक अंतर्संबंध की बढ़ती व्यापकता और तीव्रता को वैश्विक स्तर पर तेजी से जोड़ा जा सकता है। बातचीत और प्रक्रियाओं, विश्वव्यापी परिवहन और संचार प्रणालियों के विकास से विचारों, वस्तुओं, सूचना, पूंजी और लोगों के प्रसार की गति बढ़ जाती है। चौथा, वैश्विक अंतःक्रियाओं की बढ़ती हुई तीव्रता और वेग को उनके गहन प्रभाव से जोड़ा जा सकता है जैसे कि दूर की घटनाओं के प्रभाव कहीं और अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं और यहां तक कि अधिकांश स्थानीय विकास के वैश्विक परिणाम भी हो सकते हैं। इस अर्थ में, घरेलू मामलों और वैश्विक मामलों के बीच की सीमाएं तेजी से धुंधली हो सकती हैं। संक्षेप में, वैश्वीकरण को विश्वव्यापी अंतर्संबद्धता के व्यापक, तीव्र, तेज और बढ़ते प्रभाव के रूप में माना जा सकता है।

वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के बीच अंतर्संबंध

वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के बीच अंतर्संबंध काफी जटिल है। वे एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रकृति में अविभाज्य हैं। यद्यपि समाजशास्त्री इस तथ्य पर सहमत हैं कि दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं, इस बारे में अक्सर तर्क होता है कि कौन सी प्रक्रिया पूर्ववर्ती है और कौन सी उत्तराधिकारी है। हालांकि, यह स्थापित है कि वैश्वीकरण के बिना कोई आधुनिकीकरण नहीं हो सकता है और यह आधुनिकीकरण है जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्तेजित और तेज करता है तथा गति देता है। अतः दोनों एक दूसरे के लिए कारण और परिणामी हैं।

वैश्वीकरण इंटरकनेक्टिविटी या संस्कृति, राष्ट्रीय सीमाओं के पार राजनीति और सामाजिक अर्थव्यवस्था का इंटरलिंकिंग है। यह एक ऐसी प्रक्रिया का प्रतीक है जिसके द्वारा राष्ट्रीय सीमाएं ढह जाती हैं और व्यक्तियों, विचारों, वित्त का प्रवाह या आदान–प्रदान आसान और सुगम हो जाता है। ये सभी तत्व समाज के आधुनिकीकरण में योगदान करते हैं। यदि हम आधुनिकीकरण को उस प्रक्रिया के संदर्भ में परिभाषित करते हैं

टिप्पणी

जिसमें समाज औद्योगीकरण, शहरीकरण और अन्य सामाजिक परिवर्तनों से गुजरता है जो व्यक्तियों के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है, तो वैश्वीकरण आधुनिकीकरण की इन सभी विशेषताओं को सुनिश्चित करने में उत्प्रेरक बन जाता है।

वैश्वीकरण प्रगतिशील है क्योंकि यह विचारों, नवाचारों, प्रथाओं को फैलाता है जो पूर्व आधुनिक समाज को, अपने पुराने विचारों और प्रथाओं को छोड़ देता है और सोचने के नए तरीकों को अपनाता है तथा आधुनिक बनाने के लिए काम कर रहा है।

वैश्वीकरण का आधुनिकीकरण से गहरा संबंध है। प्रारंभिक आधुनिकीकरण (अर्थात जब 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की) से लेकर आज के आधुनिकीकरण तक, वैश्वीकरण से तेजी आई है। वैश्वीकरण का विकास विशेष रूप से २०वीं शताब्दी के बाद अधिकतम स्तर तक बढ़ गया है। यह अवधि आधुनिकीकरण का तीसरा चरण भी है, जो आधुनिकीकरण के वैश्वीकरण से संकेतित है। आधुनिकीकरण का वैश्वीकरण औद्योगीकरण, शहरीकरण, पूंजीवाद, आधुनिक राष्ट्र राज्यों और जन सामाजिक आंदोलन के माध्यम से उभरता है। दूसरे शब्दों में, इन पांच प्रक्रियाओं से वैश्वीकरण को गति मिली है।

वैश्वीकरण संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है। इससे बेहतर आर्थिक विकास होता है। काम के माहौल, कार्य संस्कृति, रोजगार बाजार के विधिकरण, नए रोजगार के अवसरों का निर्माण, और शिक्षा की सामग्री के विकास में बदलाव आता है, शिक्षाशास्त्र जो अधिक समतावादी, मानवतावादी, धर्मनिरपेक्ष, गैर सामंती और लोकतांत्रिक मूल्यों को लाता है, एक समाज के आधुनिकीकरण का प्रतीक है। विल्बर्ट ई. मूर ने आधुनिकीकरण को पारंपरिक या पूर्व–आधुनिक समाज का कुल परिवर्तन, प्रौद्योगिकी और संबद्ध सामाजिक संगठन के रूप में परिभाषित किया है जो पश्चिमी दुनिया के उन्नत आर्थिक रूप से समृद्ध और अपेक्षाकृत राजनीतिक रूप से स्थिर राष्ट्रों की विशेषता है। वैश्वीकरण तेजी से तकनीकी स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है।

प्रौद्योगिकी अब मूल देश का एकाधिकार नहीं है, लेकिन जल्द ही उन देशों में फैल जाती है जहां उत्पादन होता है। इस प्रकार, तकनीकी रूप से कमजोर राष्ट्रों ने तकनीकी सहायता और जानकारी हासिल की है जो उनके बोझ को कम करती है। आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के आगे के प्रसार के कारण प्रौद्योगिकी, मीडिया क्रांति एक ठोस आकार लेती है। संचार का प्रसार होता है और संचार प्रौद्योगिकी अधिक गति से विकसित होती है। समाचार और सूचना सेवाओं का विकास होता है। आईटीसी लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने, लोगों की जागरूकता बढ़ाने, उनकी धारणा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सार्वजनिक मामलों में बढ़ती भागीदारी में परिणत होता है। यह आधुनिकीकरण की एक दृश्यमान विशेषता है। जागरूक राजनीतिक भागीदारी, जनमत स्थिर और स्थायी लोकतंत्र की नींव बन जाता है जो राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रतीक है।

आधुनिकीकरण के दो महत्वपूर्ण पहलू; संस्थागत या संगठनात्मक पहलू और अन्य सांस्कृतिक पहलू हैं जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से काफी हद तक संचालित होते हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण विवाह, परिवार, रिश्तेदारी, जाति, शिक्षा, धर्म, संपत्ति और कानूनी व्यवस्था की संस्थाओं में भारी और नाटकीय परिवर्तन होते हैं। वैश्वीकरण के समरूपीकरण प्रभावों के कारण राष्ट्रीय कानूनों पर मानवाधिकार, सामाजिक न्याय,

टिप्पणी

समानता, वितरणात्मक न्याय के उभरते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून हावी हो गए हैं। इसलिए पारंपरिक संस्थाओं ने अपनी कठोरता को त्याग दिया है और वैश्वीकरण के बाद के वर्षों में नई विशेषताओं का अधिग्रहण किया है। क्षेत्रीय कानूनों के कमजोर होने से इन संस्थानों में बदलाव आया है, जिससे उन्हें अपने ढांचे और कामकाज में आधुनिकीकरण मिला है।

किसी समाज की संस्कृति के आधुनिकीकरण में वैश्वीकरण का प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वैश्वीकरण के कारण बड़े पैमाने पर पर्यटन दुनिया की एक सतत विशेषता रही है। इसने सांस्कृतिक आदान–प्रदान के माध्यम से विचारों, प्रथाओं के परस्पर निषेचन को प्रोत्साहित किया है। अब स्थानीय संस्थानों में वैश्विक विशेषताओं की पहचान की जाती है, जीवन के व्यक्तिगत तरीके और स्थानीय विशेषताओं को वैश्विक स्तर पर ले जाया जाता है। सांस्कृतिक संकरण, सामंजस्य और समरूपीकरण प्रभावों के कारण पोशाक, आहार, पेय, नृत्य में जबरदस्त परिवर्तन हो रहे हैं। इन सभी ने एशियाई और अफ्रीकी देशों में जबरदस्त सांस्कृतिक आधुनिकीकरण लाया है। वैश्वीकरण के बिना आधुनिकीकरण एक मिथक बना हुआ है। इतिहास स्पष्ट रूप से बताता है कि वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण साथ–साथ चले हैं और एक दूसरे के पूरक हैं।

कार्ल मार्क्स से लेकर डेनियल बेल और मैक्स वेबर से लेकर सैमुअल हंटिंगटन तक के लेखन ने अनुमान लगाया है कि सांस्कृतिक मूल्यों का समाज और सांस्कृतिक परिवर्तनों पर निश्चित और निर्धारित प्रभाव पड़ता है और विदेशी आक्रमण, घुसपैठ और पैठ के प्रभाव के कारण सांस्कृतिक परिवर्तन खत्म हो गए हैं, जिनका सांस्कृतिक परिवर्तन और प्रभावित आधुनिकीकरण पर व्यापक प्रभाव है। यूरोप में उत्पन्न होने वाली वैश्विक विजय का प्रभाव रहा है। इससे एशियाई और अफ्रीकी देशों में यूरोपीय संस्कृति और तर्कसंगतता का प्रसार हुआ। इस प्रकार, विजयों से न केवल राजनीतिक विस्तार हुआ, बल्कि सांस्कृतिक संपर्क की तीव्रता और नए सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाने से आधुनिकीकरण हुआ।

औपनिवेशिक विस्तार की अवधि के दौरान वैश्वीकरण का नेतृत्व किया गया था। जेम्सन और मियोशी ने प्रस्तावित किया कि उपनिवेशित देशों में बौद्धिक, सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति यूरोपीयकरण का उत्पाद थी क्योंकि यूरोप दुनिया के गरीब, कम सभ्य लोगों द्वारा अनुकरण किया गया था। विश्व इतिहासकार टिप्पणी करते हैं कि दुनिया का सिकुड़ना 1492 की शुरुआत में शुरू हुआ था। बड़े पैमाने पर प्रवास, क्रॉस कल्चरल और क्रॉस कंट्री व्यापार, युद्ध और उपनिवेशीकरण ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से राष्ट्रों के पाठ्यक्रम को बदल दिया है। मैडोना, माइकल जैक्सन, मैक डोनाल्ड, नाइके जैसे कॉर्पोरेट लोगों जैसे चरित्र पारंपरिक देशों की संस्कृति में आधुनिकीकरण लाए हैं।

वैश्वीकरण न केवल आधुनिकीकरण लाता है, बल्कि आधुनिकीकरण बहुत हद तक वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कई उदाहरणों में आधुनिकीकरण वैश्वीकरण का अग्रदूत है। आधुनिकीकरण नवीनतम को स्वीकार कर रहा है। जब कोई समाज तैयार होता है और उभरती हुई प्रवृत्तियों को अपनाने का अभ्यास करता है, तब आधुनिकीकरण होता है। यह परिवर्तनकारी और प्रगतिशील है जो वैश्वीकरण को स्वीकार करने और अपनाने में मदद करता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक

टिप्पणी

संस्थाओं की राजनीतिक विचारधाराओं, मानदंडों और कार्यों में परिवर्तन लाता है, जिससे वे लोकतंत्र जैसी वैश्विक मानक प्रथाओं को अपनाते हैं, मानवाधिकारों और वैचारिक बदलावों पर संकीर्णता से सार्वभौमिकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शासन प्रणाली के आधुनिक दृष्टिकोण के कारण भारत में संरचनात्मक समायोजन संभव हो गया, जो वैश्वीकरण को स्वीकार करने के लिए और अनुकूल बनाने के लिए प्रणाली में बदलाव लाने के लिए उद्यम कर सकता था। आधुनिकीकरण का संकेत देने वाली प्रगतिशील राजनीतिक विचारधाराओं ने सरकारों को वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ राष्ट्र को मुख्यधारा में लाने और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अपनी सीमाओं और राष्ट्रों के बाजारों को खोलने में सक्षम बनाया।

आर्थिक आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप संसाधनों के इष्टतम उपयोग ने निस्संदेह अर्थव्यवस्थाओं को निर्वाह से अधिशेष राज्य की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। इससे उत्पादकता में वृद्धि हुई। श्रम शक्ति के आधुनिकीकरण ने उत्पादन में गुणवत्ता जोड़ने में मदद की, प्रौद्योगिकियों के आधुनिकीकरण ने उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की ताकि राष्ट्रों को उत्पाद विविधताओं की शुरूआत के साथ प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार में शामिल होने में सक्षम बनाया जा सके। इसने स्थानीय को वैश्विक से जोड़ा और वैश्वीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया।

मनोवैज्ञानिक आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप उपलब्धि के लिए अधिक प्रेरणा भी वैश्वीकरण समर्थक थी। इसने लोगों की जरूरतों को बढ़ाया और उन्हें अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया जिससे वैश्विक संपर्क बढ़ाने में मदद मिली। संरचनात्मक आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप शिक्षा संस्थान, धर्म और मीडिया जैसे संस्थान बदल गए। आधुनिक शिक्षा, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और मीडिया क्रांति की शुरुआत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज करने में मदद की। वे लोगों के रवैये को बदलकर, उन्हें नवाचारों, तकनीकी आविष्कारों, नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए और अधिक उन्नत बनाकर वैश्वीकरण की प्रक्रिया को फैलाने के लिए अत्यधिक उपज देने वाले बन गए। मीडिया दूर–दराज के लोगों को जोड़ सका और आपस में जुड़ाव बढ़ने लगा। ये सभी वैश्वीकरण का नेतृत्व करने के लिए एक प्रस्तावना और तंत्र बन गए।

इस प्रकार वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का इनपुट और आउटपुट दोनों है। इसी प्रकार वैश्वीकरण भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का परिणाम और प्रेरक है। अतः वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बिना आधुनिकीकरण की कल्पना नहीं की जा सकती और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के बिना वैश्वीकरण की कल्पना नहीं की जा सकती।

1.4.6 वैश्वीकरण की विशिष्ट विशेषताएं

वैश्वीकरण एक सामाजिक और ऐतिहासिक वास्तविकता है। यह सामाजिक परिवर्तन की एक सतत प्रक्रिया है जो लोगों, आस–पड़ोस, शहरों, क्षेत्रों और देशों को पहले से कहीं अधिक निकटता से जोड़ती है। इसके परिणामस्वरूप विविध वस्तुओं, समुदायों, विचारों और सूचनाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ी है और इस तरह समाजों में तेजी से परिवर्तन सुनिश्चित हुआ है। प्रारंभिक वर्षों में, वैश्वीकरण को अनिवार्य रूप से एक आर्थिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता था। तदनुसार, इसे सौंपी गई विशेषताएं प्रकृति

टिप्पणी

में अधिक आर्थिक थीं। इन विशेषताओं ने अधिक आर्थिक सार और कुछ राजनीतिक मूल्य प्राप्त किए। ये थे : 1 सीमाहीन दुनिया 2 उदारीकरण 3 मुक्त व्यापार 4 विस्तारित आर्थिक गतिविधियां सीमा रहित विश्वः वैश्वीकरण की सबसे उत्कृष्ट आर्थिक विशेषता एक सीमाहीन दुनिया का परिचय और अभ्यास है। एक "सीमाहीन दुनिया" की धारणा का सीधा मतलब राजनीतिक "विखंडीकरण" है। "विदेशीकरण" की अवधारणा का अर्थ है कि विश्व मामलों में क्षेत्रीय घटक का महत्व बहुत कम है। पिछले कुछ सौ वर्षों के लिए क्षेत्रीय संरचनाएं और डिब्बे, जो राज्य प्रणाली के एक बुनियादी घटक का गठन करते हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत संरचनात्मक परिवर्तन का अनुभव करते हैं। यह एक ऐसी दुनिया की छवियों को उजागर करता है जिसमें सामान, सेवाएं, पूंजी और सूचना प्रवाहित होती है। राष्ट्रीय सीमाओं की इस दुनिया में, कहां उत्पादन करना है, कहां दुकान स्थापित करनी है, निवेश करना है और बचत करनी है, यह विकल्प अब राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर सीमित नहीं हैं। उन्होंने एक निश्चित वैश्विक अभिविन्यास लिया है। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि वैश्वीकरण ने देशों के बीच आर्थिक भेदों को धुंधला कर दिया है, एक "सीमाहीन दुनिया" का निर्माण किया है जिसमें राष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ के बिना आर्थिक निर्णय किए जाते हैं। इस प्रकार, वैश्वीकरण भू–राजनीतिक सीमाओं को ध्वस्त कर देता है और राष्ट्रों के बीच की दूरी को संकुचित कर देता है। यह वैश्वीकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है।

उदारीकरण– वैश्वीकरण और उदारीकरण एक दूसरे से निकटता से संबंधित अवधारणाएं हैं। वैश्वीकरण उदारीकरण की स्थिति में ही हो सकता है। उदारीकरण से तात्पर्य उन आरामदेह सामाजिक और आर्थिक नीतियों से है जिनके परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अर्थव्यवस्था का बेहतर एकीकरण होता है। वैश्वीकरण और उदारीकरण दोनों आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप होते हैं। उदारीकरण एक विशेष क्षेत्र के प्रति व्यक्ति व्यापार, निर्यात को बढ़ाने के लिए आर्थिक, औद्योगिक, निवेश, वित्तीय और व्यावसायिक नीतियों को उदार बनाने की एक प्रक्रिया है। सामान्य तौर पर, यह प्रतिबंधों को हटाने के लिए संदर्भित करता है; आमतौर पर सरकारी नियम और कानून सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक मामलों पर लागू होते हैं। उदारीकरण शायद व्यापार, आर्थिक, या पूंजी बाजार से संबंधित हो। व्यापार उदारीकरण आयात या निर्यात पर प्रतिबंधों को कम करने और मुक्त व्यापार को सुविधाजनक बनाने के संबंध में हो सकता है। आर्थिक उदारीकरण आमतौर पर अधिक निजी संस्थाओं को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए संदर्भित करता है, और पूंजी बाजार उदारीकरण का तात्पर्य ऋण और इक्विटी बाजारों पर लगाए गए प्रतिबंधों को कम करना है। इस प्रकार, उदारीकरण उद्योगपति/व्यवसायी को अपने देश या विदेश में उद्योग, व्यापार या वाणिज्य स्थापित करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करता है; देशों के बीच पूंजी, माल, सेवा और प्रौद्योगिकियों का मुक्त आदान–प्रदान। उदारीकरण के बिना वैश्वीकरण नहीं हो सकता।

मुक्त व्यापार– मुक्त व्यापार एक उदार आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक है जो संरक्षणवाद और अलगाव को रोकता है। सीधे शब्दों में कहें तो वैश्वीकरण दुनिया को एक अलग दुनिया से एक एकीकृत दुनिया में बदलने की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण अर्थशास्त्र, राजनीति, विचार, सांस्कृतिक मूल्यों और ज्ञान के आदान–प्रदान में अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में परिवर्तन की एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है।

टिप्पणी

वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताएं राष्ट्रों के बीच मुक्त व्यापार में वृद्धि, सीमाओं के बीच पूंजी की आसान आवाजाही और विदेशी निवेश में भारी वृद्धि हैं। इसका परिणाम छोटे व्यवसायों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों दोनों के लिए विकास में होता है, जो दुनिया भर में नए बाजारों तक पहुंच सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप देशों और महाद्वीपों के बीच परिवहन और संचार में वृद्धि होती है।

आर्थिक गतिविधियों का वैश्वीकरण– एक प्रक्रिया के रूप में वैश्वीकरण का विस्तार होता है, गति तेज होती है, और दुनिया भर में परस्पर जुड़ाव बढ़ता है। यह चार प्रकार के परिवर्तन की विशेषता है। सबसे पहले, इसमें सीमाओं, क्षेत्रों और महाद्वीपों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार शामिल है। दूसरा, यह व्यापार, निवेश, वित्त, प्रवास, संस्कृति, आदि के अंतर्संबंध और प्रवाह की गहनता, या बढ़ते परिमाण द्वारा चिह्नित है। तीसरा, इसे विकास के रूप में वैश्विक अंतःक्रियाओं और प्रक्रियाओं में तेजी से जोड़ा जा सकता है। परिवहन और संचार की विश्वव्यापी व्यवस्था के कारण विचारों, वस्तुओं, सूचनाओं, पूंजी और लोगों के प्रसार की गति बढ़ जाती है। और चौथा, इसका परिणाम वैश्विक अंतःक्रियाओं की बढ़ती तीव्रता, तीव्रता और वेग में होता है। इस अर्थ में, घरेलू मामलों और वैश्विक मामलों के बीच की सीमाएं तेजी से तरल होती जा रही हैं। वैश्वीकरण वस्तुओं और सेवाओं के सीमा पार व्यापार के बढ़ते पैमाने, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के प्रवाह और प्रौद्योगिकियों के व्यापक और तेजी से प्रसार के परिणामस्वरूप विश्व अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती अन्योन्याश्रयता को संदर्भित करता है। यह बाजार की सीमाओं के निरंतर विस्तार और आपसी एकीकरण को दर्शाता है, और सहस्राब्दी के मोड़ पर पूरी दुनिया में आर्थिक विकास के लिए एक अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति है।

वैश्वीकरण की सामान्य विशेषताएं उसकी आर्थिक विशेषताओं से परे हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं–

1. वैश्वीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम एक समान नहीं हैं।
2. वैश्वीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है।
3. वैश्वीकरण समाज के लिए विकासात्मक और हानिकारक दोनों है।
4. वैश्वीकरण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है।
5. वैश्वीकरण एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है।
6. वैश्वीकरण से संकरण, समरूपीकरण और सामंजस्य होता है।
7. वैश्वीकरण से फैलाव और प्रसार होता है।
8. वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है।
9. वैश्वीकरण एक ऊपर से नीचे की प्रक्रिया है।
10. वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप विक्षेत्रीकरण होता है।

विशेषताओं का विवरण इस प्रकार है–

वैश्वीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम एक समान नहीं हैं– वैश्वीकरण हर समाज में होता है, चाहे समय और स्थान कुछ भी हो।

टिप्पणी

हर युग और हर अंतरिक्ष में वैश्वीकरण पूर्व आधुनिक राज्य के बहिष्कार में हुआ है। आज हर समाज विकसित हो या विकासशील, पश्चिमी हो या प्राच्य, बड़ा हो या छोटा, रूढ़िवादी हो या उदारवादी वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अनुभव करता है। भौगोलिक बाधाओं के परिणामस्वरूप, एक स्थान के अलगाव ने इसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अलग नहीं किया है। यहां तक कि आल्प्स के दुर्गम क्षेत्रों या अलग किए गए द्वीपों को भी वैश्वीकरण के स्थिर प्रभाव मिल रहे हैं। इसके अलावा, समय के संदर्भ में वैश्वीकरण की शुरुआत तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से हुई है। ज्ञान, अन्वेषण और संसाधन के लिए मनुष्य की जिज्ञासा ने आंतरिक संबंध स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। वैश्वीकरण की गहराई और गति में अनुदैर्ध्य और स्थानिक भिन्नताएं हैं। एक निश्चित समय पर वैश्वीकरण की गहराई और गति तेज होती है जबकि कुछ अन्य समय में यह मंद हो जाती है। उदाहरण के लिए, शांति और वैज्ञानिक समृद्धि की अवधि के दौरान, इसने तेज गति ली है, जबकि युद्धों, अवसादों के दौरान, वैश्वीकरण की गति कम हो गई है। पूर्व आधुनिक और अल्प विकसित क्षेत्रों की तुलना में विकसित क्षेत्रों में वैश्वीकरण की दर आश्चर्यजनक रूप से अधिक है।

वैश्वीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है– वैश्वीकरण एक ऐतिहासिक वास्तविकता है। इसके बौद्धिक वंश का पता एडम स्मिथ, मार्क्स, जे.एस.मिल, हेक्शर और ओहलिन, जे.एम.केनेस और लेनिन के लेखन में लगाया जा सकता है, जिन्होंने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी कि आर्थिक गतिविधियों में अपनी राष्ट्रीय सेटिंग से परे विस्तार करने की प्रवृत्ति होती है। निस्संदेह वैश्वीकरण प्राचीन है। इसकी ऐतिहासिक जड़ें प्राचीन काल से चली आ रही हैं। आंद्रे गुंडर फ्रैंक का तर्क है कि तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में सुमेर और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच व्यापार संबंधों के उदय के बाद से वैश्वीकरण का एक रूप अस्तित्व में रहा है। थॉमस लॉरेन फ्रीडमैन वैश्वीकरण की अवधि को तीन चरणों में वर्गीकृत करता है। वे हैं– वैश्वीकरण का पहला चरण 1492–1800 के बीच दुनिया को छू रहा है, दूसरा चरण 1800–2000 के बीच आ रहा है और तीसरा चरण 2000 के बाद देखा जा रहा है और वर्तमान तक जारी है। उनका कहना है कि वैश्वीकरण के पहले चरण में देशों का वैश्वीकरण शामिल है, दूसरे चरण में कंपनियों का वैश्वीकरण शामिल है और वैश्वीकरण के तीसरे और अंतिम चरण में व्यक्तियों का वैश्वीकरण शामिल है। वैश्वीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो दुनिया के अन्य हिस्सों में अफ्रीका से लोगों के पहले आंदोलन के साथ शुरू हुई। छोटी, फिर लंबी दूरी की यात्रा, प्रवासियों, व्यापारियों और अन्य लोगों ने हमेशा अपने विचारों, रीति–रिवाजों और उत्पादों को नई भूमि में ले लिया है। मानव जीवन के कई क्षेत्रों में बाहरी प्रभावों का उधार और अनुकूलन पाया जा सकता है। 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच दुनिया में व्यापक खोज के युग ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को मजबूत किया। अमेरिका की खोज और अफ्रीका और एशिया के लिए नए व्यापार मार्गों के खुलने से दुनिया और करीब आ गई। इसके बाद 18वीं शताब्दी में बढ़ते उपनिवेशीकरण और औद्योगीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसने श्रम विभाजन को जन्म दिया। उपनिवेशों ने कच्चा माल और कृषि उत्पाद प्रदान किए, औद्योगिक राष्ट्रों ने निर्मित उत्पाद प्रदान किए। पुरुषों का प्रवाह, धन, कच्चा माल और उत्पादन स्थापित किया गया जो आधुनिक वैश्वीकरण की प्रबल प्रस्तावना थे। 19वीं शताब्दी के दौरान उभरते हुए राष्ट्र राज्यों ने व्यापार प्रतिबंधों (सीमा शुल्क, नौकरशाही नियमों) में तेजी से कटौती की और

टिप्पणी

अर्थव्यवस्था को स्वर्ण मानक पर रखा, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय राजनीति के लिए एक आधार प्रदान किया। 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में और 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में तकनीकी प्रगति (स्टीमशिप, रेलरोड, टेलीग्राफ), इंटरनेट और मीडिया क्रांति, त्वरित परिवहन, संचार और वैश्विक संपर्क स्थापित किया गया। इस प्रकार मानव इतिहास किसी न किसी रूप में होने वाले वैश्वीकरण के उदाहरणों को सहन करता है।

वैश्वीकरण समाज के लिए विकासात्मक और हानिकारक दोनों है– वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो लोगों, पड़ोस, शहरों, क्षेत्रों और देशों को उनकी तुलना में बहुत अधिक निकटता से जोड़ रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि दुनिया के सभी हिस्सों में लोगों को उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन, उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, उनके द्वारा सुने जाने वाले संगीत, उन्हें मिलने वाली जानकारी और उनके विचारों के माध्यम से आपस में जोड़ा गया है। ग्रह पर मनुष्यों के बीच इस अंतर्संबंध को कभी–कभी 'वैश्विक गांव' के रूप में भी जाना जाता है जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बाधाएं कम प्रासंगिक हो जाती हैं और दुनिया एक छोटी जगह बन जाती है। यह प्रक्रिया आर्थिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह और व्यापार, तकनीकी रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और मास मीडिया मनोरंजन द्वारा संचालित होती है, और बहुत महत्वपूर्ण रूप से, सांस्कृतिक आदान–प्रदान, प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जैसे मानवीय साधनों द्वारा भी। वैश्वीकरण के कारण, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता और स्वास्थ्य के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में प्रगतिशील आदर्शों के समर्थन में समाजों में एकजुटता के संकेत हैं। आर्थिक वैश्वीकरण के समर्थक वैश्वीकरण के विकासात्मक प्रभावों पर जोर देते हैं जिनमें व्यापार और वित्त का प्रवाह शामिल है। व्यापार वृद्धि को बढ़ाता है, खासकर गरीब देशों में। विकास से आय में वृद्धि होती है, विशेष रूप से गरीबों के लिए, इसलिए अंततः धन का अभिसरण होता है और गरीबों के लिए उच्च आय होती है। उच्च आय बेहतर रहने की स्थिति लाती है। वैश्वीकरण बाजार को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है। यह सामान को सस्ता, वहनीय, उपलब्ध और सुलभ बनाता है। ज्ञान जल्दी और कुशलता से फैलता है। हालांकि, वैश्वीकरण का समाज पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ा है। समय के साथ, हानिकारक प्रभाव नोट किए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। वैश्वीकरण सीमित संसाधनों का अधिक तेजी से उपयोग करता है। यह सतत विकास के लिए खतरा है। वैश्वीकरण के बाद औद्योगीकरण के तेजी से प्रसार के कारण, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे पर्यावरण प्रभावित होता है। जलवायु परिवर्तन वैश्वीकरण का अनुसरण करता है। वैश्वीकरण विकसित देशों से कम विकसित देशों में नौकरियों को स्थानांतरित करता है। यह विकसित देशों में बेरोजगारी की एक प्रणाली बनाता है। वैश्वीकरण विकसित देशों से कम विकसित देशों में निवेश खर्च को स्थानांतरित करता है। वैश्वीकरण कराधान के बोझ को निगमों से अलग–अलग नागरिकों पर ले जाता है। निगमों के पास उन स्थानों पर जाने की क्षमता है जहां कर की दर सबसे कम है। कर का बोझ अंततः व्यक्तिगत नागरिकों द्वारा वहन किया जाता है। वैश्वीकरण आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए अन्य देशों पर निर्भरता को प्रोत्साहित करता है। यह उन राष्ट्रों की आत्मनिर्भरता को रोकता है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो जाते हैं। वैश्वीकरण के साथ, सामान अक्सर कहीं और से सस्ते में प्राप्त

टिप्पणी

किया जा सकता है। एक देश को यह विश्वास हो सकता है कि अपने स्वयं के भोजन या कपड़े का उत्पादन करने का कोई मतलब नहीं है। आयात पर निर्भर रहना आसान हो जाता है। लेकिन असामान्य परिस्थितियों में, यह अति–निर्भरता भुखमरी और राष्ट्र के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की समस्या पैदा करती है। वैश्वीकरण देशों को एक साथ जोड़ता है, ताकि यदि एक देश ढह जाता है, तो पतन की संभावना प्रणाली के माध्यम से तरंगित हो सकती है, वह कई अन्य देशों को इसके साथ खींचती है। वैश्वीकरण के हानिकारक प्रभाव विकासशील देशों के उद्योगों पर हो सकते हैं जो अभी भी आदिम और अप्रचलित प्रौद्योगिकियों पर निर्भर हैं। वे ग्राहक की मांग को पूरा करने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में विफल रहते हैं। इसलिए उन्हें डूबती हुई अवस्थाओं में धकेल दिया जाता है। विकासशील देशों में महिलाएं वैश्वीकरण की प्रक्रिया की सबसे बुरी शिकार बन जाती हैं। कौशल, प्रशिक्षण की कमी वाली महिलाएं उत्पादन की नई प्रक्रिया में अवमूल्यन और कमजोर हो जाती हैं। उन्हें रोजगार बाजार से बाहर धकेल दिया जाता है और वे गरीब हो जाती हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ नौकरी की असुरक्षा बढ़ती है। सीमा पार आतंकवाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ एक आगामी घटना बन जाता है। सांस्कृतिक क्षरण और स्थानीय संस्कृति का क्षरण भी वैश्वीकरण का परिणाम है। इस प्रकार, वैश्वीकरण आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक परेशानियां लाता है जिसने दुनिया के कई हिस्सों में "वैश्वीकरण विरोधी" आंदोलन को उभारा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान वैश्वीकरण को एक सकारात्मक शक्ति के रूप में वर्णित करते हैं, लेकिन यह अंधा भी है और इसलिए इसका सावधानीपूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है।

वैश्वीकरण एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है– कई टिप्पणीकारों का मानना है कि वैश्वीकरण शायद उन्नीसवीं सदी में कुछ समय पहले शुरू हुआ था। इस दृष्टिकोण से, आधुनिक वैश्वीकरण के चार चरणों की पहचान करना संभव है। पहला चरण, जो लगभग 1880 में चरम पर था, मुख्य रूप से परिवहन और स्वचालन में सुधार के कारण था जिसने लंबी दूरी के व्यापार को सक्षम किया। 1800 के दशक के अंत में टेलीग्राफ और टेलीफोन संचार ने सूचना हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की, जिसने फर्मों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रबंधन करने में सक्षम बनाया। दूसरा चरण बीसवीं शताब्दी के पहले दशकों में अपने चरम पर पहुंच गया, जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को बहुराष्ट्रीय सहायक कंपनियों की स्थापना के लिए स्थलों के रूप में देखा गया। इस अवधि में अमेरिकी निगमों द्वारा लाभदायक यूरोपीय बाजारों में कुछ विदेशी विस्तार भी देखा गया। माना जाता है कि यह चरण 1929 में आर्थिक दुर्घटना के साथ समाप्त हो गया था। तीसरा चरण द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद टैरिफ बाधाओं को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिणामी वृद्धि पर आधारित था। जैसे–जैसे व्यक्ति, विशेष रूप से समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में, अमीर होते गए और युद्ध की वर्षों की तपस्या फीकी पड़ गई, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में भारी वृद्धि हुई। प्रक्रिया का चौथा (और अंतिम) चरण काफी हद तक परिवर्तनों की दो प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। ये हैं, सबसे पहले, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, जैसे कि इंटरनेट/वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़े पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) की व्यापक उपलब्धता, मोबाइल संचार का बढ़ता उपयोग और रोबोटिक्स का विकास। दूसरा कारक राजनीतिक दृष्टिकोण और आर्थिक नीतियों में बदलाव है जिसने कंपनियों (और उपभोक्ताओं) को

टिप्पणी

इन तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने की अनुमति दी है। यह स्पष्ट है कि वैश्विक आर्थिक सोच का बहुत अधिक अभिसरण हुआ है, कई और देश उदार, मुक्त बाजार विचारों की स्वीकृति की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे–जैसे उपभोक्ता स्पष्ट रूप से उत्पादों की राष्ट्रीय पहचान से कम चिंतित होते गए, सामाजिक रुझान बदलने लगे। थियोडोर लेविट (1983) वैश्वीकरण के बारे में लिखने वाले पहले शिक्षाविदों में से एक थे। 1983 में उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी बाजारों के वैश्वीकरण के पीछे प्रेरक शक्ति है और इस प्रकार, ग्रह के चारों ओर के देशों में 'अभिसरण समानता' ला रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि संचार (जैसे टीवी), परिवहन, यात्रा, उत्पाद और प्रक्रियाएं इन तीव्र विश्वव्यापी परिवर्तनों को लाने के लिए उत्तरदायी थीं। इस प्रकार, वैश्वीकरण विकासवादी है। इतिहास के विभिन्न चरणों ने इसे आकार दिया है।

वैश्वीकरण एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है– संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान वैश्वीकरण को "एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया, एक विकल्प नहीं" के रूप में वर्णित करते हैं। इसमें कोई स्विंग बैक या बैक बैक नहीं है। यह प्रकृति में हमेशा आगे की ओर देख रहा है। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को तेज, लाभदायक और अपरिवर्तनीय बना दिया है। एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया एक प्रणाली में एक प्रक्रिया है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में पूर्व में वापस आए बिना बदलती है। वैश्वीकरण मानव समाज के प्रगतिशील विकास में अगला कदम है। जैसे, इस विकास को रोका नहीं जा सकता है और न ही इसे रोका जाना चाहिए सामाजिक प्रगति के प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन होगा। घड़ी के पीछे कोई मोड़ नहीं है। यह तर्क कॉम्टे और स्पेंसर की याद दिलाता है और इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था जब उन्होंने "कोई विकल्प नहीं है" घोषित किया था, जिसका जिक्र करते हुए वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती अन्योन्याश्रयता को संदर्भित करता है, जो व्यापार के सीमा पार व्यापार के बढ़ते पैमाने के परिणामस्वरूप होता है। प्रतिष्ठा और सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का प्रवाह और प्रौद्योगिकियों का व्यापक और तेजी से प्रसार, यह बाजार की सीमाओं के निरंतर विस्तार और आपसी एकीकरण को दर्शाता है, और सहस्राब्दी के मोड़ पर पूरी दुनिया में आर्थिक विकास के लिए एक अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति है। वैश्वीकरण एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। इसकी गति प्रौद्योगिकी, संचार, सूचना के साथ–साथ माल और वित्त के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह से आती है। इस स्वायत्त प्रक्रिया को रोकना या इसे धीमा करना लगभग असंभव है– भले ही हम प्रत्येक राष्ट्र या व्यापारिक राष्ट्रों के प्रत्येक समूह के चारों ओर उच्च संरक्षणवादी दीवारों को बहाल कर दें। यह किसी भी सूरत में न केवल आर्थिक प्रगति के लिए बल्कि सुरक्षा और शांति के लिए भी एक त्रासदी होगी। वैश्वीकरण एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। वैश्वीकरण में कई प्रक्रियाएं शामिल हैं जो एक साथ विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं जैसे– अर्थव्यवस्था, मीडिया, राजनीति और पहचान, प्रवास और पर्यावरण। वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो अभी पूरी नहीं हुई है; यह लगातार विकसित होती है और पहले की तुलना में तेज गति से होती है।

वैश्वीकरण से संकरण, समरूपीकरण और सामंजस्य होता है– संकरण का तात्पर्य मिश्रण से है। समरूपता का अर्थ है समरूपता या समानता लाना। सामंजस्य का अर्थ है विसंगतियों को दूर करके संश्लेषण लाना। वैश्वीकरण इन तीनों प्रक्रियाओं को जन्म देता है और ये आंतरिक रूप से संस्कृति से जुड़ी हुई हैं।

टिप्पणी

सांस्कृतिक समरूपता दुनिया भर के देशों और संस्कृतियों के लोगों की जीवन शैली और मूल मूल्यों में कुछ समानता लाने के माध्यम से प्रकट होती है। संपर्क में वृद्धि के कारण सांस्कृतिक विषमता और भिन्नता वाष्पित होने लगती है। सीमाओं के ढहने के साथ सांस्कृतिक बाधाएं टूटने लगती हैं। माल, लोगों, सेवाओं, सूचना और धन की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को बीसवीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में वैश्वीकरण के दृश्य प्रभाव के रूप में अत्यधिक अनुभव किया गया था। उन्होंने संस्कृतियों के क्रॉस–निषेचन का नेतृत्व किया है। प्रत्येक समाज की संस्कृति ने दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाने की कोशिश की है जिसके परिणामस्वरूप विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों आदि का समरूपीकरण हुआ है। वैश्वीकरण के कारण दूरियों और मीडिया प्रणालियों के सिकुड़ने से सामाजिक मूल्य, पोशाक, आहार, नृत्य, प्रथाएं प्रभावित हुई हैं। सांस्कृतिक विविधता का स्थान सांस्कृतिक एकरूपता ने ले लिया है। संस्कृति की परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप संकरण की ओर ले जाने वाले तत्वों की पारस्परिक स्वीकृति होती है। 'सांस्कृतिक सुपरमार्केट' प्रभाव की वृद्धि हुई है जो लोगों के बीच सजातीय जीवन शैली लाने के लिए जिम्मेदार है। आज सांस्कृतिक समानताएं विशिष्ट राष्ट्रीय संस्कृतियों का स्थान ले रही हैं। वे अपने पारंपरिक जीवन के तरीकों से अलग हो रहे हैं और आमतौर पर साझेदार देशों द्वारा अपनाई जाने वाली जीवन शैली का पालन कर रहे हैं। राष्ट्रीय नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक संस्कृति के प्रतीक के रूप में महान परंपराओं में छोटी परंपराएं डूब रही हैं। 'वैश्विक गांव' का आगमन समरूपीकरण और सामंजस्य की इस प्रक्रिया का परिणाम है। हालांकि, समाजशास्त्रियों के एक काउंटर समूह का सुझाव है कि वैश्वीकरण बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण संस्कृति के स्थानीयकरण, क्षेत्रीयकरण के साथ–साथ चलता है।

वैश्वीकरण से प्रसार होता है– प्रसार का अर्थ है विस्तार। वैश्वीकरण में विचारों, प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों का प्रसार शामिल है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण जीवन के सभी पहलुओं में विश्वव्यापी अंतर्संबंध का विस्तार, गहनता और तीव्र गति से हो रहा है। तेजी से नवाचारों के कारण एक वैश्विक बदलाव होता है। ये नवाचार न केवल उस इलाके के परिदृश्य को बदलते हैं जहां इनकी उत्पत्ति हुई है, बल्कि सीमाओं के पतन और उपग्रह कनेक्शन, डिजिटलीकरण प्रक्रिया और मीडिया प्रभावों के प्रभाव के कारण शीघ्र ही पूरी दुनिया में फैल गए।

वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है– वैश्वीकरण की अवधारणा को अपने प्रारंभिक चरण में एक विशेष रूप से आर्थिक प्रक्रिया माना जाता था। बाद में यह नोट किया गया कि इसके राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और सामाजिक निहितार्थ हैं। आज वैश्वीकरण की कल्पना एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में की जाती है क्योंकि इसका संबंध समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, विचारधारा और संस्कृति से है। सामाजिक रूप से इसका अर्थ है गहनता, व्यक्ति की बातचीत, संस्थानों, सामाजिक प्रक्रियाओं आदि को प्रभावित करने वाले सामाजिक संबंधों का विस्तार। आर्थिक रूप से, इसका अर्थ है राष्ट्रीय बाजार को खोलना, राष्ट्रों के बीच मुक्त व्यापार और वाणिज्य, और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। राजनीतिक रूप से, इसका अर्थ है राज्य की सीमित शक्तियां और कार्य, व्यक्ति को दिए गए अधिक अधिकार और स्वतंत्रता और निजी क्षेत्र का सशक्तिकरण। सांस्कृतिक रूप से, इसका अर्थ है समाजों और राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक मूल्यों का आदान–प्रदान; सांस्कृतिक समरूपता की

प्रक्रिया के माध्यम से एक वैश्विक संस्कृति द्वारा स्थानीय संस्कृति का जलमग्न होना और वैचारिक रूप से, इसका अर्थ है उदारवाद और पूंजीवाद जैसे नए विचारों का प्रसार।

टिप्पणी

वैश्वीकरण एक टॉप–डाउन प्रक्रिया है– वैश्वीकरण का प्रभाव नीचे की ओर होता है। आधुनिक युग में, यह चरित्र में पश्चिमी मूल है। यह विकसित देशों से निकला है और पश्चिमी आधारित बहुराष्ट्रीय कंपनियों (बहुराष्ट्रीय निगमों) ने उसका नेतृत्व किया। प्रौद्योगिकियों, पूंजी, उत्पादों और सेवाओं को विकसित देशों से विकासशील देशों में स्थानांतरित कर दिया गया। विकासशील देश इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। विकासशील देश पश्चिमी मूल्यों, प्रथाओं को स्वीकार करते हैं, उनके अनुकूल होते हैं और वैश्वीकरण के प्रभावों से प्रभावित होते हैं।

वैश्वीकरण अक्षेत्रीयकरण है– मैल्कम वाटर्स (2001) के अनुसार, तीन प्रकार के मानव आदान–प्रदान हैं जिन्हें अधिक आसानी से वैश्वीकृत किया जा सकता है और विखंडित किया जा सकता है। वे हैं– भौतिक आदान–प्रदान, शक्ति विनिमय और प्रतीकात्मक आदान–प्रदान।

- भौतिक आदान–प्रदान (मटेरियल एक्सचेंज) किसी भी इंटरैक्शन को संदर्भित करता है जिसमें भौतिक वस्तुओं के प्रसारण, जैसे फैक्ट्री का काम, माल में व्यापार, किरायेदारी शामिल है। भौतिक आदान–प्रदान रिक्त स्थान में स्थानीयकृत होते हैं। कच्चे माल – कृषि सामान, पेट्रोलियम – विशिष्ट स्थानों से निकाले जाते हैं। फैक्ट्रियां वहीं स्थित हैं जहां श्रम उपलब्ध है और सस्ता है। निर्मित माल को बिक्री और उपभोग के लिए पश्चिमी बाजारों में ले जाया जाता है। सत्ता का आदान–प्रदान ज़बरदस्ती या कानून के माध्यम से नेतृत्व के अभ्यास को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, परिभाषा के अनुसार, शक्ति का प्रयोग न केवल क्षेत्रों पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी लागू होता है, अर्थात राष्ट्र–राज्यों के बीच संबंध, जैसे युद्ध, कूटनीति या गठबंधन।
- शक्ति विनिमय (पावर एक्सचेंज) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित होते हैं और राष्ट्रीय क्षेत्रों से परे जाते हैं। प्रतीकात्मक आदान–प्रदान किसी भी प्रकार के संचार, सूचना या डेटा के आदान–प्रदान को संदर्भित करता है। इसमें मास मीडिया, मनोरंजन उद्योग, विज्ञापन और प्रचार आदि शामिल हैं।
- प्रतीकात्मक आदान–प्रदान में संकेतों और प्रतीकों का संचरण शामिल है। चूंकि प्रौद्योगिकी प्रतीकों को तेजी से और व्यापक रूप से प्रसारित करना संभव बनाती है, इसलिए प्रतीकात्मक आदान–प्रदान आसानी से क्षेत्रों से अलग हो सकते हैं और इसलिए, वैश्वीकृत हो जाते हैं।

विनिमय के इन रूपों के आधार पर, वाटर्स एक वैश्वीकरण प्रमेय (एक प्रस्ताव जिसे सत्य के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है) का प्रस्ताव करता है। प्रमेय है "भौतिक आदान–प्रदान का स्थानीयकरण, राजनीतिक आदान–प्रदान का अंतर्राष्ट्रीयकरण और प्रतीकात्मक आदान–प्रदान का वैश्वीकरण।" इस प्रकार, ये वैश्वीकरण की कुछ दृश्यमान विशेषताएं हैं। ये सभी विशेषताएं आंतरिक रूप से प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं। ये प्रक्रिया को चिह्नित करने के लिए एक साथ जाती हैं।

वैश्वीकरण के आयाम, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि यह बहुआयामी है। आयाम उन क्षेत्रों को कहते हैं जिन पर वैश्वीकरण अपना प्रभाव डालता

टिप्पणी

है। अब वैश्वीकरण का प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं रह गया है। वे अर्थव्यवस्था से बहुत आगे निकल जाते हैं और समाज के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। एंथनी गिडेंस के अनुसार वैश्वीकरण के अनिवार्य रूप से चार आयाम हैं। वे हैं: विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राष्ट्र–राज्य प्रणाली, विश्व सैन्य व्यवस्था और वैश्विक (अंतर्राष्ट्रीय) श्रम विभाजन। हालांकि, आज वैश्वीकरण के व्यापक स्वरूप को देखते हुए, वैश्वीकरण के प्रभावों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा की जा सकती है। वे हैं: आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और पर्यावरण।

हालांकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वैश्वीकरण हमेशा सकारात्मक प्रभाव नहीं देता है, लेकिन कई बार इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। इन सभी आयामों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं से चर्चा की गई है।

अपनी प्रगति जांचिए

5. वैश्विक पूंजीवाद, पूंजीवाद का कौन सा युग माना जाता है?

(क) पहला (ख) दूसरा

(ग) तीसरा (घ) चौथा और वर्तमान

6. वैश्वीकरण की निम्न में से कौन–सी विशेषता है?

(क) उदारीकरण (ख) मुक्त व्यापार

(ग) आर्थिक गतिविधियां (घ) उपर्युक्त सभी

1.5 वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी और सूचना की भूमिका

आईसीटी और वैश्वीकरण सूचना संचार प्रौद्योगिकी मूल रूप से सूचना प्रसारण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति की एक इलेक्ट्रॉनिक आधारित प्रणाली है, जिसने हमारे सोचने के तरीके, हमारे जीने के तरीके और जिस वातावरण में हम रहते हैं, उसमें काफी बदलाव किया है। यह महसूस किया जाना चाहिए कि वैश्वीकरण केवल वित्तीय बाजारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटनाओं की पूरी श्रृंखला शामिल है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्रांति वैश्वीकरण के लिए केंद्रीय और प्रेरक शक्ति है और मानव अस्तित्व के सभी पहलुओं में गतिशील परिवर्तन आईसीटी क्रांति की वर्तमान वैश्वीकरण अवधि का प्रमुख उप–उत्पाद है। विश्व दूरसंचार प्रणाली, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और दूरसंचार प्रौद्योगिकी का सूचना प्रौद्योगिकी में अभिसरण, इसके सभी घटकों और गतिविधियों के साथ, इसके विस्तार और जटिलता में विशिष्ट है और यह एक तीव्र और मौलिक परिवर्तन से भी गुजर रहा है। इसका परिणाम यह होता है कि देशों और महाद्वीपों के बीच की राष्ट्रीय सीमाएं अस्पष्ट हो जाती हैं और सूचनाओं को स्थानांतरित करने और संसाधित करने की क्षमता असाधारण दर से बढ़ जाती है। वैश्विक सूचना संचार को "दुनिया की सबसे बड़ी मशीन" कहा गया है, और इसके विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सबसिस्टम में कल्पना करना और समझना बहुत जटिल और कठिन है। जैसा कि कोफी अन्नान (1999) ने कहा है, "इंटरनेट सबसे बड़ा वादा रखता है

टिप्पणी

जिससे मानवता ने लंबी दूरी की शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए जाना है... वैश्विक अर्थव्यवस्था... और इसलिए हमारा मिशन यथासंभव व्यापक रूप से पहुंच सुनिश्चित करना होना चाहिए .. यदि हम नहीं करते हैं, तो अमीर और गरीब के बीच की खाई प्रौद्योगिकी–समृद्ध और प्रौद्योगिकी–गरीब के बीच की खाई होगी।" आईसीटी तेजी से संगठनों में और सूचना के उत्पादन में पहुंच, अनुकूलन और लागू करने की समाज की क्षमता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ज्ञान के हस्तांतरण और अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने की उनकी क्षमता के कारण, उन्हें औद्योगिक युग के बाद के उपकरण और ज्ञान अर्थव्यवस्था की नींव के रूप में घोषित किया जा रहा है (मोरेल–गोमेज़ और मेलेसी, 1998)। भौगोलिक स्थिति और आय के स्तर और राष्ट्र की संपत्ति में अंतर के बावजूद, ये विचार विश्व स्तर पर साझा किए गए प्रतीत होते हैं। आज के कारोबारी माहौल में हमारे द्वारा देखे जा रहे परिवर्तनों का एकमात्र कारण आईसीटी नहीं हो सकता है, लेकिन आईसीटी में तेजी से विकास ने वैश्वीकरण की वर्तमान लहर को गति दी है। एक ओर जहां अंतर्राष्ट्रीय निगम वैश्वीकरण द्वारा पेश किए गए लचीलेपन और अवसरों से भारी मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं दुनिया में गरीबी का स्तर बढ़ रहा है। विश्व में कम से कम 2.8 बिलियन लोग, जो विश्व की जनसंख्या का 45% है, प्रतिदिन इससे कम पर जीवन यापन कर रहे हैं (2002)। अफ्रीका विशेष रूप से गरीबी और आर्थिक संकट के विकास से प्रभावित है। वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए राष्ट्रों की क्षमता में आईसीटी का उपयोग और उत्पादन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञान के अधिग्रहण और अवशोषण की सुविधा के अलावा, आईसीटी विकासशील देशों को शैक्षिक प्रणालियों को बदलने, नीति निर्माण और निष्पादन में सुधार करने और व्यापार और गरीबों के लिए अवसरों की सीमा को व्यापक बनाने के लिए 5 अभूतपूर्व अवसर प्रदान कर सकता है। यह सीखने की प्रक्रिया, ज्ञान नेटवर्किंग, ज्ञान संहिताकरण, टेलीवर्किंग और विज्ञान प्रणालियों का भी समर्थन कर सकता है। आईसीटी का उपयोग वैश्विक ज्ञान और अन्य लोगों के साथ संचार तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, विकासशील देशों के प्रमुख हिस्सों में आईसीटी बहुत सीमित पैमाने पर ही उपलब्ध है, और इससे विकासशील देशों की मौजूदा आईसीटी–प्रेरित वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में भाग लेने की क्षमता के बारे में संदेह पैदा होता है। इस बात की भी चिंता है कि आईसीटी का यह असमान वितरण वास्तव में विकसित देशों के संबंध में गरीब देशों के हाशिए पर जाने और सामाजिक ताने–बाने में व्यवधान में योगदान दे सकता है। इसलिए, कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि जहां तक आईसीटी का संबंध है, विकासशील देशों के लिए 'डिजिटल दासता' की अवधारणा अपरिहार्य है। दुनिया भर में आईसीटी की उपलब्धता और उपयोग में व्यापक अंतर, और वैश्वीकरण पर आईसीटी के प्रभाव, इस बारे में सवाल उठाते हैं कि क्या वैश्वीकरण विकासशील देशों में संगठनों और समाजों के लिए एकरूपता पर जोर देता है। यह पश्चिमी औद्योगिक देशों से विकासशील देशों में सर्वोत्तम प्रथाओं के हस्तांतरण के माध्यम से आईसीटी के विकास को लागू करने के प्रयासों की व्यवहार्यता और वांछनीयता के बारे में भी सवाल उठाता है, और क्या संगठन संदर्भों की सामाजिक–सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुसार आईसीटी का उपयोग कर सकते हैं (2001)। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकास एक वैश्विक क्रांति है। यह सभी मानव जाति के लिए बहुत

टिप्पणी

महत्व और चिंता का विषय बन गया है। प्रासंगिक अध्ययनों से पता चला है कि आईसीटी क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव 'डिजिटल डिवाइड' समीकरण के इर्द–गिर्द घूमेगा। आईसीटी चुनौती का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक विकास और विकास के इंजन के रूप में एक राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना (एनआईआई) की योजना, डिजाइन और कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

1.5.1 वैश्वीकरण के लाभ

वैश्वीकरण के लाभ या गुणों की चर्चा नीचे बिंदुओं में की गई है–

- वैश्वीकरण हमारे दिमाग को विस्तृत करता है। हमें लगता है कि हम एक दुनिया के हैं और हम एक राष्ट्र, अर्थात् मानव जाति का हिस्सा हैं।
- विदेशी लोगों के साथ निकट संपर्क हमें उनके तौर–तरीकों, आदतों और रीति–रिवाजों से काफी परिचित कराता है। संस्कृतियां एक–दूसरे के संपर्क में आने से समृद्ध होती जाती हैं।
- वैश्वीकरण हमें संकीर्णता को दूर करने में मदद करता है। हमें अपने देश की दूसरे देशों से तुलना करने का मौका मिलता है। इस तरह, हम अपने तौर–तरीकों, रीति–रिवाजों और आदतों को समृद्ध करते हैं।
- वैश्वीकरण हमें निरक्षरता से लड़ने में मदद करता है और शिक्षा को बढ़ावा देता है। यह हमें तथ्यों और चीजों का स्पष्ट ज्ञान देता है।
- वैश्वीकरण हमें बाल–श्रम, दहेज आदि जैसे ज्वलंत सामाजिक मुद्दों को दूर करने या उनका मुकाबला करने में मदद करता है।
- वैश्वीकरण ने वैश्विक समुदाय को गरीबी से लड़ने में मदद की है। बड़े गैर–लाभकारी और धर्मार्थ संगठनों ने भूख और गरीबी से लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किए हैं। उन्होंने इस संबंध में सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर धन उगाहने का काम किया है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ दुनिया के कोने–कोने तक पहुंच गया है। दुनिया भर के लोग मोबाइल फोन और इंटरनेट तकनीक से जुड़े हुए हैं।
- वैश्वीकरण ने विश्व के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाया है। एक व्यापारी विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी एकत्र कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लोगों और चीजों का प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत महत्व रखता है।
- वैश्वीकरण के कारण, एक राजनीतिक नेता दुनिया भर के लोगों, सरकार के रूपों का बहुत उपयोगी ज्ञान एकत्र कर सकता है।
- वैश्वीकरण विभिन्न राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मित्रता में सुधार लाने में योगदान देता है।
- हम पूरी दुनिया के लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं। मानव जीवन वैश्विक हो जाता है। जीवन के प्रति हमारा वैश्विक दृष्टिकोण है।
- छात्र दुनिया में कहीं भी अध्ययन कर सकते हैं।

1.5.2 वैश्वीकरण के प्रभाव

टिप्पणी

वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा नीचे बिंदुओं में की गई है–

- एक तरह से वैश्वीकरण ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाने में योगदान दिया है। धनी लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से राष्ट्रीय संसाधनों पर अधिक नियंत्रण करने में सक्षम हैं।
- वैश्वीकरण के कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है। एक तरफ, देशों के बीच यातायात में वृद्धि ने पर्यटन स्थलों को प्रदूषित कर दिया है। दूसरी ओर, बड़े उद्योगों द्वारा हवा में छोड़ी गई जहरीली गैसें पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनी हैं।
- वैश्वीकृत व्यापार ने पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का सहनीय सीमा से अधिक दोहन किया है। पृथ्वी पर कुछ स्थान, जो कभी खनिजों और जंगलों से समृद्ध थे, अब अपनी समृद्धि का दावा नहीं कर सकते।
- वैश्वीकरण की प्रवृत्ति दुनिया को एक अधिक सजातीय स्थान बनाने की है। नतीजतन, कई समुदाय अपनी पुरानी परंपरा, रीति और संस्कृति को संरक्षित करने में विफल रहे। विकसित देशों की संस्कृति से आकर्षित होकर, अल्प विकसित देशों में बहुत से लोगों ने अपने पारंपरिक पहनावे, भोजन और रीति–रिवाजों को त्याग दिया है। यह वैश्वीकरण का एक और नुकसान है।
- वैश्वीकरण के कारण स्थानीय व्यवसाय, हथकरघा उद्योग, कुटीर और लघु उद्योग को बहुत नुकसान हुआ। अत्यधिक विशिष्ट और कुशल बहु–राष्ट्रीय कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ उठाती हैं और उत्पादों को कम कीमतों पर रखती हैं। स्थानीय उद्योग अपने वैश्विक समकक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था अब आपस में जुड़ी हुई है। एक प्रमुख आर्थिक राष्ट्र का आर्थिक पतन पूरे वैश्विक समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- वैश्वीकरण ने श्रम की विशेषज्ञता को जन्म दिया है। एक ओर कुशल श्रमिकों की मांग में वृद्धि हो रही है। हालांकि, इससे अकुशल श्रमिक समूह को काफी नुकसान हुआ है। वैश्विक परिवेश में अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के बहुत कम अवसर हैं।
- अधिक तकनीकी रूप से उन्नत देश कम विकसित देशों को अपने उत्पाद बेचने में सक्षम हैं। इसलिए, कम विकसित देश श्रेष्ठ राष्ट्रों पर निर्भर हो जाते हैं।
- वैश्वीकरण का प्रतिकूल प्रभाव वित्तीय और आर्थिक असंतुलन तक ही सीमित नहीं है। पिछली शताब्दी में एक देश से दूसरे देश में बीमारियों का प्रसार देखा गया है। रोग स्थानीय स्थानों में तब फैलते हैं जब किसी विदेशी देश का कोई रोगग्रस्त व्यक्ति स्थानीय निवासियों के संपर्क में आता है।
- वैश्वीकरण बड़ी संख्या में बहु–राष्ट्रीय कंपनियों के उद्‌भव के लिए जिम्मेदार है। बहुत बार, यह पाया जाता है कि वे श्रमिकों को काम करने की अच्छी स्थिति प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा, बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए जंगलों

को काटा गया है। औद्योगिक निर्वहन ने पर्यावरण क्षरण में व्यापक योगदान दिया है।

टिप्पणी

1.5.3 वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देश में प्रवेश हुआ। इसमें विनिवेश बढ़ा, उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन नहीं रहा। व्यापार, वस्तुओं एवं सेवाओं के क्षेत्रों पर निर्भरता बढ़ी। भारत में श्रम शक्ति सस्ती होना और इसके पास बड़ा बाजार होना, ये दो आकर्षण के बिंदु थे जिनकी वजह से विकसित देश तेजी से भारत की ओर आकृष्ट हुए। इस वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष हैं–

सकारात्मक प्रभाव : वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए राष्ट्रीय सीमाओं को खोला है। हमने वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाया है। इसने मानव विकास की अपार संभावनाएं प्रस्तुत की हैं, नये अवसर प्रदान किए हैं तथा तीसरी दुनिया के कुछ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि की है। गुणात्मकता की वृद्धि से अच्छी वस्तुएं बाजार में आयी हैं। इस क्षेत्र की वस्तुओं में विविधता भी आई है। जिनके पास खरीदने की क्षमता है, उनको ज्यादा आराम मिला है। द्रुततर संप्रेषण यात्रा तथा सूचना प्रौद्योगिकी ने संसार को एक वैश्विक ग्राम का रूप दे दिया है। संसार में घटित हो रही घटनाएं, बढ़ रहे ज्ञान क्षेत्रों की जानकारी हम अपने कमरे में बैठकर प्राप्त कर लेते हैं। विभिन्न देशों के लोगों के बीच विचार–विनिमय समानता एवं परंपराओं के विनिमय को गति मिलती है। हमारा व्यवहार एवं सोच व्यापक हुआ है। हमारी दृष्टि वैश्विक होती जा रही है। हम वैश्विक चिंता एवं चिंतन के विषयों में सहयोगी हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इसके इस सत् पक्ष का अधिकाधिक उपयोग करते हुए परस्पर सहयोग एवं सौहार्द्र को बढ़ावा दें और विकास की ओर तेजी से कदम बढ़ाएं।

नकारात्मक प्रभाव : वैश्वीकरण के संबंध में अलग–अलग दृष्टिकोण हैं। कुछ इसका योगदान सकारात्मक मानते हैं तो दूसरा समूह इसके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का उल्लेख करते हैं। पूर्व में इसके सत पक्ष का संक्षिप्त उललेख कर चुके हैं। आइए देखिए इसके क्या दुष्प्रभाव हैं?

आर्थिक क्षेत्र में : विश्व बाजार एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरा है। इसका कुछ देशों को बहुत लाभ मिला है, तो बहुत से देश अपनी आत्मनिर्भरता खो चुके हैं और पराधीन हो गए हैं। जी–7 के देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक व्यापार संगठन (WTO) इस प्रक्रिया से लाभान्वित हुए हैं। आज जी–7 देशों के हाथों में विश्व अर्थव्यवस्था है। ये देश मुद्रा प्रणाली तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करते हैं। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की सरकारों की सहायता से पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं। विदेशी ऋण प्रक्रिया नियंत्रण का साधन है। ऋण दिये जाने संबंधी शर्तें, ऋण लेने वाले अल्पविकसित एवं विकासशील देशों पर थोपी जाती हैं, जिनके भारी बोझ से वे उभर नहीं पाते। विकासशील देशों का काम सस्ती श्रम शक्ति उपलब्ध कराने तथा कच्चा माल उपलब्ध कराने तक सीमित रह गया है। यह श्रम शक्ति एवं कच्चा माल भी ये देश विकसित देशों की शर्तों पर उपलब्ध कराने को विवश हैं। ये दरें बहुत अधिक सस्ती होती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्वच्छंद बढोत्तरी तथा विदेशी व्यापार पर सर्वाधिक बल तीसरी दुनिया के देशों की जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। यह उस विकास प्रतिरूप की विरोधी है, जो कि उन देशों की

टिप्पणी

जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। यह उस विभाष प्रतिरूप की विरोधी है, जो कि इन देशों के लिए चाहिए। आज मुख्य उत्पादन को या तो निर्यात के लिए हो रहा है या समाज के समृद्ध वर्ग के लिए। वैश्विक स्वतंत्र बाजार में इन दो का ही महत्व है, एक वे जिनके पास बेचने के लिए समान है, दूसरे वे जिनके पास खरीदने के लिए पैसा है। लघु उद्यमियों का जीना दूभर है, जो समृद्ध हैं जिनमें प्रतियोगिता में डटे रहने की क्षमता है, वे ही जीवित रह सकते हैं। इस तरह धनी एवं गरीबों के बीच की खाई बढ़ रही है। देशों के संबंध में इसे लें तो धनी एवं समृद्ध देश तथा अन्य विकसित एवं विकासशील देशों में समृद्धि का अंतर तेजी से बढ़ रहा है।

वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य उन्मुक्त व्यापार एवं बाजार है। इसका दृष्टिकोण विशुद्ध भौतिकवादी है। इसमें मानवीयता एवं मानवीय मूल्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। परिणामतः यह निर्बलों, निर्धनों का शोषण करती है तथा धनवानों का पोषण। विश्व के धनी, भौतिक दृष्टि से संबद्ध पश्चिमी देशों के हाथ में इसकी लगाम है। ये देश इस उन्मुक्त बाजार व्यवस्था के माध्यम से उन्मुक्त रूप से तीसरी दुनिया के देशों में अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। तीसरी दुनिया के देशों में इनका यह नव उपनिवेशवाद जड़ें फैलाता जा रहा है। परिणामतः तीसरी दुनिया के देशों में 'राज्य' नामक संस्था निष्क्रिय होती जा रही है। राष्ट्र एवं राष्ट्रीय संस्कृति एवं परंपराएं वैश्वीकरण की भौतिक संस्कृति के प्रभाव के कारण विलुप्त होती जा रही हैं। इन देशों के मूल लोग हाशिये पर हो गए हैं। वे उपेक्षित शोषित जीवन बिताने को बाध्य हैं। सारांशतः वैश्वीकरण की प्रक्रिया साम्राज्यवादी भौतिक संस्कृति की वाहिका है– विश्व में पश्चिमीकरण एवं भौतिकीकरण की प्रक्रिया है, इसके प्रसार के माध्यम हैं सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव तकनीकी आदि।

प्रत्येक देश में धनी वर्ग एवं गरीब वर्ग के बीच की दूरियां तेजी से बढ़ रही हैं। प्रत्येक देश में गरीबों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या, विश्व के देशों में तेजी से बढ़ती असमानता गंभीर चिंता एवं चिंतन का विषय है। वैश्वीकरण धनी लोगों के हित के लिए काम करता है। मूल प्रक्रिया में गरीब तो पदार्थ रूप हैं, जिनका उपयोग सस्ती श्रम शक्ति के रूप में किया जाता है। इस विश्लेषण से निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्तमान वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व बहुसंख्यक लोगों के हित में नहीं है। यह एक शोषक समाज को उभार रही है जिसका परिणाम देर–सबेर में वर्ग संघर्ष हो सकता है। इससे समाज विभाजित हो रहा है, विघटित हो रहा है। विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है, वह आज बहिष्कृत एवं हाशिये पर है। इस तरह आर्थिक दृष्टि से वैश्वीकरण की प्रक्रिया पूंजीवाद प्रक्रिया है जो कि हिंसक शोषक प्रक्रिया है।

राजनीतिक प्रभाव : प्रारंभ से ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया, प्रतियोगिता, संघर्ष, प्रभुत्व एवं शोषण के खतरनाक तत्वों से युक्त रही है। मुक्त बाजार के लिए राष्ट्रीय सीमाओं को खोलने के लिए परिणामस्वरूप उस नव उपनिवेशवाद का विकास हुआ, जिससे गरीब देशों पर धनी देशों का न केवल आर्थिक प्रभुत्व है बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व भी है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक द्वारा थोपी गई सब्सिडी की वापसी एवं उदारीकरण की नीति ने विभिन्न देशों में राज्य की शक्तियों में महत्वपूर्ण कटौती कर दी है। वैश्वीकरण की यह प्रक्रिया ऐसी सरकारों के स्वरूप का विकास कर रही है, जो कि विदेशी निवेश के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध हों। जिन्हें

टिप्पणी

अपने देश के नागरिकों के हितों की सुरक्षा की परवाह न हो। इस प्रक्रिया की वजह से तीसरे विश्व के देशों की सरकारें बाध्य होकर अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारियों से किनारा कर रही हैं। ऐसी स्थिति में एक अहम् प्रश्न जो सबके सामने है, वह यह है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया जनतंत्र, सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण से संगति रखती है। इसका स्पष्ट उत्तर 'न' में होगा, क्योंकि यह प्रक्रिया देश के एक छोटे वर्ग के लिए है। इस प्रक्रिया में देश की 70–80 प्रतिशत जनता 'वंचित वर्ग' पीड़ित, प्रताड़ित वर्ग में आ जाती है। वह मूक दर्शक रहती है। इसीलिए इस प्रक्रिया के चलते सामाजिक न्याय, समाज कल्याण पर आधारित जनता के द्वारा, जनता के लिए वाला जनतंत्रा नहीं चल सकता।

सामाजिक प्रभाव : विश्व बाजारीकरण की इस प्रक्रिया के लागू होने के परिणामस्वरूप यह धारणा प्रचलित हुई कि लोग बाजार से सामान नहीं खरीद सकते और अपनी तरह से, अपने साधनों से जीवन यापन करते हैं, वे असभ्य हैं, पिछड़े हुए हैं। इस धारणा से लोगों में हीनता की भावना पैदा होती है। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, वे असभ्य हैं, पिछड़े हुए हैं। इस धारणा से लोगों में हीनता की भावना है। यहीं तक नहीं, अविकसित, विकासशील देशों से यह विकसित देशों की ओर जाता है। आज ऐसे लोगों की संख्या 70 बिलियन बताई जाती है। ऐसे पलायन करने वाले लोग शोषण के शिकार हैं। इन्हें सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिल पाती। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रतिरूप के निरंतर बढ़ते प्रभाव एवं इसकी विस्तारशीलता की प्रवृत्ति के कारण श्रमशक्ति के मूल्य एवं मजदूरी की दरों में निरंतर कमी हो रही है। प्रतियोगिता के संघर्ष के कारण भी मजदूरी की दर कम हो रही है। कंपनियां पुनर्संरचना के क्रम में अपने कर्मचारियों की छंटनी करती हैं। स्थायी एवं कुशल कामगारों की जगह अंशकालीन तथा संविदा पर कामगारों को रखने की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। इसका लाभ उठाकर कंपनी मालिक एक ओर काम करने के घंटे बढ़ा रहे हैं तो दूसरी ओर मजदूरी की दर कम करते जा रहे हैं। कर्मचारी विवश हैं, वे शक्तिहीन हो गए हैं, मजबूर हैं। अंततः वे लोक समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त हो जाते हैं।

सारांश यह है कि समाज का यह निम्न एवं गरीब वर्ग वैश्वीकरण से सबसे ज्यादा बुरी तरह आक्रांत है। सामाजिक दृष्टि से वैश्वीकरण से उपजे उपभोक्तावाद एवं भौतिकवाद ने संपूर्ण समाज के सभी पक्षों को प्रभावित किया है।

अपनी प्रगति जांचिए

7. वैश्विक सूचना संचार को क्या कहा गया है?

(क) दुनिया की सबसे बड़ी मशीन (ख) सबसे छोटी मशीन

(ग) मध्यम मशीन (घ) इनमें से कोई नहीं

8. वैश्वीकरण के कारण किस उद्योग को नुकसान हुआ है?

(क) हथकरघा उद्योग (ख) कुटीर उद्योग

(ग) लघु उद्योग (घ) उपर्युक्त सभी

1.6 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

टिप्पणी

1. (ख)
2. (ग)
3. (ख)
4. (ग)
5. (घ)
6. (घ)
7. (क)
8. (घ)

1.7 सारांश

वैश्वीकरण को एक प्रक्रिया (या प्रक्रियाओं का एक सेट) के रूप में माना जा सकता है जो सामाजिक संबंधों और लेनदेन के स्थानिक संगठन में परिवर्तन का प्रतीक है, जो अंतरमहाद्वीपीय या अंतरक्षेत्रीय प्रवाह और गतिविधि, बातचीत और शक्ति के नेटवर्क उत्पन्न करता है। यह चार प्रकार के परिवर्तन की विशेषता है– पहला, इसमें राजनीतिक सीमाओं, क्षेत्रों और महाद्वीपों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार शामिल है। दूसरा, यह व्यापार, निवेश, वित्त, प्रवास, संस्कृति, आदि के अंतर्संबंध और प्रवाह की तीव्रता, या बढ़ते परिमाण का सुझाव देता है। तीसरा, वैश्विक अंतर्संबंध की बढ़ती व्यापकता और तीव्रता को वैश्विक अंतःक्रियाओं और प्रक्रियाओं में तेजी लाने से जोड़ा जा सकता है। वैश्वीकरण के कारण, परिवहन और संचार की विश्वव्यापी प्रणालियों का विकास विचारों, वस्तुओं, सूचनाओं, पूंजी और लोगों के प्रसार की गति को तेज करता है। चौथा, वैश्विक अंतःक्रियाओं की बढ़ती तीव्रता, तीव्रता और वेग को उनके गहन प्रभाव से जोड़ा जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि दूर की घटनाओं के प्रभाव दूर के स्थानीय समुदाय पर अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं और यहाँ तक कि अधिकांश स्थानीय विकासों के भी वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। इस अर्थ में, घरेलू मामलों और वैश्विक मामलों के बीच की सीमाएं तेजी से धुंधली हो सकती हैं।

1500 ईसापूर्व यह मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया क्योंकि इसने यूरोप के साथ एशिया, उप सहारा अफ्रीका और अमेरिकी महाद्वीप के बीच अंतर्संबंध स्थापित किया। समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से समुद्री क्रांति की शुरुआत हुई और इसके परिणामस्वरूप समुद्री अन्वेषण हुआ। इसने व्यापारिक विस्तार में योगदान दिया। इस क्रांति से, मानवता भौगोलिक बाधाओं और भौगोलिक अलगाव पर विजय प्राप्त कर सकती है जो राष्ट्र अब तक अनुभव कर रहे थे। इससे एक राष्ट्र में नई संस्कृति, ज्ञान, धन का प्रवाह हुआ। इतालवी पुनर्जागरण प्रभाव, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति के आदर्श यूरोपीय सीमाओं में फैले हुए थे और यह वैश्वीकरण का प्रारंभिक बिंदु था। अधिकांश ऐतिहासिक साक्ष्य, 1500 के दशक को वैश्वीकरण की प्रक्रिया के विकास में एक वाटरशेड के रूप में संदर्भित करते हैं।

टिप्पणी

वैश्वीकरण के कारण बाजारों का विस्तार हुआ है और विविधीकरण हुआ है। प्रतिस्पर्धी भूमिका वाले खिलाड़ी बाजारों में दिखाई दिए हैं। उत्पादों की कीमतें प्रतिस्पर्धी समूहों द्वारा निर्धारित की जाती हैं और वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण एकाधिकार बाजार समाप्त हो रहे हैं। वैश्वीकरण ने व्यावसायीकरण, सहयोग और निगमीकरण को प्रोत्साहित किया है। इसने उपभोक्तावादी संस्कृति का निर्माण किया है। आर्थिक रूप से, वैश्वीकरण ने लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि की है और इस प्रकार राष्ट्रों की समृद्धि सुनिश्चित की है।

वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम लोगों, उनके परिवारों और उनके समाजों के जीवन और कार्य पर वैश्वीकरण के प्रभाव से संबंधित हैं। रोजगार, काम करने की स्थिति, आय और सामाजिक सुरक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में अक्सर चिंता व्यक्त की जाती है। काम की दुनिया से परे, सामाजिक आयाम में सुरक्षा, संस्कृति और पहचान, समाज से समावेश या बहिष्कार और परिवारों और समुदायों का सामंजस्य शामिल है। इसके अतिरिक्त, समाज को बनाए रखने वाली वैचारिक धाराओं पर इसके प्रभाव, राजनीति का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

वैश्वीकरण का आधुनिकीकरण से गहरा संबंध है। प्रारंभिक आधुनिकीकरण (अर्थात जब 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की) से लेकर आज के आधुनिकीकरण तक, वैश्वीकरण से तेजी आई है। वैश्वीकरण का विकास विशेष रूप से 20वीं शताब्दी के बाद अधिकतम स्तर तक बढ़ गया है। यह अवधि आधुनिकीकरण का तीसरा चरण भी है, जो आधुनिकीकरण के वैश्वीकरण से संकेतित है। आधुनिकीकरण का वैश्वीकरण औद्योगीकरण, शहरीकरण, पूंजीवाद, आधुनिक राष्ट्र राज्यों और जन सामाजिक आंदोलन के माध्यम से उभरता है। दूसरे शब्दों में, इन पांच प्रक्रियाओं से वैश्वीकरण को गति मिली है।

वैश्वीकरण एक सामाजिक और ऐतिहासिक वास्तविकता है। यह सामाजिक परिवर्तन की एक सतत प्रक्रिया है जो लोगों, आस–पड़ोस, शहरों, क्षेत्रों और देशों को पहले से कहीं अधिक निकटता से जोड़ती है। इसके परिणामस्वरूप विविध वस्तुओं, समुदायों, विचारों और सूचनाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ी है और इस तरह समाजों में तेजी से परिवर्तन सुनिश्चित हुआ है।

आईसीटी और वैश्वीकरण सूचना संचार प्रौद्योगिकी मूल रूप से सूचना प्रसारण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति की एक इलेक्ट्रॉनिक आधारित प्रणाली है, जिसने हमारे सोचने के तरीके, हमारे जीने के तरीके और जिस वातावरण में हम रहते हैं, उसमें काफी बदलाव किया है। यह महसूस किया जाना चाहिए कि वैश्वीकरण केवल वित्तीय बाजारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटनाओं की पूरी श्रृंखला शामिल है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्रांति वैश्वीकरण के लिए केंद्रीय और प्रेरक शक्ति है और मानव अस्तित्व के सभी पहलुओं में गतिशील परिवर्तन आईसीटी क्रांति की वर्तमान वैश्वीकरण अवधि का प्रमुख उप–उत्पाद है।

1.8 मुख्य शब्दावली

- **आवाजाही** : आना–जाना।
- **मुनाफा** : लाभ।

टिप्पणी

- **प्रवाह** : बहाव।
- **उद्भव** : जन्म, उदय।
- **संप्रभुता** : शासन, सत्ता।
- **परिप्रेक्ष्य** : संदर्भ।
- **प्रभुत्व** : अधिकार।
- **दरकिनार** : अलग कर देना।
- **दरिद्रता** : गरीबी।
- **प्रोत्साहन** : बढ़ावा।

1.9 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

लघु–उत्तरीय प्रश्न

1. वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? परिभाषित कीजिए।
2. वैश्विक पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए।
3. आधुनिकीकरण की परिभाषा दीजिए।
4. वैश्वीकरण की दो विशेषताएं लिखिए।
5. वैश्वीकरण की तीन हानियां बताइए।

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. वैश्वीकरण की अवधारणा एवं प्रकृति की विवेचना कीजिए।
2. वैश्वीकरण के ऐतिहासिक संदर्भ को व्याख्यायित कीजिए।
3. वैश्विक पूंजीवाद तथा आधुनिकीकरण का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए।
4. वैश्वीकरण की विशेषताओं को विस्तार से समझाइए।
5. वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी एवं सूचना की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

1.10 सहायक पाठ्य सामग्री

1. Hodkinson, P. 2011. *Media, Culture and Society*. London: Sage Publications.
2. Macionis, J. & Plummer, K. 2012. *Sociology: A Global Introduction*. 5th edition. London: Pearson.
3. Madhok, M. 2013. *News Media in India: The impact of Globalization*. New Delhi: New Century Publication.
4. John Baylis, Steve smith and Patrica Owens, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Politics*, Oxford University press, New York, 2008
5. David Held (Second edition), Globalizing World,

टिप्पणी

6. C.P. Chanderasakern and Jayati Ghosh, *The Market that failed: A decade of Neo Liberal Economics Reforms in India,* Left world, New Delhi, 2000
7. Ahluwalia, Montek S., *"India's Economic Reforms: An Appraisal,"* in Jeffrey Sachs and Nirupam Bajpai's (eds.), *"India in the Era of Economic Reform,"* Oxford University Press, New Delhi, 2000.
8. Bhagwati, J., and Srinivasan, T.N., *"Outward-Orientation on Development: Are the Revisionists Right,"* in *Trade, Development and Political Economy*, by Deepak Lal and Richard Snape eds. Palgrave, 2001.
9. Chaudhuri, Sudip, *"Economic Reforms and Industrial Structure in India,"* Economic and Political Weekly, January 12, 2002.
10. Davis, Jeffrey, Rolando Ossowski, Thomas Richardson, and Steven Barnett, *"Fiscal and Macroeconomic Impact of Privatization,"* IMF Occasional Paper 194, (2000).
11. Dev, Mahendra S., and Jos Mooli, *"Social Sector Expenditures in the 1990s: Analysis of Central and State Budgets,"* Economic and Political Weekly, March 2, 2002.
12. Jean Dreze and Amartya Sen, *"Economic Development and Social Opportunities,"* Oxford University Press, New Delhi (1995).
13. David Held and Anthony McGrew (ed.) *Globalization Theory: Approaches and Controversies.*

इकाई 2 वैश्वीकरण की एजेंसियां

टिप्पणी

संरचना

2.0 परिचय

2.1 उद्देश्य

2.2 वैश्वीकरण की एजेंसियां : वैश्वीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्र राज्य, मीडिया, बाजार एवं गैर सरकारी संगठन

- 2.2.1 वैश्वीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था
- 2.2.2 बहुराष्ट्रीय कंपनियां
- 2.2.3 वैश्वीकरण और राष्ट्र राज्य
- 2.2.4 वैश्वीकरण और मास मीडिया
- 2.2.5 मास मीडिया का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य व विभिन्न सेवाएं
- 2.2.6 बाजार का अर्थ एवं परिभाषाएं
- 2.2.7 बाजारों का वैश्वीकरण
- 2.2.8 गैर सरकारी संगठन

2.3 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक

- 2.3.1 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
- 2.3.2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- 2.3.3 विश्व बैंक
- 2.3.4 विश्व व्यापार संगठन

2.4 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

2.5 सारांश

2.6 मुख्य शब्दावली

2.7 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

2.8 सहायक पाठ्य सामग्री

2.0 परिचय

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप एक महान परिवर्तन हुआ है। वैश्वीकरण के बाद, इस अवधि में कोई राजनीतिक शक्ति और नियामक प्राधिकरण नहीं है। अब इनके अंतर्गत काम करने वाली सरकारों का विशेष संरक्षण वैश्वीकरण के साथ किया गया है जिससे शासन की बहुस्तरीय प्रणाली के उदय के नए रूप में अंतर सरकारी, सुपरनेशनल और यहां तक कि निजी क्षेत्र के नियामक तंत्र जो पूरक हैं, और कुछ मामलों में, जो अधिक्रमण करते हैं वहां राष्ट्रीय शासन प्रणाली का उदय हुआ है। ये नए संस्थान अब वैश्विककर्ता (Actors) बन गए हैं।

प्रस्तुत इकाई में वैश्वीकरण की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बारे में विस्तार से समझाया गया है। यह इकाई कुछ उभरती हुई वैश्विक एजेंसियों से परिचित कराने का प्रयास करती है। साथ ही इन संस्थानों (एजेंसियों) की उत्पत्ति, संरचना, कार्यों, लाभ और सीमाओं को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है।

2.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- वैश्वीकरण की विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बारे में जान पाएंगे;

टिप्पणी

- बहुराष्ट्रीय कंपनी की उत्पत्ति, संरचना और कार्य से परिचित हो पाएंगे;
- वैश्वीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बारीकियों को समझ पाएंगे;
- वैश्वीकरण एवं राष्ट्र राज्य की भूमिका से अवगत हो पाएंगे;
- वैश्वीकरण में मीडिया और बाजारों की भूमिका की विवेचना कर पाएंगे;
- वैश्वीकरण के प्रसार हेतु सबसे बड़ी एजेंसियों के रूप में विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रयासों के बारे में जान पाएंगे।

2.2 वैश्वीकरण की एजेंसियां : वैश्वीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्र राज्य, मीडिया, बाजार एवं गैर सरकारी संगठन

आधुनिक युग की शुरुआत के बाद से, राष्ट्रों ने अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता की सावधानीपूर्वक रक्षा की है। राष्ट्रीय सरकारें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर आर्थिक और राजनीतिक मामलों के प्राथमिक मध्यस्थ के रूप में उभरी हैं। इन सरकारों ने धीरे–धीरे आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जिम्मेदारियां ग्रहण की हैं।

जैसे–जैसे बीसवीं सदी करीब आई है, स्वतंत्र राज्यों की आधुनिक व्यवस्था में बदलाव होता जा रहा है। राष्ट्रीय सरकारें धीरे–धीरे घरेलू, आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण खो रही हैं। अलग–अलग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को एक एकल, एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था और आधारभूत राजनीतिक कार्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जो परंपरागत रूप से राष्ट्रीय प्राधिकरणों के प्रांत रहे हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय निगमों सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को सौंपा जा रहा है। आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण की दोहरी प्रक्रियाओं ने हमारी विश्व व्यवस्था को मौलिक रूप से बदल दिया है।

एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एक उद्यम है जो कई देशों में संचालित होती है लेकिन किसी एक (घर) देश से प्रबंधित होती है। तकनीकी रूप से, कोई भी कंपनी या समूह जो अपने राजस्व का एक चौथाई अपने देश के बाहर संचालन से प्राप्त करता है, एक बहुराष्ट्रीय निगम माना जाता है। एक बहुराष्ट्रीय निगम, एक निगम या एक उद्यम है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का प्रबंधन करता है या सेवाएं प्रदान करता है।

आम तौर पर, एक देश में बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रबंधन मुख्यालय स्वदेश के रूप में जाना जाता है और कई अन्य देशों में इसके संचालन को मेजबान देशों के रूप में जाना जाता है। एक बहुराष्ट्रीय निगम (एमएनसी) एक उद्यम है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में संलग्न है। एक फर्म वास्तव में बहुराष्ट्रीय नहीं है यदि वह सिर्फ विदेशी व्यापार में संलग्न है या विदेशी फर्मों के ठेकेदार के रूप में कार्य करती है।

शब्द "वैश्वीकरण" मूलतः एकल अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक–अर्थव्यवस्था को इंगित करने हेतु गढ़ा गया। आर्थिक एकीकरण एक लुभावनी गति से आगे बढ़ रहा है। बेशक, राष्ट्रीय सीमाओं के पार माल और सेवाओं की आवाजाही में कुछ भी नया नहीं है।

टिप्पणी

हालांकि, हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी से हुई वृद्धि अभूतपूर्व है। पिछली पीढ़ी के दौरान विदेशी व्यापार चौगुना हो गया है और अब 2021 में इसका मूल्य 28 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष है (स्रोत : UNCTA रिपोर्ट)। उत्पादन के अंतर्राष्ट्रीयकरण में आर्थिक एकीकरण भी परिलक्षित होता है। 1970 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय निगमों की संख्या और आकार में वास्तव में शानदार वृद्धि हुई है। उत्पादन अब वैश्विक आधार पर आयोजित किया जाता है क्योंकि निगम नियमित रूप से सबसे अधिक लाभदायक निवेश की तलाश में संचालन को एक स्थल से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। पूंजी प्रवाह में भी तेजी से विस्तार हुआ है। कॉर्पोरेट आय, मुद्रा मूल्यों या ब्याज दरों में थोड़े से बदलाव के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार वर्तमान में हर दिन सैकड़ों अरबों डॉलर का हस्तांतरण करता है। आर्थिक एकीकरण भी नई प्रौद्योगिकियों के तेजी से प्रसार में परिलक्षित होता है जो दुनिया के दूर के कोनों में उत्पादन सुविधाओं को दोहराते हैं। अंत में, बेहतर जीवन स्तर की अतृप्त खोज में राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों के आंदोलनों में एकीकरण देखा जा सकता है। एकल वैश्विक अर्थव्यवस्था का उद्‌भव कई शक्तियों का सम्मिलित का उत्पाद है। स्पष्ट रूप से "तकनीकी क्रांति" ने राष्ट्रीय सीमाओं की पारगम्यता में योगदान दिया है। परिवहन में प्रगति ने अंतर्राष्ट्रीय निगमों के लिए दुनिया भर में अपने उत्पादों का उत्पादन और विपणन करना बहुत आसान बना दिया है। संचार और सूचना प्रणाली में प्रगति का समान प्रभाव पड़ा है। कंप्यूटर, उपग्रह, लेजर, फाइबर ऑप्टिक्स और माइक्रो चिप प्रौद्योगिकियां निगमों को दुनिया में लगभग कहीं भी सहयोगियों के साथ प्रत्यक्ष और निकट तात्कालिक संपर्क बनाए रखने की अनुमति देती हैं। आर्थिक एकीकरण भी सरकारी सुधारों का एक उत्पाद है। पिछले दो दशकों के दौरान दुनिया की अधिकांश सरकारों ने व्यापार को उदार बनाने, उत्पादन को नियंत्रण मुक्त करने और घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करने के लिए नव–उदारवादी सुधारों को अपनाया है।

आर्थिक एकीकरण धीमा होने के बहुत कम संकेत दिखाता है। जबकि दुनिया को क्षेत्रीय रूप से विभाजित किया जा रहा है, और राष्ट्रीय सरकारें पर्याप्त शक्तियों के साथ निहित हैं, आर्थिक एकीकरण ने स्पष्ट रूप से राजनीतिक संप्रभुता को नष्ट कर दिया है। राष्ट्रीय सरकारों ने अपने क्षेत्रों के भीतर होने वाली अधिकांश आर्थिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण खो दिया है। इसमें धन की आपूर्ति को नियंत्रित करना, ब्याज दरें निर्धारित करना, मजदूरी दर स्थापित करना और सामाजिक कल्याण को बढ़ाना शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारों को अपनी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने में कठिनाई हो रही है। विस्तारित राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के परिणामस्वरूप अक्सर पूंजी की उड़ान और स्थानीय मुद्रा का अवमूल्यन होता है। निजी निगमों पर कर बढ़ाने या नियंत्रण बढ़ाने के प्रयास केवल उत्पादन में दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में बदलाव को प्रोत्साहित करते हैं।

राष्ट्रीय संप्रभुता का क्षरण भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करता है। राजनीतिक सत्ता में राष्ट्रीय सरकारों से दूर और अनिर्वाचित कॉर्पोरेट निकायों और गैर–जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में एक उल्लेखनीय बदलाव आया है। आर्थिक एकीकरण राजनीतिक एकीकरण को प्रेरित करता है। चूंकि राष्ट्रीय हित वैश्विक बाजारों के तर्क के अधीन हैं, इसलिए घरेलू राजनीतिक जिम्मेदारियों को सुपरनेशनल संस्थानों द्वारा एक अघोषित अंग बना लिया गया है।

टिप्पणी

आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण आधुनिक विश्व व्यवस्था को बदल रहा है, यह परिवर्तन किसी भी तरह से एक समान नहीं है। वैश्वीकरण के लाभ असमान रूप से वितरित किए जाते हैं। कुछ राष्ट्र और समूह अन्य राष्ट्रों और समूहों की कीमत पर आगे बढ़ते हैं। सबसे गहरा और कठिन विभाजन आज उत्तर के औद्योगिक राष्ट्रों और दक्षिण के विकासशील देशों के बीच है। औद्योगीकृत राष्ट्र वैश्वीकरण के प्राथमिक लाभार्थी रहे हैं। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति उत्तर के अंतर्राष्ट्रीय निगमों, बाजारों और वित्तीय संस्थानों में केंद्रित है। कई मायनों में, लामबंदी ने दुनिया के अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई को चौड़ा किया है। लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी और एशियाई देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अधीनस्थ स्थिति पर कब्जा करना जारी रखते हैं। दुनिया के लगभग तीन चौथाई लोग विकासशील दुनिया में रहते हैं, फिर भी उनके पास दुनिया की संपत्ति का सिर्फ सातवां हिस्सा है।

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक प्रणाली में एकीकरण तीव्र गति से आगे बढ़ा है। यह 1980 के दशक के संकट के वर्षों के बाद से विशेष रूप से सच साबित हो रहा है। बड़े विदेशी ऋणों का संचय, निर्यात आय में कमी के साथ, पूरे दक्षिण में विदेशी मुद्रा की वही पुरानी कमी का कारण बना। महत्वपूर्ण आयातों की खरीद जारी रखने के लिए, विकासशील देशों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर रुख किया। विदेशी मुद्रा समर्थन और ऋण पुनर्निर्धारण घरेलू अर्थव्यवस्थाओं के वैश्विक बाजारों के साथ एकीकरण की शर्त पर निर्भर थे। सरकारों पर संरक्षणवादी टैरिफ और गैर–टैरिफ बाधाओं को कम करके विदेशी व्यापार पर प्रतिबंधों को कम करने के लिए दबाव डाला गया था। सरकारों पर विदेशी निवेश पर प्रतिबंधों को कम करने का भी दबाव था। स्थानीय इक्विटी भागीदारी, रोजगार सृजन, पूंजी पुनर्निवेश, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, या प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण जैसी पुरानी आवश्यकताओं को विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए उदार प्रोत्साहनों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसके अलावा, राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों के निजीकरण ने विदेशी आविष्कारकों को पर्याप्त छूट पर स्थानीय उत्पादक संपत्ति हासिल करने की अनुमति दी।

विकासशील देशों के वैश्विक बाजारों के साथ एकीकरण के मिश्रित परिणाम सामने आए हैं। निर्यात के विस्तार ने आर्थिक विकास दर में वृद्धि की है जबकि नए विदेशी निवेश की आमद ने बहुत आवश्यक पूंजी और उन्नत प्रौद्योगिकी की शुरुआत की है। हमारे कई योगदानकर्ता विकासशील देशों के लिए आर्थिक एकीकरण के संभावित लाभों पर प्रकाश डालते हैं। हालांकि, इनमें से अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं पूंजी उड़ान, मुद्रा हेरफेर, अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों में बदलाव और वैश्विक कमोडिटी कीमतों में उतार–चढ़ाव के लिए बेहद कमजोर हैं।

वैश्वीकरण के लाभ भी दुनिया के देशों में असमान रूप से वितरित हुए हैं। विश्व के उत्तरी भाग को देखकर यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि निगमों और पेशेवरों को लाभ हुआ है, कार्यबल के कई वर्ग, विशेष रूप से अकुशल श्रमिक, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। पूंजी गतिशीलता के कारण विनिर्माण नौकरियों की संख्या में कमी आई है तथा मूल वेतन दरों में भी कमी आई है। कंपनियां असंगठित श्रमिकों से न्यून दर पर काम करवाने या विदेशी आदानों को खरीदने के लिए भी अधिक मजबूत स्थिति में हैं। इसके परिणामस्वरूप कम वेतन, नौकरी की सुरक्षा का नुकसान और आय का

टिप्पणी

अधिक असमान वितरण होता है। वैश्वीकरण के प्रतिकूल प्रभाव तत्काल कार्यस्थल से भी आगे जाते हैं। वैश्वीकरण ने सभी समुदायों को कमजोर कर दिया है। अतीत में निगमों ने उन समुदायों के साथ संबंध विकसित किए जिनके बीच वे काम करते थे, अक्सर स्थानीय बुनियादी ढांचे, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य देखभाल में योगदान करते थे। आज की उच्च स्तर की पूंजी गतिशीलता ने इन सामुदायिक संबंधों को कमजोर कर दिया है। निगम स्थानीय समुदायों में सकारात्मक योगदान देने हेतु कम इच्छुक हैं, इसके विपरीत कर छूट और स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण नियमों को ढीला करने की मांग करते हैं। स्थानीय समुदायों द्वारा इनका विरोध करने पर ये कंपनियां उत्पादन को कहीं और स्थानांतरित करने की धमकी देती हैं।

दक्षिण में असमान वितरण और भी अधिक स्पष्ट है। यहां वैश्वीकरण का लाभ आबादी के काफी संकीर्ण हिस्से तक पहुंचा है। बड़े जमींदारों और निर्यातोन्मुखी उद्यमियों ने अपने उत्पादों के लिए व्यापक बाजार प्राप्त किए हैं, स्थानीय व्यवसायियों को विदेशी निवेशकों के साथ संयुक्त उद्यम व्यवस्था से लाभ हुआ है, और पेशेवरों को निगमों के साथ रोजगार के विस्तारित अवसर मिले हैं। दूसरी ओर, गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों ने रोजगार एवं लाभ के अवसरों में गिरावट देखी है।

छोटे जमींदारों को स्थानीय और विदेशी निर्यातकों द्वारा विस्थापित किया गया है तथा बड़े पैमाने पर उत्पादित विदेशी उत्पादों की आमद से छोटे पैमाने के कारीगर परेशान हैं। हालांकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने कुछ विनिर्माण नौकरियां पैदा की हैं, इन पदों के साथ आम तौर पर कम मजदूरी दर, खराब स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति, लंबे समय तक काम करने के घंटे और जबरन ओवरटाइम जैसी समस्याएं हैं। कुल मिलाकर काम करने की स्थिति वास्तव में पूरे दक्षिण में खराब हो गई है क्योंकि राष्ट्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक–दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है।

वैश्वीकरण के दौरान मुक्त व्यापार और सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था बदल गई है, जहां राजनीतिक अर्थव्यवस्था की दो व्याख्याएं हैं, पहली– औद्योगिक निर्माताओं के स्वार्थ के अनुसार चुनी गई नीतियों के हिसाब से राजनीतिक निर्णय, और दूसरी– यह कि सरकार आवश्यक रूप से सार्वजनिक हित में कार्य करती है, एक व्यापक मानक विषय रहा है एवं जिसे एक सिद्धांत के संदर्भ में व्यक्त किया गया है।

2.2.1 वैश्वीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था

पिछली दो शताब्दियों के दौरान "राजनीतिक अर्थव्यवस्था" शब्द की कई अलग–अलग परिभाषाएँ निर्धारित की गई हैं। उन परिभाषाओं में परिवर्तन का एक संक्षिप्त सारांश विषय की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। द वेल्थ ऑफ नेशंस (1776) में एडम स्मिथ के लिए, राजनीतिक अर्थव्यवस्था "राजनेता या विधायक के विज्ञान की शाखा" थी और अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय प्रबंधन के विवेकपूर्ण या अंतिम प्रमुख शास्त्रीय अर्थशास्त्री स्टुअर्ट मिल के लिए एक मार्गदर्शक थी। जॉन स्टुअर्ट के अनुसार, राजनीतिक अर्थव्यवस्था (पॉलिटिकल इकॉनामी) वह विज्ञान था जो एक राष्ट्र को अमीर बनना सिखाता है। इन विचारकों ने राष्ट्रों की संपत्ति पर जोर दिया, और "पॉलिटिकल" शब्द "इकॉनामी" शब्द के समान ही महत्वपूर्ण था।

बीसवीं सदी के अंत में, "राजनीतिक अर्थव्यवस्था" शब्द अर्थशास्त्रियों के बीच भी फैशन में वापस आ गया है, लेकिन इस शब्द के पहले के एवं वर्तमान के उपयोगों में महत्वपूर्ण अंतर हैं तथा शब्द के अर्थ पर भी काफी विवाद है।

टिप्पणी

वैश्वीकरण से पहले, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का स्व–हित विषय मुख्य रूप से उद्योग–विशिष्ट हितों के विवरण के माध्यम से व्यक्त किया गया था जो राजनीतिक रूप से प्रदान किए गए लाभों की मांग कर रहे थे और बदले में राजनीतिक समर्थन या शायद व्यक्तिगत लाभ की पेशकश कर रहे थे। वैश्वीकरण के बाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार के विरोध का विषय उद्योग के हितों के बजाय उत्पादन के कारकों की व्यापक श्रेणियों को प्रभावित करने वाले आय वितरण पर आधारित है– हालांकि उद्योग के हित पर्यावरण और श्रम मानकों से जुड़े सामाजिक उद्देश्यों के समर्थकों के साथ सामान्य कारणों से मौजूद हैं।

राजनीतिक अर्थव्यवस्था के मानक विषय में निर्दिष्ट किया गया है कि सरकार को कैसे देखा जाता है। वैश्वीकरण–पूर्व मॉडल ने मुस्ग्रेव की नीति पृथक्करण का उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया था कि सरकार द्वारा मुक्त व्यापार से प्रस्थान करने के निर्णयों में दक्षता के आधार पर सामाजिक योग्यता थी, जिससे सरकार के मानक सिद्धांत को अभिनय के रूप में बनाए रखा गया था– सामाजिक हित में। वैश्वीकरण के बाद के युग में सरकारों को भी बाजारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों द्वारा संरक्षित किया जाता है। कारण है सरकार की वे नीतियां (या नीतियों की अनुपस्थिति) जो पर्यावरण और श्रम–मानक समस्याओं के स्रोत हैं जिन्हें प्रदर्शनकारी हल करना चाहते हैं। सरकार के लिए वैश्वीकरण के पूर्व और बाद के दृष्टिकोण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में हम जिस सामान्य विषय की पहचान करते हैं, वह आदर्श सिद्धांत यह है कि सरकार सार्वजनिक हित में कार्य करती है। वैश्वीकरण–पूर्व की दूसरी सबसे अच्छी और रणनीतिक–व्यापार नीति के विचारों ने सरकारों के राजनीतिक समर्थन और आय वितरण चिंताओं के कारण मुक्त व्यापार से प्रस्थान के उद्देश्यों की वास्तविकता को संबोधित नहीं किया। वैश्वीकरण के बाद के दौर में, गरीब देशों की सरकारें अपनी नीतियों के आलोचनात्मक मूल्यांकन के कारण अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के विरोध की दिशा के पक्ष में हैं। सरकार का एक मानक दृष्टिकोण जो केवल जनहित में कार्य करता है, ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देता है जो लाभकारी परिवर्तन का आधार हो सकते हैं। वैश्वीकरण से पहले यह मामला था और एक अलग फोकस के साथ, वैश्वीकरण के आगमन के बावजूद मामला बना हुआ है।

राजनीतिक अर्थव्यवस्था का यह अध्ययन अब इतिहासकारों, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच बहुत प्रचलन में है। यह रुचि एक बढ़ती हुई प्रशंसा को दर्शाती है कि राजनीति और अर्थशास्त्र की दुनिया, जिन्हें कभी अलग माना जाता था (कम से कम अकादमिक जांच के क्षेत्र के रूप में), वास्तव में एक–दूसरे को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। कई राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस विषय की जितनी सराहना की है, उसकी तुलना में राजनीति आर्थिक विकास से बहुत अधिक प्रभावित होती है, और सामान्य रूप से अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया है कि अर्थव्यवस्था सामाजिक और राजनीतिक विकास पर अधिक निर्भर है। दो क्षेत्रों के बीच अंतर्संबंधों की मान्यता ने इतिहासकारों और सामाजिक वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है।

2.2.2 बहुराष्ट्रीय कंपनियां

टिप्पणी

व्यापक वित्तीय, प्रबंधकीय और विपणन संसाधनों वाली बड़ी कंपनियों को निरूपित करने के लिए दुनिया भर में बहुराष्ट्रीय शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश में अपना प्रधान कार्यालय रखने वाली कंपनियों की तरह हैं और व्यावसायिक गतिविधियां मूल देश और अन्य देशों में फैली हुई होती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि सस्ते श्रम और कच्चे माल की उपलब्धता दूसरे देशों में स्थित होती है। बहुराष्ट्रीय निगमों (संक्षेप में बहुराष्ट्रीय कंपनियां) और निगम (टीएनसी), सुपर नेशनल एंटरप्राइजेज, वैश्विक कंपनियों को इसी तरह ट्रांसनेशनल के रूप में भी जाना जाता है।

प्रो. जॉन एच. डनिंग के अनुसार, "एक बहुराष्ट्रीय उद्यम वह है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करता है, अर्थात, जो एक से अधिक देशों में आय एकत्र करने वाली संपत्ति का मालिक होता है या नियंत्रण करता है; और ऐसा करने में अपने मूल देश के बाहर माल या सेवाओं का उत्पादन करता है, अर्थात, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन में संलग्न होता है।"

एक बहुराष्ट्रीय निगम को एक ऐसे उद्यम के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जो एक से अधिक देशों में कारखानों, खानों, तेल रिफाइनरियों, वितरण चैनलों, कार्यालयों आदि जैसी उत्पादन सुविधाओं का मालिक है और/या नियंत्रित करता है।

बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) की विशेषताएं

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं–

- **विशाल आकार** : बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनका विशाल आकार है। उनकी संपत्ति और बिक्री अरबों डॉलर में होती है और वे बहुत लाभ भी कमाते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय संचालन** : बहुराष्ट्रीय कंपनियां संपूर्ण दुनिया में काम करती हैं। ऐसे में निगम नियंत्रण एक ही संस्था के हाथों में रहता है परंतु इसके हित और संचालन राष्ट्रीय सीमाओं में फैले हुए होते हैं। अमेरिका की पेप्सी कोला कंपनी 114 देशों में काम करती है।
- **अल्पाधिकार संरचना** : समय के साथ एक बहुराष्ट्रीय कंपनी क्षेत्रीय कंपनियों के स्वयं में विलय की प्रक्रिया के माध्यम से और अधिग्रहण द्वारा भयानक शक्ति ग्रहण करती है। अपने विशाल आकार के साथ मिलाकर क्षेत्रीय कंपनी को चरित्र में कुलीन बनाती है और एक बड़ी राशि का लाभ प्राप्त करती है।
- **स्वतः स्फूर्त विकास** : बहुराष्ट्रीय कंपनियां आमतौर पर स्वतःस्फूर्त रूप से विकसित होती हैं और वे अचेतन तरीके से, सस्ता श्रम, सस्ते संसाधन उपलब्ध कराकर और मेजबान देश में आसान पहुंच बनाकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी ओर ले जाती हैं।
- **संसाधनों का सामूहिक हस्तांतरण** : एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संसाधनों के हस्तांतरण की बहुपक्षीय सुविधा प्रदान करती है। आमतौर पर यह ट्रांसफर एक पैकेज, जिसमें तकनीकी जानकारी, और मशीनरी, सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रबंधकीय सेवाएं, उपकरण शामिल हैं स्वरूप में होता है।

टिप्पणी

- **अमेरिकी प्रभुत्व** : बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिकी प्रभुत्व में हैं। 1971 में, शीर्ष की 25 बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से 18 अमेरिकी मूल की थीं। आज भी यह परिदृश्य कायम है। यह U.S.A को बिजनेस टाइकून बनाता है और इस प्रकार विश्व का अमेरिकीकरण होता है।
- **उच्च दक्षता** : बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने व्यवसाय को दक्षता के साथ संचालित करती हैं। वे उन्नत तकनीक का उपयोग करती हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रकार

बहुराष्ट्रीय निगमों की चार श्रेणियां हैं–

- अपने देश में मजबूत एक बहुराष्ट्रीय, विकेन्द्रीकृत निगम जिसकी अन्य देशों में उपस्थिति हो।
- एक वैश्विक, केंद्रीकृत निगम जो केंद्रीकृत उत्पादन के माध्यम से (जहां सस्ते संसाधन उपलब्ध हैं) लागत लाभ प्राप्त करता है।
- एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जो मूल निगम की तकनीक और अनुसंधान एवं विकास पर आधारित है।
- एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यम जो उपर्युक्त तीनों दृष्टिकोणों को जोड़ता है।

विश्व की प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियां

विश्व की कुछ प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो इस प्रकार हैं–

माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन : माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना 4 अप्रैल, 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में की गई थी। इसके प्रधान कार्यालय रेडमंड, वाशिंगटन में हैं। बिल गेट्स वर्तमान में इसके प्रौद्योगिकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, जॉन डब्ल्यू थॉम्पसन अध्यक्ष हैं और सत्य नडेला इसके सीईओ हैं।

नोकिया कॉर्पोरेशन : नोकिया नेटवर्क के बुनियादी ढांचे और स्थानों के आधार पर प्रौद्योगिकियों की दुनिया में अग्रणी नामों में से एक है। यह उन्नत तकनीकों में भी काम करता है। इसके प्रधान कार्यालय एस्पू, फ़िनलैंड में हैं और यह भारत सहित दुनिया भर में संचालित होता है। नोकिया के लिए फोकस का प्रमुख क्षेत्र ऐसी प्रौद्योगिकियों का निर्माण करना है जो भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकें। इसके सीईओ पेक्का लुंडमार्क हैं।

नेस्ले : नेस्ले दुनिया भर में खाद्य और पेय पदार्थों की दुनिया में शीर्ष नामों में से एक है। यह 140 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है और कम से कम 197 देशों में संचालित होता है। इसने 2014 में विभिन्न क्षमताओं में 3,39,000 लोगों को रोजगार दिया। इसका उद्देश्य पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की दुनिया में शीर्ष नाम बनाना है। इसके सीईओ मार्क श्नाइडर हैं।

कोका कोला : पेय पदार्थों में अग्रणी वैश्विक ब्रांडों में से एक, कोका कोला भारत में पेय, ऊर्जा पेय, जूस, चाय, पैकेज्ड पानी और कॉफी के साथ उत्पादों का अपना संपूर्ण पोर्टफोलियो प्रदान करता है। कोका कोला दुनिया भर में 3,500 से अधिक पेय पदार्थ प्रदान करता है। यह भारत में सिस्टम से संबंधित कार्यों के लिए 25,000 लोगों को रोजगार देता है। इसमें 1,50,000 अप्रत्यक्ष कर्मचारी भी हैं। अपनी फ्रैंचाइजी के साथ

कोका कोला के भारत में 56 बॉटलिंग प्लांट हैं। भारत में अपने 35 वर्षों के अस्तित्व में, कोका कोला ने आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है और भारत के आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इसने देश के पेय क्षेत्र में हुए नवाचार में भी प्रमुख भूमिका निभाई है। इसके सीईओ जेम्स क्विनसी हैं।

टिप्पणी

प्रोक्टर एंड गैंबल : जहां तक उपभोक्ता वस्तुओं का संबंध है, प्रॉक्टर एंड गैंबल शीर्ष नामों में से एक है। इसकी स्थापना सिनसिनाटी, ओहियो में 31 अक्टूबर 1837 को विलियम प्रॉक्टर और जेम्स गैंबल द्वारा की गई थी। इसके प्रधान कार्यालय सिनसिनाटी में स्थित हैं। यह क्यूबा को छोड़कर पूरी दुनिया में काम करता है। डेविड एस. टेलरइसके अध्यक्ष, सीईओ और अध्यक्ष हैं।

आईबीएम : आईबीएम या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी कंसल्टिंग की दुनिया में एक अग्रणी नाम है। इसकी स्थापना चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट ने एंडिकॉट, न्यूयॉर्क में की थी। वर्तमान में, इसके प्रधान कार्यालय अर्मोन्क, न्यूयॉर्क में हैं। यह 170 देशों में काम करता है। अरविंद कृष्णा इसके अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्य करते हैं। इसमें 3,79,592 कर्मचारी हैं।

पेप्सिको : पेय पदार्थों की दुनिया में शीर्ष नामों में से एक, पेप्सिको का मुख्यालय परचेज, न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1896 में न्यू बर्न, नॉर्थ कैरोलिना में डोनाल्ड केंडल और हरमन ले द्वारा की गई थी। वर्तमान में, इसके सबसे प्रसिद्ध ब्रांड पेप्सी और इसके चिप्स सहित इसके उत्पाद भारत सहित पूरी दुनिया में पाए जा सकते हैं। इसके वर्तमान सीईओ और अध्यक्ष रेमन लैगुआर्टा हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विकास के पीछे के कारण

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विकास में दो कारकों के संयोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे हैं– संसाधनों का असमान भौगोलिक वितरण तथा व्यवस्था और बाजार की विफलता।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास कई शताब्दियों पहले का है, लेकिन उनका वास्तविक विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपीय देशों जैसे विकसित देशों से हैं। हाल के वर्षों में कोरिया, ताइवान, भारत, चीन आदि जैसे देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व बाजारों में काम कर रही हैं।

बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) का महत्व

बहुराष्ट्रीय निगमों का आज अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर क्रांतिकारी प्रभाव है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की वृद्धि ने कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूंजी प्रवाह और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अधिक पारंपरिक रूपों को प्रभावित किया है। आज वे विश्व अर्थव्यवस्था में एक शक्तिशाली शक्ति का गठन करते हैं।

वित्तीय तथा तकनीकी संसाधन और विशेषज्ञता

बहुराष्ट्रीय कंपनियां मेजबान समाजों को अपार संसाधन और निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और विशेषज्ञता प्रदान करती हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियां सीमा–पार संपर्क को बढ़ावा देने में मदद करती हैं यहां तक कि शिक्षा, विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा, ने वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्राप्त किया है। वैश्विक दृष्टिकोण और क्रॉसकल्चरल समझ के अवसर छात्रों की विदेशी वातावरण की

टिप्पणी

अनुकूलता को बढ़ाते हैं। यह संस्कृतियों और प्रथाओं के मिश्रण को बढ़ावा देता है और बहुलवाद के साथ–साथ प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित करता है।

दूसरा योगदान विदेशी मुद्रा या व्यापार अंतर को भरने से संबंधित है। यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियां निर्यात आय का शुद्ध सकारात्मक प्रवाह उत्पन्न कर सकती हैं तो विदेशी पूंजी का प्रवाह भुगतान संतुलन में घाटे को कम या दूर कर सकता है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तीसरी महत्वपूर्ण भूमिका उनके तथा लक्षित वर्ग के बीच की खाई को भरना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर (Tax) लगाकर सरकारें विकास परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक वित्तीय संसाधन जुटाने में सक्षम होती हैं।

चौथा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां न केवल वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती हैं बल्कि वे प्रबंधन अनुभव, उद्यमशीलता, क्षमताओं और तकनीकी कौशल सहित आवश्यक संसाधनों का एक पैकेज भी प्रदान करती हैं। इन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रमों और करके सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से अपने स्थानीय समकक्षों को हस्तांतरित किया जा सकता है।

इसके अलावा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने साथ उत्पादन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे परिष्कृत तकनीकी ज्ञान लेकर आती हैं, तथा आधुनिक मशीनरी, उपकरण और पूंजी गरीब देशों में स्थानांतरित करते हैं। ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी के इस तरह के हस्तांतरण को प्राप्तकर्ता देश के लिए वांछनीय और उत्पादक दोनों माना जाता है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियां

बहुराष्ट्रीय कंपनियां सामाजिक और आर्थिक विकास तथा सांस्कृतिक विविधता के क्षेत्र में मेजबान समाजों के लिए समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। इनकी चर्चा यहां की गई है।

हितों का टकराव : बहुराष्ट्रीय कंपनियां वाणिज्यिक संगठन हैं और उनका एकमात्र हित अपनी निवेशित पूंजी पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना, बाजार के शेयरों पर कब्जा करना और उनकी दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों और मेजबान समाजों के बीच हितों का टकराव होता है।

ब्रेन ड्रेन : बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आकर्षक वेतन मेजबान देशों की प्रतिभाओं को आकर्षित करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदय के कारण क्रॉस नेशनल रोजगार आम होता जा रहा है। ब्रेन ड्रेन शब्द का प्रयोग आमतौर पर उस स्थिति के लिए किया जाता है जब प्रतिभा दूसरे देशों में जाती है। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां ब्रेन ड्रेन को बढ़ावा देती हैं। मेजबान देश उन प्रतिभाशाली लोगों की सेवाएं प्राप्त करने में विफल रहता है जिन्हें उसने अब तक पाला था।

सांस्कृतिक परिवर्तन : बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों हेतु, उपभोक्ताओं में आवश्यकता उत्पन्न करने के लिए विपणन रणनीति और उनका उपयोग, विकास और निरंतरता को परिष्कृत करती हैं। वे अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रसिद्ध हस्तियों के साथ सामाजिक विपणन और प्रभावी विज्ञापनों का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे आमतौर पर ग्लैमर की ओर आकर्षित होते हैं। प्रचार के लिए विशेष कार्यक्रम, त्योहार और अभियान आयोजित किए जाते हैं। इन विधियों का उपयोग कर यह एक संस्कृति द्वारा पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाली पोशाक, आहार, नृत्य, पेय आदि को बदल देते हैं।

समाज में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संचालन के प्रसार के साथ, विदेशी भाषाओं का महत्व बढ़ जाता है। ये सभी बातें सांस्कृतिक परिवर्तन लाती हैं।

टिप्पणी

मानवाधिकारों का उल्लंघन : बड़े व्यवसाय द्वारा श्रमिकों का शोषण एक सामान्य घटना है। अधिकांश श्रमिकों को खतरनाक और अमानवीय परिस्थितियों, अत्यधिक परिश्रम और वित्तीय दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। श्रम कानूनों का शायद ही कभी पालन किया जाता है। यह श्रमिकों के हितों को प्रभावित करता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा भी न्यूनतम होती है।

विकसित देशों में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मेजबान समाजों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विकसित देशों के विकास में बहुत योगदान दिया है और दोनों ने साथ–साथ प्रगति की है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नकारात्मक प्रभावों ने एक मजबूत और जीवंत वैश्विक न्याय आंदोलन को जन्म दिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नकारात्मक प्रभावों को कुछ सकारात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है।

2.2.3 वैश्वीकरण और राष्ट्र राज्य

वैश्वीकरण में राष्ट्र–राज्य की भूमिका जटिल है। वैश्वीकरण को आम तौर पर राष्ट्र–राज्यों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सीमाओं का गायब होने या पूर्णतः लुप्त होने के रूप में पहचाना जाता है। यह राष्ट्र–राज्य के संबंध में दोहरा तर्क प्रस्तुत करता है। पहला तर्क इस प्रस्ताव के इर्द–गिर्द मंडराता है कि वैश्वीकरण राष्ट्र राज्य की निरंतरता के लिए एक खतरा है। दूसरा तर्क इस विचार पर केंद्रित है कि वैश्वीकरण राष्ट्र राज्यों को के बोझ को कम करके और आर्थिक समृद्धि को जोड़कर उन्हें मजबूत करता है। कुछ विद्वानों ने यह सिद्धांत दिया है कि राष्ट्र–राज्य, जो स्वाभाविक रूप से भौतिक और आर्थिक सीमाओं से विभाजित हैं, वैश्वीकृत दुनिया में कम प्रासंगिक होंगे। कुछ विद्वानों के लिए वैश्वीकरण राष्ट्र राज्यों की अवधारणा के लिए एक चुनौती है लेकिन, एक विरोधी समूह है जो इस तर्क को आगे बढ़ाता है कि वैश्वीकरण राष्ट्र राज्यों को मजबूत करता है। उनके लिए, वैश्वीकरण का आधुनिक रूप, आधुनिक राष्ट्र–राज्य का अंत नहीं होगा। विस्तारित व्यापार और संचार के कारण वैश्वीकरण के परिणाम और अधिक पूंजी निवेश और बाजार को मजबूत करना तथा राष्ट्र राज्यों को मजबूत करना वैश्वीकरण के कुछ ऐसे परिणाम होंगे जो आर्थिक विकास को निर्धारित और संचालित करते हैं। सरकारों द्वारा आय पर कर लगाने और पुनर्वितरण करने, अर्थव्यवस्था को विनियमित करने और अपने नागरिकों की गतिविधियों की निगरानी करने की क्षमता की आकांक्षा सभी लक्ष्यों में सर्वोपरि होगी। राष्ट्रीय संप्रभुता किसी भी तरह से नुकसान में नहीं है, बल्कि यह लाभ में है।

वैश्वीकरण की प्रकृति क्या है?

जब हम वैश्वीकरण की मूल प्रकृति का विश्लेषण करते हैं, तो शोल्ट ने लिखा है कि वैश्वीकरण हाल के विश्व इतिहास की एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम हैं। ये सभी पहलू परस्पर जुड़े हुए हैं और अतिव्यापी हैं। वैश्वीकरण का राजनीतिक पहलू सत्ता के अधिग्रहण और वितरण को प्रभावित करता है और आर्थिक पहलू संसाधन वितरण, उत्पादन, बाजार से संबंधित है।

ये सभी मौजूदा सामाजिक संस्थाओं, संबंधों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार, प्रत्येक पहलू दूसरे को आकार देता है।

टिप्पणी

गिडेंस ने उल्लेख किया कि वैश्वीकरण में आम तौर पर चार तत्व शामिल होते हैं जैसे कि विस्तार, तीव्रता, वेग और गहरा प्रभाव। विस्तार का तात्पर्य राष्ट्रीय सीमाओं के पार फैली सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों से है। यह प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में हुई प्रगति में अधिक तेजी के कारण संभव हुआ है। दुनिया भर में विचारों और वस्तुओं के प्रवाह से अन्योन्याश्रितता यानी गहनता बढ़ती है।

राष्ट्र–राज्य क्या है?

एक राष्ट्र राज्य को आम तौर पर एक ऐसे देश के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक सरकार के अधीन शासित होता है तथा सरकार को आवश्यकता पड़ने पर अंतिम उपाय के रूप में अपने नागरिकों पर बल प्रयोग करने का कानूनी और नैतिक अधिकार होता है। इसमें घरेलू और विदेशी मामलों के प्रबंधन के लिए संस्थान शामिल हैं। जैसा कि एल्मर सोशल साइंस डिक्शनरी में परिभाषित किया गया है कि राष्ट्र–राज्य आधुनिक राज्य है जिसमें एक परिभाषित क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर एक सरकार की संप्रभु शक्ति होती है, और जनसंख्या का द्रव्यमान नागरिक होता है।

निष्कर्ष निकालने के लिए, यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र जनसंख्या, क्षेत्र, एक सरकार और संप्रभुता होने की विशेषताओं के साथ चिह्नित राज्य है।

वैश्वीकरण और राष्ट्र राज्य पर बहस

कुल मिलाकर, पांच सिद्धांत हैं जिन पर आगे बढ़ने के लिए राष्ट्र–राज्य पर वैश्वीकरण के प्रभावों पर बहस और चर्चा की जानी चाहिए। ये हैं– हाइपरग्लोबलिस्ट थीसिस, संशयवादी थीसिस, द कॉम्प्लेक्स वैश्वीकरण थीसिस, नई संस्थागत थीसिस और आदर्श वैश्वीकरण थीसिस। इनमें से प्रत्येक थीसिस परियोजना और राष्ट्र राज्यों पर वैश्वीकरण के प्रभाव को अपने कोण से चित्रित करती है।

एक दृष्टिकोण के रूप में हाइपरग्लोबलिस्ट परिप्रेक्ष्य वैश्वीकरण को मानव इतिहास में एक नए युग के रूप में देखता है। राष्ट्र–राज्यों की घटती प्रासंगिकता और अधिकार इस नए युग की विशेषता है, जो बड़े पैमाने पर वैश्विक बाजार के आर्थिक तर्क के माध्यम से लाया गया है। अर्थव्यवस्थाएं विराष्ट्रीयकृत होती जा रही हैं। यह थीसिस, तर्क देती है कि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, वह उस दुनिया से अलग है, जिसमें हम कल रह रहे थे। इसकी प्रकृति खासकर आर्थिक दृष्टि से सीमाहीन है।

संशयवादी थीसिस यह सुझाव देकर इस थीसिस की आलोचना करती है कि समकालीन दुनिया वास्तव में पहले से अलग नहीं है। हर्स्ट और थॉम्पसन ने तर्क दिया कि विश्व अर्थव्यवस्था वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध से पहले की तुलना में कम खुली और एकीकृत है, और ;वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के बजाय, यह अंतर्राष्ट्रीयकृत अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार, वे स्वीकार करते हैं कि वैश्वीकरण एक मिथक है; कि यह वैश्वीकृत दुनिया नहीं है बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीयकृत दुनिया है। संशयवादी दृष्टिकोण वाले लेखक वैश्विक संस्कृति या वैश्विक शासन संरचना के विकास की धारणाओं को अस्वीकार करते हैं। वे आर्थिक वैश्वीकरण को अंतर्राष्ट्रीयकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित करना चुनते हैं, जिसके भीतर राष्ट्र राज्य अभी भी केंद्रीय कर्ता (Actor) हैं।

टिप्पणी

दूसरी ओर, हेल्ड और डिकेन जैसे जटिल वैश्वीकरण सिद्धांतवादी, वैश्वीकरण को जटिल मानते हैं। यह आर्थिक पहलू से परे है और समाज के हर दूसरे पहलू को छूता है। उनके लिए, वैश्वीकरण न केवल आर्थिक के बारे में है, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एवं अन्य पहलुओं को भी शामिल करते हैं। हेल्ड एंड मैकग्रे के अनुसार : वैश्वीकरण मानव संगठन के पैमाने में बदलाव या परिवर्तन को संदर्भित करता है जो दूर के समुदायों को जोड़ता है और दुनिया के क्षेत्रों और महाद्वीपों में शक्ति संबंधों की पहुंच का विस्तार करता है। वास्तव में, राष्ट्र–राज्य वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कर्ता बना हुआ है। इसकी भूमिका वास्तव में, एक पुनर्विन्यास का अनुभव कर रही है। वे तर्क पर संशयवादियों के साथ एक ही राय में हैं। राष्ट्र–राज्य की सरकार अंतर्राष्ट्रीयकरण की निष्क्रिय शिकार नहीं है, बल्कि इसके प्राथमिक आर्किटेक्ट हैं। इस थीसिस के मूल में, यह विश्वास है कि समकालीन वैश्वीकरण राष्ट्रीय सरकारों की शक्ति, कार्यों और अधिकार का पुनर्गठन या पुनर्निर्माण कर रहा है।

न्यू इंस्टीट्यूशनलिस्ट थीसिस बाजार, उदार और सामाजिक लोकतांत्रिक शासन के बीच अंतर को सामने लाती है। उनके लिए, यह अंतर आधुनिक राष्ट्र राज्यों का मार्गदर्शन करता है। वे जर्मनी और स्कैंडिनेविया जैसी समन्वित बाजार अर्थव्यवस्थाओं (सीएमई) के साथ किंतु उदार बाजार अर्थव्यवस्थाओं (एलएमई) जैसे कि यूएस और यूके के विपरीत हैं।

एक अन्य प्रमुख थीसिस वैचारिक वैश्वीकरण है। इसमें वैश्वीकरण को नष्ट करने के अपने विचार है कि वैश्वीकरण का विचार चर्चा का केंद्र होना चाहिए। हमारे विचार ही हमारे व्यवहार को आकार देते हैं। इस प्रकार आज के विश्व को आकार देने में विचारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह संशयवादियों के तर्क को स्वीकार करते हुए कि दुनिया के वैश्वीकृत होने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं, यह सुझाव देता है कि वैश्वीकरण वैचारिक रूप से एक शक्तिशाली भूमिका निभा सकता है, और राष्ट्र–राज्य को कमजोर कर सकता है। यह थीसिस इस बात पर जोर देती है कि वैश्वीकरण का राष्ट्र–राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्र–राज्य वैश्वीकरण को किस तरह से देखता है। यह विचार राष्ट्र–राज्य की प्रतिक्रिया को आकार देता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करता है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि आज की विश्व राजनीति वैश्वीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है और वैश्वीकरण का एक उत्पाद है। वैश्वीकरण में शामिल खिंचाव, गहराई और व्यापक प्रक्रियाओं का विश्व राजनीति और उनके भीतर आने वाले राष्ट्र राज्यों पर अपना ही प्रभाव है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की वृद्धि, गैर सरकारी संगठनों, सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिशीलता, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय एकीकरण, और व्यापार संस्थानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय व्यापार गतिविधियों ने राष्ट्र राज्यों के कार्यों को संशोधित किया है। समकालीन विश्व राजनीति के पुनर्गठन ने राष्ट्र–राज्यों को चुनौती दी है और प्रभावित किया है।

वैश्वीकरण का राष्ट्र–राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वैश्वीकरण के तीन अलग–अलग पहलुओं ने राष्ट्र राज्यों के लिए चुनौतियां पेश की हैं। जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक लेन–देन तेजी से होते हैं, तो राष्ट्र राज्य की अपनी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय निकायों का उदय है। अंतर्राष्ट्रीय निकाय संयुक्त राष्ट्र की तरह राजनीतिक निकाय हो सकते

हैं, यह नाफ्टा जैसे राजनीतिक निकाय हो सकते हैं, यूरोपीय संघ जैसे दो का संयोजन, या एनजीओ के कुछ रूप (व्यापार से लेकर नागरिक दबाव समूहों तक)। तीसरा पहलू सत्ता के सुपर नेशनल और उप–राष्ट्रीय केंद्रों का उदय है।

टिप्पणी

अर्थव्यवस्था को विनियमित करने हेतु राष्ट्र राज्य की कम क्षमता

वैश्वीकरण के मद्देनजर, राष्ट्र राज्यों में अपनी पूंजी को नियंत्रित करने, कानून बनाने और अपने घरेलू बाजारों को प्रभावित या विनियमित करने की क्षमता कम हो गई है। ये तीनों कार्य राष्ट्र राज्य की पहचान थे और इसे अपनी क्षेत्रीय सीमा के भीतर सर्वोच्च बनाते थे। होल्टन (1998) ने कहा– राष्ट्रीय सीमाओं के पार निवेश, प्रौद्योगिकी, संचार और मुनाफे का प्रवाह राष्ट्र राज्यों के लिए वैश्वीकरण की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। राष्ट्र राज्य की नियामक क्षमता काफी हद तक कम हो जाती है क्योंकि अधिकांश लेनदेन उसकी अपनी संप्रभु सीमाओं के बाहर, जहां उसका कोई नियंत्रण नहीं है, होते हैं।

हर्स्ट एंड थॉम्पसन (1996) ने कहा कि राष्ट्र राज्य को उद्धृत करने के लिए विश्व बाजार शक्ति के साथ खड़े हैं जो सबसे शक्तिशाली राज्यों की तुलना में भी अधिक मजबूत साबित होते हैं। इसलिए राष्ट्र राज्य का आर्थिक लेन–देन पर नियंत्रण कम होता है और पूंजी पर नियंत्रण खो देता है जिसकी उसे खुद को बनाए रखने हेतु आवश्यकता होती है। राष्ट्र राज्य को वैश्विक आर्थिक प्रणाली के तहत सम्मिलित किया जाता है और इसे वैश्विक प्रणाली के स्थानीय प्राधिकरण के स्तर तक गिरा दिया जाता है। नीति निर्माता बनने के बजाय; अंतर्राष्ट्रीय निगम उत्पादन और वैश्विक व्यापार की वैश्विक प्रणाली के लिए सार्वजनिक वस्तुओं और बुनियादी ढांचे के एकमात्र प्रदाता बन जाते हैं।

पिछले कुछ दशकों में, राष्ट्रीय सीमाएं टूट गई हैं। आज के सही मायने में वैश्विक समाज में, व्यक्ति, धन, सामग्री और विचार बड़ी संख्या में और मात्रा में तथा उच्च गति से सीमाओं के पार जाते हैं। कई निगम विभिन्न देशों में सेवाओं एवं वस्तुओं के विभिन्न अंशों का निर्माण करते हैं। विनिर्माण एकाधिक देशों में होता है जिन पर अब किसी विशेष राष्ट्र का एकाधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश की तीव्र वृद्धि ने अर्थव्यवस्था को और अधिक वैश्वीकृत कर दिया है। वैश्वीकरण अक्सर ट्रांस राष्ट्रवाद की ओर जाता है। माना जाता है कि ट्रांस नेशनलिज्म राष्ट्रवाद पर हावी होता है, जिसे एक राष्ट्र राज्य की नींव माना जाता है। इसे एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो समय और दूरी को संकुचित करता है जो आर्थिक लेनदेन को बाधित कर रहे थे। एक वैश्वीकृत दुनिया में परिवहन और संचार की लागत शून्य होती है तथा राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र और सीमाओं द्वारा बनाई गई बाधाएं गायब हो जाती हैं। ये राष्ट्रीय सीमाएं उन क्षेत्रों का सीमांकन कर रही थीं जहां राष्ट्र अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग कर रहे थे।

वैश्वीकरण पश्चिमी देशों और अन्य राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। एक संभावित प्रभाव यह है कि बहुराष्ट्रीय निगमों और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की अन्य संस्थाओं के सामने मौजूद कई चुनौतियों और अवसरों के आलोक में राष्ट्र–राज्यों को अपनी आर्थिक नीतियों की जांच करने के लिए मजबूर किया जाता है। बहुराष्ट्रीय निगम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर राष्ट्र–राज्यों को चुनौती देते हैं। उत्पादन, मूल्य निर्धारण और विपणन के क्षेत्र में राष्ट्र राज्यों के विशेषाधिकार काफी सिकुड़ते जा रहे

हैं। वैश्वीकरण राष्ट्रों के बीच अन्योन्याश्रितता की भावना भी पैदा करता है, जो राष्ट्रों की आत्मनिर्भरता को कम करता है और उन्हें कमजोर बनाता है।

टिप्पणी

वैश्विक दुनिया में राष्ट्र–राज्य की भूमिका काफी हद तक नियामक है। वैश्विक अन्योन्याश्रयता ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया है। जबकि राष्ट्र–राज्य की घरेलू भूमिका काफी हद तक अपरिवर्तित रहती है, जो राज्य पहले अलग–थलग थे, वे अब आम अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य नीतियों को स्थापित करने के लिए एक–दूसरे के साथ जुड़ने के लिए मजबूर हैं। इन अंतःक्रियाओं से कुछ राज्यों के लिए कम भूमिकाएं होती हैं और दूसरों के लिए उच्च भूमिकाएं होती हैं।

राष्ट्र राज्यों का भविष्य

इस प्रकार आज राष्ट्र राज्यों को वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सिद्धांतकार इस बात की अवधारणा करते हैं कि राष्ट्र राज्य इन चुनौतियों का कैसे जवाब देंगे। उनके लिए ऐसी उभरती चुनौतियों से निबटने के तीन तरीके हैं। बल्कि तीन विचार हैं। वे इस प्रकार हैं–

- राष्ट्र राज्य भंग हो रहे हैं और अप्रचलित हो गए हैं।
- राष्ट्र राज्य खुद को नई भूमिकाओं में पाते हैं और वैश्वीकरण की प्रवृत्तियों को स्थिर करने के लिए अधिक संगठनात्मक क्षमता की आवश्यकता होती है।
- राष्ट्र राज्यों को पुनर्गठन का सामना करना पड़ता है लेकिन यह खत्म नहीं होगा, बल्कि पारंपरिक कल्याणकारी राज्य से अलग एक परिवर्तित राष्ट्र राज्य में बदल जाएगा।

राष्ट्र राज्यों का विघटन

वैश्वीकरण के युग में विश्व व्यापार संगठन, आईएमएफ, टीएनसी आदि जैसी सुपर नेशनल एजेंसियों और स्थानीय कर्ताओं के विकास के कारण राष्ट्र राज्य निष्क्रिय हो रहे हैं और अपनी संप्रभु शक्ति और स्वायत्तता खो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और आईएनजीओएस जैसे कई नई भूमिका निभाने वाले खिलाड़ियों के प्रभाव में क्षेत्रीय संप्रभुता बौनी होती जा रही है। आर्थिक निर्णय लेने में वे खुद को विकलांग महसूस कर रहे हैं। आज आर्थिक निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विकास द्वारा निर्देशित और शासित होते हैं। राजनीति में, नागरिकों की अपने राष्ट्र राज्यों के प्रति निष्ठा घट रही है और इससे राष्ट्रों की संप्रभु क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए, जब किसी राष्ट्र राज्य की आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति और राजनीतिक शक्ति डूब रही है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वैश्वीकरण के युग में राष्ट्र राज्य भंग हो रहे हैं।

दूसरा दृष्टिकोण एक लचीले राष्ट्र राज्य के बारे में है। गिलपिन जैसे कुछ लेखकों का सुझाव है कि राष्ट्र राज्य अभी भी मजबूत हो रहा है क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ इसकी गतिविधियों का दायरा बढ़ रहा है। वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य के लिए एक नई भूमिका प्रस्तुत की है और इस तरह इसे एक नए चेहरे के साथ प्रकट होना है। आज का राष्ट्र राज्य केवल कल्याणकारी राज्य नहीं है। अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और स्थिरता बनाए रखने के लिए इसे एक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र राज्य होना चाहिए। इसके लिए उसे नई भूमिकाओं में कदम रखना होगा जैसे अनुसंधान और विकास, तकनीकी नवाचार, फैलाव और प्रसार का समर्थन करने वाली नीतियां बनाना, बाजार विस्तार

नीतियां बनाना, उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाना, उत्पाद विविधीकरण शुरू करना, जीडीपी बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना और आकर्षित करना आदि।

टिप्पणी

वैश्वीकरण ने राज्यों के लिए नई भूमिकाएं खोली हैं। इन भूमिकाओं में कदम रखने वाले राज्य फल–फूल सकते हैं और ऐसी जिम्मेदारियों से हटने वाले राज्य नष्ट होने के लिए उपयुक्त हैं। इसलिए, मैक ग्रे जैसे लेखकों का सुझाव है कि राज्य की स्वायत्तता पर वास्तव में अंकुश नहीं लग रहा है बल्कि यह राष्ट्र राज्यों के अनुकूली चरित्र और राष्ट्र राज्यों की स्मार्टनेस पर निर्भर करता है कि वे अपनी गतिविधियों को बढ़ाएं और इस तरह स्वायत्तता प्राप्त करें। अभी तक राष्ट्र राज्य कानून के शासन को तय करने वाली महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। वे भंग नहीं हुए हैं या भंग नहीं होने जा रहे हैं।

इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैश्वीकरण के युग में राष्ट्र राज्य का भविष्य स्पष्ट रूप से विवादित है। राष्ट्र राज्य की मृत्यु, राष्ट्र राज्य का लचीलापन और राष्ट्र राज्य के परिवर्तन से संबंधित तीन विचार इसके भविष्य के बारे में अलग–अलग धारणा प्रदान करते हैं। लेकिन, सब कुछ राज्य की दक्षता और प्रभावकारिता पर ही निर्भर करता है। यह नष्ट होगा या फलेगा–फूलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह वैश्वीकरण को कैसे अपनाता है और कैसे वैश्वीकरण की मांगों के साथ अपनी भूमिका बदलता है। राज्य की कठोरता इसके अस्तित्व को ही नकार देगी, लेकिन इसका लचीलापन इसे बहुत आगे ले जाएगा। एक परिवर्तित राज्य से यह वैश्वीकरण के प्रतिकूल प्रभावों के साथ भी एक लचीला राज्य बन जाएगा।

2.2.4 वैश्वीकरण और मास मीडिया

आज मास मीडिया को अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रसारण, टेलीविजन प्रोग्रामिंग, नई प्रौद्योगिकियों, फिल्म और संगीत के माध्यम से वैश्वीकरण को बढ़ाने, संस्कृति के आदान–प्रदान और देशों के बीच सूचना और छवि के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखा जाता है। 1990 के पहले दुनिया के अधिकांश देशों में मुख्यधारा के मीडिया सिस्टम अपेक्षाकृत राष्ट्रीय थे, तब से अधिकांश संचार मीडिया तेजी से वैश्विक हो गए हैं। दुनिया भर के दर्शकों को जीतने के लिए राष्ट्र–राज्य से परे अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। वैश्विक पूंजीवाद के विकास, नई प्रौद्योगिकियों और वैश्विक टेलीविजन के बढ़ते व्यावसायीकरण द्वारा सूचना के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह को काफी हद तक सहायता मिली है, जो केबल और सैटेलाइट चैनलों द्वारा यूरोप और अमेरिका के विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई विनियमन नीतियों के परिणामस्वरूप हुई है। वैश्वीकरण सिद्धांतकारों ने चर्चा की है कि कैसे वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम ने संपूर्ण वैश्वीकरण प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डाला है। 21वीं सदी में वैश्विक संचार के तेजी से विस्तार का अंदाजा 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान प्रौद्योगिकियों की यांत्रिक प्रगति से लगाया जा सकता है, जो मुख्य रूप से 1837 में टेलीग्राफ के आविष्कार के साथ शुरू हुआ और इसमें डाक सेवाओं में वृद्धि, सीमा पार से टेलीफोन और रेडियो संचार तथा यूरोप में एक आधुनिक जन संचलन प्रेस का निर्माण शामिल था। हालांकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से संदेश प्रसारित करने में सक्षम प्रौद्योगिकियों का विकास ही संचार के वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के उद्‌भव, जैसे कि रॉयटर्स, ने संहिताकरण की एक वैश्विक प्रणाली की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। बहरहाल,

1960 के दशक तक, पहले भू–स्थिर संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ, विद्युत चुम्बकीय संचरण द्वारा संचार पूरी तरह से वैश्विक हो गया, इसने संचार के वैश्वीकरण को 20वीं सदी की एक विशिष्ट घटना बना दिया।

टिप्पणी

रॉयटर्स, एपी, यूपीआई और एएफपी जैसी अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों को मीडिया के विद्वानों द्वारा एक वैश्विक एजेंडा फैलाने में योगदान देने और पश्चिमी दर्शकों के लिए "भ्रष्टाचार, तख्तापलट और आपदा" के स्थान के रूप में दक्षिणी देशों के बारे में विशेष धारणा बनाने की भूमिका सौंपी गई। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) 1970 और 1980 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संचार पर बहस में एक प्रमुख निकाय था। न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर (NWICO) के दौरान समाचार एजेंसियों पर विशेष रूप से तीसरी दुनिया के आलोचकों का हमला हुआ। समाचार प्रसारण के पश्चिमी प्रभुत्व को उपनिवेशवाद के पूर्वाग्रहों को पुनः उत्पन्न करने के रूप में माना जाता था।

इस प्रकार बढ़ते मीडिया वैश्वीकरण और पश्चिम में बहुसंस्कृतिवाद के विस्तार के परिणामस्वरूप, पश्चिमी आत्म–पहचान उत्तर–औपनिवेशिक "अन्य" के संपर्क में अधिक होती जा रही है। तथ्य यह है कि मीडिया सिस्टम राष्ट्र–राज्य की बाधाओं को पार कर रहे हैं तथा वैश्वीकरण सिद्धांतकारों को मीडिया वैश्वीकरण को देखने के लिए प्रेरित किया है क्योंकि यह आवश्यक रूप से राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर शैक्षिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए अपने मीडिया को नियंत्रित करने, विनियमित करने और / या अपने मीडिया का उपयोग करने की शक्ति को कम करने में योगदान देता है। इस प्रकार आज वैश्विक मीडिया सीमाओं के पार जा रहा है और स्थानीय मीडिया के साथ गठजोड़ बना रहा है। रूपर्ट मर्डोक के समाचार निगम की यूरोप, अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में 10 सहायक कंपनियों के साथ व्यापक पहुंच है। मीडिया से दुनिया भर के दर्शकों को जो कुछ मिलता है, वह न्यूज कॉर्पोरेशन, डिज़नी, टाइम वार्नर, वायकॉम और आईटीसी तथा संबंधित प्रेस एजेंसियों (सीएनएन, बीबीसी, रॉयटर्स, एपी, यूपीआई, ब्लूमबर्ग) जैसे निगमों की एक छोटी संख्या से आता है। न्यूज कॉर्पोरेशन फॉक्स चैनल, द टाइम्स और द सन अखबारों का मालिक है। मर्डोक ने सैटेलाइट टीवी सिस्टम की सफल स्थापना के माध्यम से अपने वैश्विक मीडिया साम्राज्य का विस्तार करने में कामयाबी हासिल की है। कम्प्यूटरीकृत तकनीक, सैटेलाइट टीवी और इंटरनेट जैसी प्रौद्योगिकियों ने संचार की लागत को कम करने, घर–निर्मित प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित करने और धीरे–धीरे कई लोगों की पहुंच को व्यापक बनाने में योगदान दिया है। साइबरस्पेस के मुख्य दार्शनिकों में से एक माने जाने वाले कैस्टेल (2000) ने रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रौद्योगिकियों के प्रभाव की अपनी चर्चा में दिखाया है कि कैसे सीमाओं के पार डेटा स्थानांतरित करने की क्षमता के कारण इंटरनेट ने अंतर्राष्ट्रीय सूचना विनिमय में क्रांति ला दी है। उन्होंने यह भी बताया है कि कैसे इंटरनेट समकालीन वास्तविकता के विस्तारित व्यक्तिवाद के लिए उपयुक्त हो गया है। उपभोक्ताओं द्वारा वेब का उपयोग अपनी सामग्री बनाने और इसे वैश्विक दर्शकों को वितरित करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट को प्रवासी लोगों की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के साथ–साथ सोशल नेटवर्किंग में सहायता करने और दुनिया भर में समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, सामाजिक समूहों और विभिन्न समुदायों के साथ संबंध बनाने के रूप में भी देखा जाता है।

टिप्पणी

2.2.5 मास मीडिया का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य व विभिन्न सेवाएं

संचार का शाब्दिक अर्थ है– 'बहना' या 'चलना'। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच अपने भावों, विचारों, इच्छाओं, कल्पनाओं को बांटने की प्रक्रिया ही संचार है। थियो हैमान के अनुसार, "संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना व संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। संचार मनुष्य की जानने व बताने की जिज्ञासा की पूर्ति करता है।"

आधुनिक समाज में जनसंचार का कार्य सूचना प्रेषण, विश्लेषण, ज्ञान एवं मूल्यों का प्रसार तथा मनोरंजन करना है। जनसंचार माध्यम– समाचार–पत्र–पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन एवं फिल्म द्वारा इन कार्यों को अंजाम दिया जाता है।

जनंसचार या जनसंचार माध्यमों की विशेषताएं

- जनसंचार की प्रमुख विशेषता है कि यह साधारण जनता के लिए होता है। अर्थात् यह विशेष वर्ग के लिए नहीं होता।
- जनसंचार अपना संदेश तीव्रतम गति से गंतव्य तक पहुंचाता है। समाचार–पत्र, रेडियो तथा टेलीविजन के माध्यम से तीव्र गति से कोई भी संदेश जनसामान्य तक पहुंचाया जा सकता है।
- युद्ध, आपातकाल, दुर्घटना आदि के समय जनसंचार की मुख्य भूमिका होती है।
- जनसंचार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जनसामान्य की प्रतिक्रिया का पता चल जाता है।
- जनसंचार द्वारा विभिन्न विषयों पर आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ताकि अनेक समस्याओं का हल तुरंत खोजा जा सके।
- जनसंचार एकतरफा होता है।

प्रिंट मीडिया को हिंदी में मुद्रण माध्यम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत समाचार–पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, लघु पुस्तकें आदि आते हैं। मुद्रण प्रणाली के आविष्कार से पूर्व कृति को हाथ से लिखकर सुरक्षित रखा जाता था। जितनी प्रतियों की आवश्यकता होती थी, उतनी ही बार उन्हें लिखना पड़ता था। इस कार्य में काफी समय और श्रम लगता था। कागज के आविष्कार से पूर्व भारत में ग्रंथों को भोजपत्रों पर लिखा जाता था। मुद्रण ने प्रतियां बनाने की इस प्रक्रिया को पूर्णतः बदल दिया। सीसे के बने अक्षरों को जोड़कर और फरमों में बांधकर छपाई की मशीन में फिट कर अक्षरों पर गाढ़ी स्याही लगाकर मशीन द्वारा कागज पर दबाव दिया जाता था जिससे कागज पर अक्षर छप जाते थे। इसी प्रकार सैकड़ों प्रतियां कुछ घंटों में मुद्रित हो जाती थीं। यह मुद्रण की पुरानी विधि थी। अब इसमें बड़ा भारी परिवर्तन आ चुका है। ऑफसेट, फोटोकंपोजिंग और लेजर प्रिंटिंग ने मुद्रण के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन ला दिया है। मुद्रण के कारण समाचार–पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ। समाचार–पत्र को प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाने लगा और हॉकरों द्वारा वे पाठकों तक पहुंचने लगे। इस प्रकार समाचार–पत्र ने लोगों को सूचना देने के दायित्व को संभाल लिया। इसके साथ ही लोगों के विचारों को भी इसने मुखर करना आरंभ किया। समाचार–पत्रों ने घटनाओं की केवल विस्तृत रिपोर्ट न देकर उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों का भी विश्लेषण किया। इस प्रकार समाचार–पत्रों ने समाज में जागृति फैलाने का कार्य किया। समाचार–पत्र, प्रिंटिंग मीडिया की आत्मा या प्राण हैं।

भारत में सरकारी टेलीविजन के सामाजिक उद्देश्य

टिप्पणी

भारत में सरकारी टेलीविजन के निम्नलिखित सामाजिक उद्देश्य हैं–

- सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक अर्थात् सामाजिक परिवर्तनों की गति में वृद्धि करने के एक कारक के रूप में कार्य करना।
- जनसंख्या नियंत्रण और परिवार–कल्याण के माध्यम के रूप में परिवार–नियोजन का संदेश प्रसारित करना।
- लोगों में एक वैज्ञानिक सोच विकसित करना।
- राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देना।
- खेलों में रुचि विकसित करना।
- महिलाओं, बच्चों और अन्य सुविधाविहीन वर्गों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण उपायों की आवश्यकता को जन–जन तक पहुंचाना।
- पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन को बढ़ावा देना।
- कला और सांस्कृतिक विरास के मूल्यांकन हेतु उचित मूल्य विकसित करना।

रेडियो श्रव्य–माध्यम श्रेणी का एक साधन है। रेडियो को बिना कागज और बिना दूरी का समाचार–पत्र कहा गया है। रेडियो श्रव्य–माध्यम की श्रेणी में आता है। इस जन–माध्यम को पत्रकारिता की दृष्टि से 'श्रव्य समाचार–पत्र' भी कह सकते हैं, क्योंकि यह माध्यम समाचारों तथा सूचनाओं को आकाश में प्रसारित कर 'सुनाता' है। यह माध्यम श्रवणेन्द्रियों के जरिए सारी दुनिया को श्रोता के निकट ले जाता है और सुदूर दुर्गम स्थानों तक में रहने वाले लाखों–कराड़ों लोग बाहरी दुनिया से जुड़ जाते हैं जहां तक मुद्रण–माध्यम की पहुंच नहीं है। आज निरक्षर, निर्धन और नेत्रहीन जनता के लिए आकाशवाणी वरदान सिद्ध हुई है। यह ऐसा सरल तथा सुगम साधन है जिसके द्वारा दूर–दूर तक फैले श्रोताओं को पलभर में संदेश प्रसारित किया जा सकता है।

शिक्षा और सूचना जनसंचार की आत्मा है, तो मनोरंजन उसकी संजीवनी है। मनोरंजन ही रेडियो को लोकप्रिय और लोकरंजक बनाता है। दिन भर के श्रम से लौटे किसान, मजदूर, कामगार, दफ्तरी कर्मचारी घर आते ही रेडियो के गीत सुनते हुए आराम महसूस करते हैं। रेडियो के विविध कार्यक्रमों के बीच गीत–संगीत, नाटक–प्रहसन, चुटकुले, अन्त्याक्षरी, ज्ञानवाणी आदि कार्यक्रम भरपूर मनोरंजन और जीवंतता प्रदान करते हैं।

इस प्रकार आकाशवाणी अथवा रेडियो ने जनसमुदाय के लिए ज्ञान और मनोरंजन के द्वार खोल दिए हैं। संगीत और गायन की वे शैलियां जिन्हें केवल अभिजात्य वर्ग ही सुनता था, उसे आज आम व्यक्ति भी सुन सकता है। इससे ज्ञान–विज्ञान से जुड़ी रेडियो वार्ताओं, फीचर कार्यक्रमों, रूपकों, साक्षात्कारों आदि विविध कार्यक्रमों के माध्यम से सामान्यजन के ज्ञान में अत्यंत वृद्धि हुई है।

'इंटरनेट वर्क सिस्टम' का संक्षिप्त नाम इंटरनेट है। इस संदर्भ में इंटरनेट का सरलार्थ है 'आंतरिक संजाल'। यहां भिन्न–भिन्न प्रकार की अनेक नेटवर्क प्रणालियां (जो लगभग 40 हजार से अधिक हैं) उपलब्ध हैं जिनका भरपूर लाभ इंटरनेट के द्वारा आसानी से उठाया जा सकता है। यह एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें करोड़ों कम्प्यूटर

टिप्पणी

एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। यह डिजिटल स्रोत और रिसीवर को जोड़ने की प्रक्रिया है। इसे सामान्य तरीके पर कम्प्यूटरों के विश्वव्यापी नेटवर्क के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो एक प्रोटोकाल (सूचना के आदान–प्रदान संबंधी नियम) के आधार पर संचार करते हैं। इसके माध्यम से सबसे अधिक विभिन्न स्रोतों से सूचनाओं तक पहुंचा जाता है, जिसमें व्यक्तियों और विश्व भर के संगठनों का योगदान होता है, इसे नेटवर्क ऑफ सर्वर्स (सेवकों का नेटवर्क) कहा जाता है।

इंटरनेट न तो प्रोग्राम है, न ही सॉफ्टवेयर। यह एक ऐसा प्लेटफार्म या स्थल है जहां से लोग विभिन्न सूचनाएं मुफ्त या क्रय कर प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी रूप से इंटरनेट को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि यह ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें हजारों छोटे नेटवर्क परस्पर संपर्क के लिए प्रोटोकॉल भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रोटोकॉल नियमों का संकलन वह भाषा है जिसे नेटवर्क में परस्पर विचार विनिमय के लिए प्रयोग किया जाता है।

इंटरनेट का एक 'वर्ल्ड वाइड वेव' (www) है, जिसका लघु नाम वेब है, जो विभिन्न संगठनों, औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, शैक्षिक प्रतिष्ठानों, आम व खास हितों से संबद्ध समूहों या निजी व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हजारों सर्वरों को आपस में जोड़ता है।

इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग ई–मेल भेजने के लिए किया जाता है। यह प्रयोगकर्ता के द्वारा उपयोग किया गया सर्वाधिक प्रचलित संचार का प्राथमिक माध्यम है। यूरोप में तकरीबन 85 प्रतिशत इंटरनेट के प्रयोगकर्ता ई–मेल का उपयोग करते हैं।

इंटरनेट के माध्यम से सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जाता है। ये सूचनाएं किसी वेब पेज के रूप में इंटरनेट से जुड़े किसी भी कम्प्यूटर में संग्रहीत हो सकती है तथा इनका अवलोकन किसी भी कम्प्यूटर पर किया जा सकता है। इसे इनफॉरमेशन सुपर हाइवे भी कहा जाता है। इंटरनेट की सीमाएं नहीं हैं तथा इसका कोई नियंत्रक भी नहीं है। आवश्यक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा उपयुक्त संयोजन के द्वारा इंटरनेट से कभी भी, कहीं से जुड़ा जा सकता है।

जनसाधारण के उपयोग के लिए अनेक प्रकार की सरकारी सूचनाएं, जैसे– विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम एवं प्रवेश संबंधित सूचनाएं, अनुसंधान, उच्च शिक्षा तथा रोजगार से जुड़े हुए विषय, गीत–संगीत, सिनेमा, पर्यटन, खेलकूद, आर्थिक जगत, कंपनी कारोबार, ज्योतिष, धर्म, विवाह, कला, वास्तुशास्त्र, संग्रहालय, ग्रंथालय आदि से संबंधित सूचनाएं इंटरनेट से प्राप्त की जा सकती हैं।

सोशल मीडिया पारस्परिक संबंध के लिए अंतर्जाल या अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित आभासी समूहों को संदर्भित करता है। यह व्यक्तियों और समुदायों को साझा सहभागी बनाने का माध्यम है। इसका उपयोग सामाजिक संबंधों के अलावा उपयोगी सामग्री के संशोधन के लिए उच्च पारस्परिक प्लेटफार्म बनाने हेतु मोबाइल और वेब आधारित प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के रूप में भी देखा जा सकता है।

इंटरनेट पर 'चैट ग्रुप्स' के माध्यम से किसी से भी वार्तालाप किया जा सकता है तथा किसी विशेष विषय या समस्या पर अपने विचार प्रेषित किए जा सकते हैं। किसी के समर्थन में अपना मत भी दिया जा सकता है।

इंटरनेट के माध्यम से किसी भी पुस्तकालय, संग्रहालय, विश्वविद्यालय तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

टिप्पणी

ज्ञान–विज्ञान, साहित्य, संगीत, कला, ज्योतिष, शिक्षा आदि से संबंधित वृहद् व अनेकानेक जानकारियां इंटरनेट द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं– ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्राप्त किया जा सकता है। खेलकूद, मनोरंजन, पत्र–मित्रता, स्वयंसेवी संगठनों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, कलाकारों आदि से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

अपना स्वयं का वेब पेज बनाकर इंटरनेट पर प्रेषित किया जा सकता है। 'ए' और 'एल' टाइपोट व एस्ट्रोसिटी वेब पेज पर यह सुविधा उपलब्ध है।

वैवाहिक विज्ञापनों द्वारा मनपसंद जीवनसाथी की तलाश भी संभव है। आवश्यक शुल्क भेजकर वैवाहिक विज्ञापन भी दिए जा सकते हैं।

किसी एक शब्द विशेष से संबंधित अनेक प्रकार की जानकारी इंटरनेट पर खोजी जा सकती है।

मुख्य रूप से इंटरनेट के विकास को प्रश्रय देने वाली संस्था इंटरनेट सोसायटी है जिसके विभाग विभिन्न प्रकार का सहयोग प्रदान करते हैं।

इंटरनेट एक विकेंद्रित नेटवर्क है जिसका स्वामित्व किसी के पास नहीं है। तीन प्रमुख संस्थाएं इंटरनेट की तकनीक के निर्देशन व समन्वयन में सक्रिय हैं, ये क्रमशः इंटरनेट संप्रेषण, प्रोटोकॉल दीर्घकालीन अनुसंधान समस्याओं व परिवर्तन के लिए कार्यरत हैं।

इंटरनेट के उपकरण और सेवाएं

व्यापक अर्थ में इंटरनेट एक वृहद् सूचना प्रणाली है जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण संसाधन खोजकर प्राप्त किए जा सकते हैं। ये संसाधन निरंतर परिवर्तित होने के साथ–साथ विकसित हो रहे हैं। इंटरनेट के निम्नलिखित उपकरण हैं–

1. इलेक्ट्रॉनिक मेल : ईमेल करने की सुविधा।
2. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू : सचित्र ध्वनि एवं पाठ्यांशयुक्त संसाधनों की प्राप्ति में।
3. एफ.टी.पी. : पत्रावली संप्रेषण के लिए।
4. टेलनेट : डेटाबेसों प्रसूचियों के अभिगम के लिए।
5. गोफर : सूचनाओं को खोजकर प्राप्त करने के लिए।
6. वेयेनिका : गोफर के द्वारा संसाधनों की खोज इसके द्वारा करने के लिए।
7. वेस : व्यापक क्षेत्र सूचना प्रणाली के अंतर्गत डेटाबेस की खोज।
8. आई.आर.सी : वार्तालाप के लिए।
9. न्यूज ग्रुप्स : सूचनाओं/विचारों के आदान–प्रदान करने के लिए।
10. आर.एफ.सी. : टिप्पणी के लिए अनुरोध।

सोशल मीडिया पारस्परिक संबंध के लिए नेटवर्क (अंतर्जाल) या अन्य माध्यमों के द्वारा निर्मित आभासी समूहों को संदर्भित करता है।

सोशल मीडिया के कई रूप हैं जिनमें कि इंटरनेट फोरम, वेबलाग, सामाजिक ब्लाक, माइक्रोब्लागिंग, पिकीज, सोशल नेटवर्क, पॉडकास्ट, फोटोग्राफ, चित्र, चलचित्र

टिप्पणी

आदि सभी आते हैं। अपनी सेवाओं के अनुसार सोशल मीडिया के लिए कई संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ– सहयोगी परियोजना (जैसे– विकिपीडिया), ब्लॉग और माइक्रोब्लाग (ट्विटर), सोशल खबर नेटवर्किंग साइट्स (डिग और लेकरनेट), सामग्री समुदाय (यूट्यूब और डेलीमोशन), सामाजिक नेटवर्किंग साइट (फेसबुक), आभासी खेल दुनिया (वर्ल्ड ऑफ वारकाफ्ट), आभासी सामाजिक दुनिया (सेकंड लाइफ)।

सामाजिक मीडिया अन्य पारंपरिक तथा सामाजिक तरीकों से कई प्रकार से एकदम अलग है। भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग में होने वाली वेबसाइट में फेसबुक, ट्विटर व आरकुट शामिल है। फेसबुक को फरवरी 2004 में लांच किया गया था जिसने बहुत कम समय में लोकप्रियता प्राप्त की। ऑरकुट भी वर्ष 2004 में बनाई गई। ट्विटर वर्ष 2006 में जैक डर्सी द्वारा बनाई गई। इसके प्रयोगकर्ता अपने एकाउंट में कोई भी संदेश छोड़ते हैं जिसे ट्विट करना जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्रेज दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है जिसके कारण आज सोशल नेटवर्किंग दुनिया भर में इंटरनेट पर होने वाली नंबर वन गतिविधि बन गई है।

'सोशल मीडिया' को परस्पर संवाद का वेब आधारित एक ऐसा अत्यधिक गतिशील मंच कहा जा सकता है, जहां लोग आपसी संवाद करते हैं, आपसी जानकारियों का आदान–प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में युवाओं के जीवन में सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। यदि एक मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों की मानें तो भारत के शहरी इलाकों में प्रत्येक चार में से तीन व्यक्ति सशोल मीडिया का किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं। परंपरागत मीडिया भी अब फेसबुक व ट्विटर जैसे माध्यमों पर न सिर्फ अपने पेज बनाकर उपस्थिति दर्ज करा रही है बल्कि विभिन्न मुद्दों पर लोगों द्वारा व्यक्त की गई राय का इस्तेमाल भी कर रही है।

भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों में सोशल मीडिया ने व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं अपितु सामाजिक और सरकारी संगठन पर भी अपने अभिमतों को मजबूती दी है। जिन देशों में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है वहां अपनी बात कहने के लिए लोगों ने इसका भरपूर उपयोग किया है। हाल के वर्षो में अरब देशों में हुई क्रांतियों में सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ट्यूनीशिया में 20 साल पुराने तनाशाह अल अबीदीन बेल और मिस्र में होस्नी मुबारक का पतन इसके उदाहरण हैं। एक साधारण–सी लड़की के सोशल मीडिया पर छोड़े गए संदेश से तहरीर चौक पर लाखों लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकत्र हो गए थे। भारत में अन्ना हजारे का आंदोलन भी सोशल मीडिया की उपयोगिता का एक उदाहरण माना जा सकता है। अब किसी भी विषय पर बहस करने के लिए लोगों को आपस में मिलकर बैठने की आवश्यकता नहीं है, सोशल मीडिया के मंच पर एक क्लिक से किसी भी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

युवाओं पर सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ही गहरा है। युवा वर्ग देश–दुनिया की सरहदों को पार कर अपने सपनों की उड़ान भर रहा है। ब्लॉगिंग के माध्यम से जहां लोग अपनी समझ, ज्ञान और भड़ास निकालने का काम कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से समान मानसिकता वाले लोगों को जोड़कर सामाजिक सरोकारों से जुड़े दायित्वों को पूरी तन्मयता से पूरा कर रहे हैं।

टिप्पणी

सोशल मीडिया के अनेक सकारात्मक पहलू हैं तो कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। वर्तमान में युवाओं को सोशल नैटवर्किंग वेबसाइट्स का नशा हो गया है। स्टेटस अपडेट करना, घंटों तक मित्रों के साथ चैटिंग जैसी आदतों ने युवा पीढ़ी को काफी हद तक व्यस्त कर दिया है। घंटों तक फेसबुक व ट्विटर जैसी वेबसाइट्स पर समय बिताने से न केवल उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि धीरे–धीरे कुछ नया करने की रचनात्मकता भी खत्म हो रही है। लोग वास्तविक जीवन को भूलकर आभासी जीवन में रहने लगे हैं। युवाओं में व्यक्तिगत संवाद की कमी आ गई है। पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण, आधुनिकता का मापदंड बन गया है। सोशल मीडिया के जरिए आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाने लगा है। नैतिक मूल्यों के ह्रास के चलते आपसी रिश्ते–नातों में बढ़ती दूरियां परिवारों के विबखराव को जन्म दे रही हैं। कई बार सोशल मीडिया पर डाली गई सामग्री अप्रियता की स्थिति निर्मित कर देती है। इंटरनेट ने सोशल मीडिया नेटवर्किंग नाम के एक हथियार को भी जन्म दिया है जिससे किसी बड़े साम्राज्य का अंत बिना युद्ध के मैदान में जाये किया जा सकता है।

बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया आज आवश्यक होने के साथ–साथ उपयोगी भी है, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि जब किसी भी चीज का दुरुपयोग होने लगता है तो वह वरदान नहीं, अभिशाप बन जाती है।

दूरभाष यानी टेलीफोन शब्द अंग्रेजी के तीन पदों से मिलकर बना है। टेल–ई–फोन, जिनका अर्थ होता है– दूर की ध्वनि, हिंदी में इसके लिए 'दूरभाष' शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अंग्रेजी का यह शब्द पूर्णतः अनुवादित हो सका है।

दूरभाष (टेलीफोन) एक ऐसा संचार माध्यम है, जिसका प्रयोग अन्य माध्यमों की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। दूरभाष या टेलीफोन आज के युग में बातचीत या वार्तालाप का सशक्त माध्यम है। जब हमें किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करनी हो, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष मौजूद न हो, तो दूरभाष के माध्यम से उससे सीधे बात की जा सकती है। बशर्ते उस समय उसके पास और हमारे पास भी दूरभाष संबंधी उपकरण मौजूद हो। इसके माध्यम से हम अपने से न केवल चंद दूरी पर बल्कि सैकड़ों–हजारों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद व्यक्ति से भी प्रत्यक्ष बात कर सकते हैं। आज के युग में व्यावसायिक जगत के लिए भी यह बड़ा उपयोगी संयंत्र है। इसी के माध्यम से सौदे हो जाते हैं, खरीदी–बिक्री हो जाती है।

मास मीडिया में पत्रकारिता का योगदान

1. **साहित्यिक पत्रकारिता** : यह पत्रकारिता का साहित्यिक स्वरूप है। वस्तुतः भाषा, समाज और साहित्य के विकास में पत्रकारिता की बहुत बड़ी देन है। साहित्यिक पत्रिकाओं के माध्यम से ही छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सदृश युग–प्रवृत्तियों का प्रवर्तन हुआ है। इसके द्वारा अनेक विचारधाराओं का जहां उन्मेष (प्रस्फुटन) हुआ वहीं दूसरी ओर इनके साथ–साथ विशिष्ट प्रणालियों का प्रचलन हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि साहित्य और पत्रकारिता एक–दूसरे के पूरक हैं। हिंदी साहित्य के प्रायः सभी युग–प्रवर्तक तथा यशस्वी रचनाकार– भारतेंदु हरिशचन्द्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गणेशशंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, मुंशी प्रेमचंद, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ट भट्ट आदि साहित्यिक रचनाकार और पत्रकार दोनों ही रूपों में उल्लेखनीय हैं।

टिप्पणी

पठनीयता के दिनों–दिन गिरते ग्राफ और दृश्य–श्रव्य माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के चलते साहित्यिक पत्रकारिता आज संकट की स्थिति में है जिसका सहज परिणाम यह हुआ कि सरस्वती, माधुरी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका, नागरी प्रचारिणी पत्रिका सदृश पत्रिकाएं बंद हो गईं। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वित्तपोषित पत्र भी निःशेष हो गए हैं, क्योंकि इनके लाभ का औसत अन्य उद्योगों के अनुपात में कम है और जनमानस में इनका प्रभाव न के बराबर है। इसका जिम्मेदार समाज भी है और पत्रकार भी, जो इस विभीषिका से सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं।

2. **विज्ञान पत्रकारिता** : आज के वैज्ञानिक युग के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य है पाठकों में वैज्ञानिक बोध जाग्रत करना। ये पत्रिकाएं विभिन्न वैज्ञानिक नीतियों और उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों की जनाकरी देती हैं, साथ ही जनसाधारण को अंधविश्वासों अर्थात कालातीत खोजों से अवगत कराती हैं। वैज्ञानिक प्रगति के लिए जन–मानस तैयार करना पड़ता है, ताकि हमारे किसान भी ऊर्जा उपयोग की नई–नई विधियां सीखें और कृषि संबंधी अनुसंधानों का लाभ उठाएं। विज्ञान पत्रकारिता के लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक इस पत्रकारिता में पारंगत हो जाएं अथवा पत्रकार वैज्ञानिक सिद्धांतों की सही जानकारी अर्जित कर लें।

   विज्ञान पत्रिकारिता की दिशा में हिंदी पत्रकारिता एक लंबे समय से सक्रिय है। हिंदी का प्रथम विज्ञान पत्र है– विज्ञान मासिक (1915)। इलाहाबाद में 1957 में विज्ञान परिषद् की स्थापना हुई। इसी के समानांतर कई पत्रिकाएं छपीं– विज्ञान जगत (प्रयाग), विज्ञान (रायबरेली), विज्ञान डाइजेस्ट (नैनीताल), विज्ञाल कला (दिल्ली), विज्ञान लोक (आगरा), विज्ञान शिक्षक (नई दिल्ली), विज्ञान ज्योति (बुलंदशहर), विज्ञान सागर (दिल्ली), विज्ञान प्रगति (नई दिल्ली)।

3. **खोजी पत्रकारिता** : इसका आरंभ अमेरिका से माना गया है तथा जोसेफ पुलित्जर (जो कि न्यूयार्क वर्ल्ड के संपादक थे) को इसका जनक समझा जाता है। पत्रकारिता की यह महत्वपूर्ण विधा विश्व के प्रायः सभी देशों में खूब फल–फूल रही है। भारत में खोजी पत्रकारिता की दिशा में कई उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार अरुण शौरी द्वारा 'बोफोर्स कांड' का उद्घाटन ओर 'तहलका डाट कॉम' (रक्षा सौदों से संबंधित) के रहस्योद्घाटन खोजी पत्रकारिता का ही परिणाम रहे हैं।

   भारत में खोजी पत्रकारिता का प्रारंभ 'जुगवाणी' नामक पत्रिका से हुआ था जिसे देवव्रत नामक युवक ने प्रारंभ किया था। सरकारी तंत्र के विरुद्ध उन्होंने खोजी पत्रकारों को अपना साथी बनाया। कालांतर में 'जुगान्तर' नामक अखबार ने दमन और अत्याचार के विरुद्ध खोजी पत्रकारिता को अपना अस्त्र बनाया। आर. के. करंजिया ने मुम्बई से प्रकाशित 'ब्लिट्ज' अखबार द्वारा खोजी पत्रकारिता को नया आयाम दिया।

   विगत कुछ दशकों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रेडियो, टेलीविजन) के बढ़ते प्रभाव के चलते खोजी पत्रकारिता को भी एक सशक्त माध्यम मिल गया। सच की परछाइयां, हैलो जिंदगी, घूमता आईना, दूसरा रुख जैसे टेलीविजन कार्यक्रम अपनी खोजी रिपोर्ट के कारण पर्याप्त लोकप्रिय रहे।

टिप्पणी

4. **ग्रामीण पत्रकारिता** : भारत गांवों में बसता है इसलिए जनसंचार का सर्वाधिक प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ग्रामीण व्यवस्था से संबंधित पत्रकारिता को ग्रामीण पत्रकारिता का नाम दिया जाता है। भारत में ग्रामीण पत्रकारिता की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। छोटे–बड़े प्रायः' सभी पत्र–उद्योग नगरों और महानगरों में ही स्थित हैं और पत्रकारों का ध्यान भी अधिकतर शहरी घटनाओं पर ही केंद्रित रहता है।

   इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 'चौपाल' व 'कृषि दर्शन' सदृश कार्यक्रम गांवों में पर्याप्त लोकप्रिय हैं। फिर भी आज कल्याणकारी पत्रकारिता के लिए आवश्यक है कि वह ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्रामीण अर्थशास्त्र व ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था को पर्याप्त स्पेस दे क्योंकि भारत मूलतः कृषि–प्रधान देश होने के साथ इसकी अधिकतर जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है। दूरदर्शन का 'किसान' चैनल ग्रामीण व कृषि पत्रकारिता का सबसे अच्छा उदाहरण है।

5. **आर्थिक पत्रकारिता** : वैश्वीकरण के दौर में इसने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है और यह पत्रकारिता का अत्यंत ही महत्वपूर्ण आयाम बन गया है। किसान बाजार में गेहूं या गन्ने की कीमत जानना चाहता है, शेयर मार्केट में आज ग्राहक अपने शेयर का भाव जानना चाहता है। सोना–चांदी खरीदने वाले ग्राहक सोने–चांदी का भाव जानना चाहते हैं, जो उन्हें समाचार–पत्रों में सहज ही प्राप्त हो जाता है। आज आम आदमी भी बी.एस.ई. (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) और एन.एस.ई. (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) के बारे में ताजा जानकारी प्राप्त करना चाहता है। शहरी जागरूक ग्राहक जानते हैं कि क्रूड आयल प्रति बैरल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत कितने डॉलर चल रही है, क्योंकि उसके उतार–चढ़ाव का प्रभाव हमारे देश के पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक हिंदी अखबार में एक पेज व्यापार और वाणिज्य को दिया जाता है और अंग्रेजी में तो इकोनॉमिक टाइम्स अखबार ही प्रकाशित होता है। निःसंदेह आर्थिक पत्रकारिता आज की पत्रकारिताका महत्वपूर्ण आयाम है।

6. **खेल पत्रकारिता** : यह भी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण आयाम है। उदाहरण के रूप में हम किसी भी हिंदी समाचार–पत्र या अंग्रेजी समाचार–पत्र को उठाकर देख लें तो कम से कम एक संपूर्ण पृष्ठ, खेल समाचारों से पटा रहता है। यही स्थिति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी है। भारत में यदि आई.पी.एल. हो रहा है तो अतिरिक्त स्पेस की आवश्यकता होती है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबाल या विश्वकप हो रहा तो और अधिक स्पेश मिलता है, अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्रिकेट तो जैसे धर्म हो गया है भारत का; इसीलिए क्रिकेट पर एक मासिक पत्रिका 'क्रिकेट सम्राट' निकलती है। खेल हलचल सदृश पत्रिकाएं भी पर्याप्त लोकप्रिय हैं। खेल समाचार–पत्र जहां सर्कुलेशन में सहभागी होते हैं वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टी.आर.पी. बढ़ाने में भी सहायक होते हैं।

7. **फिल्मी पत्रकारिता** : इसकी स्थिति पर यदि हम विचार करें तो हम पाते हैं कि प्रत्येक पाठक का अपना एक आदर्श अभिनेता या अभिनेत्री होती है, वह उससे जुड़ी प्रत्येक खबर से रूबरू होना चाहता है। फिल्मी कलाकार हमारे देश में सेलीब्रेटी के रूप में जाने जाते हैं। पाठक और दर्शक कलाकारों के ब्रेकअप और पैचअप की अद्यतन जानकारी रखना चाहता है और प्रत्येक समाचार–पत्र

पाठकों की इस कसौटी पर खरा उतर रहा है। फिल्मी दुनिया और स्टारडस्ट जैसी पत्रिकाएं पाठकों की जानकारी में अभिवृद्धि कर रही हैं।

टिप्पणी

8. **फोटो पत्रकारिता** : यह पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण अंग है। ध्यातव्य है कि श्रव्य माध्यम अर्थात् रेडियो में समाचार पढ़ा जाता और उस दौरान दृश्य का वर्णन मात्र संभव है; लेकिन प्रिंट मीडिया में किसी भी घटना या दुर्घटना के समाचार के साथ फोटो भी दी जाती है, जिससे समाचार और अधिक सजीव हो जाता है। समाचार की गंभीरता का पाठक को भी आभास होता है और उसे घटना से एक प्रकार का सामीप्य प्रतीत होता है। निःसंदेह फोटो से समाचार प्रभावी बनते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अर्थात् दृश्य–श्रव्य माध्यम तमाम आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित न्यूज रूम के माध्यम से समाचार दिखाते भी हैं और उसी के समानांतर दृश्य भी दिखाते रहते हैं। परिणामतः दर्शक स्वयं को समाचार के समीप पाते हैं। आज पाठक या दर्शक फोटो के अभाव में समाचार (महत्वपूर्ण) की परिकल्पना ही नहीं कर सकता। वैसे भी आज की बाजारवादी व्यवस्था में 'जो दिखता है तो बिकता है' धारणा बनाकर जहां गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा हो वहां समाचार–पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अपने पत्र या चैनल को आकर्षक बनाने में लगा है, जिसमें फोटो पत्रकारिता और वीडियो पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है।

9. **फीचर लेखन** : पत्रकारिता का यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी पत्र या पत्रिका में पढ़ने के लिए ढेरों सामग्री होती है और समय के साथ–साथ इस पाठ्य सामग्री का स्वरूप भी परिवर्तित होता जाता है, लेकिन इस सामग्री को प्राथमिक रूप से तीन श्रेणियों में स्पष्टतः विभाजित किया जा सकता है– समाचार, नीति संबंधी सामग्री और फीचर। आधुनिक युग में फीचर अर्थात् रूपक की परिभाषा कुछ बदल गई है। वस्तुतः कोई भी विशेष या प्रधान लेख, जो किसी पत्र–पत्रिका में किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित होता है, रूपक (फीचर) कहलाता है। यद्यपि फीचर अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी पर्याय 'रूपक' है, लेकिन हिंदी पत्रकारिता में भी रूपक के स्थान पर 'फीचर' शब्द ही अधिक प्रचलन में है। फीचर की कई परिभाषाएं हैं। एक मत के अनुसार मानव की भावनाओं तथा मन को उत्प्रेरित करने वाला लेख ही फीचर है। वास्तव में फीचर किसी–न–किसी मानवीय भाव यथा– प्रेम, करुणा, घृणा, भय आदि के इर्द–गिर्द घूमता है। यह समाचार से सर्वथा भिन्न होता है और मानवीय संवेदनाओं को उद्वेलित करता हुआ या तो यह पाठक को किसी मूल संवेदना से जोड़ता है या उससे विलग करता है। वस्तुतः फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है और उस पर नया प्रकाश डालता है। वर्तमान में फीचर समाचार–पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है।

10. **बाल पत्रकारिता** : यह भी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण अंग है। बालक या बालिका समाचार–पत्र में स्वयं हेतु सामग्री खोजते हैं। 70 के दशक में लोटपोट, चंदामामा, पराग, नंदन, चाचा चौधरी, विक्रम और बेताल, फैंटम इत्यादि अनेक विकल्प थे बच्चों के पास, पर दुर्भाग्य का विषय है कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पठनीयता को कम कर दिया है और प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्द्धा में बच्चों का बचपना जैसे छिन–सा गया है, तथापि अभी भी बालहंस जैसी कतिपय पत्रिकाएं

प्रकाशित हो रही हैं। कतिपय कॉमिक्स अभी भी प्रकाशित हो रहे हैं। समाचार–पत्रों में अवयस्क बालक–बालिकाओं हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं होती।

टिप्पणी

11. **खोजी पत्रकारिता :** खोजी पत्रकारिता पत्रकारिता की एक अनूठी विधा है। इसमें पत्रकार किसी घटना, व्यक्ति, संगठन या किसी संभावी योजना के संबंध में वह जानकारी खोजकर सामने लाता है, जो सामान्यतः सामने नहीं आ पाती। इस तरह की पत्रकारिता किसी हत्याकांड से जुड़ी घटना या किसी बड़ी राजनीतिक अथवा आर्थिक डील के संबंध में भी हो सकती है। खोजी पत्रकार संबंधित घटना के बारे में जब अपनी रिपोर्ट पेश करता है तो वह तथ्यों के साथ–साथ उसके प्रमाण भी सामने रखता है।

    पत्रकारिता की अन्य विधाओं की तुलना में खोजी पत्रकारिता एक रिस्की पत्रकारिता भी कही जा सकती है। इसमें कई बार संबंधित पत्रकार की जान को भी खतरा होता है। खोजी पत्रकारिता की शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है तथा 'न्यूयार्क वर्ल्ड' के पूर्व संपादक जोसेफ पुलित्जर को इसका जन्मदाता माना जाता है। भारत में खोजी पत्रकारिता का प्रारंभ 'जुगवाणी' नामक पत्रिका से हुआ था, जिसे देवव्रत नामक एक युवक ने प्रारंभ किया था। उन्होंने सरकारी तंत्र के विरुद्ध खोजी पत्रकारों को अपना साथी बनाया। मुम्बई से प्रकाशित 'ब्लिट्ज' नामक समाचार–पत्र को खोजी पत्रकारिता हेतु विश्वस्त रूप से देखा गया।

2.2.6 बाजार का अर्थ एवं परिभाषाएं

बाजार से तात्पर्य उत्पादकों द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई वस्तुओं के खरीदारों के एक समूह से है। बिक्री केंद्रों में कृषि उत्पादों से लेकर कारखानों में बड़ी संख्या में निर्मित वस्तुएं हो सकती हैं। पूर्व औद्योगिक समाजों में बिक्री योग्य वस्तुएं काफी कम थीं। इनमें सब्जियां, फल, अनाज एवं अन्य कृषि उत्पाद तथा कृषि के अलावा कुछ हस्तशिल्प आधारित औद्योगिक वस्तुएं शामिल थीं। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी प्रगति, उद्यमीय आपूर्ति तथा बढ़ते अभिनव प्रयासों ने वस्तुओं की मात्रा एवं प्रकार में सैकड़ों गुना वृद्धि कर दी है। इसमें ज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और सफाई, फैशन और सौंदर्य प्रसाधन तथा खाद्य पदार्थों की ढेरों किस्में शामिल हैं।

बाजार और उद्योग एक–दूसरे की पूरक संस्थाएं हैं। एक संस्था दूसरी की प्रकृति निर्धारित करती है। कौन–सी वस्तु किस मात्रा में और किस मूल्य पर उत्पादित होगी– यह संभावित खरीदारों की मांग की प्रकृति से निर्धारित होती है। अन्य के अलावा, सामान्यतया जनसंख्या का आकार और लोगों की क्रय शक्ति, इसके प्रमुख निर्धारक हैं। अतः एक अवसंरचनात्मक स्थिति एवं वित्तीय दशा में, औद्योगीकरण की प्रकृति और विस्तार, व्यापक रूप से मौजूदा बाजार पर निर्भर होगा। यही कारण है बाजार अनुसंधान, उद्योगों में व्यापारिक अभिरुचि तथा शिक्षण संस्थानों में अकादमिक अभिरुचि की एक गंभीर शाखा के रूप में विकसित हुआ है। सामाजिक सांस्कृतिक से लेकर आर्थिक एवं पर्यावरणीय जैसे बहुत से कारकों द्वारा बाजार का अनुकूलन होता है।

यह संभवतया एक पुराना दृष्टिकोण है कि बाजार औद्योगीकरण की मात्रा और प्रकृति का निर्धारण करता है। आजकल यह देखा जा रहा है कि उद्यमी उत्पादन बढ़ाने के लिए विलक्षण तरीके अपना रहे हैं। वे उत्पादन के घटकों के अभिनव संयोजन से मौजूदा उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वे अपने उत्पादों के लिए बाजार

बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। पहले बाजार एक स्वतंत्र इकाई थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बाजार, उद्यमियों द्वारा प्रचार, प्रलोभन तथा खरीदारों की क्रय शक्ति के समायोजन के माध्यम से निर्मित भी किया जाता है।

टिप्पणी

विकास में बाजार की भूमिका

विकास में बाजार की भूमिका को बाजार दशा के निम्नलिखित आयामों के आधार पर विवेचित किया जा सकता है–

1. खरीदारों की वर्गीय प्रस्थिति
2. खरीदारों की जातीय प्रस्थिति (भारत के प्रसंग में)
3. खरीदारों की शैक्षिक प्रस्थिति
4. खरीदारों का मूल्य अभिमुखीकरण
5. खरीदारों में नगरीयता
6. खरीदारों की जातिगत विशेषताएं
7. खरीदारों की भौगोलिक अवस्थिति

यहां आरंभ में ही यह स्पष्ट कर देना होगा कि उपरोक्त कोटियां एक–दूसरे से काफी मिलती–जुलती है। इनका यह मेल एक–दूसरे पर इनके कारणात्मक प्रभाव के कारण है। अतः बाजार दशा को समष्टिवादी परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करना पद्धतिशास्त्रीय दृष्टि से अधिक लाभदायक है। जहां लोगों की मौलिक आवश्यकताएं एक समान होती हैं, वहीं लोगों की अन्य आवश्यकताएं, उनकी विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों के कारण असमान भी होती हैं। अतः पूरी दुनिया में बाजार का कोई एक समरूप प्रतिमान नहीं है। बाजार का निर्माण करने वाले खरीदार अपनी जातीय और वर्गीय प्रस्थिति, आधुनिकीकरण के स्तर, नगरीकरण और भौगोलिक दशाओं से प्रभावित होते हैं। उपभोग प्रतिमान एवं आवश्यकताएं इन्हीं कारकों के साथ–साथ बदलती रहती हैं।

बाजार स्तरीकृत वर्ग श्रेणियों से बना होता है, जिसकी संरचना एक पिरामिड के आकार की होती है। इस पिरामिड में सबसे ऊपर का वर्ग सबसे छोटा समूह होता है तथा सबसे नीचे का वर्ग सबसे बड़ा समूह। उच्चतम वर्ग की क्रय क्षमता उच्च स्तर की होती है लेकिन यह एक छोटे बाजार का निर्माण करता है। निम्नतम वर्ग जो कि उपभोक्ताओं का सबसे बड़ा समूह होता है, इसकी क्रय शक्ति से संपन्न मध्यवर्ग का इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग है, जो आर्थिक विकास की प्रकृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाजार की प्रकृति व्यापक रूप से मध्य वर्ग द्वारा निर्धारित होती है। उच्च क्रय शक्ति एवं खरीदारों की बड़ी संख्या दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी भी देश के औद्योगिक उत्पादन की प्रकृति और मात्रा का निर्धारण करते हैं। भारतीय मध्य वर्ग देश की कुल जनसंख्या का लगभग 35 प्रतिशत है। यह वर्ग औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं गैर कृषि अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि तथा परंपरागत वर्ग स्तरीकरण प्रणाली में बदलाव के कारण, तेजी से विस्तारित हो रहा है। यह विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने वाला सबसे महत्वपूर्ण समूह है। इसलिए नहीं कि यह औद्योगिक माल के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि इसलिए भी कि यह शारीरिक श्रम करने वाले कामगारों से लेकर तकनीकविद, प्रबंधक एवं

नौकरशाह तक एक बड़ी संख्या में कार्यकुशल एवं सक्षम श्रमिक वर्ग भी उपलब्ध कराता है। भारत आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय द्वारा सर्वोत्तम बाजारों में से एक के रूप में देखा जा रहा है।

टिप्पणी

बाजार की परिभाषाएं

बाजार शब्द की भिन्न–भिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा भिन्न–भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, इनमें से प्रमुख परिभाषाओं को नीचे दिया जा रहा है–

कूर्नो (Cournot) के अनुसार, "अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ किसी एक ऐसे स्थान विशेष से नहीं लगाया जाता है जहां वस्तुओं का क्रय–विक्रय किया जाता है वरन् उस समस्त क्षेत्र से होता है, जिसमें वस्तु के समस्त क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच इस प्रकार स्वतंत्र संपर्क होता है कि वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति शीघ्रता व सुगमता से समान होने की पायी जाती है।"

प्रो. सिजविक (Prof. Sidgwick) के अनुसार, "बाजार व्यक्तियों के समूह या समुदाय को कहते हैं जिनके बीच इस प्रकार के पारस्परिक वाणिज्यिक संबंध हों कि प्रत्येक व्यक्ति को सुगमता से इस बात का पूर्ण ज्ञान हो जाए कि दूसरे व्यक्ति समय–समय पर कुछ वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय किन मूल्यों पर करते हैं।"

बाजार की विशेषताएं

1. **एक क्षेत्र (One Area):** अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि उस क्षेत्र से है जहां क्रेता ओर विक्रेता फैले हुए होते हैं तथा उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है।
2. **एक वस्तु (One Commodity):** यद्यपि व्यवहार में कई वस्तुओं का एक ही बाजार होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में एक वस्तु का एक ही बाजार होता है। उदाहरण के लिए, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, लोहा मंडी आदि। दूसरे शब्दों में जितनी वस्तुएं होती हैं अर्थशास्त्र में उतने ही बाजार होते हैं।
3. **क्रेता एवं विक्रेता (Buyers and Sellers):** क्रेता तथा विक्रेता दोनों ही बाजार के अभिन्न अंग होते हैं, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। अतः क्रेता अथवा विक्रेता में से किसी एक की अनुपस्थिति में बाजार की कल्पना नहीं की जा सकती है।
4. **स्वतंत्र प्रतियोगिता (Competition):** बाजार के लिए यह आवश्यक है कि क्रेता और विक्रेता के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। अर्थात् सौदा करते समय किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
5. **एक मूल्य (One Price):** बाजार में जब क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है, तब वस्तु के मूल्य में समानता होने की प्रवृत्ति होती है।

बाजार का वर्गीकरण

अर्थशास्त्रियों के द्वारा निम्न तत्वों के आधार पर बाजार का वर्गीकरण किया गया है–

1. क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण (Classification of market on the basis of Area): क्षेत्र के आधार पर बाजार को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जा सकता है–

टिप्पणी

(क) **स्थानीय बाजार (Local market):** स्थानीय बाजार का अभिप्राय उस बाजार से है जो एक छोटे–से क्षेत्र में सीमित होता है। स्थानीय बाजार उन वस्तुओं का होता है जिन वस्तुओं की मांग व्यापक नहीं होती है। स्थानीय बाजार के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जो शीघ्र खराब होने वाली होती हैं, जैसे– दही, दूध, सब्जी, अंडा तथा भारवाही वस्तुएं, जैसे– ईंट, पत्थर, रेत आदि।

(ख) **प्रादेशिक बाजार (Regional Market):** प्रादेशिक बाजार को प्रांतीय बाजार भी कहा जाता है। प्रादेशिक बाजार का क्षेत्र स्थानीय बाजार के क्षेत्र से अधिक व्यापक होता है। प्रादेशिक बाजार के अंतर्गत वस्तु की मांग तथा पूर्ति एक प्रदेश की सीमा तक फैली रहती है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में पगड़ी व धोती की मांग, राजस्थान में लाख की चूड़ियों व उत्तर प्रदेश में गांधी टोपी की मांग।

(ग) **राष्ट्रीय बाजार (National Market):** राष्ट्रीय बाजार का क्षेत्र काफी व्यापक होता है। जब किसी वस्तु की मांग पूरे देश में की जाती है, तब उस वस्तु का बाजार राष्ट्रीय होता है। उदाहरण के लिए, भारत में साड़ियों, कांच की चूड़ियों तथा धोतियों की मांग बहुतायत से की जाती है। इसलिए इन वस्तुओं का बाजार राष्ट्रीय है।

(घ) **अंतर्राष्ट्रीय बाजार (International Market):** जब किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता संसार के कोने–कोने में फैले हुए हों या जब वस्तुओं की मांग विश्वव्यापी होती है, तब ऐसी वस्तुओं के बाजर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है। उदाहरण के लिए, सोना, चांदी, गेहूं, कपास, पटसन आदि वस्तुओं का बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है।

2. समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण (Classification of Market on the basis of Time): समय के आधार पर बाजार को चार भागों में बांटा जा सकता है। यह विभाजन मार्शल के द्वारा किया गया है–

(क) **अति–अल्पकालीन बाजार (Very Short Period Market):** अति–अल्पकालीन बाजार को दैनिक बाजार (Daily Market) भी कहा जाता है। अति–अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत वस्तु की पूर्ति हमेशा स्थिर रहती है। उत्पादकों या पूर्तिकर्ताओं के पास इतना कम समय होता है कि वे वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुसार बढ़ा नहीं सकते हैं। इस प्रकार की प्रमुख वस्तुएं दूध, दही, सब्जी तथा मछली, अंडे आदि हैं। अतः अति–अल्पकालीन बाजार में वस्तु की पूर्ति का प्रभाव शून्य (Zero) रहता है, जबकि मांग का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार की क्रिया से जिस मूल्य का निर्धारण होता है उसे बाजार मूल्य (Market Price) कहा जाता है।

(ख) **अल्पकालीन बाजार (Short Period Market):** अल्पकालीन बाजार में अति–अल्पकालीन बाजार की अपेक्षा समय कुछ अधिक मिलता है। इस बाजार की समयावधि छह माह के लगभग हो सकती है। यदि किन्हीं कारणों से वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तब वस्तु की पूर्ति करने वाले एक सीमा तक वस्तु की पूर्ति करने में सफल हो जाते हैं। फिर भी वस्तु के पूर्तिकर्ता वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपने स्थिर यंत्रों अथवा प्लांटों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाते।

टिप्पणी

अल्पकालीन बाजार में भी पूर्ति की अपेक्षा मांग का ही अधिक प्रभाव रहता है, परंतु मूल्य में उतार–चढ़ाव अति–अल्पकालीन बाजार की अपेक्षा कम होते हैं। अतः अल्पकालीन बाजार मूल्य को 'अल्पकालीन सामान्य मूल्य' (Short Period Normal Price) कहा जाता है।

(ग) **दीर्घकालीन बाजार (Long Period Market):** दीर्घकालीन बाजार के अंतर्गत पूर्तिकर्ताओं को अधिक समय मिल जाता है। इस बाजार में मांग के बढ़ने के साथ–साथ पूर्ति को भी बढ़ाया–घटाया जा सकता है। पूर्तिकर्ता उत्पत्ति के साधनों में समन्वय स्थापित कर सकता है। पूर्ति का प्रभाव महत्वपूर्ण होने के कारण वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत के बराबर निर्धारित होता है। इसलिए दीर्घकालीन बाजार मूल्य को 'दीर्घकालीन मूल्य' (Long Period Price) या 'सामान्य मूल्य' (Normal Price) भी कहा जाता है।

(घ) **अति–दीर्घकालीन बाजार (Very Long Period Market or Secular Market):** अति–दीर्घकालीन बाजार में मांग तथा पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन होते रहते हैं। अति दीर्घकालीन बाजार में मांग को प्रभावित करने वाली प्रमुख बातें– जनसंख्या का बढ़ना–घटना, फैशन, रुचि, रीति–रिवाज, खान–पान आदि हैं। इनमें परिवर्तन आने के कारण मांग में भी परिवर्तन आ जाते हैं। दूसरी ओर वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाली प्रमुख बातें वैज्ञानिक अनुसंधान, नई–नई खोजें तथा नई–नई उत्पादन तकनीक की जानकारी का होना है। इस प्रकार ये सब बातें वस्तु की उत्पादन लागत को भी प्रभावित कर देती हैं। अति–दीर्घकालीन बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति की संतुलित क्रिया बराबर चलती रहती है। इस बाजार को काल्पनिक बाजार भी कहा जाता है। अतः इस मूल्य को 'अति–दीर्घकालीन मूल्य' (Very Long Period Price) या 'स्थायी मूल्य' (Secular Price) कहते हैं।

3. प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण Classification on the basis of Competition): प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को तीन भागों में बांटा जा सकता है–

(क) **पूर्ण प्रतियोगिता बाजार (Perfect Competition Market):** जब बाजार में किसी वस्तु के क्रय–विक्रय के लिए क्रेताओं व विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है तब बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। इस प्रकार के बाजार में क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है।

(ख) **अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार (Imperfect Competition Market):** अपूर्ण बाजार की व्याख्या करते हुए बेन्हम (Benham) ने लिखा है कि "अपूर्ण बाजार उस दशा में कहा जाएगा जब क्रेताओं और विक्रेताओं को या कुछ क्रेताओं और कुछ विक्रेताओं को एक–दूसरे के द्वारा दिए हुए या मांगे हुए मूल्य का ज्ञान नहीं होता है।" इस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या कम होती है तथा उन्हें बाजार का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। प्रमुख रूप से बाजार में वस्तु विभेद किया जाता है।

(ग) **एकाधिकार बाजार (Monopoly Market):** एकाधिकार बाजार उस दशा को कहा जाएगा जिसमें वस्तु का अकेला उत्पादक होता है और उसकी स्थानापन्न वस्तु का भी कोई और उत्पादक नहीं होता है।

टिप्पणी

4. कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण (Classification of Market on the basis of Function): कार्य के आधार पर बाजार को निम्न भागों में बांटा जा सकता है–

(क) **विशिष्ट बाजार (Specialised Market):** कभी–कभी किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ वस्तुओं का बाजार एक साथ कुछ क्षेत्रों में या स्थानों में केंद्रित हो जाता है, इसे विशिष्ट बाजार कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जहां सभी दुकानें सुनारों की होंगी उसे जौहरी बाजार, सर्राफा के क्रय–विक्रय वाले बाजार को सर्राफा बाजार कहा जाएगा। विशिष्ट बाजार में केवल एक ही वस्तु का क्रय–विक्रय होता है।

(ख) **मिश्रित बाजार (Miexed Market):** जब एक ही बाजार में एक से अधिक वस्तुओं या मिली–जुली वस्तुओं का क्रय–विक्रय होता है, तब उस बाजार को मिश्रित बाजार या सामान्य बाजार (General Market) कहा जाता है।

(ग) **नमूनों द्वारा बाजार (Marketing by Sampling):** वर्तमान समय में बड़े पैमाने का क्रय–विक्रय नमूनों के आधार पर किया जाने लगा है। माल बेचने वाली मिलों व फर्मों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को वस्तुओं के नमूने दे दिए जाते हैं, और वे उन नमूनों को दिखाकर माल का आर्डर बुक कर लेते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था कपड़े, ऊन तथा रंग–पेंट आदि में अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही है।

(घ) **श्रेणियों के आधार पर बाजार (Marketing by Grade):** वर्तमान समय में ग्रेड के द्वारा वस्तु के क्रय–विक्रय को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस व्यवस्था में वस्तु को कई वर्गों या ग्रेडों में बांट दिया जाता है और इन्हीं ग्रेडों के आधार पर वस्तु का सौदा किया जाता है। उदाहरण के लिए, बहुत से देशों में गेहूं, कपास, टिन आदि का व्यापार ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर संपन्न किया जाने लगा है।

5. वैधानिकता के आधार पर वर्गीकरण (Classification on the basis of Leagality): वैधानिकता के आधार पर बाजार को दो भागों में बांटा जा सकता है–

(क) **उचित बाजार (Fair Market):** जब किसी बाजार में वस्तुओं का क्रय–विक्रय सरकारी हस्तक्षेप से किया जाता है और उपभोक्ताओं को वस्तुएं उचित कीमत पर मिल जाती हैं, तो उसे उचित बाजार कहा जाता है।

(ख) **अवैध बाजार (Illegal market):** जब किसी वस्तु का क्रय–विक्रय सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से कम या अधिक में होता है, तब उस बाजार को अवैध बाजार कहा जाता है।

6. वस्तु की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण (Classification on the basis of Nature of the Commodity): वस्तु की प्रकृति के आधार पर बाजार को तीन भागों में बांटा जाता है–

(क) **उपज बाजार (Produce Market):** जिस बाजार में उत्पादित वस्तुओं के क्रय–विक्रय के सौदे होते हैं, उसे उपज बाजार कहा जाता है।

(ख) **स्कन्ध बाजार (Stock market):** जिस बाजार में अंश, प्रतिभूतियों तथा स्टॉक आदि के सौदे होते हैं, उसे स्कन्ध बाजार कहते हैं।

(ग) **धातु बाजार (Bullion Market):** जिस बाजार में सोने–चांदी के क्रय–विक्रय के सौदे होते हैं, उसे धातु बाजार कहते हैं।

टिप्पणी

बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors Affecting the extent of Market)

(क) वस्तु की विशेषताएं

(ख) देश की आंतरिक दशाएं

(क) वस्तु के गुण अथवा विशेषताएं (Characteristics of the Commodity)

किसी वस्तु के विस्तृत बाजार के लिए उस वस्तु में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए–

1. **वस्तु की सर्वव्यापक मांग (Universal Demand of Commodity):** विस्तार के लिए वस्तु की मांग का व्यापक होना अनिवार्य है। वस्तु की मांग जितनी व्यापक होगी वस्तु का बाजार उतना ही विस्तृत होगा। उदाहरण के लिए गेहूं, चावल, कपास, जूट, सोना, चांदी आदि वस्तुओं की मांग विश्वव्यापी है। परिणामस्वरूप इन वस्तुओं का बाजार विस्तृत है।
2. **वहनीयता (Protability):** बाजार के विस्तार के लिए वस्तु का वहनीय होना आवश्यक है। प्रायः जो वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से लाई और ले जाई जाती हैं, उन वस्तुओं का बाजार व्यापक होता है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि।
3. **टिकाऊपन (Durability):** प्रायः टिकाऊ वस्तुओं का बाजार भी व्यापक होता है, क्योंकि उन वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए कपड़ा, अनाज, कपास, सोना, चांदी आदि वस्तुओं की मांग सर्वव्यापक है, जबकि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं, जैसे– मछली, दूध, दही, सब्जी आदि का बाजार सीमित है।
4. **पूर्ति की पर्याप्तता (Adequacy of Supply):** जिन वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग के अनुरूप कर ली जाती है, उन वस्तुओं का बाजार व्यापक होता है। यदि वस्तु की पूर्ति उसकी मांग के अनुरूप नहीं पायी जाती है, तो उपभोक्ता उस वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का उपयोग करने लगेंगे। अतः वस्तु का बाजार सीमित हो जाएगा।
5. **शीघ्रबोधिता (Cognizability):** शीघ्रबोधिता तथा ग्रेडिंग भी वस्तु के बाजार को विस्तृत करते हैं। जिन वस्तुओं को उपभोक्ता आसानी से पहचान सकें या जिन वस्तुओं के गुण–दोषों की जानकारी उन्हें होती है उन वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है।
6. **स्थानापन्न वस्तुओं की संख्या (Number of Substitutes):** स्थानापन्न वस्तुएं भी बाजार के विस्तार को प्रभावित करती हैं। जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं, उन वस्तुओं का बाजार सीमित होता है क्योंकि ऐसी वस्तुओं के न मिलने पर उपभोक्ता दूसरी वस्तुओं से काम चला लेता है। यदि किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो वस्तु का बाजार विस्तृत होगा।

टिप्पणी

(ख) देश की आंतरिक दशाएं (Internal Conditions of the Country)

देश की आंतरिक दशाओं का प्रभाव बाजार के विस्तार पर पड़े बिना नहीं रह सकता है। कुछ आंतरिक कारणों को नीचे दिया जा रहा है जो बाजार के विस्तार को प्रभावित करते हैं–

1. **यातायात व संवादवाहन के साधन (Means of Transport and Communication):** यातायात साधनों का प्रत्यक्ष प्रभाव बाजार–विस्तार को प्रभावित करता है। ज्यों–ज्यों यातायात व संचार के साधनों का विकास होता जाएगा त्यों–त्यों वस्तु का बाजार भी व्यापक होता जाएगा, क्योंकि उत्पादित वस्तुओं को दूर तक लाया और ले जाया जा सकता है।
2. **श्रम विभाजन (Division of Labour):** जिस प्रकार श्रम–विभाजन उत्पादन वृद्धि में सहायता करता है ठीक उसी रूप में वह बाजार के विकास या विस्तार में सहायक होता है। श्रम–विभाजन से बड़े पैमाने का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन लागत में कमी आती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का उत्पादन भी आसानी से कर लिया जाता है और वस्तुएं भी आकर्षक बनती हैं। इन सब बातों के कारण वस्तु के बाजार का विस्तार होता है।
3. **शांति एवं सुरक्षा (Peace and Security):** देश की शांति और सुरक्षा वस्तु के बाजार के विस्तार को प्रभावित करती है। देश की शांति व्यवस्था बाजार का विस्तार करती है, जबकि देश की अशांति बाजार को संकुचित कर देती है।
4. **द्रव्य की स्थिरता तथा व्यवस्थित बैंकिंग व्यवस्था (Stability of Currency and Sound Banking System):** देश की सुदृढ़ मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था से वस्तु का बाजार विस्तृत होता है, मुद्रा प्रणाली में अस्थिरता होने पर वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक उच्चावचन (Fluctuations) होते रहते हैं, जिससे व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है और बाजार संकुचित हो जाता है। इसी प्रकार कुशल बैंकिंग प्रणाली से व्यापारियों को पर्याप्त साख उपलब्ध होती है, जिससे बाजार का विस्तार होता है।
5. **व्यापार का वैज्ञानिक तरीका (Scientific Business Method):** व्यापार करने का वैज्ञानिक तरीका भी बाजार के विस्तार को प्रभावित करता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण साधन विज्ञापन है। विज्ञापन का जितना अधिक और व्यापक विस्तार होगा वस्तु का बाजार भी उतना अधिक विस्तृत होगा।
6. **सरकार की व्यापारिक नीति (Commercial Policy of the Government):** यदि देश के भीतर तथा बाहर स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनायी जा रही है और कर–प्रणाली न्यायोचित है, तो बाजार का विस्तार होगा। यदि एक देश से दूसरे देश को या एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं को लाने व ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिये जाते हों या आयात तथा निर्यात करों की दरों में वृद्धि की गई है, तो बाजार का विस्तार नहीं होगा।

2.2.7 बाजारों का वैश्वीकरण

बाजारों का वैश्वीकरण इस सदी के सबसे आकर्षक विकासों में से एक है। आर्थिक लेन–देन, प्रक्रियाओं, संस्थानों और कर्ताओं (खिलाड़ियों) पर इसका प्रभाव नाटकीय और व्यापक है। यह स्थापित मानदंडों और व्यवहार को चुनौती देता है और इसके लिए

टिप्पणी

अलग मानसिकता की आवश्यकता होती है। फिर भी, यह अच्छी तरह से तैयार प्रतिभागियों के लिए अवसर पैदा करता है जो सक्रिय और दूरदर्शी हो सकते हैं। बाजारों के वैश्वीकरण में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती अन्योन्याश्रयता शामिल है– सोर्सिंग, निर्माण, व्यापार और निवेश गतिविधियों की बहुराष्ट्रीय प्रकृति; सीमा पार लेनदेन और वित्तपोषण की बढ़ती आवृत्ति; और बड़ी संख्या में कर्ताओं (खिलाड़ियों) के बीच प्रतिस्पर्धा की बढ़ी हुई तीव्रता। इस घटना को संचार और परिवहन प्रौद्योगिकियों में प्रगति, दुनिया भर में आर्थिक विकास और धन के प्रसार, व्यापार के लिए बाधाओं को ढीला करने और क्षेत्रीय आर्थिक गठन से बढ़ावा मिला है।

नई तकनीकों का विकास और नए उत्पादों का प्रसार भी बाजारों के वैश्वीकरण में योगदान देता है। केवल पिछले दशक में अस्तित्व में आए निम्नलिखित उद्योगों पर विचार करें– चिकित्सा इमेजिंग, जैव प्रौद्योगिकी, मिश्रित सामग्री, रोबोटिक्स और प्रक्रिया नवाचार। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से गति प्राप्त करते हुए, बाजारों के वैश्वीकरण ने देशों के बीच अपरिवर्तनीय आर्थिक संबंधों का निर्माण किया है। इसने राष्ट्र–राज्य से ध्यान हटा दिया है, और उद्योग और व्यक्तिगत उद्यम की ओर अधिक ध्यान दिया है। बाजारों का वैश्वीकरण व्यावसायिक लेनदेन के "अंतर्राष्ट्रीयकरण" में सबसे अच्छा परिलक्षित होता है। इसका मतलब है कि आर्थिक गतिविधि के एक या अधिक पहलुओं में एक अंतर्राष्ट्रीय चरित्र होता है। लेन–देन के लिए पार्टियों में से एक विदेशी भागीदार हो सकता है। लेनदेन में एक विदेशी मुद्रा शामिल हो सकती है; वित्तपोषण में विदेशी ऋणदाता शामिल हो सकते हैं; और इसी तरह प्रौद्योगिकी एक विदेशी भागीदार द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है।

बाजारों के वैश्वीकरण के कम से कम पांच आयामों या पहलुओं की पहचान करना संभव है–

पहला विनिर्माण और सोर्सिंग गतिविधियों की तरल प्रकृति है। आज, व्यावसायिक गतिविधि उन स्थानों पर स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है जो इसे आर्थिक रूप से और सबसे अधिक कुशलता से करने के लिए सुसज्जित हैं। यह सेवा उद्योग के मामले में विशेष रूप से स्पष्ट है। कई यू.एस. ग्राहक यह नहीं पहचान सकते हैं कि जब वे अपनी सॉफ़्टवेयर कंपनी को फ़ोन करते हैं, तो लाइन के दूसरे छोर पर प्रतिक्रिया देने वाला सलाहकार डबलिन, आयरलैंड में एक कर्मचारी हो सकता है। इसी तरह, एक होटल आरक्षणकर्ता जमैका से और फिलीपींस से एक बीमा दावा संसाधक का जवाब दे सकता है।

दूसरा, वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप ग्राहकों और बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धा काफी तेज हो गई है। जहां कुछ दशक पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां हावी थीं, वहीं आज दुनिया के सभी हिस्सों की कंपनियां विश्वव्यापी कारोबार में भाग ले रही हैं। व्यावहारिक रूप से हर देश की कंपनियां विभिन्न उद्योगों में प्रस्थिति के लिए दौड़ लगा रही हैं।

तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लेनदेन के प्रकार का प्रसार हुआ है। अतीत में, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गतिविधियां निर्यात–आयात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में थी। आज, लेन–देन विविध और अधिक जटिल हैं : अनुबंध निर्माण, मताधिकार संचालन, काउंटरट्रेड, टर्नकी निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक गठबंधन, और बहुत कुछ।

टिप्पणी

चौथा, बाजारों और कर्ताओं (खिलाड़ियों) के बीच प्रौद्योगिकी स्वतंत्र रूप से और तेजी से फैलती है। तकनीकी नेतृत्व बहुत लंबे समय तक एकाधिकार लाभ प्रदान नहीं करता है। कंपनियों को अपनी खोजों को जल्दी से भुनाना चाहिए, इससे पहले कि अन्य उसकी बराबरी या बेहतर करें।

पांचवां, उधार–वित्तपोषण गतिविधि दुनिया भर में सामान्य हो गई है। व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के माध्यम से अपने विकास और विस्तार को वित्तपोषित करते हैं। जैसे, वे विभिन्न प्रकार के फंडिंग स्रोतों का दोहन करके अलग–अलग ब्याज दरों और मुद्रा बाजारों का लाभ उठाने में सक्षम हैं।

बाजार लेनदेन की बढ़ती वैश्विक प्रकृति के निहितार्थ कई हैं। मौलिक अर्थ में, यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय के बीच के अंतर को बेमानी और सतही बना देता है। यह उन कर्ताओं (खिलाड़ियों) को धमकाता है जो खुद को अवसरों के एक संकीर्ण सेट तक सीमित रखते हैं और यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो एक बड़े स्थान की कल्पना और संचालन कर सकते हैं।

वे उद्यम जो अधिक जटिल, अनिश्चित वातावरण में काम करना सीखते हैं, उनके सफल होने की संभावना अधिक होती है।

2.2.8 गैर सरकारी संगठन

1980 के दशक से, गैर– सरकारी संगठन (एनजीओ) निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को लोकतांत्रिक बनाने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और जरूरतमंदों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए काम करने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरे हैं। एनजीओ हाल के दशकों में अंतर्राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में काफी प्रमुख बन गए हैं। वे अब विकास, मानवाधिकार, मानवीय कार्रवाई, पर्यावरण और सार्वजनिक कार्रवाई के कई अन्य क्षेत्रों के परिदृश्य पर प्रमुख तीसरे क्षेत्र के कर्ताओं (एक्टर्स) के रूप में पहचाने जाते हैं।

हाल के वर्षों में स्थानीय तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एनजीओ की कार्रवाई के क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है। वैश्वीकरण के संदर्भ में हो रहे संस्थागत परिवर्तनों ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, क्षेत्रीय संगठनों, वित्त और व्यापार संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय निगमों के साथ–साथ गैर सरकारी संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं (एक्टर्स) को भी देखा है। एनजीओ वैश्विक शासन की इस विकसित प्रणाली में देर से आए हैं, लेकिन अब विकास के मुद्दों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने के तरीके खोज रहे हैं।

गैर सरकारी संगठनों को परिभाषित करना

गैर–सरकारी संगठनों को 1945 में नवगठित संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अनुच्छेद 71 कहा जाता था जबकि गैर सरकारी संगठनों की कोई निश्चित या औपचारिक परिभाषा नहीं है। वे आम तौर पर सरकारी प्रभाव से स्वतंत्र गैर–लाभकारी संस्थाओं के रूप में परिभाषित हैं। एक गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ, जिसे अक्सर नागरिक समाज संगठन या सीएसओ भी कहा जाता है) एक गैर–लाभकारी समूह है, जो मुख्य रूप से सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र है, वह स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनता का भला करने के समर्थन में मुद्दों को संबोधित करने के लिए आयोजित किया जाता है।

टिप्पणी

कार्य–उन्मुख और समान रुचि वाले लोगों से बने, एनजीओ विभिन्न प्रकार की सेवाएं और मानवीय कार्य करते हैं, सरकारों के लिए सार्वजनिक चिंताओं को सामने लाते हैं, नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं, और सामुदायिक स्तर पर नागरिक समाज के हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं तथा कुछ विशिष्ट मुद्दों जैसे मानवाधिकार के इर्द–गिर्द अधिक संगठित होते हैं।

विश्व बैंक गैर–सरकारी संगठनों को निजी संगठनों के रूप में परिभाषित करता है जो दुखों को दूर करने, गरीबों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने या सामुदायिक विकास करने के लिए गतिविधियां करते है।

गैर–सरकारी संगठन या एनजीओ, 1945 में चलन में आया क्योंकि संयुक्त राष्ट्र को अपने चार्टर में अंतर–सरकारी विशेष एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय निजी संगठनों के लिए भागीदारी अधिकारों के बीच अंतर करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार इसकी जड़ें संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में हैं। जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर तैयार किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय गैर–राज्य संगठनों का नाम गैर–सरकारी संगठन रखा गया, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में सलाहकार का दर्जा प्राप्त किया।

प्रोफेसर रिचर्ड रॉबिंस की पुस्तक 'ग्लोबल प्रॉब्लम्स एंड द कल्चयर ऑफ कैपिटलिज्म' कुछ कारण बताती है कि क्यों पिछले एक दशक में गैर सरकारी संगठन तेजी से महत्वपूर्ण हो गए हैं। उनमें से, निम्न महत्वपूर्ण हैं–

- शीत युद्ध की समाप्ति ने गैर सरकारी संगठनों के लिए कार्य करना आसान बना दिया।
- संचार प्रगति, विशेष रूप से इंटरनेट ने मदद की है, नए वैश्विक समुदाय बनाए और समान विचारधारा वाले लोगों के बीच संबंध बनाए, राज्य की सीमाओं के पार के लोग भी इससे जुड़े और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन की नींव रखी।
- बढ़े हुए संसाधनों, बढ़ती व्यावसायिकता और एनजीओ में रोजगार के अवसरों ने भी एनजीओ को मजबूत किया।
- गैर सरकारी संगठनों द्वारा एक बड़े, नवउदारवादी आर्थिक और राजनीतिक हिस्से के रूप में विकसित एजेंडा आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव किया है। सरकारों के बढ़ते समर्थन और आधिकारिक सहायता से गैर सरकारी संगठनों में वृद्धि हो रही है।

1980 के दशक के उत्तरार्ध से, गैर सरकारी संगठनों ने पहले की तुलना में विकास में कहीं अधिक बड़ी भूमिका निभाई।

गैर सरकारी संगठनों की विशेषताएं

फाउलर (1988) ने गैर सरकारी संगठनों की दो प्रमुख विशिष्ट विशेषताओं की पहचान की है–

पहली, यह कि एनजीओ का उद्देश्य लाभार्थियों के साथ संबंध स्वैच्छिकता के सिद्धांतों पर आधारित है, न कि नियंत्रण के सिद्धांतों पर जो एक सरकार के लिए विशिष्ट है। इसका मतलब है कि लक्षित लाभार्थी कार्यक्रम के डिजाइन और प्रबंधन में

शामिल हैं और यदि ऐसा होता है, तो कार्यक्रम सफलता की बेहतर संभावना रखते हैं क्योंकि उनके प्रासंगिक और आकर्षक होने की संभावना अधिक होती है।

टिप्पणी

दूसरी, यह तर्क दिया जाता है कि गैर सरकारी संगठनों के पास एक कार्य उन्मुख दृष्टिकोण है जो उन्हें उचित संगठनात्मक विकास प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो नियंत्रण और एकरूपता के बजाय परिवर्तन और विविधता को प्रोत्साहित करता है। नियंत्रण और एकरूपता के प्रयासों से प्रगति में बाधा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

गैर सरकारी संगठनों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो इसे सरकारी संगठनों से अलग बनाती हैं।

स्वैच्छिक : संगठन में स्वैच्छिक भागीदारी के तत्व के साथ नागरिकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से गैर सरकारी संगठनों का गठन किया जाता है, चाहे वह कम संख्या में बोर्ड के सदस्यों के रूप में हो या सदस्यों की बड़ी संख्या या स्वयंसेवकों द्वारा दिए गए समय के रूप में हो।

स्वतंत्र : गैर सरकारी संगठन समाज के कानूनों के भीतर स्वतंत्र होते हैं तथा निर्वाचन या नियुक्ति उस बोर्ड या लोगों द्वारा होती है जिन्होंने इसका गठन किया है। गैर सरकारी संगठनों की कानूनी स्थिति संघ की स्वतंत्रता पर आधारित है। सबसे बुनियादी कार्यक्षेत्रों में मानवाधिकार एक है। निजी एनजीओ, निजी लाभ के लिए नहीं होते हैं। एनजीओ कई देशों में कार्यरत हो सकते हैं। वे राजस्व पैदा करने वाली गतिविधियों में संलग्न होते हैं, लेकिन इसका उपयोग केवल संगठन के मिशन की खोज एवं प्राप्ति हेतु करना चाहिए। गैर सरकारी संगठनों में ऐसे कर्मचारी होते हैं जिन्हें उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए भुगतान किया जाता है। आमतौर पर बोर्डों को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, लेकिन हो सकता है उनके प्रदर्शन के दौरान उनके खर्चों की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाए।

लक्ष्य और संबंधित मूल्यों में स्वयंसेवक नहीं : गैर सरकारी संगठनों का उद्देश्य लोगों की परिस्थितियों और संभावनाओं में सुधार करना और उन चिंताओं और मुद्दों पर कार्य करना है जो समग्र रूप से लोगों या समाज की भलाई, परिस्थितियों या संभावनाओं के लिए हानिकारक हैं।

गैर सरकारी संगठनों के प्रकार

गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न मानदंडों पर वर्गीकृत किया जा सकता है और तदनुसार, एनजीओ के अलग–अलग प्रकार सामने आते हैं।

अभिविन्यास के आधार पर : उन्मुखीकरण पर आधारित गैर सरकारी संगठन निम्न प्रकार के हो सकते हैं–

- **चैरिटेबल एनजीओ** : जरूरतमंदों, गरीबों के लिए दान करना, आपदा राहत प्रदान करना। उदाहरण– रेड क्रॉस।
- **गैर सरकारी सेवा संगठन** : देखभाल, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन या शिक्षा का प्रावधान करना।
- **सहभागी गैर सरकारी संगठन** : स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ स्वयं सहायता परियोजनाओं में तेजी लाना। उदाहरण– जरूरतमंदों की आवास सुविधा हेतु प्रयास।

टिप्पणी

- **गैर सरकारी संगठनों को सशक्त बनाना** : गरीब लोगों की सहायता में रत संगठनों को एक स्पष्ट विकास में मदद करना, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों की समझ प्रदान करना। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षमा प्रदान करना।

संचालन के आधार पर : संचालन के स्तर के आधार पर, गैर सरकारी संगठन निम्न हो सकते हैं–

- समुदाय आधारित संगठन (CBO) लोगों की अपनी पहल द्वारा उत्पन्न होते हैं। इनमें स्पोर्ट्स क्लब, महिला संगठन और आस–पड़ोस के संगठन, धार्मिक या शैक्षिक संगठन आदि शामिल होते हैं।
- शहर भर के संगठनों में रोटरी या लायंस क्लब, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्यापार, जातीय या शैक्षिक समूहों के गठबंधन और सामुदायिक संगठनों के संघ जैसे संगठन शामिल हैं।
- राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों में रेड क्रॉस, वाईएमसीए/वाईडब्ल्यूसीए, पेशेवर संगठन आदि जैसे संगठन शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन धर्मनिरपेक्ष एजेंसियां जैसे– सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्सफैम, केयर, फोर्ड और रॉकफेलर आदि हैं।

मोटे तौर पर, चार बुनियादी प्रकार के गैर सरकारी संगठनों को नोट किया जा सकता है। वे हैं–

- **मानवीय सहायता समूह** : मानवीय सहायता का प्राथमिक उद्देश्य आपातकालीन प्रतिक्रिया और विकासात्मक परियोजनाओं, दोनों में, लोगों की जान बचाना, पीड़ा कम करना और मानवीय गरिमा बनाए रखना है। उदाहरण : नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल, अमेरिकन रिफ्यूजी कमेटी, डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, डायरेक्ट रिलीफ इंटरनेशनल, मर्सी कॉर्प्स इंटरनेशनल (एमसीआई), इंटरनेशनल मेडिकल कॉर्प्स, केयर वालंटियर्स इन टेक्निकल असिस्टेंस, सेव द चिल्ड्रन आदि।
- **हिमायत करने वाले समूह** : इस तरह के आईएनजीओ स्वयं सहायता की आपूर्ति नहीं करते हैं, इसके बजाय तत्काल बदलाव लाने और नीति बदलने के उद्देश्य से जनता, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए विशिष्ट मुद्दों की वकालत पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

  उदाहरणः ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, रिफ्यूजी इंटरनेशनल, फिजिशियन फॉर ह्यूमन/हेल्थ राइट्स आदि।
- **आस्था आधारित समूह** : ये मानवीय सहायता समूह मूल रूप से आस्था के सिद्धांतों पर आधारित हैं लेकिन दी गई सहायता के बदले में धर्म का उपयोग नहीं करते हैं। उदाहरण – मर्सी कॉर्प्स या इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, शेल्टर नाउ, हैबिटेट इंटरनेशनल, क्योर इंटरनेशनल, वर्ल्ड विजन, कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज, चर्च वर्ल्ड सर्विस, नॉर्वेजियन चर्च एड आदि।
- **मिशनरी सहायता समूह** : ये गैर सरकारी संगठन उन लोगों तक पहुंचने के लिए मानवीय सहायता का उपयोग करते हुए धर्म का प्रसार करना चाहते हैं जिन्हें, कम या ज्यादा सशर्त सहायता रूपांतरण की आवश्यकता है उदाहरण– आईएनजीओ सामरी का पर्स, होप शिप हैं।

टिप्पणी

गैर सरकारी संगठन लाभ क्षेत्र और सरकार के बीच एक अद्वितीय और आवश्यक स्थान बनाए रखते हैं। स्पष्ट रूप से निजी उद्यम सेवा, वस्तुओं और निजी संपत्ति के उत्पादन में कुशल हैं। वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने और प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। गैर–लाभकारी, गैर सरकारी क्षेत्र सार्वजनिक हित के कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। एक जीवंत तीसरा क्षेत्र राज्य और मुक्त बाजार को संतुलित करने के लिए एक आधार प्रदान करता है। समाज में अतिरिक्त नियंत्रण और संतुलन को बढ़ावा देने के लिए यह मध्य मैदान एक आवश्यक क्षेत्र है। केवल स्वतंत्र संगठन ही सरकार और व्यवसाय दोनों के प्रहरी के रूप में कार्य कर सकते हैं। साथ ही, गैर–सरकारी संगठन रचनात्मक और उत्पादक साझेदारी का निर्माण कर सकते हैं। साझेदारी जो सार्वजनिक हितों के कार्यों को आगे बढ़ाने हेतु व्यक्तियों की अनूठी ताकत को आकर्षित करती है।

एनजीओ उन चुनौतियों का सामना करके प्रयोग और सामाजिक परिवर्तन को सक्षम बनाते हैं जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आसानी से नहीं कर सकते हैं या कर ही नहीं सकते हैं। नागरिक समाज संगठन ऐसे जोखिम उठाने में सक्षम हैं जो व्यापार के लिए आर्थिक रूप से अस्वीकार्य हैं और सरकार के लिए राजनीतिक रूप से अस्वीकार्य हैं। दुनिया भर के आधुनिक समाजों में, एनजीओ द्वारा अग्रणी अनगिनत नवाचारों को बाद में सरकारी नीति के रूप में अपनाया गया है। सेवा वितरण के कई मॉडल जिन्हें आज सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है, वे एनजीओ द्वारा कई वर्षों के प्रयोग में तैयार, परीक्षण और सुधार द्वारा निर्मित किए गए थे। इसके अलावा, एनजीओ वकालत अभियान अनिच्छुक सरकारों को नीतिगत सुधारों को अपनाने और व्यावसायिक प्रथाओं में सुधार हेतु मजबूर करने के लिए प्रेरित करते हैं।

जैसे–जैसे अर्थव्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण तेजी से मुक्त बाजारों और निजी उद्यमों की ओर बढ़ रहा है, लोग एवं सरकारें अक्सर सामाजिक सामंजस्य में गिरावट और आर्थिक और सामाजिक असमानता में वृद्धि का अनुभव करते हैं। इन परिस्थितियों में गैर–सरकारी क्षेत्र एक आवश्यक शमन शक्ति साबित हुआ है जो पूंजीवाद की संभावित ज्यादतियों और राज्य की अक्षमताओं और सीमित संसाधनों के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाने में मदद करता है।

संयुक्त राष्ट्र ने गैर सरकारी संगठनों की विशेष भूमिका को मान्यता दी है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने विकासशील देशों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता दी है।

गैर सरकारी संगठनों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां : गैर सरकारी संगठनों के सामने निम्नलिखित चुनौतियां हैं–

- **धन की कमी** : गैर सरकारी संगठनों को अपने काम के लिए पर्याप्त, उचित और निरंतर धन प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उनके पास संसाधन जुटाने का सीमित कौशल है। वे धन प्राप्त करने के लिए दानदाताओं पर बहुत अधिक निर्भर हैं। वित्तीय, परियोजनात्मक और संगठनात्मक स्थिरता की कमी है।

टिप्पणी

- **खराब शासन** : गैर सरकारी संगठन खराब आंतरिक प्रशासन से पीड़ित हैं। कई एनजीओ और उनके संसाधनों का गलत प्रबंधन उन्हें बदनाम करता है और एनजीओ के जीवन का अंत करता है।
- **सामरिक योजना का अभाव** : कुछ गैर सरकारी संगठनों के पास रणनीतिक योजनाएं होती हैं जो उन्हें अपने मिशन, मूल्यों और गतिविधियों पर स्वामित्व रखने में सक्षम बनाती हैं। ये उन्हें दाताओं की मनमर्जी के प्रति संवेदनशील बना देती हैं और समय के साथ उनके प्रभाव को मापना मुश्किल बना देती हैं।
- **खराब नेटवर्किंग** : यह एक बड़ी चुनौती है। प्रयासों के दोहराव, सामुदायिक स्तर पर परस्पर विरोधी रणनीतियों, अनुभव से सीखने की कमी और गरीबी, अभाव तथा अल्प विकास के स्थानीय संरचनात्मक कारणों को संबोधित करने में गैर सरकारी संगठनों की अक्षमता भी एक कारण है। संसाधनों के लिए नकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी क्षेत्र की प्रतिष्ठा और सामुदायिक स्तर पर एनजीओ गतिविधियों की प्रभावशीलता को कम करती है। इस वजह से गैर सरकारी संगठनों के बारे में काफी संदेह हैं। कई बड़े और छोटे गैर सरकारी संगठन, बिना किसी सामुदायिक मानचित्रण के सामुदायिक स्तर पर हस्तक्षेप करते हैं और चल रही सामुदायिक पहलों की परवाह किए बिना परियोजनाओं को लागू करते हैं।
- **एनजीओ राजनीति** : फंड के लिए एनजीओ एक–दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे न केवल उनके बीच संघर्ष होता है, बल्कि वे राजनीति में शामिल हो जाते हैं और कभी–कभी अपनी स्थिरता के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए अनैतिक साधनों का सहारा लेते हैं। यह उनकी दृष्टि, मिशन और कार्य को बाधित करता है।
- **खराब संचार** : कई गैर सरकारी संगठनों के पास विश्वसनीय ईमेल और इंटरनेट कनेक्शन तक बहुत कम या कोई पहुंच नहीं होती है। उन्हें विकास के मुद्दों पर लगभग कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है और आम तौर पर वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों से उनका संबंध न के बराबर होता है। यह उन्हें आवश्यकता आधारित विकास सेवाएं प्रदान करने से दूर रखता है।
- **सीमित क्षमता** : गैर सरकारी संगठनों के पास सीमित तकनीकी और संगठनात्मक क्षमता होती है। कुछ गैर सरकारी संगठन क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाते हैं। फंड जुटाने, शासन, विकास के तकनीकी क्षेत्रों और नेतृत्व एवं प्रबंधन में कमजोर क्षमता उनके कार्यों को पंगु बना देती है।

इस प्रकार, 21वीं सदी के आलोक में, जब वैश्वीकरण अपने चरम पर है, गैर सरकारी संगठनों के पास स्वयं सहायता और समाधान प्रदान करने का एक बड़ा लक्ष्य है– तीसरी दुनिया के कई समाजों में गरीबी और शक्तिहीनता की समस्याएं। वे तीसरी दुनिया के देशों में गरीबी कम करने में राज्य और बाजार की कमियों की भरपाई कर रहे हैं। इसके अलावा, अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय दाता समर्थन के कारण विकास में उनकी भविष्य की भूमिका ठीक से बढ़ने की उम्मीद है। तीसरी दुनिया के विकास में उनकी बढ़ती भूमिका और अपेक्षित योगदान के कारण गैर सरकारी संगठनों को रामबाण और

विकास की समस्याओं को हल करने के लिए जादू की गोली माना जाता है। वैश्वीकृत दुनिया का जो विकास राष्ट्र राज्य या वैश्विक बाजार परिदृश्य नहीं कर सकता वह गैर सरकारी संगठनों की वास्तविक भूमिका से दृश्यमान हो जाते हैं।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

1. माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी की स्थापना कब की गई थी?
   (क) 10 मार्च, 1957 (ख) 4 अप्रैल, 1975
   (ग) 2 मई, 1987 (घ) 8 जून, 1990
2. गैर सरकारी संगठनों के सामने निम्न में से कौन–सी चुनौती पेश आती है?
   (क) धन की कमी (ख) खराब आंतरिक प्रशासन
   (ग) सामरिक योजना का अभाव (घ) उपर्युक्त सभी

2.3 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक प्रकार की सामाजिक संस्था का विकास हुआ जो दुनिया भर में खाद्य और पोषण नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये संस्थान, जिन्हें आमतौर पर "अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों" के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर बड़े सामाजिक–राजनीतिक संगठनात्मक संरचनाओं के भीतर उपसंगठन के रूप में गठित होते हैं। ऐसे संस्थानों का एक समूह "बहुपक्षीय" है, जिसमें कई सरकारें, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एजेंसियां, या यूरोपीय संघ की एजेंसियां शामिल हैं। एजेंसियों का एक दूसरा समूह, जिसे अक्सर "द्विपक्षीय" कहा जाता है, औद्योगिक दुनिया में राष्ट्रीय सरकारों द्वारा स्थापित सहायता संगठन हैं, जिनमें यूरोपीय राज्यों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ–साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं। एक तीसरा प्रकार, जो गतिविधियों में संयुक्त राष्ट्र और सरकारी एजेंसियों के समान है, इसमें गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) या निजी स्वैच्छिक संगठन (पीवीओ) शामिल हैं। ये धार्मिक या "विश्वास–आधारित" एजेंसियां हो सकती हैं जो प्रशासनिक रूप से धार्मिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं या ऐसे संगठनों से निकटता से जुड़ी हुई हैं, या वे स्वतंत्र समूह हो सकते हैं, जैसे हेलेन केलर फाउंडेशन या सेव द चिल्ड्रन। इनमें से कई गैर सरकारी संगठन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से धन प्राप्त करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के लक्ष्य और कार्य

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की स्थापना और संचालन में अंतर्निहित प्रमुख प्रेरणाओं में से एक संसाधन–संपन्न देशों से संसाधनहीन गरीब देशों तक संसाधनों को निर्देशित करने के लिए आर्थिक और तकनीकी प्लेटफार्म प्रदान करना था। अन्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हित भी एजेंसियों की प्रेरणाओं और गतिविधियों को आकार देते हैं। इसके अलावा, तथ्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां आम तौर पर स्वतंत्र

संस्थान नहीं हैं, बल्कि बड़ी सामाजिक–राजनीतिक इकाइयों का हिस्सा हैं, यह उनकी कई विशेषताओं में से एक है जो उनके मिशन, प्रशासनिक संगठन, दर्शन, नीति और गतिविधियों को प्रभावित करती है।

टिप्पणी

संयुक्त राष्ट्र और गैर–संयुक्त राष्ट्र दोनों एजेंसियों जिनका काम भोजन और पोषण से संबंधित है, के उद्देश्यों को निम्नलिखित में से एक या अधिक लक्ष्यों द्वारा संक्षेपित किया जा सकता है : तकनीकी मानदंड स्थापित करना, वित्त पोषण प्रदान करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना, या सेवाएं प्रदान करना। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर, विभिन्न एजेंसियों को अलग, किंतु पूरक, जनादेश के साथ स्थापित किया गया था और उन्हें अलग–अलग, लेकिन अक्सर अतिव्यापी, कार्रवाई के क्षेत्र दिए गए थे। इस प्रकार, डब्ल्यूएचओ और एफएओ को तकनीकी मानदंडों और तकनीकी सहायता के लिए जिम्मेदारियों के साथ तकनीकी एजेंसियों के रूप में स्थापित किया गया था, जबकि यूनिसेफ को वित्त पोषण और तकनीकी सहायता के माध्यम से सेवाओं का समर्थन करने और वितरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, एवं विश्व बैंक को धन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ एक एजेंसी यूरोपीय संघ (ईयू) का एक विकेन्द्रीकृत निकाय है, जो संस्थानों से अलग है। विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए एजेंसियों की स्थापना की जाती है। प्रत्येक एजेंसी का अपना कानूनी व्यक्तित्व होता है। कुछ एजेंसी कुछ क्षेत्रों में वैज्ञानिक या तकनीकी जानकारी विकसित करने की में सहायता देती हैं, अन्य यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद की सुविधा के लिए विभिन्न रुचि समूहों को एक साथ लाती हैं।

लक्ष्य

अपनी सीमाओं के भीतर यूरोपीय संघ के उद्देश्य हैं–

- शांति, इसके मूल्यों और अपने नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देना। आंतरिक सीमाओं में स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय की पेशकश करना, साथ ही शरण और आप्रवासन को विनियमित करने और अपराध को रोकने और मुकाबला करने के लिए अपनी बाहरी सीमाओं पर उचित उपाय करना।
- एक आंतरिक बाजार स्थापित करना।
- संतुलित आर्थिक विकास, मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार और सामाजिक प्रगति के साथ एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था के आधार पर सतत विकास प्राप्त करना।
- पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करना।
- वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना।
- सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का मुकाबला करना।
- सामाजिक न्याय, सुरक्षा, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- यूरोपीय संघ के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय एकता और एकजुटता बढ़ाना।

टिप्पणी

- इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान करना।
- एक आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करना जिसकी मुद्रा यूरो है।

व्यापक दुनिया के भीतर यूरोपीय संघ के उद्देश्य हैं–

- अपने मूल्यों और हितों को बनाए रखना और बढ़ावा देना।
- शांति, सुरक्षा और पृथ्वी के सतत विकास में योगदान करना।
- लोगों के बीच एकजुटता, और आपसी सम्मान, मुक्त और निष्पक्ष व्यापार, गरीबी उन्मूलन और मानवाधिकारों की सुरक्षा में योगदान देना।
- अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कड़ाई से पालन करना/करवाना।

मूल्य

यूरोपीय संघ की स्थापना निम्नलिखित मूल्यों पर हुई है–

- **मानव गरिमा** : मानवीय गरिमा अहिंसक है। इसका सम्मान, संरक्षण और मौलिक अधिकारों का वास्तविक आधार होना चाहिए।
- **आज़ादी** : नागरिकों को संघ के भीतर आंदोलन की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से घूमने और रहने का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे– निजी जीवन के लिए सम्मान, विचारों की स्वतंत्रता, धर्म, सभा, अभिव्यक्ति और जानकारी यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों के चार्टर द्वारा संरक्षित हैं।
- **जनतंत्र** : यूरोपीय संघ का कामकाज प्रतिनिधि लोकतंत्र पर आधारित है। प्रत्येक यूरोपीय नागरिक को स्वचालित रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। यूरोपीय संघ प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक उम्मीदवार के रूप में खड़े होने और यूरोपीय संसद के चुनावों में मतदान करने का अधिकार है। यूरोपीय संघ के नागरिकों को एक उम्मीदवार के रूप में खड़े होने और अपने निवास के देश में या अपने मूल देश में मतदान करने का अधिकार है।
- **समानता** : यह कानून के समक्ष सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों के बारे में है। महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता का सिद्धांत सभी यूरोपीय नीतियों का आधार है और यूरोपीय एकीकरण का आधार है। यह सभी क्षेत्रों में लागू होता है। समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत 1957 में रोम की संधि का हिस्सा बन गया था।
- **कानून का शासन** : यूरोपीय संघ कानून के शासन पर आधारित है। यूरोपीय संघ जो कुछ भी करता है वह उन संधियों पर आधारित है, जिन पर स्वेच्छा से और लोकतांत्रिक रूप से यूरोपीय संघ के देशों की सहमति है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा कानून और न्याय को बरकरार रखा जाता है। यूरोपीय संघ के देशों ने यूरोपीय न्यायालय को अंतिम अधिकार क्षेत्र दिया है – इसके निर्णयों का सभी को सम्मान करना होगा।
- **मानव अधिकार** : मानवाधिकार यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों के चार्टर द्वारा संरक्षित हैं। इनमें लिंग, नस्लीय या जातीय मूल, धर्म या विश्वास, विकलांगता, उम्र या यौन अभिविन्यास, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार

और न्याय तक पहुंच प्राप्त करने के अधिकार के आधार पर भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार शामिल है।

2.3.1 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

टिप्पणी

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को आई.एल.ओ. (I.L.O.) भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और विश्व के अधिकांश देश इस संगठन के सदस्य हैं। इस संगठन की स्थापना का मूल उद्देश्य मानव को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना तो है ही साथ ही मानव को अपमान और शोषण से मुक्ति दिलाना और इसके विरुद्ध संघर्ष छेड़ने की ओर अग्रसर करना भी है। श्रमिक सदियों से प्रताड़ित और त्रस्त था। दासता और परतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। दुनिया निरन्तर परिवर्तित होती जा रही है और इस परिवर्तन के कारण जीवन के नवीन लक्ष्य सामने आते जा रहे हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व आधुनिक मानव जीवन का आधार निर्धारित करते हैं। इन नवीन सिद्धांतों के कारण सदियों से सताए हुए मानव को राहत मिली और उसमें भी स्वतंत्रता की सांस लेने की इच्छा बलवती हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि श्रमिक समाज में न्याय और समानता के लिए संघर्ष करने पर उतारू हो गये। फ्रांसीसी क्रान्ति (French Revolution-1789) और औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution-18th Century) ने श्रमिकों को एक नवीन मार्ग की ओर अग्रसर होने का संकेत दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न प्रकार के संगठनों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अवलोकन इसलिए आवश्यक है कि इतिहास की सहायता से हम तत्कालीन परिस्थितियों और घटनाओं से परिचय प्राप्त करते हैं। इसके आधार पर श्रम संगठन के उद्देश्य की भी जानकारी प्राप्त होती है। हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के इतिहास का अध्ययन इसे निम्न शीर्षकों में विभाजित करके करेंगे–

1. **आधारमूलक परिस्थितियां (Foundational Situations)**– आधारमूलक परिस्थितियां वे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आधार में मूल में विद्यमान हैं। ये परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निर्माण के लिए भूमिका तैयार करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निर्माण में जो आधारमूलक परिस्थितियां थीं, उन्हें निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है–

   (क) फ्रांस की राज्य क्रान्ति (French Revolution)– 1789 में फ्रांस की जनता ने शोषण ओर अत्याचारों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल फूंक दिया। इस क्रांति के क्या कारण थे। संक्षेप में, क्रान्ति के प्रमुख कारण राजनीतिक एवं आर्थिक थे। तत्कालीन फ्रांस का समाज तीन भागों में विभाजित था– सामंत, पादरी और सर्वसाधारण जनता। सभी सामाजिक और राजनीतिक अधिकार सामन्त और पादरियों तक ही सीमित थे। समाज में सर्वसाधारण जनता को किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे। वह शोषण और प्रवंचता की शिकार थी। वह तत्कालीन शासन व्यवस्था से असंतुष्ट थी और उसे

टिप्पणी

बदलना चाहती थी। ऐसा करने के लिए वह उपयुक्त अवसर की तलाश में थी। इसके साथ ही उस समय अनेक विचारक हुए जिन्होंने तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। रूसो ने भूतकालीन समाज में अच्छाइयों का विश्लेषण तो किया ही था, साथ ही उसने वर्तमान की बुराइयों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया था। उसने लिखा था कि "मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है।" ये सारी परिस्थितियां एक ही साथ कुछ इस प्रकार निर्मित हो गईं कि 1789 में फ्रांसीसी जनता का धैर्य टूट गया और उसने क्रांति कर दी। इस क्रांति में उसने तत्कालीन शासन व्यवस्था को पलट दिया।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निर्माण में फ्रांसीसी क्रान्ति का अत्यधिक महत्व है। इसका कारण यह है कि इस क्रांति ने स्पष्ट कर दिया कि संगठन में ही सर्वोच्च शक्ति निहित होती है और श्रमिकों ने भी अपने संगठन की आवश्यकता के महत्व को स्वीकार किया।

(ख) औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution)– 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति ने समाज को नवीन आर्थिक जीवन प्रदान किया। औद्योगिक क्रांति ने सामंती उत्पीड़न से जनता को मुक्ति प्रदान की। कृषि अर्थव्यवस्था में श्रमिक एक साथ मिलकर काम नहीं करते थे। श्रमिक खेतों में काम करते थे। इसका परिणाम यह होता था कि श्रमिक दूसरे श्रमिक की समस्याओं और जीवन से परिचित ही नहीं हो पाते थे। वे बिखरे हुए, अपनी समस्याओं के लिए काम करते थे। औद्योगिक क्रांति ने इन बिखरे हुए श्रमिकों को एक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। परिणाम यह हुआ कि श्रमिक एक–दूसरे की समस्याओं से परिचित हुए और संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस की। औद्योगिक क्रांति से सदियों से प्रताड़ित श्रमिक को अनेक आशाएं बंधी थीं, किंतु यहां भी वह उत्पीड़न से मुक्त नहीं हो सका। वे गांव से नगर इसलिए आए थे कि सूदखोरों के शोषण और ऋण के बोझ से मुक्ति मिलेगी, अपमान और दुःखों के दिन समाप्त हो जाएंगे और वे भी एक स्वतंत्र वातावरण में सांस ले सकेंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। शहरों में आकर गंदगी, धुआं, बरसात और ठण्ड के नारकीय जीवन में फंस गए। फुटपाथों में उनकी रात और कारखानों में दिन समाप्त होने लगे। इन शोषणों से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ श्रमिक नेता आगे आए और श्रमिकों के संगठन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया।

(ग) प्रथम विश्व युद्ध (First World War)– श्रमिक अपनी समस्याओं से जूझ ही रहा था कि मानव समाज ने अपने पागलपन का सबसे जबर्दस्त परिचय दिया। परिणामस्वरूप सन् 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया। युद्धकाल में उत्पादन की अधिक आवश्यकता थी और मिल मालिकों ने ऐसा महसूस कर लिया था कि श्रमिकों को संतुष्ट करके ही उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इसी बीच सन् 1917 में रूस की क्रांति हो गई। युद्ध के दौरान श्रमिकों ने अपनी शक्ति का पूरा परिचय दिया। इतिहास में पहली बार ऐसा अनुभव किया गया कि श्रमिकों में अत्यधिक शक्ति है। सन् 1919 में मास्को (रूस) में विश्व श्रमिक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को 'तृतीय इण्टरनेशनल' के नाम से भी जाना जाता है। शीघ्र ही अन्य

देशों के श्रमिकों में जागरण का संचार हुआ। इससे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निर्माण में सहायता मिली।

टिप्पणी

2. **वरसाइल की संधि (Treaty of Versailles)**– अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद वरसाइल की संधि के परिणामस्वरूप हुई। इस संधि पर 32 राष्ट्रों के हस्ताक्षर हुए। इस सम्मेलन में श्रमिकों के असंतोष के कारणों पर भी विचार किया गया और श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के भी प्रयास किए गए। इससे अंर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के लिए आधारशिला तैयार हुई।
3. **अंतर्राष्ट्रीय श्रम विधेयक आयोग**– 31, 1919 को एक आयोग की नियुक्ति की गई। निम्न पांच देश इस आयोग के सदस्य बनाए गए–
   (i) ब्रिटेन
   (ii) अमेरिका
   (iii) फ्रांस
   (iv) इटली
   (v) जापान

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समस्याओं के निराकरण से संबंधित जो कार्य करता है, उनमें प्रमुख निम्न हैं–

1. अंतर्राष्ट्रीय श्रम समस्याओं और अर्थ–व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करना। साथ ही इन समस्याओं से संबंधित अनुसंधान कार्य करना और उन देशों को प्रोत्साहन देना, जो ऐसा करने को उत्सुक होते हैं।
2. गहन अध्ययन और अनुसंधान के आधार पर समस्याओं के निराकरण का प्रयास करना।
3. अनेक राष्ट्र श्रम समस्याओं से संबंधित अधिनियम बनाने को उत्सुक रहते हैं तथा इस प्रकार के संगठनों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ऐसे राष्ट्रों को उचित निर्देश देता है।
4. अनेक विषयों पर प्रकाशन करके श्रम समस्याओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करना और श्रम शक्ति को जाग्रत करना इसका उद्देश्य होना चाहिए। जिन विषयों पर संगठन बहुमूल्य प्रकाशन करता है, उनमें कुछ निम्न हैं–
   (i) बेरोजगारी
   (ii) सामाजिक सुरक्षा
   (iii) समाज कल्याण
   (iv) श्रम संगठन
5. सदस्य राष्ट्रों को समय–समय पर श्रम कल्याण और औद्योगिक उन्नति के लिए सुझाव देना।
6. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता से विभिन्न देशों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही, इन समस्याओं के समाधान के संबंध में भी

जानकारी प्राप्त होती है। इन समस्याओं की सफलता के आधार और असफलता के कारणों का भी ज्ञान होता है।

7. इसमें शिष्टमण्डल भेजने की भी व्यवस्था है। जिन देशों को सहायता की आवश्यकता होती है, वे प्रार्थना–पत्र भेजते हैं, शिष्टमण्डल उन देशों में जाकर समस्याओं का अध्ययन करता है और उचित सलाह देता है।

टिप्पणी

'श्रम चार्टर' में ही इस संगठन के उद्देश्यों की विवेचना की गयी है। साथ ही इसके कार्यों से इस संगठन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। यहां हम श्रम चार्टर और इसके कार्यों को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्देश्यों की विवेचना करेंगे। संक्षेप में, इसके उद्देश्य निम्न हैं–

1. प्रत्येक श्रम के लिए जो शारीरिक और मानसिक योग्यता रखता है, जिसमें रोजगार प्राप्त करने की इच्छा है और जो इसके लिए प्रयासरत् है–रोजगार की व्यवस्था करना।
2. प्रत्येक श्रमिक को कार्य दिलाते समय दो तत्त्वों को ध्यान में रखना–
   (i) योग्यता के अनुसार काम दिलाना।
   (ii) इच्छा तथा रुचि के अनुसार काम करना।
3. श्रमिक की आय में वृद्धि करना।
4. श्रमिक के जीवन–स्तर को ऊंचा उठाना।
5. श्रमिकों में गतिशीलता की भावना को जाग्रत करना और श्रमिकों की गतिशीलता की पर्याप्त सुविधाएं और उचित निर्देशन प्रदान करना।
6. श्रमिकों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा (Social Security) प्रदान करना,
7. श्रमिकों के लिए जीवन बीमा (Life Insurance) की व्यवस्था करना।
8. श्रमिकों के कल्याण के लिए सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining) की व्यवस्था करना। साथ ही श्रमिकों के इस अधिकार को उचित संरक्षण और सम्मान प्रदान करना।
9. श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना।
10. श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करना।
11. श्रमिकों और सेवायोजकों के बीच सहयोग की भावना में वृद्धि करना।
12. उद्योगों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना।
13. आर्थिक विकास में श्रमिकों को समान हिस्सा मिले, इसके लिए उपयुक्त नीतियों को अपनाना।
14. गंदी बस्तियों को समाप्त करना और श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था करना।
15. श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना।
16. ऐसी व्यवस्था करना जिससे समान मूल्य के कार्यों के लिए समान मजदूरी दी जाए।
17. श्रमिकों के काम करने की दशाओं में उचित और आवश्यक सुधार करना।

18. ऐसी व्यवस्था करना जिससे बाल श्रमिकों को काम पर न लगाया जा सके।
19. नवयुवक श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा की व्यवस्था करना और उनकी शिक्षा को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान कराना।
20. बाल कल्याण की समुचित व्यवस्था कराना।
21. प्रसूति संरक्षण की समुचित व्यवस्था कराना।

टिप्पणी

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संविधान (Constitution of International Labour Organization)

अनेक देश इस संगठन के सदस्य हैं। 1981 के आधार पर इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या 145 है। आज तक इस संगठन की सदस्य संख्या में और भी वृद्धि हुई होगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि तीन प्रधान अंगों के माध्यम से इस संगठन का कार्य संचालित होगा। ये तीन अंग निम्न हैं–

1. अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (International Labour Office)– अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्यालय जिनेवा में स्थित है। यह श्रम संगठन का सचिवालय है। इस कार्यालय के प्रमुख अंगों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है–

(क) सचिवालय

(ख) संसार सूचना केंद्र

(ग) प्रकाशन

इसका प्रमुख कार्य श्रम समस्याओं से संबंधित अध्ययन और अनुसंधान करना है। इसमें अनेक देशों के विशेषज्ञ श्रम समस्याओं के सम्बन्ध में अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर कार्यरत हैं। विश्व के विभिन्न देशों में इसकी अनेक शाखाएं हैं। दिल्ली में भी इस संगठन की एक शाखा है जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। यह शाखा निम्न चार व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने का काम करती है–

(i) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

(ii) भारत सरकार

(iii) सेवायोजकों

(iv) श्रमिकों

इस कार्यालय में एक महानिदेशक (Director General) होता है। यह इस कार्यालय का प्रमुख अधिकारी होता है। इसके आधीन अनेक कर्मचारी होते हैं। ये कर्मचारी विभिन्न देशों के नागरिक होते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं। इस कार्यालय से दो पत्रिकाएं– 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम समीक्षा' (International Labour Review) मासिक पत्रिका और 'उद्योग और श्रम' (Industry and Labour) पाक्षिक पत्रिका प्रकाशित की जाती हैं।

2. अंतरंग सभा (Governing Body)– अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की यह सभा इस संगठन की कार्यकारिणी परिषद् है। इस परिषद् के द्वारा निम्न कार्यों का सम्पादन किया जाता है–

(i) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यालय का सामान्य सर्वेक्षण करना।

टिप्पणी

(ii) बजट का निर्माण करना।

(iii) संगठन के कार्यक्रमों के लिए नीति निर्धारित करना।

(iv) औद्योगिक विशेषज्ञ समितियों की स्थापना करना।

(v) महानिदेशक के पद के लिए निर्वाचन का संचालन करना।

(vi) अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेना।

साधारण अवस्था में इसकी तीन बैठकें होती हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हर वर्ष होता है।

स्थायी सदस्य– इस संगठन में 10 देशों के स्थायी सदस्य हैं। इन देशों के नाम निम्नलिखित हैं–

(क) कनाडा

(ख) चीन

(ग) फ्रांस

(घ) भारत

(ङ) इटली

(च) जापान

(छ) सोवियत संघ

(ज) इंग्लैण्ड

(झ) संयुक्त राज्य अमेरिका

(ञ) पश्चिमी जर्मनी

3. अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (International Labour Conference)– प्रायः प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य श्रमिकों और उनकी सामाजिक समस्याओं का निवारण करना होता है। इस सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य देश चार प्रतिनिधि भेजते हैं। इन चार प्रतिनिधियों में 2 सरकार के, 1 मालिकों का और एक श्रमिकों का होता है। इन प्रतिनिधियों के अलावा अनेक सलाहकार और विशेषज्ञ भी इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। इस सम्मेलन के दो मुख्य कारण होते हैं–

(क) अभिसमय (Conventions) के मसौदे का प्रारूप तैयार करना।

(ख) सिफारिशें (Recommendations) प्रस्तुत करना।

अभिसमय और सिफारिशों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संहिता के नाम से जाना जाता है। 1966 तक इस सम्मेलन ने अपने 50 अधिवेशनों में 126 अभिसमय और 127 सिफारिशें अपनाई हैं। इन अभिसमय और सिफारिशों में जिन सिद्धांतों को अपनाया गया है, वे इस प्रकार हैं–

(i) काम करने के निश्चित घण्टे।

(ii) सवैतनिक छुट्टियां।

(iii) स्त्रियों के कार्यों से संबंधित।

(iv) बच्चों की सुरक्षा।

(v) औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम और उनकी क्षतिपूर्ति।

(vi) बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा मृत्यु आदि में जीवन–बीमा।

(vii) न्यूनतम मजदूरी निर्धारण।

(viii) उपनिवेशों की श्रम समस्याएं।

(ix) समुद्री कर्मचारियों और मछेरों आदि की दशाओं से संबंधित।

टिप्पणी

मूल प्रश्न यह है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों में क्या योगदान दिया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों में भारत की क्या भूमिका रही है? संक्षेप में, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों में निम्न योगदान दिया है–

1. भारत सरकार का सबसे बड़ा योगदान अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना में है। भारत इस संस्था का प्रारम्भ से ही सदस्य रहा है और आज भी है।
2. भारत का दूसरा योगदान यह है कि भरात विश्व के उन 10 देशों में एक है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अंतरंग सभा (Governnment Body) के स्थायी सदस्य हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नीति निर्धारण में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है।
3. भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विभिन्न समितियों में होने के कारण इसकी कार्य–प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।
4. भारत इस संगठन को नियमित अंशदान देकर इसकी कार्य–प्रणाली को संचालित करने में योगदान दे रहा है।
5. भारत का महत्व इसलिए भी है कि जहां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रशंसा की जाती है, वहां भारत की प्रशंसा भी अनिवार्य रूप से की जाती है।
6. भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सामाजिक उन्नति का प्रयास किया है, उसमें विशेष रुचि प्रदर्शित की है।
7. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संसार में सामाजिक सुरक्षा की प्रगति पर जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें अनेक बार भारत का उल्लेख किया गया है। इससे भी इस संस्था के लिए भारतीय योगदान का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
8. अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिवेदन के अनुसार भारत ने विगत वर्षों में जिन मुद्दों पर प्रगति की है, वे इस प्रकार हैं–

   (क) रोजगार कार्यालय

   (ख) रोजगार नीति

   (ग) व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना

   (घ) सामाजिक सुरक्षा विधान

   (ङ) कार्य के घण्टों को सीमित करना

   (च) सवैतनिक छुट्टियां

टिप्पणी

(छ) स्त्री और बाल श्रमिकों की सुरक्षा

(ज) समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धान्त

(झ) न्यूनतम मजदूरी

(ञ) औद्योगिक सुरक्षा विधान

(ट) कल्याण कार्य

(ठ) उपभोग सहकारिता और सहकारिता के सिद्धांतों का प्रसार

इससे स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत का योगदान महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत पर इस संगठन का प्रभाव अधिक रहा है।

2.3.2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वैश्विक मौद्रिक सुविधा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। इसमें सहयोग, सुरक्षित वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना,उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तथा दुनिया भर में गरीबी कम करने हेतु प्रयास शामिल हैं। 188 देशों का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) संगठन, वाशिंगटन डी.सी. में मौजूद है। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, वह प्रणाली जिसके द्वारा देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय भुगतान होता है। इस प्रकार, यह निवेश और संतुलित वैश्विक आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देने एवं विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान करने का प्रयास करता है।

आईएमएफ मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। यह सहयोगी और अपने सदस्य देशों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं ताकि वे अन्य देशों के साथ व्यापार कर सकें (भुगतान संतुलन प्राप्त करें)। 1980 के ऋण संकट के बाद से, आईएमएफ ने वित्तीय संकटों के दौरान देशों को बाहर निकालने की भूमिका ग्रहण की है। इसके अंतर्गत कुछ शर्तों से बंधे आपातकालीन ऋण पैकेजों द्वारा, जिन्हें अक्सर संरचनात्मक समायोजन कहा जाता है, वित्तीय संकट में फंसे सदस्य देशों की सहायता की जाती है। आईएमएफ अब एक वैश्विक ऋण शार्क की तरह काम करता है, जो 60 से अधिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भारी लाभ भी कमाता है। इन देशों को ऋण, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और यहां तक कि ऋण राहत प्राप्त करने के लिए आईएमएफ की नीतियों का पालन करना होता है। इस प्रकार, आईएमएफ तय करता है कि ऋणी देश शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण संरक्षण पर कितना खर्च कर सकते हैं। आईएमएफ आज वैश्वीकृत दुनिया के सबसे शक्तिशाली संस्थानों में से एक है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उत्पत्ति

आईएमएफ की कल्पना ब्रेटन वुड्स ने जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की थी। उस सम्मेलन में 44 देशों ने 1930 की महामंदी में योगदान देने वाले प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आर्थिक सहयोग हेतु एक रूपरेखा बनाने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की

स्थापना 27 दिसंबर, 1945 को हुई थी। समझौते के लेख नामक एक संधि पर 29 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

टिप्पणी

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संरचना

आईएमएफ की एक पदानुक्रमित संरचना है।

- **राज्यपाल समिति** : बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईएमएफ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें प्रत्येक सदस्य देश के लिए एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर होता है
- **मंत्रिस्तरीय समितियां** : आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को दो मंत्रिस्तरीय समितियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) तथा विकास समिति द्वारा सलाह दी जाती है।
- **कार्यकारी बोर्ड** : आईएमएफ का 24 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड आईएमएफ के दैनिक कारोबार की देखभाल करता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य

आईएमएफ के मूल रूप से निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य हैं–

- विभिन्न देशों के बीच विनिमय दर स्थिरता को बढ़ावा देना।
- देशों के बीच माल के आदान–प्रदान की व्यवस्था करना।
- सदस्य देशों को अल्पावधि ऋण सुविधाओं को बढ़ावा देना।
- अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली की स्थापना में सहायता करना।
- सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाना।
- विदेशी व्यापार को सुगम बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निगम को बढ़ावा देना।

बारह सदस्यीय कार्यकारी समिति आईएमएफ के मामलों का प्रबंधन करती है। यूके, यू.एस.ए, चीन, फ्रांस और भारत सहित पांच सदस्य प्रतिनिधि हैं। शेष अन्य सदस्य देशों द्वारा चुने जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य

आईएमएफ के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं–

1. यह एक अल्पकालिक ऋण संस्थान के रूप में कार्य करता है।
2. यह विनिमय दरों के व्यवस्थित समायोजन के लिए मशीनरी प्रदान करता है।
3. यह सभी सदस्य देशों की मुद्राओं का भंडार है, जिससे एक सदस्य राष्ट्र अन्य देशों की मुद्रा उधार ले सकता है।
4. यह विदेशी मुद्रा में उधार देने वाली संस्था है। हालांकि यह केवल चालू लेनदेन के वित्तपोषण के लिए ऋण देता है न कि पूंजी लेनदेन के लिए।
5. यह कभी–कभी किसी सदस्य देश की मुद्रा के सममूल्य को बदलने के लिए भी मशीनरी प्रदान करता है
6. यह अंतर्राष्ट्रीय परामर्श के लिए भी मशीनरी प्रदान करता है।

टिप्पणी

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सीमाएं

आईएमएफ के विरुद्ध कुछ महत्वपूर्ण तर्क निम्नलिखित हैं–

- आईएमएफ ने आधुनिक समय की एक अनैतिक उपनिवेशवाद व्यवस्था बनाई है जिसके कार्यक्रमों ने गरीबों पर अपना नकारात्मक प्रभाव डाला है। आईएमएफ ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक असमानता और पर्यावरण विनाश के रास्ते पर धकेला है।
- आईएमएफ पर वॉल स्ट्रीट (स्टॉक एक्सचेंज) और अमीर देशों के हितों की सेवा करने का आरोप है। आईएमएफ में निर्णय लेने में अमीर देश हावी हैं क्योंकि मतदान शक्ति इनके द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक देश आईएमएफ के कोटे में कितनी राशि का भुगतान करता है, यह प्रणाली ही यह अलोकतांत्रिक स्थिति पैदा करती है। यह एक डॉलर, एक वोट की एक प्रणाली है।
- आईएमएफ पर मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण विकास मॉडल गरीब देशों पर थोपने का आरोप है। आईएमएफ गरीब देशों को दक्षिण के विकास की बजाय वैश्विक निर्यात उत्पादन को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करता है।
- आईएमएफ की एक गुप्त संस्था के रूप में आलोचना की जाती है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है।
- आईएमएफ को करदाताओं के पैसे से वित्त पोषित किया जाता है, फिर भी यह गोपनीयता के पर्दे के पीछे काम करता है। प्रभावित समुदायों के सदस्यों का ऋण पैकेज तैयार करने में कोई योगदान नहीं लिया जाता है। आईएमएफ स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण विभागों जैसी अन्य सरकारी एजेंसियों से इनपुट के बिना नीतियां बनाने के लिए केंद्रीय बैंकरों और वित्त मंत्रियों के एक चुनिंदा समूह के साथ काम करता है।
- आईएमएफ नीतियां कॉर्पोरेट कल्याण को बढ़ावा देती हैं। आईएमएफ हमेशा कॉर्पोरेट को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। देश को निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात उद्योगों को टैक्स ब्रेक और सब्सिडी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हैं। सार्वजनिक संपत्ति जैसे वनभूमि और सरकारी उपयोगिताओं (फोन,पानी और बिजली कंपनियां) को विदेशी निवेशकों को रॉक बॉटम कीमतों पर बेच दिया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कामगार आहत होते हैं। आईएमएफ अक्सर देशों को सलाह देता है कि अपने श्रम कानूनों को कमजोर करके विदेशी निवेशकों को आकर्षित करें। यह सामूहिक सौदेबाजी कानूनों को खत्म करने और मजदूरी को कम करने के लिए जोर देता है। इसके परिणामस्वरूप विकसित और विकासशील दोनों देशों में श्रमिक प्रभावित होते हैं और अपनी आजीविका की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं।
- महिलाएं आईएमएफ की नीतियों की सबसे बुरी शिकार बनती हैं। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम श्रम विस्थापन पैदा करते हैं। महिलाओं पर असमान रूप से श्रम विस्थापन का बोझ पड़ता है। और यह महिलाओं हेतु अपने परिवार की

बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल बना देता है। शिक्षा की लागत अधिक होने और सार्वजनिक सेवाओं (तथाकथित उपयोगकर्ता शुल्क) के उपयोग के लिए आईएमएफ द्वारा लगाए गए शुल्क में वृद्धि के कारण, समुदायों द्वारा लड़कियों को सबसे पहले स्कूलों से निकाला जाता है।

टिप्पणी

सत्तर वर्षों के अस्तित्व के बाद, आज की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए आईएमएफ के महत्व और भूमिका तथा इसकी प्रभावशीलता पर दृढ़ता से परस्पर विरोधी विचार हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो आईएमएफ को बदलते विश्व पर्यावरण के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होने के रूप में देखते हैं, दूसरी ओर अभी भी एक समूह है जो इसे एक विनाशकारी संगठन के रूप में देखता है जो नव–उपनिवेशीकरण, आर्थिक उपनिवेशीकरण और पर्यावरणीय तबाही आदि जैसे अवांछनीय परिणाम पैदा करता है। आईएमएफ को वैश्वीकृत दुनिया के बाद और वर्तमान सहस्राब्दी का एक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जा सकता है।

2.3.3 विश्व बैंक

विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है जो मध्यम आय और निम्न आय वाले देशों को विकासात्मक सहायता प्रदान करके गरीबी से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। विश्व बैंक का लक्ष्य निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में ऋण ,सलाह और प्रशिक्षण देकर, लोगों की मदद करके गरीबी को खत्म करना है। विश्व बैंक समूह के तहत, सहायता प्रदान करने वाला मानार्थ संस्थान विश्व बैंक वाशिंगटन में स्थित है। विश्व बैंक वास्तव में सामान्य ज्ञान में एक बैंक नहीं है इसमें दो विकास संस्थान शामिल हैं – पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)।

विश्व बैंक की उत्पत्ति

विश्व बैंक जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बनाया गया था। यह 1944 में पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए स्थापित किया गया था। सम्मेलन का लक्ष्य आर्थिक सहयोग और विकास के लिए एक ढांचा स्थापित करना था जो एक अधिक स्थिर और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा।

विश्व बैंक के संस्थापक पिता जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्सटर व्हाइट बुद्धिजीवी थे। व्हाइट अमेरिकी ट्रेजरी में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री थे। कीन्स के सक्षम नेतृत्व में, बैंक लेखों का मसौदा सफलतापूर्वक तैयार किया गया। कीन्स द्वारा बनाए गए मसौदे में विश्व बैंक की संगठन प्रक्रिया का सुझाव दिया गया था।

विश्व बैंक दुनिया का पहला बहुपक्षीय विकास बैंक था, और इसे विश्व बांड की बिक्री के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था। इसका पहला ऋण फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों को स्वीकृत किया गया था, लेकिन जल्द ही इसने चिली, मैक्सिको और भारत को बिजली संयंत्र और रेलवे बनाने के लिए पैसा उधार दिया। 1975 तक, बैंक ने परिवार नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणवाद में मदद करने के लिए देशों को पैसा भी दिया।

टिप्पणी

विश्व बैंक की संरचना

बैंक में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, निदेशक और सलाहकार समिति, ऋण समिति और अध्यक्ष तथा अन्य स्टाफ सदस्य कार्यकारी बोर्ड शामिल हैं। बैंक की सभी शक्तियां बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निहित हैं। बोर्ड में गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर होता है जो देश के प्रत्येक सदस्य द्वारा पांच साल के लिए नियुक्त होता है। प्रत्येक राज्यपाल के पास मतदान शक्ति होती है जो उस सरकार के वित्तीय योगदान से संबंधित होती है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है।

कार्यकारी निदेशक मंडल में 21 सदस्य होते हैं, जिनमें से छह सबसे बड़े शेयरधारकों, अर्थात् यूएसए, यूके, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, जापान और भारत द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। शेष 15 सदस्य शेष देशों द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक कार्यकारी निदेशक के पास अपनी सरकार के शेयरों के अनुपात में मतदान शक्ति होती है। बैंक के नियमित कामकाज को चलाने के लिए कार्यकारी निदेशक मंडल की महीने में एक बार नियमित बैठक होती है। बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। वह बैंक का मुख्य कार्यकारी होता है और वह बैंक के दिन–प्रतिदिन के कारोबार के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। सलाहकार समितियों की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। यहां एक अन्य निकाय भी है, जिसे ऋण समिति के रूप में जाना जाता है। समिति द्वारा किसी सदस्य देश को कोई ऋण देने से पहले बैंक द्वारा परामर्श किया जाता है।

186 सदस्य देश हैं जो BRD में शेयरधारक हैं, जो WBG (विश्व बैंक समूह) की प्राथमिक शाखा है। हालांकि, सदस्य बनने के लिए, किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में शामिल होना चाहिए।

विश्व बैंक की एजेंसियां

विश्व बैंक आम तौर पर आईबीआरडी और आईडीए को संदर्भित करता है, जबकि विश्व बैंक समूह का उपयोग सामूहिक रूप से पांच संस्थानों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। ये पांच संस्थान हैं–

1. पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) जो 1945 में स्थापित हुआ है, यह संप्रभु गारंटी के आधार पर ऋण वित्तपोषण प्रदान करता है।
2. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम (IFC), की स्थापना 1956 में हुई, जो मुख्य रूप से निजी क्षेत्र को बिना संप्रभु गारंटी के वित्तपोषण के विभिन्न रूप प्रदान करता है।
3. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), की स्थापना 1960 में हुई, जो आमतौर पर संप्रभु गारंटी के साथ रियायती (ब्याज मुक्त ऋण या अनुदान) वित्तपोषण प्रदान करता है।
4. बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA) 1988 में स्थापित हुआ है, जो निश्चित राजनीतिक जोखिम सहित, जोखिमों के प्रकार, मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के लिए बीमा प्रदान करता है।
5. निवेश के निबटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र विवाद (ICSID), 1966 में स्थापित हुआ है, जो निवेश जोखिम को कम करने के लिए सरकारें के साथ काम करता है।

विश्व बैंक के उद्देश्य

टिप्पणी

विश्व बैंक के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

1. सदस्य देशों को आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास की दृष्टि से दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना।
2. भुगतान (बीओपी) संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालीन पूंजी निवेश को प्रेरित करना।
3. सदस्य देशों की छोटी और बड़ी इकाइयों और अन्य परियोजनाओं को दिए गए ऋण के लिए गारंटी प्रदान करना।
4. युद्धोत्तर पुनर्निर्माण अवधि में विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
5. निम्नलिखित तरीकों से सदस्य देशों में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना।
   (अ) निजी ऋण या पूंजी निवेश पर गारंटी प्रदान करना।
   (ब) उत्पादक गतिविधियों के लिए विचारशील शर्तों पर ऋण प्रदान करना।

विश्व बैंक के कार्य

विश्व बैंक गरीब और अमीर देशों के बीच आर्थिक विभाजन को पाटने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह अमीर देशों के संसाधनों को गरीब देशों की ओर मोड़ने और उनके विकास में तेजी लाने का प्रयास करता है। यह स्थायी गरीबी में कमी लाने के लिए ऐसा करता है। इस प्रकार, WBG का मुख्य कार्य गरीबी को समाप्त करना और गरीबों को ऋण, नीतिगत सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करके सहायता प्रदान करना है। विश्व बैंक गरीब देशों को उनके कर्ज के बोझ को कम करने में मदद करता है और सामाजिक व्यय को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें उनके ऋण सेवा भुगतान हेतु सक्षम बनाता है।

विश्व बैंक ऋण प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। वह सदस्य देशों के लिए विकास कार्य करता है, विशेष रूप से अविकसित देशों के लिए। विश्व बैंक 5 से 20 साल की अवधि की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक सदस्य देशों को विभिन्न तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने 'द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ वाशिंगटन' में एक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की है। एक अन्य मुद्दा जिस पर बैंक ने हाल ही में ध्यान केंद्रित कर रहा है वह है– एचआईवी/एड्स के लिए कार्यक्रमों का समर्थन करना। डब्ल्यूबीजी बेहतर मूल्यांकन और पर्यवेक्षण तंत्र के साथ–साथ समग्र विकास के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से परियोजनाओं के जोखिम को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह कानूनी सुधार, शैक्षिक कार्यक्रमों, पर्यावरण सुरक्षा, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और अन्य प्रकार के सामाजिक विकास के लिए समर्थन जैसी गतिविधियां भी करता है।

बैंक अपने सभी ग्राहकों को उन नीतियों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो सतत विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं जो शासनतंत्र और गरीबी में कमी, पर्यावरण, निजी व्यवसाय आदि में व्यापक आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

टिप्पणी

विश्व बैंक की आलोचना

विश्व बैंक की आलोचना में कई तरह के मुद्दे शामिल हैं। वे आम तौर पर विश्व बैंक द्वारा अपनी नीतियों को तैयार करने में अपनाए गए दृष्टिकोणों और जिस तरह से वे लागू होते हैं, के बारे में चिंता पर केंद्रित होते हैं। हालांकि डब्ल्यूबीजी एक गरीबी मुक्त दुनिया बनाने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसे समूह हैं जो इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक के विरोध में हैं। विरोधियों का मानना है कि बैंक के बुनियादी ढांचे में मौजूद त्रुटियों के कारण दुनिया के अमीर और गरीब के बीच पहले से मौजूद असंतुलन और बढ़ गया है। सिस्टम सबसे बड़े शेयरधारकों को वोट के दौरान हावी होने की अनुमति देता है, जिसके परिणामस्वरूप WBG नीतियां अमीरों द्वारा तय की जाती हैं लेकिन गरीबों पर लागू की जाती हैं। इसका परिणाम ऐसी नीतियां हो सकता है जो विकासशील देश के सर्वोत्तम हित में नहीं हैं। कई बार विकासशील देशों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियों को डब्ल्यूबीजी प्रस्तावों के इर्द–गिर्द ढालना पड़ता है जो पश्चिमी आधिपत्य का प्रतिबिंब है। जबकि बैंक इस बात पर जोर देता है कि गरीबी से लड़ना उसकी पहली प्राथमिकता है। कई आलोचकों का मानना है कि यह बढ़ती गरीबी के लिए जिम्मेदार है। कई लोग वॉल स्ट्रीट और संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के साथ इसके मधुर संबंधों की भी आलोचना करते हैं। इसलिए, आलोचक विश्व बैंक के माध्यम से टिप्पणी करते हैं कि विकासशील देशों का अमेरिकीकरण एक स्वस्थ संकेत नहीं है। यह नव उपनिवेशीकरण या वित्तीय उपनिवेशीकरण की व्यवस्था की ओर ले जाता है। विपक्षी समूहों ने विश्व बैंक बांड का बहिष्कार कर विरोध किया है, ये वे बांड हैं जिन्हें WBG अपनी कुछ गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए वैश्विक पूंजी बाजार में बेचता है। ये विपक्षी समूह उन सभी प्रथाओं को समाप्त करने का भी आह्वान करते हैं जिनके लिए एक देश को संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता होती है– जिसमें निजीकरण और सरकारी मितव्ययिता के उपाय शामिल हैं।

आलोचनाओं और चिंताओं के बावजूद, विश्व बैंक वैश्वीकृत दुनिया का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बन गया है। इसकी भूमिका के बिना आज विकासशील देशों का विकास अकल्पनीय है।

2.3.4 विश्व व्यापार संगठन

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) एकमात्र वैश्विक संस्थान है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके केंद्र में विश्व व्यापार संगठन के समझौते हैं, जिन पर दुनिया के अधिकांश व्यापारिक देशों द्वारा बातचीत और हस्ताक्षर किए गए हैं और उनकी संसदों में पुष्टि की गई है। उनका लक्ष्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों को अपना व्यवसाय संचालित करने में मदद करना है। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रों के बीच व्यापार यथासंभव सुचारू, अनुमानित और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो। राष्ट्रीय सरकार विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन करती है और यदि सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो सदस्य राष्ट्र नियमों का पालन करने और विवादों को सहमत तरीके से निबटाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।

विश्व व्यापार संगठन की उत्पत्ति

टिप्पणी

विश्व व्यापार संगठन 1995 में अस्तित्व में आया था। लेकिन इसका विकास पिछले 50 वर्षों की अवधि से अधिक में फैला हुआ है। यह टैरिफ एंड ट्रेड (GATT) पर सामान्य समझौते के उत्तराधिकारी के रूप में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, यह निर्णय लिया गया कि आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की आवश्यकता है। उस समय के वार्ताकार 1930 के दशक के विश्वव्यापी अवसाद के अनुभव और स्थिति से उबरने के लिए तैयार किए गए व्यापार संरक्षणवाद के चरम उपायों से परिचित थे। 1947 में हवाना, क्यूबा में व्यापार और रोजगार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (आईटीओ) बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। उस समय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक अपने अंकुरण बिंदु पर थे। आईटीओ तीसरा स्तंभ बन गया और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की देखरेख के लिए तथा मजबूत निर्णय लेने एवं विवाद निबटान शक्तियों से लैस था। विश्व व्यापार संगठन की उत्पत्ति का आरंभ 1944 में ब्रेटन वुड्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन सम्मेलन के निर्माण से लगाया जा सकता है। आईटीओ चार्टर की शर्तों और बहस का मसौदा तैयार किया जा रहा था। यह प्रक्रिया 1946 के फरवरी में शुरू हुई और मार्च 1948 में अंतिम मसौदा तैयार होने तक चली। 17 देशों के एक समूह के प्रतिनिधि जिनेवा में इकट्ठे हुए और आपस में व्यापार बाधाओं और टैरिफ को कम करने के लिए एक अंतरिम समझौता (GATT) संपन्न किया गया।

हालांकि गैट (GATT) ने पर्याप्त रूप से कार्य किया, किंतु प्रमुख सदस्य कई कारणों से विश्व व्यापार संगठन जैसे विश्वव्यापी व्यापार–विनियम निकाय की तर्ज पर इसे बदलना चाहते थे। सबसे पहले, GATT नियम केवल व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार पर लागू होते हैं। वस्तुओं के अलावा, विश्व व्यापार संगठन सेवाओं में व्यापार और बौद्धिक संपदा के व्यापार से संबंधित पहलुओं को भी कवर करता है (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार–संबंधित पहलुओं पर समझौते के माध्यम से– टीआरआईपी)। दूसरा बिंदु यह कि गैट आवेदन में चयनात्मक था। विश्व व्यापार संगठन का गठन करने वाले लगभग सभी समझौते बहुपक्षीय हैं और इस प्रकार, संपूर्ण सदस्यता के लिए प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। तीसरा, डब्ल्यूटीओ विवाद निबटान प्रणाली पुरानी गैट प्रणाली की तुलना में अधिक तेज, स्वचालित है, और इस प्रकार रुकावटों के लिए बहुत कम संवेदनशील है।

नए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निकाय द्वारा विश्व व्यापार संगठन के लिए एक मसौदा तैयार किया गया और जुलाई 1994 में मारकेश के प्राचीन व्यापार केंद्र में आयोजित मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। तथाकथित अंतिम अधिनियम की शर्तों के तहत वहां हस्ताक्षर किए गए, GATT को 1 जनवरी, 1995 को WTO द्वारा बदल दिया गया। WTO के वर्तमान कार्य का अधिकांश हिस्सा 1986–94 की वार्ता से आता है जिसे उरुग्वे दौर कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन वर्तमान में 2001 में शुरू किए गए दोहा विकास एजेंडा के तहत नई वार्ताओं का मेजबान है।

विश्व व्यापार संगठन और गैट के बीच अंतर

गैट और विश्व व्यापार संगठन के बीच मुख्य अंतरों को निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है–

टिप्पणी

- गैट GATT में अनुबंधित पक्ष थे। इसके अनुबंध करने वाले दलों ने कभी भी सामान्य समझौते की पुष्टि नहीं की, और इसमें एक संगठन के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं था। विश्व व्यापार संगठन और उसके समझौते स्थायी हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में, विश्व व्यापार संगठन की एक आवाज है, एक कानूनी आधार है क्योंकि सभी सदस्यों ने विश्व व्यापार संगठन समझौते की पुष्टि की है और समझौता स्वयं वर्णन करता है कि कैसे विश्व व्यापार संगठन को कार्य करना है।
- GATT माल के व्यापार से संबंधित था। विश्व व्यापार संगठन सेवाओं और बौद्धिक संपदा के व्यापार से भी संबंधित है।
- विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान प्रणाली पुरानी गैट प्रणाली की तुलना में तेज और अधिक स्वचालित है। इसके फैसलों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है।

विश्व व्यापार संगठन की संरचना

निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार मुख्य विश्व व्यापार संगठन निकाय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है जिसकी हर दो साल में बैठक होने की उम्मीद होती है। इस तरह की पहली बैठक दिसंबर, 1996 में सिंगापुर में हुई थी। बैठकों के बीच दो वर्षों के दौरान, सम्मेलन के कार्यों को सामान्य परिषद द्वारा किया जाता है, जो एक विवाद निबटान निकाय के रूप में मिलता है। वह शिकायतों पर विचार करता है और सदस्य देशों के बीच विवादों का निबटारा करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है। यह विश्व व्यापार संगठन सचिवालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों के आधार पर अलग–अलग देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार है।

सामान्य परिषद द्वारा इसके कार्य में निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है–

1. माल (वस्तुओं) के व्यापार के लिए परिषद, GATT 1994 के सहयोगी समझौते के कार्यान्वयन और संचालन की देखरेख करती है।
2. सेवा के व्यापार हेतु परिषद, गैट्स के कार्यान्वयन की देखरेख करती है।
3. बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) के व्यापार संबंधी पहलुओं के लिए परिषद जो ट्रिप्स पर समझौते के संचालन की देखरेख करती है।

विश्व व्यापार संगठन परिषदें

विश्व व्यापार संगठन में माल, सेवा और व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं। इन तीन समूहों का विवरण नीचे दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन (उरुग्वे दौर का परिणाम) की आधिकारिक स्थापना के बाद, 1995 में ये परिषदें अपने वर्तमान आकार में अस्तित्व में आई।

विश्व व्यापार संगठन की संरचना में इसके सर्वोच्च अधिकार, मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में निहित हैं जो सभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के प्रतिनिधियों से बना है, जिसे कम से कम हर दो साल में मिलना आवश्यक है और जो किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय ले सकता है। हालांकि, विश्व व्यापार संगठन का दिन– प्रतिदिन का कार्य कई सहायक निकायों के अंतर्गत आता है; मुख्य रूप से सामान्य परिषद के, जिसमें सभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्य भी शामिल हैं, जिन्हें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में रिपोर्ट करना आवश्यक है। व्यापार नीतियों की

टिप्पणी

नियमित समीक्षा करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के व्यक्तिगत सदस्यों को मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की ओर से अपने नियमित कार्य का संचालन करने के साथ–साथ, सामान्य परिषद दो विशेष रूपों में बुलाती है – विवाद निबटान निकाय के रूप में, विवाद निबटान प्रक्रियाओं की देखरेख के लिए और व्यापार नीति समीक्षा निकाय के रूप में।

विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता

विश्व व्यापार संगठन में लगभग 153 सदस्य हैं, जो विश्व व्यापार के 97% से अधिक निर्णयों के लिए जिम्मेदार हैं। निर्णय पूरी सदस्यता द्वारा किए जाते हैं। यह आम तौर पर सर्वसम्मति से होता है।

विश्व व्यापार संगठन का शीर्ष स्तरीय निर्णय लेने वाला निकाय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है जो हर दो साल में कम से कम एक बार मिलता है। इसके नीचे जनरल काउंसिल (सामान्यतः जिनेवा में राजदूत और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख होते हैं, लेकिन कभी–कभी सदस्यों की राजधानियों से भेजे गए अधिकारी) है, जो जिनेवा मुख्यालय में साल में कई बार मिलते हैं। सामान्य परिषद व्यापार नीति समीक्षा निकाय और विवाद निबटान निकाय के रूप में भी है।

विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य

विश्व व्यापार संगठन के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं–

1. सदस्य देशों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना।
2. पूर्ण रोजगार और प्रभावी मांग में व्यापक वृद्धि सुनिश्चित करना।
3. माल के उत्पादन और व्यापार को बढ़ाना।
4. सेवाओं के व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रयास करना।
5. विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।
6. पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करना।
7. सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना।

विश्व व्यापार संगठन की निधि का स्रोत और फंड का प्रबंधन

जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन सचिवालय में लगभग 600 कर्मचारी हैं और इसका नेतृत्व एक महानिदेशक करता है। इसका वार्षिक बजट लगभग 160 मिलियन स्विस फ्रैंक है। जिनेवा के बाहर इसके शाखा कार्यालय नहीं हैं। चूंकि निर्णय स्वयं सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं, सचिवालय के पास निर्णय लेने वाली भूमिका नहीं होती है जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाहों को दी जाती है।

विश्व व्यापार संगठन के कार्य

विश्व व्यापार संगठन में, दो कार्य हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। वे है–

- व्यापार से संबंधित विवाद को सुलझाना और एक साझा मंच में व्यापार वार्ता करना।
- हस्ताक्षरित समझौतों के संचालन, प्रशासन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

टिप्पणी

इसके अलावा, विश्व व्यापार संगठन का यह कर्तव्य है कि वह दुनिया भर में व्यापार की राष्ट्रीय नीतियों का प्रचार और समीक्षा करे। विश्व व्यापार संगठन की प्राथमिकताओं में से एक तकनीकी प्रशिक्षण और सहयोग के माध्यम से कम आय वाले, अल्प विकसित और परिवर्तनशील देशों को डब्ल्यूटीओ के विषयों और नियमों को समायोजित करने में सहायता करना है।

विश्व व्यापार संगठन द्वारा निभाई गई भूमिका

अब तक विश्व व्यापार संगठन परेशानी मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में एक सूत्रधार रहा है। इसकी भूमिका का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि इसने सीमाओं के पार माल, सेवाओं की आवाजाही को संभव बनाया, बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा की, विवादों का निबटारा किया और समय–समय पर व्यापार नीतियों की समीक्षा की।

सामान : यह सब माल के व्यापार से शुरू हुआ। 1947 से 1994 तक, GATT कम सीमा शुल्क दरों और अन्य व्यापार बाधाओं पर बातचीत करने का मंच था। अद्यतन GATT माल के व्यापार के लिए विश्व व्यापार संगठन का छत्र समझौता बन गया है। इसमें राज्य व्यापार, उत्पाद मानकों, सब्सिडी और डंपिंग के खिलाफ की गई कार्रवाई जैसे विशिष्ट मुद्दों कृषि और वस्त्र जैसे विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित अनुबंध हैं।

सेवाएं : बैंक, बीमा फर्म, दूरसंचार कंपनियां, टूर ऑपरेटर, होटल चेन और ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो विदेशों में कारोबार करना चाहती हैं, अब वे स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर अपने सिद्धांतों का आनंद ले सकती हैं जो मूल रूप से केवल माल के व्यापार पर लागू होते थे। ये सिद्धांत सेवाओं में व्यापार पर नए सामान्य समझौते (जीएटीएस) में दिखाई देते हैं। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने गैट्स के तहत व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएं भी की हैं, जिसमें बताया गया है कि उनके कौन से सेवा क्षेत्र, वे विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने के इच्छुक हैं और कितने बाजार खुले हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकार : विश्व व्यापार संगठन का बौद्धिक संपदा समझौता विचारों और रचनात्मकता में व्यापार और निवेश के नियमों के बराबर है। नियम बताते हैं कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, उत्पादों की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले भौगोलिक नाम, औद्योगिक डिजाइन, एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन और व्यापार रहस्य बौद्धिक संपदा जैसी अज्ञात जानकारी को व्यापार में शामिल कर संरक्षित किया जाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन ने राष्ट्रों के लिए उनकी रक्षा के लिए भारी प्रयास किए हैं।

विवाद निबटान : विवाद निबटान समझौता के तहत व्यापार झगड़ों को हल करने के लिए विश्व व्यापार संगठन की प्रक्रिया नियमों को लागू करना महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि व्यापार सुचारु रूप से चलता रहे।

विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ आलोचना

विश्व व्यापार संगठन के कार्यों और भूमिका की भी भारी आलोचना हुई है। विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ निम्नलिखित आलोचनाओं का लेबल लगाया जा रहा है–

टिप्पणी

- विश्व व्यापार संगठन मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक है। विश्व व्यापार संगठन की नीतियां समाज और ग्रह के सभी पहलुओं को प्रभावित करती हैं, लेकिन यह एक लोकतांत्रिक, पारदर्शी संस्था नहीं है।
- विश्व व्यापार संगठन एक न्यायपूर्ण समाज नहीं बनाता है। विश्व व्यापार संगठन का मानना है कि मुक्त व्यापार की दुनिया बनाने से वैश्विक समझ और शांति को बढ़ावा मिलेगा। इसके विपरीत, अमीर देशों द्वारा अपने व्यक्तिगत हितों के लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वर्चस्व गरीब देशों में क्रोध और आक्रोश को बढ़ावा देता है।
- विश्व व्यापार संगठन श्रम और मानवाधिकारों को रौंदता है। विश्व व्यापार संगठन के नियम लाभ के लिए निगमों के अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं। वे मानव और श्रम अधिकारों की अनदेखी करते हैं। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त श्रम मानकों को बढ़ावा देने में विफल रहा है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रचारित व्यावसायिक मूल्यों के तहत मानवीय मूल्य और सामाजिक सुरक्षा दबती जा रही है। बाल श्रम के नाम पर लाभ श्रम की अमानवीय स्थितियां बढ़ती जा रही हैं।
- विश्व व्यापार संगठन आवश्यक सेवाओं के निजीकरण पर जोर देता है। विश्व व्यापार संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा और पानी जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण करना चाहता है। निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक संपत्ति को जनता की भलाई के बजाय लाभ के लिए बेचना।

इन नकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखते हुए विश्व व्यापार संगठन का अंतर्राष्ट्रीय विरोध बढ़ रहा है। 1999 में सिएटल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों में विश्व व्यापार संगठन का विरोध करने के लिए 50,000 से अधिक लोग एक साथ आए। कैनकन, मैक्सिको, हांगकांग और चीन में, विश्व व्यापार संगठन के विरोध में हजारों कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की, और लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत हासिल की। विकासशील देशों ने विश्व व्यापार संगठन के विस्तार के लिए अमीर देशों के एजेंडे को मानने से इनकार कर दिया और वार्ता को विफल कर दिया।

इस प्रकार, अब समय आ गया है कि विश्व व्यापार संगठन को गरीब देशों के हाशिए पर रहने वाली आबादी को समान स्थान देने के लिए और एक समान दुनिया बनाने के लिए अपनी नीतियों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

अपनी प्रगति जांचिए

3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी?

(क) 27 दिसंबर, 1945 (ख) 28 नवंबर, 1948

(ग) 15 अगस्त, 1950 (घ) 27 जनवरी, 1952

4. विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं?

(क) 180 (ख) 182

(ग) 186 (घ) 190

टिप्पणी

2.4 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1. (ख)
2. (घ)
3. (क)
4. (ग)

2.5 सारांश

व्यापक वित्तीय, प्रबंधकीय और विपणन संसाधनों वाली बड़ी कंपनियों को निरूपित करने के लिए दुनिया भर में बहुराष्ट्रीय शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश में अपना प्रधान कार्यालय रखने वाली कंपनियों की तरह हैं और व्यावसायिक गतिविधियां मूल देश और अन्य देशों में फैली हुई होती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि सस्ते श्रम और कच्चे माल की उपलब्धता दूसरे देशों में स्थित होती है। बहुराष्ट्रीय निगमों (संक्षेप में बहुराष्ट्रीय कंपनियां) और निगम (टीएनसी), सुपर नेशनल एंटरप्राइजेज, वैश्विक कंपनियों को इसी तरह ट्रांसनेशनल के रूप में भी जाना जाता है।

राजनीतिक अर्थव्यवस्था का वह अध्ययन इतिहासकारों, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच अब बहुत प्रचलन में है। यह रुचि एक बढ़ती हुई प्रशंसा को दर्शाती है कि राजनीति और अर्थशास्त्र की दुनिया, जिन्हें कभी अलग माना जाता था (कम से कम अकादमिक जांच के क्षेत्र के रूप में), वास्तव में एक–दूसरे को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। कई राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस विषय की जितनी सराहना की है, उसकी तुलना में राजनीति आर्थिक विकास से बहुत अधिक प्रभावित होती है, और सामान्य रूप से अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया है कि अर्थव्यवस्था सामाजिक और राजनीतिक विकास पर अधिक निर्भर है। दो क्षेत्रों के बीच अंतर्संबंधों की मान्यता ने इतिहासकारों और सामाजिक वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है।

बहुराष्ट्रीय निगमों का आज अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर क्रांतिकारी प्रभाव है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की वृद्धि ने कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूंजी प्रवाह और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अधिक पारंपरिक रूपों को प्रभावित किया है। आज वे विश्व अर्थव्यवस्था में एक शक्तिशाली शक्ति का गठन करते हैं।

वैश्वीकरण में राष्ट्र–राज्य की भूमिका जटिल है। वैश्वीकरण को आम तौर पर राष्ट्र–राज्यों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सीमाओं का गायब होना या पूर्णतः लुप्त होने के रूप में पहचाना जाता है। यह राष्ट्र–राज्य के संबंध में दोहरा तर्क प्रस्तुत करता है। पहला तर्क इस प्रस्ताव के इर्द–गिर्द मंडराता है कि वैश्वीकरण राष्ट्र राज्य की निरंतरता के लिए एक खतरा है। दूसरा तर्क इस विचार पर केंद्रित है कि वैश्वीकरण राष्ट्र राज्यों को के बोझ को कम करके और आर्थिक समृद्धि को जोड़कर उन्हें मजबूत करता है। कुछ विद्वानों ने यह सिद्धांत दिया है कि राष्ट्र–राज्य, जो

टिप्पणी

स्वाभाविक रूप से भौतिक और आर्थिक सीमाओं से विभाजित हैं, वैश्वीकृत दुनिया में कम प्रासंगिक होंगे। कुछ विद्वानों के लिए वैश्वीकरण राष्ट्र राज्यों की अवधारणा के लिए एक चुनौती है लेकिन, एक विरोधी समूह है जो इस तर्क को आगे बढ़ाता है कि वैश्वीकरण राष्ट्र राज्यों को मजबूत करता है।

जब हम वैश्वीकरण की मूल प्रकृति का विश्लेषण करते हैं, तो शोल्ट ने लिखा है कि वैश्वीकरण हाल के विश्व इतिहास की एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम हैं। ये सभी पहलू परस्पर जुड़े हुए हैं और अतिव्यापी हैं। वैश्वीकरण का राजनीतिक पहलू सत्ता के अधिग्रहण और वितरण को प्रभावित करता है और आर्थिक पहलू संसाधन वितरण, उत्पादन, बाजार से संबंधित है। ये सभी मौजूदा सामाजिक संस्थाओं, संबंधों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार, प्रत्येक पहलू दूसरे को आकार देता है।

आज मास मीडिया को अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रसारण, टेलीविजन प्रोग्रामिंग, नई प्रौद्योगिकियों, फिल्म और संगीत के माध्यम से वैश्वीकरण को बढ़ाने, संस्कृति के आदान–प्रदान और देशों के बीच सूचना और छवि के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखा जाता है। 1990 के पहले दुनिया के अधिकांश देशों में मुख्यधारा के मीडिया सिस्टम अपेक्षाकृत राष्ट्रीय थे, तब से अधिकांश संचार मीडिया तेजी से वैश्विक हो गए हैं। दुनिया भर के दर्शकों को जीतने के लिए राष्ट्र–राज्य से परे अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। वैश्विक पूंजीवाद के विकास, नई प्रौद्योगिकियों और वैश्विक टेलीविजन के बढ़ते व्यावसायीकरण द्वारा सूचना के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह को काफी हद तक सहायता मिली है, जो केबल और सैटेलाइट चैनलों द्वारा यूरोप और अमेरिका के विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई विनियमन नीतियों के परिणामस्वरूप हुई है।

बाजारों का वैश्वीकरण इस सदी के सबसे आकर्षक विकासों में से एक है। आर्थिक लेन–देन, प्रक्रियाओं, संस्थानों और कर्ताओं (खिलाड़ियों) पर इसका प्रभाव नाटकीय और व्यापक है। यह स्थापित मानदंडों और व्यवहार को चुनौती देता है और इसके लिए अलग मानसिकता की आवश्यकता होती है। फिर भी, यह अच्छी तरह से तैयार प्रतिभागियों के लिए अवसर पैदा करता है जो सक्रिय और दूरदर्शी हो सकते हैं। बाजारों के वैश्वीकरण में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती अन्योन्याश्रयता शामिल है– सोर्सिंग, निर्माण, व्यापार और निवेश गतिविधियों की बहुराष्ट्रीय प्रकृति; सीमा पार लेनदेन और वित्तपोषण की बढ़ती आवृत्ति; और बड़ी संख्या में कर्ताओं (खिलाड़ियों) के बीच प्रतिस्पर्धा की बढ़ी हुई तीव्रता।

एनजीओ उन चुनौतियों का सामना करके प्रयोग और सामाजिक परिवर्तन को सक्षम बनाते हैं जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आसानी से नहीं कर सकते हैं या कर ही नहीं सकते हैं। नागरिक समाज संगठन ऐसे जोखिम उठाने में सक्षम हैं जो व्यापार के लिए आर्थिक रूप से अस्वीकार्य हैं और सरकार के लिए राजनीतिक रूप से अस्वीकार्य हैं। दुनिया भर के आधुनिक समाजों में, एनजीओ द्वारा अग्रणी अनगिनत नवाचारों को बाद में सरकारी नीति के रूप में अपनाया गया है। सेवा वितरण के कई मॉडल जिन्हें आज सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है, वे एनजीओ द्वारा कई वर्षों के प्रयोग में तैयार, परीक्षण और सुधार द्वारा निर्मित किए गए थे। इसके अलावा, एनजीओ वकालत अभियान अनिच्छुक सरकारों को नीतिगत सुधारों को अपनाने और व्यावसायिक

टिप्पणी

प्रथाओं में सुधार हेतु मजबूर करने के लिए प्रेरित करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की स्थापना और संचालन में अंतर्निहित प्रमुख प्रेरणाओं में से एक संसाधन–संपन्न देशों से संसाधनहीन गरीब देशों तक संसाधनों को निर्देशित करने के लिए आर्थिक और तकनीकी प्लेटफार्म प्रदान करना था। अन्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हित भी एजेंसियों की प्रेरणाओं और गतिविधियों को आकार देते हैं। इसके अलावा, तथ्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां आम तौर पर स्वतंत्र संस्थान नहीं हैं, बल्कि बड़ी सामाजिक–राजनीतिक इकाइयों का हिस्सा हैं, यह उनकी कई विशेषताओं में से एक है जो उनके मिशन, प्रशासनिक संगठन, दर्शन, नीति और गतिविधियों को प्रभावित करती है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वैश्विक मौद्रिक सुविधा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। इसमें सहयोग, सुरक्षित वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना,उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तथा दुनिया भर में गरीबी कम करने हेतु प्रयास शामिल हैं। 188 देशों का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) संगठन, वाशिंगटन डी.सी. में मौजूद है। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, वह प्रणाली जिसके द्वारा देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय भुगतान होता है। इस प्रकार, यह निवेश और संतुलित वैश्विक आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देने एवं विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान करने का प्रयास करता है।

विश्व बैंक गरीब और अमीर देशों के बीच आर्थिक विभाजन को पाटने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह अमीर देशों के संसाधनों को गरीब देशों की ओर मोड़ने और उनके विकास में तेजी लाने का प्रयास करता है। यह स्थायी गरीबी में कमी लाने के लिए ऐसा करता है। इस प्रकार, इसका मुख्य कार्य गरीबी को समाप्त करना और गरीबों को ऋण, नीतिगत सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करके सहायता प्रदान करना है। विश्व बैंक गरीब देशों के कर्ज के बोझ को कम करने में मदद करता है और सामाजिक व्यय को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें उनके ऋण सेवा भुगतान हेतु सक्षम बनाता है।

2.6 मुख्य शब्दावली

- **वैश्विक** : विश्व संबंधी।
- **निगम** : एजेंसी
- **प्रोत्साहित** : बढ़ावा देना।
- **राशि** : धन।
- **दृष्टिकोण** : देखने का नजरिया।
- **परिप्रेक्ष्य** : संदर्भ।
- **वितरण** : बांटना।
- **आश्रित** : दूसरे पर निर्भर।

2.7 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

टिप्पणी

लघु–उत्तरीय प्रश्न

1. वैश्वीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है?
2. बहुराष्ट्रीय कंपनी को परिभाषित कीजिए एवं कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम बताइए।
3. राष्ट्र राज्य क्या है? स्पष्ट कीजिए।
4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आप क्या समझते हैं?
5. विश्व बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. वैश्वीकरण की एजेंसियों का उल्लेख कीजिए।
2. वैश्वीकरण में राजनीतिक अर्थव्यवस्था की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए।
3. वैश्वीकरण में राष्ट्र राज्य एवं मीडिया का क्या योगदान है? उल्लेख कीजिए।
4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख विशेषताएं बताइए।
5. विश्व बैंक की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।

2.8 सहायक पाठ्य सामग्री

1. Hodkinson, P. 2011. *Media, Culture and Society*. London: Sage Publications.
2. Macionis, J. & Plummer, K. 2012. *Sociology:A Global Introduction*. 5th edition. London: Pearson.
3. Madhok, M. 2013. *News Media in India: The impact of Globalization*. New Delhi: New Century Publication.
4. John Baylis, Steve smith and Patrica Owens, *The Globalization of World Politics:An Introduction to International Politics*, Oxford University press, New York, 2008
5. David Held (Second edition), Globalizing World,
6. C.P. Chanderasakern and Jayati Ghosh, *The Market that failed:A decade of Neo Liberal Economics Reforms in India,* Left world, New Delhi, 2000
7. Ahluwalia, Montek S., *"India's Economic Reforms:An Appraisal,"* in Jeffrey Sachs and Nirupam Bajpai's (eds.), *"India in the Era of Economic Reform,"* Oxford University Press, New Delhi, 2000.
8. Bhagwati, J., and Srinivasan, T.N., *"Outward-Orientation on Development:Are the Revisionists Right,"* in *Trade, Development and Political Economy*, by Deepak Lal and Richard Snape eds. Palgrave, 2001.

टिप्पणी

9. Chaudhuri, Sudip, *"Economic Reforms and Industrial Structure in India,"* Economic and Political Weekly, January 12, 2002.
10. Davis, Jeffrey, Rolando Ossowski, Thomas Richardson, and Steven Barnett, *"Fiscal and Macroeconomic Impact of Privatization,"* IMF Occasional Paper 194, (2000).
11. Dev, Mahendra S., and Jos Mooli, *"Social Sector Expenditures in the 1990s: Analysis of Central and State Budgets,"* Economic and Political Weekly, March 2, 2002.
12. Jean Dreze andAmartya Sen, *"Economic Development and Social Opportunities,"* Oxford University Press, New Delhi (1995).
13. David Held andAnthony McGrew (ed.) *Globalization Theory: Approaches and Controversies.*

इकाई 3 वैश्वीकरण और संस्कृति

टिप्पणी

संरचना

3.0 परिचय
3.1 उद्देश्य
3.2 वैश्वीकरण के लोकाचार (स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद)
  3.2.1 वैश्वीकरण के लोकाचार की अवधारणा
  3.2.2 स्वतंत्रता
  3.2.3 व्यक्तिवाद
  3.2.4 उपभोक्तावाद
3.3 अमेरिकी मूल्य प्रणाली का प्रसार और संरक्षण एवं मीडिया
  3.3.1 अमेरिकी मूल्य प्रणाली का अर्थ व विशेषताएं
  3.3.2 अमेरिकी मूल्य प्रणाली : प्रसार, संरक्षण व मीडिया
3.4 वैश्वीकरण और सांस्कृतिक समरूपता, आधिपत्य और प्रभुत्व
  3.4.1 सांस्कृतिक समरूपता की अवधारणा
  3.4.2 वैश्वीकरण के प्रभाव
3.5 वैश्वीकरण और जातीय चेतना का पुनरुत्थान
  3.5.1 वैश्विक पर्यटन
  3.5.2 प्रवासी समुदाय
  3.5.3 आंदोलन का अर्थ और जातीय एवं धार्मिक आंदोलन
  3.5.4 अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन
  3.5.5 धार्मिक कट्टरवाद
3.6 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
3.7 सारांश
3.8 मुख्य शब्दावली
3.9 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
3.10 सहायक पाठ्य सामग्री

3.0 परिचय

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित नए वातावरण से राष्ट्रों की संस्कृतियां प्रभावित हुई हैं। संस्कृति एक समाज की पहचान है और जीवन का एक तरीका है। सामाजिक प्रक्रिया के रूप में वैश्वीकरण लोगों की मौजूदा जीवन शैली, मूल्यों, विश्वासों और प्रथाओं को बदल रहा है जो समुदाय के लिए एक अलग पहचान लाते हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव में उपभोक्तावाद, स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद जैसी विचारधारा के संबंध सांस्कृतिक परिवर्तन के प्रमुख क्षेत्र हैं। यह सांस्कृतिक परिवर्तन गरीबों के जीवन को प्रभावित करता है और महिलाएं वैश्वीकरण की सबसे बुरी शिकार बन जाती हैं।

प्रस्तुत इकाई में वैश्वीकरण के लोकाचारों, अमेरिकी जीवन मूल्य प्रणाली के प्रसार, वैश्वीकरण एवं सांस्कृतिक समरूपता एवं जातीय पुनरुत्थान के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया गया है।

टिप्पणी

3.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयामों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर पाएंगे;
- सांस्कृतिक सामंजस्य, सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक आधिपत्य की प्रक्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे;
- बढ़ते व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता और उपभोक्तावाद तथा व्यक्ति और समाज के भविष्य पर उनके प्रभाव के संदर्भ में वैश्वीकरण के लोकाचार के बारे में विचारों को संचित कर पाएंगे;
- गरीबों और महिलाओं पर वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों का पता लगा पाएंगे।

3.2 वैश्वीकरण के लोकाचार (स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद)

एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में वैश्वीकरण ने संस्कृतियों और देशों में समाजों और समुदायों के वातावरण को बदल दिया है। विशेष रूप से, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों ने नए लोकाचार का निर्माण किया है। बढ़ता हुआ व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता की बढ़ती भावना और बढ़ता उपभोक्तावाद वैश्वीकरण द्वारा शुरू किए गए सांस्कृतिक परिवर्तन से उत्पन्न नए लोकाचार का संकेत देता है।

3.2.1 वैश्वीकरण के लोकाचार की अवधारणा

वैश्वीकरण एक उत्तर आधुनिक आर्थिक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर स्थानीय संस्कृति के आविर्भाव ने तथाकथित निम्न और उच्च संस्कृतियों के मध्य विभेद को धुंधला कर दिया है। इसी के साथ अभिजनों की वर्चस्ववादी संस्कृति का प्रभाव भी कम हुआ है। जनता की संस्कृति की बढ़ती लोकप्रियता ने, स्थानीय संस्कृति को मिटाने या प्रतिस्थापित करने के प्रयत्न को निष्फल कर दिया है। इसके स्थान पर, अल्प विकसित देशों ने, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपनी लोकप्रिय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रचारित कर, इसे समृद्ध बनाने का अवसर प्राप्त किया है। इन्होंने वैश्विक बाजार में अपनी लोकप्रिय संस्कृति का बाजारीकरण किया और इस प्रकार, कलाकारों और कारीगरों को न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर से बाहर निकाला, जिसके लिए वे सदियों से अभिशप्त थे।

योगेन्द्र सिंह ने अपनी पुस्तक 'कल्चर चेंज इन इण्डिया' में बताया कि समाज में लोकप्रिय संस्कृति का विकास, गहन सामाजिक रूपांतरणों के साथ–साथ घटित होता है। परंपरागत जीवन से मोहभंग, भारी संख्या में लोगों का शहरों की ओर पलायन, उपभोक्तावाद का बढ़ता आकर्षण तथा स्थानीय समुदायों और पारिवारिक नातेदारी समूहों में कमजोर होते बंधनों के साथ लोगों की मानसिक और सामाजिक गतिशीलता में आश्चर्यजनक वृद्धि– इन परिवर्तनों के प्रमुख संकेतक हैं। लोकप्रिय संस्कृति, अनुभवों के सतत नवीनीकरण की व्यक्ति की खोज तथा व्यक्तिवादिता के उदय के साथ भी जुड़ी है।

टिप्पणी

वैश्वीकरण की शुरुआत के समय से ही लोगों के मन में, खासकर विकासशील देशों के लोगों के मन में, यह भय व्याप्त रहा है कि पश्चिम का सांस्कृतिक वर्चस्व और फलस्वरूप स्थानीय संस्कृति का निस्तेज होना, अपरिहार्य है। लेकिन, यह न तो वैश्वीकरण प्रक्रिया के पिछले बीस वर्षों के दौरान हुआ और न आज ही इस तरह का कोई संकट है। इसका कारण है कि संस्कृतियां पूरी तरह नष्ट नहीं होतीं बल्कि उनमें मात्र परिवर्तन होता है और वे अपना सह–अस्तित्व बनाए रखने में सफल होती हैं। परस्पर विरोधी संस्कृतियों से भी लोग बेहतर समायोजन रखते पाए जाते हैं। यह देखा गया है कि लोग पारिवारिक आदर्शों और मूल्यों का पालन कर रहे हैं और साथ ही साथ मैकडोनाल्ड और बरिस्ता संस्कृति का भी आनन्द ले रहे हैं।

गांव में लोगों ने परंपरागत सांस्कृतिक स्वायत्तता का आनन्द लिया है और पर्याप्त रूप से आधुनिक और नगरीय हो जाने के बावजूद, आज भी उसी तरह से आनंद ले रहे हैं। अतः सांस्कृतिक वर्चस्व और स्थानीय संस्कृति का निस्तेज होना, सिर्फ एक मिथक है। इसके स्थान पर दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों के मध्य अंतक्रिया से संस्कृति और भी समृद्ध होगी।

लोकप्रिय संस्कृति (पॉपुलर कल्चर) जनता की संस्कृति है, जो आम जनता के सांस्कृतिक व्यवहारों के माध्यम से व्यक्त होती है। यह मानव गतिविधियों का एक प्रतिमान एवं उसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, जो लोगों में बहुत लोकप्रिय एवं गहरी पैठ रखती है। आम जनता की संस्कृति और अभिजनों की संस्कृति के बीच, ऐतिहासिक रूप से अंतर मौजूद रहा है। वैश्वीकरण ने जन संस्कृति और अभिजन संस्कृति को पास लाकर सांस्कृतिक प्रतिमानों में व्यापक परिवर्तन किया है। अभिजन संस्कृति और स्थानीय संस्कृति के मध्य अंतर इतना कम हो चुका है कि यह अर्थहीन है। परंपरागत–सामंती अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी–बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन ने एक नए प्रकार के विभेदीकरण को जन्म दिया है। सामाजिक संरचना अब सांस्कृतिक शैली का निर्धारण नहीं करती। अभिजनों और कृषि श्रमिकों की संस्कृति से लेकर जाति संस्तरण तक सांस्कृतिक प्रतिमानों में एक नए तरीके का विभेदीकरण हुआ है। संस्कृति का एक नया स्वरूप उभरा है, जिसे 'लोकप्रिय संस्कृति' अथवा 'जन संस्कृति' के नाम से जाना जाता है। लोकप्रिय संस्कृति जन संचार माध्यमों की प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति का परिणाम है। लोक–अभिजन संस्कृति स्वरूपों के विपरीत, यह परंपरा द्वारा नियंत्रित सामुदायिक सामाजिक संरचना पर आधारित नहीं होती। लोकप्रिय संस्कृति, मुक्त रूप से प्रवाहित बाजार की शक्तियों द्वारा उत्पन्न और नियंत्रित होती है।

लोक–कथाएं, लोक–साहित्य तथा पौराणिक कथाएं लोकप्रिय संस्कृति के स्रोत हैं। इसमें मानव जीवन से संबंधित प्रायः सभी गतिविधियां जैसे– खाना, पीना, नाचना, गाना, खेलना, बच्चों का पालन–पोषण, आमोद–प्रमोद, कार्य, अवकाश तथा मनोरंजन शामिल हैं। जन संचार माध्यमों द्वारा प्रदर्शित सामान्य जनता के मानवीय व्यवहार प्रतिमानों का विस्तृत क्षेत्र लोकप्रिय संस्कृति के रूप में प्रस्तुत होता है।

भारत सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। सांस्कृतिक बहुलता, किसी देश के लोकतंत्र की असाधारण सफलता का प्रमुख लक्षण है। भारतीय समाज, निरंतरता और ऐतिहासिक संबंधों से जुड़ाव प्रदर्शित करने वाले, जाति, धर्म और प्रजाति आधारित समुदायों की बहुलता से बना है। यहां स्थानीय और क्षेत्रीय संस्कृतियों में अंतर्क्रिया होती रहती है तथा संस्कृति की तरल प्रकृति अंतःसांस्कृतिक पारस्परिकता को बढ़ावा

टिप्पणी

देती है। समाजशास्त्रियों ने अनुभव किया है कि यहां सदियों से क्षेत्रीय और स्थानीय संस्कृतियों से जुड़ी 'सार्वभौमिकीकरण' तथा 'स्थानीयकरण' की प्रक्रियाएं चलती रही हैं। यहां 'वृहद परंपरा' या कुलीन संस्कृति तथा 'लघु परंपरा' या लोक अथवा स्थानीय संस्कृति के मध्य निरंतर संवाद तथा रचनात्मक संश्लेषण भी होता रहा है। फिलहाल संस्कृति की स्थानीय पहचान कभी भी विलुप्त नहीं हुई।

'एन्थ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया' की रिपोर्ट *पीपुल ऑफ इण्डिया* देश की सांस्कृतिक पहचान की निरंतरता तथा सांस्कृतिक बहुलता के अस्तित्व का वास्तविक प्रमाण है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 4,635 समुदायों की पहचान की गई। ये समुदाय, जाति और उपजाति, अल्पसंख्यक, भाषायी और सांस्कृतिक श्रेणियों के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। इन्हें इन विभिन्न स्तरों के आधार पर परिभाषित किया गया है। इस रिपोर्ट के पास, विशिष्ट नृजातीय लक्षणों वाली श्रेणियों का पता लगाने के लिए समुदाय की अपनी स्वयं की परिभाषाएं हैं। ये श्रेणियां, जातियों और अल्पसंख्यकों से लेकर, उन लोगों तक फैली हैं जो अपनी पहचान सांस्कृतिक श्रेणियों के रूप में करते हैं। इन सांस्कृतिक श्रेणियों में भाषाएं जैसे असमी, बंगाली, गुजराती, राजस्थानी, तमिल इत्यादि भी सम्मिलित हैं। इन कुल 4,635 समुदायों में से 796 देश के बड़े भागों में फैले हुए हैं। लगभग सौ से भी अधिक समुदाय अपने आपको अंतर्राष्ट्रीय रूप से फैला हुआ पाते हैं। इन समुदायों में से ज्यादातर मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा के राज्यों से आते हैं।

समुदायों की उनकी अपनी कुछ स्थानीय और क्षेत्रीय सांस्कृतिक विशिष्टताएं होती हैं। ये विशिष्टताएं, आदर्श मानकों तथा जीवन–शैली जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहारों, वस्त्रों के डिजाइन तथा पगड़ी, समुदाय के झण्डे और आभूषण तथा आभूषणों द्वारा शरीर की सजावट के माध्यम से व्यक्त होती हैं। 'पीपुल ऑफ इण्डिया' रिपोर्ट निष्कर्ष देती है कि संघर्ष और अन्तर्विरोध के बावजूद हम पाते हैं कि देश के एक बड़े भाग में निरंतरता और मेल–मिलाप का भाव व्याप्त है। यहां इस पर ध्यान देना बहुत दिलचस्प है कि स्थानीयता और देशीयता के मुद्दे अब बहुत कम संवेदनशील हो गए हैं, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत कम समुदाय हैं जो अपने आपको प्रवासी मानते हैं। यह, सामान्यतया उनके लोक साहित्य और लोक कथाओं के माध्यम से व्यक्त होता है।

3.2.2 स्वतंत्रता

वैश्वीकरण एक नया सांस्कृतिक वातावरण बनाता है जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की न केवल रक्षा की जाती है, बल्कि इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। वैश्वीकरण बाजारों में सुधार करता है और इसे विभिन्न प्रतिस्पर्धियों से प्रतिस्पर्धा के लिए खोलता है। यह पसंद की सीमा का विस्तार करता है, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करता है और कीमतों को कम करता है। यह श्रमिकों को उनके वेतन का वास्तविक मूल्य बढ़ाकर तत्काल लाभ प्रदान करता है। यह पूर्व में संरक्षित उत्पादकों से नए मुक्त उपभोक्ताओं को धन हस्तांतरित करता है। घरेलू उत्पादकों को कम कीमतों पर व्यापक रेंज और बेहतर गुणवत्ता वाले मध्यवर्ती आदानों तक पहुंच प्राप्त होती है। निर्यात पक्ष पर, घरेलू उद्योग केवल एक सीमित और अविकसित घरेलू बाजार के बजाय वैश्विक बाजारों की सेवा करके अर्थव्यवस्थाओं में एक बड़ी छलांग का आनंद ले सकते हैं।

टिप्पणी

निगम उपभोक्ताओं की पसंद और स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं। जैसे–जैसे लोग टेलीविजन के आदी होते जाते हैं, वे मीडिया द्वारा निर्मित छवियों और प्रतीकों की चपेट में आ जाते हैं और वे ब्रांड नामों के लिए तरसने लगते हैं। उपभोक्तावाद उन पर एक पकड़ स्थापित करता है और वे मांग की गई वस्तुओं के गुणों को सत्यापित करने की जहमत नहीं उठाते। वे यह देखने की परवाह नहीं करते हैं कि वे जो सामान खरीदने जा रहे हैं, क्या वे वास्तव में एक वास्तविक आवश्यकता को पूरा करते हैं। लोग यह मानते हैं कि वे जो खाते हैं उससे उनका अस्तित्व आकार लेता है। वर्तमान वैश्वीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता उपभोक्ता ऋण समाज का आगमन है। क्रेडिट कार्ड के आने तक, उसके पास उपलब्ध नकदी या ऋण लेने की उसकी क्षमता व्यक्ति की खरीदारी को सीमित कर देती थी।

3.2.3 व्यक्तिवाद

बढ़ता हुआ व्यक्तिवाद सांस्कृतिक वैश्वीकरण द्वारा निर्मित लोकाचार का एक पहलू है। व्यक्तिवाद एक सामाजिक मूल्य है। यह भावना के साथ–साथ एक अभ्यास भी है। जब वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक मूल्य बदलते हैं, तो व्यक्तिवाद की भावना बढ़ जाती है और हावी हो जाती है। यह सामूहिकता की अवधारणा का विरोध करता है जिसे दुर्खीम जैसे समाजशास्त्री समाज की नींव के रूप में वर्णित करते हैं। लोगों के बीच व्यक्तिवाद/सामूहिकता जैसे व्यक्तिगत और पारस्परिक सामाजिक मूल्यों के बीच बड़े अंतर–सांस्कृतिक अंतर हैं। स्वतंत्रता व्यक्तिवाद की भावना लाती है जबकि अन्योन्याश्रितता सामूहिकता की भावना लाती है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के चलते सामूहिकता व्यक्तिवाद का स्थान ले रही है। सिद्धांतों और सबूतों ने बार–बार सुझाव दिया है कि यूरोपीय अमेरिकी सांस्कृतिक संदर्भों में व्यक्तिवाद या स्वतंत्रता अधिक बार देखी जाती है जबकि सामूहिकता या अन्योन्याश्रयता पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक संदर्भों में अधिक बार देखी जाती है।

हालाँकि, हाल के दशकों में वैश्वीकरण एक शक्तिशाली और अजेय शक्ति है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कृतियाँ एक–दूसरे को प्रभावित करती हैं। इस प्रक्रिया के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण क्रॉस–नेशनल या क्रॉस–सांस्कृतिक भेद छोटे होते जा रहे हैं। वैश्वीकरण देशों में लोगों, वस्तुओं, धन और सूचनाओं की अधिक गतिशीलता को सक्षम बनाता है। विशेष रूप से 1980 के दशक से, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और उद्यमों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हो रहा है, और बेहतर परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकियों में चल रहे विकास ने एक वैश्वीकृत दुनिया का निर्माण किया है।

वैश्वीकरण न केवल समाजों को अधिक अंतर्राष्ट्रीय बना रहा है, बल्कि अधिक पश्चिमी या यूरोपीय–अमेरिकीकृत भी बना रहा है। दरअसल, वैश्वीकरण को कभी–कभी अमेरिकीकरण या पश्चिमीकरण कहा जाता है क्योंकि लोग वैश्वीकरण को पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित मानते हैं। इसका मतलब है कि यूरोपीय अमेरिकी संस्कृति दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्कृतियों में से एक है जिसका अन्य संस्कृतियों पर गहरा प्रभाव है। वैश्वीकरण के कारण कई सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, विशेष रूप से पूर्वी एशियाई संस्कृतियों में, जो पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों, विचारों, प्रथाओं और प्रणालियों के प्रसार से प्रभावित हुए हैं। व्यक्तिवाद का प्रसार परिवर्तन की इस प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रतीक है

टिप्पणी

ट्रायंडिस के अनुसार, "व्यक्तिवाद एक सामाजिक प्रतिमान है जिसमें शिथिल रूप से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं जो खुद को सामूहिकता से स्वतंत्र मानते हैं"। यह सबसे प्रभावशाली "वैश्विक मूल्यों" में से एक है। महत्वपूर्ण रूप से, व्यक्तिवाद को लंबे समय से यूरोपीय अमेरिकी सांस्कृतिक संदर्भों द्वारा बढ़ावा दिया गया है। उदाहरण के लिए, वेबर ने प्रोटेस्टेंट नैतिकता में निहित व्यक्तिवाद का उल्लेख किया। सामाजिक मानदंडों और सामूहिक भावना के नियंत्रण में कमी व्यक्तिवाद को जन्म देती है।

व्यक्तिवाद का व्यक्तियों के साथ–साथ समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिवादी प्रणालियाँ व्यक्तियों को स्वायत्तता से कार्य करने और स्वतंत्र रूप से चुनने में सक्षम बनाती हैं, उच्च सामाजिक गतिशीलता के साथ, जैसे कि बातचीत करने के लिए वांछनीय व्यक्तियों को चुनने में सक्षम होना, जिससे खुशी बढ़ती है। इसके अलावा, व्यक्तिवादी संस्कृतियों में लोगों में आत्म–प्रभावकारिता की प्रबल भावना हो सकती है। वे खुद को न केवल आत्मनिर्भर, बल्कि सशक्त भी महसूस करते हैं।

हालांकि, ऐसे व्यक्तिवादी सिस्टम या वातावरण के संभावित नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। विशेष रूप से, व्यक्तिवादी व्यवस्था लोगों को व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित करती है, जो व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करती है। इन प्रणालियों के परिणामस्वरूप उच्च सामाजिक गतिशीलता, आत्म निर्भरता भी हो सकती है जो कभी–कभी उच्च सामाजिक चिंता का कारण बनती है। इसके अलावा, व्यक्तिगत उपलब्धियों पर केंद्रित ध्यान पारस्परिक संबंधों पर एक महत्वपूर्ण लागत वहन कर सकता है।

संस्कृति का वैश्वीकरण इस व्यक्तिवाद को संस्कृति में निहित कर रहा है जो सामूहिकता को बहुत प्रभावित कर रहा है। समाजशास्त्री कभी–कभी कल्पना करते हैं कि इसमें एक ओर आर्थिक प्रगति की प्रवृत्ति है और दूसरी ओर सामाजिक विनाश की। मनुष्य आत्म–संतुष्ट हो जाता है और परोपकारी भावना जल्द ही कम हो जाती है जिससे समाज का पतन हो जाता है। यह सामाजिक संबंधों को कमजोर करता है जिसे मैक आइवर समाज के बाध्यकारी चरित्र के रूप में वर्णित करता है। बढ़ते व्यक्तिवाद के कारण, व्यक्तिगत पसंद सामूहिक हित पर हावी हो जाती है। इससे सामाजिक बंधन टूटता है। व्यक्तिवाद सामाजिक एकता और एकीकरण के लिए हानिकारक हो जाता है। व्यक्तियों पर समाज का नियंत्रण अपनी शक्ति खोने लगता है।

व्यक्तिवाद एक नई पहचान को जन्म देता है। कई स्थितियों में, वैश्वीकरण और आधुनिकता का अर्थ है एक निश्चित समुदाय के लिए अपनेपन की भावना का पतन। अपनेपन की सुरक्षित भावना के खोने से एक डर पैदा होता है जिससे एक नई पहचान का जन्म होता है। वैश्वीकृत समाज में व्यक्तिवाद, आत्म–विकास और आत्म–चयन पर जोर देने के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत पहचान का परिवर्तन हुआ है। यह व्यक्तियों के लिए अपनी पहचान को मजबूत करने और निर्माण करने और समाज में अपना स्थान खोजने के लिए और अधिक कठिन बना देता है। पारंपरिक समाजों के विपरीत जहां पहचान निर्माण दिया गया था, अब पहचान एक ऐसी प्रक्रिया है जो ज्यादातर व्यक्ति पर ही निर्भर करती है।

टिप्पणी

कुछ स्पष्ट मामलों का हवाला देते हुए जापानी संस्कृति का संदर्भ दिया जा सकता है। वैश्वीकरण के माध्यम से, जापानी समाज यूरोपीय अमेरिकी संस्कृतियों से प्रभावित हुआ है। यह जापानी समाज के उन पहलुओं के लिए विशेष रूप से सच है जो यूरोपीय अमेरिकी संस्कृतियों से आयातित व्यक्तिवादी प्रणालियों को अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए, जापान में पे–पर–परफॉर्मेंस सिस्टम शुरू करने वाली कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि हाल ही में स्कूलों में बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने वाली शिक्षा पर जोर दिया गया है। जापान में व्यक्तिवादी वातावरण की वृद्धि के साथ, लोग कुछ मामलों में अधिक व्यक्तिवादी भी हो गए हैं। उदाहरण के लिए, परिवार के औसत आकार में कमी आई है, तलाक की दर में वृद्धि हुई है, और बाल समाजीकरण में स्वतंत्रता को अधिक प्राथमिकता दी गई है। यह पारंपरिक सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे आवास, सहयोग, विवाह, परिवार, शिक्षा, धर्म, सहयोग के सामाजिक मूल्यों, सहिष्णुता, सहानुभूति, सहानुभूति आदि जैसी सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करता है।

पूरी दुनिया में, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण, यह बढ़ता हुआ व्यक्तिवाद लोगों को अन्योन्याश्रित संबंधों से दूर कर रहा है। कई पूर्व वैश्वीकृत समाजों में पारस्परिक संबंध खुशी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। व्यक्तिवाद के उदय के साथ स्वार्थ बढ़ रहा है और अलगाव और अकेलेपन की भावना बढ़ रही है। परिवार अपनी देखभाल करने वाली भूमिकाएँ छोड़ रहे हैं। सामाजिक संपर्क गहराई और आयामों में घट रहा है। अलगाव एक बढ़ता हुआ सामाजिक सिंड्रोम है। इस प्रकार अधिक व्यक्तिवादी बनने से पारंपरिक सांस्कृतिक व्यवस्था में खुशी कम हो जाती है।

इस प्रकार जापान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे कई पूर्वी एशियाई देशों पर सांस्कृतिक संदर्भों में बढ़ते व्यक्तिवाद का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संस्कृति पर कई अध्ययनों ने स्थापित किया है कि पूर्वी एशियाई देशों में पारंपरिक रूप से अन्योन्याश्रित या सामूहिक सांस्कृतिक मानदंड हैं। व्यक्तिवाद लोगों के लिए एक नया सांस्कृतिक वातावरण बनाता है। यह उनकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों और मूल्यों को प्रभावित करता है। इस सन्दर्भ में यहाँ यह उल्लेखनीय हो जाता है कि व्यक्तिवाद के कारण जब व्यक्तियों की आत्म–प्रभावकारिता बढ़ती है तो धार्मिक विचार मानवता पर अपना नियंत्रण खो देते हैं। इसलिए, गैर–पश्चिमी संस्कृतियों के लिए पर्यावरण पर व्यक्तिवाद के नकारात्मक प्रभावों को रोकना मुश्किल बना हुआ है।

निःसंदेह व्यक्तिवाद के सकारात्मक परिणाम होते हैं। यह व्यक्तियों को आत्मनिर्भर, उद्यमी और जोखिम लेने वाला बनाता है। यह उन्हें अभिनव और प्रगतिशील बनाता है। लेकिन क्योंकि यह गैर–पश्चिमी संस्कृतियों के लिए अलग है, कभी–कभी यह खराब अनुकूलन पैदा करता है। मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच सहजीवन खो गया है। इससे सामाजिक विचलन होता है।

इसलिए, कई देशों और संस्कृतियों ने वैश्वीकरण के युग में बढ़ते व्यक्तिवाद के रूप में इस सांस्कृतिक प्रभाव के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया है। उनके लिए, विकास कम बाजार केंद्रित होना चाहिए, लेकिन अधिक मानव उन्मुख होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पारस्परिक संबंधों को महत्व देना शुरू कर दिया है, सामूहिक भावनाओं और परिवारों, समुदायों, स्कूलों और धार्मिक संगठनों जैसे संस्थानों को व्यक्तिवाद के बढ़ते

टिप्पणी

प्रभावों को कम करने के लिए सामूहिक भावनाओं को विकसित करने के लिए ट्यून और मजबूत किया जाता है। आत्म–पूर्ति और घनिष्ठ सामाजिक एकीकरण के माध्यम से लोगों को जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने के लिए मानव सुख को राष्ट्रीय लक्ष्य बनाया गया है।

वैश्वीकरण आज एक आवश्यक बुराई है। सांस्कृतिक प्रभावों से बचा नहीं जा सकता। लेकिन इसके दुष्परिणामों को कम करने के लिए बढ़ते हुए व्यक्तिवाद को उच्च स्तर की परस्पर संबद्धता और परोपकारिता के साथ संतुलित करने के लिए विकल्पों की खोज की जानी है।

3.2.4 उपभोक्तावाद

चल रहे वैश्वीकरण का उद्देश्य विविधता के लिए कोई गुंजाइश छोड़े बिना दुनिया भर में सांस्कृतिक एकरूपता लाना है। यह अमेरिकी संस्कृति और जीवन शैली को हर जगह थोपना चाहता है। अमेरिकी संस्कृति जो उपभोक्तावादी है, अन्य देशों में तेजी से फैल रही है और वैश्वीकरण के बाद के प्रभाव के रूप में बढ़ते उपभोक्तावाद का परिदृश्य है।

वैश्वीकरण पूँजीवादी संस्कृति को बढ़ावा देता है। अत्यधिक व्यावसायीकरण के तहत पूंजीवाद पनपता है। पूंजीवाद के तहत, लाभ को अधिकतम करने के लिए जितना संभव हो उतना बेचना है। उत्पादों की उपलब्धता और गुणवत्ता उपभोक्ता की पसंद को बढ़ाती है। ऐसा करने के लिए, विज्ञापन उत्पाद के बारे में ज्ञान का प्रसार करने के लिए नहीं बल्कि इस तथ्य के आधार पर माँग पैदा करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि इसके उपभोग से समाज की नजर में उपभोक्ता की स्थिति में वृद्धि होगी। फैशन शो, ब्यूटी क्वीन का चयन, जाने–माने मॉडलों, खिलाड़ियों, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को रोजगार देना आदि संभावित उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के तरीके हैं। समाचार–पत्रों, फिल्मों, रेडियो और केबल टेलीविजन की बढ़ती पहुँच के साथ, संभावित उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए विज्ञापन की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। ऋण की आसान उपलब्धता, आकर्षक खरीद योजनाएं और क्रेडिट कार्ड सुविधाएं लोगों को अपनी इच्छाओं को माँग में बदलने में सक्षम बनाती हैं।

उपभोक्ता संस्कृति के तहत, उपभोग को आत्म–अभिव्यक्ति का प्रमुख रूप और किसी की पहचान को प्रदर्शित करने का प्रमुख स्रोत माना जाता है। जब उपभोक्तावाद एक संस्कृति की अभिव्यक्ति के रूप में हावी हो जाता है, तो भौतिक और गैर–भौतिक दोनों वस्तुएं, जिसमें रिश्तेदारी, स्नेह, कला और बुद्धि शामिल हैं, वस्तु बन जाती हैं। सब कुछ विनिमय मूल्य के संदर्भ में मापा जाता है। उत्पादों के बीच मामूली अंतर या उनमें मिनट सुधार मांग में भिन्नता निर्धारित कर सकते हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव में 'ब्रांड नाम' खपत का निर्धारण करते हैं और उपभोग के पैटर्न के आधार पर वर्ग भेदभाव किया जाता है। सरल भाषा में कहें तो 'स्वाद', 'फैशन' और 'जीवनशैली' वर्ग को विस्थापित करने वाले सामाजिक भेदभाव के प्रमुख स्रोत बन जाते हैं।

मोटे तौर पर, उपभोक्ता संस्कृति के वैश्विक होने और किसी व्यक्ति को प्रभावित करने और उस पर हावी होने के तरीके के बारे में दो विचार हैं। सबसे पहले, व्यक्तिगत पहचान संस्कृति से जुड़ी होती है। पूंजीवाद लोगों को उनकी आत्म–छवियों, उनकी जरूरतों की संरचना को बदलकर उपभोक्ताओं में बदल देता है ताकि वे पूंजीवादी संचय

टिप्पणी

की सेवा कर सकें। दूसरा, घटना, जिसे 'मैकडॉनल्डाइज़ेशन' के रूप में जाना जाता है, दूसरे दृष्टिकोण का गठन करती है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा फास्ट फूड रेस्तरां श्रृंखला मैकडॉनल्ड्स के सिद्धांत तेजी से पूरी दुनिया को अपने पाले में ला रहे हैं। उनमें दक्षता शामिल है (आदेश देने और उसके निष्पादन के बीच घटते अंतर में व्यक्त); परिकलनीयता (उत्पाद की गुणवत्ता के बजाय पैसे, समय और प्रयास के संदर्भ में लागत की एक उपभोक्ता द्वारा गणना द्वारा इंगित); पूर्वानुमेयता (उत्पादों का मानकीकरण ताकि उपभोक्ता का विश्वास जीता जा सके); और भौतिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से मनुष्य का नियंत्रण। यह जीवन शैली, सांस्कृतिक प्रतीकों और व्यवहार के तरीकों के एकीकरण की ओर बढ़ती प्रवृत्ति का परिणाम है।

हालाँकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भले ही उपभोक्तावाद बढ़ रहा हो, उपभोक्ताओं की संप्रभु शक्तियाँ वापस ले ली जाती हैं और उन्हें विनम्र अनुरूपवादी बना दिया जाता है। पोशाक, आहार में मानकीकरण इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैक डोनाल्ड्स और पिज्जा हट्स में निश्चित मेनू और एडिडास, प्यूमा में मानकीकृत उत्पादन और बिक्री अक्सर उपभोक्ताओं की पसंद की उपेक्षा करते हैं और उन्हें निश्चित मेनू और निश्चित शैलियों में डालते हैं।

खपत के क्षेत्र में, दो विकास सामने आए हैं। वे हैं, बड़े पैमाने पर फैशन की गतिशीलता (अभिजात वर्ग के विपरीत) बाजार, जो न केवल पोशाक, अलंकरण और सजावट में खपत की गति को तेज करने में मदद करता है बल्कि जीवन–शैली और मनोरंजक गतिविधियों के व्यापक स्पेक्ट्रम में भी मदद करता है (अवकाश और खेल की आदतें, पॉप संगीत शैलियों, वीडियो और बच्चों के खेल, और इसी तरह) और दूसरी बात, किसी व्यक्ति की उपभोग टोकरी में वस्तुओं की तुलना में सेवाओं का महत्व लगातार बढ़ता जाता है। इन सेवाओं की एक विस्तृत विविधता है, जिसमें व्यक्तिगत, व्यावसायिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर मनोरंजन तक शामिल हैं। वस्तुओं और सेवाओं के जीवन काल को छोटा कर दिया जाता है ताकि मांग की मात्रा उत्पादन की मात्रा से बहुत कम न हो। लाइफ टाइम परचेज कल्चर पर यूज एंड थ्रो कल्चर हावी है।

एक वैश्वीकृत दुनिया के तहत, वस्तुओं या सेवाओं का निर्माता अपने माल के संभावित उपभोक्ताओं के स्वाद, फैशन और दृष्टिकोण में हेरफेर करने की कला और विज्ञान में महारत हासिल करता है।

वर्तमान वैश्वीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता उपभोक्ता ऋण समाज का आगमन है। क्रेडिट कार्ड के आने तक, उसके पास उपलब्ध नकदी या ऋण लेने की उसकी क्षमता व्यक्ति की खपत को सीमित कर देती थी। इस सीमा को बढ़ाने में क्रेडिट कार्डों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक व्यक्ति अब सामान और सेवाएं खरीद सकता है, भले ही उसके पास नकदी न हो या तुरंत ऋण हासिल करने की संभावना न हो। क्रेडिट कार्ड ने उपभोक्तावाद को जबरदस्त बढ़ावा दिया है और परिवारों को कर्ज में धकेल दिया है।

वैश्वीकरण के नए युग को 'सूचना समाज', 'उपभोक्ता समाज', 'उत्तर–आधुनिकता', 'उत्तर–आधुनिकतावाद', 'उत्तर–औद्योगिक समाज', 'उत्तर–पूंजीवाद' आदि के रूप में जाना जाता है। इन सभी प्रकार के समाजों पर अमेरिकी संस्कृति का प्रभुत्व है, अर्थात्

टिप्पणी

संगीत, फिल्म, फैशन, भोजन और जीवन शैली पूरे विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है और कठोर उपभोक्तावाद को अंकुरित करने के लिए जिम्मेदार है। हाई वोल्टेज विज्ञापनों की मदद से इनका प्रमोशन किया गया है। अब जरूरतों को पूरा करने के लिए माल का उत्पादन नहीं किया जाता है। लेकिन, सामान बेचने के लिए जरूरतें पैदा की जाती हैं। यह उपभोक्तावाद के उच्च स्तर का प्रतीक है।

वैश्वीकरण के वर्तमान युग द्वारा प्रचारित प्रौद्योगिकी और वस्तुओं और सेवाओं के गहरे उपभोक्तावादी निहितार्थ हैं। कोक या पेप्सी जैसे पेय पदार्थ चाय या कॉफी का विकल्प बन जाते हैं। धर्म ने उपभोक्तावाद का सहारा लिया है। भारत में अध्यात्मवाद के विक्रेताओं ने टेलीविजन चैनलों के माध्यम से नए अनुयायियों की तलाश और पुराने लोगों को एक साथ रखकर अपनी शक्ति और व्यापकता को स्वीकार किया है।

उपभोक्तावाद ने समाजीकरण के एजेंडे में प्रवेश कर लिया है। कई चैनल, उनमें से सबसे प्रमुख कार्टून नेटवर्क, बच्चों को आकर्षित करने और उन्हें उत्पादों के समर्पित उपभोक्ताओं के रूप में तैयार करने के लिए समर्पित हैं, जो नियमित रूप से हर पंद्रह मिनट में या "छोटे वाणिज्यिक ब्रेक" के दौरान विज्ञापित होते हैं। जीवन में जल्दी बनने वाली आदतें बाद में छोड़ना मुश्किल होता है।

टेली–मार्केटिंग हो या टेली–शॉपिंग, ई–मार्केटिंग को जोर–शोर से बढ़ावा दिया जा रहा है। खरीदार संबंधित विवरणों को देखने के बाद, टेलीफोन या इंटरनेट के माध्यम से वांछित सामान के लिए ऑर्डर दे सकते हैं और उन्हें डिलीवर कर सकते हैं। यह उपभोक्तावाद की प्रथा को कायम रखता है।

वैश्वीकरण के बाद की दुनिया एक उच्च खपत वाली दुनिया है। उपभोक्तावाद आज व्यक्ति के जीवन का अंग बन गया है और विश्व संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। लेकिन, इससे गरीबी बढ़ गई है। गरीबी केवल भौतिक नहीं है, बल्कि भावनात्मक, संबंधपरक गरीबी है। व्यावसायीकरण, निगमीकरण, तकनीकी नवाचारों ने सहयोग और सामूहिकता की कीमत पर उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है। दुनिया आध्यात्मिक रूप से दरिद्र होती जा रही है। उपभोक्तावाद कामुक आनंद को भड़काता है। लोग अपनी उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए हिंसा, भ्रष्टाचार में भी लिप्त होते हैं।

मानव स्वाद और फैशन को पश्चिमी उत्पादों के उपभोग के अनुकूल बनाया गया है। इसके द्वारा पश्चिमी देश अपने लिए बाजार पर कब्जा करते हैं और उसका विस्तार करते हैं। उपभोक्तावाद चल रहे वैश्वीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन शैली के विकल्प उपभोक्तावाद के केंद्र में हैं क्योंकि सपनों की मार्केटिंग वास्तविक जरूरतों पर की जाती है।

रीबॉक या नाइकी, कैमल या मार्लबोरो, मैकडॉनल्ड्स या केंटकी फ्राइड चिकन, कोका कोला या स्प्राइट, लेवी–स्ट्रॉस या रैंगलर की विज्ञापन इमेजरी की शक्ति ने इन उत्पादों को हर जगह बेचना आसान बना दिया है। ये उत्पाद वैश्विक मीडिया का उपयोग करते हैं जो केंद्रीय आर्थिक भूमिका निभाते हैं। आज, रोजमर्रा की जरूरतों के उत्पाद और वैश्विक मीडिया नए उपभोक्ताओं पर कब्जा करने या उपनिवेश बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

1. निम्न में से कौन वैश्वीकरण के लोकाचार का एक घटक है?
   (क) व्यक्तिवाद (ख) स्वतंत्रता
   (ग) उपभोक्तावाद (घ) उपर्युक्त सभी
2. वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण निम्न में से कौन–सा कल्चर हावी हो रहा है?
   (क) लाइफ टाइम परचेज कल्चर (ख) फर्स्ट सेव बाई लेटर कल्चर
   (ग) यूज एंड थ्रो कल्चर (घ) इनमें से कोई नहीं

3.3 अमेरिकी मूल्य प्रणाली का प्रसार और संरक्षण एवं मीडिया

अमेरिकी मूल्य प्रणाली के अर्थ, विशेषताओं, प्रसार, संरक्षण एवं मीडिया को क्रमशः इस प्रकार समझा जा सकता है–

3.3.1 अमेरिकी मूल्य प्रणाली का अर्थ व विशेषताएं

संयुक्त राज्य अमेरिका को आधुनिक संघवाद का जनक कहा जाता है, कारण आधुनिक संघवाद का गृह अमेरिका है, वहीं से यह विकसित होकर, विश्व के अन्य देशों में पहुंचता है। वस्तुतः संघात्मक व्यवस्था अमेरिका की अभूतपूर्व उपलब्धि है। अर्थात् न्यूमैन के शब्दों में– "ब्रिटिश संसद को जिस प्रकार से संसदों की जननी कहा जाता है, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका को, संघात्मक शासन–व्यवस्था का पिता कहा जा सकता है।" इसी तरह सी.एफ. स्ट्रांग ने कहा है– "संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संसार में सर्वाधिक संघीय है।" यहां की संघीय प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए ब्राइस ने कहा है कि "अमेरिकी जनता इस बात पर बहुत पहले से सहमत हो गई थी कि, उनके देश के लिए सरकार का रूप संघीय हो।" वस्तुतः अमेरिकन संविधान की यह मुख्य विशेषता है कि इसने राज्यों की स्वायत्तता (Autonomy) की रक्षा करते हुए, देश में एकता स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय सरकार की स्थापना की है। विभिन्नता में एकता अमेरिकन संविधान की एक अनुपम देन है।

1787 के संविधान से पहले वहां परिसंघ (राज्य मण्डल) था। इस राज्यमण्डल के अंतर्गत 13 अमेरिकी राज्य थे, जो स्वतंत्र थे और जिनमें प्रभुसत्ता अलग–अलग राज्यों के पास थी। लेकिन, यह राज्यमण्डल एक ढीला–ढाला संघ था। इनके बल पर वे आर्थिक अस्थिरता (Economic Instability) को नियंत्रित नहीं कर पाए थे। फिर 13 अमेरिकी राज्यों के प्रतिनिधि 'फिलाडेल्फिया' में एकत्र हुए और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्तमान (1787) संविधान बनाया। यही संविधान 1789 में लागू हुआ। यही सही अर्थ में एक संघ था, जिसमें संघीय सरकार और राज्यों को मिल–जुलकर कानूनी शक्तियों का प्रयोग करना था। संघ तथा राज्यों के सतर पर प्रत्येक स्तर को एक–दूसरे से स्वाधीन रहकर अपनी–अपनी सत्ता (Authority) का प्रयोग करना था अर्थात् 1887 के संविधान के अनुसार राज्यों ने अपनी प्रभुसत्ता संघ को सौंप दी है और

टिप्पणी

यह संविधान में निहित है। इसलिए अब संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य, प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं रहे हैं। इस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में जो संघ बना, वह इसे एक सुदृढ़ राज्य के रूप में संगठित करने में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। वस्तुतः अमेरिका में संघों का निर्माण "सम्मेलन की प्रक्रिया" से हुआ है।

अमेरिकी संघीय व्यवस्था के लक्षण या विशेषताएं

अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित लक्षण या विशेषताएं देखी जा सकती हैं–

1. **संविधान की सर्वोच्चता** (Supremacy of the Constitution)– अमेरिका की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत, 'संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत' अपनाया गया है। संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख अनुच्छेद 9 में किया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी कानून संविधान के विरुद्ध है, वे लागू नहीं हो सकेंगे। अर्थात्, अनुच्छेद 6 में स्पष्ट कर दिया गया है कि– "यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जानेवाली सभी संधियां, देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे संबद्ध होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात, जो इस संविधान के विरुद्ध होगी, अवैध समझी जाएगी।"
2. **स्वतंत्र तथा सशक्त न्यायपालिका** (Independent and Strong Judiciary) **अर्थात् न्यायपालिका की सर्वोच्चता**– शक्ति विभाजन की रक्षा के लिए तथा इस विचार से भी केन्द्र का शासन, राज्यों के शासन का अतिक्रमण न कर ले, अमेरिका में सशक्त और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रक्षा की व्यवस्था है। अर्थात्, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के विरुद्ध पारित अधिनियमों को अवैध घोषित कर देता है। केंद्र तथा राज्यों के संवैधानिक झगड़ों का निर्णय करता है। 'न्यायिक पुनर्विलोकन', अमेरिकी संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। "मारबड़ी बनाम मैडिसन" नामक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता दी थी।"
3. **दो स्तरों पर शासन संचालन**– अमेरिकी शासन व्यवस्था दो स्तरों पर संचालित होती है– केंद्रीय स्तर व राज्यों के स्तर पर।
4. **दोहरी नागरिकता** (Citizenship)– अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। वहां संघ और राज्यों, दोनों में नागरिकता प्रदान करने का अधिकार है। अमेरिका का नागरिक एक साथ दोहरी नागरिकता ग्रहण करता है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक होने के साथ–साथ उस राज्य विशेष का नागरिक होता है, जिस राज्य में वह निवास करता है। संविधान के अनुच्छेद 4 भाग 2 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के नागरिकों को विविध राज्यों में सब विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियां (Immunities) प्राप्त होंगी।
5. **द्विसदनीय विधानमण्डल** (Bi-cameral Legislature)– संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न छोटे–बड़े राज्यों के दावों का समंजन अथवा मेल करने के लिए दो सदनों की व्यवस्था की गई है। पहले सदन का नाम 'प्रतिनिधि सदन' है तथा

टिप्पणी

दूसरे का नाम 'सीनेट' है। प्रतिनिधि सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर दिया गया है। इससे बड़े राज्यों को लाभ पहुंचता है। दूसरे सदन में प्रत्येक बड़े और छोटे राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रत्येक राज्य को इसमें दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। छोटे राज्यों को संतुष्ट करने के लिए सीनेट को प्रतिनिधि सदन से भी अधिक शक्तिशाली बनाया गया है।

6. **शक्तियों का वितरण** (Decentralization of power)– संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत कुछ शक्तियां संघ सरकार को सौंपी गई हैं और अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकार में निहित कर दी गई हैं। संघ और राज्य में शक्तियों के विभाजन के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं–
   (क) संविधान में संघ की शक्तियों का उल्लेख कर दिया गया है।
   (ख) विशिष्ट अधिकार राज्यों को सौंप दिए गए हैं।
   (ग) संविधान द्वारा कुछ अधिकारों के संबंध में राज्यों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। संविधान के 10वें संशोधन में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि वे शक्तियां जो संघ को नहीं सौंपी गई हैं और जो राज्य के लिए प्रतिबंधित नहीं की गई हैं, राज्य या लोगों के लिए सुरक्षित रहेंगी।
   (घ) कुछ शक्तियां समवर्ती हैं। उनका प्रयोग संघीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही कर सकती हैं।

7. **राज्यों के अपने संविधान** (Self constitution of states)– अमेरिका के संघीय संविधान में राज्यों का संविधान शामिल नहीं है। राज्यों को संघीय सीमाओं में रहते हुए, अपना अलग–अलग संविधान बनाने का अधिकार है। शर्त केवल यह है कि वह संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए और न ही राज्य संविधान में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अतिरिक्त और कोई शासन–पद्धति अपनाई जाएं। राज्यों के संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार या तो वहां के विधानमंडल को है अथवा जनता को है।

8. **राज्यों की प्रादेशिक अखंडता, अनुल्लंघनीय** (Inviolability of the territorial integrity of states)– अमेरिकी संघीय व्यवस्था में प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने के लिए, संविधान के अंतर्गत आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुभाग 3 के अनुसार, किसी राज्य में उसकी सहमति के बिना, न तो उसके भू–भाग का कोई हिस्सा बाहर निकाला जा सकता है और न ही दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का रूप दिया जा सकता है।

9. **सांविधानिक संशोधन में राज्यों की शक्तियां** (Powers of states in constitutional amendment)– अमेरिका में, संघीय संविधान में संशोधन के लिए संघ तथा राज्यों को बराबर अधिकार दिया गया है। संघीय कांग्रेस द्वारा पारित संशोधन अधिनियम तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक तीन चौथाई राज्यों का उस पर अनुसमर्थन प्राप्त न हो। इतना ही नहीं, राज्यों को संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का भी अधिकार है।

टिप्पणी

10. **इकाइयों के लिए गणतांत्रिक व्यवस्था**– अमेरिका के संविधान के चतुर्थ अनुच्छेद में, राज्यों की शासन व्यवस्था के स्वरूप का भी उललेख कर दिया गया है। संविधान के द्वारा संघ सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह राज्यों के लिए गणतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करने तथा उसे बरकरार रखने का प्रयास करेगी।

11. **राज्यों के राज्यपालों का चुनाव** (Election of the Governors of states)– संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत की तरह राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, वहां के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। उसको राष्ट्रपति हटा भी नहीं सकते। उनको वहां का विधानमण्डल केवल महाभियोग द्वारा ही हटा सकता है।

12. **संयुक्त राज्य अमेरिका की इकाइयां** (Unit of the United Status of America)– संघ निर्माण के समय उसमें केवल 13 राज्य सम्मिलित थे। आज अमेरिका में 50 राज्य हैं।

13. **संघ तथा राज्यों के लिए अलग–अलग न्यायपालिका की व्यवस्था**– अमेरिकी शासन व्यवस्था के इन लक्षणों के आधार पर इसे संघीय शासन व्यवस्था कहने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इन तथ्यों के आलोक में ही, 'सी.एफ. स्ट्रांग' ने कहा है– "संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सर्वाधिक पूर्ण संघात्मक संविधान है।" के.सी. ह्वीयर ने इसे 'अदृश्य राज्य' की संज्ञा दी है।

केंद्र को प्रदत्त शक्तियां

संविधान द्वारा कुछ निश्चित शक्तियां केवल संघीय सरकार को दी गई हैं और इस पर एकमात्र अधिकार केंद्रीय सरकार का ही रहता है। ये शक्तियां निम्न हैं–

(i) कर चुंगी, आबकारी कर और लगान को लगाना तथा एकत्रित करना।

(ii) ऋण अदा करना।

(iii) संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा की व्यवस्था करना।

(iv) देश कल्याण का प्रबंध करना।

(v) विदेशी राष्ट्रों से, राज्यों के व्यापार को नियंत्रित करना।

(vi) देशीकरण द्वारा विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना।

(vii) मुद्रा निर्माण तथा मुद्रा का मूल्य निश्चित करना।

(viii) डाकघर स्थापित करना।

(ix) कला साहित्य तथा विज्ञान के विकास के लिए कार्य करना।

(x) सारे देश के लिए प्रमाणित माप–तोल का निश्चय करना।

(xi) सर्वोच्च न्यायालय के नीचे, निम्न अदालतों की स्थापना करना।

(xii) सेना का संगठन करना।

(xiii) युद्ध की घोषणा करना।

(xiv) राजधानी से 10 मील क्षेत्र के भीतर के प्रशासन की व्यवस्था करना।

(xv) राज्यों में सेना के लिए अफसरों की नियुक्ति करना।

"मैं समझता हूं कि संविधान की नींव इस आधार पर खड़ी है कि वे सभी शक्तियां, जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं और न वे शक्तियां राज्यों या जनता के पास सुरक्षित हैं। कांग्रेस के चारों ओर विशेष रूप से खींची गई सीमाओं के बाहर एक कदम भी आने का अर्थ, शक्ति के असीमित क्षेत्र पर अधिकार करना है।"– अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जैफरसन के शब्द।

टिप्पणी

संघ के अधिकार को सीमित करने वाली शक्तियां

संविधान के अनुच्छेद भाग 9 के प्रथम दस संशोधनों के अनुसार, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्रीय सरकार विधि निर्माण नहीं कर सकती। ये शक्तियां निम्नलिखित हैं–

(i) जनता, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की वृद्धि तथा तलाशी के गैर–कानूनी प्रयोग से स्वाधीन रहेगी।

(ii) 20 डालर से अधिक से भी मुकदमे, जूरी द्वारा सुना जाना।

(iii) बहुत अधिक जमानत, दण्ड या जुर्माना नहीं लिया जा सकता।

(iv) शांतिकाल में, किसी सैनिक को स्वामी की इच्छा के विरुद्ध, उसके घर में नहीं रखा जा सकता है।

(v) वह किसी धर्म को स्थापित करने तथा किसी धर्म का अंत करने के लिए नियम निर्माण नहीं कर सकती।

(vi) वह भाषण तथा प्रेस की स्वतंत्रता कम नहीं कर सकती।

(vii) वह 'जूरी' के अभाव में प्राणदंड के अपराधों का निर्णय नहीं कर सकती।

(viii) वह रंग, वंश या लिंग के आधार पर किसी को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती।

राज्यों के अधिकार

प्रो. मुनरो के अनुसार, राज्यों की मुख्य शक्तियां निम्नलिखित हैं–

(i) राज्यों को संधि करने तथा विदेशी संबंध स्थापित करने का अधिकार नहीं है।

(ii) मुद्रा निर्माण करने का अधिकार नहीं है।

(iii) शांतिकाल में सेना नहीं रखने का अधिकार है।

(iv) आक्रमण से पूर्व युद्ध करने का अधिकार नहीं है।

(v) दास प्रथा के प्रचलन का अधिकार नहीं है।

(vi) नागरिक अधिकार को कम करने का अधिकार नहीं है।

(vii) कानूनी कार्यवाही के अतिरिक्त और किसी ढंग से प्राण, स्वतंत्रता और सम्पत्ति के अपहरण का अधिकार नहीं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वैदेशिक विषयों पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है तथा राज्यों से सम्बद्ध विषयों पर नियम–निर्माण

का अधिकार है। यह व्यवस्था अत्यंत जटिल तथा पेचीदा होते हुए भी अमेरिकी शासन व्यवस्था में कार्यान्वित है।

टिप्पणी

अमेरिकी संघवाद की प्रकृति

अमेरिका की संघीय व्यवस्था की वास्तविक प्रकृति के संबंध में यह कहा जा सकता है कि यह परंपरागत लक्षणों पर आधारित विशुद्ध संघ नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में इतने उथल–पुथल हुए हैं कि इसके संघीय स्वरूप में मौलिक परिवर्तन हो गए हैं। कई समीक्षकों ने कहा है कि आज की संघीय व्यवस्था वह नहीं है, जो आज से 200 वर्ष पहले गठित हुई थी। कई विद्वानों ने तो यहां तक कहा है कि, अमेरिका में प्रारंभ से ही विशुद्ध संघवाद के लक्षणों का अभाव रहा है। अमेरिका की वर्तमान संघीय व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप केंद्रवाद पर आधारित है। संघ सरकार की सर्वोच्चता आज अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है।

केंद्रीकरण की प्रवृत्ति

प्रत्येक संघीय प्रणाली में, चाहे उसका प्रारंभिक रूप कैसा भी रहा हो, आज सभी में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यद्यपि संविधान निर्माताओं ने अमेरिका को एक कठोर संघात्मक व्यवस्था के ढांचे में ढाला था, तथापि परिस्थितियां इस प्रकार बदली हैं कि केंद्र की स्थिति अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती गई है और संघीय सरकार अत्यधिक शक्तिशाली बनती गई है। अर्थात् यद्यपि अमेरिका में प्रारंभ से राज्यों को ही अधिक शक्तियां सौंपी गई थीं, संघीय सरकार की शक्तियां निश्चित करके, शेष शक्तियां राज्यों को सौंपी गई थीं। परंतु समय के साथ आज अमेरिका में भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं–

(1) सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 'जॉन मार्शल' जो कि, स्वयं संघवादी था, उसने केंद्र की शक्तियों में असाधारण वृद्धि की, जो कि 1801 से 1835 तक इस पद पर रहे। 1803 में उन्होंने 'मारबरी बनाम मेडीसन' केस में संघीय न्यायालयों में संविधान की व्याख्या करने और कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को रद्द घोषित करने का अधिकार प्रदान किया। फिर इसी अधिकार के अंतर्गत 1819 में 'मेकलोच बनाम मेटीलैंड' केस में संविधान की व्याख्या करते हुए 'निहित शक्तियों के सिद्धांत' का विकास किया और केंद्र को अपनी शक्तियों के लिए साधन के रूप में अन्य शक्तियां भी अंतर्निहित हैं। एक शक्ति में ही अनेक शक्तियां निहित हैं।

(2) सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने भी केंद्र सरकार की शक्तियों में अपार वृद्धि की है।

(3) केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(4) विश्वयुद्ध व राष्ट्रीय संकटों ने, केंद्र की शक्तियों में वृद्धि की है।

(5) अमेरिका में गृह युद्ध (1861-65) के बाद से, संघ और राज्यों में सहकारिता की भावना में वृद्धि हुई है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। अमेरिका में आज मिल्टन का, 'राष्ट्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिद्वन्द्विता का सिद्धांत' समाप्त हो गया है।

(6) पिछले 100 वर्षों में राष्ट्रपति के पद की महत्ता व अधिकारों में जो वृद्धि हुई है, उससे भी केंद्र की शक्तियों में वृद्धि हुई है।

(7) विकास के कारण भी केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए 14वां संशोधन, नागरिकता का राष्ट्रीयकरण करता है और राज्यों पर कई प्रतिबंध लगाता है। 16वें संशोधनों द्वारा, केंद्रीय सरकार को आयकर लगाने का अधिकार दिया गया है।

टिप्पणी

उपर्युक्त कारणों से अमेरिकी संघ में, केंद्र की शक्तियों में असाधारण वृद्धि हुई है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि अमेरिका में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई है, आज भी अमेरिकी संघ के राज्य, किसी दूसरे संघ के राज्यों से, अधिक शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। केंद्र की शक्तियों में वृद्धि तो केवल समय की मांग है और अमेरिका तथा स्वयं इसके राज्यों के हित में भी है।

सहकारी संघवाद

अमेरिकी संविधान के अधिकांश लेखक एवं समीक्षक यह मानते हैं कि अमेरिकी संघीय व्यवस्था का आधार सहकारी संघवाद है। वहां संघ और राज्य, एक–दूसरे से बिल्कुल अलग–अलग होकर काम नहीं करते, वरन एक–दूसरे के पारस्परिक सहयोग के आधार पर काम करते हैं। न केवल संघ और राज्य एक–दूसरे के सहयोग से काम करते हैं, बल्कि वहां की सभी इकाइयों में भी पारस्परिक सहयोग की भावना होती है। इसके लिए संविधान में तथा संविधान से परे अनेक प्रावधान किए गए हैं।

संविधान द्वारा संघ और राज्य दोनों के लिए कुछ बाध्यताएं या दायित्व निर्धारित किए गए हैं। संविधान के चतुर्थ अनुच्छेद के अंतर्गत, संघ को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था की गारन्टी देगा। उसी प्रकार, राज्यों की प्रादेशिक अखण्डता को बरकरार रखने के लिए भी संघ सरकार बाध्य है। बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति या हिंसा की स्थितियों में राज्यों की सुरक्षा भी संघ सरकार का दायित्व है।

राज्यों के लिए भी अमेरिकी संविधान के अंतर्गत कुछ बाध्यताओं तथा कुछ दायित्वों का उल्लेख है। संविधान के अंतर्गत सभी राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वे एक–दूसरे के प्रति विश्वास तथा साख का भाव रखें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। अंतरराज्य–परिषद का गठन इसी उद्देश्य से किया गया था। उद्योग, कृषि, तकनीकी शिक्षा आदि के विकास में एक राज्य, दूसरे राज्य के साथ परस्पर सहयोग की भावना से मिल–जुलकर काम करते हैं। आज भी दुनिया में कोई भी देश शक्तियों के विभाजन को कठोरता के साथ लागू कर काम नहीं कर सकता है। सहकारी संघवाद आज के युग की मांग है।

अमेरिका में, विधियों की एकरूपता का अभाव तथा अत्यधिक व्यय के फलस्वरूप भी संघवाद की आलोचना की जाती है।

अनेक खामियों के बावजूद अमेरिकी संघ ने लंबे अर्से तक प्रतिकूल तूफानों को झेलते हुए अपने को बरकरार रखा है। यह सच है कि केंद्रीय शक्ति में वृद्धि हुई है, किंतु अमेरिका में संघवाद निष्प्राण नहीं हुआ है। वहां की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य

टिप्पणी

अब भी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं और उन्हें काफी स्वतंत्रता प्राप्त है। हम कह सकते हैं कि अमेरिकी संघ एक सहकारिता पूर्ण संघ व्यवस्था है, जिसमें राज्यों और केंद्रों का संबंध इस बात पर संचालित नहीं होता कि कौन किसके अधीन है, वरन वह इस पर संचालित होता है कि राष्ट्र के हित में दोनों का सहयोग किस प्रकार चल सकता है। इसके अलावा, हम यह भी कह सकते हैं कि संघीय सरकार अब केवल केंद्रीय सरकार नहीं रह गयी, वह राष्ट्रीय सरकार बन गई है। अतः ग्रीफीक ने ठीक ही कहा है कि– "हम सच्ची संघीय पद्धति में नहीं रह रहे हैं।"

दोष

अमेरिकी संघवाद के विभिन्न दोषों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित रूपों में उसकी आलोचनाएं की गई हैं–

1. आलोचकों की दृष्टि में अमेरिकी संघ में अधिकारों का विभाजन स्थायी रूप से संतोषजनक नहीं है।
2. अमेरिकी संघ में अधिकारों के विभाजन से अनावश्यक विलंब और अवरोध उत्पन्न होता है। आपातकाल में, अधिकारियों को शीघ्र निर्णय लेने में कठिनाई होती है।

3.3.2 अमेरिकी मूल्य प्रणाली : प्रसार, संरक्षण व मीडिया

संयुक्त राज्य अमेरिका, एक बहुलवादी समाज, कई अलग–अलग समूहों से बना है। वे विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं, धर्मों और नस्लीय–जातीय समूहों के साथ–साथ अनगिनत हजारों रुचि समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बार्बी गुड़िया और शिकार बटेर को इकट्ठा करने जैसी विविध गतिविधियों के आसपास केंद्रित हैं।

लेकिन हम मूल मूल्यों (मैक्रो–स्तरीय गैर–भौतिक संस्कृति) को साझा करते हैं। इन मूल्यों को आम तौर पर "अमेरिकी तरीका" माना जाता है और स्कूली बच्चों को नैतिकता और अच्छे चरित्र के संकेत के रूप में सिखाया जाता है। मीडिया प्रस्तुतियों, राजनीतिक भाषणों और कार्यस्थल में उन पर विश्वास करने के लिए हम सभी का समाजीककरण किया जाता है। समाजशास्त्री रॉबिन विलियम्स ने पहली बार 1965 में इन मूल्यों की पहचान की।

1. **व्यक्तिवाद ("लगातार दृढ़ता")**– अमेरिकियों ने पारंपरिक रूप से बेशकीमती सफलता हासिल की है जो व्यक्तिगत प्रयास और पहल से आती है। वे इस आदर्श को संजोते हैं कि एक व्यक्ति समाज के निचले हिस्से से ऊपर की ओर उठ सकता है।
2. **उपलब्धि और सफलता ("सफलता पर जोर")**– अमेरिकी व्यक्तिगत उपलब्धि पर एक उच्च मूल्य रखते हैं, विशेष रूप से दूसरों को पछाड़ते हुए। इस मूल्य में काम और स्कूल में आगे बढ़ना और धन, शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करना शामिल है।
3. **गतिविधि और कार्य ("काम के लिए काम")**– अमेरिकियों को उम्मीद है कि लोग कड़ी मेहनत करेंगे और काम पर न होने पर भी किसी गतिविधि में व्यस्त रहेंगे।

टिप्पणी

4. **दक्षता और व्यावहारिकता**– अमेरिकी चीजों को कुशलतापूर्वक करने के लिए उच्च अंक प्रदान करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी, अमेरिकी चीजों को तेजी से करना महत्वपूर्ण मानते हैं, और वे लगातार दक्षता बढ़ाने के तरीकों की तलाश करते हैं।

1975 में, समाजशास्त्री जेम्स हेन्सलिन ने विलियम्स के विश्लेषण में तीन मूल्यों को जोड़कर अद्यतन किया।

1. **शिक्षा**– अमेरिकियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी क्षमताओं और वित्त की अनुमति के अनुसार स्कूल में जाएं। वर्षों से, "पर्याप्त" शिक्षा की परिभाषा बदल गई है, और आज अधिकांश अमेरिकियों के लिए एक कॉलेज शिक्षा को एक उपयुक्त लक्ष्य माना जाता है। जिन लोगों के पास उच्च शिक्षा का अवसर होता है और वे इसे नहीं लेते हैं, उन्हें कभी–कभी कुछ "गलत" करने के रूप में देखा जाता है – न केवल एक बुरा चुनाव करने के रूप में, बल्कि किसी तरह एक अनैतिक कार्य में शामिल होने के रूप में देखा जाता है।
2. **धार्मिकता**– एक भावना है कि "हर सच्चे अमेरिकी को धार्मिक होना चाहिए।" इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी से एक चर्च, आराधनालय या मस्जिद में शामिल होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन यह कि हर किसी को एक सर्वोच्च व्यक्ति में विश्वास को स्वीकार करना चाहिए और कुछ समान नियमों का पालन करना चाहिए। यह मूल्य इतना व्यापक है कि अमेरिकी अपने पैसे पर "ईश्वर में विश्वास करते हैं" की मुहर लगाते हैं और अपनी राष्ट्रीय निष्ठा की प्रतिज्ञा में घोषणा करते हैं कि वे "ईश्वर के अधीन एक राष्ट्र हैं।"
3. **रोमांटिक प्रेम**– अमेरिकियों को लगता है कि विवाह का एकमात्र उचित आधार रोमांटिक प्रेम है। गीत, साहित्य, जनसंचार माध्यम और "लोक मान्यताएँ" सभी इस मूल्य पर बल देते हैं। वे विशेष रूप से इस विषय से प्यार करते हैं कि "प्रेम सभी पर विजय प्राप्त करता है।"

आम तौर पर स्वीकृत अमेरिकी मूल्य

1. **पर्यावरण पर व्यक्तिगत नियंत्रण** – अमेरिकी आमतौर पर भाग्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते हैं; वे इसे अंधविश्वास के रूप में देखते हैं और पहल करने की अनिच्छा को प्रतिबिंबित करते हैं। जीवन की समस्याओं को दुर्भाग्य के बजाय किसी के आलस्य या जिम्मेदारी लेने की अनिच्छा से आने के रूप में देखा जाता है।
2. **परिवर्तन** – अमेरिकी परिवर्तन को अच्छे के रूप में देखते हैं, जिससे विकास, सुधार और प्रगति होती है। अधिक पारंपरिक संस्कृतियां परिवर्तन को विनाशकारी के रूप में देखती हैं; वे स्थिरता और परंपरा को महत्व देते हैं।
3. **समय** – अमेरिकियों के लिए समय का अत्यधिक महत्व है। समय कुछ ऐसा है जिसे चालू रखा जाना चाहिए, , भरा जाना चाहिए, बचाया जाना चाहिए, खोया जाना चाहिए, बर्बाद किया जाना चाहिए और यहाँ तक कि मारा भी जाना चाहिए। अमेरिकियों को पारस्परिक संबंधों की तुलना में समय पर काम करने के लिए अधिक चिंतित होना पड़ता है। अमेरिकियों ने समय पर नियुक्तियाँ करने और उत्पादक होने के लिए अचानक चर्चा बंद कर दी।

टिप्पणी

4. **समानता और निष्पक्षता** – अमेरिकी संस्कृति में समानता को इतना महत्व दिया जाता है कि इसे धार्मिक आधार के रूप में देखा जाता है। कम से कम सिद्धांत रूप में, अमेरिकियों का मानना है कि सभी लोगों को समान बनाया गया है और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए।
5. **व्यक्तिवाद और अन्योन्याश्रयता** – अमेरिकी खुद को अत्यधिक व्यक्तिवादी मानते हैं और किसी भी समरूप समूह के हिस्से के रूप में विचार किए जाने का विरोध करते हैं। व्यक्तिवाद गोपनीयता की ओर ले जाता है, जिसे अधिकांश अमेरिकी अत्यधिक महत्व देते हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि "गोपनीयता" शब्द कई गैर–पश्चिमी भाषाओं में भी मौजूद नहीं है।
6. **स्व–सहायता और पहल** – अमेरिकियों को व्यक्तियों के रूप में उपलब्धियों का श्रेय लेना पड़ता है, और वे "स्व–निर्मित" पुरुष या महिला को महत्व देते हैं।
7. **प्रतिस्पर्धा** – अमेरिकियों का मानना है कि प्रतिस्पर्धा लोगों में सर्वश्रेष्ठ लाती है, और जीवन के कई क्षेत्रों में "मुक्त उद्यम" को महत्व दिया जाता है।
8. **भविष्य का उन्मुखीकरण** – अमेरिकी भविष्य को महत्व देते हैं, अतीत का अवमूल्यन करते हैं, और एक हद तक, वर्तमान से अनजान हैं। कई अमेरिकी इतनी मेहनत करते हैं और अपने भविष्य के बारे में इतना सोचते हैं कि एक पूरी तरह से खुश वर्तमान पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है।
9. **कार्य / कार्य अभिविन्यास** – अमेरिकी किसी भी कार्रवाई को निष्क्रियता से बेहतर मानते हैं। अमेरिकियों को एक सक्रिय जीवन और विश्राम के लिए समय पर समय निर्धारित करना पड़ता है। अक्सर लोग मिलते–जुलते समय एक–दूसरे से पहला सवाल पूछते हैं, "आप क्या करते हैं?" यानी उनका पेशा क्या है।
10. **अनौपचारिकता** – अमेरिकी कई अन्य संस्कृतियों की तुलना में अधिक अनौपचारिक हैं। उदाहरण के लिए, कई अमेरिकी अपने मालिकों को उनके पहले नाम से बुलाते हैं, औपचारिक कार्यक्रमों में भी पोशाक अधिक आकस्मिक पोशाक होती है, और यहाँ तक कि अभिवादन भी आकस्मिक होता है (उदाहरण के लिए, "हैलो, आप कैसे हैं?")।
11. **प्रत्यक्षता, खुलापन और ईमानदारी** – अमेरिकी सूचना देने के लिए प्रत्यक्ष दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं, चाहे कितना भी अप्रिय क्यों न हो। अमेरिकी ईमानदारी को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, और जो कोई भी अप्रिय जानकारी देने के लिए मध्यस्थ का उपयोग करता है उसे जोड़–तोड़ और अविश्वसनीय के रूप में देखा जाता है।
12. **व्यावहारिकता और दक्षता** – अमेरिकियों की प्रतिष्ठा व्यावहारिक और कुशल है। वे भावनात्मक और व्यक्तिपरक लोगों पर तर्कसंगत और उद्देश्यपूर्ण निर्णयों को महत्व देते हैं, और व्यावहारिक दृष्टिकोण जबरदस्त दर्शन है।
13. **भौतिकवाद और अधिग्रहण** – विदेशी अमेरिकियों को बहुत भौतिकवादी मानते हैं। अमेरिकी भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने, बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए उच्च प्राथमिकता देते हैं, और वे नवीनता को महत्व देते हैं।

संस्कृतियों में ऐसे मूल्य होते हैं जो बड़े पैमाने पर उनके सदस्यों द्वारा साझा किए जाते हैं। एक समाज के मूल्यों को अक्सर लोगों द्वारा प्राप्त, सम्मान को ध्यान में रखते हुए पहचाना जा सकता है।

टिप्पणी

मूल्य एक संस्कृति के मानदंडों से संबंधित हैं, लेकिन वे मानदंडों की तुलना में अधिक वैश्विक और अमूर्त हैं। मानदंड विशिष्ट परिस्थितियों में व्यवहार के नियम हैं, जबकि मूल्य यह पहचानते हैं कि क्या अच्छा या बुरा होना चाहिए। छुट्टी के दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक आदर्श है, लेकिन यह देशभक्ति के मूल्य को दर्शाता है। गहरे रंग के कपड़े पहनना और गंभीर दिखना एक अंतिम संस्कार में प्रामाणिक व्यवहार हैं; कुछ संस्कृतियों में, वे मित्रों और परिवार के लिए सम्मान और समर्थन के मूल्यों को दर्शाते हैं।

मीडिया, एक शक्तिशाली सामाजिक व्यवस्था के रूप में, एक व्यक्ति की वास्तविकता की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है (गेर्गन, 1999)। यह इस विश्वास पर प्रभावशाली साबित हुआ कि अपने व्यापक सांस्कृतिक अर्थों में, मीडिया ने बड़े पैमाने पर उन मूल्यों और मानदंडों को मजबूत किया, जो पहले से ही एक व्यापक सहमति की नींव हासिल कर चुके थे। मानार्थ और स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की उपयोगिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं (बजोहर, 2006)। इस प्रक्रिया में जनसंचार माध्यम कम प्रभावी होते हैं यदि वे एक शत्रुतापूर्ण धारणा का उपयोग करते हैं और जब "प्रेरक प्रेस निष्कर्ष" अधिक शक्तिशाली होते हैं।

परिचय मास मीडिया विविध मीडिया रूप हैं जिनका उद्देश्य बड़े दर्शकों/जनता तक पहुँचना है। मास मीडिया प्रसार के उन साधनों को संदर्भित करता है जो व्यापक दर्शकों के संपर्क में आने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मीडिया समाज का वह अधिकार है जो राज्य की सभी तीन अन्य शक्तियों (कार्यकारी, कानून और न्यायपालिका) की जाँच करता है, और इस कारण से, इसे चौथी शक्ति (गोर्मस, 2012) माना जाता है। मानार्थ और स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की उपयोगिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं (बजोहर, 2006)। यह काफी हद तक एक मीडिया तकनीक है जो एक ज्ञापन के साथ लक्षित दर्शकों तक पहुँचने के उद्देश्य से विविध है। मास मीडिया इस प्रक्रिया में कम प्रभावी होते हैं यदि वे एक शत्रुतापूर्ण धारणा का उपयोग करते हैं तो और अधिक शक्तिशाली होते हैं। प्रेरक प्रेस अनुमान दर्शाता है कि व्यक्ति अक्सर मीडिया कवरेज की सामग्री की धारणाओं और लोगों पर काफी प्रभाव डालने वाली सामग्री के बारे में धारणाओं से जनता की राय मानते हैं (गुंथर, क्रिस्टन, लिबर्ट, और चिया 2001)। मीडिया में आम जनता द्वारा देखने के लिए अधिक वैचारिक और पूरी तरह से सही खाते नहीं बनाने की प्रवृत्ति है (कॉटररेल 1999)। मीडिया प्रवचन के साथ, कुछ समूह हैं, जो संभावित रूप से जनता की राय, विचारधाराओं और मॉडलों पर प्रभावशाली रूप से प्रभावी हैं।

"मीडिया और संस्कृति परस्पर जुड़े हुए हैं; विभिन्न संस्कृतियों को समझने के स्तर मीडिया सामग्री को प्रभावित करते हैं, इस बीच मीडिया प्लेटफॉर्म और सामग्री सांस्कृतिक और दिन–प्रतिदिन की प्रथाओं को प्रभावित करते हैं" (डकरौरी, 2014)। सपीर–व्हॉर्फ परिकल्पना ने सुझाव दिया कि प्रत्येक संस्कृति का दुनिया को वर्गीकृत करने का एक अलग तरीका था। इन योजनाओं को प्रतिबिंबित किया जाएगा, यह तर्क

टिप्पणी

दिया, विभिन्न समाजों की भाषाई और अर्थपूर्ण संरचनाओं में। मीडिया निर्णय लेने की रूपरेखा की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो एक व्यावहारिक परिवर्तन है और राय निर्माण में जो देखने योग्य व्यवहार है। मीडिया की खपत की बारीकी से निगरानी करने वाला व्यक्ति मीडिया के प्रभावों से प्रतिरक्षित नहीं है। विभिन्न मीडिया चैनलों की तुलना करने के बाद, (दानहेर और रॉसिटर, 2011) ने भी स्वीकार किया कि लोग विभिन्न मीडिया चैनलों को अलग तरह से देखते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बीच संदेशों का संचार करते समय, दूसरी तरफ मीडिया को भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जेनकिंस (2006) के अनुसार मीडिया की सामग्री का उत्पादन और प्रसार कैसे किया जा रहा है, इसमें निश्चित प्रतिमान बदलाव है। सहभागी संस्कृति की वर्तमान प्रवृत्ति को सिद्ध करने वाले विद्वानों ने समुदायों में ज्ञान और संस्कृति को साझा करने के लिए उपयोगकर्ता की मजबूत प्राथमिकता पर जोर दिया। मीडिया ने सांस्कृतिक आदान–प्रदान और संचार को नया अर्थ दिया है।

लुई रिथ और टैल्कॉट पार्सन्स ने "सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में मास मीडिया के महत्व पर बल दिया है।" मीडिया मूल रूप से लोगों के जीवन में एक शक्तिशाली उपस्थिति है। अफसानेह (2012) ने निष्कर्ष निकाला है कि टीवी चैनल ईरानी महिलाओं के बीच जीवन शैली में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि वे टीवी चैनलों द्वारा चित्रित जीवन शैली और तेहरान में महिलाओं की जीवन शैली के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध पाते हैं। मीडिया हमारे दैनिक जीवन की सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रसार में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह हमारी संस्कृति के मानदंडों और मूल्यों को दर्शाता है और इसने हमारी पसंद को विस्तृत किया है और ग्रहों के स्तर पर सूचना के प्रवाह के साथ सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में वृद्धि की है। सांस्कृतिक मूल्य भी मास मीडिया संदेशों को आकार देते हैं, जब मीडिया सामग्री के उत्पादकों के विशेष सामाजिक लक्ष्यों में निहित स्वार्थ होते हैं। लोग मीडिया के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान का निर्माण कर सकते हैं।

वर्दुगो एंड फिएरो (2014) ने पाया कि "संचार क्षमता नेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक जटिल प्रक्रिया है जो मीडिया सामग्री के अनुकूलन, समझ और स्वीकृति, सांस्कृतिक संदर्भ के माध्यम से मीडिया को गंभीर रूप से स्वामित्व करने के लिए विषयों की क्षमता को उजागर करती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट तंत्र "लोकप्रिय" संस्कृति मीडिया, उत्पाद और दृष्टिकोण है जिसे किसी दी गई संस्कृति की मुख्यधारा और आम लोगों के रोजमर्रा जीवन का हिस्सा माना जाता है। यह अक्सर संस्कृति की अधिक औपचारिक अवधारणाओं से अलग होता है जो नैतिक, सामाजिक, धार्मिक विश्वासों और मूल्यों को ध्यान में रखते हैं जैसे कि संस्कृति की हमारी पिछली परिभाषा। यह कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यमों और लोगों की संस्कृति के बीच घनिष्ठ संबंध है। विभिन्न मास मीडिया चैनल यहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। साहित्य के आधार पर, यह आगे कहा जा सकता है, जैसा कि (डकरौरी, 2014) कहता है कि "मीडिया कथाएं और प्रवचन विभिन्न प्रकार के ग्रंथों और छवियों के भीतर बनाए जाते हैं जो दोनों की सांस्कृतिक धारणाओं और प्रथाओं से जटिल रूप से संबंधित हैं। जो उनका उत्पादन और उपभोग करते हैं।"

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

3. 1975 में, समाजशास्त्री जेम्स हेन्सलिन ने विलियम्स के विश्लेषण में कितने मूल्यों को जोड़कर उसे अद्यतन किया?

   (क) 2 (ख) 3

   (ग) 4 (घ) 5

4. किस देश के नागरिक निष्ठा की प्रतिज्ञा में घोषणा करते हैं कि वे "ईश्वर के अधीन एक राष्ट्र हैं।"

   (क) अमेरिका (ख) ब्रिटेन

   (ग) जापान (घ) कोरिया

3.4 वैश्वीकरण और सांस्कृतिक समरूपता, आधिपत्य और प्रभुत्व

वैश्वीकरण ने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। वैश्वीकरण दुनिया भर में हर जगह सांसारिक विचारों और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के आदान–प्रदान का परिणाम है। विश्व के विचारों, सूचनाओं और विचारों के आदान–प्रदान के परिणामस्वरूप विश्व स्तर पर लोगों की जीवन शैली और जीवन स्तर में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। संस्कृति इस परिवर्तन प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं है। वैश्वीकरण के उदय के साथ गहरी जड़ें वाली परंपराओं और रीति–रिवाजों ने अपनी पकड़ ढीली कर दी है। एकीकरण ने आधुनिकता का परिचय देकर कई समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को बदल दिया है। इसने पूरी दुनिया में लोगों के रहन–सहन में समानता बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार किया है। अन्वेषण के लिए अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की यात्रा करने वाली जनता के साथ वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। इससे विचारों और संस्कृतियों का आदान–प्रदान हुआ। इस तरह की बैठक और आदान–प्रदान से खोजी समुदाय और खोजे गए समुदाय की सांस्कृतिक प्रथाओं को समान रूप से बदल दिया गया। वैश्वीकरण के बाद की अवधि में इसने एक अतिरिक्त गति पकड़ी। वैश्वीकरण के युग में, दूरसंचार के विभिन्न माध्यमों, सोशल मीडिया और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इंटरनेट ने संस्कृतियों के अंतःस्थापित होने, संक्रमण और संस्कृति के अंतिम परिवर्तनों में परिणत होने में एक बड़ी भूमिका निभाई है।

3.4.1 सांस्कृतिक समरूपता की अवधारणा

सांस्कृतिक पहचान एक ऐतिहासिक वास्तविकता है। यह विश्वासों और व्यवहारों तथा जीवन प्रतिमानों के रूप में, इतिहास के माध्यम से विकसित होती है। योगेन्द्र सिंह लिखते हैं कि सांस्कृतिक पहचान का निर्माण कारकों के एक जटिल समूह द्वारा होता है। ये कारक किसी व्यक्ति के ऐतिहासिक अनुभवों के क्रम में, उसके सांस्कृतिक व्यवहारों तथा विश्वासों की उद्विकास प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। पारिस्थितिक वातावरण, आधारभूत आर्थिक संस्थाएं तथा इनसे जुड़े कार्य, पारिवारिक संरचना तथा बच्चों के

टिप्पणी

पालन–पोषण का कार्य, इतिहास के साथ–साथ पौराणिक और दंत कथाएं–आदि कुछ ऐसे तत्व हैं, जो मिलकर किसी संस्कृति की पहचान का निर्माण करते हैं। यह सांस्कृतिक पहचान स्वयं को हस्तनिर्मित भौतिक वस्तुओं, अर्थपूर्ण व्यवहार, विश्वास व्यवस्था, भाषा, साहित्य आदि में प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रकट करती है।

यह एक सामान्य भय है कि स्थानीय संस्कृति और इसकी पहचान, वैश्वीकृत संस्कृति या विकसित पूंजीवादी देशों की संस्कृति के छद्म–आवरण के अंतर्गत पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत वैश्वीकरण के फलस्वरूप किसी समुदाय या व्यक्ति की मूल सांस्कृतिक पहचान के लिए किसी संकट का कोई प्रमाण नहीं है। स्थानीय संस्कृतियां न सिर्फ वैश्विक संस्कृति की जबर्दस्त मारकाट से स्वयं को बचा रही हैं, बल्कि अपने लिए व्यापक परिक्षेत्र भी प्राप्त कर रही हैं जो कभी–कभी देश की सीमा से बाहर के क्षेत्रों तक फैला होता है। इसके साथ वे आधुनिक बाजार संदर्भो में अधिक अर्थपूर्ण साबित हो रही हैं। निम्नलिखित कारणों से, स्थानीय संस्कृति के समक्ष कोई खास खतरा नहीं है–

(अ) मानव द्वारा संस्कृति (व्यवहार प्रतिमान, भाषा, विश्वास प्रणाली, मानकों और मूल्य आदि) को आत्मसात किया जाता है और इस प्रकार उसकी 'मूल व्यक्तित्व संरचना' का निर्माण होता है जो किसी भी बाहरी संस्कृति को व्यापक रूप से अपनाने का विरोध करती है। फिर भी, इसके कुछ अंशों को नई विचारधारा के माध्यम से युक्तिकरण द्वारा स्वीकार किया जाता है। ज्यादातर सांस्कृतिक, परिवर्तन केवल परिधीय सांस्कृतिक क्षेत्रों में होते हैं। संस्कृति के केंद्रीय ताने–बाने में कोई मूलभूत परिवर्तन बहुत मुश्किल से ही हो पाता है। फिलहाल सांस्कृतिक अस्मिताएं समुदाय के समक्ष उपस्थित सामाजिक, आर्थिक तथा प्रौद्योगिकीय– पारिस्थितिक परिवर्तनों के अनुरूप एक गतिशील प्रक्रिया का निर्माण करती हैं।

(ब) वैश्वीकरण इतनी व्यापक प्रक्रिया नहीं है कि यह समाज के प्रत्येक भाग को अपने प्रभाव क्षेत्र में शामिल कर सके। ज्यादातर मध्य वर्ग के लोग और इनमें विशेष रूप से युवा वैश्वीकरण के प्रभाव के अधीन हैं। यह देश की आबादी का मुश्किल से 35 प्रतिशत है।

(स) वैश्वीकरण सांस्कृतिक विविधताओं का एक अंतर्मिश्रण है, न कि किसी एक संस्कृति द्वारा दूसरे का प्रतिस्थापन। इसमें वैश्विक और स्थानीय, दोनों संस्कृतियों का सह–अस्तित्व और पारस्परिकता मौजूद है।

(द) वैश्वीकरण ने राज्य की संस्थात्मक शक्ति को कम किया है। धीरे–धीरे यह अपने कल्याणकारी उत्तरदायित्वों से पीछे हट रहा है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो राज्य आज भी निभा रहा है, वह मूलभूत जरूरतों और सामरिक महत्व की वस्तुओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम है। एक ऐसे समय में जबकि राष्ट्र का महत्व घट रहा है, नागरिक समाज का निर्माण गति पकड़ रहा है। नागरिक अपनी पहचान को लेकर दिनों–दिन जागरूक हो रहे हैं तथा वे स्थानीय संस्कृति पर आने वाले किसी भी संकट का प्रतिरोध कर रहे हैं। विदेशों में जाकर बसे भारतीय इसका सर्वोत्तम उदाहरण हैं। वहां उन्होंने अपना देशी सांस्कृतिक जीवन, पहले की अपेक्षा अधिक जोश और प्रभावशाली ढंग से जीना शुरू कर

दिया है। समुदाय के लिए बाहर से खतरा, संकट जितना अधिक होगा, उसमें एकीकरण की मात्रा उतनी ही अधिक तीव्र होगी।

(य) वैश्वीकरण वस्तुतः एक न पलटी जा सकने वाली प्रक्रिया है। यह उद्देश्यपूर्ण और संरचित होने की अपेक्षा, स्वाभाविक और उद्विकासीय अधिक है, लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र बहुत व्यापक नहीं है। इसके लिए दो वास्तविकताएं जिम्मेदार हैं, जो दो भिन्न स्तरों पर मौजूद हैं–

पहला– वैश्वीकरण तथा इसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव, सारी दुनिया में एक समान नहीं है।

दूसरा– वैश्वीकरण के प्रभाव को समान रूप से ग्रहण करने के लिए, समस्त सांस्कृतिक प्रतिमान, उनका इतिहास तथा गंभीरता पूरी दुनिया में एक समान नहीं है।

टिप्पणी

सांस्कृतिक व मानवीय समायोजन

मानवों में यह क्षमता होती है कि वे जैविक तथा सामाजिक दोनों पर्यावरणों में स्वयं को समायोजित कर लेते हैं। यह समायोजन संस्कृति के माध्यम से संभव होता है।

जैविक समायोजन

भौतिक संस्कृति में नवाचार लोगों को प्रकृति (उसकी जलवायु आदि) पर विजय पाने योग्य बनाते हैं। प्रकृति हमें फल, बीज, वनस्पति, औषधि प्रदान करती है जिन्हें हम अपने लाभ हेतु उपयोग करते हैं। यहां तक कि पृथ्वी की कड़ी सतह को भी बुलडोजर, ट्रैक्टर आदि की सहायता से कृषि योग्य बना लेते हैं। आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर लोग ठंड, ऊष्णता, वर्षा, बाढ़, अकाल आदि का सामना कर सकते हैं। फिर भी एक ओर तो संस्कृति लोगों को पर्यावरण के साथ समायोजन में मदद करती है, तो दूसरी ओर वह अनेक प्रकार से जैविक समायोजन में कड़ी बनती है। अनेक प्रथाएं व परंपराएं (अभौतिक संस्कृति) ऐसी आस्थाएं, अभिवृत्तियां व मूल्य तैयार करती हैं जिससे अनेक प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पराजीवी आदि को लोग नष्ट नहीं करते। ये पराजीवी लोगों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। उदाहरण के लिए हिन्दुओं में यह आस्था कि गायों, बिल्लियों और यहां तक कि भटके हुए कुत्तों को भी नहीं मारना चाहिए। आस्था के कारण लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक नदियां गंदी व प्रदूषित हो जाती हैं। अनेक सांस्कृतिक मानदंडों को जो हानिकारक हैं, लोग आज भी मानते हैं।

सामाजिक समायोजन

सांस्कृतिक मानदंड कुछ संवेदनाएं विकसित करते हैं जो अपराध व विरोध की भावना पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए अनेक धार्मिक भावनाएं लोगों को आशंकित, निष्क्रिय तथा अविश्वासी बनाती हैं। एक समय था (बीसवीं सदी के आरंभ तक) हिन्दू विधवाओं को अपने पति के मृत शरीर के साथ सती बन जाने हेतु बाध्य किया जाता था। युवा विधवाओं को तपस्वी जीवन व्यतीत करने हेतु बाध्य किया जाता था तथा ऐसी अनेक बातें करने से रोका जाता था जिनसे वे सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। जाति संबंधी मानदंड लोगों को ऐसे कार्य करने की मनाही करते थे जो उनके लिए लाभकारी (आर्थिक दृष्टि से) हो सकते थे। इस प्रकार कुछ मामलों में संस्कृति लोगों को समायोजन में मदद करती थी बल्कि कुछ मामलों में तो वह मानवीय समायोजन में बाधक बनती थी।

टिप्पणी

पर–संस्कृतिग्रहण

पर–संस्कृतिग्रहण शब्द के प्रतिपादन का श्रेय अमेरिकी समाजशास्त्रियों को दिया जाता है। किसी समूह या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संस्कृति के संपर्क से अपनी संस्कृति को परिवर्तित करना पर–संस्कृतिग्रहण कहलाता है। यह एक या एक से अधिक संस्कृतियों की सांस्कृतिक विशेषताओं को उनसे संपर्क में आकर प्राप्त करना है। यह समूह की संस्कृति को संशोधित करता है किंतु यह मौलिक संस्कृति को नष्ट नहीं करता। सामान्यतः संपर्क की स्थिति में दोनों संस्कृतियों में परिवर्तन होते हैं, यद्यपि उनमें से एक संस्कृति दूसरी की अपेक्षा अधिक तीव्रता से प्रभावित होती है। आज आधुनिक विश्व में कोई भी संस्कृति पूर्णतः एकांकी नहीं है तथा दूसरी संस्कृतियों द्वारा प्रभावित होती है किंतु संपर्क की तीव्रता व अवधि स्थान एवं समय के अनुसार बदलती रहती है। आवागमन व संचार के साधनों के विकास के साथ लोग लंबी दूरी तक प्रवास करते हैं तथा इस प्रक्रिया में अपने साथ सांस्कृतिक मंच ले जाते हैं जिसे अन्य लोग अंगीकार कर लेते हैं तथा वे भी अन्य लोगों से नई प्रथाएं सीखते हैं। जब दो संस्कृतियां आपस में सांस्कृतिक तत्वों का आदान–प्रदान करती हैं, तब इस प्रक्रिया को पारस्परिक संस्कृतिग्रहण कहा जाता है।

ब्रूम एवं सेल्जनिक मानते हैं कि शब्द पर–संस्कृतिग्रहण का प्रयोग समाजीकरण के समानार्थी किया गया है अर्थात् व्यक्तियों के वयवहार के तरीकों तथा मूल्यों का अधिग्रहण। सभी सांस्कृतिक अधिग्रहणों को सीखना होता है। फिर भी पर–संस्कृतिग्रहण चयनात्मक होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका की जापान पर जीत के बाद जापानी लोगों द्वारा कुछ निवेशक प्रथाओं का अंकीकरण करना। अप्रवासी भी नष्ट देश की सांस्कृतिक विशेषताओं को अंगीकार कर लेते हैं। फिर भी वे अपनी मूल संस्कृति से स्वयं को पूर्णतः विमुख नहीं करते। किंतु लाखों अप्रवासियों के लिए सांस्कृतिक खाइयां बनी ही रहती हैं। इंग्लैण्ड तथा अमेरिका में अनेक भारतीय अप्रवासी विभिन्न पृष्ठभूमियों तथा सामाजिक स्थितियों से आते हैं। इनमें से कुछ कृषक थे तो कुछ डॉक्टर, कुछ कम्प्यूटर ऑपरेटर, कुछ तकनीशियन थे, जिन्होंने बेहतर आर्थिक अवसरों अथवा जनसंख्या के दबाव तथा अपने देश में अवसरों की कमी के कारण भारत छोड़ा है। इन लोगों ने अपने नए पर्यावरण में स्वयं को समायोजित करने हेतु विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं को अंगीकार कर लिया है। नवीन संस्कृति तत्वों को अपनाने, सीखने की प्रक्रिया को नव–संस्कृतिकरण कहते हैं।

सांस्कृतिक संघर्ष

अनेक अप्रवासी अथवा सीमांत लोग सांस्कृतिक संघर्ष का सामना करते हैं। यह दो संस्कृतियों के लोगों के बीच का संघर्ष है, दोनों को ही आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। इसके कारण कुछ विरोधी मानदंड तथा विरोधी निष्ठाओं की समस्या खड़ी हो जाती है। लोगों की विभिन्न भाषाओं व रीतियों व प्रथाओं के कारण विसंगत स्थिति पैदा हो जाती है।

आत्मसातकरण

आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अल्पसंख्यक समूह धीरे–धीरे अपने सांस्कृतिक प्रतिरूपों को छोड़कर प्रबल समूह के सांस्कृतिक प्रतिरूपों को अपनाता है। आत्मसातकरण एक सांस्कृतिक समूह का दूसरी संस्कृति में पूर्णतः विलीन होना है तथा

टिप्पणी

इस प्रकार समान संस्कृति व पहचान के साथ एक समूह में तादात्म्य यह एक समूह का दूसरे में विलयन अथवा अपसारी संस्कृतियों का आपसी मिलन हो सकता है। इस प्रकार आत्मसातकरण में सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विभिन्नता वाले समूहों की पहचान का पूर्णतः विलोपन होता है। जब एक समूह अपनी संस्कृति को पूर्णतः खो देता है तब यह प्रक्रिया वि–संस्कृतिकरण कहलाती है।

आत्मसातकरण या सात्मीकरण एक मंद, अचेतन, क्रमिक और जटिल प्रक्रिया है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो आत्मसातकरण के लिए सहायक होते हैं जैसे– सहिष्णुता, समान आर्थिक अवसर, प्रभावशाली तथा अल्पसंख्यक समूहों की संस्कृति में समानता, प्रभावशाली समूह द्वारा अल्पसंख्यक समूह के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, एक समूह से दूसरे समूह में विवाह आदि। किन्तु कुछ कारक ऐसे भी होते हैं जो आत्मसातकरण की प्रगति को रोकते हैं। ये बाधक कारक हैं– प्रभावशाली समूह के अंदर स्वयं को अपेक्षाकृत श्रेष्ठ मानने की अभिवृत्ति, सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नताएं, रहन–सहन की अवस्थाएं आदि।

सांस्कृतिक एकीकरण

अनुकूलन की वह प्रक्रिया जिसमें संस्कृति के तत्व एक समनुरूप समग्र का रूप धारण करते हैं। व्यक्ति अपने व्यवहार के सिद्धांतों को स्वतंत्र रूप से निरूपित नहीं करते। मानदंडों को अनेकानेक व्यक्तियों द्वारा एक लंबी अवधि में बनाया जाता है। इन्हें संगतता पूर्वक एकीकृत किया जाना होता है जिससे वे सभी सहभागियों के लिए कार्यात्मक व्यवस्था का रूप ले लें। यदि स्वयं अपने लिए नियम बनाने लगें तो सामाजिक तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। इस प्रकार सांस्कृतिक विशेषताओं को पृथक से लें तो वे किसी समाज की कुल संस्कृति नहीं बन सकतीं। संस्कृति एक एकीकृत सामूहिकता होती है जिसकी लोकरीतियों, लोकाचारों व मूल्यों को एक–दूसरे को आधार देना होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कृषि में लगे अधिकांश लोग सूर्य व इन्द्र देव (वर्षा हेतु) की पूजा करते हैं, शिकार से जुड़े लोग शिकारी देवताओं की व मछली के शिकार से जुड़े लोग वरुणदेवता की पूजा करते हैं।

3.4.2 वैश्वीकरण के प्रभाव

वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक चर्चा में दो शक्तिशाली परिदृश्य हावी हैं। एक बहुत ही सामान्य परिदृश्य सांस्कृतिक समरूपता के रूप में वैश्वीकरण का प्रतिनिधित्व करता है (उदाहरण के लिए बेंजामिन नाई मैकवर्ल्ड)। इस परिदृश्य में विश्व के सांस्कृतिक रूप से भिन्न समाज विश्व स्तर पर उपलब्ध वस्तुओं, मीडिया, विचारों और संस्थानों से आगे निकल रहे हैं। ऐसी दुनिया में जहां वियना से लेकर सिडनी तक के लोग बिग मैक खाते हैं, बेनेटन के कपड़े पहनते हैं, एमटीवी या सीएनएन देखते हैं, मानवाधिकारों के बारे में बात करते हैं और आईबीएम कंप्यूटर संस्कृति पर काम करते हैं, वे एक जैसे हो जाते हैं और विशिष्ट पहचान मिट जाती है। इससे स्थानीय संस्कृति को खतरा है। चूंकि ये वस्तुएं और विचार ज्यादातर पश्चिमी मूल के हैं, इसलिए वैश्वीकरण को भेष में पश्चिमीकरण के रूप में माना जाता है। दूसरा परिदृश्य सांस्कृतिक विखंडन और अंतरसांस्कृतिक संघर्ष का है (हंटिंग्टन्स 'क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन्स' में शामिल है और हाल ही में युगोस्लाविया में नृवंशविज्ञानियों द्वारा "पुष्टि" की गई है)। यहाँ व्यतिरेक (कंट्रास्ट) होता है। स्थानीय संस्कृतियाँ वैश्विक

संस्कृति के ज्वार का सामना करने में विफल रहती हैं। विरोध और विद्रोह स्थानीय संस्कृति को बचाने के लिए होते हैं और सांस्कृतिक संघर्ष का बदसूरत परिदृश्य पैदा करते हैं।

टिप्पणी

थ्री एच सिंड्रोम

पश्चिमी संस्कृति के वैश्वीकरण के प्रभाव पर तीन दृष्टिकोण हैं–

(अ) इसका एक समरूप प्रभाव हो रहा है।

(ब) यह नए संकर सांस्कृतिक रूपों के विकास के लिए अग्रणी है।

(स) यह एकरूपता और संकरण दोनों में परिणाम देता है। यह लोकप्रिय रूप से सांस्कृतिक वैश्वीकरण से संबंधित थ्री एच सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है।

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप सांस्कृतिक सामंजस्य होता है। समय और स्थान का संकुचन, प्रौद्योगिकियों का विकास, वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर प्रवास सांस्कृतिक विविधता के लिए खतरा बन गया है। वे विभिन्न समुदायों की संस्कृतियों को एक–दूसरे के निकट और अलग–थलग कर देते हैं। जैसे–जैसे संस्कृतियां विकसित हो रही हैं; बदलते और विकसित होते हुए, वे एक–दूसरे के सामने आने पर विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त खुले हैं। समूहों की घनिष्ठ बातचीत का एक–दूसरे की संस्कृति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप सांस्कृतिक सामंजस्य होता है या जिसे सांस्कृतिक एकीकरण कहा जाता है।

सांस्कृतिक सामंजस्य के परिणामस्वरूप सांस्कृतिक संकरण और समरूपीकरण होता है। बेहतर और उच्च मूल्यवान संस्कृति के साथ संपर्क सांस्कृतिक संकरण को जन्म देता है। सांस्कृतिक संकरण और समरूपीकरण ऐसे शब्द हैं जो विविधता के नुकसान के माध्यम से नकारात्मक सांस्कृतिक परिवर्तन का वर्णन करते हैं। समरूपीकरण वैश्वीकरण का एक स्पष्ट परिणाम है। यह संस्कृतियों में समानता को अपनाकर एक समान जीवन शैली की ओर प्रवृत्त होने की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। यह संस्कृति विभाजन को कम करता है। रिचर्ड बार्नेट और जॉन कैवनघ के अनुसार, "दुनिया भर के समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता पर इस समरूपता का प्रभाव बहुत अधिक है"। समरूपीकरण सामान्य रूप से विविधता को कम करता है। संस्कृति में अंतर सांस्कृतिक एकरूपता से छाया हुआ है। जब प्रभावी संस्कृति गैर–प्रमुख कमजोर संस्कृति पर हावी हो जाती है, तो परिदृश्य सांस्कृतिक आधिपत्य कहलाता है। वैश्वीकरण के दौर में पश्चिम की संस्कृति पूरी दुनिया की संस्कृतियों को जकड़ रही है। पश्चिमीकरण की यह प्रक्रिया जो आज विश्व में हो रही है, आधिपत्य है। सांस्कृतिक प्रवृत्ति पश्चिमी संस्कृति के साथ समरूपता की ओर है। पश्चिमी, पूंजीवादी जीवन शैली दुनिया भर की संस्कृतियों पर खुद को थोपती है। सांस्कृतिक समरूपीकरण थीसिस के समर्थकों का कहना है कि वैश्विक मीडिया, सूचना प्रणालियों और बहुराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के माध्यम से वैश्वीकरण के प्रसार से स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं का क्षरण हुआ है।

चूंकि अमेरिकी लोकप्रिय संस्कृति की छवियाँ हर जगह हैं, यह दावा करना गलत नहीं हो सकता है कि अंततः सभी सांस्कृतिक अंतर गायब हो जाएंगे और

अत्यधिक शक्तिशाली, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रतिष्ठानों द्वारा प्रचारित किसी प्रकार की सांस्कृतिक समानता को आरोपित किया जाएगा।

पश्चिमीकरण के माध्यम से सांस्कृतिक समरूपता का उल्लेख किया गया है। पश्चिमीकरण सांस्कृतिक विविधता के लिए खतरा है। बिंगहैम्प्टन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली मजरूई उसी घटना का वर्णन करने के लिए "आधिपत्य" शब्द का उपयोग करते हैं; अर्थ वही है, क्योंकि यह पश्चिमी दुनिया है जो शक्तिशाली प्रभाव बन गया हैः इक्कीसवीं शताब्दी तक लोग उन्नीसवीं शताब्दी के अंत की तुलना में पूरी दुनिया में एक जैसे कपड़े पहनते हैं। इससे सांस्कृतिक एकरूपता आएगी। लेकिन जिस ड्रेस कोड का वैश्वीकरण हो रहा है, वह पश्चिमी ड्रेस कोड है जो वर्चस्व की प्रक्रिया को जन्म दे रहा है।

टिप्पणी

फुकुयामा इस विचार को खारिज करते हैं कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक एकरूपता की ओर ले जा रहा है। अर्थव्यवस्था और समाज के कुछ पहलुओं का समरूपीकरण हो सकता है, लेकिन साथ ही, विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान की पुष्टि होगी। यदि सांस्कृतिक समरूपीकरण की प्रक्रिया होती है, तो इसे समझना बहुत धीमा होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्योंकि हमारे पास उन्नत संचार तकनीक है, और जो दुनिया भर में वैश्विक टेलीविजन संस्कृति को प्रोजेक्ट करने में सक्षम है, इससे गहरे सांस्कृतिक स्तर पर एकरूपता आएगी। ऐसा लगता है कि, एक तरह से, यह ठीक इसके विपरीत किया गया है।

उदाहरण के लिए, 40 साल पहले की तुलना में आज संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया की संस्कृतियों के बीच अंतर पर शायद कम पारस्परिक पसंद, अधिक अविश्वास और अधिक जोर है। 1950 और 60 के दशक में, एशिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आधुनिकीकरण के एक मॉडल के रूप में देखा। अब, एशियाई अमेरिकी शहरी क्षय और परिवार के पतन को देखते हैं और उन्हें लगता है कि अमेरिका बहुत आकर्षक मॉडल नहीं है। संचार प्रौद्योगिकी ने एशियाई और अमेरिकियों दोनों को एक–दूसरे को अधिक स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दी है, और यह पता चला है कि उनके पास बहुत अलग मूल्य प्रणालियां हैं।

संस्कृति पर वैश्वीकरण के विशेष प्रभाव

डेविड हेल्ड और एंथोनी मैकग्रे की वैश्वीकरण की परिभाषा "विस्तार के पैमाने, बढ़ती परिमाण, अंतरमहाद्वीपीय प्रवाह और सामाजिक अंतःक्रियाओं पर पैटर्न के प्रभाव को तेज करने और गहरा करने" को दर्शाती है। यह स्पष्ट रूप से वैश्वीकरण की प्रक्रिया की गहराई, आयाम और गति की गवाही देता है। अर्जुन अप्पादुरई ने तर्क दिया कि वैश्वीकरण ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं का निर्माण किया है। उन्होंने वैश्वीकरण से उत्पन्न पाँच 'स्कैप्स' के बारे में चर्चा की जो संस्कृति को प्रभावित करते हैं और तर्क देते हैं कि ये कारक सांस्कृतिक विविधता सुनिश्चित करते हैं न कि सांस्कृतिक एकरूपता या वर्चस्व। फाइव्स स्कैप्स नृवंशविज्ञान, मीडियास्केप, टेक्नोस्केप, वित्त और विचारधारा के रूप में आंदोलनों के प्रकारों के बारे में हैं। एथनोस्केप पर्यटकों और अप्रवासियों जैसे लोगों के प्रवाह को संदर्भित करता है। टेक्नोस्केप में ऐसी तकनीक शामिल है जो सीमाओं को पार करती है। वित्त परिदृश्य मुद्रा बाजारों के प्रवाह को संदर्भित करता है। यह मास मीडिया तकनीक और विभिन्न देशों और संस्कृति तक

टिप्पणी

पहुँचने वाली छवियों को संदर्भित करता है। विचारधाराएं छवियों का भी उल्लेख करती हैं लेकिन विशेष रूप से वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण बदलते राजनीतिक और वैचारिक पहलुओं के लिए। भौतिक और अभौतिक संस्कृति सहित समाज की संस्कृति के ये महत्वपूर्ण आयाम हैं।

अप्पादुरई का तर्क है कि उपभोग शैली और सामग्री का कार्य समाज की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज खपत पैटर्न वैश्विक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के अभिसरण का प्रतिनिधित्व करता है। उनके लिए, वैश्वीकरण ने दुनिया को उपभोक्ता क्रांति के साथ पेश किया है। स्वर्गीय औद्योगिक समाज अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए इस उपभोक्ता क्रांति में शामिल हो गया है। आज दुनिया के किसी भी हिस्से में साहित्य, सिनेमा, संगीत, भोजन, कपड़े, सामान आदि के संबंध में लगभग सभी प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं। पश्चिमी संस्कृति दुनिया के सभी हिस्सों में काफी हद तक फैल गई है। वैसे भी सांस्कृतिक प्रसारण एकतरफा प्रक्रिया नहीं है। पश्चिमी देशों में इस्लाम और एशियाई, लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी व्यंजनों की लोकप्रियता दोतरफा प्रक्रिया का एक उदाहरण है। आज वैश्विक संस्कृति को स्थानीय स्तर पर लाया जाता है और स्थानीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर ले जाया जाता है। यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया का सामान्य परिणाम है।

वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम सांस्कृतिक संघर्ष से उत्पन्न सभ्यताओं के संघर्ष में परिणत होते हैं। राजनीतिक वैज्ञानिक सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक 'द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर' में सुझाव दिया है कि जल्द ही दुनिया एक सांस्कृतिक संघर्ष का गवाह बनने वाली है। उनके अनुसार, दुनिया में मौलिक संघर्ष वैचारिक या राजनीतिक नहीं होगा। लेकिन मानव जाति के बीच महान विभाजन सांस्कृतिक होंगे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि राष्ट्र राज्य विश्व मामलों में सबसे शक्तिशाली अभिनेता बने रहेंगे। वैश्विक राजनीति के प्रमुख संघर्ष राष्ट्रों और समूहों के बीच नहीं, बल्कि विभिन्न सभ्यताओं के बीच होंगे। सभ्यताओं का टकराव वैश्विक राजनीति पर हावी रहेगा। यह फिर से सांस्कृतिक प्रभाव और कुछ संस्कृतियों के आधिपत्य से कमजोर संस्कृति को उसके विनाश की ओर धकेलने का एक परिणाम है।

सांस्कृतिक वैश्वीकरण मीडिया और संचार की भूमिका के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। मीडिया और संचार सांस्कृतिक प्रसार के वाहन हैं। वैश्वीकरण और संचार गहरे उलझे हुए हैं। विद्वानों के बीच एक आम सहमति है कि व्यावहारिक रूप से, मीडिया और संचार के बिना कोई वैश्वीकरण नहीं होगा। वैश्वीकरण में मीडिया का निम्नलिखित कारणों से केंद्रीय स्थान है।

- मीडिया निगमों ने अपने कार्यों का तेजी से वैश्वीकरण किया है
- वैश्विक संचार अवसंरचना वैश्विक सूचना प्रवाह को सुगम बनाती है।

वैश्विक मीडिया दुनिया भर में होने वाली घटनाओं का एक दृश्य प्रदान करने और ग्रह के लोगों के बीच अर्थ की साझा प्रणाली विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के परिणामस्वरूप अंतरिक्ष और समय के टूटने ने असमानताओं की परवाह किए बिना वैश्विक संपर्क को बढ़ा दिया है। संचार की समकालीन पद्धति को नई घटनाओं जैसे भागीदारी पत्रकारिता, ऑनलाइन समुदायों और ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सक्रियता द्वारा बदल दिया

टिप्पणी

गया था। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप इंटरनेट पर सामाजिक संबंधों और सामाजिक संगठनों का तेजी से विकास हुआ है। ऑनलाइन के माध्यम से नए संचार का उद्‌भव सामाजिक नेटवर्क, फिल्मों, ब्लॉगों, ऑनलाइन ओपन डिबेट फोरम आदि के माध्यम से लोगों के दिमाग को प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार सांस्कृतिक मानकीकरण की तुलना में मास मीडिया सांस्कृतिक विविधता में एक बड़ी भूमिका निभाता है। निस्संदेह यह सांस्कृतिक वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण आयाम है।

एक अमेरिकीकृत विश्व का उदय वैश्वीकरण के विकास का परिणाम है। अमेरिकी मॉडल के साथ एक अभिसरण उपभोक्ता व्यवहार और स्वाद न केवल वैश्विक संस्कृति के लिए एक खाका है, बल्कि संस्कृति पर वैश्वीकरण का एक बड़ा प्रभाव भी है। व्यवसाय और शैक्षणिक कार्यों में अंग्रेजी का प्रमुख भाषा के रूप में उभरना इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे यह संस्कृति वैश्वीकरण के समरूप प्रभाव की ओर बढ़ जाती है।

पश्चिमी संस्कृतियों के परिवर्तन और पश्चिमी दुनिया के बाहर पुनर्संकल्पित होने की प्रक्रिया का प्रतीक करने के लिए उल्फ हैनर्ज़ ने 'क्रिओलाइज़ेशन' शब्द का इस्तेमाल किया। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के सकारात्मक पहलू हैं। यह विविधता को बढ़ावा देता है। जब सीमाओं के बीच परस्पर क्रिया होती है तो संस्कृति का मिश्रण होता है। इसके परिणामस्वरूप बहुलीकरण होता है। विचारों में संक्षेपण और विभेदीकरण होता है जिसने कुछ संस्कृति के कई अनूठे पहलुओं को सुर्खियों में ला दिया। वैश्वीकरण की अवधारणा ने लोकप्रियता हासिल की है जो स्थानीय परंपरा को बाधित किए बिना जीवन के मानकों को बेहतर बनाने में मदद करेगी। विविधता ही अब एक वैश्विक मूल्य बन गई है। इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और आंदोलनों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। रोजमर्रा की जिंदगी में फैले सर्वव्यापी, समरूप और आधिपत्य के रूपों पर कोई सवाल नहीं है। हालाँकि, इन संस्कृतियों और संबद्ध सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रजनन, परस्पर संबंध और समय–स्थान पहलू के महत्वपूर्ण रूप भी हैं। अर्नेट ने अपने लेख "वैश्वीकरण के मनोविज्ञान" में सुझाव दिया है, लोगों को न केवल अपनी स्थानीय संस्कृति बल्कि वैश्विक समाज के अनुकूल होने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। उन्होंने तर्क दिया कि, वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप, दुनिया में अधिकांश लोग, और विशेष रूप से किशोर, अब एक द्विसांस्कृतिक पहचान विकसित करते हैंः एक उनकी स्थानीय संस्कृति में निहित है, और दूसरा हिस्सा वैश्विक स्थिति के लिए जिम्मेदार है।

वैश्वीकरण इस प्रकार एक सतत सिंड्रोम है। वैश्वीकरण न केवल स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक पैमानों के बीच परस्पर क्रिया के बारे में है, बल्कि दुनिया में परस्पर जुड़ाव, प्रवाह और असमान विकास के बारे में भी है। वैश्वीकरण के विकास को गति देने वाली रणनीतिक कुंजी अंतर्राष्ट्रीय निगम, तकनीकी परिवर्तन, सरकारें आदि थीं। वैश्वीकरण ने न केवल आयातित उत्पादों की बड़ी रेंज प्रदान करके या लोगों के जीवन स्तर के बुनियादी स्तर को बढ़ाकर दुनिया को लाभ पहुँचाया है, बल्कि प्रमुख भी है राज्य की भूमिका को कम करके, हर समाज की अनूठी संस्कृति को चुनौती देकर, सामाजिक संरचनाओं पर हमला करके, वैश्विक समाज में विविधता आदि से जीवन के सामाजिक–राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों में जोखिम और अवसर दोनों हैं।

टिप्पणी

चल रहे वैश्वीकरण के दौरान दो प्रक्रियाएं काम करती दिख रही हैं। वे प्रवास और महानगरीयता हैं। रोजगार के अवसरों की तलाश में कम विकसित देशों से अधिक विकसित देशों में कुशल और अकुशल दोनों तरह के लोगों की बड़ी भीड़ होती है। दूसरी ओर, महानगरीय अपनी उत्पादन सुविधाओं का पता लगाने और अपने माल के विपणन के लिए अधिक लाभदायक परिस्थितियों और अवसरों की तलाश में दुनिया भर में घूमते हैं। दोनों बेघर हैं। "प्रवासी घर नहीं जा सकते, जबकि महानगरीय के पास जाने के लिए कोई घर नहीं है।" वैश्वीकरण इस प्रकार बहुसंस्कृतिवाद और सर्वदेशीयवाद को जन्म देता है।

संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव अपार और विविध है। इसने लोगों के सांस्कृतिक पहलू को विभिन्न तरीकों से प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध कोका–कोला पेय के विज्ञापन की तेज़ गूँजती ताल को कस्बों, शहरों और यहाँ तक कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुना जा सकता है। वैश्वीकरण के साथ, लोगों ने अपने जीवन जीने के तरीके को बदल दिया है। चूँकि वैश्वीकरण में खुलेपन शामिल हैं, अर्थव्यवस्थाएं और ज्ञान दुनिया के हर कोने में स्वतंत्र रूप से और व्यापक रूप से चलते हैं। संस्कृति का एक सामान्य समूह बढ़ रहा है।

वैश्वीकरण के तहत भाषा को लुप्तप्राय माना जाता है। वैश्विक भाषा के रूप में अंग्रेजी का महत्व तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यह दूरसंचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। पूरी दुनिया में लोगों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए अंग्रेजी सीखनी होगी। यह ब्रिटिश नहीं बल्कि अमेरिकी अंग्रेजी है जो प्रभुत्व में है। कई कंप्यूटरों में केवल अमेरिकी अंग्रेजी सॉफ्टवेयर होता है और यह वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली मुख्य अंतर्राष्ट्रीय भाषा है।

वैश्वीकरण ने अंग्रेजी भाषा को एक शिकारी भाषा बना दिया है। अंग्रेजी भाषा एक "हत्यारी" भाषा है। यह निश्चित रूप से दुनिया भर में सबसे सफल भाषा बन गई है। आज दुनिया एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक जीवन के विलुप्त होने और वैश्विक भाषा में उभरने की ओर बढ़ रही है।

वेस्टर्न हेयर स्टाइल, जूते और ड्रेसिंग के लिए पसंद बढ़ रही है। तीसरी दुनिया के देशों के युवा वैश्विक संस्कृति के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। एमटीवी के साथ, यूरोस्टार वैश्विक मनोरंजन पश्चिमी संस्कृति के संगीत के पूर्ण प्रभुत्व का संकेत दे रहा है।

टेलीविजन नई वैश्विक कॉर्पोरेट दृष्टि का एजेंट बन गया है। पूरी दुनिया में, सभी उम्र के लोग एक ही संगीत, एक ही खेल आयोजन, एक ही समाचार, सोप–ओपेरा और एक ही ग्लैमरस जीवन शैली के संपर्क में हैं। यह देखा गया है कि यू.एस. की संस्कृति हर जगह उपलब्ध है उपग्रह टीवी ने टीवी कार्यक्रमों को 24 घंटे के लिए उपलब्ध कराया है। अधिकांश टीवी स्क्रीन पर अमेरिकी फिल्मों, संगीत और जीवन शैली का बोलबाला है।

संघर्ष अब अस्तित्व के लिए है। वैश्वीकरण ने गरीबी की संस्कृति का निर्माण किया है। इसने सांस्कृतिक पतन में योगदान दिया है। डकैती, हिंसा और वेश्यावृत्ति जैसी सांस्कृतिक रूप से वर्जित गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। अत्यधिक मुद्रीकरण,

उपभोक्तावाद वैश्वीकरण के परिणाम हैं। वैश्वीकरण ने मजदूर वर्ग को वेतन मिलने से पहले ही उधार लेने की आदत डाल दी है। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है ताकि अपना गुजारा पूरा किया जा सके।

टिप्पणी

वैश्विक संस्कृति प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, लेकिन सहयोग को नहीं। अधिकांश पारंपरिक संस्कृतियों ने सहयोग का मूल्य सिखाया जो तेजी से जीवाश्म में परिवर्तित हो रहा है।

सांस्कृतिक साम्राज्यवाद वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों से उत्पन्न होता है। वेकर्ट और एडेनी ने इसे "देशी संस्कृति की कीमत पर एक विदेशी संस्कृति के मूल्यों और आदतों को बढ़ाने और फैलाने के लिए राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के उपयोग" के रूप में परिभाषित किया है। हर्बर्ट आई शिलर का मानना है कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद विश्व आर्थिक प्रणाली में उत्पन्न होता है, जिसके साथ उत्पादन की शर्तें और प्रकृति एक स्थान पर बस गई और कहीं और पोषित हुई।

"सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का उपयोग (1) विदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ाने के लिए किया जाता है; (2) स्थानीय उद्योग के भीतर विकास को कम करना; और, (3) एक उपभोक्तावादी मानसिकता को बढ़ावा देना जहाँ विदेशी अमीरों का अनुकरण करने की इच्छा से बचत की आवश्यकता को दूर किया जाता है। एक बार इस बाजार में ऐसी इच्छा पैदा हो जाने पर, निगम (4) व्यापारिक सुविधाओं और बिक्री संवर्धन में निवेश करके अपने बाजार को चौड़ा और समेकित करते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था में अपने माल के लिए वरीयता स्थापित करने के उनके लक्ष्य का अर्थ है कि वे मूल्यों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण में शामिल हैं।"

नई वैश्विक संस्कृति विक्षेत्रीकरण और एक सीमाहीन दुनिया के उद्भव का प्रतीक है। वैश्वीकरण ने उन साधनों को बहुत बढ़ा दिया है जिनके माध्यम से एक देश के नागरिक दूसरे देश के सांस्कृतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बढ़ती गतिशीलता के साथ, उपभोग की आदतों में परिवर्तन की प्रक्रिया आई है।

एक सजातीय वैश्विक संस्कृति के उद्भव पर कोई एकमत नहीं है; वैश्वीकरण के मुख्य परिणाम के रूप में केवल वैश्विक और स्थानीय संस्कृतियों का संलयन है। जॉन टॉमलिंसन ने वैश्वीकरण और संस्कृति के बीच संबंधों को एक अलग कोण से देखा है। उसके लिए, दोनों के बीच का रिश्ता एकतरफा नहीं है। दोनों एक–दूसरे को प्रभावित करते हैं। उनके अनुसार, "वैश्वीकरण आधुनिक संस्कृति के केंद्र में है; संस्कृति प्रथाएं वैश्वीकरण के केंद्र में हैं। यह पारस्परिक संबंध है।" हमें यह याद रखना चाहिए कि केवल वैश्वीकरण ही संस्कृति के स्वरूप और चरित्र का निर्धारण नहीं करता है और न ही संस्कृति ही वैश्वीकरण पर एकमात्र प्रभाव है।

महिलाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव

वैश्वीकरण ने कई बदलाव लाए हैं जो महिलाओं के जीवन को नाटकीय रूप से प्रभावित करते हैं। यह महिलाओं के लिए दोधारी प्रक्रिया साबित हुई है। एक ओर इसने महिलाओं के लिए जोखिम और असुरक्षा को बढ़ा दिया है और दूसरी ओर इसने महिलाओं के लिए अधिक स्वायत्तता और अवसरों का सृजन किया है। वैश्वीकरण महिलाओं के विभिन्न समूहों को अलग–अलग जगहों पर अलग–अलग तरीकों से

टिप्पणी

प्रभावित करता है। विशेष रूप से, पिछले दो दशकों के भीतर, वैश्वीकरण ने विकासशील देशों में महिलाओं के जीवन पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। इसने महिलाओं के इलाज के लिए नए मानक बनाए हैं, और महिलाओं के समूहों को संगठित होने में मदद करता है। ऐसी स्थितियों में जहां महिलाओं के साथ ऐतिहासिक रूप से श्रम के पितृसत्तात्मक विभाजन के तहत दमन या भेदभाव किया गया है, वैश्वीकरण की कुछ विशेषताएं मुक्तिदायक परिणाम साबित हुई हैं।

वैश्वीकरण ने वास्तव में महिलाओं के लिए समानता के विचारों और मानदंडों को बढ़ावा दिया है जो जागरूकता लाए हैं और समान अधिकारों और अवसरों के लिए उनके संघर्ष में उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है। दूसरी ओर इसने पितृसत्तात्मक समाज में विशेष रूप से विकासशील देशों में लैंगिक असमानता को बढ़ा दिया है। आर्थिक क्षेत्र में इसने अनौपचारिक श्रम क्षेत्र में महिलाओं के हाशिए पर जाने या आय के पारंपरिक स्रोतों के नुकसान के माध्यम से दरिद्रता को जन्म दिया है।

वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव यह है कि इसने व्यापक संचार लाइनें खोली हैं और अधिक कंपनियों के साथ–साथ विभिन्न संगठनों को विकासशील देशों में आकर्षित किया है। यह न केवल कामकाजी पुरुषों के लिए, बल्कि महिलाओं को भी अवसर प्रदान करता है, जो कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा बन रहे हैं। महिलाओं के लिए नई नौकरियों के साथ, उच्च वेतन के अवसर हैं, जो आत्मविश्वास बढ़ाता है और स्वतंत्रता लाता है। यह बदले में, लिंगों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण में महिलाओं के प्रति पारंपरिक व्यवहार को खत्म करने की शक्ति है।

महिलाओं के लिए रोजगार के बढ़े हुए अवसरों के माध्यम से वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों के बावजूद, वैश्वीकरण का एक गहरा, अधिक भयावह पक्ष है। इसने महिलाओं को असंगठित क्षेत्र में धकेल दिया है। तदनुसार, हालांकि अधिक महिलाएं अब सवैतनिक रोजगार की तलाश कर रही हैं, उनमें से अधिकांश को बिना किसी नौकरी सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा के, अनौपचारिक क्षेत्र में केवल कम वेतन वाली, अकुशल नौकरियां प्राप्त होती हैं।

पिछले दो दशकों के भीतर, वैश्वीकरण के कारण आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव ने नए आयाम ग्रहण किए हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों ने महसूस किया है कि एशियाई महिलाओं का सस्ता श्रम मुनाफा बढ़ाने का सबसे आकर्षक तरीका है। विकासशील देशों में महिलाएं एक 'लचीली' श्रम शक्ति हैं। स्थिर/संगठित श्रम बल से लचीले कार्यबल में परिवर्तन वैश्वीकरण की एक विशेषता रही है। उप–ठेकेदारी, घर–आधारित उत्पादन, पारिवारिक श्रम प्रणाली, सभी सस्ते श्रम बल प्राप्त करने के उभरते मानदंड बन गए हैं। लेकिन, वे काम में महिलाओं की स्थिति के लिए हानिकारक साबित होते हैं। वे महिलाओं की क्षमता का अवमूल्यन करते हैं और उनकी नौकरी की निश्चितता और सुरक्षा को कम करते हैं। समान काम के लिए महिलाओं को कम भुगतान और कभी–कभी अवैतनिक किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि भूमंडलीकरण के कारण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। काम का यह नारीकरण शिक्षित और तकनीक की समझ रखने वाली महिलाओं के लिए अवसरों की एक शृंखला और स्वतंत्रता की भावना लाता है जो कॉर्पोरेट परिदृश्य में अधिक जिम्मेदारियाँ ले रही हैं। हालांकि, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के एक बड़े हिस्से के लिए कांच की छत मौजूद है।

टिप्पणी

विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठनों के समर्थन के साथ वैश्वीकरण ने दास मजदूरी का निर्माण किया है। यह मजदूरी अनिवार्य रूप से "अन्यायपूर्ण" समाजों का परिणाम नहीं है, बल्कि इस तथ्य से है कि वैश्विक व्यापार लोगों के जीवन और कार्य के मूल्य का अवमूल्यन करता है। वैश्वीकरण भारत जैसे ग्रामीण, विकासशील क्षेत्रों में रोजगार लाया है जहाँ पहले कोई रोजगार नहीं था।

अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र में अनिश्चित वेतन पर काम करने वाली लड़कियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। विकासशील देशों में मुक्त व्यापार क्षेत्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में कार्यरत राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय निगम उत्पादन इकाइयों में लड़कियों को नियुक्त करते हैं या उन्हें घर–आधारित काम के लिए पीस–दर के आधार पर किराए पर लेते हैं। लाभ मार्जिन बढ़ाने का सबसे सस्ता तरीका बालिका–श्रमिक का उपयोग करना है।

वैश्वीकरण ने कृषि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन की शुरुआत की है। इससे महिलाओं का हाशिए पर आना शुरू हो गया है। प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान और कौशल की कमी के कारण महिलाएं श्रम विस्थापन का सबसे ज्यादा शिकार होती हैं। विदेशी निगमों के मुक्त प्रवेश और कृषि उत्पादों पर आयात नियंत्रण को हटाने के परिणामस्वरूप ग्रामीण और स्वदेशी महिलाओं को और अधिक हाशिए पर रखा गया है। वैश्वीकरण ने महिलाओं के अवैतनिक कार्यों में भी वृद्धि की है क्योंकि सामाजिक सेवाओं का निजीकरण किया गया है।

वैश्वीकरण के कारण महिलाएं तेजी से उपभोक्ता संस्कृति का सामना कर रही हैं। महिलाओं को काम के शोषण और व्यावसायिक खतरों से अवगत कराया जाता है। उत्पादकों के रूप में भी महिलाओं को कम मजदूरी, खराब कामकाजी माहौल, रोजगार की अस्थिरता और प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित करने के मामले में शोषण का सामना करना पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन रेखांकित करता है कि वैश्वीकरण का महिलाओं के अधिकारों पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है। एक ओर जहां कल्याणकारी राज्य के लुप्त होने के कारण गरीबी का नारीकरण एक कुरूप मोड़ ले रहा है। काम में बढ़ते लिंग अंतर के कारण लैंगिक असमानता बढ़ रही है। वैश्वीकरण का अर्थ यह भी है कि श्रम का एक नया अंतर्राष्ट्रीय विभाजन उभरा है। आर्थिक वैश्वीकरण, देशों में गहन आर्थिक पुनर्गठन और नव–उदार आर्थिक नीतियों ने उत्पादन की अनौपचारिक और विकेन्द्रीकृत प्रक्रियाओं को जन्म दिया है जिसने औद्योगिक और विकासशील देशों में श्रम बाजारों और काम की दुनिया को बदल दिया है। इस प्रक्रिया में, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और वैधानिक संरक्षण समाप्त कर दिया गया है। महिला कर्मचारी इसकी सबसे ज्यादा शिकार हुई हैं। उदाहरण के लिए भारत में SAP ने कामकाजी महिलाओं को असंगठित क्षेत्र में मजबूर कर दिया है और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है। महिलाएं मातृत्व लाभ अधिनियम (1961), कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कारखाना अधिनियम (1948), समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976), बॉम्बे शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट (1984), प्लांटेशन लेबर एक्ट और चाइल्ड जैसे सुरक्षात्मक श्रम कानूनों से बाहर हैं। श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1976।

टिप्पणी

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप राज्य सामाजिक जिम्मेदारी से पीछे हट गया है और यह महिलाओं के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित करता है। नवउदारवादी दर्शन के तहत, चाइल्डकेयर और गृहकार्य का बोझ अलग–अलग महिलाओं पर पड़ता है। राज्य द्वारा समर्थित पारिवारिक कार्य की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी नकार दिया गया है। महिलाओं पर दोहरा बोझ अभी भी बना हुआ है जो महिलाओं के स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव डालता है।

अध्ययनों से पता चला है कि वैश्वीकरण के तहत पुरुषों की तुलना में गरीबी का बोझ महिलाओं पर अधिक पड़ता है। इसलिए, गरीबी का नारीकरण बढ़ रहा है। महिलाओं और पुरुषों के बीच आय और उपभोग के स्तर में असमानता व्यापक हो गई है। परिवारों को केवल महिलाओं की आय से ही सहारा मिल रहा है। दूसरे शब्दों में, "महिला प्रधान परिवार" – विधवाओं, एकल महिलाओं, परित्यक्त या तलाकशुदा महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे घरों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

वैश्वीकरण ने महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी उपज प्राप्त की है। इसने अभिजात्य महिलाओं को बेहतर शिक्षा के लिए उजागर किया है, लेकिन तकनीकी और उच्च शिक्षा के निजीकरण ने हाशिए की महिलाओं को उच्च शिक्षा तक पहुंचने से रोक दिया है। शिक्षा में शामिल लागत लिंग संबंधी विचार लाती है और लड़कियों को निजी संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित किया जाता है। शिक्षा, प्रशिक्षण में लैंगिक असमानता समाज के उच्च तबके के लिए गिरावट की प्रक्रिया में है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए एक मृगतृष्णा बन जाती है। निस्संदेह वैश्वीकरण ने महिलाओं को सूचना और ज्ञान तक पहुंच प्रदान की है। यह ज्ञान लिंग आधारित ज्ञान के विभाजन को तोड़ रहा है।

वैश्वीकरण ने व्यापक संचार लाइनें खोली हैं और अधिक कंपनियों के साथ–साथ विभिन्न विश्वव्यापी संगठनों को भारत में लाया है। यह न केवल कामकाजी पुरुषों को, बल्कि महिलाओं को भी अवसर प्रदान करता है, जो कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा बन रहे हैं। महिलाओं के लिए नई नौकरियों के साथ, उच्च वेतन के अवसर हैं, जो आत्मविश्वास बढ़ाता है और स्वतंत्रता लाता है। यह लिंगों के बीच समानता को बढ़ावा देता है।

वैश्वीकरण ने महिलाओं को एक मजबूत आवाज दी है। लोग महिलाओं के अधिकारों को अधिक स्वीकार कर रहे हैं। महिलाएं पहले की तुलना में अधिक दृश्यमान और मुखर हैं। महिला मुक्ति आंदोलन अधिक जनोन्मुखी हो गए हैं। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति उत्तरोत्तर जागरूक हो रही हैं और वे इस पर जोर देने की कोशिश कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाएं स्वतंत्र और मजबूत नेतृत्व वाली रही हैं। वे कई मामलों में प्राथमिक कमाने वाली रही हैं। महिलाओं के लिए विकास कार्यक्रम सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार किए गए हैं। दुनिया भर में महिलाओं के आंदोलन बढ़ रहे हैं और एक वैश्विक चरित्र बन रहे हैं।

अपने अधिकारों के प्रति महिलाओं की जागरूकता एक वैश्विक परिघटना बन गई है। इससे महिलाओं की भागीदारी, प्रतिनिधित्व और स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक निकायों में महिला नेतृत्व का विकास हुआ है। महिलाओं में मतदान का

व्यवहार अधिक स्पष्ट और परिपक्व होता जा रहा है जो महिलाओं के विकास के लिए अनुकूल होता जा रहा है।

ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को मीडिया के माध्यम से वैश्वीकरण से प्रभावित किया गया है और गैर–लाभकारी संगठनों द्वारा शुरू किए गए कई हस्तक्षेप कार्यक्रमों के माध्यम से ये गैर–सरकारी संगठन जागरूकता पैदा कर रहे हैं और बदलाव के तरीके प्रस्तावित कर रहे हैं। महिलाएं पहले की तुलना में अधिक सशक्त और मजबूत हो रही हैं।

टिप्पणी

इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैश्वीकरण का महिलाओं पर मिश्रित प्रभाव पड़ा है। कुछ दृष्टिकोणों से इसने महिलाओं के जीवन को एक मोड़ दिया है और कुछ अन्य दृष्टिकोणों से यह उनके लिए और अधिक कमजोरियाँ, असुरक्षाएँ लेकर आया है। महिलाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव वर्ग विशिष्ट, स्थान विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। लेकिन, बुरे प्रभावों की बढ़ती पहचान, महिलाओं की ओर से सचेत प्रयास, सरकार और नागरिक समाज संगठनों की ओर से ठोस प्रयास जल्द ही महिलाओं को इन नकारात्मक नतीजों से उबरने में सक्षम बना सकते हैं और उन्हें सबसे अच्छा लाभांश प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।

अपनी प्रगति जांचिए

5. पुस्तक "क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन्स" के लेखक हैं–

   (क) हैरीसन ह्वाईट (ख) सैमुअल पी. हटिंगटन

   (ग) जॉन लेवी मार्टिन (घ) जूडिथ बटलर

6. निम्न में से कौन इस विचार को खारिज करते हैं कि "वैश्वीकरण सांस्कृतिक एकरूपता की ओर ले जा रहा है"–

   (क) अली मजरूई (ख) बैंजामिन नाई मैकवर्ल्ड

   (ग) फुकुयामा (घ) अर्जुन अप्पादुरई

3.5 वैश्वीकरण और जातीय चेतना का पुनरुत्थान

समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते जुड़ाव के युग में, जातीय पहचान विशेष और लौकिक सीमाओं को पार करते हुए देखी जा रही है। पूरे रिकॉर्ड किए गए इतिहास में जातीय पहचान मौजूद हैं। एंथोनी स्मिथ के अनुसार, विशेष जातीयता के लोग एक–दूसरे के साथ एक सामान्य नाम, एक विश्वास, सामान्य वंश, एक साझा संस्कृति के तत्व (अक्सर भाषा या धर्म), सामान्य ऐतिहासिक यादें, और एक विशेष क्षेत्र के लिए लगाव के माध्यम से एक–दूसरे के साथ पहचान करते हैं। जातीयता की परिभाषा अपने आप में विवादास्पद प्रकृति की है। राष्ट्र को एक या एक से अधिक जातियों से मिलकर पहचाना जाने लगा। धीरे–धीरे, जातीय पहचान क्षेत्रीय सीमाओं से जुड़ गई। रूस, इंग्लैंड और अन्य देशों के मामलों में देखे गए प्रमुख और परिधीय नृवंशविज्ञान के बीच अंतर को तेज करने वाले राज्य द्वारा दो या दो से अधिक जातियों को शामिल करने के साथ राष्ट्र का गठन किया गया था। यद्यपि राष्ट्र–राज्य

टिप्पणी

में दोनों प्रमुख अल्पसंख्यक जातियाँ शामिल थीं। राज्य संरचनाओं का प्रतिनिधित्व अकेले प्रमुख जातीय समूहों द्वारा किया गया था। स्लेसिंगर संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को दिखाता है जहां अमेरिकी समाज अनिवार्य रूप से यूरोपीय संस्थानों की निरंतरता और अफ्रीकी अमेरिकियों की विशिष्ट संस्कृति को त्यागने वाली अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व पर निर्भर रहा है।

नए क्षेत्रों के विकास के मामलों में जातीयताओं की प्रकृति का चित्रण किया जा सकता है। 1991 में यूगोस्लाविया के समाजवादी संघीय गणराज्य के टूटने के साथ 'यूगोस्लाव' पहचान ने बदलाव देखा, इसलिए जो लोग पहले खुद को यूगोस्लाव कहते थे, उन्हें सर्ब, क्रोएट्स या किसी अन्य समूह के सदस्यों जैसी अलग–अलग पहचानों में स्थानांतरित करना पड़ा। हार्डिन बताते हैं कि स्थिति के आधार पर पहचान का यह स्थानांतरण इस बात को स्वीकार करता है कि पहचान मौलिक के बजाय महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्र का क्षेत्र एक ही समय में प्रवासी नृवंशविज्ञान के समावेश और परिधीय नैतिकता की एकीकरण प्रक्रिया के साथ अपनी वैधता खोना शुरू कर देता है। उसी एकीकरण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप "मातृभूमि नैतिकता" में अराजकता फैल गई। हेग्मोनिक नृवंशविज्ञान को बेल्जियम और स्पेन जैसे देशों में परिधीय नृवंशविज्ञान से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने प्रमुख नृवंशविज्ञान के दावों का विरोध किया। इसने बहुसांस्कृतिक पहचान और परिधीय नृवंशविज्ञान के अधिकारों के दावों को मजबूत किया। जातीय पहचान के पुनरुत्थान के परिणामस्वरूप अक्सर तीसरी दुनिया के देशों में विघटनकारी प्रक्रियाएं और बड़े पैमाने पर जातीय दावे हुए हैं। भारत जैसे देशों ने स्वतंत्रता के बाद के युग में जातीय समूह चेतना देखी, जैसा कि उत्तर पूर्व भारत के मामले में देखा गया है। उत्तर–पूर्वी भारत विभिन्न जातीय समूहों की मातृभूमि रहा है जो अलगाववादी आंदोलनों के माध्यम से अपनी अलग पहचान और स्वायत्तता की मांग करते हैं।

वैश्वीकरण के समय में जातीय पहचान

वैश्वीकरण और जातीय पहचान हमारे समकालीन सामाजिक अनुभव की अपरिहार्य विशेषताएं बन गई हैं। आधुनिक राष्ट्र–राज्य में जातीय पहचानों की प्रासंगिकता पर आधुनिक राज्य की सीमाओं के निरंतर पुनर्निर्धारण के साथ लगातार बहस हो रही है। आज, अप्रवासी समुदायों के निरंतर प्रवाह के साथ जातीय श्रेणियां फिर से उभरी हैं। इसने मजबूत जातीय आकांक्षाओं को जन्म दिया और इसके परिणामस्वरूप राज्य की गतिशीलता को आकार देने में जातीय संबंधों को मजबूत किया। यूरोप में यूकेआईपी (यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंट पार्टी) जैसे राजनीतिक दलों का उदय राष्ट्र की एक जातीय अवधारणा का समर्थन करता है जो स्पष्ट रूप से आप्रवासन का विरोध करता है, पहचान की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करता है। जातीय पहचान की अवधारणा की उत्पत्ति वैश्विक गतिशीलता और अंतरसांस्कृतिक संपर्क में वृद्धि में हुई है। वैश्वीकरण ने जातीयता के राजनीतिकरण और भूगोल से इसके संबंध को सुगम बनाया। एक समान जातीय पहचान का दावा करने वाले राजनीतिक आंदोलनों को वैश्वीकरण द्वारा मजबूत किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, संस्थानों और मीडिया आउटलेट्स द्वारा उनके संदेश को आकार देने और व्यक्त करने में सक्षम थे। गिडेंस के अनुसार वैश्वीकरण ने विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों को गहन किया जिसने दूर के इलाकों को

टिप्पणी

इस तरह से जोड़ा कि स्थानीय घटनाएं कई मील दूर होने वाली घटनाओं से आकार लेती हैं। इसके विपरीत जब लोगों, विचारों और चीजों की गतिशीलता के साथ जातीयता और क्षेत्र के बीच संबंध ढीले हो रहे हैं, तो जातीय पहचान लोगों के एक समूह के लिए एक साझा संस्कृति और इतिहास को व्यक्त करने के साथ–साथ अन्य समूहों से खुद को अलग करने का प्राथमिक तरीका बनी हुई है।

उसी समय वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य की स्वायत्तता को कम कर दिया और जातीय समुदायों के साथ राज्य के संबंधों को प्रभावित किया। मानवविज्ञानी उल्फ हैनर्ज़ ने कहा है कि वैश्वीकरण पर समकालीन प्रवचन की विशेषता का मूल आधार यह विश्वास है कि कमोडिटी बाजारों, वित्तीय बाजारों और सांस्कृतिक बाजारों के राष्ट्रीयकरण के साथ 'राष्ट्रीय' तेजी से अपना महत्व खो रहा है। इसके परिणामस्वरूप गैर–प्रादेशिक पहचान संरचनाओं के आधार पर सामूहिक पहचान का निर्माण हुआ है। वैश्वीकरण के संदर्भ में, लोग राज्य और उसके प्रतिनिधियों के बीच बढ़ती खाई को पाटने के लिए अपनी सामूहिक जातीय पहचान स्थापित करते हैं। जैसा कि सोवियत संघ के मामले में देखा गया, वैश्वीकरण को इसके विघटन और कट्टरपंथी जातीय राष्ट्रवाद के उदय में उत्तेजक कारक के रूप में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सोवियत पतन बताता है कि कैसे वैश्वीकरण राज्य के अधिकार को कमजोर करता है और कुछ मामलों में जातीय पहचान और जातीय संघर्षों के विस्फोट की ओर जाता है। एंथोनी गिडेंस बताते हैं कि वैचारिक और सांस्कृतिक नियंत्रण पर आधारित कम्युनिस्ट नियंत्रण को वैश्विक मीडिया के युग में समाप्त किया जाना था। इसके अलावा, राज्य द्वारा संचालित उद्यम और अक्षम भारी उद्योग जो सोवियत अर्थव्यवस्था का आधार बने, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अप्रतिस्पर्धी बन गए।

जैसा कि वैश्वीकरण को विभिन्न आबादी द्वारा अलग–अलग तरीकों से अनुभव किया जाता है, जातीय पहचान लोगों के लिए अपने अनुभव को संसाधित करने और स्पष्ट करने के लिए एक उपयोगी प्रवचन बन गई है। वैश्वीकरण मुक्त बाजार की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है, लेकिन जातीय समुदायों के लिए जीवन में अर्थ खोजने के लिए राज्य द्वारा अलगाव के अनुभव के साथ ऐतिहासिक नींव की खोज करने की आवश्यकता मजबूत हो जाती है। क्रॉफर्ड का प्रस्ताव है कि वैश्वीकरण से जातीय संघर्ष शुरू हो सकते हैं लेकिन अन्य कारक जैसे कि राज्य संस्थान और प्रथाएं इसके प्रभावों को काफी हद तक कम कर देती हैं। जैसा कि रूसी–चेचन और चीनी–उइघुर संबंधों के मामलों में देखा गया है, मुसलमानों द्वारा हाशिए पर जाने और चेचन और उइघुर मुसलमानों द्वारा अनुभव किए गए आघात और क्रोध ने हिंसा और आतंकवादी व्यवहार में एक प्रमुख भूमिका निभाई।

जातीय समूहों और वैश्वीकरण के बीच के समकालीन संबंधों को द्वंद्वात्मक प्रकृति के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जो वैश्वीकरण की चुनौतियों पर नए और संकर दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मूल और परिधीय जातियों के दावे और प्रतिदावे आज के राष्ट्र निर्माण की विशेषता बन गए हैं। प्रमुख जातियों के पक्ष में संरक्षण की प्रथाओं को परिधीय नृवंशियों द्वारा चुनौती दी जा रही है। वैधीकरण पहचान को दुनिया भर में मौजूद प्रतिरोध–आधारित पहचानों द्वारा चुनौती दी जा रही है। लेकिन साथ ही, दुनिया भर के जातीय समूहों ने भी, अंत में, अपने भविष्य के संबंध में इस पारस्परिक संवाद

टिप्पणी

में प्रवेश किया है। दुनिया ने उनके जीवन के तरीके, उनके सोचने के तरीके और उनके पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान के मूल्य को पहचानना शुरू कर दिया है। चाहे जातीय समुदाय अपने जातीय भेदभाव को स्पष्ट करना या एकीकृत करना चुनते हैं, यह आंतरिक और बाहरी कारकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। लेकिन इस वैश्वीकृत दुनिया में, प्रमुख जातीयताएं अभी भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं और हम "अन्य" जातीय समूहों के हितों को व्यवस्थित करने के लिए नए संस्थानों के निर्माण को देख रहे हैं।

3.5.1 वैश्विक पर्यटन

पर्यटन एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घटना है जो व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लोगों को उनके सामान्य वातावरण से बाहर देशों या स्थानों पर ले जाती है। इन लोगों को आगंतुक कहा जाता है (जो या तो पर्यटक या भ्रमणकर्ता हो सकते हैं; निवासी या गैर–निवासी) और पर्यटन का संबंध उनकी गतिविधियों से है, जिनमें से कुछ में पर्यटन व्यय शामिल है। वैश्विक पर्यटन शायद माल, सेवाओं और लोगों का सबसे बड़ा पैमाने पर आंदोलन है, जिसे मानवता ने कभी देखा है। नतीजतन, यह आर्थिक विकास और सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तन (स्ट्रोन्ज़ा 2001) के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक रहा है (और जारी है)।

विश्व स्तर पर, पर्यटन ने पिछले दो या तीन दशकों में लगातार वृद्धि दिखाई है, जिससे पर्यटन गतिविधियों को एक वास्तविक उद्योग में बदल दिया गया है। नई सहस्राब्दी में, हमने लोगों द्वारा अपना ख़ाली समय बिताने के तरीके में रुचि की निरंतर वृद्धि देखी है। इस खाली समय के दौरान, विशेष रूप से यात्रा और छुट्टियों के लिए समर्पित समय में, लोग क्या "खपत" करते हैं, इसके विकास में भी बहुत रुचि है। ख़ाली समय की वृद्धि के साथ, बेहतर जीवन स्तर के साथ, पर्यटन की माँग में वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर, हम ख़ाली समय के पुनर्मूल्यांकन में सुधार और काम करने में लगने वाले समय में कमी देख सकते हैं, इस तथ्य ने पर्यटन जैसे उपभोग के एक नए रूप में जुड़ाव उत्पन्न किया।

संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (2010) के अनुसार, 2009 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन कुल 880 मिलियन था और प्राप्तियों में यूएस +852 बिलियन उत्पन्न हुआ, जो दुनिया भर में निर्यात का 6 प्रतिशत और विश्वव्यापी सेवाओं के निर्यात का 30 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा, वर्ष 2020 (यूएनडब्ल्यूटीओ 2001) तक अंतर्राष्ट्रीय आगमन सालाना 1.6 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। इस उद्योग की विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से काफी अधिक है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और स्पेन लगातार आगमन और प्राप्तियों में आगे हैं, चीन पिछले एक दशक में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

हालांकि ये आंकड़े प्रभावशाली हैं, वे 2008 से 4.2 प्रतिशत की गिरावट का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मांग बाजारों को पैदा करने में वैश्विक आर्थिक स्थितियों पर दृढ़ता से निर्भर करती है। जबकि पर्यटन तेजी

टिप्पणी

से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के अधिक से अधिक खंडों के लिए जिम्मेदार है। अंतर–सांस्कृतिक संपर्क के लिए इस वृद्धि के परिणाम विविध और अनिश्चित हैं। पर्यटकों का प्रसार एक अर्थव्यवस्था के क्लासिक सैद्धांतिक विवरण को चुनौती देता है कि किन–किन वस्तुओं की खपत हो रही है? पर्यटक आदान–प्रदान के मूल्य निर्माण में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच श्रम विभाजन क्या है? संस्कृति, शक्ति और इतिहास इन अंतःक्रियाओं को कैसे आकार देते हैं? स्थायी पर्यटन के लिए क्या संभावनाएं हैं? दुनिया भर में पर्यटकों और हितधारकों द्वारा सांस्कृतिक विरासत को कैसे आकार दिया जा रहा है?

1. अवकाश के समय पर आधारित समाज – आजकल के समाज में पर्यटन की भूमिका पर किए गए शोधों से पता चला है कि इसका "विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों पर काफी प्रभाव पड़ा है"। दूसरे शब्दों में, "पर्यटन आधुनिक सभ्यता के लिए विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक घटना का प्रतिनिधित्व करता है, जो समाज के जीवन में दृढ़ता से जुड़ा हुआ है और इसके विकास से प्रभावित है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च गतिशीलता के साथ और बड़े सामाजिक क्षेत्रों को लक्षित करता है।" हम मानते हैं कि पर्यटन एक अधिक से अधिक विविध गतिविधि बन जाता है, जो न केवल महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों का उपयोग करता है, बल्कि अर्थव्यवस्था और समाज पर भी काफी प्रभाव डालता है, घटनाओं की पहचान और इसके परिणामों के मूल्यांकन के लिए रुचि पैदा करता है। आजकल, पर्यटन को एक सामाजिक घटना के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सबसे विकसित देशों में समाज की प्रकृति बदल गई है, पारंपरिक रूप से, उत्पादन पर आधारित अर्थव्यवस्था थी जिसमें रोजगार का प्रमुख रूप सेवाओं में होता है। हालांकि, कई देशों ने युद्ध के बाद की अवधि में अवकाश के समय की अवधि और कर्मचारियों के लिए भुगतान की छुट्टियों के अधिकार में वृद्धि की, ताकि कर्मचारियों के उपभोग के नए रूपों में संलग्न होने की संभावना हो। इन परिवर्तनों को समाजशास्त्रियों द्वारा 1970 के दशक में आविष्कार किए गए एक शब्द "सोसाइटी ऑफ एम्यूजमेंट" का एक हिस्सा होने के रूप में वर्णित किया गया था।

2. पर्यटन को मापना – हम मानते हैं कि पर्यटन की यूएनडब्ल्यूटीओ परिभाषा (www.untwo.org) पर्यटन वास्तव में क्या है, इस पर ध्यान देने के लिए सबसे अधिक प्रतिनिधि है। हम यह भी मानते हैं कि पर्यटन को मापने से हमें कुछ समस्याओं को समझने में मदद मिलती है जो निर्णय कारकों को योजना बनाने में करना चाहिए। पर्यटन और बाद के विकास के परिदृश्यों में पर्यटन को एक गतिविधि के रूप में परिभाषित करने के तीन बुनियादी कारण हैं:

1. यात्रा का उद्देश्य क्या है? (उदाहरण के लिए– व्यापार यात्रा, छुट्टियां, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने, अन्य कारण)
2. यात्रा के उद्देश्य से पर्यटन में कितना समय आयाम निहित है? (अधिकांश मामलों में, पर्यटन का तात्पर्य घर से कम से कम 24 घंटे और अधिकतम 12 महीने की दूरी है।)
3. जब कुछ देश पर्यटकों में यात्रियों को शामिल करने का विकल्प चुन सकते हैं या नहीं चुन सकते हैं तो कौन–सी स्थितियाँ सामने आती हैं? (उदाहरण के

टिप्पणी

लिए, एक क्रूज जहाज पर यात्री, छुट्टी मनाने वाले पर्यटक जो किसी गंतव्य में 24 घंटे से कम समय तक रुकते हैं)

इस प्रकार, हम मानते हैं कि कुछ मुख्य कारण हैं जिनके लिए पर्यटन को मापना महत्वपूर्ण है:

- कुछ गंतव्यों, देशों और क्षेत्रों के लिए आगंतुकों के प्रसार और मूल्य को समझने के लिए;
- यह समझने के लिए कि संदर्भ देशों के भुगतान संतुलन के संबंध में पर्यटन कितना महत्वपूर्ण है;
- पर्यटन उद्योग और सरकारों को आवश्यक बुनियादी ढांचे के प्रकार की योजना बनाने और अनुमान लगाने में सहायता करने के लिए ताकि पर्यटन बढ़े और विकसित हो;
- यह समझने के लिए कि पर्यटकों को उपभोक्ता बनने के लिए किस प्रकार का विपणन आवश्यक है;
- क्षेत्र में भविष्य के विकास के लिए आवश्यक कार्रवाई के प्रकार से संबंधित निर्णय लेने में पर्यटन उद्योग की मदद करने के लिए;

इस प्रकार वैश्विक स्तर से लेकर देश स्तर तक विभिन्न भौगोलिक पैमानों पर मात्रा, पैमाने, प्रभाव और पर्यटन के मूल्य के मूल्यांकन के लिए आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या द्वारा पर्यटन को मापना आवश्यक है। व्यक्तिगत गंतव्य के लिए पर्यटन ने पिछले दशकों में एक महत्वपूर्ण विस्तार दर्ज किया, जो 21वीं सदी की एक महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक घटना बन गया। हालांकि, नए गंतव्यों की पहचान की गई, जो ज्ञात लोगों के अलावा, यूरोप और उत्तरी अमेरिका थे। कोई भी देख सकता है कि, कुल मिलाकर, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन की संख्या 1950 के 25.3 मिलियन से बढ़कर 2013 में 1 बिलियन से अधिक हो गई, जिसका अर्थ है लगभग 40 गुना की वृद्धि। यह शानदार वृद्धि, विशेष रूप से, तकनीकी प्रगति के कारण, आय में वृद्धि और यात्रा और छुट्टियों के लिए आवंटित अवकाश के समय के कारण है। हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि, पर्यटन के आरोही विकास के रिकॉर्ड में इस तथ्य का योगदान है कि इसकी परिभाषा अलग–अलग दृष्टिकोणों को जानती थी, जिसका अर्थ है कि, समय के साथ, पर्यटन श्रेणी में अधिक यात्राएं शामिल की गईं (उदाहरण के लिए, व्यावसायिक यात्राएं)। यह आँकड़ों में पर्यटकों को शामिल करने के तरीके का भी परिणाम है। बेशक, रिपोर्ट किए गए पहलुओं का पर्यटक आंकड़ों पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है और पिछले दशकों में पर्यटन के विकास की सीमा पर संदेह नहीं है।

3. पर्यटन को प्रभावित करने वाले नए कारक – राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के भीतर और वैश्विक स्तर पर पर्यटन गतिविधि कारकों की एक जटिल घटना के तहत होती है। अवकाश के समय में वृद्धि और बेहतर जीवन स्तर के साथ, पर्यटन की मांग में वृद्धि हुई। वैश्विक स्तर पर ख़ाली समय के पुनर्मूल्यांकन में सुधार और काम करने में लगने

टिप्पणी

वाले समय में कमी देखी जा सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर, चीजें थोड़ी अलग हैं; भले ही कोई इसे नहीं पहचानता (लोग अतिरिक्त घंटे काम करते हैं और पर्याप्त भुगतान नहीं किया जाता है), जबकि कम काम करके लोग अपने खाली समय और छुट्टियों का लाभ उठा सकते हैं। पर्यटन के विकास और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि में आर्थिक कारक बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि व्यक्तिगत या पारिवारिक आय बड़ी या मध्यम है, तो लोगों के पर्यटक बनने की बड़ी संभावना है। बजट के आधार पर, यात्री अपने अवकाश की जगह और अवधि को स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार, शहरीकरण की डिग्री में वृद्धि राष्ट्रीय पर्यटक मांग की वृद्धि को निर्धारित करती है, जो घटना सदी की अंतिम तिमाही में बहुत गतिशील रूप से प्रकट हुई थी।

4. सामाजिक कारक : पर्यटन के माध्यम से समाजों, संस्कृतियों, सभ्यताओं और समाज के विकास के लिए लाभकारी कुछ परिवर्तनों के बीच संबंध प्राप्त किया जा रहा है। जो पर्यटक विदेश जाते हैं वे अन्य संस्कृतियों, परंपराओं, सभ्यताओं, अन्य लोगों को देख सकते हैं और अपने निवास स्थान पर लौटते हुए, अन्य विचार, दृष्टिकोण, आवश्यकताएं, मांग, एक और मानसिकता रखते हैं। इस प्रकार, पर्यटन के माध्यम से एक समाज और दूसरे के बीच, संस्कृति और दूसरे के बीच संबंध है। इसके अलावा पर्यटन के माध्यम से, व्यक्तियों की अन्य आकांक्षाएं हो सकती हैं, जो विकसित होने में सक्षम हों।

वैश्वीकरण बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और निगमों के विकास से जुड़ी एक प्रक्रिया है, जो मेजबान देश में आर्थिक विकास और उत्पादन के विभिन्न रूपों को नियंत्रित करती है, विकासशील देशों में उत्पादन की कम लागत का उपयोग करके माल का निर्माण करती है और कम लागत वाली सेवाएं प्रदान करती है। पर्यटन कोई अपवाद नहीं है क्योंकि बड़ी होटल श्रृंखलाएं और कई टूर ऑपरेटर विकासशील देशों और उनके गंतव्यों को अपने पर्यटन उत्पादों के आधार के रूप में उपयोग करते हैं। इन आर्थिक स्थितियों में, स्थानीय समुदाय के साथ संबंध सीमित हैं, इसलिए अकुशल काम और कम आर्थिक लाभ पर्यटक विकास के आर्थिक लाभ और लाभों के बदले छोड़ दिए जाते हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के मूल के देश में स्वामित्व में हैं। कई मामलों में, विकासशील देशों में स्थानीय आर्थिक संबंधों के अविकसित चरित्र का मतलब है कि ये शोषण संबंधों में फंस गए हैं, क्योंकि उनके पास पर्यटन व्यवसाय बनाने के लिए स्वायत्त पूंजी या उद्यमी नहीं हैं। इस प्रकार, शिक्षा की कमी, ज्ञान की कमी और स्थानीय लोगों के लिए लाभ को अधिकतम करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ बातचीत करने में असमर्थता का मतलब है कि पर्यटन ऐसे समुदायों के लिए शोषण का एक रूप हो सकता है।

पर्यटन अब व्यापक रूप से एक वैश्विक घटना के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि दुनिया भर में समाजों की प्रकृति उपभोक्ता–आधारित में बदल गई है। दुनिया भर के अधिकांश देश देखते हैं कि उनके श्रमिकों के अवकाश के समय और छुट्टी के अधिकार में वृद्धि हुई है, इस तथ्य ने पर्यटन जैसे नए प्रकार के उपभोग में संलग्न होने का अवसर उत्पन्न किया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के भीतर और वैश्विक स्तर पर पर्यटन गतिविधि कारकों की एक जटिल घटना के तहत होती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकीय, राजनीतिक, शैक्षिक और तकनीकी हैं। पर्यटन के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय महत्व को कई तरह से समझाया जा सकता है: पर्यटन एक

टिप्पणी

विवेकाधीन गतिविधि है, विश्व स्तर पर – विश्व की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के माध्यम से इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक महत्व है, पर्यटन तेजी से जीवन की गुणवत्ता के मुद्दों से जुड़ा हुआ है, वैश्विक यात्रा बन रही है। विकसित और विकासशील देशों में अधिक सुलभ, प्रौद्योगिकी और इंटरनेट पर्यटकों को आसानी से अपनी छुट्टियों आदि का आयोजन करते हैं। चूंकि पर्यटन एक सकारात्मक प्रवृत्ति को रिकॉर्ड करना जारी रखता है, एक बार जब पर्यटन को मापने और संसाधित करने के तरीके की समझ हो जाती है, तो हम यह सोचना शुरू कर सकते हैं कि कौन–से मॉडल और पर्यटन में प्रवृत्तियों को विश्व स्तर पर लागू किया जाना चाहिए, और वैश्विक गतिविधि के रूप में पर्यटन को प्रभावित करने वाली ताकतों से संबंधित निहितार्थ और महत्वपूर्ण समस्याएं क्या हैं। कुल मिलाकर, पर्यटन को एक लाभदायक गतिविधि के रूप में कार्य करना चाहिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए, उद्योग, लोगों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध और कनेक्शन सभी के लिए वित्तीय और टिकाऊ लाभ ला सकते हैं और प्रतिष्ठा और पर्यटन की छवि को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एक वैश्विक घटना। पर्यटकों को दिए जाने वाले लाभों को मेजबान आबादी तक भी बढ़ाया जा सकता है और कई वैश्विक असमानताओं को दूर करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उपभोक्ताओं को पेश किए जाने वाले पर्यटन के चयन और चरित्र पर एक बड़ा नियंत्रण रखने की कोशिश करती हैं।

3.5.2 प्रवासी समुदाय

प्रवासी शब्द ग्रीक शब्द "डायस्पोरा" (Diaspora) से आया है, जिसका अर्थ है "बिखरना, फैलाव"। डायस्पोरा उन लोगों का वर्णन करता है जो अपने देश को छोड़ चुके हैं। इन समुदायों के उदाहरणों में यहूदिया से यहूदी लोगों को हटाना, गुलामी के माध्यम से अफ्रीकियों को हटाना और हाल ही में सीरियाई लोगों का प्रवास, निर्वासन और शरणार्थी शामिल हैं। "डायस्पोरा" की अवधारणा काफी व्यापक है क्योंकि विभिन्न विषयों में इसका इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, समाजशास्त्री और मानवविज्ञानी कभी–कभी इसका उपयोग उन समुदायों का वर्णन करने के लिए करते हैं जिनमें कुछ जातीय विशेषताएं होती हैं, भले ही ये समूह अपनी पूर्व मातृभूमि के साथ किसी भी तरह के संबंध बनाए रखते हों। डायस्पोरा की प्रचलित परिभाषा एक ऐसा समूह प्रतीत होता है जो सामान्य जातीयता / राष्ट्रीयता के आधार पर अपने अलगाव को पहचानता है, एक मेजबान देश में रहता है, और गृह देश (या "मातृभूमि", एक व्यापक शब्द जो एक इकाई को दर्शाता है) के लिए किसी प्रकार का लगाव रखता है। जो राज्य की सीमाओं तक फैला हो सकता है, उदाहरण के लिए, हंगेरियन या सर्बियाई मातृभूमि।

डायस्पोरा के सदस्य स्वयं पहचाने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके मूल देशों को प्रभावित करने वाली घटनाएं किसी अन्य देश में रहने वाले किसी दिए गए जातीय वंश के व्यक्तियों को अपने देश के प्रवासी के सदस्यों के रूप में स्वयं की पहचान करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जब उन्होंने पहले खुद को ऐसा नहीं माना था। फिर वे स्वदेश या मातृभूमि को प्रभावित करने वाले किसी कारण के समर्थन में राजनीतिक रूप से सक्रिय हो सकते हैं।

"डायस्पोरा" एक ऐसा शब्द है जो बहुत अलग मूल के समूहों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए, एक प्रवासी में मुख्य रूप से निम्न शामिल हो सकते हैं:

टिप्पणी

- प्रवासी – प्रवासी अपनी स्थिति को स्थायी (19वीं शताब्दी में अमेरिका में आयरिश आप्रवासन) या अस्थायी (जर्मनी में तुर्की अतिथि श्रमिक) के रूप में देख सकते हैं। प्रवास स्वैच्छिक या अनैच्छिक हो सकता है।
- शरणार्थी – यह प्रवासन की एक उपश्रेणी है, लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि प्रवास अचानक और अनैच्छिक था। यह भी माना जाता है कि शरणार्थी काफी कम समय के भीतर अपने देश लौटना चाहते हैं।
- निर्वासित – यह शरणार्थी की एक श्रेणी है जिसे मेजबान देश में तब तक रहना चाहिए जब तक कि स्वदेश में कुछ राजनीतिक परिवर्तन न हो जाए।
- जातीय समूह – जातीय समूह ऐसे व्यक्तियों को संदर्भित करते हैं जो अपने देश से बाहर रहने वाले समान जातीयता के अन्य सदस्यों के साथ स्वयं की पहचान करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका स्वदेश के साथ कोई राजनीतिक संबंध हो। उनकी शायद स्वदेश लौटने की कोई योजना नहीं है, लेकिन कुछ हद तक अपनी जातीय जड़ों को संजोते हैं।

प्रवासी अपने मूल देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रेषण भेजने वाले के रूप में उनकी प्रसिद्ध भूमिका के अलावा, प्रवासी व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, व्यवसाय बना सकते हैं और उद्यमशीलता को बढ़ावा दे सकते हैं, और नए ज्ञान और कौशल को स्थानांतरित कर सकते हैं। हालांकि कुछ नीति निर्माता विदेशों में अपने नागरिकों को नुकसान के रूप में देखते हैं, वे तेजी से महसूस कर रहे हैं कि एक प्रवासी एक संपत्ति हो सकती है – या कुशल और प्रतिभाशाली प्रवासियों के उत्प्रवास के लिए एक काउंटरवेट भी हो सकती है।

प्रवासी समुदाय विकास के महत्वपूर्ण एजेंट हैं। विकासशील देशों में उनका आर्थिक और सामाजिक योगदान व्यापक और विविध है। प्रेषण के माध्यम से और हाल ही में, व्यवसाय और स्वयंसेवा के माध्यम से कई सक्रिय योगदानकर्ता हैं। प्रवासी भी वित्तीय दान देकर या स्वेच्छा से अपना समय देकर, विश्वास संगठनों में अपनी सदस्यता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विकास में योगदान करते हैं। आयु, धर्म, आर्थिक समृद्धि, एकीकरण, पहचान और अपनेपन की भावना जैसे कारक यह निर्धारित करते हैं कि प्रवासी समुदाय विकास के मुद्दों से किस हद तक जुड़ा है, लेकिन सामान्य तौर पर, वे विकास की परवाह करते हैं और उन लोगों की मदद करने के लिए नैतिक दायित्व की भावना महसूस करते हैं जो कम विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

वैश्वीकरण इक्कीसवीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए और इसके अध्ययन के क्षेत्र को विस्तृत किया। सामान्य अर्थों में, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीमा पार प्रौद्योगिकी, ज्ञान, विचारों, पूंजी, धन, सेवाओं, कच्चे माल, लोगों और संस्कृति के मुक्त प्रवाह की ओर ले जाती है। वैश्वीकरण विकास की प्रेरक शक्ति है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और विशेष रूप से लोगों के हालिया प्रवाह ने दुनिया भर में तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के गठन को जन्म दिया है और तीसरी दुनिया कोई अपवाद नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय "मेजबान" और "घर" देशों के बीच सक्रिय संबंध बनाए रखते हैं और अपने मूल क्षेत्रों के विकास में कम–मान्यता प्राप्त और कम–मूल्यवान खिलाड़ियों के बावजूद गतिशील हैं।

टिप्पणी

डायस्पोरा और वैश्वीकरण

डायस्पोरा और वैश्वीकरण काफी स्पष्ट रूप से संबंधित हैं, लेकिन जितना अधिक रिश्ते पर प्रतिबिंबित होता है, उतना ही रहस्यमय संबंध बन जाता है। शुरू करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे "वैश्वीकरण" अस्थायी रूप से सीमांकित है – कुछ ऐसा जो मॉडेम अवधि के दौरान दोहराया गया है या केवल पिछले 30 से 40 वर्षों में प्रकट हुआ है – यह स्पष्ट है कि कुछ प्रवासी आम तौर पर स्वीकृत अर्थों में वैश्वीकरण की भविष्यवाणी करते हैं।

वैश्वीकरण का लक्ष्य श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन के माध्यम से भौतिक संपदा, वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ाना है, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति संचार, परिवहन और व्यापार के माध्यम से एकीकृत हो गई है; प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और व्यापार, प्रौद्योगिकी के प्रसार और सैन्य उपस्थिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। यह उल्लेखनीय है कि वैश्वीकरण आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक और जैविक कारकों के संयोजन से संचालित होता है। यह संस्कृति के माध्यम से विचारों, भाषाओं या लोकप्रिय संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार है। वैश्वीकरण के लाभों के कारण प्रवासन में वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप राज्य की सीमाओं के पार अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग हुई है। इनसे राज्य की जरूरतों को एक नया आयाम मिला है, राज्य के विकास हस्तक्षेप की प्रक्रियाओं को बाहरी संपर्कों से अधिक से अधिक प्रभावित किया जा रहा है और नकारात्मक और सकारात्मक परिणामों ने विकास हस्तक्षेपों को एक नया आयाम दिया है। तकनीकी विकास राज्य के कई पहलुओं को प्रभावित कर रहा है, और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, जो इस काम का फोकस है, वह है प्रवासी भारतीयों का योगदान।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवास

दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की लहर प्रतिदिन बढ़ रही है और इस तरह के प्रवासन का मेजबान और स्वदेश पर प्रभाव अनुसंधान जिज्ञासा की निरंतर खोज बन गया है। विश्व बैंक ने कैगलर और मौरिस का हवाला दिया, सदियों से लाखों लोग पलायन कर चुके हैं – भौतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बाधाओं के बावजूद अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन की तलाश में अन्य भूमि पर। वर्तमान में, उनके जन्म के देश के बाहर रहने वाले लोगों की संख्या 180 मिलियन या विश्व जनसंख्या का 3 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। वैश्वीकरण के लाभों ने राजनीतिक वकालत, दान और सांस्कृतिक आदान–प्रदान में प्रवासी की उपयोगिता को तेज कर दिया है, मेजबान देशों में गृहनगर संघ नए आगमन को अनुकूलित करने और श्रम बाजारों में खुद को सम्मिलित करने में सहायता करते हैं। साथ ही घर से जुड़ाव बनाए रखना। यह उन प्रवासियों की बाद की पीढ़ियों के साथ भी जुड़ाव को बढ़ावा देता है जो इन लाभों के बिना और अधिक संस्कारी हो गए होंगे। यह आयाम प्रवासी भारतीयों के बीच पहचान निर्माण में आगे और भविष्य के अनुसंधान के लिए है।

हमने देखा है कि वैश्वीकरण की अवधारणा के उद्भव, निरंतर अस्तित्व और इसके उपयोग के प्रभाव पर ऐतिहासिक डायस्पोरा का उच्च प्रभाव पड़ा है। यह तर्क दिया जाता है कि यद्यपि वर्तमान युग निश्चित रूप से कुछ विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, वैश्वीकरण स्वयं पिछली शताब्दियों से नया नहीं है। ट्रांस–अटलांटिक

और ट्रांस सहारा व्यापार मार्ग के माध्यम से लोगों के बड़े पैमाने पर प्रवासन ने कुछ स्तर के संपर्कों को सुनिश्चित किया और इसे मुक्त किया गया।

भारतीय प्रवासी

टिप्पणी

भारतीय प्रवासी आज 20 मिलियन से अधिक की संख्या में हैं और 110 देशों में फैले हुए हैं। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में कई भारतीय शामिल हैं। अमेरिका में उनकी पेशेवर और उद्यमशीलता की सफलताओं को देखते हुए उन्हें व्यापक रूप से 'मॉडल अल्पसंख्यक' के रूप में जाना जाता है। वैश्वीकरण, उन्नत प्रौद्योगिकी और संबंधित जनसंख्या प्रवाह के साथ, कई शहर उच्च कुशल पेशेवरों के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभरे हैं। इनमें से कई में आज भारतीय डायस्पोरा की एक नई श्रेणी के नवगठित समूह हैं – इन वैश्विक केंद्रों में रहने और संपन्न होने वाले अत्यधिक कुशल वैश्विक भारतीय। यह परियोजना इन प्रवासी समुदायों के विकास का विश्लेषण करने के लिए हाल के दशकों में सिलिकॉन वैली, सिंगापुर और दुबई में वैश्विक भारतीयों की आमद की जांच करती है। वैचारिक रूप से, यह प्रवासी समुदायों की कुछ मौजूदा परिभाषाओं को चुनौती देता है।

भारतीय डायस्पोरा समुदाय के सदस्य आज बहुत अलग प्रोफ़ाइल में फिट होते हैं। वैश्वीकरण में वृद्धि के साथ, उच्च योग्य भारतीयों का प्रवासी प्रवाह भी बढ़ रहा है जो फल–फूल रहे हैं और वैश्विक केंद्रों में नए समुदायों का निर्माण कर रहे हैं। वे इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, युगांडा, इज़राइल, सिंगापुर के साथ–साथ मॉरीशस, फिजी, मार्टीनिक और सूरीनाम जैसे छोटे देशों में 110 से अधिक देशों में फैले हुए हैं। उनकी उद्यमशीलता की सफलता और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब है कि वे अधिक प्रमुख होते जा रहे हैं और अपने सफल एकीकरण में सकारात्मक रूढ़िवादिता पैदा कर रहे हैं। वैचारिक रूप से, यह प्रवासी समुदायों की पारंपरिक विशेषताओं और उनके मेजबान समाजों में एकीकृत होने के तरीकों को चुनौती देता है। कई देश विदेशी श्रम की आवश्यकता को संबोधित कर रहे हैं और अधिक अप्रवासियों को समायोजित करने के लिए अपनी आव्रजन नीतियों को बदल रहे हैं। हालांकि, उच्च–कुशल श्रम पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अमीर हैं और उद्यमी बन सकते हैं। ये नीतियां कई कारणों में से केवल एक हैं जो उद्यमियों, व्यापारियों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के कुछ "पेशेवर केंद्र" हैं। ये पिछले बीस से तीस वर्षों में उभरे हैं। सिलिकॉन वैली, सिंगापुर और दुबई विविध और अद्वितीय केंद्रों के रूप में खड़े हैं जहां कुलीन भारतीय अप्रवासियों की बड़ी आबादी उभरी है। इन शहरों को आकर्षक गंतव्य क्या बनाता है? क्या ये शहर जानबूझकर बनाए गए थे? इन शहरों का निर्माण कैसे हुआ? यह तथ्य उन तीन चयनित शहरों के गुणों को समझने का प्रयास करता है जो इन विशिष्ट अप्रवासियों को आकर्षित करते हैं और जांच करते हैं कि कैसे वैश्वीकरण समुदायों को भारत के साथ एकीकरण और बनाए रखने की सुविधा देता है।

ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार, भारत दुनिया भर में 17.5 मिलियन–मजबूत डायस्पोरा के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की उत्पत्ति का सबसे बड़ा देश बना हुआ है, और इसे विदेशों में रहने वाले भारतीयों से 78.6 बिलियन डॉलर का उच्चतम प्रेषण प्राप्त हुआ (यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है)।

टिप्पणी

आज भारतीय प्रवासी पहले से अधिक समृद्ध है और भारत के विकास में उसकी भागीदारी बढ़ रही है। यह प्रेषण, निवेश, भारत के लिए पैरवी, विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और अपनी बुद्धि और उद्योग द्वारा भारत की एक अच्छी छवि बनाने के लिए योगदान देता है।

भारत में, प्रवासी भारतीयों को आमतौर पर अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) और भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) शामिल करने के लिए समझा जाता है, जिनमें से पीआईओ और ओसीआई कार्ड धारकों को एक श्रेणी के तहत विलय कर दिया गया था – ओसीआई में (2015)।

ब्रिटिश शासन के दौरान बड़ी संख्या में गिरमिटिया मजदूरों के रूप में फिजी, केन्या और मलेशिया जैसे पूर्व उपनिवेशों में भारतीय प्रवास शुरू हुआ।

भारत की प्रवासी नीति

भारत शुरू में इस विचार के प्रति संवेदनशील था कि प्रवासी भारतीयों के हितों की हिमायत करने से मेजबान देश नाराज हो सकते हैं, जिन्हें उनके कल्याण और सुरक्षा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होना चाहिए।

जवाहर लाल नेहरू के विचार थे कि प्रवासी भारत से अपने अधिकारों के लिए लड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते थे और इसलिए 1950 के दशक में भारत की विदेश नीति को तदनुसार गैर–हस्तक्षेप के एक मॉडल के रूप में संरचित किया गया था जब भी प्रवासी भारतीय श्रीलंका, म्यांमार, आदि में मुसीबत में पड़ गए थे।

हालांकि, राजीव गांधी पहले प्रधान मंत्री थे जिन्होंने 1980 के दशक में विदेशों में भारतीयों को, उनकी राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना, राष्ट्र–निर्माण में भाग लेने के लिए, विदेशी चीनी समुदायों की तरह, आमंत्रित करके प्रवासी नीति को बदल दिया।

फिर 2000 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के तहत, प्रवासी भारतीय मामलों के एक अलग मंत्रालय, भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, प्रवासी भारतीय नागरिक सम्मान जैसे सकारात्मक उपायों की मेजबानी की गई। विदेश में भारतीय नागरिकों के लिए इंडिया कार्ड, एनआरआई फंड और वोटिंग अधिकार की सुविधा प्रदान की गई।

इसके अलावा, 2015 में, विदेश मंत्रालय ने ई–माइग्रेट प्रणाली शुरू की जिसके लिए सभी विदेशी नियोक्ताओं को डेटाबेस में पंजीकरण करने की आवश्यकता है।

वर्तमान सरकार ने प्रवासी जुड़ाव के लिए 2016 में 'भारत को जानें कार्यक्रम' (केआईपी) नामक एक योजना शुरू की है जो भारतीय मूल के युवाओं (18–30 वर्ष) को उनकी भारतीय जड़ों और समकालीन भारत से परिचित कराती है।

भारतीय डायस्पोरा का महत्व

आर्थिक मोर्चा

- भारतीय प्रवासी कई विकसित देशों में सबसे अमीर अल्पसंख्यकों में से एक हैं, इससे उन्हें भारत के हितों के संबंध में अनुकूल शर्तों की पैरवी करने में मदद मिली। उदाहरण के लिए, 28 लाख पर, भारतीय अमेरिकी आबादी का केवल 1

प्रतिशत हो सकते हैं, लेकिन वे 2013 के सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अधिक शिक्षित और सबसे अमीर अल्पसंख्यक हैं।

- कम कुशल श्रमिकों (विशेषकर पश्चिम एशिया में) के प्रवास ने भी भारत में बेरोजगारी को कम करने में मदद की है।

टिप्पणी

सामान्य तौर पर, प्रवासियों के प्रेषण का भुगतान संतुलन पर सकारात्मक प्रणालीगत प्रभाव पड़ता है। 70–80 बिलियन डॉलर के प्रेषण से व्यापक व्यापार घाटे को पाटने में मदद मिलती है।

- क्रॉस–नेशनल नेटवर्क के वेब बुनकर, प्रवासी श्रमिकों ने भारत में वाणिज्यिक और व्यावसायिक विचारों और प्रौद्योगिकियों के प्रवाह को सुगम बनाया।

राजनीतिक मोर्चा

- भारतीय मूल के बहुत से लोग कई देशों में शीर्ष राजनीतिक पदों पर हैं, अमेरिका में ही वे अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के साथ–साथ सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
- प्रवासी भारतीयों के राजनीतिक दबदबे का अंदाजा भारत–यू.एस. परमाणु समझौते से लगाया जा सकता है।

विदेश नीति मोर्चा

- प्रवासी भारतीय न केवल भारत की सॉफ्ट पावर का हिस्सा हैं, बल्कि पूरी तरह से हस्तांतरणीय राजनीतिक वोट बैंक भी हैं।
- मैडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भारतीय–अमेरिकी समुदाय के सदस्यों को धन्यवाद देने का एक तरीका है, जिन्होंने उनके इलेक्ट्रॉनिक अभियान और चुनावी फंडिंग में एक बड़ी भूमिका निभाई।
- "प्रवासी कूटनीति" का संस्थानीकरण इस तथ्य के लिए एक विशिष्ट संकेत है कि एक देश का प्रवासी समुदाय विदेश नीति और संबंधित सरकारी गतिविधियों के लिए रुचि के विषय के रूप में काफी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

डायस्पोरा डिप्लोमेसी

एक सामूहिक कार्रवाई जो एक देश के डायस्पोरा द्वारा संचालित होती है, जो मेजबान देश की संस्कृति, राजनीति और अर्थशास्त्र को इस तरह से प्रभावित करती है जो मातृभूमि और नए घरेलू आधार के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी हो।

भारतीय डायस्पोरा के सामने चुनौतियां

विषम प्रवासी – भारतीय डायस्पोरा की भारत सरकार से अलग–अलग मांगें हैं। खाड़ी के प्रवासी, उदाहरण के लिए, कल्याणकारी मुद्दों पर समर्थन के लिए भारत की ओर देखते हैं। जबकि अमेरिका जैसे धनी देशों के लोग निवेश के अवसरों के लिए भारत की ओर देखते हैं। इस बीच, फिजी और मॉरीशस जैसे देशों में भारतीय समुदाय सांस्कृतिक आधार पर देश के साथ फिर से जुड़ने की इच्छा रखते हैं।

वैश्वीकरण विरोधी – बढ़ती वैश्वीकरण विरोधी लहर के साथ, भारतीय समुदाय के खिलाफ संदिग्ध घृणा अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

पश्चिम एशियाई संकट – पश्चिम एशिया में अस्थिरता, तेल की कीमतों में गिरावट के साथ, भारतीय नागरिकों की भारी वापसी, प्रेषण में कमी और नौकरी बाजार पर मांग करने की आशंका पैदा हुई है।

टिप्पणी

रिटर्निंग डायस्पोरा – भारत को यह भी महसूस करना चाहिए कि पश्चिम एशिया में प्रवासी अर्ध–कुशल हैं और मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लगे हुए हैं। बुनियादी ढांचे में उछाल आने के बाद भारत को भारतीय श्रमिकों के लौटने की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए।

नियामक कोलेस्ट्रॉल – प्रवासी भारतीयों के लिए भारत के साथ सहयोग करने या देश में निवेश करने के लिए भारतीय प्रणाली की कई अपर्याप्तताएं हैं।

उदाहरण के लिए, लालफीताशाही, सरकार के प्रति अविश्वास जैसी शिकायतें प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रस्तुत अवसरों को पूरा करने में बाधा के रूप में कार्य कर रही हैं।

यह याद रखना चाहिए कि एक मजबूत डायस्पोरा होने का मतलब हमेशा स्वदेश के लिए लाभ नहीं होता है। खालिस्तान आंदोलन जैसे अलगाववादी आंदोलनों के लिए भारत को नकारात्मक प्रचार और विदेशों से आने वाली विदेशी फंडिंग की समस्या रही है।

3.5.3 आंदोलन का अर्थ और जातीय एवं धार्मिक आंदोलन

आंदोलन संगठित सत्ता तंत्र अथवा व्यवस्था द्वारा शोषण और अन्याय किये जाने के बोध से उसके खिलाफ पैदा हुआ संगठित और सुनियोजित संघर्ष के परिणामस्वरूप पैदा होता है। वास्तव में इसका उद्देश्य सत्ता या व्यवस्था में सुधार या परिवर्तन होता है। यह राजनीतिक सुधारों या परिवर्तन की आकांक्षा के अलावा सामाजिक धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा पर्यावरणीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी चलाया जाता है।

आंदोलन एक सामूहिक संघर्ष होता है लेकिन संघर्ष और आंदोलन एक ही चीज नहीं होते हैं। संघर्ष हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा होता है। यह सर्वविदित सत्य है कि वर्गों में बंटे और शोषण पर टिके समाज में व्यक्ति प्रतिदिन अनगिनित प्रकार के संघर्ष करते रहते हैं। यह संघर्ष व्यक्ति के सामूहिक संघर्ष या वर्ग संघर्ष का हिस्सा भी होता है। यह संघर्ष किसी भी रूप में आंदोलन नहीं कहा जा सकता है।

आंदोलन, चाहे वह संगठित हो या स्वतः स्फूर्त, संघर्ष के विकास की एक अवस्था है, जहां संघर्ष का स्वरूप आम हो जाता है, वास्तव में संघर्ष व्यक्तिगत नहीं रहता वह तो सामूहिक हो जाता है। उदाहरणस्वरूप, चिपको आंदोलन पेड़ों की रक्षा करने के लिए चलाया गया आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, जातीय आंदोलन व सामाजिक आंदोलन इत्यादि।

अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट भी तकरीबन दस दशकों तक चला लंबा मानवाधिकार आंदोलन था। यह आंदोलन दुनिया के किसी एक देश, एक समाज का नहीं है, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, यूरोप से लेकर एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका

टिप्पणी

और हिंदुस्तान में भी यह तकरीबन तीन दशक लंबी चली लड़ाई है। रंगभेद विरोधी आंदोलन अफ्रीका, नेल्सन मंडेला और बिनी मंडेला का नाम इतना पुराना भी नहीं है कि हमारी स्मृतियों से मिट गया हो। हमारे लोकतंत्र की नींव ही इन आंदोलन के बीच पनपी है। 19वीं और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में भारत में किसान आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन और अन्य कई आंदोलन अपने अधिकारों की मांग के लिए दिनों–दिन बढ़ते जा रहे हैं।

इस्लाम के प्रभावों से हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए हिन्दुओं ने धर्म संबंधी और जाति–प्रथा संबंधी नियमों को बहुत कठोर बनाया और उन्हें दृढ़ता से लागू किया। इसका प्रभाव यह हुआ कि जातीय संरचना में और भी रूढ़िवादिता व संकीर्णता पनपी। ब्राह्मणों ने अपनी स्थिति को ऊंचा बनाए रखने के लिए भरसक प्रयत्न किया, परंतु उनका यह प्रयत्न पूर्णतया सफल नहीं हुआ क्योंकि कुछ विरोधी शक्तियां भी उस समय क्रियाशील थीं। कुछ जातियों को विशेषकर कायस्थ, खत्री और क्षत्रियों को मुसलमान शासकों का संरक्षण प्राप्त था जिसके कारण इन जातियों को अपनी स्थिति को ऊंचा करने का अवसर प्राप्त हुआ और वास्तव में सामाजिक जीवन में इनकी प्रतिष्ठा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। कुछ विद्वानों का कथन है कि मुसलमान शासकों की सुरक्षा के फलस्वरूप ही कायस्थों की स्थिति इतनी ऊंची उठ गई थी कि उनकी गणना ब्राह्मणों के बाद होने लगी जबकि पहले वे केवल एक परिष्कृत शूद्र जाति थे। उसी प्रकार क्षत्रियों को भी मुसलमानों के राजघरानों में अपना संपर्क स्थापित करने का मौका मिला। इनमें से अनेक राजपूत घरानों का वैवाहिक संबंध मुसलमान राजवंश से स्थापित हो गया। फलतः इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी शासक वर्ग के बाद ही मानी गयी है। इस सब हेर–फेर के कारण ब्राह्मणों की स्थिति तथा प्रतिष्ठा को काफी धक्का पहुंचा। जिन रक्षात्मक उपायों को अपनाया गया उनसे जातीय नियम और भी अनुदार एवं कठोर हो गए।

दूसरी ओर हिन्दू जाति–प्रथा ने स्वयं मुसलमानों को भी प्रभावित किया। मुस्लिम युग से पहले ही जाति–प्रथा भारत की एक आधारभूत तथा प्रभावशाली संस्था थी। मुसलमान भी इसके पंजे से अपने को विमुक्त नहीं रख पाए। हां, यह हो सकता है कि मुसलमानों में जो जाति–प्रथा विकसित हुई, उसका स्वरूप ठीक वैसा न था जैसा कि उस समय हिन्दुओं में था; फिर भी मुसलमानों में भी इस प्रथा का प्रवेश हो चुका था, इसके पक्ष में अनेक ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मुसलमानों ने एक ओर अपनी नीति से हिन्दुओं की जाति–प्रथा को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप जाति–प्रथा के परंपरात्मक स्वरूप में बहुत कुछ हेर–फेर हुई और दूसरी ओर वे स्वयं भी जाति–प्रथा से प्रभावित हुए।

इन प्रभावों को इस प्रकार देखा जा सकता है–

1. **प्रथम प्रकार के प्रभाव**– मुसलमानों की धार्मिक तथा शासन संबंधी नीतियों का पहला प्रभाव हिन्दू जाति व्यवस्था पर इस रूप में पड़ा कि जातीय संस्तरण के अंतर्गत जिस जाति की जो स्थिति पहले थी वह उस रूप में नहीं बनी रही। ऊपर हम कायस्थों की सामाजिक स्थिति के ऊपर उठने की चर्चा कर चुके हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि की भी जातीय प्रतिष्ठा में कुछ–न–कुछ हेर–फेर अवश्य ही हुआ।

टिप्पणी

2. **दूसरे प्रकार के प्रभाव**– दूसरा उल्लेखनीय प्रभाव यह था कि मुगल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात जाति–प्रथा के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रतिबंध दिन–प्रतिदिन दुर्बल होते गए। पेशा परंपरागत अवश्य ही था, पर साथ ही यह जरूरी नहीं था कि सब या अधिकतर जातियां उसके द्वारा अपनी जीविका निर्वाह करें।
3. **तीसरे प्रकार के प्रभाव**– तीसरा उल्लेखनीय प्रभाव यह था कि अकबर ने भारत के इतिहास में सबसे पहले सरकारी स्कूल खोले जिनमें हिन्दू और मुसलमान बच्चों को एकसाथ फारसी के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इसका प्रभाव जाति–प्रथा की कट्टरता पर पड़ा और हिन्दू एवं मुसलमानों में एक–दूसरे के प्रति सहनशीलता का मनोभाव बढ़ता गया।
4. **चौथे प्रकार के प्रभाव**– चौथा प्रभाव यह था कि कबीर, नानक, चैतन्य आदि के निर्देशन में जो भक्ति–आंदोलन चला उससे जाति–प्रथा के अंतर्गत पाए जाने वाली कठोरता, छुआछूत आदि को काफी धक्का लगा और कुछ सीमा तक वे दुर्बल भी हो गए। इस आंदोलन का ब्राह्मणों की तानाशाही पर भी स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इसी का एक और प्रभाव यह था कि तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराष्ट्र में अनेक शूद्र–संत, जैसे नामदेव, तुकाराम आदि का प्रादुर्भाव हुआ। इनके प्रयत्नों से शूद्रों को कुछ अधिकार प्राप्त हुए।
5. **पांचवें प्रकार के प्रभाव**– पांचवां और अंतिम प्रभाव यह था कि ब्राह्मणों की रक्षात्मक प्रवृत्ति के कारण जातीय नियम, विशेषकर, संबंध नियम, अत्यधिक कठोर हो गए।

विवाह पर प्रभाव

हिन्दू धर्म और इस्लाम के मूलभूत धार्मिक और सामाजिक आदर्शों, मूल्यों तथा प्रथा–परंपराओं में एकाधिक मौलिक अंतर थे। पहले–पहल दोनों संस्कृतियों में संघर्ष हुए। हिन्दुओं ने अपनी रक्षा करने के लिए अपने जाति संबंधी नियमों को पहले से कहीं अधिक जटिल तथा कठोर बनाया। इस संबंध में विशेष कठोरता विवाह के संबंध में अपनाई गई। क्योंकि मुसलमान शासकों को सुन्दर हिन्दू लड़कियों को अपनी पत्नियां बनाने का शौक था, यहां तक कि विधवाओं से भी विवाह संबंध स्थापित करने में उन्हें कोई आपत्ति न थी। हिन्दुओं की ओर से इस प्रवृत्ति का घोर विरोध हुआ। हिन्दू लड़कियों या विधवाओं का विवाह संबंध मुसलमानों के साथ स्थापित न हो सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्न चार उपायों को अपनाया गया–

1. **पहला उपाय**– हिन्दुओं में बाल–विवाह एक सामान्य नियम बन गया और लड़कियों के विवाह की आयु 8–9 वर्ष तक उतर आई। यही नहीं, 'गर्भ–विवाह' का भी प्रचलन इस युग में हुआ। गर्भवती स्त्रियां ज्योतिषियों से पूछकर या स्वयं ही होने वाले बच्चों के लिंग के संबंध में अनुमान लगा लेती थीं और उसी आधार पर जन्म से पहले ही या तो विवाह संपादित हो जाता था अथवा लड़की 'वागदत्ता' मान ली जाती थी और बड़े होने पर विवाह उसी पूर्व–निर्धारित लड़के से कर दिया जाता था।
2. **दूसरा उपाय**– उच्च तथा मध्य जातियों में पर्दा–प्रथा का प्रचलन तेजी से किया गया। इसका उद्देश्य लड़कियों की गतिशीलता पर रोक लगाना था ताकि

टिप्पणी

किसी भी रूप में इनका संबंध मुसलमानों से स्थापित न हो सके और उनके साथ विवाह की कोई संभावना उत्पन्न न हो। इस पर्दा प्रथा का एक स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि कुछ समृद्ध परिवारों को छोड़कर हिन्दुओं में सामान्यतः स्त्री–शिक्षा का पूर्ण अभाव हो गया। इससे भी विवाह के संबंध में अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त करने में लड़कियां एक प्रकार से असमर्थ हो गईं।

3. **तीसरा उपाय**– विधवाओं के पुनर्विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगा दिये गये। इसको प्रभावशाली बनाने के लिए इस प्रतिबंध के साथ अनेक धार्मिक तथा नैतिक विचारों को जोड़ दिया गया था। इन सबका परिणाम यह हुआ कि उस युग में कुछ नीची जातियों को छोड़कर अन्य लोगों में विधवा–विवाह का विचार ही जाता रहा था, फिर भी यह आशंका की जाती थी कि विधवाओं के पुनर्विवाह को रोकने के ये नियम कुछ मामलों में शायद असफल रहें, विशेषकर जबकि लड़की युवती और सुन्दरी है और उसे शासक–वर्ग के परिवार में उपलब्ध सुख ऐश्वर्य का प्रलोभन दिया जाता है।

4. **चौथा उपाय**– सती–प्रथा के आदर्श को और भी बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत स्त्रियों के दिल और दिमाग में यह बात भर दी गई कि मृत पति की चिता में जलकर मर जाना पत्नी के लिए सबसे पुण्य का कार्य है और इसमें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत–सी स्त्रियों ने इस आदर्श को सहर्ष स्वीकार किया और धीरे–धीरे यह प्रथा एक ऐसी कठोर रूढ़ि के रूप में विकसित हो गई कि जो विधवाएं अपने मृत–पति के साथ सह–मरण के लिए तैयार नहीं होती थीं उनको जबरदस्ती इस कार्य के लिए बाध्य किया जाता था।

हिन्दू धर्मशास्त्र के निर्देशानुसार उस समय प्रचलित बाल–विवाह का आदर्श तो इतना प्रभावशाली प्रतीत हुआ कि मुसलमानों ने भी इसे अपनाया। वास्तव में मुसलमानों में इसके प्रचलन का कारण यह था कि भारत के अधिकतर मुसलमान मूलतः हिन्दू ही थे और वे मुसलमान बन जाने के बाद भी बाल विवाह संबंधी अपनी पुरानी प्रथा को न छोड़ सके। फलतः मुसलमानों में भी बाल–विवाह का प्रचलन हो गया और उनके कानून ने इस प्रकार के विवाहों को स्वीकार कर लिया। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दुओं की भांति कुछ मुसलमानों में दहेज की तरह वर–मूल्य प्रथा का भी प्रचार हो गया। परंतु इसका प्रचलन बहुत ही सीमित है, फिर भी मुसलमानों की वैवाहिक संस्था पर हिन्दुओं की संस्कृति का यह भी एक प्रभाव है।

मुसलमानों के आने से पहले हिन्दुओं में धर्म के क्षेत्र में आडम्बर और छुआछूत का विचार प्रबल था। साथ ही, हजारों देवी–देवताओं का पूजा–पाठ प्रचलित था। इस संबंध में मुसलमानों का प्रथम उल्लेखनीय प्रभाव एक ईश्वर की आराधना के प्रति हिन्दुओं का झुकाव था। भारतवर्ष में एकेश्वरवाद का प्रारंभ इस्लाम का ही प्रभाव था। इस्लाम में बहु–ईश्वर पर विश्वास, छुआछूत और बाहरी आडम्बर नहीं है। इससे प्रभावित होकर अनेक हिन्दू सन्त–साधुओं ने सब धर्मों की समानता और इश्वर की एकता पर बल दिया, बाहरी दिखावा और छुआछूत की निन्दा की, जन्म के स्थान पर कर्म को अधिक महत्वपूर्ण माना और धर्म के ठेकेदार ब्राह्मणों के धर्म के नाम पर सामाजिक अन्याय की कटु आलोचना की। इन संत–साधुओं में कबीर, नानक, चैतन्य, रामानन्द, तुकाराम, रामदास आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके संरक्षण

टिप्पणी

में इस्लाम की भांति समानता के सिद्धांत पर बल देने वाले भक्ति–आंदोलन का विकास हुआ। कुछ इतिहासकारों का कथन है कि इस भक्ति–आंदोलन के विकास का मूल कारण इस्लाम नहीं था। धर्म के क्षेत्र में भक्ति का मार्ग हिन्दुओं का परंपरागत मार्ग है जिसका कि उल्लेख गीता में भी मिलता है। इस परंपरागत विचार के अनुसार मोक्ष–प्राप्ति अर्थात् जनम मरण के बंधन से मुक्ति के मार्ग हैं– ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग।

मुसलमान काल में हिन्दुओं में अनेक ऐसे धार्मिक विचारक हुए जिन्होंने भक्ति को अधिक महत्व दिया और धर्म–सुधार का एक नया आंदोलन प्रारंभ किया, यही भक्ति आंदोलन था। अतः स्पष्ट है कि भारतीय परंपरा की पृष्ठभूमि में यह आंदोलन बिल्कुल नया नहीं था। परंतु यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मुसलमानों के कारण इस आंदोलन को प्रेरणा अवश्य ही मिली क्योंकि मुसलमान शासक इस देश में केवल राज्य ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपने धर्म का भी प्रचार करना उनका उद्देश्य था। साथ ही वे मूर्ति–पूजा के भी विरोधी थे। इस परिस्थिति का प्रभाव भक्ति–आंदोलन पर अवश्य ही पड़ा। इस दृष्टिकोण से यह आंदोलन सुधारात्मक और रक्षात्मक दोनों ही था। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन के दो प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो यह कि इसके द्वारा उस समय हिन्दू धर्म में उत्पन्न बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया गया और साथ ही दूसरी ओर इन बुराइयों के दूर हो जाने पर यह आशा की गई कि हिन्दुओं का इस्लाम धर्म के प्रति झुकाव घट जाएगा और वे धर्म–परिवर्तन नहीं करेंगे। इस प्रकार इसका उद्देश्य हिन्दू धर्म की रक्षा करना तथा सामाजिक–धार्मिक बुराइयों को दूर करना था।

इस्लाम की भांति भक्ति–संप्रदाय के अनुसार ईश्वर महान है। इस महान ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और प्रेम और भक्ति के सहारे उसके पास पहुंचना तथा उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रेम और भक्ति के सहारे ईश्वर पर भी विजय पाई जा सकती है। गीता में भी श्रीकृष्ण ने स्पष्ट ही कहा है कि भक्ति ही उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए भक्ति–सम्प्रदाय के अनुसार भक्ति का मार्ग ही उत्तम है और भक्ति और प्रेम करने का अधिकार किसी विशेष जाति या समुदाय को नहीं है। इस मार्ग पर प्रत्येक व्यक्ति चल सकता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र। भगवान को पाने के लिए बाहरी दिखावे या आडम्बर की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जाति का सदस्य भक्ति–मार्ग का पथिक हो सकता है। साथ–ही–साथ भगवान के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए गृहस्थ–जीवन का त्याग भी आवश्यक नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है यदि हमारे अंदर भावनाओं की पवित्रता है, सच्ची भक्ति और श्रद्धा है।

भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख संत कबीर थे। कबीर के धार्मिक आंदोलन पर मुसलमानों के सूफीवाद का काफी प्रभाव पड़ा। सूफीवाद के अनुसार ईश्वर एक है और सब जगह विशेषकर मनुष्य के हृदय में मौजूद है। कबीर ने इसी के अनुसार छुआछूत, जाति–पांति और हिन्दुओं के धार्मिक दिखावे की कटु आलोचना की और आत्मदर्शन को ही सबसे बड़ा माना। उन्होंने राम–रहीम, कृष्ण–करीम, क्राबा–कैलाश और कुरान–पुरान को एक ही बताया। हजारों हिन्दू ही नहीं, मुसलमान भी उनके अनुयायी हो गये। गुरु नानक के संरक्षण में जिस सिक्ख धर्म का विकास हुआ उस पर भी मुसलमानों का प्रभाव बताया जाता है। गुरु नानक ने अद्वैतवाद को ही सत्य बताया है और कहा कि हिन्दू और मुसलमानों के धर्मों में कोई विशेष अंतर नहीं। उन्होंने हिन्दू

और मुसलमान धर्मों के दोषों को बताते हुए धार्मिक संस्कार के दिखावे और मूर्तिपूजा का विरोध किया। आचरणों की शुद्धता ही नानक के धर्म या उपदेश का मूल–मंत्र है।

टिप्पणी

डॉ. ताराचन्द का कथन है कि महान धर्म–सुधारक शंकराचार्य पर इस्लामी धर्मशास्त्र का प्रभाव पड़ा था और उन्होंने अपने अद्वैतवाद का सिद्धांत इस्लाम से ग्रहण किया, परंतु इस मत से कुछ अन्य इतिहासकार सहमत नहीं है। उनका कथन यह है कि यदि शंकराचार्य ने अपना अद्वैतवाद का सिद्धांत इस्लाम से ग्रहण किया तो उन्होंने मूर्तिपूजा का, जिसके सभी मुसलमान शास्त्रकार कट्टर विरोधी है, खण्डन क्यों नहीं किया। कुछ भी हो, कम–से–कम उत्तर भारत में मुसलमानों की उपस्थिति का हिन्दू धार्मिक विचारों और क्रियाओं पर कोई क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा हो, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता और इस युग में देश की आम जनता के धार्मिक विचार या अनुष्ठान पूर्णतया अप्रभावित रहे। इसका एक कारण यह भी था कि उस समय यातायात और संचार के साधनों का विकास नहीं हो पाया था और अधिकतर जनता गांवों में ही निवास करती थी। अतः उन तक नए धर्म और विचारों को पहुंचाना संभव न हुआ।

इस्लाम पर हिन्दू धर्म का बिलकुल प्रभाव नहीं पड़ा यह कहना उचित न होगा, क्योंकि इन दोनों का पारस्परिक संबंध इतना घनिष्ठ था कि एक के लिए अपने का दूसरे से पूर्ण अप्रभावित रखना संभव नहीं था। जिन हिंदुओं ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया वे अपने साथ अपने पूर्वजों के धार्मिक विचारों, संस्कारों तथा कृत्यों को लेते गये। मुसलमानों में फकीरों, पीरों तथा मकबरों की पूजा प्रचलित हो गई। यह हिन्दुओं में प्रचलित स्थानीय तथा जातीय देवताओं की पूजा का ही दूसरा रूप था, जिससे भारतीय मुसलमान छुटकारा न पा सके। कुछ विद्वानों का तो यह कथन है कि मुसलमानों के रहस्यवाद, विशेषकर सूफी पन्थ को हिन्दू वेदान्त से प्रेरणा मिली थी। कुछ मुसलमान विद्वानों ने वेदान्त आदि हिन्दू–दर्शन का भी अध्ययन किया। हजरत साज रहमानी जैसे उदार विद्वानों का यह कथन है कि इस्लाम का आधार ही हिन्दू धर्म है और मूलतः हिन्दू धर्म और इस्लाम में वस्तुतः कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। इस्लाम के द्वारा अरबी सभ्यता का अनुकरण होने के कारण ही दोनों परस्पर भिन्न हो गए हैं।

भारत का इतिहास बहुत पुराना है और उतना ही पुराना है भारत में सुधारवादी आंदोलन का इतिहास। यदि हम भारत में होने वाले सामाजिक सुधारों के इस इतिहास का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि समाज की कुरीतियों को सुधारने के संबंध में इस देश के सुधारक भी पीछे नहीं रहे। हां, हो सकता है कि प्राचीन एवं मध्ययुग का सुधारवादी आंदोलन वर्तमान सुधारवादी आंदोलन से बिल्कुल भिन्न हो। पर यह नहीं था कि सुधार के प्रति लोगों की रुचि प्राचीन एवं मध्य युग में न हो। प्राचीनकाल में इसका स्वरूप पारस्परिक सहायता–दान और विश्व–प्रेम के रूप में था। धर्म में इस संबंध में अनेक उपदेश व निर्देशों का समावेश था। डॉ. आर.सी. मजूमदार ने लिखा है, 'राजा, व्यापारी, जमींदार और अन्य सहायक संगठन अपने साधनों के अनुसार धर्म के पवित्र कार्य के लिए सहायता करने में एक–दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करते थे।' इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में सुधारवादी आंदोलन का एक धार्मिक रूप था।

बौद्धकाल में बोधिसत्व के द्वारा समाज सुधार का काम शुरू किया गया था। युवावस्था में ही गौतम बुद्ध ने गांव के तीस व्यक्तियों को अपने चारों ओर एकत्र किया और उनको जनता की भलाई व समाज–सुधार के कार्य करने के लिए प्रेरणा दी। उसी

टिप्पणी

प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह पता चलता है कि मौर्य युग में समाज कल्याण व सुधार का काम गांव–पंचायतों के द्वारा होता था। 13वीं शताब्दी के बाद के बाद भारतीय जनसंख्या में मुसलमान भी सम्मिलित हो गए। कुछ मुगल शासकों ने जाति–पांति के भेदभाव को बुरा करार दिया और उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील हुए, परंतु कुछ मुसलमान शासकों ने इस्लाम धर्म को प्रधानता दी जिसके फलस्वरूप हिन्दुओं में एक असुरक्षा की भावना पनपी। इसका चरम रूप 18वीं शताब्दी में देखने को मिला।

यदि हम 18वीं शताब्दी के भारतवर्ष का विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा कि वह समय अत्यंत अंधकारपूर्ण तथा निराशाजनक था। मुगल सिंहासन हिल चुका था और प्रान्तों में विद्रोह की आग भड़क रही थी। ऐसे समय में अंग्रेज भारतीयों की आपसी फूट तथा दुर्बलता से लाभ उठाकर इस देश में अपना राज्य कायम कर बैठे तथा तथा आर्थिक व राजनीतिक रूप में उन्होंने भारत का खूब शोषण किया। भारतीय समस्याओं और प्रगति के प्रति अंग्रेजों की उदासीन नीतियों के फलस्वरूप उस समय सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में अव्यवस्था फैली हुई थी। भारतीय समाज अनेक कुप्रथाओं और कुसंस्कारों का शिकार बना हुआ था, लोगों में धार्मिक अन्धविश्वासों की प्रधानता थी। भारतीय समाज व संस्कृति अंधकार में भटक रही थी। इन सब दशाओं को देखकर उस शताब्दी के कुछ अग्रगण्य भारतीयों ने इस अव्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाया। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप ही आधुनिक समय में भारत में समाज सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इस संबंध में कुछ वर्णन करने से पहले हमें समाज–सुधार या सामाजिक सुधार के अर्थ को समझना आवश्यक है।

19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित भारतीय संस्कृति ने जिन नवीन विचारधाराओं को जन्म दिया, जिस प्रकार धर्म और समाज में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया और जिस प्रकार भारत के राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में एक नवीन चेतना प्रारंभ हुई, उस चेतना भावना और उससे प्रभावित विभिन्न प्रयत्नों को पुनर्जागरण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार 16वीं शताब्दी में यूरोप में हुए पुनर्जागरण ने यूरोप के धर्म, समाज, साहित्य, कला आदि सभी को प्रभावित किया था, उसी प्रकार 19वीं शताब्दी में भारत के पुनर्जागरण आंदोलन ने भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन किया।

18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने के समय भारत राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से बहुत दुर्बल था। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत राजनीतिक दृष्टि से छिन्न–भिन्न हो चुका था। छोटे–छोटे राज्य निरंतर आपस में लड़ रहे थे। कृषि, व्यापार और उद्योग नष्ट हो रहे थे। साहित्य एवं कला भी उन्नत अवस्था में न थे। ऐसे अव्यवस्थित वातावरण में अंग्रेजों का नैतिक पतन हो रहा था। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु ऐसी परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाया। धीरे–धीरे अंग्रेज प्रशासक भारत में शासन–व्यवस्था एवं राजनीतिक एकता स्थापित करने में सफल हुए। 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों ने इस कार्य को पूर्ण कर लिया था परंतु भारतीयों पर उनके शासन, संस्कृति और विचारों का प्रभाव उससे पहले ही आना प्रारंभ हो गया था। अतः 19वीं सदी के आरंभिक काल में अनेक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया था जिनके कारण भारत में पुनर्जागरण आंदोलन हुआ।

टिप्पणी

अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी भाषा, पाश्चात्य संस्कृति, विदेशों से संपर्क, ईसाई पादरियों के धार्मिक प्रचार आदि के कारण भारत में जो पुनर्जागरण की भावना आयी तथा उससे जो पुनरुद्धार आंदोलन भारत में हुआ, उसने भारत के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, कलात्मक तथा राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया और जीवन के सभी अंगों में एक नवीन भावना और नवीन जागृति को जन्म दिया। भारत का आधुनिकीकरण बहुत कुछ इस पुनरुद्धार आंदोलन के कारण हुआ। भारतीय जनजीवन पर इस प्रभाव की चर्चा निम्न प्रकार से हुई–

1. **सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव**– 19वीं शताब्दी में हुए ये धर्म सुधार आंदोलन केवल धर्म सुधार तक ही सीमित नहीं थे वरन् समाज सुधार भी इन आंदोलनों का एक मुख्य लक्ष्य था। भारतीय समाज धर्म से प्रभावित है इसी कारण भारतीय धर्म सुधार आंदोलन समाज सुधार से पृथक नहीं हो सकते थे। भारतीय समाज और मुख्यतः हिन्दू समाज में अनेक सामाजिक कुरीतियों का समर्थन धर्म के आधार पर किया जाता था जिससे साधारण व्यक्ति उन कुरीतियों को तोड़ने का साहस नहीं कर सकते थे। इन सुधारकों ने ही समाज में उपदेश दिए कि ये कुरीतियां तो राजनीतिक परिस्थितियों या अन्धविश्वासों से उत्पन्न हुई हैं। अतः इन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना धर्म का विरोध करना नहीं बल्कि इसके विपरीत अपने धर्म और समाज को शक्तिशाली बनाना है। इसी आधार पर इन धर्म–सुधार आंदोलन के समर्थकों ने समाज में व्याप्त जाति–प्रथा, बाल–विवाह प्रथा, अनमेल विवाह, अस्पृश्यता, परदा प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा, स्त्री अधिकार, अन्तर्जातीय विवाह, विधवा विवाह आदि का समर्थन किया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा समाप्ति का आंदोलन चलाया। उन्हीं के सफल प्रयत्नों के कारण लॉर्ड विलियम बैंटिक ने 1829 ई. में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। समुद्र यात्रा के द्वारा उन्होंने इस बात का खण्डन किया कि समुद्र यात्रा से व्यक्ति का धर्म या जाति नष्ट हो जाती है। विवेकानन्द ने भी यही कार्य किया। विधवा–विवाह के क्षेत्र में आर्य समाज ने महत्वपूर्ण कार्य किए। 1887 ई. में शशिपद बनर्जी ने कलकत्ता में विधवा सहायता हेतु एक संस्था बनायी, उसी प्रकार रमाबाई ने बंबई में 'शारदा सदन', श्री कर्वे ने विधवाश्रम तथा सर गंगाराम ने लाहौर में 'विधवा विवाह सहायक सभा' बनायी। 'अखिल भारतीय महिला संघ' के द्वारा भी विधवा समस्या के समाधान का प्रयास किया गया। आर्य समाज ने स्त्री गुरुकुलों की भी स्थापना की और शुद्धि आंदोलन को आरंभ करके न केवल जाति समानता पर ही बल दिया बल्कि ईसाई और इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए भी हिंदू धर्म और समाज के दरवाजे खोल दिए। 19वीं शताब्दी के सभी प्रमुख सुधार आंदोलनों के द्वारा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सन् 1907 ई. में 'इण्डियन वीमेन्स एसोसिएशन' बना। 1919 ई. में दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज बना और भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के 'मैटरनिटी एण्ड चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो' ने महिलाओं को लाभ पहुंचाया। आधुनिक समय में सभी राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने समाज सुधार के कार्य को जो महत्व प्रदान किया है, उसका मूल कारण 19वीं शताब्दी के ये धार्मिक और सामाजिक आंदोलन ही हैं।

टिप्पणी

2. **धार्मिक सुधार**– पुनरुद्धार आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव 19वीं सदी के धर्म सुधार आंदोलन थे। प्रायः सभी धर्मों ने एक नवीन चेतना का अनुभव किया। ईसाई, पारसी, इस्लाम और सबसे अधिक हिन्दू धर्म में जागृति की भावना आयी। इस धर्म सुधार का कार्य राजा राममोहन राय ने प्रारंभ किया। वेदों को आधार मानकर उन्होंने हिन्दू धर्म की प्रतिष्ठा और सभी धर्मों में समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया और जाति–प्रथा, सती–प्रथा तथा बाल–विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया। इससे हिन्दू धर्म में आत्मविश्वास पैदा हुआ तथा शिक्षित हिन्दू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित होने से रुक गए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी तथा रामकृष्ण मिशन ने हिन्दुओं को अपने धर्म की श्रेष्ठता में विश्वास उत्पन्न करा दिया। हिन्दू धर्म को नवीन जीवन प्रदान करने में न केवल हिन्दू धर्म–सुधारकों ने कार्य किया बल्कि अनेक विदेशी विद्वानों, जैसे मैक्समूलर, विलियम जोन्स, चार्ल्स विकिन्स आदि ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महान विद्वानों ने हिन्दू धार्मिक ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके और उनकी महानता को स्पष्ट करके हिन्दू धर्म को श्रेष्ठ धर्म सिद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस धार्मिक आंदोलनों ने हिन्दू धर्म को उसके दोषों से मुक्त किया और उसके सत्य सिद्धांतों को खोज निकाला। इन्हीं आंदोलनों के प्रयत्नों से हिन्दू धर्म संपूर्ण संसार को अध्यात्मवाद का संदेश दे सका।

3. **प्राचीन साहित्य की प्राप्ति एवं आधुनिक साहित्य को नयी दिशा**– पुनरुत्थान आंदोलनों के कारण प्राचीन वैदिक एवं बौद्ध–साहित्य फिर से प्रकाश में आया क्योंकि इस समय तक भारतीय अपने प्राचीन ज्ञान को भूल चुके थे। इस दिशा में भी यूरोपीय विद्वानों से सहायता प्राप्त हुई, जिन्होंने हिन्दुओं के प्राचीन साहित्य की खोज की, उसका प्रकाशन कराया तथा अनेक यूरोपियन भाषाओं में उनका अनुवाद कराया। बिलकिन्स ने गीता का अनुवाद किया, जोन्स ने अन्य ग्रंथों के साथ–साथ 'मनुस्मृति' शकुन्तला और संस्कृत के अनेक नाटकों का संकलन किया। कोलब्रुक ने पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' और 'हितोपदेश' जैसे अनेक संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। मैक्समूलर ने वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जर्मनी के ग्लासेनहेप ने अनेक संस्कृत ग्रंथों पर टीकाएं लिखीं तथा माधवाचार्य पर एक ग्रंथ लिखा। इसके पश्चात् भारतीयों ने भी इस ओर ध्यान दिया। हिन्दू धार्मिक आंदोलनों के सभी नेताओं ने भी इन प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन पर बल दिया। इस प्राचीन भारतीय साहित्य की खोज से न केवल भारतीयों को ही अपने धर्म, दर्शन और ज्ञान तथा राष्ट्र में श्रद्धा उत्पन्न हुई बल्कि पश्चिमी देशों में भी भारत का सम्मान बढ़ा।

19वीं शताब्दी के आंदोलनों ने भारतीय साहित्य को नवीन दिशा प्रदान की। इससे पूर्व भारतीय साहित्य रंगरेलियों का साहित्य था। इन आंदोलनों ने साहित्यकारों में भी देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना भरी जिसके फलस्वरूप जनता में चेतना जाग्रत हुई। हिन्दी के अतिरिक्त भारतीय प्रादेशिक भाषाओं जैसे गुजराती, बंगाली, उर्दू, मराठी, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ तथा मलयालम आदि का भी तीव्र गति से विकास हुआ। इससे पहले इन भाषाओं में कुछ धार्मिक गाथाओं तथा वीर व्यक्तियों के कार्यों का ही वर्णन प्राप्त होता था। गद्य तो प्रायः नहीं के बराबर था। विचारों को मुख्यतः कविता, गीतों और भजनों द्वारा प्रकट किया

टिप्पणी

जाता था। इन आंदोलनों के द्वारा इन सभी भाषाओं की प्रगति हुई तथा इनके साहित्य का निर्माण हुआ। अतः पुनर्जागरण ने भारतीय प्रादेशिक भाषाओं के निर्माण में बहुत सहयोग दिया। राजा राममोहन राय, अक्षयकुमार दत्त, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, मधुसूदन दत्त, बंकिमचन्द्र, शरतचन्द्र, मोहम्मद इकबाल और प्रेमचन्द जैसे विद्वानों ने इस साहित्यिक निर्माण को आरंभ किया और धीरे–धीरे ऐसे साहित्य का निर्माण हुआ जो नवीन, मौलिक, आधुनिक और नवीन विचारधारा का प्रवर्तक बना। इस साहित्य निर्माण से भारत की राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण में भी सहायता मिली।

4. **औद्योगीकरण की भावना का विकास**– आर्थिक क्षेत्र में भी पुनर्जागरण आंदोलन का प्रभाव पड़ा। यूरोपियों के आगमन के बाद भारतीयों को अपनी गरीबी का अनुभव हुआ। उन्हें भारत में उद्योगों की कमी महसूस हुई। फलस्वरूप भारत में भी नए उद्योगों एवं व्यवसायों का आरंभ हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात तो भारत में तेजी से औद्योगिक विकास आरंभ हुआ जिससे भारतीय जनजीवन काफी प्रगतिशील बना तथा जन–साधारण के आर्थिक स्तर को बढ़ाने में भी सहायता मिली।

5. **प्राचीन भारतीय इतिहास की प्राप्ति**– भारतीय पुनर्जागरण की एक महत्वपूर्ण भावना भारत के गौरवमय अतीत की खोज करना था। इस क्षेत्र में यूरोपीय विद्वानों ने निःस्वार्थ भाव से कार्य किया। मार्शल, डॉ. बुलर, प्लोट, पर्सी ब्राउन, हेवेल आदि व्यक्तियों ने प्राचीन स्मारकों की खोज करके भारत के गौरव को स्पष्ट किया। इससे भारतीयों ने भी अपने प्राचीन गौरव की खोज करनी आरंभ कर दी। इस खोज के दौरान अनेक नरेशों और सम्राटों के नाम और कार्य, जिनको भारतीय भूल चुके थे, पुनः प्रकाश में आए। सिन्धु संस्कृति की खोज, अशोक के शिलालेख व उसकी लिपि को पढ़ना, विभिन्न साम्राज्यों के निर्माण की कहानियां, समुद्र पर भारतीय संस्कृति के प्रसार की कहानी, अजंता, एलोरा के चित्रों की खोज इत्यादि से भारतीयों के राष्ट्रीय गौरव की भावना को और अधिक प्रोत्साहन मिला और अनेक इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का निर्माण किया जिनमें डॉ. भण्डारकर, सर यदुनाथ सरकार, महादेव गोविन्द रानाडे, स्मिथ, टॉड, ग्राण्ट डफ, एलफिन्सटन, सरदेसाई, हरप्रसाद शास्त्री आदि के नाम प्रमुख हैं।

6. **वैज्ञानिक भावना का प्रसार**– पुनर्जागरण से वैज्ञानिक एवं अनुसंधान की भावना का भी विकास हुआ। 1884 ई. में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इसके बाद, भारतीय पुरातत्व–विभाग की स्थापना हुई। तत्पश्चात् विभिन्न स्थानों पर अजायबघरों की स्थापना की गयी जिससे प्राचीन स्मारकों एवं स्थलों की खोज की गयी। विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में भी प्रयास किए गए। उस काल में गणित के क्षेत्र में रामानुजम और विज्ञान के क्षेत्र में जगदीशचन्द्र बसु ने भारत की अन्वेषण योग्यता का नेतृत्व किया। सी.वी. रमन, डॉ. मेघनाद साहा, एस.एस. भटनागर, एस.सी. राय, एस. चन्द्रहासकार आदि व्यक्तियों ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम ऊंचा किया।

7. **नवीन मध्यम वर्ग का उदय**– पुनर्जागरण आंदोलन के दौरान एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इससे पूर्व समाज में विशिष्ट स्थान केवल राजा–महाराजाओं,

टिप्पणी

जमींदारों तथा जागीरदारों का था। अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसे व्यक्तियों का महत्व कम हो गया। उस समय अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों का महत्व बढ़ गया। शिक्षक, वकील, वैज्ञानिक, डॉक्टर, पत्रकार आदि समाज में काफी प्रतिष्ठित हो गए थे और इन्हीं से एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इन व्यक्तियों को राष्ट्र की भावनाओं का अधिक ज्ञान था तथा इनमें एकता, दृढ़ता तथा आत्मविश्वास की भावना भी थी। इसी मध्यम वर्ग ने राष्ट्रीय जीवन के विश्वास में सहायता दी।

8. **राष्ट्रीयता की भावना का विकास एवं राजनीतिक सुधार**– इन आंदोलनों ने जनसाधारण में राष्ट्रीय चेतना जाग्रत की। पुनर्जागरण की भावना से भारतीयों में सांस्कृतिक एकता तथा राष्ट्रीय गौरव का निर्माण हुआ जिसने 'भारत महान राष्ट्र है' की भावना को प्रोत्साहित किया। पुनरुद्धार आंदोलन के सभी नेता राष्ट्र प्रेमी थे चाहे वे साहित्यकार थे, कलाकार थे एवं समाज सुधारक। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और गौरव की रक्षा की। अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण में यह आंदोलन काफी सहायक था।

प्रमुख धार्मिक आंदोलन

1. **पारसी समाज–सुधार आंदोलन**– 19वीं शताब्दी के सुधारवादी आंदोलनों से प्रभावित होकर पारसियों ने अपने धर्म तथा समाज में सुधार करने का निश्चय किया। अतः दादाभाई नौरोजी, जे.बी. वाचा तथा एम.एस. बंगाली आदि नेताओं ने 1851 ई. में एक धार्मिक सुधार संघ की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य पारसी समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करके पुरानी पवित्रता को पुनः स्थापित करना था। उन्होंने पारसी जनता में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया। इसी प्रकार कुरशेदजी रुस्तम जी और बहराम जी. एम. मलाबारी ने शिक्षा तथा समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। दादाभाई नौरोजी ने भी समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया।
2. **सिक्ख समाज सुधार आंदोलन**– सिक्खों ने गुरुद्वारों से भ्रष्टाचार दूर करने लिए मुख्य खालसा कॉलेज प्रारंभ किया तथा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति की स्थापना की।
3. **राधास्वामी सत्संग आंदोलन**– 1861 ई. में श्री शिवदयाल जी महाराज ने आगरा में 'राधास्वामी सत्संग' की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में इस संस्था ने महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके सिद्धांत थे कि ईश्वर पूर्ण है और उसे योग तथा तपस्याा से प्राप्त किया जा सकता है तथा गुरु ही ज्ञान, सत्य और ईश्वर का अवतार है। अतः इस संस्था में गुरुभक्ति की प्रधानता रही। इस संस्था ने सांस्कृतिक जागरण और राष्ट्र निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
4. **ईसाई आंदोलन में प्रगति**– सत्रहवीं–अठारहवीं शताब्दी में जो यूरोपीय देश ईसाई धर्म प्रचार हेतु भारत आए थे, उन्होंने ईसाई आंदोलन में प्रगति लाने के लिए अनेक स्कूलों, धर्म संघों एवं नारी समितियों की स्थापना की। ईस्ट इण्डिया कंपनी ने यह अनुभव किया कि उसे ईसाई धर्म के प्रचार की ओर ध्यान देना चाहिए, अतः उसने इसके लिए आवश्यक कदम उठाए।
5. **अलीगढ़–आंदोलन**– इस आंदोलन के जनक सर सैय्यद अहमद खां थे। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर

टिप्पणी

सैय्यद अहमद खां को दिया गया और उनका 'अलीगढ़ आंदोलन' इसका केंद्र बिंदु बना रहा। सर सैय्यद अहमद खां का जनम 1817 ई. में दिल्ली में हुआ था, 20 वर्ष की आयु में ही वे सरकारी सेवा में आ गए थे। 1857 ई. के समय उन्होंने अंग्रेज सरकार की विशेष सेवा कर उसकी सद्भावना प्राप्त की और उसका उपयोग भारतीय मुसलमानों के हित में किया।

सर सैय्यद अहमद खां ने अपने जीवन में प्रमुख उद्देश्य बनाया–मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना तथा उन्हें पश्चिमी सभ्यता के अधिक से अधिक संपर्क में लाना। अतः उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि सरकार के प्रति वफादार रहने से ही उनके हितों की पूर्ति हो सकती है और अंग्रेजों से कहा कि मुसलमान, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं हैं। उन्होंने हिन्दुओं में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के विरुद्ध मुस्लिम सांप्रदायिकता का प्रयोग किया। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु सर सैय्यद अहमद खां ने 1864 ई. में गाजीपुर में एक अंग्रेजी शिक्षा स्कूल स्थापित किया। एक वर्ष बाद ही उन्होंने एक 'विज्ञान समाज' की स्थापना की, जिसका प्रमुख कार्य अंग्रेजी की पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद करना था।

1870 ई. में उन्होंने 'तहजीव–उल–अखलाख' नामक समाचार–पत्र को प्रकाशित करना आरंभ किया। 1875 ई. में अलीगढ़ में उन्होंने एक 'मोहम्मडन ओरिएण्टल कॉलेज' की स्थापना की, जो आगे चलकर 1920 ई. में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। इसमें मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ का 'ऐंग्लो–ओरियण्टल कॉलेज' मुसलमानों की राजनीति का केंद्र था। इस कॉलेज का पहला प्रिन्सिपल थियोडोर बैंक था।

सर सैय्यद अहमद खां द्वारा चलाया गया अलीगढ़ आंदोलन मुसलमानों की शिक्षा, सामाजिक व आर्थिक प्रगति में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, लेकिन यही आंदोलन आगे चलकर भारतीय राजनीति और राष्ट्रीयता का विरोधी बन गया। यह आंदोलन मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करके पाकिस्तान निर्माण में भारी योगदान दिया।

6. **अहमदिया–आंदोलन**– इस आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। वे पंजाब के गुरुदासपुर जिले के अंतर्गत कादियां गांव के निवासी थे। वे अपने आप को हिन्दुओं का अवतार, मुसलमानों का पैगम्बर तथा ईसाइयों का ईसामसीह मानते थे। अधिकांश मुसलमान, उन्हें पैगम्बर स्वीकार नहीं करते थे। केवल कादियानी ही उन्हें पैगम्बर मानते थे। उनका कथन था कि सभी धर्मों में सुधार आवश्यक है। वे समस्त धर्मों को सुमार्ग पर ले जाने वाला तथा इस्लाम को अत्यंत श्रेष्ठ मानते थे। वे रुढ़िवादी थे, उन्होंने परदा–प्रथा, तलाक तथा बहुविवाह का समर्थन किया।

3.5.4 अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन

जातीय समूह और धार्मिक कट्टरवाद राष्ट्र–राज्य की पारंपरिक भूमिका को चुनौती देते हैं। बड़ी संख्या में लोगों के प्रवास ने 'प्रवासी' कहलाने की स्थिति पैदा कर दी है। भारतीय समुदाय, चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका में हो, या यूके में या कहीं और, अपने सांस्कृतिक मूल्यों और सभ्यतागत परंपराओं को अपनाए जाने वाले नए देशों में

टिप्पणी

खुद को एकीकृत करने का प्रयास करते हुए रखता है। कई देशों के इन प्रवासी समुदायों को कुछ समय के लिए जड़हीनता की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जल्द ही वे अपने मूल्यों को मेजबान देशों में फैलाना शुरू कर देते हैं, और यहां तक कि इन देशों के राजनीतिक जीवन में योगदान भी देते हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं।

आपने देखा है कि बहुत लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र–राज्य ही एकमात्र कर्ता (एक्टर) थे। वे अभी भी राजनीति के प्राथमिक कर्ता (एक्टर) हैं जिन्हें राष्ट्र–राज्यों के बीच संबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है। लेकिन कई गैर–राज्य अभिनेताओं की बढ़ती भूमिका और वैश्वीकरण के आगमन के साथ, राज्यों की सीमाएं धुंधली हो गई हैं। आज, (राष्ट्रराज्य के अलावा) कई अंतर–सरकारी संगठन (IGO) हैं और साथ ही बड़ी संख्या में गैर–सरकारी संगठन (NGO) हैं जो राष्ट्रों के बीच राजनीति की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, लोगों से लोगों का संपर्क उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है जितना कि सरकार से सरकार का संबंध। विभिन्न प्रकार की गैर–सरकारी और अंतर–सरकारी गतिविधियों पर साहित्य के पूरे क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नाम दिया गया है। ऐसी राजनीति का आधार कई आंदोलनों–सांस्कृतिक और सभ्यता–में पाया जाता है जिसमें लोगों से लोगों का सहयोग शामिल होता है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 1990 के दशक के दौरान वैश्वीकरण के बारे में लिखते हुए, जॉन कैवनघ ने इसकी तुलना एक विशिष्ट आंदोलन से की, जिसे उन्होंने "उल्लेखनीय" बताया। उन्होंने लिखा, "एक आंदोलन जो मुझे सबसे दिलचस्प लगता है और कुछ मायनों में जो दुनिया भर में बनाया गया है उसके समान उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था, जो यहां अमेरिका और इंग्लैंड और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में निहित था और अफ्रीका में लगभग 1780 और 1800 के दशक के बीच अटलांटिक दास व्यापार से लड़ने के लिए चला।" इस प्रकार, दास व्यापार का प्रतिरोध और उसके खिलाफ लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का एक उदाहरण हो सकता है क्योंकि इसने दुनिया भर के कई देशों को कवर किया है।

ट्रांसनेशनलिज्म की अवधारणा को रॉबर्ट ओ कोहेन और जोसेफ एस. जूनियर द्वारा ट्रांसनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स में 1972 में विस्तृत किया गया था। इस पुस्तक में धार्मिक और जातीय समूहों के साथ–साथ बहुराष्ट्रीय निगमों और आतंकवादी समूहों जैसे गैर–राज्य अभिनेताओं की भूमिका पर जोर दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि सभी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के 50 प्रतिशत से अधिक में गैर–राज्य अभिनेताओं और राष्ट्र–राज्यों के बीच बातचीत शामिल है। लेखकों का तार्किक निष्कर्ष था कि "पारंपरिक मॉडल के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण जिसमें गैर–राज्य कर्ताओं (एक्टर्स) को शामिल नहीं किया गया है, वास्तविकता को गंभीरता से विकृत करता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि की एक महत्वपूर्ण और बढ़ती मात्रा की उपेक्षा करता है"। इस निष्कर्ष पर, यह जोड़ा जाना चाहिए कि लोगों से लोगों के संपर्कों ने अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों और आंदोलनों को और मजबूत किया है। इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन उस राजनीति पर आधारित होते हैं जिसमें पारंपरिक

राष्ट्र–राज्य और बहुत सारे उप–राज्य, या गैर–राज्य, अभिनेताओं के बीच बातचीत शामिल होती है।

टिप्पणी

जॉन बर्टन राजनीतिक दलों, जातीय समूहों, बहुराष्ट्रीय निगमों और सांस्कृतिक संरचनाओं जैसे कर्ताओं (एक्टर्स) की गतिविधियों को संदर्भित करता है, जो कभी–कभी उनकी सरकारों के नियंत्रण से बच जाते हैं। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बर्टन और उनके सहयोगियों ने तर्क दिया कि विशेष रूप से संचार, परिवहन और हथियारों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के एक घातीय विकास ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसे वे 'अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कोबवेब मॉडल' के रूप में वर्णित करना पसंद करते हैं। कोबवेब मॉडल में शामिल व्यक्तियों और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) का एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन केवल सांस्कृतिक और सभ्यतागत समूहों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उनमें, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कई अन्य गैर–राज्य कर्ता (एक्टर) भी शामिल हैं। केगले जूनियर और विटकोफ का मत है कि "यह विचार कि राज्य का अपने भाग्य पर पूर्ण और अनन्य नियंत्रण है, बहुत संदिग्ध है। सीमाएं पारगम्य हैं, और राज्य बाहरी दबावों और अपनी सीमाओं के भीतर लोगों की चुनौतियों के प्रति संवेदनशील हैं। " मैथ्यू इवेंजेलिस्टा ने अपनी पुस्तक 'Unarmed Forces' में तर्क दिया है कि शीत युद्ध को समाप्त करने में अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे कहते हैं, "... पिछली आधी सदी के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन एक कठोर अधिनायकवादी यूएसएसआर और एक नौकरशाही अमेरिकी विदेश नीति प्रतिष्ठान की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने में सक्षम थे।"

धार्मिक आंदोलन आम तौर पर किसी धर्म या लोगों के समूह के विश्वास पर आधारित होता है। ईमान वालों से यह अपेक्षा है कि (क) वे दूसरों को अपने धर्म का पालन करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के मामलों में स्वतंत्र होने देंगे; और (ख) धर्म को राजनीति के साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा, और राज्य और धर्म को एक–दूसरे से स्वतंत्र रखा जाएगा। लेकिन, इन उम्मीदों पर अक्सर भरोसा किया जाता है। सिद्धांत रूप में, शांति और सद्भाव के लिए धर्म एक प्राकृतिक विश्वव्यापी शक्ति प्रतीत होगा। फिर भी, धर्म के नाम पर लाखों लोग मारे गए हैं। 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच धर्मयुद्ध में लाखों ईसाई और मुसलमान मारे गए; और ईसाई कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच तीस साल के युद्ध (1618–1648) के दौरान धार्मिक संघर्षों ने सभी यूरोपीय लोगों के लगभग एक चौथाई लोगों की जान ले ली। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन ने, "दो–राष्ट्रों" के सिद्धांत के आधार पर, सांप्रदायिक उन्माद के साथ तबाही मचा दी, जिससे लाखों लोग–हिंदू और सिख मारे गए, घायल हो गए, अपंग हो गए या सीमाओं के दोनों ओर बलात्कार किए गए। पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों के थोक प्रवास ने अभूतपूर्व मानवीय संकट पैदा किया। पश्चिम एशिया में, अरब मुसलमानों और इजरायली यहूदियों के बीच चल रहे संघर्ष निर्दोष लोगों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार रहे हैं; तत्कालीन यूगोस्लाविया में, बोस्नियाई मुसलमानों को पड़ोसी सर्बों द्वारा "जातीय सफाई" के अधीन किया गया था; और जम्मू–कश्मीर में आतंकवादी हिंसा ने लाखों पंडितों को अपना घर छोड़ने और भारत के भीतर शरणार्थी बनने के लिए मजबूर कर दिया है, जबकि अधिसंख्य हिंदुओं को

टिप्पणी

सीमा पार से प्रायोजित जिहाद के नाम पर मारा जा रहा है। विश्व के लगभग 6 अरब लोगों की एक बड़ी संख्या में दृढ़ धार्मिक विश्वास हैं। अमूर्त स्तर पर, धर्म लोगों के एक समूह द्वारा साझा की गई विचार की एक प्रणाली है जो अपने सदस्यों को भक्ति की वस्तु और व्यवहार की एक संहिता देता है। प्रत्येक धर्म शांति और भाईचारे के महान आदर्शों का उपदेश देता है, फिर भी व्यवहार में विश्वास कई बार घृणा और हिंसा की ओर ले जाता है। विश्वास की एक प्रणाली एक धर्म के अनुयायियों को उनकी पहचान का मुख्य स्रोत प्रदान करती है; और यह पहचान अक्सर गलत धारणा की ओर ले जाती है कि उनके अपने धर्म के मूल्य अन्य विश्वास प्रणालियों से बेहतर हैं। इस प्रकार, जबकि हिंदू धर्म मूर्ति पूजा को एकाग्रता और अहिंसा के एक मूल्य के रूप में अपनाता है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो मूर्ति पूजा के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया करते हैं, कि वे पशु बलि पर ध्यान नहीं देते हैं ताकि उन विश्वासियों द्वारा भोजन के रूप में मांस का सेवन किया जा सके। इस विश्वास के साथ कि एक विशेष धर्म श्रेष्ठ है, अधिकांश विश्वासियों को लगता है कि उनका विश्वास सार्वभौमिक होना चाहिए, और यह कि इसे दुनिया भर में सभी को अपनाया जाना चाहिए। अपने धर्म की श्रेष्ठता में अपने विश्वास की पुष्टि करने के लिए, इसके अनुयायी सक्रिय रूप से गैर–विश्वासियों को अपने विश्वास में बदलने की कोशिश करते हैं, और अन्य धर्मों के अनुयायियों को उनकी मान्यताओं के लिए जीतने के लिए धर्मयुद्ध में संलग्न होते हैं। यह आमतौर पर "काफिरों और अविश्वासियों" के दिलों और दिमागों को जीतने के लिए मिशनरी गतिविधियों के माध्यम से अनुनय के माध्यम से किया जाता है। लेकिन, कई बार रिश्वत या तलवार से धर्मांतरण किया गया है, जिससे प्रतिष्ठित धर्मों की छवि धूमिल होती है। जबरन धर्म परिवर्तन से अक्सर झड़पें होती हैं जो हिंसक भी हो जाती हैं। यह धार्मिक मान्यताओं की अनिवार्यता के खिलाफ है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धर्मों में उनके सिद्धांतों के उच्च आदर्श होते हैं, फिर भी उन धर्मों में कुछ लोगों की गतिविधियां अक्सर उच्च आदर्शों के विरुद्ध होती हैं। धार्मिक सिद्धांतों का कभी–कभी "अति उत्साही" या कट्टरपंथियों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन, हर समय सभी धर्मों का दुरुपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, केगली जूनियर और विटकोफ ने लिखाः "विभिन्न धर्मों की सहिष्णुता की हिंदू विचारधारा पर विचार करें, जो सिखाती है कि सत्य के कई रास्ते हैं, और विविध आबादी के बीच बहुलवाद को स्वीकार करता है। इसी तरह, बौद्ध धर्म शांतिवाद का प्रचार करता है, जैसा कि प्रारंभिक ईसाई धर्म ने किया था, जिसने ईसाइयों को रोमन साम्राज्य की सेनाओं में सेवा करने से रोक दिया था।" इसमें विपथन हो सकता है, जो चरम इस्लामिक उग्रवादी धार्मिक आंदोलनों का रूप ले लेता है। इन आंदोलनों से धर्म की बदनामी होती है। समस्याएँ तब उत्पन्न होती हैं जब धर्म राजनीति में प्रवेश करते हैं। उग्रवादी धार्मिक आंदोलनों की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये हैंः (i) ऐसे आंदोलन जो मौजूदा सरकार को भ्रष्ट और नाजायज मानते हैं क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष है; (ii) वे समाज की घरेलू बुराइयों की निंदा करते हैं, और सरकार के स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं; (iii) वे सभी सरकारी नीतियों और गतिविधियों को विश्वासियों के हाथों में लाने की कोशिश करते हैं; (iv) वे खुद को सार्वभौमिक मानते हैं, जिसका अर्थ है कि उग्रवादी धार्मिक आंदोलन अपने विश्वास के प्रचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को मान्यता नहीं देते हैं; (v) वे

बहिष्करणवादी हैं, और सभी अविश्वासियों को द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में माना जाता है; और (vi) वे उग्रवादी होने के कारण अपने उद्देश्यों के लिए जबरदस्ती का प्रयोग करते हैं। कई बार धार्मिक आंदोलनों को सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

टिप्पणी

विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ कई विशेषज्ञों का मानना है कि उग्रवादी धार्मिक आंदोलन पाँच प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। पहला, अभेदवाद है, जिसका अर्थ है एक प्रमुख धर्म या जातीय समूह द्वारा एक बार इसके कब्जे वाले क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने का प्रयास, लेकिन बाद में किसी अन्य क्षेत्र या समूह से हार गया। इस उद्देश्य के लिए बल को अक्सर युक्तिसंगत बनाया जाता है। दूसरा, अलगाववादी विद्रोह एक धार्मिक, या जातीय, अल्पसंख्यक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राज्य से अलग होने का प्रयास है। यहां भी बल प्रयोग किया जा सकता है। जब ये विद्रोह सफल हो जाते हैं, तो राज्य दो या दो से अधिक राजनीतिक इकाइयों में बिखर जाते हैं–जैसे कि ब्रिटिश भारत को विभाजित करके पाकिस्तान बनाया गया था, या रूस से अलग होने के चेचनों के चल रहे प्रयास। तीसरा, गतिविधि में उग्रवादी धर्म के प्रवास का प्रयास शामिल है, जिसका अर्थ है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न से बचने के लिए प्रस्थान करना जब यहूदियों को जर्मनी और ऑस्ट्रिया से भागने के लिए मजबूर किया गया था, यह नाजियों द्वारा उत्पीड़न का परिणाम था। वहां अल्पसंख्यक उग्रवादी नहीं थे। चौथा, गतिविधि (हालांकि उग्रवाद का परिणाम नहीं) प्रवासी, या ऐसे समुदायों का निर्माण कर सकती है जो मेजबान देशों में विदेशों में रहते हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि के साथ भावनात्मक, आर्थिक और यहां तक कि राजनीतिक संबंध बनाए रखते हैं। अंत में, उग्रवाद आतंकवाद को जन्म देता है।

दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जातीय–राष्ट्रीय आंदोलन देखे जा रहे हैं। यद्यपि राज्य निश्चित रूप से विश्व मामलों में सबसे शक्तिशाली अभिनेता बना हुआ है, राष्ट्रीयता एक शक्तिशाली सांस्कृतिक कारक है जो राज्यों के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। बहुत से लोग अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करते हैं, राज्य के प्रति इतना नहीं, बल्कि अपने जातीय–राष्ट्रीय समूहों के प्रति। इन समूहों के सदस्य एक सामान्य सभ्यता, भाषा, सांस्कृतिक परंपरा और रिश्तेदारी के संबंध साझा करते हैं। उनके अनुसार "सांस्कृतिक समानताएं साझा भाषाई, नस्लीय या अन्य मार्करों में प्रकट होती हैं। एक समुदाय को खुद को दूसरों से अलग करने में सक्षम बनाती हैं।" जातीय समूहों पर जोर राज्य की प्रासंगिकता को कम करता है। अधिकांश राज्य बहुराष्ट्रीय हैं। 1994 में, दुनिया के लगभग 190 राष्ट्र–राज्यों में, 120 देशों में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक थे। इस प्रकार, समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ के लिए जातीय समूह महत्वपूर्ण हैं। कैरन फॉग ओल्विग ने तर्क दिया कि "प्रवासियों के राष्ट्र–राज्य से संबंधित स्थानों के सामाजिक–सांस्कृतिक निर्माण को कम करना संभव नहीं है"। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी, अपने प्रक्षेपवक्र और इन प्रक्षेपवक्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ के आधार पर, एक परिवार के घर के साथ पारिवारिक नेटवर्क के साथ पहचान करते हैं और जरूरी नहीं कि वे मूल देश के साथ गतिविधियों में शामिल होकर अपनी भावना व्यक्त करें। वे औपचारिक और अनौपचारिक रूप से संगठित

टिप्पणी

जातीय संघों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक–सांस्कृतिक आयामों के ब्रह्मांड को सीमित करने का विरोध करती है। वह हमें लोगों के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय को देखने और एक रूपरेखा विकसित करने का आग्रह करते हैं, जो इस प्रक्रिया के व्यक्तिगत आयामों को पकड़ लेगी। अलग–अलग सांस्कृतिक और सभ्यतागत पृष्ठभूमि वाले लोगों के प्रवास से अंतर्राष्ट्रीयतावाद पैदा होता है, क्योंकि वे अपने मूल के देशों की संस्कृति को उस देश की संस्कृति से जोड़ते हैं जिसे वे अपनाना और बसना चाहते हैं। जातीय–राष्ट्रीय आंदोलनों की एक विशेषता बहुत स्पष्ट है। उनमें से अधिकांश राज्यों की मौजूदा सीमाओं को पार करते हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश समूहों की मौजूदगी दो या दो से अधिक देशों में है, जैसे कि भारत, श्रीलंका और सिंगापुर में तमिल, जैसे कि एक जातीय समूह के रूप में यहूदी इजरायल तक सीमित नहीं हैं। वे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में महत्वपूर्ण शक्ति का गठन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियां और सभ्यताएं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं पहचानती हैं। एक विचार है कि विभिन्न सभ्यताओं, या जातीय संस्कृतियों के बीच हिंसक संघर्षों से भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इस तरह का प्रत्येक संघर्ष शीत युद्ध के पूर्व–पश्चिम वैचारिक संघर्षों के समान ही परेशान करने वाला होगा। हंटिंगटन (1993) के अनुसार, भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष "मुख्य रूप से वैचारिक या आर्थिक नहीं होंगे", बल्कि "राष्ट्रों और विभिन्न सभ्यताओं के समूहों" के बीच सांस्कृतिक होंगे। सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार, जिन्होंने "सभ्यताओं के संघर्ष" वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया, सात या आठ प्रमुख सभ्यताएं हैं। इनमें पश्चिमी, कन्फ्यूशियस, जापानी, इस्लामी, हिंदू, स्लाव–रूढ़िवादी, लैटिन अमेरिकी और संभवतः अफ्रीकी शामिल हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को यूरोप में केंद्रित एक विशेष सभ्यता पश्चिमी सभ्यता का उत्पाद कहा जाता है। उत्तर अमेरिकी संस्कृति काफी हद तक यूरोपीय सभ्यता से प्रभावित थी। चीनी और भारतीय सभ्यताएँ बहुत पुरानी हैं, लेकिन उन्हें पश्चिमी साम्राज्यवादियों के हाथों नुकसान उठाना पड़ा। मिस्र की सभ्यता एक और प्राचीन सभ्यता है। समकालीन विश्व में सभ्यतागत आंदोलन बड़े पैमाने पर दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवासियों से प्रभावित हुए हैं, फिर भी सभ्यतागत आंदोलनों ने वास्तव में राष्ट्र राज्य को खतरा नहीं दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति को बदल दिया है। लंबे समय तक राष्ट्र–राज्य ही एकमात्र अभिनेता थे जिनके पारस्परिक संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूल थे। हाल ही में, हालांकि, कई विकास हुए हैं जिन्होंने राष्ट्र–राज्यों की पूर्ण भूमिका के साथ समझौता किया है। राज्यों की अन्योन्याश्रयता, परिवहन के तेज साधन, सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति और कई गैर–राज्य अभिनेताओं के उद्‌भव ने राज्यों की सीमाओं को धुंधला कर दिया है। लोगों से लोगों के बीच संपर्क कई गुना बढ़ गया है, जिससे विभिन्न समुदायों और सभ्यताओं के बीच नियमित संपर्क संभव हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन उस राजनीति पर आधारित होते हैं जिसमें पारंपरिक राष्ट्र–राज्य और कई गैर–राज्य अभिनेताओं के बीच बातचीत शामिल होती है। इन अभिनेताओं में धार्मिक संगठन, जातीय समूह, बहुराष्ट्रीय निगम और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन शामिल हैं। आज राज्य बाहरी दबावों और अपनी सीमाओं के भीतर लोगों से चुनौती के लिए असुरक्षित हैं। सूचना तेजी से यात्रा करती है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। धार्मिक आंदोलन अक्सर उग्रवादी बन जाते हैं, और वे राज्य के साथ–साथ अन्य धर्मों के लोगों को भी चुनौती

देते हैं। अल कायदा जैसे समूह हैं जो अपने विश्वास के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हैं और जिन्हें वे अपना दुश्मन मानते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए आतंकवादी हथियार अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उग्रवादी धार्मिक गतिविधियाँ अभेदवाद, या अलगाववाद का रूप ले सकती हैं, या उत्पीड़ित समुदायों के प्रवास को प्रोत्साहित कर सकती हैं, या प्रवासी नामक विदेशी भूमि में एक राष्ट्रीयता के लोगों को एकजुट कर सकती हैं, या अंत में यह आतंकवाद का रूप ले सकती हैं।

टिप्पणी

3.5.5 धार्मिक कट्टरवाद

कट्टरवाद मूल्यों की प्रथाओं और चयनित सिद्धांतों या शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है जिसे वर्तमान में एक समूह, एक जनजाति या राष्ट्र द्वारा खतरे में माना जाता है। इन विचारों और रीति–रिवाजों को किसी भी कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए, यहाँ तक कि हिंसा का सहारा लेकर भी। यह एक धार्मिक आंदोलन या उनका दृष्टिकोण है जो मूल सिद्धांतों की ओर लौटने और अक्सर अन्य विचारों के असहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता के विरोध की विशेषता है। आज दुनिया के विभिन्न कट्टरपंथी समूह– ईसाई, इस्लामी – अपने मूल के कुछ कथित खतरे के कारण हैं, लंबे समय से पोषित पारंपरिक मूल्यों के लिए वास्तविक या काल्पनिक हैं।

परिभाषा

कट्टरवाद बुनियादी सिद्धांतों के एक सेट में विश्वास और सख्त पालन को संदर्भित करता है। अक्सर प्रकृति में धार्मिक कभी–कभी आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के साथ कथित सैद्धांतिक समझौता की प्रतिक्रिया के रूप में। "सभी कट्टरवाद एक निश्चित रूप का पालन करते हैं। वे आध्यात्मिकता के उलझे हुए रूप हैं, जो एक कथित संकट के जवाब में उभरे हैं "(करेन आर्मस्ट्रांग)। इस तरह के खतरे की प्रतिक्रिया न तो लोकतांत्रिक है और न ही सहिष्णु है। प्रतिक्रिया में संवाद नहीं होता है; इसके बजाय इनकार, अस्वीकृति, अपने स्वयं के दृढ़ विश्वास के गढ़ में वापसी है। "पुराना" ही एकमात्र सत्य है, एकमात्र अच्छा है और जो कुछ भी इसका विरोध करता है वह बुरा है। इसलिए इसे ब्रह्मांडीय पैमाने पर अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष के रूप में भी देखा जा सकता है। यह "अच्छाई और बुराई समूह के संदर्भ में पूरी तरह से परिभाषित किया जा सकता है जिसमें समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं है।" ऐसा संघर्ष अक्सर हिंसक होता है और कुछ हद तक विश्व युद्धों की जड़ है। कैरन आर्मस्ट्रांग सुझाव देता है कि सभी कट्टरपंथी आंदोलनों की कुछ सामान्य विशेषताएं: भय, चिंताएं और इच्छाएं वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के खिलाफ प्रतिक्रिया हैं। कट्टरवाद अक्सर आतंकवाद की ओर ले जाता है जो वर्तमान सदी में समाज की शांति और विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सत्ता, धन और प्रसिद्धि का लालच वह ईंधन है जो 21वीं सदी में हिंसा को पोषित करता है और ये अक्सर धार्मिक आंदोलनों, सामाजिक सरोकार और न्याय के आंदोलनों के रूप में प्रच्छन्न होते हैं। ये ऐसी स्थितियां हैं जिनमें कट्टरवाद और आदर्शवाद के बीच अंतर करना मुश्किल है।

इतिहास

धार्मिक कट्टरवाद कुछ हद तक सभी धार्मिक संप्रदायों के लिए एक सामान्य घटना है, जो अलग–अलग समय पर और अलग–अलग जगहों पर तीव्रता में भिन्न होता है, जो

टिप्पणी

काफी हद तक सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह बुनियादी सत्यों और प्रथाओं की सुरक्षा करता है और नवाचारों पर संदेह करता है सिवा उन लोगों के जो उन्हें सुविधाजनक लगते हैं। एक घटना के रूप में धार्मिक कट्टरवाद ईसाई धर्म के लिए उदार धर्मशास्त्र की चुनौतियों के विरोध में आया। उस समय ईसाई कट्टरवाद सामाजिक जीवन के सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में धर्म की भूमिका को कम करने के खिलाफ एक आंदोलन था। यह 'समाज के धर्मनिरपेक्षीकरण' या तथाकथित 'धर्म के निजीकरण' के पक्ष में नहीं था। बाद में धार्मिक कट्टरवाद एक अवधारणा के रूप में दुनिया भर में विभिन्न स्थानों में विभिन्न धार्मिक आंदोलनों का वर्णन करता था। ठीक 20वीं शताब्दी के अंत में, इस अवधारणा का उपयोग इस्लामिक आंदोलनों, तथाकथित 'इस्लामिक कट्टरवाद' को चित्रित करने के लिए किया गया था।

ईसाई कट्टरवाद

ईसाई आम तौर पर दो प्रकार के होते हैं, वे जिन्होंने बाइबिल और चर्च के दस्तावेजों का शाब्दिक दृष्टिकोण लिया और अन्य जो इसके बारे में उदार दृष्टिकोण रखते हैं। पूर्व ईसाई कट्टरपंथी हैं; वे ईसाई धर्म पर 'उदारवादियों' के प्रभाव के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए। उदार ईसाइयों ने लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे नए धर्मनिरपेक्ष लोगों के साथ धार्मिक सिद्धांतों पर निर्भर सामाजिक आधारों के पुनर्गठन का प्रयास किया। परोक्ष रूप से और किसी तरह प्रत्यक्ष रूप से, यह धार्मिक मूल्यों और पारिवारिक संरचना के लिए खतरा था। नतीजतन, पूरी बीसवीं शताब्दी में, पवित्र दस्तावेजों के लिए एक शाब्दिक प्रतिबद्धता के माध्यम से, ईसाई कट्टरवाद समाज के सही क्रम में लौटकर ईसाई धर्म के ऐसे उदार धर्मशास्त्र से लड़ने के लिए उभरा। इस तरह ईसाई कट्टरवाद आधुनिक युग में एक आधुनिक विरोधी आंदोलन के रूप में अस्तित्व में आया, एक अर्थ में यह आधुनिक वैचारिक उत्पादों को खारिज कर रहा था। फिर भी, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वे आधुनिकता के सभी उत्पादों के विरोधी नहीं थे। कट्टरवादी आधुनिक विश्व के कुछ तत्वों (आधुनिक तकनीक) का उपयोग आधुनिक युग के अन्य तत्वों को रोकने के लिए एक कारक के रूप में करते हैं जिन्हें वे धर्म (अर्थात भौतिकवाद) के लिए खतरा मानते हैं। उदाहरण के लिए, ईसाई अधिकार 1970 के दशक में उभरे, मानते हैं कि केवल ईसाई और यहूदी ही सरकार चलाने के लिए योग्य हैं; यह एक अर्थ में चर्च और राज्य के अलगाव को खारिज कर रहा है, उनमें से रॉबर्ट सोन हैं जो क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क (हॉफमैन और ग्राहम, 2006:403) के मालिक हैं। इस ईसाई कट्टरवाद के एक आधुनिक आंदोलन के रूप में उभरने के बाद, जैसा कि आर्मस्ट्रांग कहते हैं, 'धार्मिक कट्टरपंथी अनिवार्य रूप से आधुनिक आंदोलन हैं जो हमारे समय के अलावा अन्य समय में कोई जड़ नहीं ले सकते हैं।' कट्टरवाद शब्द का पहला उपयोग दर्ज किया गया था 1878–1897 में निगारा बाइबिल सम्मेलन में। बुनियादी बातों – संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रोटेस्टेंट चर्चों में मिल्टन और लाइमैन स्टीवर्ट द्वारा वित्त पोषित 19वीं शताब्दी में 12 पुस्तकों ने बाइबिल की अशुद्धता और कई बुनियादी ईसाई सिद्धांतों पर जोर दिया। प्रेस्बिटेरियन चर्च की आम सभा ने उनके पाँच बुनियादी सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया। बैपटिस्ट चर्च को कट्टरपंथियों में स्थान दिया गया। ईसाई कट्टरवाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में अलग–अलग संप्रदायों में प्रमुख था, जो सभी मसीह के सच्चे संदेश को धारण करने का दावा करते

टिप्पणी

थे। जेम्स एफ. मैटिल के अनुसार कट्टरपंथियों का मानना है कि "कट्टरपंथी ईसाई विश्वास की कुंजी बाइबिल की अशुद्धता की उनकी स्वीकृति है"। ईरान बंधक संकट 1979–80 ने इस्लामिक कट्टरवाद शब्द को अस्तित्व में लाया क्योंकि मीडिया ने अयातुल्ला खुमैनी की विचारधारा को समझाने की कोशिश की। और तब से इसका उपयोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिम हिंसा का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें सितंबर 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला, जुलाई 2007 में ब्रिटिश रेलवे पर हमले और हाल ही में 2010 में पुणे हमले शामिल हैं।

इस्लामी कट्टरवाद

मुसलमानों के पास बहुत मजबूत धार्मिक विश्वास है और वे कम उम्र से बच्चों में कुरान के मूल्यों को विकसित करते हैं, इतिहास से पता चलता है कि पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों को अपने शुरुआती दिनों से राजनीतिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। मध्य पूर्व और यूरोप में पूरे इतिहास में कई और हिंसक मुठभेड़ों में इस प्रतिरोध को सख्ती से महसूस किया गया है। युद्ध और रक्तपात के बावजूद, अरबी दुनिया की सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा 14 वीं और 15 वीं शताब्दी से शुरू होकर यूरोपीय और अंततः विश्व शिक्षा में व्याप्त और समृद्ध हुई है। गणित और वास्तुकला के क्षेत्र में अरब की खोज सर्वविदित है। वास्तव में इस्लामी संस्कृति कई मायनों में यूरोप के कुछ हिस्सों में प्रचलित संस्कृति की तुलना में बहुत अधिक उन्नत थी और मुसलमानों को इस पर गर्व था। यूरोपीय देशों, विशेष रूप से ब्रिटेन द्वारा 19वीं सदी के उपनिवेशवाद का अरब जगत ने विरोध किया था और राजनीतिक सत्ता के लिए संघर्ष इस्लामी दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। वास्तव में यह हमेशा इस्लाम के धार्मिक–राजनीतिक चरित्र का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। चरमपंथी समूह प्रतिरोध के प्रयासों से विकसित हुए हैं। भारत मध्य युग से लाखों मुसलमानों का घर रहा है और मुगल राजवंशों को स्थापित करने के लिए युद्ध लड़े गए हैं; उस काल में हिंसा और असहिष्णुता थी। तलवार के दबाव में धर्मांतरण के लाखों उदाहरण थे और कुछ क्षेत्रों में इस्लामी कानूनों और प्रथाओं को लागू करना अपरिहार्य था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद इस्लामी कट्टरवाद सामने आया, जिसके बाद उपमहाद्वीप का भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ। नए इस्लामिक राज्य में हिंदुओं के रूप में आबादी के आदान–प्रदान के साथ हुए भयानक दंगे नए स्वतंत्र भारत में सीमा पार कर गए और कुछ मुसलमान अपने इच्छित देश में चले गए। दो समुदायों के बीच विकसित हुई दुश्मनी ने बहुत शत्रुता पैदा कर दी और अक्सर खूनी झड़पें हुईं। इससे मौत और विनाश के साथ खूनी दंगे हुए और दो धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता बढ़ गई। बढ़ती मुस्लिम आबादी ने हिंदू बहुसंख्यकों को एक खतरे के रूप में देखा और मुसलमानों ने हमले किए। हिंदुओं की आस्था और पवित्र मंदिरों पर हमले हो रहे थे। बार–बार हिंसा की घटनाओं ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच कट्टरपंथी दृष्टिकोण और प्रथाओं को मजबूत किया है, लेकिन बुद्धिमान शासन ने देश को टूटने से बचा लिया है।

हिंदू जागरण

इस्लाम को अक्सर हिंदू धर्म की शालीनता के लिए खतरा माना गया है। 19वीं सदी के अंत से उत्तर भारतीय हिंदू रक्षात्मक रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई दशकीय जनगणना ने विभिन्न समुदायों को अपनी स्वयं की संख्यात्मक ताकत से अवगत कराया

टिप्पणी

और हिंदुओं ने जनसंख्या के मामले में स्वयं को हारते हुए देखा। कठोर कार्रवाई के बिना, गिरावट अपरिवर्तनीय प्रतीत हुई। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्मांतरण के लिए सक्रिय तंत्र के साथ हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे थे। धर्मांतरण का यातायात केवल एक ही तरफ बह रहा था, हिंदू राष्ट्रवादियों ने दृढ़ता से महसूस किया कि हिंदू जाति की प्रगति के लिए तीन तत्व सबसे आवश्यक थे (इस अर्थ में, समुदाय, हालांकि आमतौर पर यह शब्द जाति को दर्शाता है): कि इसके सदस्य एक आम भाषा साझा करते हैं, कि सभी हिंदू धर्म से हैं और इस प्रकार सब एक हैं और एक समान मूल्य साझा करते हैं। सामान्य रूप से मुगलों और विशेष रूप से औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हिंदुओं पर जबरदस्ती धर्मांतरण और हिंदुओं पर लगाए गए कई कर। शिवाजी, मराठा सरदार और सिख जैसे लोग इन कठोर उपचारों के खिलाफ उठे या खड़े हुए। यहाँ तक कि अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का विद्रोह भी हुआ, जो या तो शासक के खिलाफ एक राष्ट्रीय या धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक परंपराओं का एक समूह होने के नाते, इसमें दार्शनिक दृष्टिकोणों की एक बहुत ही विविध श्रेणी शामिल है और आमतौर पर इसे सैद्धांतिक रूप से सहिष्णु माना जाता है।

धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद की परिभाषा

"आतंकवादः एक राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकारों, सार्वजनिक समूहों या व्यक्तियों के खिलाफ आतंक या अप्रत्याशित हिंसा का व्यवस्थित उपयोग।" (आतंकवाद पर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1999)। आतंकवाद का इस्तेमाल राजनीतिक संगठनों द्वारा दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों, राष्ट्रवादी और जातीय समूहों द्वारा, क्रांतिकारियों और सेनाओं द्वारा और स्वयं सरकारों की गुप्त पुलिस द्वारा किया गया है। पूरे इतिहास और दुनिया भर में आतंकवाद का अभ्यास किया गया है। 5वीं शताब्दी ई.पू. ग्रीस ने दुश्मन आबादी के खिलाफ मनोवैज्ञानिक आतंक की सिफारिश की। रोमन सम्राट कैलीगुला (पहली शताब्दी) ने अपने शासन के विरोध को हतोत्साहित करने के लिए निर्वासन, संपत्ति की जब्ती और निष्पादन का इस्तेमाल किया। स्पेनिश धर्माधिकरण (16वीं शताब्दी) ने धार्मिक विधर्म के रूप में मानी जाने वाली सजा को दंडित करने के लिए मनमानी गिरफ्तारी, यातना और निष्पादन का इस्तेमाल किया। रोबेस्पिएरे ने 1793–94 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आतंकवाद के शासन के दौरान खुले तौर पर यातना के इस्तेमाल की वकालत की।

अमेरिकी गृहयुद्ध (1861–65) के बाद, दक्षिणी लोग जो गुलामी को बनाए रखना चाहते थे, उन्होंने स्वतंत्रता और पुनर्निर्माण के समर्थकों को डराने के लिए एक आतंकवादी संगठन कू क्लक्स क्लान की स्थापना की। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में अराजकतावादियों द्वारा आतंकवाद को अपनाया गया था। उनका मानना था कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने का सबसे अच्छा तरीका सत्ता के पदों पर बैठे व्यक्तियों की हत्या करना है। 1865 से 1905 तक कई राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य सरकारी अधिकारी अराजकतावादियों की गोलियों या बमों से मारे गए। 20वीं सदी में आतंकवाद के प्रयोग और व्यवहार में बड़े बदलाव देखे गए। स्वचालित हथियारों और विद्युत विस्फोटित विस्फोटकों ने आतंकवादियों को एक नई गतिशीलता और अधिक घातक सटीकता प्रदान की और यह लगभग एक राज्य नीति बन गई। जोसेफ स्टालिन (सोवियत संघ) और एडॉल्फ हिटलर के तहत

टिप्पणी

नाजी जर्मनी ने भय का माहौल पैदा करने और अपनी दमनकारी विचारधारा और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों के अपने घोषित लक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कानूनी मार्गदर्शन या संयम के बिना गिरफ्तारी, कारावास, यातना और निष्पादन का इस्तेमाल किया। इसे अधिनायकवाद के रूप में जाना जाता था। आतंकवाद अकसर व्यक्तियों या समूहों से जुड़ा होता है, न कि राज्य की नीति के साथ, जिसमें समूह मौजूदा राजनीतिक संरचनाओं को उखाड़ फेंकने का प्रयास करते हैं। इस गतिविधि का उपयोग एक या दोनों पक्षों द्वारा उपनिवेश विरोधी संघर्षों में किया गया है– आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, अल्जीरिया और फ्रांस, वियतनाम और फ्रांस/संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलिस्तीन और इज़राइल द्वारा कब्जे के लिए विभिन्न राष्ट्रीय समूहों के बीच विवाद, तमिलों में श्रीलंका के विभिन्न संप्रदायों के बीच संघर्ष। आधुनिक संचार की सुगमता और गति ने आतंकवाद के प्रसार में बहुत योगदान दिया है। टेलीविजन कुख्याति देता है और आतंक के कामों के लिए एक घातक आकर्षण है और युवा, बेरोजगार, कमजोर लोगों को जाल में खींचा जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब सूचना तक पहुंच प्रदान कर सकता है, चल रहे हमलों के दौरान तत्काल जानकारी प्रदान कर सकता है जैसा कि मुंबई हमले के दौरान हुआ था। आतंकवादी वंचित पृष्ठभूमि से हो सकते हैं, लेकिन उन्हें धन, शक्ति और कौशल वाले संगठनों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है जो प्रशिक्षण के बाद उच्च शिक्षित और बुद्धिमान लोगों को भी पछाड़ सकते हैं। लेकिन लोग, आतंकी मार्ग क्यों अपनाते हैं? रॉबर्ट यंग प्रासंगिक प्रश्न पूछते हैं– "किन परिस्थितियों में और किस तर्क के साथ लोग एक–दूसरे को मारते हैं और एक–दूसरे को, विशेष रूप से निर्दोष लोगों और बच्चों को, एक उच्च कारण के नाम पर मारते हैं? यंग के दिमाग में जो स्थिति है, उसे केवल आतंकवाद के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसे निर्दोषों के खिलाफ नासमझ हिंसा के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया गया है। पूरे इतिहास में आतंकवाद के कृत्यों को अक्सर धार्मिक कट्टरवाद द्वारा हिंसा की पिच तक बढ़ने हेतु प्रेरित किया गया है। इसका पता बाइबल से लगाया जा सकता है जहाँ कैन ने अपने भाई हाबिल को नफरत से मार डाला था। और नफरत आतंकवाद के अधिकांश कृत्यों की कुंजी है, हालांकि नस्लवाद और भय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी धर्म किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ हिंसा, घृणा या बदला नहीं सिखाता है। अधिकांश समय आतंकवाद पवित्र शास्त्रों की गलत व्याख्या के कारण होता है। 11 सितंबर को न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर हवाई हमलों के साथ अमेरिका को झटका लगा, क्योंकि दुनिया भर के टीवी स्क्रीन पर ट्विन टावर्स को धूल और मलबे के बादलों में जमीन पर गिरते हुए दिखाया गया था।

जुलाई 2005 में अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम पर कई विस्फोटों के साथ अफगान और इराक युद्धों में अपने हिस्से की सजा भुगतने के लिए ब्रिटेन की बारी थी। दोनों जगहों पर घनी आबादी के बीच अल कायदा समर्थकों के उपक्रम में हिस्सेदारी थी। वे पुरुष थे, अक्सर छात्र जो अध्ययन या रोजगार के लिए अमेरिका या ब्रिटेन आए थे और "नियत समय" आने पर सही जगह पर विद्यमान थे। विचार करने पर यह स्पष्ट हो गया कि इन हमलों की तैयारी में महीनों, वर्षों की योजनाएँ थीं। कभी–कभी इस पैटर्न पर छोटे–छोटे स्थानीय हमले होते हैं, लेकिन यह शायद ही कभी स्पष्ट होता है कि क्या ये वास्तव में बिन लादेन की योजना का हिस्सा हैं या प्रभावित व्यक्तियों या

टिप्पणी

अलग–अलग समूहों द्वारा नकल के प्रयास मात्र हैं। भारत के पास घरेलू और आयातित दोनों तरह के आतंक का हिस्सा था। अल कायदा के पूर्ण समर्थन के साथ भारतीय संसद पर एक दुस्साहसिक हमले ने देश को स्तब्ध कर दिया। भारत की धरती पर कई आतंकवादी हमले हुए हैं – गुजरात में अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार सेवकों को ले जा रही एक ट्रेन का जलना और उस घटना के नतीजे। कई अन्य पवित्र हिंदू स्थानों पर हमले हुए हैं, जिनमें उड़ीसा और कर्नाटक में चर्च शामिल हैं, जिसमें व्यापक रूप से लूटपाट, विनाश और गांव के घरों को जला दिया गया है। लेकिन भारत पर सबसे भयानक हमला 26 नवंबर, 2008 को हुआ जब आतंकवादी देशी नावों में मुंबई बंदरगाह की खाड़ी में आए और शहर के कई स्थलों पर हमलों की श्रृंखला शुरू की। केंद्रीय बीटी स्टेशन, कामा अस्पताल, नायरमन हाउस, ताज होटल, सभी को मशीन गन के गोले और आरडीएक्स विस्फोटों से निशाना बनाया गया। यह कई मौतों वाली बहुत वीरता के साथ तीन दिवसीय लड़ाई थी। यह दस लोगों का काम था जिन्हें आतंकवादी समूहों द्वारा बार्डर्स पर प्रशिक्षित किया गया था।

धार्मिक विचारों, विश्वासों और कर्मकांडों की दुनिया में कोई महान किण्वन नहीं हो रहा है, या मानव आध्यात्मिकता के योग में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। आज हम जो देख रहे हैं वह सांप्रदायिकता की तुलना में धर्म का पुनरुत्थान कम है, जहाँ आस्तिकों के एक समुदाय में न केवल एक धार्मिक संबद्धता है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित भी समान हैं। ये समान भौगोलिक स्थान साझा करने वाले आस्तिकों के दूसरे समुदाय के संबंधित हितों के साथ संघर्ष कर सकते हैं। यह मानने का मूल कारण है कि हमारे समय में धार्मिक रूप से प्रेरित सुधार आंदोलन गति प्राप्त कर रहे हैं, मानव मामलों में असमानता की धारणा और उन धारणाओं को भड़काने वाली वास्तविकताएं बढ़ रही हैं। एक ओर जनसंख्या वृद्धि, और दूसरी ओर संचार के उन्नत साधन, अक्सर जीवन के अभ्यस्त तरीकों को बाधित नहीं करते हैं। वे व्यक्तिगत अनिश्चितता, अलगाव और निराशा पैदा करने में मदद करते हैं।

अपनी प्रगति जांचिए

7. किस महाद्वीप में यूकेआईपी (यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंट पार्टी) जैसे राष्ट्रीय दल का उदय राष्ट्र की एक जातीय अवधारणा का समर्थन करता है?

   (क) यूरोप (ख) उत्तरी अमेरिका

   (ग) एशिया (घ) दक्षिणी अमेरिका

8. निम्न में से कौन–सा पद प्रवासी भारतीयों से संबद्ध है?

   (क) अनिवासी भारतीय (एनआरआई)

   (ख) भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ)

   (ग) भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई)

   (घ) उपर्युक्त सभी

3.6 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

टिप्पणी

1. (घ)
2. (ग)
3. (ख)
4. (क)
5. (ख)
6. (ग)
7. (क)
8. (घ)

3.7 सारांश

एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में वैश्वीकरण ने संस्कृतियों और देशों में समाजों और समुदायों के वातावरण को बदल दिया है। विशेष रूप से, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों ने नए लोकाचार का निर्माण किया है। बढ़ता हुआ व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता की बढ़ती भावना और बढ़ता उपभोक्तावाद वैश्वीकरण द्वारा शुरू किए गए सांस्कृतिक परिवर्तन से उत्पन्न नए लोकाचार का संकेत देता है।

बढ़ता हुआ व्यक्तिवाद सांस्कृतिक वैश्वीकरण द्वारा निर्मित लोकाचार का एक पहलू है। व्यक्तिवाद एक सामाजिक मूल्य है। यह भावना के साथ–साथ एक अभ्यास भी है। जब वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक मूल्य बदलते हैं, तो व्यक्तिवाद की भावना बढ़ जाती है और हावी हो जाती है। यह सामूहिकता की अवधारणा का विरोध करता है जिसे दुर्खीम जैसे समाजशास्त्री समाज की नींव के रूप में वर्णित करते हैं। लोगों के बीच व्यक्तिवाद/सामूहिकता जैसे व्यक्तिगत और पारस्परिक सामाजिक मूल्यों के बीच बड़े अंतर–सांस्कृतिक अंतर हैं। स्वतंत्रता व्यक्तिवाद की भावना लाती है जबकि अन्योन्याश्रितता सामूहिकता की भावना लाती है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के चलते सामूहिकता व्यक्तिवाद का स्थान ले रही है।

उपभोक्ता संस्कृति के तहत, उपभोग को आत्म–अभिव्यक्ति का प्रमुख रूप और किसी की पहचान को प्रदर्शित करने का प्रमुख स्रोत माना जाता है। जब उपभोक्तावाद एक संस्कृति की अभिव्यक्ति के रूप में हावी हो जाता है, तो भौतिक और गैर–भौतिक दोनों वस्तुएं, जिसमें रिश्तेदारी, स्नेह, कला और बुद्धि शामिल हैं, वस्तु बन जाती हैं। सब कुछ विनिमय मूल्य के संदर्भ में मापा जाता है। उत्पादों के बीच मामूली अंतर या उनमें मिनट सुधार मांग में भिन्नता निर्धारित कर सकते हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव में 'ब्रांड नाम' खपत का निर्धारण करते हैं और उपभोग के पैटर्न के आधार पर वर्ग भेदभाव किया जाता है। सरल भाषा में कहें तो 'स्वाद', 'फैशन' और 'जीवनशैली' वर्ग को विस्थापित करने वाले सामाजिक भेदभाव के प्रमुख स्रोत बन जाते हैं।

मूल्य एक संस्कृति के मानदंडों से संबंधित हैं, लेकिन वे मानदंडों की तुलना में अधिक वैश्विक और अमूर्त हैं। मानदंड विशिष्ट परिस्थितियों में व्यवहार के नियम हैं,

टिप्पणी

जबकि मूल्य यह पहचानते हैं कि क्या अच्छा या बुरा होना चाहिए। छुट्टी के दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक आदर्श है, लेकिन यह देशभक्ति के मूल्य को दर्शाता है। गहरे रंग के कपड़े पहनना और गंभीर दिखना एक अंतिम संस्कार में प्रामाणिक व्यवहार हैं; कुछ संस्कृतियों में, वे मित्रों और परिवार के लिए सम्मान और समर्थन के मूल्यों को दर्शाते हैं।

मीडिया, एक शक्तिशाली सामाजिक व्यवस्था के रूप में, एक व्यक्ति की वास्तविकता की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है (गेर्गन, 1999)। यह इस विश्वास पर प्रभावशाली साबित हुआ कि अपने व्यापक सांस्कृतिक अर्थों में, मीडिया ने बड़े पैमाने पर उन मूल्यों और मानदंडों को मजबूत किया, जो पहले से ही एक व्यापक सहमति की नींव हासिल कर चुके थे। मानार्थ और स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की उपयोगिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं (बजोहर, 2006)। इस प्रक्रिया में जनसंचार माध्यम कम प्रभावी होते हैं यदि वे एक शत्रुतापूर्ण धारणा का उपयोग करते हैं और जब "प्रेरक प्रेस निष्कर्ष" अधिक शक्तिशाली होते हैं।

वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक चर्चा में दो शक्तिशाली परिदृश्य हावी हैं। एक बहुत ही सामान्य परिदृश्य सांस्कृतिक समरूपता के रूप में वैश्वीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस परिदृश्य में विश्व के सांस्कृतिक रूप से भिन्न समाज विश्व स्तर पर उपलब्ध वस्तुओं, मीडिया, विचारों और संस्थानों से आगे निकल रहे हैं। ऐसी दुनिया में जहां वियना से लेकर सिडनी तक के लोग बिग मैक खाते हैं, बेनेटन के कपड़े पहनते हैं, एमटीवी या सीएनएन देखते हैं, मानवाधिकारों के बारे में बात करते हैं और अपनी आईबीएम कंप्यूटर संस्कृति पर काम करते हैं, वे एक जैसे हो जाते हैं और विशिष्ट पहचान मिट जाती है। इससे स्थानीय संस्कृति को खतरा है। चूंकि ये वस्तुएं और विचार ज्यादातर पश्चिमी मूल के हैं, इसलिए वैश्वीकरण को भेष में पश्चिमीकरण के रूप में माना जाता है। दूसरा परिदृश्य सांस्कृतिक विखंडन और अंतरसांस्कृतिक संघर्ष का है (हंटिंग्टन्स 'क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन्स' में शामिल है और हाल ही में युगोस्लाविया में नृवंशविज्ञानियों द्वारा "पुष्टि" की गई है)। स्थानीय संस्कृतियाँ वैश्विक संस्कृति के ज्वार का सामना करने में विफल रहती हैं। विरोध और विद्रोह स्थानीय संस्कृति को बचाने के लिए होते हैं और सांस्कृतिक संघर्ष का बदसूरत परिदृश्य पैदा करते हैं।

वैश्वीकरण ने कई बदलाव लाए हैं जो महिलाओं के जीवन को नाटकीय रूप से प्रभावित करते हैं। यह महिलाओं के लिए दोधारी प्रक्रिया साबित हुई है। एक ओर इसने महिलाओं के लिए जोखिम और असुरक्षा को बढ़ा दिया है और दूसरी ओर इसने महिलाओं के लिए अधिक स्वायत्तता और अवसरों का सृजन किया है। वैश्वीकरण महिलाओं के विभिन्न समूहों को अलग–अलग जगहों पर अलग–अलग तरीकों से प्रभावित करता है। विशेष रूप से, पिछले दो दशकों के भीतर, वैश्वीकरण ने विकासशील देशों में महिलाओं के जीवन पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। इसने महिलाओं के इलाज के लिए नए मानक बनाए हैं, और महिलाओं के समूहों को संगठित होने में मदद करता है। ऐसी स्थितियों में जहां महिलाओं के साथ ऐतिहासिक रूप से श्रम के पितृसत्तात्मक विभाजन के तहत दमन या भेदभाव किया गया है, वैश्वीकरण की कुछ विशेषताएं मुक्तिदायक परिणाम साबित हुई हैं।

टिप्पणी

समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते जुड़ाव के युग में, जातीय पहचान विशेष और लौकिक सीमाओं को पार करते हुए देखी जा रही है। पूरे रिकॉर्ड किए गए इतिहास में जातीय पहचान मौजूद हैं। एंथोनी स्मिथ के अनुसार, विशेष जातीयता के लोग एक–दूसरे के साथ एक सामान्य नाम, एक विश्वास सामान्य वंश, एक साझा संस्कृति के तत्व (अक्सर भाषा या धर्म), सामान्य ऐतिहासिक यादें, और एक विशेष क्षेत्र के लिए लगाव के माध्यम से एक–दूसरे के साथ पहचान करते हैं। जातीयता की परिभाषा अपने आप में विवादास्पद प्रकृति की है। प्रमुख कथा समुदायों की संख्यात्मक ताकत और सामाजिक–सांस्कृतिक प्रथाओं के संदर्भ में जातीयता को परिभाषित करती है। राष्ट्र को एक या एक से अधिक जातियों से मिलकर पहचाना जाने लगा। धीरे–धीरे, जातीय पहचान क्षेत्रीय सीमाओं से जुड़ गई। रूस, इंग्लैंड और अन्य देशों के मामलों में देखे गए प्रमुख और परिधीय नृवंशविज्ञान के बीच अंतर को तेज करने वाले राज्य द्वारा दो या दो से अधिक जातियों को शामिल करने के साथ राष्ट्र का गठन किया गया था। यद्यपि राष्ट्र–राज्य में दोनों प्रमुख अल्पसंख्यक जातियाँ शामिल थीं, राज्य संरचनाओं का प्रतिनिधित्व अकेले प्रमुख जातीय समूहों द्वारा किया गया था। स्लेसिंगर संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को दिखाता है जहां अमेरिकी समाज अनिवार्य रूप से यूरोपीय संस्थानों की निरंतरता और अफ्रीकी अमेरिकियों की विशिष्ट संस्कृति को त्यागने वाली अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व पर निर्भर रहा है।

विश्व स्तर पर, पर्यटन ने पिछले दो या तीन दशकों में लगातार वृद्धि दिखाई है, जिससे पर्यटन गतिविधियों को एक वास्तविक उद्योग में बदल दिया गया है। नई सहस्राब्दी में, हमने लोगों द्वारा अपने ख़ाली समय बिताने के तरीके में रुचि की निरंतर वृद्धि देखी है। इस खाली समय के दौरान, विशेष रूप से यात्रा और छुट्टियों के लिए समर्पित समय में, लोग क्या "खपत" करते हैं, इसके विकास में भी बहुत रुचि है। ख़ाली समय की वृद्धि के साथ, बेहतर जीवन स्तर के साथ, पर्यटन की माँग में वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर, हम ख़ाली समय के पुनर्मूल्यांकन में सुधार और काम करने में लगने वाले समय में कमी देख सकते हैं, इस तथ्य ने पर्यटन जैसे उपभोग के एक नए रूप में जुड़ाव उत्पन्न किया।

प्रवासी शब्द ग्रीक शब्द 'डायस्पोरा' से आया है, जिसका अर्थ है "बिखरना, फैलाव"। डायस्पोरा उन लोगों का वर्णन करता है जो अपने देश को छोड़ चुके हैं, आमतौर पर अनैच्छिक रूप से दुनिया भर के विदेशी देशों में। इन समुदायों के उदाहरणों में यहूदिया से यहूदी लोगों को हटाना, गुलामी के माध्यम से अफ्रीकियों को हटाना और हाल ही में सीरियाई लोगों का प्रवास, निर्वासन और शरणार्थी शामिल हैं। "डायस्पोरा" की अवधारणा काफी व्यापक है क्योंकि विभिन्न विषयों में इसका इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, समाजशास्त्री और मानवविज्ञानी कभी–कभी इसका उपयोग उन समुदायों का वर्णन करने के लिए करते हैं जिनमें कुछ जातीय विशेषताएं होती हैं, भले ही ये समूह अपनी पूर्व मातृभूमि के साथ किसी भी तरह के संबंध बनाए रखते हों। डायस्पोरा की प्रचलित परिभाषा एक ऐसा समूह प्रतीत होता है जो सामान्य जातीयता / राष्ट्रीयता के आधार पर अपनी अलगाव को पहचानता है, एक मेजबान देश में रहता है, और गृह देश (या "मातृभूमि", एक व्यापक शब्द जो एक इकाई को दर्शाता है) के लिए किसी प्रकार का लगाव रखता है। जो राज्य की सीमाओं तक फैला हो सकता है, उदाहरण के लिए, हंगेरियन या सर्बियाई मातृभूमि।

टिप्पणी

भारतीय प्रवासी आज 20 मिलियन से अधिक की संख्या में हैं और 110 देशों में फैले हुए हैं। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में कई भारतीय शामिल हैं। अमेरिका में उनकी पेशेवर और उद्यमशीलता की सफलताओं को देखते हुए उन्हें व्यापक रूप से 'मॉडल अल्पसंख्यक' के रूप में जाना जाता है। वैश्वीकरण, उन्नत प्रौद्योगिकी और संबंधित जनसंख्या प्रवाह के साथ, कई शहर उच्च कुशल पेशेवरों के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभरे हैं। इनमें से कई में आज भारतीय डायस्पोरा की एक नई श्रेणी के नवगठित समूह हैं – इन वैश्विक केंद्रों में रहने और संपन्न होने वाले अत्यधिक कुशल वैश्विक भारतीय। यह परियोजना इन प्रवासी समुदायों के विकास का विश्लेषण करने के लिए हाल के दशकों में सिलिकॉन वैली, सिंगापुर और दुबई में वैश्विक भारतीयों की आमद की जांच करती है। वैचारिक रूप से, यह प्रवासी समुदायों की कुछ मौजूदा परिभाषाओं को चुनौती देता है।

लोगों से लोगों का संपर्क उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है जितना कि सरकार से सरकार का संबंध। विभिन्न प्रकार की गैर–सरकारी और अंतर–सरकारी गतिविधियों पर साहित्य के पूरे क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नाम दिया गया है। ऐसी राजनीति का आधार कई आंदोलनों–सांस्कृतिक और सभ्यता–में पाया जाता है जिसमें लोगों से लोगों का सहयोग शामिल होता है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। . 1990 के दशक के दौरान वैश्वीकरण के बारे में लिखते हुए, जॉन कैवनघ ने इसकी तुलना एक विशिष्ट आंदोलन से की, जिसे उन्होंने "उल्लेखनीय" बताया। उन्होंने लिखाः "एक आंदोलन जो मुझे सबसे दिलचस्प लगता है और कुछ मायनों में जो दुनिया भर में बनाया गया है उसके समान ... उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था, जो यहां अमेरिका और इंग्लैंड और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में निहित था। और अफ्रीका, लगभग 1780 और 1800 के दशक के बीच अटलांटिक दास व्यापार से लड़ने के लिए।" इस प्रकार, दास व्यापार का प्रतिरोध और उसके खिलाफ लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का एक उदाहरण हो सकता है क्योंकि इसने दुनिया भर के कई देशों को कवर किया है।

14वीं शताब्दी के बीच धर्मयुद्ध में लाखों ईसाई और मुसलमान मारे गए; और ईसाई कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच तीस साल के युद्ध (1618–1648) के दौरान धार्मिक संघर्षों ने सभी यूरोपीय लोगों के लगभग एक चौथाई लोगों की जान ले ली। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन ने, "दो–राष्ट्रों" के सिद्धांत के आधार पर, सांप्रदायिक उन्माद के साथ तबाही मचा दी, जिससे लाखों लोग–हिंदू और सिख मारे गए, घायल हो गए, अपंग हो गए या सीमाओं के दोनों ओर बलात्कार किए गए। पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों के थोक प्रवास ने अभूतपूर्व मानवीय संकट पैदा किया। पश्चिम एशिया में, अरब मुसलमानों और इजरायली यहूदियों के बीच चल रहे संघर्ष निर्दोष लोगों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार रहे हैं; तत्कालीन यूगोस्लाविया में, बोस्नियाई मुसलमानों को पड़ोसी सर्बों द्वारा "जातीय सफाई" के अधीन किया गया था; और जम्मू–कश्मीर में आतंकवादी हिंसा ने लाखों पंडितों को अपना घर छोड़ने और भारत के भीतर शरणार्थी बनने के लिए मजबूर कर दिया है, जबकि हिंदू को सीमा पार से प्रायोजित जिहाद के नाम पर मारा जा रहा है। अमूर्त स्तर पर, धर्म लोगों के एक समूह द्वारा साझा की गई विचार की एक प्रणाली है जो अपने सदस्यों को भक्ति की वस्तु और व्यवहार की एक संहिता देता है। प्रत्येक धर्म शांति और भाईचारे के महान आदर्शों का

उपदेश देता है, फिर भी व्यवहार में विश्वास कई बार घृणा और हिंसा की ओर ले जाता है। विश्वास की एक प्रणाली एक धर्म के अनुयायियों को उनकी पहचान का मुख्य स्रोत प्रदान करती है; और यह पहचान अक्सर गलत धारणा की ओर ले जाती है कि उनके अपने धर्म के मूल्य अन्य विश्वास प्रणालियों से बेहतर हैं।

टिप्पणी

3.8 मुख्य शब्दावली

- **वैश्वीकरण** : भूमंडलीकरण (वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं उपभोग स्थलों के बीच में दूरी खत्म होना)
- **लोकाचार** : सदाचार संबंधी।
- **डायस्पोरा** : प्रवासी (जन विसर्जन)
- **कैथोलिक ईसाई** : जो पोप को और बाइबिल में हुए संशोधनों को स्वीकार करते हैं।
- **प्रोटेस्टेंट ईसाई** : जो पोप को और बाइबिल में हुए मानवीय संशोधनों को स्वीकार नहीं करते हैं।
- **जिहाद** : इस्लाम की रक्षा एवं विस्तार के नाम पर गैर मुस्लिम नागरिकों की हत्या।

3.9 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

लघु–उत्तरीय प्रश्न

1. वैश्वीकरण के लोकाचार के घटकों के नाम बताइए।
2. समाजशास्त्री रॉबिन विलियम्स द्वारा 1965 में पहचाने गए अमेरिकी मूल्यों का परिचय दीजिए।
3. वैश्वीकरण एवं संस्कृति के संबंधों के बारे में अर्जुन अप्पादुरई के तर्क को संक्षेप में बताइए।
4. अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों का अर्थ बताइए।
5. धार्मिक कट्टरवाद से आप क्या समझते हैं?

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. वैश्वीकरण के लोकाचारों की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
2. अमेरिकी जीवन मूल्य प्रणाली का प्रसार, संरक्षण एवं मीडिया की भूमिका को रेखांकित कीजिए।
3. वैश्वीकरण और सांस्कृतिक समरूपता, आधिपत्य और प्रभुत्व का रेखांकन कीजिए।
4. वैश्वीकरण और जातीय चेतना के पुनरुत्थान की व्याख्या कीजिए।
5. अंतर्राष्ट्रीय जातीय और धार्मिक आंदोलनों पर प्रकाश डालिए।

टिप्पणी

6. निम्न पर टिप्पणी लिखिए–
   (क) वैश्विक पर्यटन
   (ख) प्रवासी समुदाय
   (ग) अंतर्राष्ट्रीय जातीय और धार्मिक आंदोलन
   (घ) धार्मिक कट्टरवाद

3.10 सहायक पाठ्य सामग्री

1. Hodkinson, P. 2011. *Media, Culture and Society*. London: Sage Publications.
2. Macionis, J. & Plummer, K. 2012. *Sociology:A Global Introduction*. 5th edition. London: Pearson.
3. Madhok, M. 2013. *News Media in India: The impact of Globalization*. New Delhi: New Century Publication.
4. John Baylis, Steve smith and Patrica Owens, *The Globalization of World Politics:An Introduction to International Politics*, Oxford University press, New York, 2008
5. David Held (Second edition), Globalizing World,
6. C.P. Chanderasakern and Jayati Ghosh, *The Market that failed:A decade of Neo Liberal Economics Reforms in India,* Left world, New Delhi, 2000
7. Ahluwalia, Montek S., *"India's Economic Reforms:An Appraisal,"* in Jeffrey Sachs and Nirupam Bajpai's (eds.), *"India in the Era of Economic Reform,"* Oxford University Press, New Delhi, 2000.
8. Bhagwati, J., and Srinivasan, T.N., *"Outward-Orientation on Development:Are the Revisionists Right,"* in *Trade, Development and Political Economy*, by Deepak Lal and Richard Snape eds. Palgrave, 2001.
9. Chaudhuri, Sudip, *"Economic Reforms and Industrial Structure in India,"* Economic and Political Weekly, January 12, 2002.
10. Davis, Jeffrey, Rolando Ossowski, Thomas Richardson, and Steven Barnett, *"Fiscal and Macroeconomic Impact of Privatization,"* IMF Occasional Paper 194, (2000).
11. Dev, Mahendra S., and Jos Mooli, *"Social Sector Expenditures in the 1990s:Analysis of Central and State Budgets,"* Economic and Political Weekly, March 2, 2002.
12. Jean Dreze andAmartya Sen, *"Economic Development and Social Opportunities,"* Oxford University Press, New Delhi (1995).
13. David Held andAnthony McGrew (ed.) *Globalization Theory:Approaches and Controversies.*

इकाई 4 वैश्वीकरण के सामाजिक परिणाम

टिप्पणी

संरचना

4.0 परिचय
4.1 उद्देश्य
4.2 देश के भीतर और देशों के बीच असमानताएं
4.2.1 असमानता की परिभाषा एवं लक्षण
4.2.2 असमानता की अवधारणाएं
4.3 वैश्वीकरण : राष्ट्र और आबादी के मत–अभिमत
4.4 वैश्वीकरण के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव
4.5 व्यक्तिगत एवं सामूहिक पहचान पर वैश्वीकरण का प्रभाव
4.6 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
4.7 सारांश
4.8 मुख्य शब्दावली
4.9 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
4.10 सहायक पाठ्य सामग्री

4.0 परिचय

ऐसी कई असमानताएं और असमानता के कई स्वरूप हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। जहां एक तरफ अधिकतर आर्थिक असमानता पर ध्यान दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई अन्य आयाम हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए। इनमें स्वतंत्रता में असमानता, अवसरों में असमानता, राजनीतिक शक्ति और सत्ता में असमानता, सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा में असमानता आदि मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त, असमानता का वर्गीकरण पारिवारों के बीच और परिवारों के भीतर असमानताओं तथा व्यक्ति और परिवार के बीच असमानताओं और समूहों के बीच तथा समूहों के भीतर असमानताओं के रूप में भी किया जा सकता है। वहीं, असमानता के क्रमवैधानिक (अर्थमितिक / inter-temporal) मूल्यांकनों से, गतिज मूल्यांकन समेत स्थैतिक मूल्यांकनों को अलग किया जाना चाहिए। जब बात असमानता के मूल्यांकन और मापन की हो, तो असमानता के अनायामी और बहुआयामी मूल्यांकनों, वस्तुपरक और व्यक्तिपरक मूल्यांकनों, निरपेक्ष और सापेक्ष असमानता, असमानता और ध्रुवीकरण तथा असमानता के उन संकेतकों में भेद किया जाना चाहिए, जो अलग–अलग पक्षों पर बल देते हों।

प्रस्तुत इकाई में राष्ट्रों में असमानताओं, वैश्वीकरण के प्रति राष्ट्रों और इसके नागरिकों के विचारों, सामाजिक आर्थिक प्रभावों तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक पहचान जैसे विषयों का अध्ययन किया गया है।

4.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- राष्ट्र राज्यों के बीच असमानता के विभिन्न पक्षों से परिचित हो पाएंगे;

- राष्ट्रों और उनकी आबादी के बीच वैश्वीकरण की विभेदक धारणा को समझ पाएंगे;
- वैश्वीकरण के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का अध्ययन कर पाएंगे;
- व्यक्तिगत एवं सामूहिक पहचान पर वैश्वीकरण के प्रभावों को जान पाएंगे।

टिप्पणी

4.2 देश के भीतर और देशों के बीच असमानताएं

हालांकि बीते कुछ दशकों के दौरान वैश्विक असमानता में उल्लेखनीय कमी आई है, किंतु देशों के भीतर असमानताओं में भारी वृद्धि हुई है – विशेष रूप से विकसित देशों में। बीते वर्षों के दौरान विश्व के आधे से अधिक देशों और लगभग 90 प्रतिशत देशों में आय की असमानता में वृद्धि हुई है। देश के भीतर आय की असमानता में वृद्धि के कारणों में तकनीकी में प्रगति, वैश्वीकरण, उपभोक्ता सामग्री का मूल्य चक्र, घरेलू आर्थिक नीतियां, जैसे पुनर्वितरणीय वित्तीय नीतियां, श्रम एवं उत्पाद बाजार नीतियां, आदि मुख्य हैं।

4.2.1 असमानता की परिभाषा एवं लक्षण

असमानता : असमानता व्यक्तियों के समूह, आबादी के समूहों या देशों के बीच, स्थित आर्थिक अंतर को दर्शाती है। आर्थिक असमानता कभी–कभी आय असमानता, धन असमानता या धन अंतर को संदर्भित करती है। अर्थशास्त्री आमतौर पर आर्थिक असमानता के अध्ययन हेतु तीन मापीय प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हैं : धन, आय और खपत।

दो या दो से अधिक चीजों, तथ्यों या वास्तविकता के बीच संतुलन या समानता की कमी होना असमानता कहलाती है। अर्थात् एक चीज को दूसरे से अलग करने की गुणवत्ता, असमानता कहलाती है। जैसे– शैक्षिक, क्षेत्रीय, औद्योगिक असमानता आदि।

जैसे, शिक्षा में, असमानता दर्शाती है कि हमारी प्रणालियां, सभी को समान प्रशिक्षण के अवसर प्रदान नहीं कर पाती हैं क्योंकि वे समान रूप से या योग्यता के अनुसार वितरित नहीं की जातीं बल्कि आर्थिक स्तर पर राजनीतिक विचारधारा, धर्म, जातिवाद, लिंग आदि के आधारभूत होती हैं।

प्रकृति ने विभिन्न प्रकार की विविधताएं तथा असमानताएं संसार में दी हैं। इन विविधताओं के कारण अनेक प्रकार की अन्य असमानताएं जन्म लेती हैं। इसी प्रकार हमारे देश भारत में भी अनेक प्रकार की विविधताएं विद्यमान हैं जिससे अनेक प्रकार की असमानताएं जन्म लेती हैं। उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचकर भारतीय संस्कृति का पतन आरंभ हुआ। भारतीय संस्कृति तथा समाज में अनेक दोष उत्पन्न हो गए। भारतीय समाज की विशेषताएं जो इसकी महानता को दर्शाने वाली थीं, उनमें ध ीरे–धीरे कुरीतियों ने घर कर लिया। ये कुरीतियां भारत में अवनति का कारण बन गईं। भारतीय समाज कई छोटे–बड़े वर्गों में बंट गया। ऐसे पेशे से दूसरे में जाना कठिन हो गया।

मध्यकाल में स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान न देने के कारण उनकी दशा बिगड़ गई। अंग्रेजी शासन काल में कृषि को बढ़ावा न मिलने के कारण गांवों के लोगों ने

नगरों में जाना आरंभ कर दिया। परिणामस्वरूप नगरों में झुग्गी–झोंपड़ियां बन गईं। गंदगी फैली तथा मलिन बस्तियां स्थापित हो गईं।

टिप्पणी

संसार के सभी वाद अर्थात् समतावाद, समाजवाद, पूंजीवाद, जनतंत्र आदि सामाजिक समानता की बात करते हैं, परंतु सामाजिक भेद–भाव भी जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। समानता का अर्थ है, जन्म, वंश, जाति, सम्प्रदाय, धर्म, लिंग, पद प्रतिष्ठा आदि को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करना। आर्थिक न्याय का अर्थ है गरीबी और अमीरी की खाई को पाटकर उन्हें बराबरी की नजर से देखना, राजनीतिक समानता का अर्थ है धर्म, जाति आदि को ध्यान में न रखते हुए सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देना। धर्म, जाति, धन के आधार पर समाज में जो विभिन्नताएं हैं उन्हें दूर करना ही शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं और उनके न्यायिक अधिकार एक जैसे हैं। भारत में सभी विभिन्नताओं को दरकिनार कर सभी नागरिकों को मतदान का राजनीतिक अधिकार दिया गया है। आर्थिक क्षेत्र में भी पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है तथा कोई भी व्यक्ति अथवा वर्ग किसी भी व्यक्ति अथवा वर्ग का शोषण नहीं करेगा। सभी को समान स्तर और अवसर प्रदान किए जाएंगे।

भारत एक बहुत बड़ा देश है, रूस को छोड़कर समस्त यूरोप तथा ग्रेट ब्रिटेन से यह लगभग 20 गुना बड़ा है। समस्त संसार का 1/7 भाग भारत में रहता है। 'हेरोडोटस' ने लिखा है, "हमारी जानकारी में आए हुए देशों में यह भारत ही है, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत में भौगोलिक विस्तार और विस्तृत क्षेत्रफल की अपेक्षा उसके भौतिक रूप की भिन्नता और भी महत्वपूर्ण है।

(i) प्राकृतिक विविधता तथा असमानता– भारत का प्राकृतिक पर्यावरण विविधता से भरा हुआ है। भारत में हर प्रकार की जलवायु पायी जाती है, कोई प्रदेश खूब गर्म है, कोई ठण्डा और कोई सम शीतोष्ण है। कहीं खूब वर्षा होती है और कहीं सदैव ठण्डा रहता है। कहीं जंगल ही जंगल है तो कहीं रेत ही रेत और कहीं खूब हरे–भरे प्रदेश।

इस प्राकृतिक विविधता ने भारतीय संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(ii) जातिगत विविधता– भारत में हजारों जातियां पायी जाती हैं। स्मिथ ने भारतवर्ष को 'प्रजातीय अजायबघर' कहकर पुकारा है। इन जातियों में सभी तरह के लोग आ सकते हैं।

आजकल भारतवर्ष में आदिकालीन जन–जातियों से लेकर नगरों में रहने वाले चिकने–चुपड़े शहरी तक सभी तरह के लोग पाए जाते हैं। भारतीय जनता में सामाजिक विकास में प्रत्येक स्थिति के लोग पाए जाते हैं। जातिगत विविधता भी भारतवर्ष की अपनी एक विशेषता है।

(iii) भाषा संबंधी, धार्मिक और आर्थिक विविधता एवं असमानता– भारत में 28 अलग–अलग राज्य हैं जिनकी भाषा व साहित्य भी अलग–अलग है। 200 से भी अधिक बोलियां व भाषाएं इन राज्यों में बोली व पढ़ी जाती हैं।

इस देश में संसार के सारे बड़े धर्म पाए जाते हैं। हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म व ईसाई धर्म। इन सभी धर्मों के सम्प्रदाय और उपविभाग और उसके अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं।

टिप्पणी

वैदिक धर्म, पौराणिक धर्म, सनातन धर्म, भागवत धर्म, पाचरात्र धर्म, ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि। ये सभी हिन्दू धर्म के ही अलग–अलग रूप हैं।

भारतीय जनता सामाजिक विचारों, आचारों, परम्पराओं और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भी अपनी विविधता को बनाए हुए है।

आर्थिक स्थिति में भी विविधता पायी जाती है।

कोई व्यक्ति खूब मालदार है तो कोई साधारण खाता–पीता है तो कोई बिल्कुल भूखा–नंगा।

भारत में भौगोलिक विस्तार, प्राकृतिक विविधता, जातीय भिन्नता, भाषा संबंधी भिन्नता तथा आर्थिक भिन्नता को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी तत्व भारतवर्ष में बड़ी जटिल विविधता का निर्माण करते हैं। राधा कुमुद मुकर्जी के शब्दों में, "भारतवर्ष संप्रदायों और रीति–रिवाजों, धर्मों और सभ्यताओं, विश्वासों व बोलियों, जातीय प्रकारों और सामाजिक व्यवस्थाओं का एक अजायबघर है।"

असमानता के प्रकार

1. **धार्मिक विविधता**– निराशा, मानसिक तनाव और अशांति के समय जब मनुष्य की कोई भी तार्किक बात समझ नहीं आती तब उसका झुकाव धर्म की ओर होता है। यह देखा गया है कि हर देश व जाति में धर्म विद्यमान है। बिना किसी धर्म के किसी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इस भौतिकवादी युग में भी मनुष्य को शांति के लिए धर्म की ही आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए प्रत्येक स्थान व संस्कृति में धर्म किसी न किसी रूप में विद्यमान है। समय, वातावरण पर परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न धर्मों में विभिन्न विशिष्टताओं का समावेश हुआ।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है फिर भी भारत में विश्व के प्रमुख धर्म व उनके अनुयायी विद्यमान हैं। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म में आस्था रखते हुए उसके सिद्धांतों का पालन कर सकता है। भारत विश्व के अनेक प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान भी है, जैसे– हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म आदि। इसके अतिरिक्त भारत में अनेक धर्म बाहर से भी आए जैसे मुस्लिम तथा ईसाई धर्म आदि।

"Religions are different roads converging upon the same point. What does it matter that we take different roads, so long as we reach the same goal."

—Mahatma Gandhi

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में धार्मिक विविधता पाई जाती है। यहां विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं जो अपनी इच्छानुसार अपने धर्म का पालन करते हैं। विश्व की सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या भारत में रहती है। विश्व की तीसरी बड़ी मुस्लिम जनसंख्या भारत में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त बौद्ध, जैन, सिक्ख, ईसाई,. तथा पारसी धर्म के अनुयायी भी भारत में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी धार्मिक आस्था

के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता से अपनी संस्कृति की रक्षा करता है तथा अपने व्यक्तिगत धार्मिक आदर्शों को सुरक्षित रखता है।

टिप्पणी

भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का प्रतिशत

हिन्दू	78%
इस्लाम	14.88%
ईसाई	2.3%
बौद्ध	0.8%
जैन	0.4%
सिक्ख	1.9%

भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वालों की जनसंख्या प्रतिशत

धर्म	जनसंख्या	जनसंख्या प्रतिशत
1. हिन्दू	8,276 लाख	80.46%
2. मुस्लिम	1,380 लाख	18.43%
3. ईसाई	240 लाख	2.34%
4. सिक्ख	192 लाख	1.87%
5. बौद्ध	008 लाख	1.05%
6. जैन	004 लाख	0.41%
7. अन्य	007 लाख	0.44%

भारत में न सिर्फ अनेक धर्म ही पाए जाते हैं अपितु इन धर्मों में अनेक वर्ग बने हुए हैं, जैसे हिंदू समाज अनेक जातियों तथा वर्गों में बंटा हुआ है। हिंदू समाज के प्रमुख वर्ग हैं आर्य समाज, ब्रह्म समाज, राधा स्वामी तथा साईं बाबा आदि। इसी प्रकार मुस्लिम समाज भी शिया तथा सुन्नी में विभाजित है। सिक्ख समाज भी नामधारी तथा निरंकारी में विभक्त है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म हीनयान व महायान में तथा जैन धर्म श्वेताम्बर तथा दिगम्बर में विभाजित है।

भारत में इन्हीं धर्म तथा संप्रदायों के कारण आश्चर्यजनक विलक्षण व विभिन्नता पाई जाती है।

धार्मिक विविधता से उत्पन्न होने वाली असमानताएं– धार्मिक विविधता राष्ट्रीय अनेकता तथा समानता का एक प्रमुख कारण है। प्रायः यह देखा गया है कि अपने–अपने धर्मों में आस्था रखने वाले व्यक्ति राष्ट्रीय एकता के बजाय अपने–अपने धर्म के प्रति अधिक ईमानदारी प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति अपने आपको तथा अपने धर्म को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ समझता है तथा दूसरे धर्म को हीनदृष्टि से देखता है जिससे समाज में असमानता उत्पन्न होती है। सभी संप्रदायों में आपसी विरोध ा तथा घृणा की भावना इस सीमा तक पहुंच गई है कि एक संप्रदाय के व्यक्ति दूसरे संप्रदाय को एक आंख से नहीं देख सकते। प्रायः सभी संप्रदाय के व्यक्ति राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा केवल अपने–अपने सांप्रदायिक हितों को पूरा करने में ही जुटे हुए हैं। इससे असमानता का स्तर बढ़ता ही जा रहा है।

टिप्पणी

धर्मों के नाम बड़े सुंदर और सार्थक हैं; जैसे– इस्लाम, ईसाई, सनातन, वैदिक आदि। इन सबका अर्थ ही दिव्य है। इस्लाम शब्द का अर्थ शांति है, जिसका तात्पर्य शांतिपूर्वक जीवन–यापन करना है और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखना है। क्रिश्चियनिटी का अर्थ भी धर्म के अर्थ के समान है। इसकी उत्पत्ति क्रिस्टोस शब्द से हुई है जिसका अर्थ ईश्वरीय ज्ञान से है। सनातन का अर्थ निरन्तर जीवित रहने से है, अर्थात् आत्मा की अमरता सदैव बनी रहती है। ज्ञान के धर्म वैदिक धर्म का अर्थ है बुद्धि का धर्म, यह बौद्ध धर्म है।

इस प्रकार प्रत्येक धर्म प्रेम, उदारता, सहिष्णुता, सहानुभूति तथा कर्त्तव्यपरायणता की शिक्षा देता है। परंतु व्यक्तियों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए धर्म की अपने स्वार्थ के अनुसार व्याख्या की जिससे धार्मिक असमानता का उदय हुआ। वर्तमान समय में धार्मिक असमानता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है जिसे पूरी तरह समाप्त करना एक कठिन कार्य है।

2. **वर्ग विभाजन व असमानता**– भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में बंटा हुआ है। समाज की अलग–अलग तहें हैं। ग्रामीण तथा नगर के दो अलग–अलग वर्ग हैं यद्यपि इन वर्गों में भी अनेक छोटे–छोटे वर्ग हैं। इसी प्रकार समाज की कई परतें अथवा तहें हैं। अभी भी गांवों में अशिक्षा है, निर्धनता है, बीमारी है तथा अंधविश्वास का बोलबाला है। ऐसे कई स्थान हैं, जहां पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग नहीं जा सकते हैं, उनके लिए अलग कुएं हैं। उन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार होते हैं।

बड़े–बड़े नगरों में विशेषकर राज्यों की राजधानियों में मकानों का निर्माण तथा सरकारी आबंटन सरकार में नौकरी तथा आमदनी के आधार पर किया जाता है। उदाहरणार्थ, दिल्ली में आरंभ में सरकारी निवास स्थानों का नामकरण इस प्रकार था– शान नगर, जहां पर बड़े सरकारी अधिकारी रहते थे। विनय नगर, जहां पर क्लर्क आदि रहते थे। सेवा नगर, जहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निवास करते थे, परंतु अब इनके नाम बदल दिए गए हैं।

भारतीय समाज की शहरी तथा ग्रामीण समाज जनसंख्या

वर्ष	भारत		संसार	
	शहरी %	ग्रामीण %	शहरी %	ग्रामीण %
2001	27.8	72.2	47.7	52.3
2030	40.9	59.1	60.3	39.7

असमानता के लक्षण

1. **उच्च वर्ग**– इसमें बहुत अमीर लोग, बड़े–बड़े व्यापारी, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ तथा ऊंचे पदों पर स्थित सरकारी तथा गैर–सरकारी अधिकारी एवं बड़े जमींदार आदि आते हैं। यह वर्ग प्रायः उच्च आर्थिक लाभों का उपयोग करता है। साथ ही उच्च सामाजिक स्तर तथा राजनीतिक प्रभाव का भी लाभ उठाता है।
2. **मध्य वर्ग**– इसको तीन भागों में बांटा जा सकता है–
   (i) उच्च मध्य वर्ग–इस वर्ग में प्रायः मैनेजर, डॉक्टर, वकील इंजीनियर, प्राध यापक, निजी कंपनियों में कार्यरत ऊंचे अधिकारी, मिडिल वर्ग के व्यापारी

आदि शामिल हैं। इस वर्ग के लोगों का रहन–सहन अधिकतर उच्च वर्ग के समान ही होता है।

(ii) मध्यम मध्य वर्ग– इस वर्ग में सरकारी कार्यालयों तथा अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के अधीन आदि लोग आते हैं। छोटे व्यापारी या सामान्य स्तर के दुकानदार भी इस श्रेणी में हैं। यद्यपि इन लोगों के सीमित साधन होते हैं, परंतु इच्छाएं तथा आवश्यकताएं उच्च वर्ग जैसी ही रखते हैं।

टिप्पणी

(iii) निम्न मध्य वर्ग– इस वर्ग के अंतर्गत स्कूल अध्यापक, कार्यालयों में कार्यरत छोटे बाबू, छोटे दुकानदार, पुलिस में छोटे पदों वाले कर्मचारी तथा बहुत छोटे किसान आदि आते हैं।

3. **निम्न वर्ग**– इसमें अर्द्ध–कुशल श्रमिक, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, लोहार, बढ़ई, चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी आदि लोग आते हैं। अनुमान के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत इसी वर्ग से होता है।

गरीबी रेखा से नीचे वर्ग– लगभग 25 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या इस वर्ग में आती है। प्रायः इन्हें जीवन की साधारण खाने–पीने की वस्तुएं, रहने के लिए मकान, पहनने के वस्त्र तथा अन्य वस्तुएं वांछित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।

धार्मिक क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव

1. हिंदुओं के सभी शंकराचार्य पुरुष हैं।
2. ईसाइयों में पोप का स्थान पुरुषों के पास रहा है।
3. मुसलमानों में प्रायः सभी धार्मिक नेता पुरुष हैं।
4. अन्य धर्मों की लगभग यही स्थिति है।
5. सभी धर्मों के प्रवर्तक पुरुष रहे हैं।

जातिगत विविधता व असमानता (Caste & Tribes)–भारतीय समाज में प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था समाज की रीढ़ थी। जाति का आधार मनुष्य का जन्म न होकर उसकी योग्यता तथा पेशा था। परंतु कालान्तर में भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में अनेक दोष आ गए और यह व्यवस्था भारत की उन्नति में एक भयानक बाधा बन गई। वर्तमान समय में जाति का आधार मनुष्य का जन्म तथा आनुवंशिकता बन गई। अब जिस व्यक्ति ने जिस विशेष जाति में जन्म लिया है इच्छा होने पर भी वह उसे बदल नहीं सकता। उसे उसी विशेष जाति के व्यावसायिक पेशे को अपनाना पड़ता है जिस जाति में उसने जन्म लिया हो। योग्यता होने पर भी वह दूसरी जाति की जीविका के साधन अर्थात् पेशे को नहीं अपना सकता।

भारतीय समाज अनेक वर्गों में बंटा हुआ है। मोटे तौर पर अनुमान लगाने पर भारत में 5,000 से भी ऊपर जातियां, उपजातियां एवं वर्ग उभरकर सामने आए। वर्ग भाव बढ़ा/भाईचारा कम हुआ। राष्ट्रीय एकता में कमी अनुभव हुई। मानवीय गुणों की अपेक्षा अन्य तत्वों पर जोर दिया जाने लगा। छुआछूत बढ़ा/सामाजिक ऊंच–नीच की भावना के कारण कुछ वर्गों को घृणा को दृष्टि से देखा जाने लगा।

जातिगत विविधता व जनजाति विविधता– दो संस्कृतियों में संघर्ष का प्रमुख कारण उनके विचारों, मूल्यों, संस्कृति, संकुलों, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक

टिप्पणी

संगठनों में परस्पर विरोध होना है। स्पष्ट है कि भिन्नता संघर्ष का कारण नहीं होती, संघर्ष तो तभी पाया जाता है जब दोनों में विरोध पाया जाए। उदाहरण के लिए भारत में नगरीय, संस्कृति और जनजातीय संस्कृति में भेद देखा जा सकता है क्योंकि नगरीय संस्कृति व्यक्तिवादी तथा जनजातीय संस्कृति समूहवादी होती है।

नगरीय संस्कृति के प्रभाव से जनजातीय संस्कृति समाप्त होती जा रही है। नगरीय संस्कृति के प्रभाव से जनजातियों में दो भाषावाद की समस्या उत्पन्न हुई। ईसाईयों के प्रभाव से इनमें कुछ लोग अंग्रेजी, नगर के प्रभाव से कुछ लोग हिंदी और उर्दू बोलने लगे, जबकि अप्रभावित लोगों में जनजातीय भाषा चलती रही, किंतु पहला वर्ग क्रमशः इतना बढ़ गया कि जनजातीय भाषाएं लुप्त होने लगीं।

नगरीय संस्कृति के प्रभाव से जनजातियों का सामाजिक जीवन बिखर गया है। वैवाहिक नैतिकता का पतन होने लगा है। ललित कलाओं का ह्रास होने लगा है। इन सब समस्याओं के कारण कुछ जनजातियों में ऐसे राजनीतिक संगठन बने हैं जो कि जनजातीय संस्कृति को मूल रूप से बनाए रखना चाहते हैं। भारत सरकार इस प्रकार के प्रयासों को समर्थन दे रही है, क्योंकि आधुनिक भारत विविधता में एकता के आदर्श को लेकर चला है।

भारतीय समाज में सभी धर्मों के लोगों को समानता के साथ रहते हुए अपनी–अपनी आस्था के अनुसार उपासना का अधिकार मिलना चाहिए।

जाति तथा जनजाति (Caste & Tribe)– संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और सामाजिक कमियों को दूर करने के लिए सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए इन वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है या फिर नागरिक के रूप में उनके सामान्य अधिकारों पर बल दिया गया है और उन्हें सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं।

लैंगिक विविधता (Sex)– समाजशास्त्र में लैंगिक शब्द का प्रयोग महिला और पुरुष की सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है। लैंगिक विभिन्नता हमें बच्चे के जन्म के समय से ही देखने को मिल जाती है। लड़के के जन्म पर जहां खुशी व्यक्त की जाती है वही लड़की के जन्म पर दुःख व्यक्त किया जाता है। लड़कों को बाहर निकलने तथा मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया जाता है तथा लड़कियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें शान्त स्वभाव तथा कोमल हृदय की होना चाहिए तथा उन्हें घर की चारदीवारी में रहने को विवश किया जाता है। ये सारे अंतर लैंगिक विभिन्नता को व्यक्त करते हैं। एक महिला को जन्म से ही किसी न किसी के संरक्षण में रहना पड़ता है। विवाह से पहले उसे अपने पिता के संरक्षण में, विवाह के बाद पति के संरक्षण में तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना होता है। इस प्रकार एक महिला कभी स्वतंत्र नहीं रहती। एक महिला को तो आशीर्वाद भी इस प्रकार दिया जाता है कि तुम सौ पुत्रों की माता बनो तथा सदा सुहागन रहो आदि।

इसमें कोई संदेह नहीं कि संसार के हर क्षेत्र में महिलाएं तथा लड़कियां संसाधनों, अवसरों तथा प्रशासनिक तथा राजनीतिक सत्ता पाने के समान अवसरों से वंचित हैं। यही स्थिति भारत में भी है। जबकि भारत में स्त्रियों को देवी माना गया है। वेदों में नारी की शिक्षा, शील, गुण, कर्तव्य और अधिकारों का विशद वर्णन है परंतु फिर

भी उन्हें उनके मूलभूत अधिकारों से अभी तक वंचित रखा गया है। विश्व की सभी संस्कृतियों में धर्मों, आय समूहों से संबंधित समुदायों में नारी की दशा शोचनीय है। इनके खिलाफ सामाजिक एवं आर्थिक हिंसा जारी है।

टिप्पणी

लैंगिक विविधता व असमानता– लैंगिक असमानता का अर्थ है नारियों के साथ पुरुषों के समान विभिन्न क्षेत्रों में एक जैसा बर्ताव न करना। उन्हें विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य न समझना। उनको समान अवसर न देना। उन्हें समान कार्य के लिए वेतन आदि न देना। उन्हें एक प्रकार से भार समझना। पुत्र की उत्पत्ति में प्रसन्नता दिखाना आदि। महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव के प्रमुख तरीके इस प्रकार हैं–

- लड़कियों के स्थान पर लड़कों को प्राथमिकता देना।
- महिलाओं तथा लड़कियों के लिए सीमित व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विकल्प।
- आधारभूत मानव अधिकारों से वंचित रखना।
- महिलाओं तथा लड़कियों से मारपीट।
- दहेज संबंधी मांगें।
- कन्या भ्रूण हत्या, गर्भपात आदि।

किसी समाज में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक स्थिति इस समाज की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिम्बित करती है। राजनीतिक एवं सामाजिक निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता को समाज में महिलाओं की स्थिति विकास का संकेतन माना जाता है। परंतु समाज की इस आधी आबादी की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक दशा अत्यन्त शोचनीय है। पुरुषों के समाज स्त्रियों की शिक्षा भी आवश्यक है, किंतु अनेक देशों में लिंग के आधार पर असमानता पाई जाती है। बालिका को समाज में वह दर्जा नहीं मिलता जो बालकों को प्राप्त है। प्रत्येक दंपत्ति की लालसा पुत्र प्राप्त करने की होती है। समाज के लोग जन्म के बाद बालक–बालिका में भेदभाव करते हैं। उनकी शिक्षा में भी विषमता दृष्टिगोचर होती है। पहली बात तो लड़कियों को कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता और यदि स्कूल भेजते भी हैं तो बीच में ही उनकी पढ़ाई रोक दी जाती है।

यहां संक्षेप में लिंग असमानता के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं–

1. संसार में विकसित, प्रगतिशील तथा जनतांत्रिक देश अमेरिका में राष्ट्रपति पद कभी किसी नारी को प्राप्त नहीं हुआ। समानता का दावा करने वाले रूस में भी यही स्थिति रही है। यूरोप के लगभग सभी देशों में यही स्थिति रही है।
2. अमरीका में महिलाओं को मताधिकार 1920 में, फ्रांस में, 1945 में, इटली में 1948 तथा स्विट्जरलैण्ड में 1973 में दिया गया।

संसार में प्रशासन, संसद तथा अन्य क्षेत्रों में महिलाएं

संसद में महिलाएं	17%
महिला मंत्री	14%
महिला शासनाअध्यक्ष	6%

टिप्पणी

संसार में नोबेल पुरस्कार विजेता

महिलाएं	4.5%
पुरुष	95.5%

जाति तथा जनजाति (Caste & Tribe)– संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और सामाजिक कमियों को दूर करने के लिए सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए इन वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है या फिर नागरिक के रूप में उनके सामान्य अधिकारों पर बल दिया गया है और उन्हें सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं।

(i) छुआछूत दूर करना और किसी भी रूप में इस कुप्रथा पर प्रतिबन्ध लगाना (अनुच्छेद 17)।

(ii) उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना तथा सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण से उनकी सुरक्षा (अनुच्छेद–46ख)।

(iii) सार्वजनिक किस्म की सभी धार्मिक हिन्दू संस्थाओं को कानूनी रूप से हिंदुओं के सभी वर्गों और श्रेणियों के लिए खोलना (अनुच्छेद 25–ख)।

(iv) राज्य द्वारा चलायी जा रही या राज्य निधि में सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश पर किसी भी तरह के प्रतिबंध का निषेध (अनुच्छेद 29(2))।

(v) 25 जनवरी, 1990 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना (अनुच्छेद 330, 332 व 334)।

(vi) अनुसूचित और जनजातियों वाले इलाकों के प्रशासन और नियन्त्रण के लिए विशेष व्यवस्था करना (अनुच्छेद 244 और पांचवीं तथा छठी अनुसूची)।

(vii) मनुष्य के व्यापार व जबरन मजदूरी पर रोक लगाना (अनुच्छेद 23)।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग में नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों और अनुसूचित उद्देश्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय आयोग में सामाजिक नेतृत्व शास्त्र, सामाजिक कार्य और अन्य संबंधित सामाजिक विद्वानों के विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है।

राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष और अधिक से अधिक आठ अन्य सदस्य होंगे। राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधी शर्तें सरकार द्वारा अलग–अलग निर्धारित की जायेंगी और उनका कार्यकाल आमतौर पर तीन साल से अधिक नहीं होगा।

4.2.2 असमानता की अवधारणाएं

असमानता की उत्पत्ति परंपरागत परिणाम–उन्मुखी दृष्टिकोण से हुई है, जिसमें आय का उपयोग कल्याण के एक कारक के रूप में किया जाता है। इस परिणाम–उन्मुखी दृष्टिकोण के अनुसार जीवन के परिणामों के लिए जन्म की स्थितियां आवश्यक हैं और अवसर की समानता हेतु सभी के लिए एक निष्पक्ष प्रारंभिक बिंदु की आवश्यकता होती है।

टिप्पणी

असमानता–समानता के अभाव की स्थिति, विशेष रूप से प्रतिष्ठा, अधिकारों और अवसरों में असमानता – यथार्थतः सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की एक अवधारणा है। किंतु, सार्वजनिक चर्चा में इसे लेकर भ्रम की स्थिति रहती है क्योंकि अलग–अलग लोगों का इसके प्रति दृष्टिकोण अलग–अलग होता है। हालांकि कुछ धारणाएं आम होती हैं। कई लेखक 'आर्थिक असमानता' का विभिन्न रूपों में भेद करते हैं, जिनमें ज्यादातर का अर्थ 'आय की असमानता', 'वित्तीय असमानता' अथवा अधिक विस्तृत रूप में 'जीवन की स्थितियों' में असमानता होता है। कुछ अन्य लोग इसे असमानता का अधिकार आधारित, विधि सम्मत दृष्टिकोण मानते हैं – अधिकारों और उनसे संबद्ध दायित्वों की असमानता (जैसे, जब लोग कानून के समक्ष समान नहीं हों, या जब लोगों की राजनीतिक शक्ति में समानता नहीं हो)।

जहां तक आर्थिक असमानता का प्रश्न है, इसकी चर्चा के दो दृष्टिकोण हैं। एक का संबंध मुख्यतः कल्याण के भौतिक आयामों में परिणामों की असमानता है और यह उन स्थितियों और प्रतिभा व प्रयास का परिणाम हो सकता है, जो किसी के नियंत्रण के परे हों। इस दृष्टि में उपलब्ध–उन्मुखी दृष्टिकोण का समावेश है। दूसरे दृष्टिकोण का संबंध अवसरों की असमानता से है, अर्थात, यह केवल उन्हीं स्थितियों पर केंद्रित होता है, जो किसी के नियंत्रण के परे हों, जिनका किसी के संभावित परिणामों पर प्रभाव हो। यह एक संभावित उपलब्धि का दृष्टिकोण है।

असमानता की एक अवधारणा अभारित अंतर्राष्ट्रीय असमानता की है, जिसमें देश को अवलोकन की इकाई का स्थान दिया गया है। इसमें देश की प्रति व्यक्ति आय, अथवा सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग किया जाता है, इसमें जनसंख्या का कोई स्थान नहीं होता, और इस प्रकार इसमें मानो सभी देशों के प्रतिनिधि व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसकी तुलना संयुक्त राष्ट्र महासभा से की जा सकती है। मान लें कि कोई ऐसा विश्व है, जिसमें 200 देशों के दूत हों, जिनमें से प्रत्येक ने अपने देश की प्रति व्यक्ति आय या सकल घरेलू उत्पाद की पट्टी अपने माथे पर लगा रखी हो। इन दूतों को समृद्धतम और निर्धनतम के रूप में श्रेणीबद्ध कर सभी देशों की असमानता का मूल्यांकन किया जाता है। ध्यातव्य है कि यह यथार्थतः अंतर्राष्ट्रीय असमानता का एक मापदंड है, क्योंकि इसमें देशों की एक–दूसरे से तुलना की जाती है। यह 'अभारित' इसलिए है क्योंकि इसमें प्रत्येक देश का स्थान समान होता है।

एक अन्य अवधारणा जनसंख्याभारित अंतर्राष्ट्रीय असमानता की है, इसमें भी कल्पना की जाती है कि किसी देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय समान होती है किंतु प्रत्येक देश के प्रतिनिधि अपनी जनसंख्या के आकार का चित्र प्रस्तुत करते हैं। ध्यातव्य है कि यह भी अंतर्राष्ट्रीय असमानता है क्योंकि इसमें देशों के बीच माध्य आयों की तुलना की जाती है, किंतु इसमें असमानता का मूल्यांकन जनसंख्या के अनुरूप किया जाता है। यह विश्व के नागरिकों के बीच असमानता का कोई मापदंड नहीं है।

असमानता की एक और अवधारणा है, जिसमें विश्व के सभी लोगों की असमानता की गणना की जाती है। इसमें सिद्धांततः सभी लोगों को समान स्थान दिया जाता है।

असमानता के मापदंड

आय की असमानता का मूल्यांकन और मापन इसे समुचित ढंग से दूर करने का एक मुख्य व महत्वपूर्ण उपाय है। समाज या देश किस सीमा तक असमानता को स्वीकार

टिप्पणी

करते हैं, इसे दूर करने के लिए उन्हें कौन–सी नीतियां अपनानी चाहिए और वे कराधान की किन विधियों का उपयोग करें, यह तय करने के लिए तथ्यों पर आधारित सार्वजनिक चर्चाएं जरूरी होती हैं। इस हेतु विश्व स्तर पर मान्यताप्राप्त और मानकीकृत आंकड़ों और विवरणों का प्रकाशन जरूरी होता है। वस्तुतः, सन् 1950 और उसके बाद से सकल घरेलू उत्पाद के मानकीकृत आंकड़ों की प्रस्तुति का बीते सात दशकों के दौरान नीति की चर्चाओं के आयोजन व नीति–निर्माण प्रक्रिया पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।

असमानता के मूल्यांकन के कई मापदंड हैं, जिनके उपयोग से आय वितरण की सूक्ष्म और गहरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। किस मापदंड का उपयोग किया जाए यह तय करने के लिए प्रत्येक मापदंड की क्षमताओं और कमजोरियों का ज्ञान जरूरी होता है। वहीं यह देखना भी जरूरी होता है कि पूरा चित्र प्रदान करने में वे एक–दूसरे की सहायता किस प्रकार करते हैं। इस दिशा में गिनी कोएफिसिएंट, एटकिंसन इंडेक्स, लॉरेंज कर्व आदि जैसे कई सूचकांकों का विकास किया गया है, जो परिणामों के वितरण में प्रसार के विभिन्न पहलुओं का सार–संक्षेप प्रस्तुत करते हैं।

असमानता के कारण

देशों और समूहों के बीच और उनके भीतर असमानता के कारकों का गहरे कारकों और अपेक्षाकृत अधिक समीपवर्ती/अव्यवहित/आसन्न निर्धारकों के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। ये कारक और निर्धारक अकसर देश केंद्रित होते हैं ताकि केवल सामान्य विवरण ही प्रस्तुत किए जा सकें। इससे स्पष्ट है कि देश केंद्रित स्थितियों, नीतियों और संस्थाओं का महत्व होता है।

असमानता के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारणों का संक्षिप्त विवरण यहां प्रस्तुत है।

जन्मजात अथवा आरंभिक स्थिति : कुछ लोगों का जन्म समृद्ध और संपन्न परिवारों में होता है। उनका समृद्ध उत्तराधिकार उन्हें शुरुआती बढ़त दे देता है और यदि वे बुद्धिमान हों, तो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों के पास जमीन नहीं होती, कुछ अन्य लोगों के पास थोड़ी जमीन होती है, पर वहीं कुछ अन्य लोग अपार जमीन के स्वामी होते हैं। कुछ लोगों के माता–पिता उनके लिए कुछ छोड़ नहीं जाते और यदि छोड़ भी जाते हैं तो उनके सिर पर ऋण का बोझ। इसके विपरीत कुछ लोग अपने बच्चों के लिए अथाह संपत्ति – चल या अचल – छोड़ जाते हैं। इस जन्मजात अथवा आरंभिक स्थिति के कारण असमानता का बना रहना स्वाभाविक है।

वैश्विक प्रभाव : वैश्वीकरण के जहां अनेकानेक लाभ हैं, तो वहीं कुछ हानियां भी हैं, जो असमानता को जन्म देती हैं। सोवियत संघ के विघटन और चीन के उत्थान के फलस्वरूप अरबों नए कामगारों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रवेश हुआ। इससे पूरे विश्व में अकुशल मजदूरों का महत्व कम हुआ और कौशल प्राप्त व अकुशल मजदूरों की दिशा बदल गई। आर्थिक उदारीकरण एक अन्य वैश्विक कारण है, जिसके चलते असमानता और गहरी हुई है।

राष्ट्रीय अर्थनीति : वैश्विक कारकों के साथ–साथ देशों की अपनी–अपनी अर्थव्यवस्थाएं भी असमानता को बढ़ावा देती हैं। इसके फलस्वरूप विनिर्माण व सेवाओं के बीच असंतुलन बना रहता है। कर्मचारी स्वामित्व और संघीकरण के स्तर का प्रभाव भी आय की समानता पर पड़ सकता है।

टिप्पणी

कर और नीति : किसी देश की कर प्रणाली उन्नतिशील अथवा अवनतिशील हो सकती है। उन्नतिशील कर प्रणाली किसी देश को प्रगति की दिशा में ले जा सकती है और असमानता को रोकने में सहायक हो सकती है। वहीं, असमानता को रोकने में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की भूमिका भी अहम होती है। सरकार जितनी संतुलित होगी, समानता की संभावना भी उतनी ही होगी।

देश के भीतर असमानता

कई देशों का मूल्यांकन आर्थिक निष्पत्ति और जीवन के रहन–सहन के मानदंडों में क्षेत्रीय असमानताओं के आधार पर किया जाता है। इन क्षेत्रीय असमानताओं के चलते समानता के प्रति चिंताएं पनपती हैं : देशाभ्यंतर असमानता में इनका अहम योगदान होता है, और इनका संबंध अवसर की असमानता से होता है। क्षेत्रीय असमानताओं का हानिकारक प्रभाव आर्थिक क्षमता पर भी पड़ सकता है। शहरी–ग्रामीण अंतरों समेत क्षेत्रीय असमानताएं समाज में तनावों और विकृतियों को जन्म और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के साथ–साथ जनरंजकवाद और शहरी विशिष्ट वर्ग के प्रति विद्वेष व आक्रोश में वृद्धि कर सकती हैं। यही नहीं, ये असमानताएं देशों के सामाजिक तानेबाने और राष्ट्रीय एकजुटता के समक्ष संकट खड़ा करने के साथ–साथ चरम स्थितियों में संघर्ष को भी जन्म दे सकती हैं – विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां वे व्याप्त नृजातीयता, जातीय, भाषायी अथवा धार्मिक भेदभावों को बल देती हैं।

कुछ मामलों में ये असमानताएं संवृद्धि की सामान्य विशेषताएं हो सकती हैं। उत्पादन पर विशेष ध्यान और उसके प्रति आकर्षण से आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि ऐसा सभी क्षेत्रों में समान रूप से हो, क्योंकि विकास से सभी क्षेत्रों में एक साथ आर्थिक समृद्धि नहीं आ सकती; बाजार सभी क्षेत्रों के प्रति एक साथ अनुकूल नहीं होते। ऐसे में जिन क्षेत्रों के प्रति बाजार अनुकूल होते हैं, वे अन्य क्षेत्रों से अलग हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप सापेक्ष अथवा संपूर्ण अर्थों में आर्थिक पतन हो सकता है; किंतु सभी क्षेत्रों में उत्पाद के वृहत् स्तर पर वितरण से कुल उत्पाद और आर्थिक संवृद्धि में कमी आ सकती है। अन्य मामलों में, क्षेत्रीय असमानताएं कुछ विशेष क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रतिकूल आर्थिक संघातों के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। इन संघातों का समायोजन धीमी गति से हो सकता है, फलतः असमानताओं में और वृद्धि हो सकती है।

सन् 1980 से विकसित देशों में, क्षेत्रीय असमानताओं में बहुत वृद्धि हुई है, समृद्ध और विशाल क्षेत्र तथा नगर निर्धन शहरों से दूर हो चुके हैं। उन्नतिशील और पिछड़े क्षेत्रों के बीच रोजगार की दरों में अंतर और बढ़ा है।

तकनीकी द्विविधता : तकनीकी द्विविधता का तात्पर्य उस स्थिति से है, जिसमें रोजगार के लाभकारी अवसर मांग में कमी के कारण नहीं बल्कि दो क्षेत्रों में संसाधन और तकनीकी अवरोधों के कारण सीमित होते हैं। किसी अल्पविकसित देश का मूल्यांकन इस द्विविधता के आधार पर किया जाता है क्योंकि इसके चलते बेरोजगारी बढ़ती है। दो क्षेत्रों में उत्पादन कार्यों में संसाधन और अंतर तकनीकी द्विविधता का आधार तैयार करते हैं। कई देशों में जहां एक ओर अलग–अलग उद्योग और क्षेत्र में लघु तकनीकी, उच्च तकनीकी और अति उन्नत तकनीकी अपनाते हैं, वहीं दूसरी ओर पुरानी तकनीकी

टिप्पणी

का उपयोग भी किया जाता है। एक दुखद स्थिति यह है कि इन देशों में उच्च तकनीकी का उपयोग करने वाले अपनी उच्च आर्थिक स्थिति को बनाए रखते हैं, किंतु खेती करने वाले लोग प्राचीन तकनीकी और तंत्रों का उपयोग करने को विवश होते हैं। ऐसी स्थिति में असमानता का बढ़ना स्वाभाविक है।

शैक्षिक असमानता : शैक्षिक असमानता का अर्थ समाज के कमजोर तबकों में स्कूल की वित्तीय सहायता और अनुभवप्राप्त शिक्षकों, पुस्तकों और तकनीकियों के असमान वितरण समेत संसाधनों का असमान वितरण है। यह असमानता शिक्षा की त्रुटिपूर्ण प्रणाली की द्योतक है, जिससे ग्रस्त किसी देश में मानव पूंजी का निर्माण कठिन होता है। यह असमानता गरीबों के साथ भेदभाव भी करती है। इसके चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पाते या फिर पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं।

कौशलों का अभाव : कौशलों का अभाव कुछ उद्योगों की एक मुख्य समस्या होता है। कुशल कर्मचारियों के स्थान पर अकुशल कर्मचारियों को बहाल करने के परिणाम उत्पादन, स्थायित्व और कंपनी के समग्र कार्यों के प्रति प्रतिकूल हो सकते हैं। कौशलों के इस अभाव के कारण कई देशों में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों की यथार्थ आय में गिरावट आई है।

असंगठित क्षेत्र का विकास : असंगठित क्षेत्र में कार्य का मूल्यांकन लघु स्थलों, कार्य की असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर स्थितियां, कौशलों उत्पादकता के निम्न स्तर, निम्न अथवा अनियमित आय, कार्य का लंबा समय, और सूचना, बाजारों, वित्त, प्रशिक्षण तथा तकनीकी की अनुपलब्धता आदि के आधार पर किया जाता है। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों का न तो कोई पंजीकरण होता है न कोई मान्यता होती है, न श्रम विधान में उनका कोई स्थान होता है और न ही समाज में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। बीते वर्षों के दौरान विभिन्न देशों में असंगठित क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो बढ़ती असमानता का परिचायक है।

भ्रष्टाचार : लोक नीतियों के गठन और कार्यान्वयन में सरकारी पदाधिकारी निजी लाभ के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इस विषय की व्याख्या भ्रष्टाचार के रूप में की गई है जिसका उपयोग करते हुए पदाधिकारीगण और उनसे जुड़े समाज के उच्च आय वर्ग के कुछ लोग अवैध रूप से धनार्जन करते हैं। आज प्रायः प्रत्येक देश इससे ग्रस्त है। बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण कई देशों में असमानता में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

असमानता के प्रभाव

असमानता का प्रभाव समाज के साथ–साथ अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। यहां असमानता के कुछ प्रभावों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है।

असमानता का सामाजिक संसक्ति पर प्रभाव : सामाजिक संसक्ति का तात्पर्य समाज के विभिन्न समूहों के बीच एकजुटता से है। इसके दो आयाम होते हैं – किसी समुदाय से जुड़े होने की भावना और उस समुदाय के लोगों के बीच संबंध। सामाजिक संसक्ति पर असमानता का गहरा प्रभाव पड़ता है। असमानता समाज में अपराध और लोगों में चोरी की प्रवृत्ति को जन्म देती है। किसी असमान समाज के सुविधा वंचित तबके के लोग अकसर अपराध को अपना लेते हैं।

टिप्पणी

असमानता का शिक्षा पर प्रभाव : बीते लगभग छह दशकों के दौरान आर्थिक असमानता का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है और समृद्ध व निर्धन छात्रों के बीच अंतर बढ़ा है। यह अंतर सन् 1970 से बढ़ना शुरू हुआ, जब देशों में आय की असमानता बढ़नी शुरू हुई। आज केवल सुखी–संपन्न परिवारों के लोग अपने बच्चों को महंगे और संसाधन संपन्न स्कूलों में भेजते हैं, जहां निर्धन छात्रों का प्रवेश असंभव होता है।

असमानता का आर्थिक संवृद्धि पर प्रभाव : कई देशों में उनकी संवृद्धि और विकास पर असमानता का गहरा प्रभाव पड़ा है। किंतु इसके प्रति हुए शोधों में अंतर है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार संवृद्धि पर असमानता का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि कुछ अन्य शोधकर्ता मानते हैं कि असमानता संवृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। रॉबर्ट बैरो जैसे कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि असमानता के कारण गरीब देशों की संवृद्धि में कमी आती है। वहीं, जी. ए. कॉर्निया और जे. कोर्ट जैसे शोधकर्ता मानते हैं कि अत्यधिक असमानता का संवृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

देशों के बीच असमानता

वर्ष 2000 में विश्व में एक नए युग की शुरुआत हुई। इस नए सहस्राब्द के आरंभ में ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने विकास के कई महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का निर्धारण किया, जिन्हें सहस्राब्द विकास लक्ष्य (Millennium Development Goals)/MDG) की संज्ञा दी गई। इन लक्ष्यों के अनुरूप विश्व भर से चरम गरीबी के समूल उन्मूलन की एक व्यावहारिक और विशिष्ट योजना तैयार की गई, जिस पर लगभग 200 देशों ने हस्ताक्षर किए और उन्होंने कुछ लक्ष्यों की एक श्रृंखला तैयार की तथा उन्हें 2015 तक पूरा करने का एक लक्ष्य रखा।

इनमें मुख्य लक्ष्य इस प्रकार थे : गरीबी और भूख का उन्मूलन, विश्व स्तर पर सबको प्राथमिक शिक्षा, महिला–पुरुष समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा, शिशु मृत्यु दर में कमी, जननी स्वास्थ्य में सुधार, एचआईवी/एआईडीएस, मलेरिया और अन्य रोगों को दूर करने का हर संभव प्रयास, पर्यावरण की संधारणीयता सुनिश्चित करना और विकास के लिए एक वैश्विक भागीदारी का विकास।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इनमें से कुछ लक्ष्यों को लेकर कई कार्य हुए हैं, किंतु अन्य लक्ष्य अभी भी अछूते हैं। शिक्षा की व्यवस्था, शिशु मृत्यु दर में कमी, स्वच्छ पेय जल की सुलभता और गरीबी उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, किंतु इस सफलता में एक असमानता है और वह यह कि कुछ देशों ने बढ़–चढ़ कर कार्य किया है, जबकि कुछ अन्य देशों में कोई प्रगति नहीं हुई है।

असमानता गरीबी से भिन्न होती है, किंतु उससे इसका संबंध होता है। जीवन के स्तर में असमानता अलग–अलग रूपों में होती है। इसके विपरीत गरीबी का संबंध केवल उन लोगों से होता है, जिनके जीवन का स्तर एक उचित सीमा से नीचे होता है, जैसे गरीबी रेखा। इस सीमा का निर्धारण बाह्य स्तर पर निर्धारित मानदंड, जैसे कैलोरी की आवश्यकता के अनुरूप संपूर्ण अर्थों में अथवा सापेक्ष अर्थों, जैसे जीवन के स्तर के समग्र औसत के अनुरूप किया जा सकता है।

असमानता के मूल्यांकन या मापन की पद्धतियां

असमानता में परिवर्तन के मूल्यांकन और मापन से असमानता को प्रभावित करने पर केंद्रित नीतियों की प्रभावकारिता के निर्धारण में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त,

टिप्पणी

इससे नीति के विश्लेषण में एक व्याख्यात्मक कारक के रूप में असमानता के उपयोग के लिए आवश्यक आंकड़ों का सृजन भी होता है।

असमानता के मूल्यांकन की दो पद्धतियां हैं– वैश्विक आय असमानता के मूल्यांकन में मुद्रा दर परिवर्तन और क्रय शक्ति सममूल्यता। परिवर्तन दरों का उपयोग आयों के सामान्य मुद्रा में परिवर्तन के लिए किया जाता है, जिसमें मूल्य के स्तरों को हटा दिया जाता है। असमानता के मूल्यांकन या मापन में दोनों पद्धतियों के परिणाम अलग–अलग होते हैं। विनिमय दरों के उपयोग से असमानता का न केवल उच्च मूल्यांकन होता है, इसका प्रभाव असमानता की प्रवृत्तियों पर भी पड़ता है।

असमानता के मूल्यांकन अथवा मापन के कुछ मापदंड हैं, जिनमें सीमा, सीमा अनुपात, मैक्लून सूचकांक, परिवर्तन का गुणांक, गिनी कोएफिसिएंट, थील्स स्टैटिस्टिक आदि मुख्य हैं।

असमानता एवं विकास

आय के वितरण पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारणों और कारकों का पता लगाना समय की मांग है। इस कारण पर विचार करने की बात सबसे पहले सन् 1955 में नोबेल पुरस्कार विजेता कुजनेत्स ने कही। आय के वितरण और आर्थिक संवृद्धि के बीच संबंध पर प्रकाश डालते हुए अपने आरंभिक शोध में कुजनेत्स ने आशा व्यक्त की कि आर्थिक विकास के क्रम में, आय की असमानता का स्तर सामन्यतः आरंभिक चरण में उत्पन्न होता है, मध्य चरण में स्थिर रहता है और अंतिम चरण में पतनोन्मुख हो जाता है। इस संबंध को आगे चलकर कुजनेत्स की अंग्रेजी की 'U' परिकल्पना की संज्ञा दी गई। कुजनेत्स का मानना था कि जब औद्योगिकीकरण शुरू हुआ तब सबसे पहले इसके चलते एक उच्च असमानता उत्पन्न हो सकती थी; किंतु जब औद्योगिकीकरण और मजबूत होगा, तब नगर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हो जाएंगे, और उपभोग सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति के लिए श्रमजीवी वर्ग को क्रय शक्ति मिलेगी।

तकनीकी विकास से सुप्रशिक्षित कामगारों की सापेक्ष उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, इसलिए कौशल प्राप्त कर्मचारियों को अधिक और अकुशल कर्मचारियों को कम भुगतान किया जाना चाहिए। इन स्थितियों में विशिष्ट अवसर के पुंजों के रूप में व्यक्त असमानताएं तीव्र संवृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

पुनर्वितरणवादी दृष्टिकोण के अनुसार संवृद्धि के लिए भेदभावहीन सामाजिक नीतियां एक पूर्वापेक्षा हैं। इस दृष्टिकोण में शिक्षा और भूमि सुधार पर बल दिया जाता है, किंतु पूर्वापेक्षाओं के पूरा हो जाने पर इसमें बाजार प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप को रोकने की प्रवृत्ति जन्म ले लेती है।

नव उदारवादी दृष्टिकोण का मानना है कि नीति निर्धारकों को संवृद्धि का प्रयास करना और तुलनात्मक लाभ के लिए संसाधनों और निर्यात के साथ–साथ तकनीकी परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए।

असमानता के कारक

असमानता के कई कारक हैं, जिनमें से कुछ का संक्षिप्त विवरण यहां प्रस्तुत है–

वैश्विक कारक : तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और सामग्री मूल्य चक्र जैसे वैश्विक कारकों की असमानता के बढ़ने में अहम भूमिका होती है। उदाहरणस्वरूप, तकनीकी

प्रगति ने कौशल विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि उच्च शिक्षित लोगों को नई तकनीकियों के उपयोग का एक तुलनात्मक सुअवसर प्राप्त है।

सामग्री मूल्य चक्र, वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति जैसे वैश्विक कारकों की असमानता के बढ़ने में अहम भूमिका होती है।

टिप्पणी

देश सापेक्ष कारक : आर्थिक विकासों और आर्थिक स्थायित्व तथा घरेलू नीतियों से जुड़े कारक – वित्तीय समेकन, पुनर्वितरणीय वित्तीय नीतियां, और श्रम व उत्पाद बाजारों के उदारीकरण और अविनियमन समेत – भी असमानता की प्रवृत्तियों की देशों की भीतरी व्याख्या में महती भूमिका का निर्वाह करते हैं।

विश्व की राजनीति में सत्ता की प्रतिस्पर्धा : शक्ति की राजनीति के सिद्धांतों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में देशों का आचरण उत्तरजीविता पर केंद्रित होता है। लोग नागरिक बनते हैं, स्व–शासन के अपने अधिकार का त्याग करते हुए – अपनी सुरक्षा और संरक्षा में सुधार के लिए। इसके बदले राज्य से उनकी मूलभूत मांग यह होती है कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करे। इसलिए राज्य को अपनी उत्तरजीविता सुनिश्चित करने हेतु कार्यनीतियों का विकास करना चाहिए। राज्यों के बीच एक–दूसरे की शक्ति के प्रति चिंता रही है। यह देखते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में आदेश देने और कानून लागू करने वाली एक केंद्रीय सत्ता का अभाव है, प्रत्येक राज्य को स्व–सहायता नीतियां अपनानी चाहिए। किंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता की प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप कुछ देश अमीर देशों से जुड़ चुके हैं, जबकि ज्यादातर विकासशील देश किनारे कर दिये गए हैं। इस प्रकार सत्ता की इस प्रतिस्पर्धा के चलते देशों के बीच असमानता बढ़ी है।

असमानता के प्रभाव और परिणाम

एक तरफ जहां प्रतिभा, प्रयास और भाग्य में अंतरों के एक परिणाम के रूप में बाजार आधारित आर्थिक प्रणाली में कुछ असमानता स्पष्ट दिखाई देती है, तो वहीं दूसरी तरफ अत्यधिक असमानता सामाजिक तानेबाने को चोट पहुंचा सकती है, राजनीतिक ध्रुवीकरण को जन्म दे सकती है और अंततः आर्थिक संवृद्धि को कम कर सकती है। किंतु असमानता अत्यधिक कब होगी, इसका उत्तर सरल नहीं है, बल्कि यह देश सापेक्ष कारकों पर निर्भर करेगी। यहां असमानता के कुछ मुख्य परिणामों का विवरण प्रस्तुत है।

वैश्विक असमानता में कमी : सन् 1990 से वैश्विक असमानता में तेजी से कमी आई है। उन्नीसवीं शताब्दी और बीसवीं शताब्दी के ज्यादातर वर्षों के दौरान असमानता में नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई और देशों की प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त अंतर आया। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वैश्विक आर्थिक सहयोग में हुए सुधार के फलस्वरूप संवृद्धि और विकास के एक युग की शुरुआत हुई। तदनंतर, अल्प विकसित देशों की, विशेष रूप से एशिया के अल्प विकसित देशों की, प्रति व्यक्ति आय या सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में तेजी आई। अरबों परिवार गरीबी से मुक्त हुए। फलस्वरूप, वैश्विक आय असमानता में पहले स्थिरता आई और फिर उसका पतन शुरू हुआ। किंतु, कुछ अन्य देशों में असमानता अपनी पूर्व की स्थिति में बनी रही।

टिप्पणी

सामाजिक तानेबाने की क्षति : वैश्वीकरण के चलते न केवल देशों के बीच बल्कि देशों के भीतर भी असमानता में वृद्धि हुई है। बाजार अर्थव्यवस्था के उदय और अति विस्तार के चलते भी एक अलग बाजार समुदाय का विकास हुआ, जिसका देशों के सामाजिक तानेबाने पर हानिकारक प्रभाव पड़ा।

अपनी प्रगति जांचिए

1. आर्थिक असमानता की चर्चा के कितने दृष्टिकोण हैं?

   (क) 1 (ख) 2

   (ग) 3 (घ) 4

2. संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने विकास के कई महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को "सहस्राब्द विकास लक्ष्य" (Millennium Development Goals/MDG) का नाम किस वर्ष दिया?

   (क) 2000 (ख) 2001

   (ग) 2002 (घ) 2005

4.3 वैश्वीकरण : राष्ट्र और आबादी के मत–अभिमत

विश्व के विभिन्न देशों में वैश्वीकरण की अनुभूति में बहुत भिन्नता है। इन देशों के परंपरागत मध्य वर्गीय समूहों में वैश्वीकरण को विकसित देशों से प्रचलित रोजगारों, जानकारी और संपत्ति के तेजी से विकास कर रहे देशों को स्थानांतरण के रूप में देखा जाता है। दूसरे शब्दों में, यह कोई संपूर्णात्मक प्रक्रिया नहीं, जिसमें सहभागी शामिल हों, बल्कि विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन के अवसरों के हस्तांतरण और स्थानांतरण की कुल जोड़ शून्य प्रक्रिया है।

हाल के वर्षों में इस विषय को लेकर कुछ सर्वेक्षणों का आयोजन किया गया है कि लोगों के मुक्त व्यापार के समर्थन में गिरावट कैसे आई। इस मत संग्रह में कई देशों के लोगों की प्रतिक्रिया बहुत नकारात्मक रही।

कुछ लोग संभवतः आर्थिक परिवर्तन को उचित मानते हैं, जिसमें उनके अपने कार्य के प्रति प्रतिस्पर्धा को आवश्यक माना जाता है। इसलिए, मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण के समर्थकों को आर्थिक परिवर्तन की किसी प्रक्रिया की बिक्री के किसी मामले की राजनीतिक चुनौती का निरंतर सामना करना पड़ता है।

यह वैश्वीकरण के मूल्यांकन के लिए अति प्रासंगिक है कि वैश्वीकरण यदि रोजगार का सृजन करे तो वह निश्चय ही सराहनीय है, किंतु उसके चलते यदि रोजगार कम हों तो वह उतना ही अस्वीकार्य है।

ज्यादातर लोगों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय आवागमन और यात्रा में वृद्धि हुई है। किंतु कुछ देश ऐसा नहीं मानते जिनमें इंगलैंड मुख्य है। इंगलैंड के लोगों का मानना है कि आवागमन में पांच वर्ष पहले की तुलना में वृद्धि हुई है। लगभग दो–तिहाई ब्रिटिश मानते हैं कि इंगलैंड में लोग अन्य देशों के लोगों से पांच वर्ष पहले की तुलना में कहीं अधिक संचार–संवाद करते हैं। किंतु यूरोप के अन्य देशों में कुछ ही लोग मानते

हैं कि यात्रा और आवागमन में वृद्धि हुई है। वहीं, अमेरिका और कनाडा के दस में से केवल चार लोगों का मानना है कि पांच वर्ष पहले की तुलना में उन्होंने ज्यादा यात्राएं कीं और अन्य देशों के लोगों से संपर्क किया।

टिप्पणी

पोलैंड के सर्वेक्षण से प्राप्त लगभग आधे मतों के अनुसार यात्राओं और आवागमनों में वृद्धि हुई है, किंतु, पिछले पांच वर्षों के दौरान दस में से केवल तीन लोगों ने दूसरे देशों की यात्रा की है, और दस में से चार से कम लोग नियमित रूप से विदेशियों के संपर्क में रहे हैं। रूस और अमेरिका समेत कई अन्य देशों की स्थिति भी यही है।

किसी देश की संपत्ति और अन्य देशों से उसकी निकटता विदेश यात्रा के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जर्मनी के तीन–चौथाई से अधिक लोगों के अनुसार उन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान अन्य देशों की यात्रा की है। अंग्रेजों, चेक, कनाडा और फ्रांस के लोगों का अनुपात इससे कम है। इस मामले में अन्य देश और भी पीछे हैं।

लोगों के विचार और दृष्टिकोण इस पर निर्भर करते हैं कि वे कौन हैं, कहां रहते हैं और उनकी सोच क्या है। किंतु, सर्वेक्षण के अनुसार ज्यादातर लोग वैश्वीकरण की शक्ति को स्वीकार करते हैं। यह किसी की सोच पर निर्भर करता है कि वैश्वीकरण डरावना, उत्तेजक, अपरिहार्य या अति तीव्र, विनाशकारी या सृजनात्मक हो सकता है।

सर्वेक्षण में असुरक्षा और अस्थिरता की भावना देखी गई है। कुछ लोगों के अनुसार यह भावना उत्तरोत्तर तीव्र हो रही है कि वे उन परिवर्तनों के संकट से घिरी एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। उनके अनुसार अस्थिर वैश्विक वित्त प्रणालियों के प्रभाव विनाशकारी रहे। लोगों में सामाजिक संरक्षण और आय की सुरक्षा को लेकर चिंता थी।

वैश्वीकरण की पहचान और संस्कृति पर प्रभाव

वैश्वीकरण की पहचान और संस्कृति पर प्रभाव को लेकर लोगों में पर्याप्त चिंता है। कुछ लोग इसे स्कूल और परिवार जैसी परंपरागत संस्थाओं और समस्त समुदाय की जीवन शैली के लिए संकट के रूप में देखते हैं। किंतु कुछ अन्य लोगों के अनुसार यह लाभदायक है क्योंकि यह पुराने विचारों के स्थान पर नई अभिवृत्तियों का विकास करता है। महिला–पुरुष समानता पर लोगों का ध्यान अधिक था।

वैश्वीकरण का आजीविकाओं और रोजगार पर प्रभाव

आजीविकाओं और रोजगार पर वैश्वीकरण के प्रभाव को लेकर लोगों में चिंता है। एक तरफ जहां वे अधिक से अधिक उदारता और समाजों के बीच परस्पर संबंध का समर्थन करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने रोजगार और आय के प्रति बहुत आश्वस्त नहीं हैं। छोटे उद्यमियों को वैश्वीकरण का वांछित लाभ नहीं मिलता या फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण और असंगठित अर्थव्यवस्थाएं उपेक्षित हैं। प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार के कारण औद्योगिक पुनर्संरचना और कार्य की स्थितियों तथा कामगारों के अधिकारों पर प्रतिकूल दबावों के फलस्वरूप कुछ अन्य लोग रोजगार छिन जाने को लेकर चिंतित हैं।

वैश्विक नियम एवं बाजार

समाज में बाजार की भूमिका और लोगों की उनके अपने समुदायों–समाजों में आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को किस प्रकार पूरा किया जाए, इसे लेकर उनके मन

टिप्पणी

में क्षोभ है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुचित नियमों ने उनकी प्रगति में बाधा पहुंचाई है। ये नियम निष्पक्ष नहीं बल्कि समृद्ध और शक्तिशाली देशों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और आर्थिक नीतियों के सामाजिक प्रभाव की उपेक्षा करते हैं। इसके प्रतिकूल प्रभाव आश्चर्यजनक ढंग से विश्व के कई देशों में समान पाये गए हैं।

शिक्षा और कौशल में निवेश की आवश्यकता

देश और लोग शिक्षा, कौशल और प्रौद्योगिकी क्षमताओं में निवेश चाहते हैं ताकि वैश्वीकरण के अवसरों का अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। उनमें शिक्षा प्रणालियों में सुधार और निरक्षरता को दूर करने के प्रति आग्रह है।

प्रवासन और क्षेत्रीय समेकन

देशों में लोगों के प्रवासन और अप्रवासन दोनों के प्रति चिंता है। प्रवासी, विशेषकर महिलाएं, जिस देश में जाती हैं, वहां उन्हें अकसर अवैध अर्थव्यवस्था में काम करने को मजबूर कर दिया जाता है, जहां उनके शोषण का संकट रहता है। अल्प आय वाले कई देशों में व्यापक स्तर पर लोगों के उद्योग संपन्न देशों में प्रवासन को लेकर चिंता व्याप्त है।

क्षेत्रीय समेकन को लगभग सभी देश एक अपेक्षाकृत अधिक निष्पक्ष, अधिक से अधिक समावेशी वैश्वीकरण के एक मार्ग के रूप में देखते हैं। इस समेकन के परिवेश में साथ मिलकर काम करना वैश्वीकरण की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में सहायक हो सकता है।

उक्त आम सरोकारों और मान्यताओं से इतर, यहां कुछ देशों की अन्य स्थितियों पर मत–अभिमतों का विवेचन समीचीन है।

अफ्रीका

वैश्वीकरण के बीते 20 वर्षों के दौरान अन्य देशों और क्षेत्रों की तुलना में अफ्रीकी देशों की स्थिति अत्यधिक खराब रही। उनकी या तो उपेक्षा की गई, या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। अफ्रीका के लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण के जरिये उनके देशों का फिर से उपनिवेशीकरण हो रहा है।

एशिया

एशिया के देशों के ज्यादातर लोग वैश्वीकरण को कुछ देशों के लिए लाभदायक मानते हैं। उनके अनुसार वैश्वीकरण का एक लाभ यह रहा है कि भारत और चीन में इसके चलते गरीबी में कमी आई है। किंतु इस क्षेत्र में लगभग 1 अरब लोगों को इसका लाभ प्रायः नहीं मिल पाया है। लोगों का मानना है कि इसे अधिक से अधिक समावेशी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

चीन में वैश्वीकरण के कारण आर्थिक संवृद्धि और उद्योगों की उत्पादन क्षमता में अपार वृद्धि हुई है और वहां बेरोजगारी लगभग समाप्त हो चुकी है। किंतु इस क्रम में वहां खेती जैसी परंपरागत आजीविकाओं को दरकिनार कर दिया गया। वहीं उसकी परंपरागत सामाजिक सुरक्षा की स्थिति में बदलाव आया है और ग्रामीण–शहरी तथा अंतर्क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है।

टिप्पणी

दूसरी तरफ, भारत में वैश्वीकरण के प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया रही है। वैश्वीकरण ने यहां के शिक्षित लोगों और अमीरों को समृद्ध किया है। सूचना और तकनीकी के क्षेत्र को इसका सर्वाधिक लाभ मिला है। किंतु ज्यादातर लोग इसके लाभ से वंचित हैं। उन्हें डर है कि वैश्वीकरण सामाजिक न्याय और प्रजातंत्र जैसे मूल्यों को खत्म कर सकता है। उनकी शक्ति चयनित संस्थाओं से छूटकर अन्य देशों की संस्थाओं के हाथों में जा रही है, जो जवाबदेही से मुक्त हैं।

अरब

अरब देशों में बहुत–से लोग वैश्वीकरण को अपने आर्थिक और राजनीतिक मामलों में विदेशी ताकतों के अतिक्रमण के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि ये ताकतें उनकी संप्रभुता की उपेक्षा करती हैं और सेना पर व्यय को बढ़ावा देती हैं।

अपनी प्रगति जांचिए

3. वैश्वीकरण के बीते 20 वर्षों के दौरान अन्य देशों और क्षेत्रों की तुलना में किन देशों की स्थिति अत्यधिक खराब रही?

   (क) एशियाई देश (ख) यूरोपीय देश

   (ग) अफ्रीकी देश (घ) दक्षिण अमेरिकी देश

4. किन देशों में बहुत से लोग वैश्वीकरण को अपने आर्थिक और राजनीतिक मामलों में विदेशी ताकतों के अतिक्रमण के रूप में देखते हैं?

   (क) उत्तर अमेरिकी देश (ख) दक्षिण अमेरिकी देश

   (ग) यूरोपीय देश (घ) अरब देश

4.4 वैश्वीकरण के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव

वैश्वीकरण की व्याख्या वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समेकन की एक प्रक्रिया के रूप में की जाती है। इसके चलते विश्व एक छोटे गांव का रूप ले चुका है, देशों की सीमाएं टूटी हैं। विकासशील देशों में वैश्वीकरण एक महती भूमिका निभा रहा है।

वैश्वीकरण की झलक समाज के एक साथ सभी क्षेत्रों में दिखाई देती है और इसके प्रभाव लोगों व राज्यों दोनों पर पड़ते हैं। प्रभावों को किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता और उन्हें समझने के लिए एक व्यापक, बहुआयामी पद्धति की आवश्यकता होती है।

सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। नीचे कुछ मुख्य पहलुओं पर पड़ने वाले वैश्वीकरण के प्रभावों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है–

सुरक्षा पर प्रभाव

वैश्वीकरण के कई स्वरूप और आयाम हैं। यह सुरक्षा के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। समाज परस्पर संबद्ध और परस्पर निर्भर है, ऐसे में वैश्वीकरण नए कारकों की उत्पत्ति

टिप्पणी

और विकास, नए संकटों और नानाविध संवेदनशीलताओं के उदय तथा विभिन्न कारकों के बीच नए संबंधों की उत्पत्ति में योगदान देता है। अन्य क्षेत्रों की भांति ही सुरक्षा के क्षेत्र में भी वैश्वीकरण कई विरोधाभासों को जन्म देता है। वैश्वीकरण के शारीरिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक सुरक्षा, परिवेशीय सुरक्षा, सामुदायिक व सांस्कृतिक सुरक्षा तथा राजनीतिक और सैन्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। सुरक्षा की स्थिति पर वैश्वीकरण का प्रभाव निस्संदेह पड़ता है और यह कुछ प्रक्रियाओं और संबंधों का विस्तार करता है।

संस्कृति पर प्रभाव

वैश्वीकरण के कारण विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिलन हुआ है और उनका एक–दूसरे पर प्रभाव पड़ा है। ऐसे में सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना संभव नहीं रह गया है। किंतु, विकसित सामाजिक–सांस्कृतिक प्रणालियों के प्रति विद्वान एकमत नहीं हैं। कुछ विद्वान अति अनुकूल सांस्कृतिक और सामाजिक–राजनीतिक शीलगुणों वाले आदर्श स्वरूपों अथवा प्रणालियों का समर्थन करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हर समाज और हर संस्कृति की अपनी विशेषताएं होती हैं, ऐसे में आदर्श स्वरूपों का सिद्धांत थोपा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ, कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार पूर्व की प्रणालियों को नकारा नहीं जा सकता, किंतु कुप्रथाओं को नकारा जाना चाहिए।

शिक्षा पर प्रभाव

शिक्षा सभी समाजों का एक मुख्य सरोकार है। शिक्षा से लोगों को ज्ञान मिलता है और वे जिस परिवेश में रहते हैं उसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। अलग–अलग देशों की शिक्षा प्रणालियां अलग–अलग होती हैं।

वैश्वीकरण से शिक्षा की पुरातन प्रणालियों में सुधार कर उन्हें अभिनव रूप देने में सहायता मिली है। किसी भी समाज के विकास के लिए नवीनतम घटनाओं, प्रौद्योगिकियों, तथ्यों, विकासों, खोजों और मानवीय प्रयासों की जानकारी आवश्यक होती है। वैश्वीकरण के चलते शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और देशों को विश्व भर की उत्तम शिक्षा प्रणालियों का लाभ लेने का अवसर मिला है।

वैश्वीकरण के कारण मिश्रित शिक्षा और ई–शिक्षा जैसी नई शिक्षा प्रणालियों का उदय हुआ जिन्हें कई देशों ने अपना लिया। वहीं, विश्व भर के छात्रों को विश्व के अनेकानेक देशों के बीच ज्ञान और शिक्षा के आदान–प्रदान और आधुनिक प्रौद्योगिकियों का लाभ मिला है।

वैश्वीकरण के चलते विकासशील देशों में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है। इन विश्वविद्यालयों ने उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों की सहायता की। आज अधिक से अधिक छात्र अन्य देशों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार विदेशी छात्रों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, उसे देखते हुए कई देश अपनी शिक्षा और शिक्षण प्रणालियों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार कर रहे हैं। शिक्षक को छात्रों में समानुभूति और समझ का विकास करना चाहिए। वैश्वीकरण के कारण छात्रों में अन्य संस्कृतियों की एक समझ का विकास संभव हुआ है। यह व्यावहारिक शिक्षा छात्रों की उनके देश के विकास में भाग लेने में सहायता करती है। वहीं, वैश्वीकरण के चलते कई देशों को शिक्षा का महत्व पता चला है, यही कारण है कि निरक्षरता की दर में विश्व स्तर पर कमी आई है।

टिप्पणी

वैश्वीकरण के चलते विश्व के असंख्य लोगों की मानव अधिकारों और उनके अपने देशों के शासन की त्रुटियों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, विकासशील और अल्प विकसित देशों के शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश ने भी सुविधाओं और आधारभूत संरचना के सुधार में सहायता की है।

आर्थिक प्रभाव

हाल के दिनों में देशों के बीच परिवहन एवं यातायात, संचार और प्रौद्योगिकी के संबंध में वृद्धि के साथ–साथ वित्त और उत्पादन कारकों के संचरण में भी वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के चलते वैश्वीकरण में भी तेजी आई है। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है, जो सीमाओं को पार कर देशों की अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों, और प्रौद्योगिकियों को एक–दूसरे से जोड़ता है, और इस प्रकार परस्पर निर्भरता के संबंध कायम करता है। वैश्वीकरण की व्याख्या करते समय केवल आर्थिक गतिविधियों को नहीं बल्कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

वैश्वीकरण का आर्थिक आयाम एक विश्व बाजार के विकास का मार्ग खोलता है, जिसमें पूंजी का प्रवाह और परिवहन एवं यातायात का विकास सुनिश्चित करते हुए उत्पादक व्यापार शुरू कर सकते हैं।

वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। इसके सकारात्मक प्रभावों राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वैश्विक पूंजी की सुलभता, व्यवसाय के नए अवसरों की उत्पत्ति, ऋणों और निवेशों में वृद्धि, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, ऊर्जा और संचार की उप–संरचनाओं का विकास, श्रम और कार्य की स्थितियों की गुणवत्ता में सुधार तथा मानव अधिकारों का प्रसार आते हैं। दूसरी तरफ, इसके नकारात्मक प्रभावों में वैश्विक पूंजी बाजारों की स्थिरता में कमी, सांस्कृतिक अखंडता की हानि, राष्ट्रीय आर्थिक स्वायत्तता का क्षणन, कौशलों और पूंजी के अभाव से ग्रस्त देशों की दरिद्रता में वृद्धि आदि मुख्य हैं।

वैश्वीकरण और आर्थिक संवृद्धि

वैश्वीकरण के इस युग में, आर्थिक समेकन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तकनीकी प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उदार व्यापार और श्रम के प्रवाह की संवृद्धि में वैश्वीकरण की भूमिका अहम होती है। वहीं, उदार व्यापार के जरिए वैश्वीकरण ने आर्थिक संवृद्धि के संवर्धन में एक महती भूमिका निभाई है। उदार व्यापार वैश्वीकरण से लाभ लेने का अवसर प्रदान करता है, ताकि स्थानीय उपभोक्ता कम मूल्यों पर आयातित सामग्री खरीद सकें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वैश्वीकरण की तुलनात्मक अनुकूल स्थिति के उपयोग से देशों के उत्पाद और सामाजिक कल्याण का संवर्धन होता है। विकासशील देशों में पूंजी के अधिक से अधिक संचरण और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरणों के कारण संवृद्धि पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण का कौशलों के हस्तांतरण के साथ–साथ प्रेरणादायक नवप्रवर्तन और विकास से संबंध होता है। वैश्वीकरण नवप्रवर्तन को बढ़ावा देता है। नवप्रवर्तन प्रौद्योगिकी के विस्तार के फलस्वरूप होता है। किसी देश में प्रौद्योगिकी के सुधार में प्रगति सामान्य स्थिति में नई प्रौद्योगिकी के नए उपकरणों, उपस्करों और यंत्रों के आयात से होती है।

टिप्पणी

वैश्वीकरण एक चर्चित विषय है, जिसे आज भी एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार पूंजी और श्रम बाजारों का परिपाक या पूंजी का विश्व बाजार के साथ मेल वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के विकासशील देशों की संवृद्धि पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़े हैं। वैश्वीकरण के चलते विकासशील देशों का विकसित देशों से संपर्क हुआ है और उत्तरोत्तर गहरा हुआ है। यथार्थतः, वैश्वीकरण का संबंध परस्पर संबद्ध परिवर्तनों से है : वैचारिक या सैद्धांतिक, तकनीकी, आर्थिक और सांस्कृतिक तथा राजनीतिक। पूंजी निवेश, देशांतर गमन, व्यापार और प्रसरणशील ज्ञान की गतिविधियां वैश्वीकरण से संबद्ध हैं। वहीं, वैश्वीकरण के चलते संचार शैली में सुधार, वित्तीय बाजारों का अंतर्राष्ट्रीयकरण और लोगों, सामग्री, पूंजी व विचारों का आदान–प्रदान संभव होते हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य बेरोजगारी की दर में कमी लाना है। बेरोजगारी में कमी सभी विकासशील और विकसित देशों का लक्ष्य है, इसलिए वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय वैश्वीकरण के जरिए आर्थिक संवृद्धि और बेरोजगारी की दर में कमी की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हुए अनेकानेक शोधों–अध्ययनों में रोजगार और आर्थिक संवृद्धि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्थान दिया गया है।

इसके कई आयाम हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के इन आयामों के कई सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। प्रसंगवश यहां सामाजिक और आर्थिक परिणामों का विवेचन समीचीन है।

वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समेकन की बढ़ती प्रक्रिया का वर्णन करने का एक सामान्य शब्द है, जिसमें सामान और सेवाओं के व्यापार में आई महत्वपूर्ण प्रगति और सीमा पार कारकों के उत्तरोत्तर बढ़ते आवागमन का समावेश होता है। वैश्वीकरण कोई हाल की परिघटना नहीं बल्कि यह बहुत पहले शुरू हुआ और सन् 1990 से इसमें उत्तरोत्तर तेजी आती गई। सन् 1990 से 2005 तक, सामान एवं सेवाओं के विश्व व्यापार की औसत संवृद्धि में तेजी आई और विश्व उत्पाद संवृद्धि आगे रही। इस प्रकार विकसित अर्थव्यवस्थाओं और मुख्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों के व्यापार की उदारता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देशों के इन दो समूहों में वित्तीय उदारता भी एक बड़ी सीमा तक मजबूत हुई है।

सन् 1990 के पहले ज्यादातर विकासशील देशों में, आर्थिक नीतियों के परिणाम विशेष रूप से गरीब तबकों के लिए बेहतर नहीं होते थे। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। प्रतिस्पर्धा के अभाव के चलते, बड़ी कंपनियां औसत उत्पाद ऊंचे मूल्यों पर बेचा करती थीं। दूसरे शब्दों में, उपभोक्ताओं को अन्य देशों में कम मूल्यों पर उपलब्ध बेहतर उत्पाद नहीं मिलते थे। वहीं, आम लोगों को देश के बड़े उद्योगों और कंपनियों के एकाधिकार का कोई विशेष लाभ नहीं मिलता था। इसे टेलीविजन उद्योग के उदाहरण से समझा जा सकता है। बाजार के मुक्त होने के पहले भारतीय टेलीविजन निर्माता ऊंचे मूल्यों पर भी बेहतर गुणवत्ता का टेलीविजन प्रायः नहीं बेचते थे। वैश्वीकरण के कारण आधुनिक विशेषताओं से युक्त अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के आयात के चलते भारतीय उत्पादकों में भी कम मूल्य पर नवीनतम उत्पाद मुहैया कराने की प्रवृत्ति आई। कई अन्य

टिप्पणी

क्षेत्रों में भी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण गुणवत्ता में सुधार और मूल्यों में कमी आई। आयातित सामान को कर सीमा में लाना वैश्वीकरण का एक और प्रभाव था। इसके पहले विदेशी सामान का कारोबार तस्कर करते थे, जिनसे कर नहीं लिया जा सकता था, केवल पकड़े जाने की स्थिति में उन्हें दंड दिया जाता था। वैश्वीकरण के आरंभ से व्यापारियों को लाभ हुआ, जो सामान आयात करने और कर चुकाने लगे।

वैश्वीकरण प्रक्रिया में तेजी के कई कारक हैं। पहला कारक विश्व व्यापार के उदारीकरण और पूंजी के संचरण में उत्तरोत्तर हुई प्रगति है, और यह प्रगति तकनीकी प्रक्रिया में हुई प्रगति के कारण संभव हुई, जिसके चलते परिवहन, संचार–संवाद और संयोजन की लागत में कमी आई। दूसरा, वैश्वीकरण में आई तेजी है जिसके चलते विकासशील और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में उदारता में वृद्धि दिखाई देती है, जिसमें चीन और भारत तथा मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों पर बल है। विकासशील और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के समूह की गतिविधि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाहों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और हो रही है, जो उसकी विश्व स्तर पर आर्थिक प्रासंगिकता में दिखाई देती है। तीसरा और अंतिम कारक प्रचुर श्रम की आपूर्ति और परिवहन व यातायात, संचार–संवाद और संयोजन की लागतों में कमी है, जिसने लागतों में कमी के मद्देनजर विश्व स्तर पर उत्पादन प्रक्रिया के रुझान को और बलवती कर दिया। विशेष रूप से, हाल के दिनों में अपेक्षाकृत कम विकसित देशों को अति विकसित देशों की औद्योगिक गतिविधियों और व्यवसाय सेवाओं का हस्तांतरण इसका प्रमाण है।

वैश्वीकरण का आर्थिक संवृद्धि पर प्रभाव

वैश्वीकरण का लक्ष्य बाजार को अधिक से अधिक सक्षम बनाते हुए समस्त विश्व के देशों को समृद्ध करना है। आशा है कि विकसित विश्व व्यापार अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा का मार्ग खोलेगा, जिससे संपत्ति का प्रसार समान रूप से हो सकेगा। जो लोग इसके पक्षधर हैं, उनका भी दावा है कि सीमा पार व्यापार से सैन्य संघर्ष को सीमित करने में सहायता मिलेगी। किंतु, देशों के बीच व्यापार के विकास के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। कुछ समीक्षक वैश्वीकरण को बढ़ते राष्ट्रवाद और आय असमानता के साथ–साथ कुछ अन्य समस्याओं के एक कारक के रूप में देखते हैं।

वैश्वीकरण का व्यापार पर प्रभाव

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अंग है। बीते कई वर्षों से, ज्यादातर देशों की सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अपनी–अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मुक्त कर दिया है – बहुस्तरीय व्यापार प्रणाली अथवा संवर्धित क्षेत्रीय सहयोग के जरिए या फिर घरेलू सुधार कार्यक्रमों के एक अंग के रूप में। अनेकानेक देशों और उनके नागरिकों को व्यापार और वैश्वीकरण के पर्याप्त लाभ मिले हैं। वैश्वीकरण के चलते उत्पादकता में वृद्धि हुई है, ज्ञान और नई–नई तकनीकियों के प्रसार में सहायता मिली है और उपभोक्ताओं की पसंद के विकल्प समृद्ध हुए हैं। वैश्विक रुझान की प्रतिक्रियास्वरूप भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को प्रबलता से मुक्त किया है। सन् 1990 तक के पूर्वार्ध तक भारत की अर्थव्यवस्था सीमाबद्ध थी, जब देश में विदेशी पूंजीनिवेश पर कठोर प्रतिबंध था। सन् 1990 के दशक में इस देश ने सतर्कतापूर्वक सुधार लाना शुरू किया, अति

टिप्पणी

आवश्यक स्थितियों में उदारीकरण का द्वार खोलते हुए। तब से, व्यापार में हुए सुधारों के परिणाम उल्लेखनीय रहे हैं। सन् 1990 से 2005 के बीच भारत में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में भारत में 15 से 35 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, और यह अर्थव्यवस्था आज विश्व की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रभाव

सन् 1980 से विश्व भर में पर्यावरण की नीति संवृद्धि और प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के लिए हितकर रही है। सन् 1990 के दशक से उदारीकरण के महत्वपूर्ण पक्षों को अपनाते हुए कई देशों में प्रत्यक्ष निवेश के प्रति आकर्षण बढ़ा है। विकासशील देशों में तेजी से हो रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बावजूद निवेश अधिकांशतः इनमें से लगभग दस देशों में केंद्रित है।

निवेशों के स्वरूप में परिवर्तन आया है। सूचना एवं संचार तकनीकी क्रांति और परिवहन व यातायात की घटती लागतों के कारण सामान और सेवाओं का कई देशों में व्यापक स्तर पर उत्पादन तकनीकी और आर्थिक दोनों दृष्टियों से संभव हुआ। उत्पादन की इन प्रणालियों का संयोजन और संचालन अधिक आसान है। लागतों में अंतरों और निवेश परिवेश की अनुकूलता का लाभ लेने के लिए उत्पादन प्रक्रियाओं को मुक्त और विश्व के किसी भी देश में स्थापित किया जा सकता है।

अपनी प्रगति जांचिए

5. किस अंतराल में सामान एवं सेवाओं के विश्व व्यापार की औसत संवृद्धि में तेजी आई?

   (क) 1990–2005 (ख) 1995–2010

   (ग) 2000–2015 (घ) 2005–2020

6. 1990 से 2005 के बीच भारत में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई?

   (क) 5-15% (ख) 10-20%

   (ग) 15-35% (घ) 20-40%

4.5 व्यक्तिगत एवं सामूहिक पहचान पर वैश्वीकरण का प्रभाव

पहचान सामाजिक स्तर पर निर्मित एक विशेषता है। यह एक आत्म–अवधारणा है, जो इस बात का ज्ञान है कि मैं कौन हूं। मनुष्य की पहचान पर आंतरिक और बाह्य कारकों का प्रभाव होता है, जो उसके व्यक्तित्व और नैतिक गुणों या मान्यताओं का सृजन करने के लिए एकजुट होते हैं। वैश्वीकरण इन कारकों का संचालन करता है। समस्त विश्व में सामान के आदान–प्रदान के जरिए वैश्वीकरण किसी व्यक्ति की पहचान को आकार देता है।

टिप्पणी

तेजी से बढ़ता वैश्वीकरण असंख्य सामाजिक–सांस्कृतिक जटिलताओं का कारक है। वैश्वीकरण के चलते, साहित्यिक पाठ्य सामग्री ने छात्रों की उनके आसपास के जगत की संप्रेषणीय और महत्वपूर्ण चेतना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपना ली है। वैश्वीकरण में बहुलवाद और समाजों में पहचान का ह्रास होता है। अतीत में, न्यू क्रिटिसिज्म में विस्तारपूर्वक निष्कर्ष दिया गया कि पाठ्य सामग्री का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण व्यवहार्य होता है; किंतु, रीडर रिस्पांस सिद्धांत में सिफारिश की गई कि पाठक अपने जीवन से जोड़कर पाठ्य सामग्री की व्याख्या करते हैं। फिर भी, ऐसे कुछ उदाहरण हैं, जिनके अनुसार साहित्यिक लेखनों का प्रतिरोध होता है, विशेष रूप से जब सांस्कृतिक संहिताओं का संघर्ष होता है। एकरूपता या समजातीयता और वैश्विक एकजुटता कायम करने के प्रयास के फलस्वरूप विराग या अन्य संक्रमण – आत्म–विनाश भी – हो सकता है। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार, साहित्य में अर्थ अब अंतर्जात या निहित नहीं होता; पाठक पाठ्य सामग्री की व्याख्या करना चाहता है। दूसरे शब्दों में, अंतर–पाठीयता और विखंडन चालू रहते हैं क्योंकि विषय सामग्री चित्रणों की एक श्रृंखला होती है, और भाषा शब्दों की एक मुक्त प्रणाली होती है, जो शब्दों की सत्ता को कमजोर कर देती है। उत्तर आधुनिकतावादी की दृष्टि में पाठक महज उपभोक्ता नहीं बल्कि पाठ्य सामग्री का एक स्वतंत्र व्याख्याकार होता है; मुद्रित सामग्री विभिन्न व्याख्याओं के अधीन होती है। किसी व्यक्ति की पहचान पर वैश्वीकरण का प्रभाव ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक शिक्षित लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। स्कूलों और महाविद्यालयों में, शिक्षकों को अपनी भाषा की कक्षाओं में उत्तर आधुनिकतावादी विवरण शामिल करना चाहिए, विकल्पों का सुझाव देने और वैश्विकतावाद से जुड़े प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए।

वैश्वीकरण और अस्मिता व पहचान पर इसके प्रभाव को समझना आज समाज विज्ञानियों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। विश्व स्तर पर बढ़ते सांख्यिकीय, आर्थिक, पारिस्थितिक और सैन्य अंतर्संबंधों के फलस्वरूप सर्वदेशीयता (Cosmopolitanism) विश्व के कई देशों में दैनिक जीवन के एक दृष्टिकोण का रूप लेने लगी है। शिक्षा के लिए छात्र–छात्राओं का दूसरे देशों में जाना; विश्व के सबसे बड़े उद्योग के रूप में पर्यटन; वयस्कों, किशोरों और बच्चों का इंटरनेट का रोजाना उपयोग; विश्व के दूसरे हिस्सों के लोगों से व्यापार संबंध और प्रवासियों तथा उनके गृह देशों के बीच गहन संवाद–संप्रेषण बताते हैं कि मानव जाति के इतिहास में कभी वैश्विक संबंध इतने विस्तृत नही हुए और इतनी भारी संख्या में लोगों की अस्मिताओं तथा पहचानों पर उसका इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ा।

वैश्वीकरण, संस्कृति और अस्मिता

उपभोक्तावाद के अपने विशिष्ट प्रोत्साहन के जरिए, वैश्वीकरण एकरूपता का एक रूप अपनाता है, जो संस्कृति के प्रति अनुरक्ति को खत्म करता है लोगों के आपसी संबंध को तोड़ता है और अलगाव को अपनाता है। संचार माध्यमों का समस्त विश्व के लोगों पर प्रभाव पड़ता है, वे दिखावटी परिपाटियों और मूल्यों को एक कर पेश करते हैं; तदनंतर, उस संस्कृति का निर्धारण वह तकनीकी करती है, जिसे कोई अपनाता है और जिसकी समाज के अनुरूप जांच की जाती है। संचार माध्यमों के व्यापक, सर्वव्यापी

टिप्पणी

अस्तित्व से बचा नहीं जा सकता; विश्व के अधिकांश लोगों पर इसका प्रभाव है। चिंतकों को यह मानने का मार्ग दिखाते हुए कि 'किसी भी वस्तु की प्रत्येक व्याख्या मध्यवर्ती स्तर पर निर्धारित' होती है। शोधकर्ताओं ने संदेशों के प्रसारण और व्याख्या में संचार माध्यमों के महत्व को माना है। वस्तुतः, संचार माध्यमों का महत्व तब अत्यधिक बढ़ गया जब उन्होंने संस्कृति की परंपरागत स्तर पर स्वीकार्य छवियों पर वार करना और उन्हें अस्वीकार करना शुरू किया। संस्कृति के विविध दृष्टिकोणों से प्रभावित लोगों पर संचार माध्यमों के गंभीर प्रभाव अस्मिता की निर्मिति के प्रति प्रश्न खड़े कर रहे हैं। किंतु, यदि वैश्विक दृष्टिकोण और पारदेशीय कार्यनिर्वाह क्षमताओं का विकास हो, तो वैश्वीकरण की संप्राप्तियां लाभदायक हो सकती हैं। वस्तुतः, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में संस्कृति के विषयों का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण की बढ़ती गति एक सांस्कृतिक आयाम पर विशेष ध्यान देती है, शिक्षकों पर अभिनव पद्धतियां अपनाने का दबाव डालते हुए। किंतु, यह आवश्यक नहीं कि शिक्षकों को पहले से ऐसी कोई विशेषज्ञता प्राप्त हो या विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी हो, जो मानव जाति विज्ञान संबंधी उनकी कल्पना में उनकी सहायता करे।

अंतर्वैयक्तिक (इतरत्व/The Other) चेतना का विकास

वैश्वीकरण द्वारा सृजित और उत्तरोत्तर बढ़ते प्रतिस्पर्धी संदर्भ के साथ, शैक्षिक संस्थाएं अपने पाठ्यक्रम में सुधार और अभिनव वैश्विक यथार्थ के प्रबंधन को लेकर घोर दबाव में हैं। वैश्वीकरण का संबंध उन विचारों से है, जिनका प्रभाव पहचान (अस्मिता), सांस्कृतिक संबंधों और शिक्षा के सुधार पर पड़ता है। कुछ लोग अंतर्वैयक्तिकता (इतरत्व) के ज्ञान के जरिए बहुसांस्कृतिक वर्ग में विविधतापूर्ण चरित्रों को बढ़ावा देते हैं।

साहित्य में अभिरुचि

संप्रति, भाषा की कक्षाओं में साहित्य के उपयोग में अभिरुचि बढ़ी है; किंतु ध्यान मुख्यतः पाठक और पाठ्य के बीच व्यवहार पर दिया जाता है, जिसका निर्धारित और अंतिम अर्थ नहीं होता। दूसरे शब्दों में साहित्य पाठ्य सामग्री का एक माध्यम हो सकता है, जो छात्रों के संज्ञानात्मक और लेखन क्षमताओं में सुधार के साथ उनकी अपनी व्याख्याओं को प्रेषित करने में उनकी सहायता करे। इसके अतिरिक्त, छात्र अपनी–अपनी आयु और जीवन शैली के अनुरूप समकालीन सामाजिक–सांस्कृतिक विषयों को पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं। आधुनिकतावाद के बाद के साहित्य का उपयोग करते हुए, शिक्षक छात्रों को उनके वर्तमान साहित्य के रूपों को समझने की सलाह दे सकते हैं।

साहित्य और संचार माध्यम

कहानियां पढ़ना और व्याख्या करना भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि इस क्रिया से छात्र संवेगात्मक रूप से एक–दूसरे से जुड़ सकते हैं। विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने वाले छात्र ऐसे समकालीन उपन्यास पढ़कर भाषा क्षमता को समृद्ध कर सकते हैं, जिनमें उनके आधुनिक समाजों का चित्रण हो। कुछ लेखक संचार माध्यमों और साहित्य के बीच संबंध को लेकर गंभीर हैं। लघु उपन्यास, कहानियां आदि

टिप्पणी

न केवल पाठकों की पहचान का पोषण करते हैं बल्कि एक व्यापक सामाजिक संदर्भ भी प्रदान करते हैं, जिसमें छात्र अर्थपूर्ण ढंग से अपनी तलाश करते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों के सापेक्ष समकालीन विषयों को पढ़ने में छात्रों की दिलचस्पी हो सकती है।

वैश्विक और स्थानीय पहचान : विद्वान आर्नेट ने किशोरों की मनःस्थिति पर ध्यान देते हुए, वैश्वीकरण से उपजी अनिश्चितता पर चर्चा की। उन्होंने देखा कि वैश्वीकरण के मार्ग पर चल रहे एक विश्व में लोगों को स्वयं को न केवल अपनी स्थानीय संस्कृति के बल्कि वैश्विक समाज के अनुकूल बनाने की चुनौती से भी जूझना पड़ता है। उनका मानना था कि वैश्वीकरण के एक परिणाम के रूप में, विश्व के ज्यादातर लोगों, और विशेष रूप से किशोरों की एक द्विसांस्कृतिक पहचान बनने लगी है, उनकी अस्मिता या पहचान का एक हिस्सा उनकी स्थानीय संस्कृति से जुड़ चुका है, जबकि दूसरा वैश्विक स्थिति के सांचे में ढल चुका है। यह भी हो सकता है कि वैश्विक तत्वों का स्थानीय स्थितियों से मेल हो और उनकी एक द्विताजीय पहचान बने। किंतु, आर्नेट का यह भी मानना था कि पश्चिम से इतर देशों के युवाओं में पहचान को लेकर भ्रांति बढ़े। वैश्वीकरण के फलस्वरूप स्थानीय संस्कृतियों को संकट का सामना करना पड़ता है और उनमें बदलाव आता है, इसलिए कुछ युवा लोग न तो स्थानीय स्थिति में और न ही वैश्विक स्थिति में सहज महसूस करते हैं।

पहचान पर संचार माध्यमों का प्रभाव : वैश्वीकरण केवल सामान का नहीं बल्कि संस्कृतियों का हस्तांतरण भी है। टेलीविजन, रेडियो, समाचारपत्रों, इंटरनेट और फेसबुक, ट्विटर व इंस्टाग्राम जैसे संचार के अन्य माध्यमों से हमें जानकारी और ज्ञान मिलता है।

संचार माध्यम लोगों को विश्व में चल रही सामयिक घटनाओं से जोड़ते हैं और सांस्कृतिक वैश्वीकरण का सृजन करते हैं। सांस्कृतिक वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिससे संस्कृतियों का वैश्विक तंत्र पर प्रसार होता है। इसका लोगों के विश्व को देखने के ढंग और दूसरों और विश्व के अन्य विषयों के प्रति उनके विचारों पर प्रभाव पड़ता है।

मुख्यतः, संचार माध्यम किसी व्यक्ति के उसके अपने तथा अन्य लोगों के प्रति विचारों में बदलाव लाते हुए उस पर प्रभाव डालता है। किसी व्यक्ति की प्राथमिकताओं पर प्रभाव डालते हुए उसकी व्यक्तिगत पहचान का विकास करने में समाज भी उस पर प्रभाव डालता है।

पहचान पर आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव : आर्थिक वैश्वीकरण का तात्पर्य सामान, सेवाओं और तकनीकियों के आयात–निर्यात के जरिए समस्त विश्व में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक समेकन और परस्पर निर्भरता से है। आर्थिक वैश्वीकरण किसी व्यक्ति या समूह की उसकी पहचान को आकार देने में सहायता करता है। विभिन्न देशों की एक–दूसरे पर निर्भरता के कारण उन देशों के लोगों के पास अधिक से अधिक सामान उपलब्ध होते हैं।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

7. निम्न में से कौन "पहचान" को इंगित करता है?
   (क) सामाजिक स्तर पर निर्मित एक विशेषता
   (ख) एक आत्म–अवधारणा
   (ग) इस बात का ज्ञान कि 'मैं कौन हूं'
   (घ) उपर्युक्त सभी
8. "वैश्वीकरण के एक परिणाम के रूप में, विश्व के ज्यादातर लोगों और विशेष रूप से किशोरों की एक द्विसांस्कृतिक पहचान बनने लगी है"– यह कथन किसका है?
   (क) कुजनेत्स (ख) आर्नेट
   (ग) राबर्ट बैरो (घ) इनमें से कोई नहीं

4.6 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1. (ख)
2. (क)
3. (ग)
4. (घ)
5. (क)
6. (ग)
7. (घ)
8. (ख)

4.7 सारांश

असमानता – समानता के अभाव की स्थिति, विशेष रूप से प्रतिष्ठा, अधिकारों और अवसरों में असमानता, यथार्थतः सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की एक अवधारणा है। किंतु, सार्वजनिक चर्चा में इसे लेकर भ्रम की स्थिति रहती है क्योंकि अलग–अलग लोगों का इसके प्रति दृष्टिकोण अलग–अलग होता है। हालांकि कुछ धारणाएं आम होती हैं। कई लेखक 'आर्थिक असमानता' का विभिन्न रूपों में भेद करते हैं, जिनमें ज्यादातर का अर्थ 'आय की असमानता', 'वित्तीय असमानता' अथवा अधिक विस्तृत रूप में 'जीवन की स्थितियों' में असमानता होता है। कुछ अन्य लोग इसे असमानता का अधिकार आधारित, विधि सम्मत दृष्टिकोण मानते हैं – अधिकारों और उनसे संबद्ध दायित्वों की असमानता।

टिप्पणी

असमानता की एक अवधारणा अभारित अंतर्राष्ट्रीय असमानता की है, जिसमें देश को अवलोकन की इकाई का स्थान दिया गया है। इसमें देश की प्रति व्यक्ति आय, अथवा सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग किया जाता है, इसमें जनसंख्या का कोई स्थान नहीं होता, और इस प्रकार इसमें मानो सभी देशों के प्रतिनिधि व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसकी तुलना संयुक्त राष्ट्र महासभा से की जा सकती है। मान लें कि कोई ऐसा विश्व है, जिसमें 200 देशों के दूत हों, जिनमें से प्रत्येक ने अपने देश की प्रति व्यक्ति आय या सकल घरेलू उत्पाद की पट्टी अपने माथे पर लगा रखी हो। इन दूतों को समृद्धतम और निर्धनतम के रूप में श्रेणीबद्ध कर सभी देशों की असमानता का मूल्यांकन किया जाता है। ध्यातव्य है कि यह यथार्थतः अंतर्राष्ट्रीय असमानता का एक मापदंड है, क्योंकि इसमें देशों की एक–दूसरे से तुलना की जाती है। यह 'अभारित' इसलिए है क्योंकि इसमें प्रत्येक देश का स्थान समान होता है।

एक अन्य अवधारणा जनसंख्याभारित अंतर्राष्ट्रीय असमानता की है, इसमें भी कल्पना की जाती है कि किसी देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय समान होती है किंतु प्रत्येक देश के प्रतिनिधि अपनी जनसंख्या के आकार का चित्र प्रस्तुत करते हैं। ध्यातव्य है कि यह भी अंतर्राष्ट्रीय असमानता है क्योंकि इसमें देशों के बीच माध्य आयों की तुलना की जाती है, किंतु इसमें असमानता का मूल्यांकन जनसंख्या के अनुरूप किया जाता है। यह विश्व के नागरिकों के बीच असमानता का कोई मापदंड नहीं है।

असमानता की एक और अवधारणा है, जिसमें विश्व के सभी लोगों की असमानता की गणना की जाती है। इसमें सिद्धांततः सभी लोगों को समान स्थान दिया जाता है।

असमानता के मूल्यांकन की दो पद्धतियां हैं – वैश्विक आय असमानता के मूल्यांकन में मुद्रा दर परिवर्तन और क्रय शक्ति सममूल्यता। परिवर्तन दरों का उपयोग आयों की सामान्य मुद्रा में परिवर्तन के लिए किया जाता है, जिसमें मूल्य के स्तरों को हटा दिया जाता है। असमानता के मूल्यांकन या मापन में दोनों पद्धतियों के परिणाम अलग–अलग होते हैं। विनिमय दरों के उपयोग से असमानता का न केवल उच्च मूल्यांकन होता है, इसका प्रभाव असमानता की प्रवृत्तियों पर भी पड़ता है।

असमानता के मूल्यांकन अथवा मापन के कुछ मापदंड हैं, जिनमें सीमा, सीमा अनुपात, मैक्लून सूचकांक, परिवर्तन का गुणांक, गिनी कोएफिसिएंट, थील्स स्टैटिस्टिक आदि मुख्य हैं।

वैश्वीकरण की व्याख्या वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समेकन की एक प्रक्रिया के रूप में की जाती है। इसके चलते विश्व एक छोटे गांव का रूप ले चुका है, देशों की सीमाएं टूटी हैं। विकासशील देशों में वैश्वीकरण एक महती भूमिका निभा रहा है।

वैश्वीकरण की झलक समाज के एक साथ सभी क्षेत्रों में दिखाई देती है और इसके प्रभाव लोगों व राज्यों दोनों पर पड़ते हैं। प्रभावों को किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता और उन्हें समझने के लिए एक व्यापक, बहुआयामी पद्धति की आवश्यकता होती है।

सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।

टिप्पणी

वैश्वीकरण के कारण विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिलन हुआ है और उनका एक–दूसरे पर प्रभाव पड़ा है। ऐसे में सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना संभव नहीं रह गया है। किंतु, विकसित सामाजिक–सांस्कृतिक प्रणालियों के प्रति विद्वान एकमत नहीं हैं। कुछ विद्वान अति अनुकूल सांस्कृतिक और सामाजिक–राजनीतिक शीलगुणों वाले आदर्श स्वरूपों अथवा प्रणालियों का समर्थन करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हर समाज और हर संस्कृति की अपनी विशेषताएं होती हैं, ऐसे में आदर्श स्वरूपों का सिद्धांत थोपा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ, कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार पूर्व की प्रणालियों को नकारा नहीं जा सकता, किंतु कुप्रथाओं को नकारा जाना चाहिए।

वैश्वीकरण से शिक्षा की पुरातन प्रणालियों में सुधार कर उन्हें अभिनव रूप देने में सहायता मिली है। किसी भी समाज के विकास के लिए नवीनतम घटनाओं, प्रौद्योगिकियों, तथ्यों, विकासों, खोजों और मानवीय प्रयासों की जानकारी आवश्यक होती है। वैश्वीकरण के चलते शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और देशों को विश्व भर की उत्तम शिक्षा प्रणालियों का लाभ लेने का अवसर मिला है।

वैश्वीकरण के कारण मिश्रित शिक्षा और ई–शिक्षा जैसी नई शिक्षा प्रणालियों का उदय हुआ जिन्हें कई देशों ने अपना लिया। वहीं, विश्व भर के छात्रों को विश्व के अनेकानेक देशों के बीच ज्ञान और शिक्षा के आदान–प्रदान और आधुनिक प्रौद्योगिकियों का लाभ मिला है।

वैश्वीकरण के चलते विकासशील देशों में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है। इन विश्वविद्यालयों ने उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों की सहायता की। आज अधिक से अधिक छात्र अन्य देशों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार विदेशी छात्रों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, उसे देखते हुए कई देश अपनी शिक्षा और शिक्षण प्रणालियों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार कर रहे हैं। शिक्षा को छात्रों में समानुभूति और समझ का विकास करना चाहिए। वैश्वीकरण के कारण छात्रों में अन्य संस्कृतियों की एक समझ का विकास संभव हुआ है। यह व्यावहारिक शिक्षा छात्रों की उनके देश के विकास में भाग लेने में सहायता करती है। वहीं, वैश्वीकरण के चलते कई देशों को शिक्षा का महत्व पता चला है, यही कारण है कि निरक्षरता की दर में विश्व स्तर पर कमी आई है।

वैश्वीकरण के इस युग में, आर्थिक समेकन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तकनीकी प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उदार व्यापार और श्रम के प्रवाह की संवृद्धि में भूमिका अहम होती है। वहीं, उदार व्यापार के जरिए वैश्वीकरण ने आर्थिक संवृद्धि के संवर्धन में एक महती भूमिका निभाई है। उदार व्यापार वैश्वीकरण से लाभ लेने का अवसर प्रदान करता है, ताकि स्थानीय उपभोक्ता कम मूल्यों पर आयातित सामग्री खरीद सकें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वैश्वीकरण की तुलनात्मक अनुकूल स्थिति के उपयोग से देशों में उत्पाद और सामाजिक कल्याण का संवर्धन होता है। विकासशील देशों में पूंजी के अधिक से अधिक संचरण और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरणों के कारण संवृद्धि पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण का कौशलों के हस्तांतरण के साथ–साथ प्रेरणादायक

टिप्पणी

नवप्रवर्तन और विकास से संबंध होता है। वैश्वीकरण नवप्रवर्तन को बढ़ावा देता है। नवप्रवर्तन प्रौद्योगिकी के विस्तार के फलस्वरूप होता है। किसी देश में प्रौद्योगिकी के सुधार में प्रगति सामान्य स्थिति में नई प्रौद्योगिकी के नए उपकरणों, उपस्करों और यंत्रों के आयात से होती है।

उपभोक्तावाद के अपने विशिष्ट प्रोत्साहन के जरिए, वैश्वीकरण एकरूपता का एक रूप अपनाता है, जो संस्कृति के प्रति अनुरक्ति को खत्म करता है, लोगों के आपसी संबंध को तोड़ता है और अलगाव को अपनाता है। संचार माध्यमों का समस्त विश्व के लोगों पर प्रभाव पड़ता है, वे दिखावटी परिपाटियों और मूल्यों को एक कर पेश करते हैं; तदनंतर, उस संस्कृति का निर्धारण तकनीकी करती है, जिसे कोई अपनाता है और जिसकी समाज के अनुरूप जांच की जाती है। संचार माध्यमों के व्यापक, सर्वव्यापी अस्तित्व से बचा नहीं जा सकता; विश्व के अधिकांश लोगों पर इसका प्रभाव है। चिंतकों को यह मानने का मार्ग दिखाते हुए कि 'किसी भी वस्तु की प्रत्येक व्याख्या मध्यवर्ती स्तर पर निर्धारित' होती है, शोधकर्ताओं ने संदेशों के प्रसारण और व्याख्या में संचार माध्यमों के महत्व को माना है। वस्तुतः, संचार माध्यमों का महत्व तब अत्यधिक बढ़ गया जब उन्होंने संस्कृति की परंपरागत स्तर पर स्वीकार्य छवियों पर वार करना और उन्हें अस्वीकार करना शुरू किया। संस्कृति के विविध दृष्टिकोणों से प्रभावित लोगों पर संचार माध्यमों के गंभीर प्रभाव अस्मिता की निर्मिति के प्रति प्रश्न खड़े कर रहे हैं। किंतु, यदि वैश्विक दृष्टिकोण और पारदेशीय कार्यनिर्वाह क्षमताओं का विकास हो, तो वैश्वीकरण की संप्राप्तियां लाभदायक हो सकती हैं।

विश्व के विभिन्न देशों में वैश्वीकरण की अनुभूति में बहुत भिन्नता है। इन देशों के परंपरागत मध्य वर्गीय समूहों में वैश्वीकरण को विकसित देशों से प्रचलित रोजगारों, जानकारी और संपत्ति के तेजी से विकास कर रहे देशों को स्थानांतरण के रूप में देखा जाता है। दूसरे शब्दों में, यह कोई संपूर्णात्मक प्रक्रिया नहीं, जिसमें सहभागी शामिल हों, बल्कि विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन के अवसरों के हस्तांतरण और स्थानांतरण की कुल जोड़ शून्य प्रक्रिया है।

ज्यादातर लोगों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय आवागमन और यात्रा में वृद्धि हुई है। किंतु, कुछ देश ऐसा नहीं मानते जिनमें इंगलैंड मुख्य है। इंगलैंड के लोगों का मानना है कि आवागमन में पांच वर्ष पहले की तुलना में वृद्धि हुई है। लगभग दो–तिहाई ब्रिटिश मानते हैं कि इंगलैंड में लोग अन्य देशों के लोगों से पांच वर्ष पहले की तुलना में कहीं अधिक संचार–संवाद करते हैं। किंतु, यूरोप के अन्य देशों में कुछ ही लोग मानते हैं कि यात्रा और आवागमन में वृद्धि हुई है। वहीं, अमेरिका और कनाडा के दस में से केवल चार लोगों का मानना है कि पांच वर्ष पहले की तुलना में उन्होंने ज्यादा यात्राएं और अन्य देशों के लोगों से संपर्क किया।

सर्वेक्षण में असुरक्षा और अस्थिरता की भावना देखी गई है। कुछ लोगों के अनुसार यह भावना उत्तरोत्तर तीव्र हो रही है कि वे उन परिवर्तनों के संकट से घिरी एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। उनके अनुसार अस्थिर वैश्विक वित्त प्रणालियों के प्रभाव विनाशकारी रहे। लोगों में सामाजिक संरक्षण और आय की सुरक्षा को लेकर चिंता थी।

टिप्पणी

देशों में लोगों के प्रवासन और अप्रवासन दोनों के प्रति चिंता है। प्रवासी, विशेष महिलाएं, जिस देश में जाती हैं, वहां उन्हें अकसर अवैध अर्थव्यवस्था में काम करने को मजबूर कर दिया जाता है, जहां उनके शोषण का संकट रहता है। अल्प आय वाले कई देशों में व्यापक स्तर पर लोगों के उद्योग संपन्न देशों में प्रवासन को लेकर चिंता व्याप्त है।

क्षेत्रीय समेकन को लगभग सभी देश एक अपेक्षाकृत अधिक निष्पक्ष, अधिक से अधिक समावेशी वैश्वीकरण के एक मार्ग के रूप में देखते हैं। इस समेकन के परिवेश में साथ मिलकर काम करना वैश्वीकरण की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में सहायक हो सकता है।

एशिया के देशों के ज्यादातर लोग वैश्वीकरण को कुछ देशों के लिए लाभदायक मानते हैं। उनके अनुसार वैश्वीकरण का एक लाभ यह रहा है कि भारत और चीन में इसके चलते गरीबी में कमी आई है। किंतु इस क्षेत्र में लगभग 1 अरब लोगों को इसका लाभ प्रायः नहीं मिल पाया है। लोगों का मानना है कि इसे अधिक से अधिक समावेशी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

चीन में वैश्वीकरण के कारण आर्थिक संवृद्धि और उद्योगों की उत्पादन क्षमता में अपार वृद्धि हुई है और वहां बेरोजगारी लगभग समाप्त हो चुकी है। किंतु, इस क्रम में वहां खेती जैसी परंपरागत आजीविकाओं को दरकिनार कर दिया गया। वहीं उसकी परंपरागत सामाजिक सुरक्षा की स्थिति में बदलाव आया है और ग्रामीण–शहरी तथा अंतर्क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है।

दूसरी तरफ, भारत में वैश्वीकरण के प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया रही है। वैश्वीकरण ने यहां के शिक्षित लोगों और अमीरों को समृद्ध किया है। सूचना और तकनीकी के क्षेत्र को इसका सर्वाधिक लाभ मिला है। किंतु, ज्यादातर लोग इसके लाभ से वंचित हैं। उन्हें डर है कि वैश्वीकरण सामाजिक न्याय और प्रजातंत्र जैसे मूल्यों को खत्म कर सकता है। उनकी शक्ति चयनित संस्थाओं से छूटकर अन्य देशों की संस्थाओं के हाथों में जा रही है, जो जवाबदेही से मुक्त हैं।

4.8 मुख्य शब्दावली

- **संगठित क्षेत्र** : वे सेक्टर जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं हैं।
- **संसक्ति** : एकजुटता।
- **सापेक्ष** : किसी की अपेक्षा, तुलना या अनुपात में होने वाला।
- **समेकन** : मिलकर एक हो जाना।
- **संचरण** : चलना, गमन, फैलना।
- **अस्मिता** : अपनी सत्ता का भाव।
- **अंतर्वैयक्तिक (इतरत्व)** : दो या अधिक लोगों के बीच का संबंध।
- **अभिमत** : स्वीकृत मत, सम्मत।

4.9 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

टिप्पणी

लघु–उत्तरीय प्रश्न

1. असमानता के प्रकार बताइए।
2. एशियाई देशों के ज्यादातर लोगों के वैश्वीकरण के बारे में विचारों से परिचित कराइए।
3. वैश्वीकरण के शिक्षा पर पड़े प्रभाव संक्षेप में बताइए।
4. पहचान का अर्थ सरल शब्दों में समझाइए।

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. राष्ट्र राज्यों के बीच असमानता के विभिन्न पक्षों को रेखांकित कीजिए।
2. राष्ट्रों और उनकी आबादी में वैश्वीकरण को लेकर विभेदक धारणा को व्यक्त कीजिए।
3. वैश्वीकरण के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रेखांकन कीजिए।
4. व्यक्तिगत एवं सामूहिक पहचान पर वैश्वीकरण के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

4.10 सहायक पाठ्य सामग्री

1. Hodkinson, P. 2011. *Media, Culture and Society*. London: Sage Publications.
2. Macionis, J. & Plummer, K. 2012. *Sociology:A Global Introduction*. 5th edition. London: Pearson.
3. Madhok, M. 2013. *News Media in India: The impact of Globalization*. New Delhi: New Century Publication.
4. John Baylis, Steve smith and Patrica Owens, *The Globalization of World Politics:An Introduction to International Politics*, Oxford University press, New York, 2008
5. David Held (Second edition), Globalizing World,
6. C.P. Chanderasakern and Jayati Ghosh, *The Market that failed:A decade of Neo Liberal Economics Reforms in India,* Left world, New Delhi, 2000
7. Ahluwalia, Montek S., *"India's Economic Reforms:An Appraisal,"* in Jeffrey Sachs and Nirupam Bajpai's (eds.), *"India in the Era of Economic Reform,"* Oxford University Press, New Delhi, 2000.
8. Bhagwati, J., and Srinivasan, T.N., *"Outward-Orientation on Development:Are the Revisionists Right,"* in *Trade, Development and Political Economy*, by Deepak Lal and Richard Snape eds. Palgrave, 2001.
9. Chaudhuri, Sudip, *"Economic Reforms and Industrial Structure in India,"* Economic and Political Weekly, January 12, 2002.

टिप्पणी

10. Davis, Jeffrey, Rolando Ossowski, Thomas Richardson, and Steven Barnett, *"Fiscal and Macroeconomic Impact of Privatization,"* IMF Occasional Paper 194, (2000).
11. Dev, Mahendra S., and Jos Mooli, *"Social Sector Expenditures in the 1990s:Analysis of Central and State Budgets,"* Economic and Political Weekly, March 2, 2002.
12. Jean Dreze andAmartya Sen, *"Economic Development and Social Opportunities,"* Oxford University Press, New Delhi (1995).
13. David Held andAnthony McGrew (ed.) *Globalization Theory:Approaches and Controversies.*

इकाई 5 वैश्वीकरण और भारतीय अवलोकन

टिप्पणी

संरचना

5.0 परिचय
5.1 उद्देश्य
5.2 वैश्वीकरण और सार्वजनिक नीति
5.3 वैश्वीकरण पर बहस
5.4 वैश्वीकरण का प्रभाव
5.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
5.6 सारांश
5.7 मुख्य शब्दावली
5.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
5.9 सहायक पाठ्य सामग्री

5.0 परिचय

वैश्वीकरण, शब्द स्व–व्याख्यात्मक है। वैश्वीकरण की क्रिया या प्रक्रिया वैश्वीकरण होने की अवस्था है। यह वह प्रक्रिया है जहां विभिन्न राष्ट्र एक साथ आते हैं और कई चीजों का अभ्यास करते हैं जिससे उनके देशों और अन्य लोगों को लाभ होता है। वैश्वीकरण व्यापार, विचारों का आदान–प्रदान, संवाद आदि के लिए राष्ट्रों का एक साथ आना है। टॉम पामर ने वैश्वीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया है– सीमाओं के पार विनिमय पर राज्य द्वारा लागू प्रतिबंध को कम करना या समाप्त करना तथा उत्पादन और विनिमय की तेजी से एकीकृत और जटिल वैश्विक प्रणाली जो परिणामस्वरूप उभरी है उसके साथ समायोजन करना।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, सार्वजनिक नीति का कुछ ऐसा अर्थ भी है जो किसी विशेष राज्य की मौलिक नीतियों और देश के कानून के खिलाफ है। ये नीतियां किसी भी कार्रवाई को जनहित के खिलाफ जाने से रोकती हैं। सार्वजनिक नीति एक गतिशील अवधारणा है, यह समय के साथ स्थिर नहीं रहती है। इसका अर्थ, व्याख्या और समझ समय के साथ बदलती रहती है। सार्वजनिक नीति शब्द के अर्थ का निर्णायक न्यायाधीश समाज है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 पिछले कुछ दशकों से सार्वजनिक नीति शब्द की परिभाषा के संबंध में चर्चा में है। कई ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं जो इस शब्द और इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। सार्वजनिक नीति के अर्थ पर सबसे पहले रेणुसागर पावर इलेक्ट्रिक कंपनी बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के मामले में चर्चा की गई थी।

प्रस्तुत इकाई वैश्वीकरण और भारतीय अनुभव पर आधारित है। इसमें वैश्वीकरण और सार्वजनिक नीति, वैश्वीकरण पर बहस तथा वैश्वीकरण के प्रभाव के विषय में विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है।

टिप्पणी

5.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझ पाएंगे;
- सार्वजनिक नीतियों के विषय में जान पाएंगे;
- वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में दिए गए विभिन्न तर्कों का अध्ययन कर पाएंगे;
- वैश्वीकरण के प्रभावों से अवगत हो पाएंगे।

5.2 वैश्वीकरण और सार्वजनिक नीति

भारत में, व्यापार उदारीकरण 90 के दशक की शुरुआत में हुआ। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल आया। सैद्धांतिक रूप से वैश्वीकरण के बहुत सारे गुण हो सकते हैं लेकिन जब अभ्यास की बात आती है, तो कुछ ऐसे वरदान हैं जो अपरिहार्य हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि कैसे वैश्वीकरण सार्वजनिक नीति से संबंधित है, वैश्वीकरण एक बाधा है जो सार्वजनिक नीति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने से रोकता है। व्यापार उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद से, व्यापार बाधाएं एक ऐसे बिंदु पर आ गई हैं जहां व्यापार पर कोई प्रतिबंध बिल्कुल नहीं है। वैश्वीकरण एक नई विश्व व्यवस्था का अग्रदूत है और उत्पीड़न, शोषण तथा अन्याय के लिए शापित है।

उदारीकरण के कारण अनेक प्रकार से शोषण हुआ है। जब हम वैश्वीकरण के बारे में चर्चा करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के पक्ष पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है जिससे हम यह जान सकते हैं कि राष्ट्रों को बाद में कैसे अपने क्षेत्र में कुछ स्वायत्तता हासिल करने में मदद मिली। वैश्वीकरण ने मध्यस्थता को एक राष्ट्र की क्षेत्रीय सीमाओं से परे जाने में मदद की है और कर्ताओं (अभिनेताओं) को अंतर्राष्ट्रीय आधार पर वैकल्पिक विवाद समाधान का अभ्यास करने में सक्षम बनाया है। वैश्वीकरण और मध्यस्थता पिछले कुछ दशकों से साथ–साथ चल रहे हैं क्योंकि प्रौद्योगिकी में वृद्धि हुई है, पार्टियों के लिए संवाद करना और व्यापार संबंध बनाना आसान हो गया है। जब पार्टियों के व्यापारिक संबंध होते हैं, तो वे विवाद करते हैं। मध्यस्थता ने विभिन्न देशों के पक्षों के विवाद को लचीला और सुविधाजनक बनाकर अंतर को कम किया है। कम व्यापार बाधाओं और मध्यस्थता के लिए सहमत होने के साथ, दोनों पक्ष अतिरिक्त न्यायिक उपचार और विवाद के समाधान में दृढ़ विश्वास प्राप्त करते हैं। जिससे उनका समय, कानूनी सलाह, खर्च आदि की बचत होती है।

राष्ट्रीय हितों, राज्य की मौलिक नीतियों, सामाजिक कल्याण और आर्थिक कल्याण की रक्षा जैसे विषयों को सार्वजनिक नीति के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। सार्वजनिक नीति की व्याख्या अलग–अलग देशों में अलग–अलग तरीकों से की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के समय प्रयुक्त होती है। सार्वजनिक नीति को तीन भागों में बांटा गया है; घरेलू सार्वजनिक नीति, राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति।

घरेलू सार्वजनिक नीति में मौलिक नीतियां, नैतिकता, न्याय और धारणाएं हैं। इसमें राज्य के अनिवार्य कानून शामिल हैं। घरेलू सार्वजनिक नीति राज्य की सीमाओं

टिप्पणी

तक सीमित है। यह राज्य क्षेत्र के बाहर लागू नहीं होती है। जबकि, अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति की घरेलू सार्वजनिक नीति की तुलना में एक संकीर्ण व्याख्या दी गई है, जहां हर नियम के उल्लंघन को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति के तहत नहीं गिना जाता है। इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन कमेटी ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन ने सार्वजनिक नीति पर अंतिम रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए एक संदर्भ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति की परिभाषा दी है।

एक राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त सिद्धांतों और नियमों का निकाय, जो अपनी प्रकृति से, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के संदर्भ में प्रदान किए गए मध्यस्थ पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन को रोकता है, तब पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन किसी भी कारण से उनका उल्लंघन हो सकता है। वह प्रक्रिया जिसके अनुसार इसे प्रस्तुत किया गया था (प्रक्रियात्मक सार्वजनिक नीति) या इसकी सामग्री के द्वारा (मूल अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति) अंतर्राष्ट्रीय नीति में हम सार्वजनिक नीति के संबंध में आम नीतियों वाले देशों या राष्ट्रों को देख रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति प्राकृतिक न्याय के मूलभूत नियमों, सार्वभौमिक न्याय के सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय कानून, नैतिकता और न्याय के सामान्य सिद्धांतों पर विचार करती है। इसे मानक सिद्धांत या स्वीकृत मानदंड कहा गया है।

विभिन्न राष्ट्रों के पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों पर सीमाएं लगाने के लिए सार्वजनिक नीति रक्षा विचारणीय है। अधिकांश लोगों द्वारा यह समझा जाता है कि सार्वजनिक नीति एक सीमा है जो तब उत्पन्न होती है जब मौलिक नीति का स्पष्ट उल्लंघन होता है या जनता के हितों के खिलाफ कुछ भी होता है। लोक नीति वाक्यांश का यह व्यापक अर्थ है।

जब हम सार्वजनिक नीति की आवश्यकता और उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह सीमाएं निर्धारित करती है। ये सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दो अलग–अलग राष्ट्र के नागरिकों के अलग–अलग कानून और प्रक्रियाएं हैं।

अलग–अलग देशों में अलग–अलग कानून हो सकते हैं जैसे अलग–अलग शाखाओं में अलग–अलग संख्या में पत्ते होते हैं। लेकिन वे सभी, देश, सार्वजनिक नीति के संदर्भ में समान और समान आधार पर खड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ अंतर हो क्योंकि सार्वजनिक नीति एक गतिशील अवधारणा है जबकि भारत में, सार्वजनिक नीति शब्द को एक संकीर्ण व्याख्या दी गई है, विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर इसका एक बहुत ही संकीर्ण अर्थ है, भले ही इसे किसी भी कानून में परिभाषित नहीं किया गया हो।

सार्वजनिक नीति वाक्यांश का उपयोग दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों न्यूयॉर्क कन्वेंशन और UNICTRAL के मॉडल कानून में किया जाता है। ये दोनों संस्तुति करते हैं कि राज्य एक मध्यस्थ पुरस्कार लागू करने से इनकार कर सकता है यदि पुरस्कार राज्य की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करता है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन ने अपने अनुच्छेद बी (2) (बी) में कहा हैः (बी) पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन उस देश की सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा। अनुच्छेद बी की भाषा सीधे आगे है, यह किसी भी पुरस्कार को निर्धारित करती है जो उस देश की सार्वजनिक नीति के खिलाफ है, यह हमें वाक्यांश

टिप्पणी

की परिभाषा नहीं देता है लेकिन इस लेख की प्रयोज्यता की सीमा प्रदान करता है। यह उस देश को संदर्भित करता है जहां पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन की मांग की जाती है। यदि पुरस्कार उस देश की सार्वजनिक नीति के विपरीत है, तो वह उपरोक्त आधारों पर पुरस्कार को रद्द कर सकता है।

सार्वजनिक नीति वाक्यांश के संबंध में अधिक व्यापक न्यायशास्त्र की आवश्यकता है। लेकिन सार्वजनिक नीति पर न्यायशास्त्र लागू करने के कारण कम ही हैं। जब आप विभिन्न देशों को ध्यान में रखते हैं तो पाते हैं कि सार्वजनिक नीति एक अवधारणा है जो व्यक्तिपरक है। यदि हम लोक नीति वाक्यांश की पूर्ण परिभाषा देते हैं, तो यह देशों को देश की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के संबंध में अवधारणा की व्याख्या करने से रोक देगा। किसी देश में जिस बात को सार्वजनिक नीति के उल्लंघन के रूप में माना जा सकता है, दूसरे देश में शायद ऐसा मत न हो। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक नीति वाक्यांश की व्याख्या हेतु न्यायशास्त्र की आवश्यकता है लेकिन यह शून्य में नहीं होना चाहिए, जहां अदालतें सार्वजनिक नीति के अर्थ से परे नहीं जा सकतीं।

सार्वजनिक सामान और सार्वजनिक नीति

अर्थशास्त्र में वस्तुओं को चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है– सार्वजनिक सामान, निजी सामान, सामान्य सामान और क्लब के सामान। सार्वजनिक सामान वे सामान हैं जो गैर–बहिष्कृत और गैर–प्रतिद्वंद्वी प्रकृति के हैं। ये सामान बड़े पैमाने पर जनता के लिए खुले हैं और हर कोई इन सामानों का बिना किसी प्रतिबंध के उपभोग कर सकता है। अब, समकालीन दुनिया में समस्या यह है कि इन सार्वजनिक वस्तुओं पर कोई नियमन नहीं है। कुछ सार्वजनिक वस्तुओं पर सरकार के नियम हैं तथा खपत को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए कानून बनाए हैं। जब हम कहते हैं कि सार्वजनिक नीति एक सीमा है जो पार्टियों को उनकी सीमाओं को याद दिलाने के लिए निर्धारित है, उसी तरह, सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग पर कुछ सीमाएं और प्रतिबंध बनाना महत्वपूर्ण है। मध्यस्थता में सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक वस्तुओं पर प्रतिबंध के बीच का अंतरापृष्ठ लोगों या इसमें शामिल पक्षों, बड़े पैमाने पर जनता के हितों पर लगाई गई सीमा है।

हम मध्यस्थता में सार्वजनिक वस्तुओं और ओपन–एक्सेस शासन की अवधारणा को सार्वजनिक नीति से जोड़ सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हम वैश्वीकरण और मध्यस्थता पर इसके प्रभाव के बीच एक अंतःस्थापित कड़ी (धागा) पा सकते हैं और कैसे अर्थशास्त्र हमें इस समस्या को समझने में मदद करता है तथा हमें एक खंडित समाधान देता है। अर्थशास्त्र में, सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में, वस्तुओं की खुली पहुंच होती है, जिसका अर्थ है कि वस्तुएं जनता के लिए बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं और सामान प्रकृति में प्रतिद्वंद्वी या उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इससे किसी को भी बाहर नहीं किया गया है। इसलिए, एक ओपन–एक्सेस शासन है जिसे संपत्ति के अधिकारों को परिभाषित करके और प्रभावी नियम लागू करके तथा वस्तुओं और सेवाओं को विनियमित करके हल किया जा सकता है।

मध्यस्थता के संदर्भ में, मुक्त पहुंच व्यवस्था और कम व्यापार बाधाएं वैश्वीकरण के प्रभाव हैं। जब कम व्यापार बाधाएं होती हैं, तो पार्टियां और ट्रिब्यूनल अपनी सीमा से आगे निकल जाते हैं। किस प्रकार की सीमा की आवश्यकता है जिसे लगाने की

टिप्पणी

आवश्यकता है। जिस तरह आर्थिक संदर्भ में सार्वजनिक वस्तुओं पर किसी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध लगाना महत्वपूर्ण है, उसी तरह मध्यस्थ पुरस्कारों के प्रवर्तन पर भी समान प्रतिबंध और सीमाएं लगाना महत्वपूर्ण है। दोनों ही मामलों में, यह बड़े पैमाने पर जनता की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए है। सार्वजनिक नीति की सबसे सरल परिभाषा है जो जनता के हितों के विपरीत है, यह सार्वजनिक नीति की सीमा के दायरे में आता है। सार्वजनिक नीति उन विषयों पर रेखा खींचने की कोशिश करती है जिनमें न्यायाधिकरणों में मध्यस्थता की जा सकती हैं और पुरस्कार जो पारित किए जा सकते हैं।

सार्वजनिक नीति एक गतिशील अवधारणा है, इसकी एक निरंतर परिभाषा या व्याख्या नहीं हो सकती है जिसका मध्यस्थता हेतु पालन किया जा सकता है। हम किसी ऐसी चीज की सही और उपयुक्त परिभाषा तलाशने की कोशिश करते हैं जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि इसकी एक परिभाषा दी जाती है और यदि इसकी एक संकीर्ण व्याख्या मिलती है तो उस परिभाषा के दुरूपयोग की संभावना रहती है और लगभग सभी या बहुत से मामले उसके अंतर्गत आते हैं। इसे कुछ हद तक अस्पष्टता के लिए छोड़ देना बेहतर है ताकि अदालतों को देश की नीति के अनुसार इसकी व्याख्या करने में कुछ विवेक हो, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के संदर्भ में। सार्वजनिक नीति जैसी किसी चीज की सीमा की अवधारणा की आवश्यकता को समझने के लिए आर्थिक विश्लेषण एक बहुत ही अनोखे तरीके से हमारी मदद करता है। यह हमें वाक्यांश को परिभाषित नहीं करने में मदद करता है लेकिन सार्वजनिक नीति रखने के उद्देश्य को समझने में मदद करता है।

अपनी प्रगति जांचिए

1. भारत में व्यापार उदारीकरण कब प्रारंभ हुआ?
   (क) 90 के दशक के प्रारंभ में (ख) 80 के दशक के प्रारंभ में
   (ग) 70 के दशक के प्रारंभ में (घ) 60 के दशक के प्रारंभ में
2. सार्वजनिक नीति को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है?
   (क) दो (ख) तीन
   (ग) चार (घ) पांच

5.3 वैश्वीकरण पर बहस

यहां वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न तर्कों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क

1. **माल और सेवाओं तक पहुंच**– वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप व्यापार और जीवन स्तर में वृद्धि होती है। यह घरेलू उत्पाद, पूंजी और श्रम बाजारों के साथ–साथ विभिन्न व्यापार और निवेश रणनीतियों को अपनाने वाले देशों के

टिप्पणी

बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय पूंजी बाजार तेजी से एकीकृत होते जा रहे हैं।

2. **सामाजिक न्याय का वाहन**– दूसरे देशों में संयंत्र स्थापित करने में निवेश करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियां उन देशों के लोगों को अक्सर गरीबी से बाहर निकालने के लिए रोजगार प्रदान करती हैं।

   समर्थकों का कहना है कि वैश्वीकरण मुक्त व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है जो वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, रोजगार पैदा करता है, कंपनियों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है, और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम करता है।

3. **सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाता है**– सीमा–पार दूरियों को कम करके, वैश्वीकरण ने क्रॉस–सांस्कृतिक समझ और साझाकरण को बढ़ाया है। एक तटस्थ वैश्वीकृत समाज उस दर को बढ़ाता है जिस पर लोग दूसरे देशों में लोगों की संस्कृति, दृष्टिकोण और मूल्यों के संपर्क में आते हैं।

4. **प्रौद्योगिकी और मूल्यों को साझा करना**– यह गरीब देशों को विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक रूप से विकसित होने और समृद्धि फैलाने का मौका भी प्रदान करता है।

वैश्वीकरण के विपक्ष में तर्क

1. **बढ़ती असमानता**– वैश्वीकरण के बारे में आम शिकायत यह है कि इसने अमीरों को और अमीर बना दिया है तथा गरीबों को और गरीब बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट है कि दुनिया की सबसे अमीर 20% आबादी दुनिया के 86% संसाधनों का उपभोग करती है जबकि बाकी 80% केवल 14 प्रतिशत का उपभोग करते हैं।

2. **बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कदाचार**– बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) पर सामाजिक अन्याय, अनुचित काम करने की स्थिति (दास श्रम मजदूरी), रहने और काम करने की स्थिति सहित, पर्यावरण के लिए चिंता की कमी, प्राकृतिक संसाधनों के कुप्रबंधन और पारिस्थितिक क्षति का आरोप लगाया जाता है। साथ ही, बहुराष्ट्रीय निगम, जो पहले वाणिज्यिक गतिविधियों तक सीमित थे, राजनीतिक निर्णयों को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वैश्वीकरण के कारण, दुनिया पर शासन करने वाले निगमों का खतरा है क्योंकि वे सत्ता हासिल कर रहे हैं।

3. **वांछित लाभ के लिए योगदान करने में विफल**– यह तर्क कि वैश्वीकरण ने अधिकांश देशों को गरीबी से बाहर निकालने में लोगों की मदद की है, यह तर्क विवादास्पद है। क्योंकि वैश्वीकरण द्वारा दी जा रही नौकरियों की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में अलग–अलग राय हैं।

4. **सांस्कृतिक एकरूपता की दिशा में योगदान**– वैश्वीकरण लोगों की रुचियों के अभिसरण को बढ़ावा देता है जिससे सांस्कृतिक एकरूपता में वृद्धि हो सकती है। लेकिन इससे बहुमूल्य सांस्कृतिक प्रथाओं और भाषाओं के खोने का खतरा है। साथ ही, एक देश के दूसरे देश पर सांस्कृतिक आक्रमण के खतरे भी हैं।

टिप्पणी

वैश्वीकरण के समर्थन में कुछ अन्य तर्क

वैश्वीकरण के समर्थन में कुछ अन्य तर्क इस प्रकार हैं–

1. **वैश्वीकरण स्वाभाविक और आवश्यक है** : वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि यह हमारे समय की आवश्यकता है। यह प्रचलित और लगातार बढ़ती वैश्विक अन्योन्याश्रयता का एक स्वाभाविक विस्तार है।
2. **मौजूदा समस्याएं वैश्वीकरण के शिशु चरण के कारण हैं** : वर्तमान में, वैश्वीकरण वैश्विक स्वतंत्रता के लिए खतरा प्रतीत होता है। यह संप्रभु राष्ट्र राज्य प्रणाली के लिए खतरा प्रतीत होता है। यह आर्थिक संकटों का साक्षी रहा है। यह सब वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण के कारण हो रहा है। एक बार जब यह विकसित हो जाएगा, तो यह विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिर कर देगा।
3. **विश्व व्यापार संगठन के तहत वैश्वीकरण आवश्यक है** : द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के मार्गदर्शन और विनियमन के लिए कई संस्थान और सुपरनैशनल संगठन बनाए गए थे। बाद में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक (WB) को 1945 के बाद की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वित्त के प्रबंधन के लिए संरचनाओं के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। गैट अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नए आयाम देने के लिए बनाया गया था। 1990 के दशक में, पुराने GATT की जगह WTO ने ले ली। वैश्वीकरण समकालीन समय की एक नई आवश्यकता के रूप में उभरा है।
4. **वैश्वीकरण के दोष कुछ राज्यों के स्वार्थ की उपज हैं** : वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याएं कुछ विकसित देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन और वैश्वीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए की जा रही कुछ चूकों और प्रयासों का परिणाम हैं। जो बुरा है वह वैश्वीकरण नहीं बल्कि कुछ राज्यों का स्वार्थ है।
5. **वैश्वीकरण शासन योग्य और भरोसेमंद है** : जरूरत इस बात की है कि सम्मिलित वैश्विक स्तर के अभियानों के माध्यम से निहित स्वार्थों के डिजाइन और कार्यों की जांच की जाए। वैश्वीकरण शासनीय है। मुक्त व्यापार नीतियों और विनियमों के प्रत्यक्ष संचालन और प्रचार के माध्यम से, वैश्वीकरण दुनिया के सभी लोगों के बीच सामाजिक–आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ा सकता है। इस तरह के विकास से दुनिया में युद्ध की संभावना कम हो सकती है। यह स्थिर, स्वस्थ और स्थायी शांति और विकास की ओर ले जा सकता है।

वैश्वीकरण तेजी से हो रहा है इसमें विश्व के सभी लोगों के एक विकसित और स्वस्थ विश्व समुदाय के विकास को सुरक्षित करने की क्षमता है। हालांकि, इसकी कमजोरियों और संभावित खतरों को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। वैश्वीकरण को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचे न कि अमीर और शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा अपहृत कर अपनी जेब में डाला जाए।

टिप्पणी

वैश्वीकरण के विरोध में कुछ अन्य तर्क

वैश्वीकरण के विरोध में कुछ अन्य तर्क इस प्रकार हैं–

1. **अमीर राज्यों और उनके बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) का एजेंडा :** वैश्वीकरण के आलोचक इसे एक कॉर्पोरेट एजेंडा– (बड़े व्यवसायों का एजेंडा) और विकसित देशों की विचारधारा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली पर बड़े, गहरे और गहन तरीके से हावी होने और नियंत्रित करने की आलोचना करते हैं।
2. **गरीबों की कीमत पर अमीरों के लिए वैश्वीकरण के लाभ :** वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत, बड़े व्यवसायों ने धीमी उत्पादकता वृद्धि के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है। वैश्वीकरण ने कॉरपोरेट अभिजात वर्ग को अधिक से अधिक अमीर बनने में मदद की है। गरीबों को गरीबी और शोषण का सामना करना पड़ रहा है।
3. **आर्थिक संकट का स्रोत :** नई वैश्विक व्यवस्था वित्तीय अस्थिरता में वृद्धि का अनुभव कर रही है। वित्तीय संकट अधिक से अधिक खतरनाक और व्यापक हो गए हैं। पिछले कई वर्षों से दुनिया वैश्विक आर्थिक मंदी के साथ जी रही है।
4. **अमीरों के थोपे गए निर्णय के रूप में वैश्वीकरण :** वैश्वीकरण के आलोचक इसका एक थोपे गए निर्णय के रूप में वर्णन करते हैं। यह दुनिया के लोगों की लोकतांत्रिक पसंद नहीं रही है। यह अमीरों के दिमाग की उपज रही है।
5. **बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) की सुदृढ़ भूमिका :** वैश्वीकरण की पकड़ के तहत, व्यापारिक समुदाय, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी सरकारों पर हावी होने के लिए शक्तिशाली प्रयास किए हैं। व्यापार के मुनाफे में वृद्धि और श्रम को कमजोर करके, वैश्वीकरण ने शक्ति संतुलन को बड़े व्यवसायों और उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया है।
6. **सामाजिक सुरक्षा की कीमत पर निजी लाभ :** कॉरपोरेट अभिजात वर्ग के प्रयासों से अमीर औद्योगिक व्यापारिक घरानों को अधिक लाभ हुआ है। इससे राज्य के संसाधन सीमित हो गए हैं। नतीजतन, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य की भूमिका कम होती जा रही है।
7. **बढ़ा हुआ संरक्षणवाद और नव–उपनिवेशवाद :** विभिन्न राज्यों के व्यापारिक अभिजात वर्ग भी आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और नीति–कार्यों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी सरकारों की उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी ओर से कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय संरक्षणवाद की एक नई प्रणाली को जन्म दे रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर अनुचित नियंत्रण के एजेंट के रूप में कार्य कर रही हैं।
8. **राजनीति में बड़े कारोबारियों की बढ़ी भूमिका :** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के अधिकांश समझौते और मांगें अब बड़े व्यवसायों और औद्योगिक निगमों द्वारा वांछित नीतियों का समर्थन करती हैं। सरकारी नीतियों और फैसलों पर बड़े कारोबारियों का दबदबा होने लगा है।

टिप्पणी

9. **आम नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ :** वैश्वीकरण आम नागरिकों और उनकी सरकारों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने का एक स्रोत रहा है। ये निवेशकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधिकारों के अधीन होते जा रहे हैं।

10. **वैश्वीकरण एक उत्पादकता विफलता, एक सामाजिक आपदा और स्थिरता के लिए खतरा रहा है :** वैश्वीकरण के समर्थकों का यह दावा कि मुक्त व्यापार आर्थिक विकास का मार्ग है, एक खोखला दावा रहा है। यह शब्द गरीबी, भूख की बीमारी, विकास, हिंसा, युद्ध और आतंकवाद के साथ जीना जारी रखता है। इन तर्कों के आधार पर आलोचक वैश्वीकरण की कड़ी आलोचना करते हैं।

अपनी प्रगति जांचिए

3. वैश्वीकरण के पक्ष में निम्न में से कौन–सा तर्क है?
   (क) माल और सेवाओं तक पहुंच
   (ख) प्रौद्योगिकी और मूल्यों को साझा करना
   (ग) (क) एवं (ख) दोनों
   (घ) इनमें से कोई नहीं
4. वैश्वीकरण के विरोध में तर्क है–
   (क) अमीर राज्यों और उनके बहुराष्ट्रीय निगमों का एजेंडा
   (ख) आर्थिक संकट का स्रोत
   (ग) सामाजिक सुरक्षा की कीमत पर निजी लाभ
   (घ) उपर्युक्त सभी

5.4 वैश्वीकरण का प्रभाव

वैश्वीकरण आर्थिक विकास, समुदायों और संस्कृतियों को संचार, परिवहन और व्यापार के वैश्विक नेटवर्क में एकीकृत करने के लिए एक तंत्र को परिभाषित करता है। यह अवधारणा अक्सर वित्तीय एकीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पूंजी हस्तांतरण, स्थानांतरण, और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में तकनीकी विकास एवं आर्थिक वैश्वीकरण को स्पष्ट रूप से संदर्भित करती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के भौगोलिक वैश्वीकरण के रूप में उन्होंने कहा– वैश्वीकरण को वैश्विक सामाजिक संबंधों की गहनता के रूप में परिभाषित किया गया है जो दूरस्थ स्थानों को इस तरह से जोड़ता है कि स्थानीय प्रथाएं कुछ मील दूर होने वाली घटनाओं से प्रभावित होती हैं और इसके विपरीत भी। 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 1 बिलियन डॉलर हो जाने के बाद, भारत की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण संकुचन का सामना करना पड़ा। वैश्वीकरण ने कई उद्योगों को प्रभावित किया है, जिसमें पशुधन, फल, वित्त, सुरक्षा आदि शामिल हैं।

टिप्पणी

सकारात्मक प्रभाव

वैश्वीकरण का व्यापक रूप से विश्व पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, उसकी आद्योपांत चर्चा करना कठिन होगा लेकिन फिर भी समाज के इतने सारे जनसांख्यिकीय क्षेत्रों और वैश्विक बाजार पर उनके सकारात्मक प्रभाव हैं इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

विकसित देशों में सबसे सफल उभरते बाजार राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों के निजीकरण का परिणाम हैं। इनमें से कई उद्योग उपभोक्ता मांग बढ़ाने हेतु अपनी मूल्य शृंखला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं। व्यापार प्रबंधन पर वैश्वीकरण का प्रभाव सीमाओं के पार लेनदेन की संख्या में अचानक वृद्धि से देखा जाता है। पैदावार की रक्षा और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में, व्यवसाय अपने पदचिह्नों की एक विस्तृत शृंखला विकसित करना जारी रखते हैं क्योंकि यह लागत कम करता है और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ लेता है।

बहुराष्ट्रीय निगम वैश्वीकरण का परिणाम हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के भीतर वे एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं जैसा कि वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के माध्यम से प्रमाणित है। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में यूरोप के भीतर उनकी सघनता ने आकार की बाधाओं को जन्म दिया है, इसलिए नए भौगोलिक क्षेत्रों को संचालित करने की आवश्यकता है जिससे उन्हें बाजार में बहुत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इसके माध्यम से वे अपने बाजार का विस्तार करेंगे और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ ले पाएंगे क्योंकि वैश्वीकरण समय, स्थान, संपीड़न की सुविधा प्रदान करता है, अर्थव्यवस्थाएं निवेशकों को आकर्षित करने सहित सभी स्तरों पर प्रतिस्पर्धा करती हैं।

क्रॉस कल्चरल प्रबंधन वैश्वीकरण अभिजात वर्ग का क्षेत्र है क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में वे ही ऐसे लोग हैं जो वैश्विक बाजार में उपलब्ध कई उत्पादों को खरीदने के लिए पर्याप्त समृद्ध हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि के उच्च शिक्षित और धनी लोग एक पश्चिमी परिवेश के भीतर परस्पर क्रिया करते हैं। पश्चिमी शैली, चूंकि संपन्नता और शक्ति की प्रतीक है, अभिजात वर्ग अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए उत्पादों की पश्चिमी शैली और व्यवहार के पैटर्न को अपनाता है। आज पश्चिमी संस्कृति और व्यवहार तथा भाषा के पैटर्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य आधार हैं।

ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कई अन्य देशों और समाजों पर शक्तिशाली प्रभाव है। आज दुनिया में यह एक लोकप्रिय सांस्कृतिक शक्ति है। आर्थिक रूप से प्रभावशाली पश्चिम की लोकप्रिय उपभोक्ता संस्कृति लगातार और अनिवार्य रूप से अन्य क्षेत्रों, संस्कृतियों, राष्ट्रों और समाजों को बदल रही है। इसके अलावा, इस तरह के परिप्रेक्ष्य का अर्थ है कि तकनीकी परिवर्तन, मास मीडिया और उपभोक्ता उन्मुख विपणन अभियान अपनी छवि में जो कुछ भी छूते हैं उसे रीमेक करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यहां तक कि समाज, धर्म और प्रौद्योगिकी के बारे में दृष्टिकोण और विचार भी वैश्वीकरण द्वारा लाए गए सांस्कृतिक प्रसार से बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स तेज, सस्ते और सुविधाजनक भोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि यह दुनिया भर में समान नहीं है। चीन और रूस जैसे अन्य देशों में इसकी उच्च कीमत है जहां इसमें सांस्कृतिक अनुभव शामिल है।

टिप्पणी

विदेशी व्यापार

वैश्वीकरण ने दुनिया में विदेशी व्यापार का निर्माण और विस्तार किया है। जो चीजें केवल विकसित देशों में पाई जाती थीं, वे अब दुनिया भर के अन्य देशों में पाई जा सकती हैं। लोग अब जो चाहें वह किसी भी देश से प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से विकसित देश अपना माल दूसरे देशों को निर्यात कर सकते हैं। देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से व्यापार करते हैं, जिससे वे वैश्विक स्तर पर वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं। माल निर्यात करने वाले इन देशों को तुलनात्मक लाभ मिलता है। निष्पक्ष व्यापार करने के लिए दुनिया के देशों की व्यापार गतिविधियों को नियंत्रित और विनियमित करने के उद्देश्य से संगठनों की स्थापना की गई है। विश्व व्यापार संगठन एवं अन्य एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों, कॉपीराइट, सब्सिडी, करों और शुल्कों पर नीतियों का पालन करने के लिए सरकारों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने में सक्षम हैं। राष्ट्र आर्थिक परिणामों का सामना किए बिना नियमों को नहीं तोड़ सकते । व्यापार, विदेशी पूंजी और विश्व वित्तीय बाजारों पर निर्भर राष्ट्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। विदेशी व्यापार में लगे देश तुलनात्मक लाभ प्राप्त करते हैं।

संसाधनों की अनिवार्यता

विकसित देशों को विकासशील देशों के प्राकृतिक और मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है जबकि विकासशील देशों को धनी देशों की पूंजी, प्रौद्योगिकी और दिमागी शक्ति की आवश्यकता होती है। विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं विकासशील देशों के प्राकृतिक और मानव संसाधनों पर तेजी से निर्भर होती जा रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास के कारण एक दूसरे पर राष्ट्रों और उनकी गतिविधियों की बढ़ती अन्योन्याश्रयता; साथ ही जनसंख्या बढ़ती जा रही है।

विदेशी निवेश

भारत में वैश्वीकरण के सबसे स्पष्ट सकारात्मक प्रभावों में से एक विदेशी पूंजी का प्रवाह है। भारत में उत्पादन इकाइयां शुरू करके बहुत सी कंपनियों ने सीधे भारत में निवेश किया है, लेकिन हमें यह भी देखने की जरूरत है कि विदेशी निवेश प्रवाह की मात्रा विकासशील देशों में प्रवाहित होती रहे। भारतीय कंपनियां जो भारत में और विदेशों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, वे बहुत सारे विदेशी निवेश को आकर्षित करेंगी, और इस प्रकार भारत में उपलब्ध विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाएंगी। यह भी अमेरिका और अन्य विकसित देशों में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों में से एक है क्योंकि विकासशील देश उन्हें एक अच्छा निवेश प्रस्ताव देते हैं। कुछ स्थितियों में प्रबंधकों के उद्देश्य शेयरधारकों के उद्देश्यों के समान नहीं हो सकते हैं। निगम जितना अधिक जटिल होता है, शेयरधारकों के लिए प्रबंधन के कार्यों की निगरानी करना उतना ही कठिन होता है जिससे यह प्रबंधकों को शेयरधारकों की कीमत पर अपने स्वयं के हित में कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां राष्ट्रीय फर्मों की तुलना में अधिक जटिल हैं। प्रबंधक अंतर्राष्ट्रीय विविधीकरण का पक्ष ले सकते हैं क्योंकि यह फर्म विशिष्ट जोखिम को कम करता है या उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। ये लक्ष्य शेयरधारकों के लिए बहुत कम रुचिकर हो सकते हैं। शेयरधारकों और प्रबंधकों के बीच

हितों का यह विचलन, घरेलू फर्मों के सापेक्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मूल्य को कम कर सकता है।

टिप्पणी

प्रतिस्पर्धा

वैश्वीकरण के सबसे स्पष्ट सकारात्मक प्रभावों में से एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता होना है। उत्पादन के दृष्टिकोण से उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। चूंकि घरेलू कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से जूझना पड़ता है, इसलिए उन्हें बाजार में बने रहने के लिए अपने मानकों और ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर को बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा, जब कोई वैश्विक ब्रांड किसी नए देश में प्रवेश करता है, तो वह कुछ सद्भावना पर सवार होकर आता है, जिसे उसे पूरा करना होता है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा और योग्यतम स्थिति के अस्तित्व का निर्माण होता है।

संस्कृति

संस्कृति पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव अनेक हैं। एक सभ्यता में सभी अच्छी प्रथाओं का जन्म नहीं हुआ। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वह कई संस्कृतियों के एक साथ आने का परिणाम है। एक संस्कृति के लोग, यदि ग्रहणशील होते हैं, तो वे अपनी संस्कृति की खामियों को देखते हैं और उस संस्कृति को चुनते हैं जो अधिक सही है या समय के अनुरूप है। समाज बड़े हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अन्य सभ्यताओं और पृष्ठभूमि के लोगों का स्वागत किया है और अपनी खुद की एक पूरी नई संस्कृति बनाई है। खाना पकाने की शैली, भाषाएं और रीति–रिवाज सभी वैश्वीकरण के कारण फैल गए हैं। फिल्मों, संगीत शैलियों और अन्य कला रूपों के बारे में भी यही कहा जा सकता है। वे भी एक देश से दूसरे देश में चले गए हैं, एक संस्कृति पर एक छाप छोड़ते हुए जिसने उन्हें अपनाया है।

कानूनी प्रभाव

बढ़ी हुई मीडिया कवरेज दुनिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचती है। इससे मानव अधिकारों में सुधार होता है। वैश्विक आर्थिक विकास जरूरी नहीं कि लोगों को खुश करे, दुनिया भर में मुक्त व्यापार, मानवता को भी लाभान्वित करना चाहिए और साथ ही प्रकृति की भी रक्षा करनी चाहिए, न कि केवल प्रबंधकों और शेयरधारकों को पुरस्कृत करना चाहिए। जो प्रामाणिक नेता हैं उन्हें असमानताओं को दूर करने की जरूरत है। वैश्वीकरण को अधिक लोकतंत्रीय और समृद्धि के साथ खुलेपन और सूचना के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए। वे दिन गए जब सीमित क्षेत्राधिकार अपराधियों के अभियोजन में बाधा बन गया। इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के कारण, ये अपराधी अब किसी विदेशी देश में शरण नहीं मांग सकते, बल्कि कानून के समक्ष लाए जाएंगे और न्याय होगा। वैश्वीकरण के कारण, सुरक्षा एजेंसियों और दो या दो से अधिक विभिन्न देशों की पुलिस के बीच भी एक समझ है जो वैश्विक आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक साथ आएंगे। इसलिए, अब अपराध के अपराधियों को पकड़ना संभव है, चाहे वे किसी भी देश में छिपना चाहें। यह निस्संदेह समाज पर वैश्वीकरण के सबसे बड़े सकारात्मक प्रभावों में से एक है।

टिप्पणी

नकारात्मक प्रभाव

वैश्वीकरण का विकसित देशों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इनमें कुछ कारक शामिल हैं जो नौकरियों की असुरक्षा, कीमतों में उतार–चढ़ाव, आतंकवाद, मुद्रा में उतार–चढ़ाव, पूंजी प्रवाह आदि हैं।

नौकरी की असुरक्षा

विकसित देशों में लोगों के पास नौकरी की असुरक्षा है। लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं। विकसित देशों ने विनिर्माण और सफेदपोश नौकरियों को आउटसोर्स किया है। इसका मतलब है कि उनके लोगों के लिए कम नौकरियां। इसका कारण यह है कि विनिर्माण कार्य उन देशों को आउटसोर्स किया जाता है जहां माल और मजदूरी के निर्माण की लागत उनके देशों की तुलना में कम है। उन्होंने चीन और भारत जैसे विकासशील देशों को आउटसोर्स किया है। भारत जैसे सस्ते स्थानों पर आउटसोर्सिंग के कारण विकसित देशों के अधिकांश लोग जैसे लेखाकार, प्रोग्रामर, संपादक और वैज्ञानिक नौकरी खो चुके हैं। वैश्वीकरण ने श्रम के शोषण को जन्म दिया है। सस्ते सामान के उत्पादन के लिए सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है। लैटिन अमेरिका में हालिया अनुभव यह रहा है कि ऐसी कई खुले हाथ वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने लागत और बाजार के विचारों के कारण चीन या दक्षिण पूर्व एशिया में अपने संचालन को स्थानांतरित कर दिया।

कीमतों में उतार–चढ़ाव

वैश्वीकरण के कारण कीमतों में उतार–चढ़ाव आया है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के कारण, विकसित देश अपने उत्पादों की कीमतें कम करने के लिए मजबूर हैं, इसका कारण यह है कि चीन जैसे अन्य देश कम लागत पर माल का उत्पादन करते हैं जिससे माल विकसित देशों में उत्पादित माल की तुलना में सस्ता हो जाता है। इसलिए, विकसित देशों के लिए अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए अपने सामानों की कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह उनके लिए एक नुकसान है क्योंकि यह उनके देशों में सामाजिक कल्याण को बनाए रखने की क्षमता को कम करता है।

वैश्वीकरण के लाभ

1. उपभोक्ताओं के लिए अधिक उत्पाद उपलब्ध होने के साथ–साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।
2. विकसित देशों से मांग में वृद्धि।
3. सूचनाओं के बड़े और व्यापक आदान–प्रदान ने भौगोलिक विषमताओं को पाटने में मदद की है और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में सुधार हुआ है।
4. उन्नत देशों में विकास ने प्रतिभा पलायन (Brain Drain) की प्रक्रिया को उलट दिया है।

वैश्वीकरण के अवगुण (चुनौतियां)

1. उभरते देशों में, नौकरी के विनाश के कारण औद्योगिक देशों में श्रमिकों में कमी आई है।

टिप्पणी

2. अधिकांश संचारी रोगों के प्रसार में वैश्वीकरण सहायक है।
3. बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां पृथ्वी की प्रभारी बन गई हैं।
4. इससे विकासशील राष्ट्रों का मौन वर्चस्व कम होगा।
5. ग्रामीण भूमिहीन परिवार 1987 में 35 प्रतिशत से बढ़कर 1999 में 45 प्रतिशत, 2005 में 55 प्रतिशत हो गए। किसान भूख से मर रहे हैं।

भारत में एफडीआई प्रवाह पिछले एक दशक में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% से नीचे रहा, जबकि बीजिंग में 5% और ब्राजील में 5.5% था। चीनी एफडीआई से अनुमानित योगदान सालाना 50 अरब अमेरिकी डॉलर है। यह भारत में सिर्फ पांच मिलियन डॉलर है।

भारत को एलपीजी ढांचे से काफी लाभ हुआ है क्योंकि 2007–2008 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 9.7% हो गया। चौथा स्थान भारतीय बाजार पूंजीकरण है। वैश्वीकरण के बावजूद कृषि उत्पादन में सुधार नहीं हुआ है। जीडीपी में कृषि का योगदान 17 फीसदी है। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों के बावजूद, भारत भी जल्द ही इन बाधाओं को दूर करेगा और विकास की ओर अपना रास्ता चिह्नित करेगा। हाल के सत्र से संदेश यह है कि एक राष्ट्र को दक्षता में सुधार करने और संभावित नुकसान से बचने में मदद करने के लिए एक नीति मिश्रण चुनना चाहिए। आर्थिक विश्लेषकों और वैश्विक अध्ययनों की उम्मीद है कि 21वीं सदी भारत और चीन द्वारा संचालित होगी। दस वर्षों में, भारत, जो अब चौथा सबसे बड़ा अधिग्रहण–विद्युत क्षेत्र है, जापान से आगे निकल जाएगा और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत के विकास में, वैश्वीकरण इस प्रकार समायोजित हो कि इसके सकारात्मक प्रभाव अधिकतम जनसंख्या तक पहुंचें और नकारात्मक प्रभावों की न्यूनता रहे।

अपनी प्रगति जांचिए

5. बहुराष्ट्रीय निगम किसका परिणाम हैं?
   (क) सार्वजनिक नीति (ख) उदारीकरण
   (ग) वैश्वीकरण (घ) व्यवसायीकरण
6. वैश्वीकरण से क्या लाभ हुआ है?
   (क) अधिकांश संचारी रोग
   (ख) इससे विकासशील राष्ट्रों का मौन वर्चस्व कम होगा
   (ग) विकसित देशों से मांग में वृद्धि
   (घ) बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां पृथ्वी की प्रभारी बन गई हैं

5.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1. (क)
2. (ग)

3. (ग)
4. (घ)
5. (ग)
6. (ग)

टिप्पणी

5.6 सारांश

भारत में, व्यापार उदारीकरण 90 के दशक की शुरुआत में हुआ। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल आया। सैद्धांतिक रूप से वैश्वीकरण के बहुत सारे गुण हो सकते हैं लेकिन जब अभ्यास की बात आती है, तो कुछ ऐसे वरदान हैं जो अपरिहार्य हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि कैसे वैश्वीकरण सार्वजनिक नीति से संबंधित है, वैश्वीकरण एक बाधा है जो सार्वजनिक नीति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने से रोकता है। व्यापार उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद से, व्यापार बाधाएं एक ऐसे बिंदु पर आ गई हैं जहां व्यापार पर कोई प्रतिबंध बिल्कुल नहीं है। वैश्वीकरण एक नई विश्व व्यवस्था का अग्रदूत है और उत्पीड़न, शोषण तथा अन्याय के लिए शापित है।

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप व्यापार और जीवन स्तर में वृद्धि होती है। यह घरेलू उत्पाद, पूंजी और श्रम बाजारों के साथ–साथ विभिन्न व्यापार और निवेश रणनीतियों को अपनाने वाले देशों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय पूंजी बाजार तेजी से एकीकृत होते जा रहे हैं। दूसरे देशों में संयंत्र स्थापित करने में निवेश करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियां उन देशों के लोगों को अक्सर गरीबी से बाहर निकालने के लिए रोजगार प्रदान करती हैं। समर्थकों का कहना है कि वैश्वीकरण मुक्त व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है जो वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, रोजगार पैदा करता है, कंपनियों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है, और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम करता है।

सीमा–पार दूरियों को कम करके, वैश्वीकरण ने क्रॉस–सांस्कृतिक समझ और साझाकरण को बढ़ाया है। एक तटस्थ वैश्वीकृत समाज उस दर को बढ़ाता है जिस पर लोग दूसरे देशों में लोगों की संस्कृति, दृष्टिकोण और मूल्यों के संपर्क में आते हैं।

वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि यह हमारे समय की आवश्यकता है। यह प्रचलित और लगातार बढ़ती वैश्विक अन्योन्याश्रयता का एक स्वाभाविक विस्तार है। वर्तमान में, वैश्वीकरण वैश्विक स्वतंत्रता के लिए खतरा प्रतीत होता है। यह संप्रभु राष्ट्र राज्य प्रणाली के लिए खतरा प्रतीत होता है। यह आर्थिक संकटों का साक्ष्य रहा है। यह सब वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण के कारण हो रहा है। एक बार जब यह विकसित हो जाएगा, तो यह विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिर कर देगा।

वैश्वीकरण के आलोचक इसे एक कॉर्पोरेट एजेंडा– (बड़े व्यवसाय का एजेंडा) होने और विकसित देशों की विचारधारा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली पर बड़े, गहरे और गहन तरीके से हावी होने और नियंत्रित करने की आलोचना करते हैं।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत, बड़े व्यवसायों ने धीमी उत्पादकता वृद्धि के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है। वैश्वीकरण ने कॉरपोरेट अभिजात वर्ग को अधिक से

टिप्पणी

अधिक अमीर बनने में मदद की है। गरीबों को गरीबी और शोषण का सामना करना पड़ रहा है।

नई वैश्विक व्यवस्था वित्तीय अस्थिरता में वृद्धि का अनुभव कर रही है। वित्तीय संकट और अधिक खतरनाक और व्यापक हो गए हैं। पिछले कई वर्षों से दुनिया वैश्विक आर्थिक मंदी के साथ जी रही है।

वैश्वीकरण आर्थिक विकास, समुदायों और संस्कृतियों को संचार, परिवहन और व्यापार के वैश्विक नेटवर्क में एकीकृत करने के लिए एक तंत्र को परिभाषित करता है। यह अवधारणा अक्सर वित्तीय एकीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पूंजी हस्तांतरण, स्थानांतरण, और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में तकनीकी विकास आर्थिक वैश्वीकरण को स्पष्ट रूप से संदर्भित करती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के भौगोलिक वैश्वीकरण के रूप में उन्होंने कहा है– वैश्वीकरण को वैश्विक सामाजिक संबंधों की गहनता के रूप में परिभाषित किया गया है जो दूरस्थ स्थानों को इस तरह से जोड़ता है कि स्थानीय प्रथाएं कुछ मील दूर होने वाली घटनाओं से प्रभावित होती हैं। 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 1 बिलियन डॉलर हो जाने के बाद, भारत की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण संकुचन का सामना करना पड़ा। वैश्वीकरण ने कई उद्योगों को प्रभावित किया है, जिसमें पशुधन, फल, वित्त, सुरक्षा आदि शामिल हैं।

5.8 मुख्य शब्दावली

- **अवधारणा** : विचार।
- **मध्यस्थता** : बीच–बचाव।
- **प्रवर्तन** : प्रवृत्त करना, आरंभ करना।
- **सार्वभौमिक** : सर्वव्यापक होने की अवस्था।
- **स्वायत्तता** : स्थानीय स्वशासन का अधिकार।
- **तटस्थ** : उदासीन।
- **संकीर्ण** : संकुचित या तंग।

5.7 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

लघु–उत्तरीय प्रश्न

1. वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? संक्षेप में प्रकाश डालिए।
2. सार्वजनिक नीति की आवश्यकताएं बताइए।
3. वैश्वीकरण के विदेशी व्यापार पर प्रभाव को संक्षेप में विवेचित कीजिए।
4. वैश्वीकरण के लाभ बताइए।

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. वैश्वीकरण और सार्वजनिक नीति के विषय में विस्तार से बताइए।
2. वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष को विस्तृत रूप में विवेचित कीजिए।

3. वैश्वीकरण का विश्व पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? विस्तार से वर्णित कीजिए।
4. वैश्वीकरण के विश्व पर नकारात्मक प्रभावों को प्रतिपादित कीजिए।

टिप्पणी

5.8 सहायक पाठ्य सामग्री

1. Hodkinson, P. 2011. *Media, Culture and Society*. London: Sage Publications.
2. Macionis, J. & Plummer, K. 2012. *Sociology:A Global Introduction*. 5th edition. London: Pearson.
3. Madhok, M. 2013. *News Media in India: The impact of Globalization*. New Delhi: New Century Publication.
4. John Baylis, Steve smith and Patrica Owens, *The Globalization of World Politics:An Introduction to International Politics*, Oxford University press, New York, 2008
5. David Held (Second edition), Globalizing World,
6. C.P. Chanderasakern and Jayati Ghosh, *The Market that failed:A decade of Neo Liberal Economics Reforms in India,* Left world, New Delhi, 2000
7. Ahluwalia, Montek S., *"India's Economic Reforms:An Appraisal,"* in Jeffrey Sachs and Nirupam Bajpai's (eds.), *"India in the Era of Economic Reform,"* Oxford University Press, New Delhi, 2000.
8. Bhagwati, J., and Srinivasan, T.N., *"Outward-Orientation on Development:Are the Revisionists Right,"* in *Trade, Development and Political Economy*, by Deepak Lal and Richard Snape eds. Palgrave, 2001.
9. Chaudhuri, Sudip, *"Economic Reforms and Industrial Structure in India,"* Economic and Political Weekly, January 12, 2002.
10. Davis, Jeffrey, Rolando Ossowski, Thomas Richardson, and Steven Barnett, *"Fiscal and Macroeconomic Impact of Privatization,"* IMF Occasional Paper 194, (2000).
11. Dev, Mahendra S., and Jos Mooli, *"Social Sector Expenditures in the 1990s:Analysis of Central and State Budgets,"* Economic and Political Weekly, March 2, 2002.
12. Jean Dreze andAmartya Sen, *"Economic Development and Social Opportunities,"* Oxford University Press, New Delhi (1995).
13. David Held andAnthony McGrew (ed.) *Globalization Theory:Approaches and Controversies.*